चतुर्दश माला, खंड 34, अंक 24

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008
5 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 34-24
Dated. 3 Jun 2009

(खंड 34 में अंक 21 से 28 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 34, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 24, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008/5 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 463, 465 से 467, 469 और 470	3–54
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 468, 471 से 480	54–102
अतारांकित प्रश्न संख्या 4549 से 4778	103–437
सभा पटल पर रखे गए पत्र	437–446, 461–462
राज्य सभा से संदेश	447–449
लोक लेखा समिति	
67वां और 68वां प्रतिवेदन	449
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
27वां और 28वां प्रतिवेदन	449–450
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण	450
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	450–452
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जम्मू और कश्मीर की स्थिति	452–457
सभा का कार्य	457–461
सदस्यों द्वारा निवेदन	
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केरल को आवंटित खाद्यान्न कोटे को बहाल करने के बारे में	463–482

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
वित्त विधेयक, 2008.	482–536
विचार करने के लिए प्रस्ताव	482
श्री पी. चिदम्बरम	482
श्री खारबेल स्वाईं	482–491
श्री संदीप दीक्षित	491–501
श्री रूपचंद पाल	501–512
श्री मोहन सिंह	512–520
श्री पी.एस. गढ़वी	521–531
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	531–534
श्री बिक्रम केशरी देव	534–535
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	535
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित.	535–546
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)	
श्री एल. राजगोपाल	536
(दो) संसद की कार्यवाही में व्यवधान (सदस्यों को दैनिक भत्ते के हक से वंचित करना और सदस्यता समाप्त करना) विधेयक, 2008	
श्री एल. राजगोपाल	536–537
(तीन) बीमा अभिकर्त्ता कल्याण विधेयक, 2007	
श्री बसुदेव आचार्य	537
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 73 का संशोधन)	
एडवोकेट सुरेश कुरूप	537
(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2008	
श्री हंसराज गं. अहीर	538
(छह) विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2008	
श्री हंसराज गं. अहीर	538
(सात) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (सेवाओं का नियमतीकरण और अन्य प्रसुविधाएं) विधेयक, 2008	
श्री हंसराज गं. अहीर	539
(आठ) कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2008	
श्री हंसराज गं. अहीर	539–540

विषय		कॉलम
(नौ)	राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2008	
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	540
(दस)	श्रमजीवी हाथी (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2008	
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	540–541
(ग्यारह)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2008 (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री अवतार सिंह भडाना	541
(बारह)	न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 3 का संशोधन)	
	श्री प्रबोध पाण्डा	541–542
(तेरह)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2008	
	श्री हरिभाऊ राठौड़	542
(चौदह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)	
	श्री हरिभाऊ राठौड़	542–543
(पन्द्रह)	केरल उच्च न्यायालय (तिरूवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2008	
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	543
(सोलह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (11वीं अनुसूची का संशोधन)	
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	544
(सत्रह)	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 2 आदि का संशोधन)	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	544–545
(अठारह)	घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2008	
	श्री मोहन सिंह	545
(उन्नीस)	बाढ़ नियंत्रण विधेयक, 2008	
	श्री मोहन सिंह	545–546
(बीस)	अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2 का संशोधन)	
	श्री एल. राजगोपाल	546
(इक्कीस)	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008	
	डा. के.एस. मनोज	547
(बाईस)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (7वीं अनुसूची का संशोधन)	
	श्री अनंत कुमार हेगड़े	547–548
(तेईस)	अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2 और 6 का संशोधन)	
	श्री अनंत कुमार हेगड़े	548

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–विचाराधीन	
निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006	549–576, 576–589
विचार करने के लिए प्रस्ताव	549
श्री खारबेल स्वाईं	549–556
श्री मोहन सिंह	556–561
श्री गुरुदास दासगुप्त	561–565
श्री संदीप दीक्षित	565–572
डा. के.एस. मनोज	573–576
डा. सत्यनारायण जटिया	576–582
श्री भर्तृहरि महताब	582–589
प्रो. एम. रामदास	589
कार्य मंत्रणा समिति	
49वां प्रतिवेदन	576
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	591
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	592–598
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	599–600
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	599–602

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008/5 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वहां स्थिति बहुत गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं मामले के महत्व को समझता हूं। प्रश्न काल के पश्चात् मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। एक घंटे में क्या फर्क पड़ता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, मैं आपको प्रश्न काल के पश्चात् अनुमति दूंगा। मैंने श्री ढींडसा से अनुरोध किया है और वह सहमत हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्न काल चलने दें। मैं आप सबसे पुरजोर अपील करता हूं कि प्रश्न काल हो जाने दें। मैं मामले के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। इस देश में ऐसी छवि उभरी है कि संसद के कामकाज को रोकने से आपकी बात महत्वपूर्ण होती है। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि संसद अपना काम-काज करे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझे नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार उदासीन है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के पश्चात् मैं माननीय सदस्यों को अपने महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह पहला मामला होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: फर्स्ट और सैकिंड में क्या है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के तीन मिनट पहले ही बीत चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, प्रश्न काल के पश्चात् यह पहला विषय होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम क्या करेंगे। हम वहां नहीं जा सकते। हम जाना चाहते हैं। आप हमें वहां ले चलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. सी. कृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना बोल रहे किसी भी माननीय सदस्य का एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 461 श्री के.एस. राव-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

राजगोपाल जी, आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का क्षेत्राधिकार

***461. +श्री एल. राजगोपाल:**
श्री के.एस. राव:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र में कपटपूर्ण कार्यों के विनियमन एवं उनकी जांच के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.सी.) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्राधिकार में कुछ परस्पर व्याप्ति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले व्यवहारों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एवं इसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित रखने तथा भारतीय बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और इससे संबंधित अथवा इस प्रकार के आकस्मिक मामलों के लिए यथा संशोधित (अधिनियम) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एवं प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना तथा इस अधिनियम के किसी उपबंधों के उल्लंघन की जांच करने में आयोग को सहायता करने एवं इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य कार्यों को निष्पादित करने के उद्देश्य से महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का आशय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों एवं विकासों को ध्यान में रखते हुए बाजारों में प्रतिस्पर्धा के अधिक व्यापक विनियमन का प्रावधान करने और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एमआरटीपी), 1969 (1969 का 54) जिसे यह प्रावधान करने के लिए लागू किया गया था कि आर्थिक प्रणाली के प्रचालन का परिणाम एकाधिकार नियंत्रण एवं एकाधिकारिक तथा अवरोधक व्यापार व्यवहारों, इत्यादि के रोक के लिए आर्थिक शक्ति का सामान्य हित में केन्द्रीकरण के रूप में न हो, को स्थानांतरित करना है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संबंधित उपबंधों के लागू होने के साथ ही एमआरटीपी अधिनियम, 1969 निरस्त हो जाएगी और एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) विघटित हो जाएगा। तथापि, एमआरटीपीसी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व दायर सभी मामलों अथवा कार्यवाहियों के संबंध में यथा संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संबंधित उपबंधों के प्रारंभ तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए निरस्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग जारी रख सकता है मानो एमआरटीपी अधिनियम, 1969 निरस्त नहीं किया गया था। तथापि, इन दो वर्षों की अवधि के दौरान एमआरटीपीसी, एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत कोई नए मामले नहीं लेगा। उपरोक्तानुसार एमआरटीपीसी का परिसमापन हो जाने पर एमआरटीपीसी के समक्ष विचारार्थ अथवा जांचाधीन अथवा एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के कथित उल्लंघनों के शेष मामलों को यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

2002 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त विनियामक निकायों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, एमआरटीपीसी एवं प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच क्षेत्राधिकार की परस्पर व्याप्ति महसूस नहीं होती है।

श्री एल. राजगोपाल: अध्यक्ष महोदय, हम हर रोज सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देख रहे हैं। इस्पात, सीमेंट और विद्युत सहित प्रत्येक क्षेत्र में आज कीमतें आसमान छू रही हैं। वस्तुत: इसी कारण वहां, और यह महत्वपूर्ण है कि आज आधुनिक भारत में विशेषत: निजीकरण आने के पश्चात् प्रतिस्पर्धा अधिनियम को और शक्तियां तथा अधिकार प्राप्त हों और यह शीघ्र प्रभावी बने।

महोदय, कई विधिक अड़चनों के पश्चात् इस सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 पारित किया है, किंतु अब तक इसे अधिसूचित नहीं किया है। समस्या यह है कि गठजोड़ (कार्टेलाइजेशन) के प्रभुत्व की संकल्पना को एमआरटीपीसी से लेकर सीसीआई को दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री एल. राजगोपाल: किंतु चूंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया गया है, एमआरटीपीसी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसका तात्पर्य है अब गठजोड़ के विरुद्ध हम कोई विधिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधिसूचित होने तक इस समस्या से किस प्रकार निपटने की योजना बना रहे हैं।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्तूबर, 2003 को हुई थी किन्तु उच्चतम न्यायालय में कानूनी अड़चनों के कारण यह पूर्णत: कार्यशील नहीं बनाया जा सका। अत: सभी कदम उठाए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र हम सुनिश्चित करेंगे कि आयोग काम करना शुरू करे।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, निश्चय ही मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि अभी अधिसूचना की अनुपस्थिति में, एमआरटीपीसी कोई नया मामला स्वीकार नहीं कर सकता और नए मामले एमआरटीपीसी के पास नहीं जा सकते हैं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए वह कह रहे हैं कि कुछ विधिक जटिलताएं हैं किन्तु अब इन्हें सुलझा लिया जाएगा।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आज कोई तंत्र नहीं है। आज वस्तुत: हमारे वाम दल सहयोगियों सहित हम सब मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ऐसा अधिनियम की अधिसूचना नहीं होने के कारण हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा आयोग को विनियमित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के मामलों से निपटने के लिए सशक्त नहीं करने के क्या कारण हैं।

अन्य देशों की सर्वोत्तम कार्पोरेट परंपरा है कि प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण सभी व्यवहारात्मक मुद्दों से निपटता है जबकि विशिष्ट विनियामक विनियमित क्षेत्र में ढांचागत मुद्दों से निपटता है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्यों सीसीआई को यह अधिकार नहीं दिए गए हैं।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, हमारे पास सीसीआई है, हमारे पास क्षेत्रवार विनियामक हैं और यदि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग महसूस करता है कि प्रतिस्पर्धा से जुड़े कतिपय मुद्दे हैं तो वे उनसे परामर्श कर सकते हैं, उनके पास भेज सकते हैं तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रों से जुड़े विनियामक और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग विचार विनिमय कर सकते हैं। वस्तुत: ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझकर कोई विलम्ब किया जा रहा है बल्कि कुछ विधिक उलझनों के कारण इसे कार्यशील नहीं बनाया जा सका है।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह कह दिया है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, प्रतिस्पर्धा अधिनियम का एक उपबंध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। किन्तु जब तक प्रतिस्पर्धा आयोग सक्रिय होता है तब तक गठजोड़ (कार्टेलाइजेशन) से संबंधित कई शिकायतें थी, पहले सीमेंट उद्योग द्वारा और बाद में अन्यों द्वारा। हाल में इस्पात उद्योग द्वारा गठजोड़ की बात सामने आयी है जिसे सरकार के एक वर्ग द्वारा स्वीकार किया गया है। मैं 'सरकार का एक वर्ग' कह रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री खुल कर कह रहे हैं कि इस्पात के संदर्भ में गठजोड़ हो रहा है किन्तु इस्पात मंत्रालय और स्वयं इस्पात मंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि कोई गठजोड़ नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतिस्पर्धा आयोग की क्या स्थिति है जो यह कह रहा है कि "ऐसी स्थिति में, मैं असहाय हूं। जब दो मंत्रालयों में गठबंधन पर मतभेद हों तो मैं क्या कर सकता हूं।"

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, आज की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग काम नहीं कर रहा है। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि यह आज भी कार्यशील नहीं है। जब यह काम करना शुरू कर देगा तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आवश्यक कदम उठाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: वे अंतरिम स्थिति में क्या करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे या तो वित्त मंत्री अथवा इस्पात मंत्री से सहमत होंगे।

अब, प्रश्न सं. 462–श्री हरिभाऊ राठौड़।

किसानों के लिए ऋण माफी योजना

***462. +श्री हरिभाऊ राठौड़:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए ऋण माफी योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न बैंकों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त योजना में संशोधन के लिए जनता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिशानिर्देश, जो तैयार किए जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी कर दिए जाएंगे ताकि, ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना को 30 जून, 2008 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। सुझाव, मोटे तौर पर निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(1) सिंचाई व्यवस्था या उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए भूमि धारिता मानदण्ड में भिन्नता;

(2) भूमि धारिता मानदण्डों को समाप्त करना;

(3) इस योजना में ऐसे किसानों को सम्मिलित करना जिन्होंने साहूकारों से ऋण लिए हैं; और

(4) जिन किसानों ने अपने ऋणों का समय पर भुगतान कर दिया है उनके लिए भी ऋण माफी/ऋण राहत योजना के लाभ प्रदान करना।

ये सुझाव जांच के अधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है, उससे हमारे प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। इस सदन में 29 फरवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ किसानों के लिए ऋण माफी की योजना का ऐलान हुआ था। उसके तुरंत बाद, दूसरे दिन से ही सारे देश में होर्डिंग लगाये गये, जिसमें किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने की बात कही गयी। इस बात को दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरबीआई या नाबार्ड में इस बारे में कोई गाइडलाइन्स नहीं बनायी हैं। सारे देश के किसान आज चिंतित हैं। जब घोषणा हुई थी, उस समय मापदंडों की भी घोषणा हुई थी। अगर वे ज्यों के त्यों गाइडलाइन्स में आ जाते हैं, तो 15 परसेंट किसानों को ही इसका लाभ होने वाला है। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च, 2007 तक वितरित ऋण और 31 दिसम्बर, 2007 तक बकाया ऋण। होना यह चाहिए था कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने गाइडलाइन्स के बारे में पूछा था, जिसका मंत्री जी ने जवाब दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: लोन आउटस्टैंडिंग वाली क्लाज बहुत डिफिकल्ट है। इससे गफलत हो जायेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी योजना शुरू नहीं हुई है और पहले ही घपला हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: जिस दिन मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी, उस दिन जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है, उतना ही मापदंड होना चाहिए, कोई तीसरा और चौथा मापदंड नहीं होना चाहिए। सरकार की घोषणाबाजी पर अब किसानों को विश्वास नहीं रहा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सप्लीमैंट्री क्वेश्चन पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: अभी महाराष्ट्र में कृषि मंत्री, श्री शरद पवार ने कहा कि अब साहूकारों के भी कर्ज ...*(व्यवधान)* इसीलिए यह हो रहा है। अब बैंक भी कर्ज नहीं दे रहा और न ही साहूकार कर्ज दे रहे हैं, जबकि एक महीने के बाद अगली तैयारी करनी है। गाइडलाइन्स भी नहीं आ रही हैं। इस तरह किसान कहां जायेगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: अभी मेरा क्वैश्चन नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर क्वैश्चन नहीं होगा, तो क्या हम बैठे रहेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: अभी पिछले तीन दिन में मेरे क्षेत्र में 12 लोग मारे गये। यह बहुत सीरियस इश्यू है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप क्वैश्चन पूछ रहे हैं, या नहीं?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: मेरा स्पेसीफिक क्वैश्चन माननीय मंत्री जी से यह है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आपने सोचा भी नहीं कि क्वैश्चन क्या करना है?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: आप किस डेट को ये गाइडलाइन्स इश्यू कर रहे हैं। आप एक स्पेसीफिक डेट दे दीजिए कि कब तक ये गाइडलाइन्स इश्यू कर दी जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पांच मिनट तक बोलने के बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा है।

[हिन्दी]

उन्होंने लिख दिया है कि क्या होगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं बिल्कुल न्यायोचित नहीं हैं। बजट भाषण के पैराग्राफ 73 में मैंने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि 30 जून, 2008 तक ऋण माफ किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: हां, संभवतया उन्होंने उत्तर नहीं पढ़ा है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं अपने वक्तव्य पर कायम हूं। कृपया 30 जून 2008 का इंतजार कीजिए। 30 जून, 2008 तक ऋण माफ कर दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने जान-बूझकर मार्च, अप्रैल, मई और जून की चार महीने की अवधि को विचार-विमर्श करने, सुझाव प्राप्त करने और दिशानिर्देश बनाने हेतु लिया है। अभी भी मेरे पास काफी समय है। इसलिए मैं अपने आश्वासन को पुन: दोहराता हूं कि 30 जून, 2008 तक जैसा कि बजट भाषण में कहा गया है, ऋण माफ कर दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

क्या आपका दूसरा सप्लीमैंट्री क्वेश्चन है?

श्री हरिभाऊ राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर किसानों के सुझाव आये हैं कि सिंचाई व्यवस्था या उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए, भूमि धारिता मानदंड में भिन्नता, भूमि धारिता मापदंड को समाप्त करना, इस योजना में ऐसे किसानों को सम्मिलित करना जिन्होंने साहूकारों से ऋण लिया है और जिन किसानों ने अपने ऋणों का समय पर भुगतान कर दिया है, उनके लिए भी ऋण माफी योजना का लाभ प्रदान करने की मांग उठी है। अब ऋण के संबंध में किसानों की जो मांग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप इस पर भाषण नहीं दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन पूछेंगे, तभी तो मंत्री जी जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: मेरा क्वैश्चन है कि अभी माननीय सोनिया जी ने महाराष्ट्र के सांगली और उस्मानाबाद में घोषणा की। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रासंगिक नहीं है।

[हिन्दी]

आप सरकार के बारे में पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: उनके नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। डा. चिन्ता मोहन।

श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या आप मुझे प्रश्न भी पूछने नहीं देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपको टी.वी. में दिखायेंगे कि आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मुझे टी.वी. की जरूरत नहीं है। मेरे क्षेत्र के लाखों करोड़ों लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं। विदर्भ में लैंड होल्डिंग ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब ठीक है। उसके लिए दिखाने का नियम नहीं है। आपकी परफोर्मेंस क्या है, वह हम दिखायेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: आप हमें कम से कम किसानों की बात तो करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे भाषण मत दीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सब कुछ हटा दीजिए।

[हिन्दी]

सब कुछ डिलीट कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. चिन्ता मोहन—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इनको पता भी होगा कि दिसम्बर, 2007 तक जो अमाउंट ड्यू है, मार्च 2008 को जो ड्यूज हैं, उनके कारण अब कोई भी बैंक किसानों को ऋण नहीं दे रही है, क्योंकि जब तक वह पैसा जमा नहीं होता, तब तक बैंक उसे डिफाल्ट कहते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्या आप बैंकों को सूचित करेंगे कि जो अमाउंट बैंक से मिलने वाली है, कम से कम उसे मिलाकर, किसान को त्वरित ऋण दिया जाये, क्योंकि उनको फसल के लिए ऋण की बहुत जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय: क्वैश्चन यह है कि गाइडलाइन कब इश्यू होगी?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: गाइडलाइन से क्या होगा, उनको ऋण मिलना बंद हो गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, इस बात पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। बजट भाषण में की गई घोषणा सभी बैंकों को बता दी गई है। हम भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से परामर्श करके दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देंगे और फिर ये दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार ऋण माफ किए जाएंगे। यदि फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में यह आशंका है कि दिशानिर्देशों के लंबित रहने के कारण बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं तो कृपया चिन्ता न करें। मैंने 1 मई को सभी बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों को बुलाया है और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सामान्य ऋण देने के काम को जारी रखा जाए और ये दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

श्री मोहन रावले: मंत्री महोदय, आपने 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को राहत दी है किंतु फिर भी विशेषरूप से महाराष्ट्र में किसान ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। अत: क्या आपका विचार इस सीमा को बढ़ाकर 5 हेक्टेयर तक करने का है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, इस संबंध में प्राप्त हुए प्रत्येक सुझाव की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मेरे राज्य केरल में सहकारी बैंकों ने धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।

अध्यक्ष महोदय: वह दिशानिर्देश तैयार करने हेतु किया गया है।

डा. के.एस. मनोज: इस प्रक्रिया में अधिकांश बकाया ऋण की वसूली कर ली गई है। उस समय, केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना की घोषणा की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे ऋण जो पुन: दिए गए थे, को इस ऋण माफी योजना से लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: इस पर विचार किया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं एक तरीके या दूसरे तरीके से इसका उत्तर नहीं दे सकता। बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि ऋण का भुगतान 29 फरवरी, 2008 तक न हुआ हो। किंतु यदि माननीय सदस्यगण सुझाव देना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हां। आप उसे भेज दें।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। बजट में ऋण माफी की जो घोषणा की गयी है, वह उस क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत अपर्याप्त है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ऋण माफी की कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जाएगा। किंतु मैं केवल वही कर सकता हूं जो करने योग्य तथा वहनीय होगा। जिन लोगों को विशेष परिस्थितियों में दुख सहना पड़ा, मुझे उनसे काफी सहानुभूति है। मैं प्रत्येक सुझाव पर खुले दिमाग से विचार करूंगा। किंतु मैं वही कर सकता हूं जो करने योग्य तथा वहनीय होगा।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, काफी संख्या में सीमांत और गरीब दोनों, किसान अपने बकाया ऋण का आंशिक भुगतान कर चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे ऋण माफी योजना के अंतर्गत आएंगे अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय, मैंने किसानों की समस्या के बारे में अपनी बात रखने के लिए समय देने की मांग की थी।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी पार्टियों को समय दिया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय, यह किसानों से जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात ठीक नहीं है। आपको सब दिखाई देगा।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***463. +श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से आज की तारीख तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों के विद्युतीकरण की गति तेज करने की दृष्टि से इस योजना में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन को विभिन्न राज्यों से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक 614 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 10.4.2008 की स्थिति के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी मानीटरिंग कमेटी द्वारा 551 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त राज्यवार डीपीआर का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	शामिल जिलों की संख्या	ग्रामीण आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गांव				शामिल किए गए कुल बसे हुए स्थान	ग्रामीण घरों की संख्या (बीपीएल आवासों सहित)	बीपीएल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपये में)
				गैर-विद्युतीकृत गांवों की की संख्या	निर्विद्युतीकृत गांवों को संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	गांवों की कुल संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	26	22	0	0	27481	27481	76375	3954128	2592140	840.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	1798	331	1756	3885	349	76407	40810	550.76
3.	असम	23	23	4439	4086	13330	21855	43476	1460598	991656	1660.01
4.	बिहार	44*	38	17482	13685	14923	46090	65572	13429032	5421681	4927.47
5.	छत्तीसगढ़	16	16	897	80	17012	17989	37099	1275904	753010	1224.74
6.	गुजरात	25	25	0	0	17934	17934	15923	1595853	955150	360.44
7.	हरियाणा	18	18	0	0	5985	5985	9139	569686	224073	197.40
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	94	0	10666	10760	10306	36479	12448	293.05
9.	जम्मू-कश्मीर	14	14	198	141	6106	6445	23330	306290	139512	636.30
10.	झारखंड	22	22	16965	2772	7622	27359	80429	2926260	1691797	2683.92
11.	कर्नाटक	27	26	132	0	28818	28950	47625	2022716	916447	634.35
12.	केरल	14	14	0	0	1077	1077	1847	458248	206741	321.01
13.	मध्य प्रदेश	48	48	566	454	48385	49405	48138	3730283	1803617	2545.91
14.	महाराष्ट्र	34	34	6	0	40292	40298	56274	2633742	1876391	713.44
15.	मणिपुर	6	6	253	446	727	1426	772	107814	67346	229.41
16.	मेघालय	7	7	1573	370	3536	5479	4611	188648	116447	290.42
17.	मिजोरम	8	8	42	95	570	707	707	44334	27417	104.25
18.	नागालैंड	11	11	57	42	965	1064	1296	118576	59611	91.95
19.	उड़ीसा	31	30	13662	4233	28992	46887	63023	4746028	3185863	3578.69
20.	पंजाब	17	17	0	0	11840	11840	2802	405023	148860	154.59
21.	राजस्थान	41	32	807	3655	33484	37946	32168	2233010	1708166	1091.57
22.	सिक्किम	4	4	25	0	418	443	1700	28166	11458	57.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	तमिलनाडु	29	29	0	0	13137	13137	74498	1887943	585015	485.60
24.	त्रिपुरा	4	4	160	0	642	802	5952	228759	194730	131.47
25.	उत्तर प्रदेश	71	65	29725	1077	26293	57095	63928	2860271	1655532	4834.05
26.	उत्तरांचल	13	13	787	682	14105	15574	24510	357309	281615	643.89
27.	पश्चिम बंगाल	33	18	4607	74	32658	37339	87931	5754035	3248677	3246.67
	कुल योग	614	572	94275	32223	408754	535252	879780	53435542	28916210	32528.57

1. एनएचपीसी/बीएसईबी द्वारा पश्चिम चंपारण की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निकाली गई है क्योंकि 392 अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, जिले के 375 पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के तीव्र विद्युतीकरण के अतिरिक्त 524 अविद्युतीकृत गांवों के पुनर्विद्युतीकरण वाली एक अन्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 11वीं योजनावधि के दौरान निष्पादन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

2. मणिपुर की दो विस्तृत परियोजना रिपोर्टों तथा उत्तर प्रदेश की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2800 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी के अंतर्गत 11वीं योजनावधि के चरण-1 के दौरान निष्पादन हेतु परियोजना के चिह्नितकरण के पश्चात् प्राप्त की गई थी। 11वीं योजना के न तो चरण-1 में और न ही चरण-2 में पश्चिमी मिदनापुर की परियोजना को 28.3.2008 को हुई अपनी बैठक में मानीटरिंग कमेटी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी।

अनुबंध II

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए राज्यवार परियोजनाओं की स्वीकृति

(10.04.08 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	परियोजना के अंतर्गत आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गांव				परियोजना के अंतर्गत आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल बसे स्थान			उन आवासों की संख्या जिन्हें विद्युत प्रदान की जानी है	प्रारूप आवासों को जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित कुल कनैक्शनों की संख्या (बीपीएल सहित)	परियोजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले बीपीएल आवासों की संख्या	एर्वेसडे प्रभारों और बीपीएल लागत बढ़ने के कारण परियोजना की संशोधित लागत (करोड़ रुपये में)
			गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	निर्विद्युतीकरण गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल कुल गांवों की संख्या	आवास विद्युतीकरण हेतु शामिल गैर-विद्युतीकृत बसे हुए स्थानों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु शामिल कुल विद्युतीकृत बसे हुए स्थानों की संख्या	परियोजना में शामिल कुल बसे हुए स्थानों की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	26	0	0	27481	27481	14334	62041	76375	4381571	3954128	2592140	840.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	1768	314	1657	3739	169	159	313	69892	69727	37702	515.07
3.	असम	23	4439	4086	13330	21855	27893	15583	43476	3212026	1460598	991656	1660.01
4.	बिहार	43	13632	9579	6651	29862	32046	4422	36468	6471422	6048602	2762455	3003.00
5.	छत्तीसगढ़	11	170	59	13352	13581	5581	10940	16521	1064448	982599	489104	569.70
6.	गुजरात	25	0	0	17934	17934	1013	14910	15923	1676055	1595853	955150	360.44
7.	हरियाणा	18	0	0	5985	5985	2050	7089	9139	608157	569686	224073	197.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हिमाचल प्रदेश	10	24	0	10216	10240	217	9569	9786	42384	34367	12216	191.14
9.	जम्मू-कश्मीर	13	197	141	5937	6275	7573	14476	22049	312550	289261	135402	618.98
10.	झारखंड	22	16965	2772	7622	27359	66635	13794	80429	3183410	2926260	1691797	2683.92
11.	कर्नाटक	24	132	0	27895	28027	12723	26474	39197	1836403	1836403	852270	561.71
12.	केरल	1	0	0	38	38	81	0	81	69169	23799	17834	19.76
13.	मध्य प्रदेश	29	509	281	31731	32521	10562	23201	33763	3124160	2394440	1312143	1413.52
14.	महाराष्ट्र	34	6	0	40292	40298	4758	51516	56274	5640370	2633742	1876391	713.44
15.	मणिपुर	4	159	336	727	1222	312	393	705	79524	76267	49188	155.77
16.	मेघालय	7	1573	370	3536	5479	1524	3087	4611	214868	188648	116447	290.42
17.	मिजोरम	8	42	95	570	707	115	592	707	44334	44334	27417	104.25
18.	नागालैंड	11	57	42	965	1064	744	552	1296	118576	118576	59611	91.95
19.	उड़ीसा	31	13662	4233	28992	46887	38073	24950	63023	5283178	4746028	3185863	3578.69
20.	पंजाब	17	0	0	11840	11840	0	2802	2802	405023	405023	148860	154.59
21.	राजस्थान	40	807	2987	32254	36048	8233	23898	32131	4377679	2112623	1639644	998.68
22.	सिक्किम	4	25	0	418	443	190	1510	1700	29674	28166	11458	57.11
23.	तमिलनाडु	26			12416	12416	9130	59548	68678	1703610	1692235	545511	447.41
24.	त्रिपुरा	4	160	0	642	802	2349	3603	5952	344036	228759	194730	131.47
25.	उत्तर प्रदेश	64	29725	1077	3287	34089	39393	0	39393	1881852	1694075	1120648	2719.52
26.	उत्तरांचल	13	787	682	14105	15574	20381	4129	24510	984647	357309	281615	643.89
27.	पश्चिम बंगाल	28	4499	74	24775	29348	6251	55592	60501	4432005	4000142	2738721	2321.70
	कुल योग	551	89338	27128	344648	461114	312330	434830	745803	51591023	40511650	24070046	25043.58

*मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए स्वीकृत परियोजना लागत अनंतिम है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अभी भी कई गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। कुछ मामलों में, मुख्य गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है किंतु दुर्भाग्यवश, मुख्य गांवों की बस्तियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युतीकृत गांवों की इन गैर-विद्युतीकृत बस्तियों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकृत योजना में शामिल किया जा रहा है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जब मैंने पिछले सत्र में जवाब दिया था तो कुछ सहयोगियों ने इस सभा में यह उल्लेख किया था कि बस्ती में '300 परिवारों' के मानक को घटाकर 100 कर दिया जाए। यह सुझाव दिया गया था। मुझे यह बताकर खुशी हो रही है कि अब हमने इसे अनिवार्य कर दिया है और हमने जनसंख्या के आकार को 300 से घटाकर '100 और इससे ऊपर' कर दिया है और अब से लेकर '100 और उससे ऊपर' की जनसंख्या वाली बस्ती का विद्युतीकरण किया जाएगा।

आप जानते हैं कि मैंने मई, 2005 में दसवीं योजना की शुरूआत में कई बार यह कहा था कि हमारा अनुमान 1,25,000 गांवों का विद्युतीकरण करने का है और अभी तक हमने देश में 47,826 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: जैसा कि केन्द्र सरकार को पता है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इंद्राम्मा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के लिए एक व्यापक आवास कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य लगभग 80 लाख घरों का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के बाद कोई भी गरीब आदमी बिना मकान के नहीं रहेगा। इन सभी कालोनियों का विद्युतीकरण किया जाना है अथवा विद्युतीकरण कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार से इन सभी कालोनियों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, दो योजनाएं हैं। एक योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है जो इस देश की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अर्थात् 'इंदिराम्मा' के नाम से चल रही है। दूसरी योजना भारत सरकार के अंतर्गत चल रही है जिसका नाम राजीव गांधी-ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। मां और पुत्र दोनों ही इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन लोगों की याद में हमने ये योजनाएं शुरू की हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम आंध्र प्रदेश सरकार से जो भी प्रस्ताव प्राप्त कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी तथा देश का कोई भी व्यक्ति चाहे वह गांव में ही रहता हो, बिना बिजली के नहीं रहेगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश शासन से आपको 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29 स्वीकृत हुए हैं और 19 प्रस्ताव बाकी हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करके, इन बचे हुए 19 प्रस्तावों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत कराने की कार्यवाही करेंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा काम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन का बाकी है। हमने वहां के अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनसे संपर्क में हैं। मैंने अभी सदन में बताया था कि इस देश में कोई भी देहात बिना विद्युतीकरण के नहीं रहेगा। हम मध्य प्रदेश के अधिकारियों से आगे भी जरूर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसमें अंतर है कि उन्होंने प्रोजेक्ट की कीमत काफी बढ़ाकर दी है। हम अपने नार्म्स के अनुसार, उससे तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा करके और सुधार लाने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री छेवांग थुपस्तन-उपस्थित नहीं हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मंत्री जी ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक भी परिवार या घर बिजली सुविधा से वंचित नहीं होगा। उनके उत्तर को देखने पर मैंने पाया है कि राज्यों से प्राप्त कुल डी.पी.आर. करीब 32,528 करोड़ रुपये है और आज की तिथि तक स्वीकृत की गयी धनराशि करीब 25,043 करोड़ रुपये है। करीब 7,000 करोड़ रुपये की कमी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर हम इस लक्ष्य को किस प्रकार से पूरा करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इतनी भारी धनराशि राज्यों को दी जा रही है और विभिन्न हितधारक विद्युतीकरण के कार्य में शामिल हैं—क्या आप इस परियोजना की निगरानी हेतु संसद सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करेंगे अथवा उन्हें इस परियोजना में भागीदार बनाना चाहेंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, जहां तक इस योजना का सवाल है, धन की कमी नहीं है। आपने अवश्य देखा होगा कि दसवीं योजना में सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी थी। मैंने इस सभा में उल्लेख किया है कि ग्यारहवीं योजना में, योजना आयोग की सिफारिश के पश्चात् सरकार ने इस योजना के लिए 28,000 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके बाद भी मुझे आश्वस्त किया गया है कि इस योजना के लिए धन की कमी नहीं होगी तथा हम पूरे देश में इस योजना हेतु धन प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य इस योजना की निगरानी में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने इस सभा में अपील की है कि यदि हमारे माननीय सदस्य प्रत्येक विद्युतीकृत गांव की निगरानी करें तो यह उपयोगी होगा। हमने कहा है कि ट्रांसफार्मर पर और गांव में ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम'' का बोर्ड लगाया जाए; इसका अभिप्राय होगा कि पूरे गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। इस प्रकार यह हमारे लिए सहायक होगा। यदि ऐसे सुझाव आते हैं अथवा यदि शिकायतें आती हैं तो मैं इसका संज्ञान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक मंत्री संसद सदस्य पर जिम्मेदारी डाल रहा है। कृपया इतनी अधिक जिम्मेदारी न डालें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक अच्छा कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अच्छा कहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब प्रश्न पूछें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: लेकिन उसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। काम करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, पता नहीं देश के अन्य भागों में उन्हें कौन करता है, लेकिन बिहार में पावर ग्रिड कार्पोरेशन यह काम कर रही है। इसमें जिन गांवों का चयन हुआ है उसमें हर प्रखंड में आधे गांवों का चयन हुआ है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका कागज पर विद्युतीकरण हो गया है, उन्हें तीसरे फेज में रखा गया है। जहां ये विद्युतीकरण कर रहे हैं, उसमें 25 केवीए का ट्रांसफोर्मर लगाते हैं, जो लोड सह नहीं पाता है-सुबह को चार्ज करते हैं शाम को डिसचार्ज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में, ये सब जो त्रुटियां हैं या जैसे गांवों के चयन की प्रक्रिया है उसके बारे में माननीय मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप 25 केवीए का ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, जो लोड नहीं सह रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे? ग्रिड स्टेशन जहां बनाया गया है, वहां रख-रखाव के लिए, कहीं-कहीं आपने इसे राज्य सरकार के जिम्मे भी कर दिया है, वहां कोई कर्मचारी या तकनीकी आदमी नहीं है, जिसके चलते वहां से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है। क्या इन सब चीजों पर आप कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह बात सही है कि कई जगह विद्युत निर्मिति कम है, जिसकी वजह से 400 केवीए लोड में बिजली जाने में त्रुटि आती है। पिछले 10 सालों में बिहार में बिजली का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां बिजली कम है। हमने अभी यह निर्णय ले लिया है कि किसी भी राज्य को अगर देहात में बिजली चाहिए, तो पहले लिखकर हमें देना होगा कि 6 से 8 घंटे तक उस गांव को बिजली आप देंगे, तभी हम योजना उस राज्य को देंगे। इस प्रकार का हमने निर्णय ले लिया है और उनसे एग्रीमेंट भी होता है। उस तरह से हम बिजली देते हैं। देश में हमने 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने का तय किया है और आज हमारे 73,000 मेगावाट के आर्डर्स गये हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कैपटिव उत्पादन के 11,500 मेगावाट उसमें मिल जाएं, तो हमें बिजली निर्माण में, 11वें प्लान में, बहुत सुविधा होगी और इस तरह की असुविधा नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूं कि देश में इतने तरह की बिजली निर्माण का काम पहली बार हो रहा है, यह सदन को सूचित करने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, हमने प्रश्न क्या पूछा था और उत्तर क्या आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बोला है कि सब को बिजली मिलेगा, उसमें आप भी आ गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न पर अंतिम अनुपूरक प्रश्न श्री एस. अजय कुमार पूछेंगे।

श्री एस. अजय कुमार: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत केरल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाना अभी शेष है।

अध्यक्ष महोदय: आज हम लोग बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। अभी तक मात्र तीन प्रश्नों पर चर्चा हुई है। मैं इस प्रश्न पर और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस. अजय कुमार: मैं मंत्री जी से उपर्युक्त तथ्य संबंधी कारण जानना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों को कब स्वीकृत किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या माननीय सदस्य इस प्रश्न को दोहराएंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री एस. अजय कुमार: केरल राज्य द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत प्रस्तुत किए प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाना अभी शेष है। मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या कारण हैं तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे: केरल से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाएगा। कभी-कभी डी.पी.आर. में उल्लिखित लागत काफी अधिक होती है और यही कारण है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। मानदंड निर्धारित किए जाने होते हैं और यदि यह मानदंडों से परे जाता है तो हम संबंधित सरकारों से इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 464 को 9 तारीख तक स्थगित किया जाता है।

प्रश्न संख्या 465, श्री चन्द्रभान सिंह।

***464.**

*यह प्रश्न 9 मई, 2008 के लिए स्थगित कर दिया गया। तथापि, लोक सभा 5 मई 2008 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई और यह प्रश्न व्यपगत हुआ माना गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 465, श्री चन्द्रभान सिंह।

[हिन्दी]

राज्यों को विद्युत का आबंटन

***465. +श्री चन्द्रभान सिंह:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल से विद्युत के अनाबंटित भाग से विभिन्न राज्यों को आबंटित विद्युत की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों को आबंटित की जाने वाली विद्युत की मात्रा में अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को पाटने के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत का आबंटन दो भागों, सुनिर्धारित एवं अनाबंटित विद्युत के रूप में किया जाता है। सामान्यत: लाभार्थियों के सुनिर्धारित आबंटन में परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि किसी लाभार्थी द्वारा अपना हिस्सा छोड़ा न गया हो या कोई लाभार्थी संबंधित केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रम को अपेक्षित बकायों का भुगतान न कर सके। अनाबंटित विद्युत का आबंटन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की मौसमी एवं आकस्मिक विद्युत जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। अधिकांश राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। अनाबंटित विद्युत के अतिरिक्त आबंटन हेतु विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत सीमित एवं निश्चित होने के कारण, किसी भी प्रकार का संशोधन, अनुरोध के आकस्मिक या मौसमी स्वरूप, विद्युत आपूर्ति की सापेक्ष स्थिति, मौजूदा विद्युत उत्पादन संसाधनों के उपयोग, निष्पादन एवं भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए सामान्यत: क्षेत्र के राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में केवल आबंटन के समायोजन के जरिए ही सम्भव है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभान सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से विद्युत आवंटन की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है, तथा विभिन्न राज्यों को आवंटित की जाने वाली विद्युत की मात्रा में अंतर के क्या कारण हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: सर, विभिन्न राज्यों के आंकड़े मैं लिखित में दे दूंगा। मेरे पास फिगर्स हैं लेकिन उसमें कम से कम दस मिनट लगेंगे, इसलिए मैं आपको लिखित में फिगर्स भेज सकता हूं।

श्री चन्द्रभान सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यवार आवंटन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 400 मेगावाट बिजली का आवंटन केंद्रीय पूल से किया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतराल को पाटने के लिए केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन करने हेतु केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था?

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: देश में एनएलोकेटिड कैपेसिटी सैंट्रल सेक्टर में 4836 मेगावाट है। उसमें नार्दन स्टेट्स में 1538 मेगावाट, वेस्टर्न स्टेट्स में 1226 मेगावाट, सदर्न स्टेट्स में 1085 मेगावाट, ईस्टर्न स्टेट्स में 804 मेगावाट और नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में 183 मेगावाट है। ये सब मिलाकर 4836 मेगावाट अनएलोकेटिड कोटा सैंट्रल यूटिलिटी से होता है। मध्य प्रदेश का पीक शोर्टेज 999 मेगावाट है और एलोकेशन आफ पावर 247 मेगावाट है। यह कम्पेरिटिवली ठीक ही है। हम इसे रेग्यूलर देखते हैं, क्योंकि बिजली हमें सब तरफ देनी होती है और एक राज्य की बिजली कम होके ही दूसरे राज्य को देनी होती है। इसके लिए हमने सुझाव रखा है सब राज्य, क्योंकि यह कंकरेंट सब्जेक्ट है बिजली निर्माण का काम करें, फिर दिक्कत नहीं आ सकती है।

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई: माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं तूतीकोरिन के लिए 1,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता देने हेतु मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि बिजली के केंद्रीय अनावंटित कोटा से बिजली आवंटित करने हेतु क्या मानदंड है? क्या ये राज्य के आकार अथवा जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। इसे किस आधार पर आवंटित किया जाता है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह काफी अच्छा प्रश्न है क्योंकि उत्तर से माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं पर गृह राज्य का कोटा ताप विद्युत में 10 प्रतिशत (मुफ्त में नहीं) और 12 प्रतिशत (मुफ्त) निर्धारित है। केन्द्रीय अनावंटित कोटा तापविद्युत और जलविद्युत परियोजनाओं में से प्रत्येक में 15 प्रतिशत है। यह पिछले पांच वर्षों के स्थिर विद्युत उपभोग के आनुपातिक आवंटनों पर निर्भर करता है। यह तापविद्युत के लिए 37.5 प्रतिशत और जल विद्युत के लिए 36.5 प्रतिशत आता है। गाडगिल फार्मूला के अनुसार राज्य के लिए किया जाने वाला केन्द्रीय योजना आवंटन तापविद्युत परियोजनाओं हेतु 37.5 प्रतिशत और जलविद्युत परियोजनाओं हेतु 36.5 प्रतिशत है। यही कारण है कि तापविद्युत परियोजनाओं में कुछ राज्यों के लिए 10 प्रतिशत कोटा है तथा प्रभावित राज्यों को जल विद्युत परियोजनाओं में से 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली दी जाती है। इसी प्रकार से राज्यों को केंद्रीय कोटा आवंटित करने हेतु विभाजन किया जाता है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, अप्रैल, 2007 से, केरल को मिलने वाले अनावंटित पूल हिस्से से 183 मेगावाट की कटौती की गयी है। गर्मी में बिजली के सबसे अधिक मांग वाले मौसम में केरल की बिजली जरूरत 2,800 मेगावाट की है जबकि राज्य के अपने उत्पादन और केंद्र से किया जाने वाला आबंटन मिलाकर मात्र 2,400 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार, गर्मी के मौसम में स्पष्ट रूप से 400 मेगावाट बिजली की कमी है। दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अल्ट्रा मेगा और मेगा परियोजनाओं से केरल का उचित हिस्सा 1,200 मेगावाट बनता है जबकि केरल के लिए मात्र 200 मेगावाट का आवंटन किया गया है। केरल इस गर्मी में गंभीर बिजली संकट से जूझने जा रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक केरल के लिए केंद्रीय अनावंटित पूल से बिजली दिए जाने का प्रश्न है क्या इस संबंध में पूर्व आवंटित हिस्से को बहाल किया जाएगा तथा क्या केरल को अल्ट्रा मेगा और मेगा परियोजनाओं से उसका उचित हिस्सा मिल पाएगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अनावंटित कोटा से दी जाने वाली बिजली का आवंटन दायरा दक्षिणी क्षेत्र तक ही सीमित है जिसमें चार राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। हमें आवश्यकता के अनुसार किसी राज्य के कोटे से बिजली की कटौती करके दूसरे राज्य को देना पड़ता है। हमने अनेक बार केरल और तमिलनाडु को भी बिजली दी है। परन्तु जब कभी भी आवश्यकता होगी हम कठिनाई पर विचार करते हुए निश्चित रूप से बिजली देंगे।

परन्तु वर्तमान में अल्ट्रा मेगा परियोजना अस्तित्व में नहीं है। ये परियोजनाएं 12वीं योजना में आएंगी। हमें इंतजार करना होगा। सबसे अच्छा तरीका राज्यों में क्षमता संवर्धन करना है।

अध्यक्ष महोदय: अबु अयीश मंडल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल, क्या आप उपस्थित हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है। अगर आपको कुछ और पूछना है, तो आप मंत्री महोदय को लिख सकते हैं अथवा उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं।

श्री अबु अयीश मंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में यह उल्लेख किया है कि अधिकांश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य क्षेत्र में कितना विद्युत उत्पादन हुआ ताकि विद्युत की कमी का आकलन किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें ब्यौरा भेज सकते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जी, हां।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सप्लीमैंटरी क्वैश्चन पूछना था।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पूछने से कुछ होता नहीं है। मैंने चार सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। अब मैं किसी और सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा। यह केवल तीसरा प्रश्न है।

मुद्रास्फीति

***466.+ श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से अर्थव्यवस्था में गंभीर मुद्रास्फीति का रुझान चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनका मुद्रास्फीति के रुझान में प्रमुख योगदान है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर मुद्रास्फीति की दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2007 से दिसंबर 2007 तक 4 प्रतिशत से कम बनी रही और यह बढ़कर जनवरी 2008 में 4.5 प्रतिशत, फरवरी, 2008 में 4.6 प्रतिशत तथा मार्च 2008 में 6.4 प्रतिशत (अनंतिम) पर पहुंच गई। 5 अप्रैल, 2008 को समाप्त अभी हाल के सप्ताह में मुद्रास्फीति 7.14 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक में 25.9 प्रतिशत के भारांश वाली 33 वस्तुओं ने 7.14 प्रतिशत की समग्र मुद्रास्फीति में 80.0 प्रतिशत का योगदान का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) 2007-08 के दौरान त्रैमासिक औसत मुद्रास्फीति के साथ प्रमुख समूहों द्वारा किया गया योगदान सारणी 1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1: त्रैमासिक मुद्रास्फीति और समग्र मुद्रास्फीति में योगदान (%)

वस्तुएं	वर्ष	2007-08							
		मुद्रास्फीति (%) वर्षानुवर्ष				योगदान (%)			
	भारांश	अप्रैल-जून	जुलाई-सितंबर	अक्तूबर-दिसंबर	जनवरी-मार्च	अप्रैल-जून	जुलाई-सितंबर	अक्तूबर-दिसंबर	जनवरी-मार्च
सभी वस्तुएं	100.0	5.4	4.1	3.4	5.2	100.0	100.0	100.0	100.0
प्राथमिक समूह	22.0	9.8	8.9	4.7	5.9	39.9	47.6	30.9	26.0
ईंधन समूह	14.2	0.3	-2.0	0.5	5.0	1.2	-11.1	3.1	21.1
विनिर्मित समूह	63.7	5.7	4.8	4.1	4.9	58.7	63.7	66.1	53.1

(घ) से (च) सरकार की मुद्रास्फीति-रोधी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन अपनाना, आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, उदार टैरिफ और व्यापार नीतियों तथा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति के जरिए आवश्यक वस्तुओं का कारगर मांग-आपूर्ति प्रबंधन करना शामिल है। सरकार के प्रयासों की सहायता के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में व्याप्त अनिश्चितता से उभरने वाले स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाते हुए आर्थिक विकास में सहायता देना है। हालांकि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के उपायों से आर्थिक विकास में थोड़ी कमी आ सकती है, फिर भी सरकार का यह प्रयास है कि कीमतों की स्थिरता के साथ-साथ उच्च विकास की मौजूदा रफ्तार बनाए रखी जाए।

अनुबंध

मुद्रास्फीति में सर्वाधिक योगदान करने वाली वस्तुएं (प्रतिशत)

मदें	भारांश	मुद्रास्फीति की दर		मुद्रास्फीति में योगदान	
		7.4.2007	5.4.2008	7.4.2007	5.4.2008
1	2	3	4	5	6
सभी वस्तुएं	100.00	6.4	7.1	100.0	100.0
प्राथमिक वस्तुएं	22.03	12.4	7.7	41.1	24.7
ईंधन और विद्युत	14.23	1.1	6.8	3.9	20.4
विनिर्मित उत्पाद	63.75	6.5	7.0	55.3	54.9
सर्वाधिक योगदान करने वाली वस्तुएं					
सलाखें और छड़ें	1.24	5.1	29.4	1.2	6.2
लौह अयस्क	0.21	16.9	52.9	1.9	5.8
नेफ्था	0.42	4.5	34.1	0.9	5.8
विटैलित खली	1.04	48.4	35.7	5.6	5.5
बिलेट और स्लैब	0.66	0.1	43.6	0.0	5.3
दूध	4.37	8.4	8.7	5.4	5.1
फर्नेस तेल	0.49	-6.7	35.1	-1.1	4.4
एसिड (सभी प्रकार)	0.35	-23.5	107.4	-1.4	4.3
फाउंड्री ढलवां लोहा	0.26	14.7	61.3	0.7	2.7
चावल	2.45	6.1	7.8	2.0	2.3
बुनियादी ढलवां लोहा	0.19	14.7	61.3	0.5	2.1
हाई स्पीड डीजल आयल	2.02	0.0	3.4	0.0	2.1
एंगल, चैनल और सेक्शन	0.27	4.8	39.8	0.3	2.0
गैर-कोकिंग कोयला	1.40	0.0	9.1	0.0	2.0
कच्चा सूत	1.36	24.3	11.9	3.3	1.9
भारी हल्के ढांचे	0.18	13.2	43.0	0.5	1.7
तोरिया/सरसों का तेल	0.49	15.5	28.9	0.9	1.7
सोयाबीन	0.45	22.5	34.0	1.1	1.6
बिटुमिन	0.15	12.8	39.5	0.6	1.6

1	2	3	4	5	6
तोरिया/सरसों का बीज	0.58	17.3	21.7	1.3	1.6
ओरोमाइल्ड स्टील और टेंसिल प्लेट	0.31	7.7	25.8	0.5	1.4
मूंगफली	1.03	43.2	9.1	5.2	1.4
एविएशन टर्बाइन फ्यूल	0.17	-2.1	51.3	-0.1	1.4
ब्लूम	0.15	0.1	43.6	0.0	1.3
गेहूं	1.38	6.5	5.6	2.2	1.1
अन्य लौह इस्पात	0.10	11.0	67.1	0.2	1.1
सीमेंट	1.73	12.2	4.5	3.0	1.1
ट्रक शैसी (डीजल)	0.84	2.7	10.4	0.3	1.0
तार (सभी प्रकार)	0.16	5.2	30.7	0.2	1.0
चावल की भूसी का तेल	0.26	22.5	28.3	0.7	1.0
सोडा ऐश	0.30	3.6	26.7	0.1	0.9
वनस्पति	0.80	7.9	11.0	0.7	0.8
हेवी रेल (23 किग्रा. से अधिक)	0.15	13.9	33.0	0.3	0.8
जोड़	25.9			37.0	80.0

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, इस सभा में यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश में काफी गहन एवं गंभीर मुद्रास्फीति कारक प्रवृत्ति जारी है- यह सभी जानते हैं और लोग इसे देख रहे हैं और इसका अनुभव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम सभी यह जानते हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: माननीय मंत्री तथा सरकार ने बार-बार यह घोषणा की है कि यह नियंत्रण में है तथा इस संबंध में सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आज भी बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि कीमतों तथा देश में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए क्या सख्त कार्रवाई की जा रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, पिछले सप्ताह ही इस पर व्यापक चर्चा हुई थी। मैंने तथा कृषि मंत्री ने बहस का उत्तर दिया था और यह स्पष्ट किया था कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने उन राजकोषीय उपायों की चर्चा की थी जो किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय किए जा रहे हैं। मैंने सभा को यह भी आश्वासन दिया था कि कई प्रशासनिक उपाय भी विचाराधीन हैं। कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में आपूर्ति में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट किया। सौभाग्यवश वर्ष 2007-08 के लिए गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा रहा है और काफी मात्रा में इसकी खरीद भी की गई है। मानसून संबंधी प्रथम रिपोर्ट भी काफी आशाजनक है। अत:, हम आशा करते हैं कि खरीफ फसल भी काफी अच्छी होगी।

इन सभी कदमों का बाजार पर प्रभाव पड़ने में समय लगेगा। निश्चित रूप से इस बीच बाजार के कुछ भागीदारों का आचरण आशा के अनुरूप नहीं है। उदाहरणार्थ हमने यह नोटिस किया है कि परसों दिल्ली के व्यापारी यह कहने के लिए संगठित हो गए कि कोई तलाशी नहीं ली जानी चाहिए और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्हें कुछ राजनैतिक दलों का परोक्ष समर्थन मिला हुआ है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रशासनिक उपायों पर विचार किया जा रहा है और ये उपाय किए जाएंगे। इस बीच यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रधानमंत्री जी की अपील पर कुछ कंपनियां इसके लिए राजी हो गई हैं कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद वे अगले दो से तीन महीने तक कीमत नहीं बढ़ाएंगे। हम सरकार के अधिकार के अंतर्गत हर संभव उपाय कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें धैर्य रखना होगा। हम वे सभी कदम उठाएंगे जो उठाए जाने चाहिएं। मुझे विश्वास है कि कुछ समय में मुद्रास्फीति में कमी आएगी। जैसा कि मैंने बहस में कहा है कि इस समय मुद्रास्फीति पण्यों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमेशा इंटरनेशनल प्राइसिज की बात क्यों कही जाती है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यह काफी बेहतर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर मत दीजिए। वित्त मंत्री महोदय, व्यवधान करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम: यह संभव है कि कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से अवगत रहना नहीं चाहते हैं। उनका ध्यान दिल्ली के व्यापारियों पर है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

मुद्दा यह है कि ये उपाय कुछ समय में प्रभावी होंगे और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रत्येक सुझाव पर विचार किया जा रहा है तथा सरकार के अधिकार के अधीन प्रत्येक उपाय किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस पर पूरी चर्चा हुई है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी भी यह उल्लेख किया है और सरकार के आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि इस खरीफ फसल में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं राज्य सरकार के आंकड़ों को ही उद्धृत कर रहा हूं। एक ओर तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही कीमतें बढ़ रही हैं। यह वास्तविकता है। सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर रही है और उनकी नीतियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बर्बाद हो रही है। यह वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की उच्च दर के लिए उत्तरदायी है।

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं। सरकार को केरल तथा पश्चिम बंगाल सहित उन कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की आपूर्ति पुनर्बहाल करनी चाहिए जहां कटौती की गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक प्रश्न से ज्यादा है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं यह सुझाव नहीं मानता हूं कि संप्रग सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटन में कमी की है। आंकड़े दिए गए हैं तथा ये आंकड़े अपने आप बोलते हैं। राजग सरकार के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गेहूं तथा चावल दोनों के आवंटन में से 239 लाख टन उठाया गया था। तीन वर्षों जिनके बारे में संप्रग सरकार के आंकड़े उपलब्ध हैं, ये आंकड़े 303 लाख टन, 310 लाख टन तथा 313 लाख टन है। वर्ष 2007-08 के लिए सभी आंकड़े उपलब्ध हैं तथा ये कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हम औसतन 300 लाख टन से अधिक का आबंटन कर रहे हैं, ये आंकड़े स्पष्टतया दर्शाते हैं कि पिछले छह वर्षों के दौरान पीडीएस से 239 लाख टन की तुलना में अधिक अनाज उठाया गया है।

अब यदि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक खाद्यान्न दिया जाना है, तो मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक गेहूं तथा चावल का आबंटन किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात का भी समर्थन करता हूं कि किसी राज्य को किन्हीं कारणों से या और कोई आवश्यकता हो तो राज्यों को सहायता दी जानी चाहिए। हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। कृषि मंत्री ने विस्तार से बताया है कि सीमाओं में रहते हुए वह क्या कर रहे हैं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास क्या उपलब्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे सकारात्मक रूप से केरल की मांग को मान लेंगे कि और अधिक चावल का आबंटन किया जाना चाहिए। वस्तुत: उन्होंने कल ही मुझे आश्वस्त किया था कि उन्होंने कुछ अन्य राज्यों से और अधिक चावल प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं तथा इस चावल को केरल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

जहां तक पीडीएस में धांधली का संबंध है, कुछ सदस्य इस बात पर उग्र हो सकते हैं, मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि पीडीएस में धांधली का मामला पूर्णतया राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। उन्हें राशन की दुकानों तथा राशन की दुकानों से चोरी करने वालों तथा राशन की दुकानों से अनाज का अन्यत्र उपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाप्रदा—उपस्थित नहीं।

मोहम्मद सलीम, कृपया संक्षेप में बोलें।

मोहम्मद सलीमः महोदय, मैं कोई प्रस्तावना नहीं बाधूंगा क्योंकि मुद्रास्फीति को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माना है मुद्रा स्फीति है। यह दु:खदायी है तथा यह वहनीय स्तर से अधिक है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

मोहम्मद सलीमः मंत्री जी बार-बार यही कह रहे हैं कि मुद्रा स्फीति आपूर्ति श्रृंखला तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण है। इस स्थिति में सट्टेबाजी के कारण प्राथमिक वस्तुओं का इसमें योगदान अधिक है। मैं सट्टेबाजी तथा वायदा कारोबार की बात कर रहा हूं। यह घरेलू बाजार तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति दोनों के कारण है। मंत्री जी द्वारा तिलहन के बारे में दिए गए आंकड़ों की मैं तुलना करना चाहता हूं। पिछले वर्ष भी मुद्रास्फीति थी तथा यह अब भी है।

अध्यक्ष महोदयः अपना प्रश्न पूछिए।

मोहम्मद सलीमः पिछले एक वर्ष से ऐसी 25 वस्तुओं की सट्टेबाजी करने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री विशेषकर इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, इस प्रश्न या इस सुझाव का कृषि मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इन सभी के बारे में एक सप्ताह में ही पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, 2007-08 में हमने वायदा कारोबार पर रोक लगाई थी। यह रोक पूर्व में गेहूं तथा चावल पर थी तथा अब यह रोक उड़द और सोर पर भी लगा दी गई है। हमने अभिजीत समिति का भी गठन किया है। अभिजीत सेन समिति किन्हीं कारणों से अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई है। अब हमने एक तिथि निश्चित कर दी है, उस तिथि तक उसे रिपोर्ट देनी होगी। मेरे विचार से कृषि मंत्री ने इस सभा में कहा है कि यदि अभिजीत सेन समिति एक तिथि विशेष तक अपनी रिपोर्ट नहीं देती है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः उन्होंने कहा है कि 10 दिनों में रिपोर्ट दे दी जाएगी।

श्री पी. चिदम्बरमः मैंने कहा है कि एक निश्चित तिथि तक, यदि समिति रिपोर्ट नहीं सौंपती है तो वे कार्रवाई करेंगे। इस पर की गई कार्रवाई से वह सभा को अवगत कराएंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह व्यवाधानों का उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रात को टी.वी. पर एक न्यूज थी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चार सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। मि. ए.के. अवस्थी इस बारे में टी.वी. पर बोल रहे थे। रात को टी.वी. के एक चैनल पर यह न्यूज थी। क्या यह आपकी जानकारी में है? उन्होंने यह कहा कि हमने इस बारे में सरकार को बताया था, लेकिन सरकार द्वारा कोई एक्शन न लेने के कारण हमें पब्लिकली कहना पड़ रहा है। लेकिन आज सुबह से वह समाचार गायब है। क्या यह सरकार की जानकारी में है?

अध्यक्ष महोदयः इस क्वैश्चन का इनसे कोई संबंध नहीं है, यह क्वैश्चन शरद पवार जी से संबंधित है। क्या आप पी.डी.एस. के बारे में भी जानते हैं?

[अनुवाद]

आप पीडीएस के बारे में भी उत्तर देना चाहते हैं?

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, मुझे इस समाचार के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह किस चैनल में दिखाया गया है?

श्री पी. चिदम्बरमः लेकिन मुझे किए गए अध्ययन के बारे में जानकारी है जो दर्शाता है की पूर्व में, मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, अध्ययन की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का 36 प्रतिशत लाभान्वितों तक नहीं पहुंचता है।

छठा केंद्रीय वेतन आयोग

***467. +श्री एम. शिवन्ना:**
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में कर्मचारियों में असंतोष के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या छठे वेतन आयोग द्वारा यथाप्रस्तावित विभिन्न पे-बैंडों में भारी असमानता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वेतन पुनरीक्षण के लिए विभिन्न सेवाओं के साथ बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) जी, हां। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के जांच के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि संयुक्त सचिव रैंक एवं इससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को केन्द्र सरकार के संगठनों में अन्य सेवाएं एवं श्रेणियों की तुलना में बेहतर वेतन मिलता है।

यदि हां, तो मध्यम स्तरीय अधिकारियों तथा निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए सरकार किन-किन उपचारात्मक उपायों पर विचार कर रही है। कृपया इसका ब्यौरा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: वह रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: हमें छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मैं वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे सकता हूं लेकिन निश्चित रूप से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अन्याय महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि दूसरे वर्गों की तुलना में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इन मामलों का सचिवों की समिति अध्ययन करेगी तथा सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके पश्चात सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय इस बारे में निष्कर्ष या कोई निर्णय करने के बारे में पूछना सही नहीं होगा।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।

यदि हां, तो यह समिति द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू हो जाने की संभावना है। कृपया विवरण दीजिए।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय: इन्हें कब तक लागू कर दिया जाएगा?

श्री पी. चिदम्बरम: समिति के लिए समय निश्चित करना मुश्किल है। समिति 15 अप्रैल, 2008 को बैठक कर चुकी है। हमने उन्हें सलाह दी है कि बार-बार बैठकें करें तथा जल्द रिपोर्ट सौंपे।

छठे वेतन आयोग ने स्वयं यह सिफारिश की है कि संशोधित वेतनमान एक जनवरी, 2006 से लागू किए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात् वेतनमानों को एक जनवरी, 2006 से लागू करेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री मधु गौड यास्खी—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा, वैसे भी अभी आपने बताया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है लेकिन पहले भी सेना की तरफ से और देश के कई क्षेत्रों से यह आवाज उठी थी कि हमारी सेनाओं के लिए अलग से वेतन आयोग गठित हो, उस समय माना नहीं गया था और कहा गया था कि यही छठा वेतन आयोग उनके बारे में पूरी तरह से विचार करेगा। सैनिक अधिकारियों और सेना के कार्मिकों के बारे में जो संस्तुति दी गई है, वे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सेनाओं में वैसे ही अच्छे अधिकारियों की कमी है और *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल दो दिन पहले ही हमने इस पर चर्चा की है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष जी, मैं जो बात कह रहा हूं, वह अलग है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां तक जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के अधिकारी और कार्मिक हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं, क्या उनके हित के लिए आप सरकार को निर्देश देंगे कि इस मामले में निश्चित रूप से, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी?

अध्यक्ष महोदय: डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट पर हुई चर्चा में आप नहीं थे।

[अनुवाद]

आप यहां उपस्थित नहीं थे।

[हिन्दी]

पूरा डिसकशन हो गया। मिनिस्टर ने पूरा रिप्लाई दिया था।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत: उन्होंने कमेटी के लिए बात कही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे इसे रक्षा मंत्री को दे देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: सशस्त्र सेनाओं के लिए पृथक वेतन आयोग के गठन का प्रचलन नहीं है। हमने सभी सेवाओं के लिए केवल एक वेतन आयोग के गठन संबंधी अनेक वर्षों से चले आ रहे प्रचलन का अनुपालन किया है। सशस्त्र सेनाओं या अर्द्ध सैनिक बलों की शिकायतों के बारे में जैसाकि हमें पता चला है, कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और उन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार आपके पास सभी प्रश्नों के लिए अनुपूरक प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा और अभी रासा सिंह रावत जी ने भी प्रश्न किया, यह बात सही है कि रक्षा विभाग के बारे में यहां विस्तृत चर्चा हुई है लेकिन छठे वेतन आयोग को लेकर, जब से इसकी सिफारिशों की रिपोर्ट आई है, तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके लिए अलग से एक रिव्यू कमेटी बनाकर क्लास वन और क्लास टू के अधिकारियों में जो असंतोष है, उसे दूर करने के लिए क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाएगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं केवल अपने उत्तर को दोहरा सकता हूं। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति सभी सुझावों और अभ्यावेदनों की जांच करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तथा सरकार इस पर समुचित निर्णय लेगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 468, श्री गिरिधारी यादव-उपस्थित नहीं।

श्री नरहरि महतो-उपस्थित नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरे पास इस प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर यह है कि समिति विचार कर रही है और तत्पश्चात् कोई निर्णय लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या, 469, श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील-उपस्थित नहीं

श्री हरिकेवल प्रसाद।

[हिन्दी]

कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन

***469. [+]श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए विभिन्न कंपनियों पर कुल कितनी राशि का जुर्माना किया गया;

(ख) कितने मामलों में उनसे जुर्माना वसूल कर लिया गया है;

(ग) क्या इन कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि तथा उन मामलों की संख्या नीचे दी गई है, जिनमें अदालती प्रक्रिया द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनसे जुर्माने प्राप्त कर लिए गए हैं:-

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
लगाए गए जुर्माने की राशि (रुपए में)	52,29,401	71,59,012	58,14,461
उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना प्राप्त कर लिया गया है	3099	2686	2273

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन इस अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक दायित्व उत्पन्न करता है जिसे न्यायालयों की न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित एवं लागू करना आवश्यक है। इस अधिनियम के खिलाफ अपराधों के लिए दायर मामलों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के उपबंधों अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अधीन दायर मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा अथवा इसके नियम	चूक की प्रकृति	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	12	कंपनियों के निर्माण/निगमीकरण की रीति	0	1	0
2.	17	कंपनी विधि बोर्ड द्वारा विशेष समाधान एवं पुष्टि से संबंधित	1	1	0
3.	22	कंपनी के नाम में सुधार	1	0	0
4.	49	अपने नाम से नहीं धारित कंपनी के निवेश	1	1	4
5.	58क(1)	जमाओं की स्वीकृति से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन	31	16	17
6.	58क(9)	जमाओं के पुनर्भुगतान न होने से संबंधित	19	23	1
7.	63	विवरण-पत्रिका में गलतबयानी हेतु आपराधिक दायित्व	13	3	4
8.	68	धन निवेश करने के लिए लोगों को कपटपूर्ण तरीके से उत्प्रेरित करने के लिए दंड	13	5	5
9.	68क	शेयरों के अर्जन इत्यादि के लिए प्रतिरूपण	0	0	13
10.	73	स्टाक एक्सचेंज से संबंधित शेयरों एवं डिबेंचरों का आवंटन	1	2	0
11.	75	आवंटन के रूप में प्रतिफल	6	1	3
12.	80क	अशोध्य अधिमान शेयरों का मोचन	1	2	0

1	2	3	4	5	6
13.	97	शेयर पूंजी अथवा सदस्यों में वृद्धि की सूचना	6	2	11
14.	113	प्रमाणपत्रों के निर्गम की समय-सीमा	4	2	1
15.	141	प्रभार रजिस्टर के सुधार से संबंधित	1	3	0
16.	143	प्रभार की कंपनी रजिस्टर	7	0	1
17.	146	कंपनियों का पंजीकृत पता	40	35	34
18.	147	कंपनी द्वारा नाम का प्रकाशन	16	5	17
19.	149	व्यवसाय के प्रारंभ का प्रतिबंध	2	5	2
20.	150	सदस्यों के रजिस्टर	6	2	3
21.	154	सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों के रजिस्टर को बंद करने के अधिकार	6	0	0
22.	159/162	शेयर पूंजी वाली कंपनी द्वारा तैयार की गई वार्षिक विवरणी	3395	2220	4907
23.	163	रजिस्टरों एवं विवरणियों को रखने एवं जांच के स्थान	7	1	0
24.	165/168	कंपनी की सांविधिक बैठक एवं सांविधिक रिपोर्ट	168	52	4
25.	166/168	वार्षिक आम बैठक	13	9	73
26.	171/172	बैठक बुलाने का सूचना-काल	4	1	6
27.	187	कंपनी एवं ऋणदाताओं की बैठक में निगमों का प्रतिनिधित्व	2	0	0
28.	192	कतिपय समाधानों एवं सहमतियों का पंजीकरण	8	4	4
29.	193	आम बैठकों एवं बोर्ड तथा अन्य बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त	16	7	11
30.	198	समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक तथा अनुपस्थिति अथवा अपर्याप्त लाभ की स्थिति में प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2	0	1
31.	205क	अदा नहीं किए गए लाभांश का विशेष लाभांश खाते में अंतरण किया जाए	5	2	4
32.	207	42 दिनों के अंदर लाभांश वितरित नहीं करने पर दण्ड	4	2	3
33.	209क	कंपनी के लेखा खाता आदि के जांच से उत्पन्न	62	46	53

1	2	3	4	5	6
34.	210	वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्रों से संबंधित	147	29	35
35.	211	प्रपत्रों एवं तुलन पत्रों के विवरणों तथा लाभ एवं हानि लेखा के गैर-अनुपालन से संबंधित अपेक्षाएं	136	75	98
36.	212	धारित कंपनी के तुलन पत्र में शामिल प्रविष्टियां	8	23	0
37.	217	बोर्ड के रिपोर्ट से संबंधित	39	47	39
38.	218	अनुचित इश्यू परिचालन या तुलन पत्र के प्रकाशन या लाभ-हानि लेखा के लिए दंड	4	0	1
39.	219	सदस्यों के तुलन पत्र की प्रतियों पर अधिकार एवं लागत लेखा परीक्षक के रिपोर्ट का उल्लंघन	13	2	4
40.	220	रजिस्ट्रार के पास तुलन पत्रों की तीन प्रतियां दर्ज नहीं की गई	3529	2287	5025
41.	232	धारा 225 से 231 की गैर-अनुपालना के लिए दंड	4	2	0
42.	233	लागत लेखा परीक्षक द्वारा धारा 227 और 229 की गैर-अनुपालना के लिए दंड	18	5	2
43.	233ख	लागत लेखाओं की लेखापरीक्षा	2	1	
44.	234	रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्त करने या स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार	16	6	10
45.	252	निदेशकों की न्यूनतम संख्या	1	0	2
46.	257	सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का निदेशक के पद पर खड़े होने का अधिकार		0	2
47.	269	सिर्फ कुछ मामलों में सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या निदेशक की नियुक्ति	5	5	4
48.	283	निदेशकों द्वारा पद त्याग देना	3	0	1
49.	291	बोर्ड के सामान्य अधिकारों से संबंधित	2	3	0
50.	292	कतिपय अधिकारों का प्रयोग बोर्ड द्वारा सिर्फ बैठक में ही करना है	4	17	8
51.	293	बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिबंध	2	1	0

1	2	3	4	5	6
52.	295	निदेशकों को ऋण देना आदि	15	10	9
53.	297	कतिपय करार के मामलों में जिनमें विशेष निदेशक इच्छा रखते हैं, के लिए बोर्ड की मंजूरी लेना है	8	6	9
54.	299	निदेशक द्वारा इच्छा का खुलासा	4	4	5
55.	300	इच्छुक निदेशकों को बोर्ड की कार्रवाईयों में शामिल नहीं होना है या मतदान नहीं करना है	3	1	2
56.	301	कांट्रेक्ट कंपनियों तथा फर्मों के रजिस्टर जिनके निदेशक इच्छुक हो	9	11	11
57.	303	निदेशकों, प्रबंध एजेंट सचिवों एवं खजांची आदि का रजिस्टर	19	5	6
58.	307	निदेश की शेयरधारिता आदि का रजिस्टर	4	1	4
59.	314	निदेशक आदि को कार्यालय के पद या लाभ के पद पर नहीं होना है	1	0	0
60.	370/371	धारा 369, 370 एवं 370क के उल्लंघन के लिए दण्ड	4	4	3
61.	372	कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों के शेयरों की खरीद	8	9	4
62.	374	धारा 372 या 373 के उल्लंघन के लिए दंड	3	1	1
63.	383क	कतिपय कंपनियों में सचिवों को होना है	22	13	23
64.	614क	रजिस्ट्रार के पास दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने वाले न्यायालयों के अधिकार	6	24	30
65.	628	मिथ्या विवरण के लिए दंड	14	17	6
66.	629	मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड	4	0	0
67.	629क	दंड जहां अधिनियम में कहीं भी निर्दिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है	72	31	24
68.	631	'लिमिटेड' एवं 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्दों का अनुचित प्रयोग करने के लिए दंड	3	0	0
69.	अन्य		136	35	54
		कुल	8129	5128	10601

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जिन कम्पनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उनकी बैलेंस शीट तथा वार्षिक रिपोर्ट में गड़बड़ी के मामलों की संख्या अधिक है। यह हेराफेरी सरकार को धोखा दिये जाने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार सरकारी टैक्स की चोरी खुलेआम की जाती है, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 420 के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा कंपनी नियमों का उल्लंघन करने वालों को बचाने के लिए किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद: सरकारी आंकड़ों के अनुसार कंपनी नियमों के उल्लंघन की संख्या में कमी हो रही है लेकिन हकीकत कुछ और है। टैक्स की चोरी करने वालों को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है, जबकि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें करीब 1 से लेकर 69 छोटी-छोटी कंपनियों को चिन्हित किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी अधिनियम, 1956 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इसका क्या कारण है और सरकार को इससे क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय: क्या लाभ है।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: मान्यवर, कंपनी अधिनियम का जो उल्लंघन होता है, उसका डिसपोजल कोर्ट आफ लॉ करती है। माननीय सदस्य देखेंगे कि जो प्रासीक्यूशन के लिए केसेज फाइल किये गए, वे 2004 में 8129 थे और 2006-07 में यह संख्या बढ़कर 10601 हो गई। माननीय सदस्य जिस टैक्स की चोरी की बात कर रहे हैं, ये इश्यूज को मिक्स-अप कर रहे हैं। इनकम टैक्स की चोरी है, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमैंट देखता है, एक्साइज टैक्स की चोरी है तो उसे एक्साइज डिपार्टमैंट देखता है। जहां तक कंपनी कानून के वायलेशन का सवाल है, वे कोर्ट के जरिये प्रौसीक्यूट किये जाते हैं। उसमें कानूनी प्रक्रिया को फालो-अप किया जाता है।

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन किये जाने पर किसी कंपनी के निदेशक या निदेशक मंडल के सदस्य जो जेल भेजा है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय: वह तो जज साहब भेजेंगे।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, वह सरकार नहीं भेजती है, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ कंपनीज जो नान-एक्जिस्टैन्ट थी या जो फ्लाइ बाय नाइट आपरेटर्स होते हैं, उनको हमने चिह्नित किया था और 100 के आस-पास प्रासीक्यूशन कोर्ट्स में फाइल किये गये, जिसमें से कुछ प्रमोटर्स और डायरैक्टर्स को अरैस्ट भी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री महावीर भगोरा। आप प्रश्न पूछेंगे?

श्री महावीर भगोरा: मैंने तो प्रश्न 462 में पूछने के लिए नाम दिया था।

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रश्न पर नहीं पूछना चाहते हैं। थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। आप बहुत कोआपरेटिव मैम्बर हैं। हम आपको बहुत पसंद करते हैं।

शेयर बाजार में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का प्रवेश

***470. श्री वी.के. दुग्गर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने शेयर बाजार में प्रवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन कंपनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी धनराशि निवेश की गई?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कोई भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो जोखिम को विविध करने हेतु निवेशों के प्रयोजनार्थ तथा अपने निवेशों पर बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए स्टाक बाजार में प्रविष्ट होती है। अगस्त, 2007 तक, स्टाक बाजार तथा म्यूचूअल फंडों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की अधिशेष निधियों का निवेश भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों/योजनाओं के अलावा अनुमत नहीं किया जाता था। इस प्रतिबंध को अब थोड़ा सा शिथिल कर दिया गया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/11/47/

2006-वित्त दिनांक 31 अगस्त, 2007 में केवल नवरत्न तथा मिनीरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को सेबी विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र की म्यूचुअल फंडों की इक्विटी निवेश वाली योजनाओं में अपनी उपलब्ध अधिशेष निधियों के अधिकाधिक 30 प्रतिशत का निवेश करने की अनुमति दी गई है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं अर्थात् बैंक, बीमा कंपनियां तथा घरेलू वित्तीय संस्थाएं राजकोष प्रचालनों के लिए वित्तीय कारोबार क्रियाकलापों में भाग ले सकती हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुग्गर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर की कंपनियों द्वारा शेयर बाजार में प्रवेश किये जाने पर कई सवाल खड़े हुए हैं। शेयर बाजार में इनका प्रवेश क्यों हुआ? कंपनियों के काम-काज पर ध्यान देने की वजह से सरकारी कंपनियों को लाभ होता है और उनके पास यदि सरप्लस राशि है तो उसे पीएसयूज के उत्पादन कार्यों में लगाना चाहिए। ये कंपनियां उसे उत्पादन कार्य में लगाने के बजाय शेयर बाजार में पैसा झोंक रही हैं। इसमें कुछ अधिकारियों के हित के कारण ही यह हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं और जितने पीएसयूज ने शेयर बाजार में धनराशि लगाई है, उन कंपनियों के नाम भी दें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: वास्तव में पुन: निवेश और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकारी उद्यमों की धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यहां ''कोषागार प्रबंधन'' जैसी कुछ बात है। समय-समय पर हमारे पास लघु और दीर्घ अवधियों के लिए अतिरिक्त धनराशि होती है। इस धनराशि को बेकार नहीं पड़े रहने देना चाहिए। इसका निवेश किया जाना चाहिए। अगस्त 2007 तक केवल यूनिटों और यूटीआई की योजनाओं में इस धनराशि के निवेश की अनुमति दी गई थी। 31 अगस्त, 2007 को इसमें थोड़ी छूट देते हुए 30 प्रतिशत तक की इस धनराशि को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा नियमित सार्वजनिक क्षेत्र के म्युचल फंडों में निवेश करने की अनुमति दी गई। अत: पहले केवल यूटीआई में ही निवेश किए जाने वाले अवसरों का विस्तार करके सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्युचल फंडों में भी निवेश करने की अनुमति दी गई। इन अनुदेशों को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इन अनुदेशों में कहा गया है कि यह केवल मिनी रत्न और नवरत्न उद्यमों के लिए ही उपलब्ध है एवं वर्ष बाद इस मामले की समीक्षा की जाएगी। अत: मेरे विचार से हमें डीपीई को इसे लागू करने की अनुमति देनी चाहिए और एक वर्ष बाद इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

31 अगस्त, 2007 को ही ऐसा किया गया था। इसलिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष को मैं सूचनाएं एकत्र करूंगा और इसे सभा पटल पर रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मैं सभा के सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

आज हमने सात प्रश्नों को लिया। अत: आपके सहयोग से मैं दस प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा जोकि मेरा लक्ष्य है। यद्यपि कुछ सदस्य मुझसे खफा हैं लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आवासों की कमी

***468. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री नरहरि महतो:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीबों के लिए अब तक राज्य-वार कुल कितनी एल.आई.जी. तथा एम.आई.जी. आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार की योजना शहरी गरीबों के लिए राजसहायता के साथ कम लागत वाले आवास को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कम लागत वाली आवासीय इकाईयों के मुद्दे के बारे में विशेषकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों (एच.एफ.सी.) को संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ कोई चर्चा की है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का उद्देश्य शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) से संबद्ध उपमिशन के अंतर्गत 63 चुनिन्दा शहरों में तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य नगरों तथा कस्बों में आवास तथा बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना है।

स्लमों का एकीकृत विकास अर्थात् चुनिंदा नगरों के स्लमों में आवास तथा अवस्थापना विकास परियोजनाएं; शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित विकास/इन सेवाओं को बेहतर बनाने/इनके रखरखाव से संबंधित परियोजनाएं; स्लम सुधार तथा पुनर्वास परियोजनाएं; एवं स्लम वासियों/शहरी गरीबों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती कीमत वाले मकानों का निर्माण करना आदि 63 मिशन नगरों में शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं से संबद्ध उपमिशन के अंतर्गत स्वीकार्य घटक हैं। अन्य नगरों में एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रमों के तहत इसी प्रकार के घटक स्वीकार्य हैं।

बीएसयूपी के तहत 7,87,111 रिहायशी मकानों के निर्माण/उन्नयन से संबंधित 274 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं तथा आईएचएसडीपी के तहत 2,59,200 रिहायशी मकानों के निर्माण/उन्नयन हेतु 422 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) के तहत वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालय के बजट में 95 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) सभी के लिए किफायती मकानों के निर्माण से संबद्ध मुद्दों पर विचार करने हेतु भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के सहयोग से सरकार द्वारा 1 जून, 2007 को मुम्बई में कुछ बैंकों, आवास वित्त कंपनियों तथा अन्य वित्त संस्थाओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय शहरी आवास तथा पर्यावास नीति 2007 में शामिल किया गया है। इस नीति को 7.12.2007 को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था। राज्य सरकारों तथा अन्य संबद्ध पक्षों के बीच इस नीति का व्यापक परिचालन किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा एक कार्यबल भी बनाया गया है जिसका कार्य ''सभी के लिए किफायती आवास'' मुहैया कराने से संबद्ध विभिन्न पहलुओं की जांच करना है तथा ऐसे तौर तरीकों की सिफारिश करना है जिनके जरिए सरकार की उचित सहायता से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग को मकान मिल सके और साथ ही ऐसे तौर तरीकों की सिफारिश करना है जिनके जरिए एमआईजी वर्गों को मकान मिल सके। इसके अतिरिक्त आवास बाजार को उदार बनाने के लिए नवाचारी वित्तीय दस्तावेज तैयार करना और मकानों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए वित्तीय तथा स्थानिक प्रोत्साहनों के संबंध में सिफारिश करना है।

अंत में 'भूमि तथा कालोनी बसाने' से संबंधित विषय चूंकि राज्य सूची में है इसलिए राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति 2007, में राज्यों से यह आग्रह किया गया है कि वे राज्य शहरी आवास और पर्यावास नीति तथा राज्य शहरी आवास और पर्यावास कार्य योजना भी तैयार करें।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (उपमिशन-2)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं

(2.4.2008 की स्थिति)
(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित नई रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	उन्नयन के लिए अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नई+उन्नयन)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	19	1707.78	90622	3373	93995
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	4.10	100	0	100

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	1	53.95	1232	0	1232
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	2	564.94	25728	0	25728
5.	छत्तीसगढ़	4	391.45	27976	0	27976
6.	बिहार	9	367.72	14596	0	14596
7.	दिल्ली	11	1506.89	57504	0	57504
8.	गुजरात	13	1268.87	87504	0	87504
9.	गोवा	1	10.22	155	0	155
10.	हरियाणा	2	64.23	3248	0	3248
11.	हिमाचल प्रदेश	2	24.01	636	0	636
12.	जम्मू-कश्मीर	2	105.17	5208	0	5208
13.	झारखंड	5	195.29	7218	0	7218
14.	कर्नाटक	7	510.27	21846	0	21846
15.	केरल	6	304.12	21222	986	22208
16.	मध्य प्रदेश	19	520.68	33289	0	33289
17.	महाराष्ट्र	36	4135.48	130612	0	130612
18.	मेघालय	2	30.44	600	0	600
19.	मिजोरम	2	34.33	408	0	408
20.	नागालैंड	1	134.50	3504	0	3504
21.	उड़ीसा	5	67.17	2071	245	2316
22.	पंजाब	2	72.43	5152	0	5152
23.	पांडिचेरी	2	43.97	1304	0	1304
24.	राजस्थान	2	277.14	17337	0	17337
25.	सिक्किम	1	3.25	52	0	52
26.	तमिलनाडु	24	2134.11	84922	685	85607
27.	त्रिपुरा	1	16.73	256	0	256
28.	उत्तर प्रदेश	12	437.71	21752	0	21752
29.	उत्तराखंड	4	22.88	524	0	524
30.	पश्चिम बंगाल	76	2411.30	115244	0	115244
	योग	274	17421.11	781822	5289	787111

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं

(2.4.2008 की स्थिति) (करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	निर्माण के लिए अनुमोदित नई रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	उन्नयन के लिए रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	57	687.26	29257	0	29257
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	5.27	0	40	40
3.	असम	12	38.31	1668	3725	5393
4.	बिहार	10	80.73	6500	0	6500
5.	छत्तीसगढ़	14	176.50	14846	0	14846
6.	दादरा व नगर हवेली	1	0.50	0	0	0
7.	दमन व दीव	1	0.69	16	0	16
8.	गुजरात	23	227.49	18405	0	18405
9.	हरियाणा	15	238.84	14558	83	14641
10.	हिमाचल प्रदेश	3	23.44	816	0	816
11.	जम्मू-कश्मीर	10	42.40	1770	884	2654
12.	झारखंड	1	19.67	1292	0	1292
13.	कर्नाटक	25	240.27	13053	0	13053
14.	केरल	26	136.70	8069	4183	12252
15.	मध्य प्रदेश	33	241.89	16795	369	17164
16.	मणिपुर	2	16.50	1103	0	1103
17.	राजस्थान	30	335.46	16002	6418	22420
18.	मेघालय	1	21.82	456	0	456
19.	मिजोरम	1	8.27	500	0	500
20.	महाराष्ट्र	35	398.44	31127	0	31127
21.	नागालैंड	1	87.74	2496	0	2496
22.	उड़ीसा	15	83.63	4884	0	4884

1	2	3	4	5	6	7
23.	पंजाब	2	42.40	1755	2183	3938
24.	पुडुचेरी	1	17.03	432	0	432
25.	तमिलनाडु	30	225.67	17506	2257	19763
26.	त्रिपुरा	1	7.19	400	0	400
27.	उत्तर प्रदेश	9	33.30	2236	0	2236
28.	उत्तराखंड	2	5.85	231	0	231
29.	पश्चिम बंगाल	60	566.63	32885	0	32885
	योग	422	4009.90	239058	20142	259200

[हिन्दी]

म्यूचुअल फंडों के लिए निगरानी तंत्र

***471. श्री काशीराम राणा:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में म्यूचुअल फंडों के लिए मौजूदा निगरानी तंत्र संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस तंत्र की कार्यप्रणाली संतोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) म्यूचुअल फंडों के न्यासी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण करते हैं। सेबी म्यूचुअल फंड विनियमों में अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित किया गया है कि न्यासियों की बैठक प्रत्येक दो कैलेंडर माहों में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम छ: बैठकें आयोजित की जाएंगी। विनियमों में न्यासियों को आस्ति प्रबंधन कंपनियों से ऐसी सूचना प्राप्त करने की शक्तियां भी दी गई हैं जो वे आवश्यक समझें।

इसके अतिरिक्त, सेबी म्यूचुअल फंडों के आवधिक निरीक्षणों के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, आवधिक रिपोर्टों यथा द्विमासिक अनुपालन परीक्षण रिपोर्टों, अर्धवार्षिक/वार्षिक लेखों, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा दिए गए विज्ञापनों इत्यादि तथा न्यासियों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्धवार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से सेबी आस्ति प्रबंधन कंपनी के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण करता है। जब और जैसे म्यूचुअल फंडों द्वारा उल्लंघन के मामले पाए जाते हैं या इसकी जानकारी में लाए जाते हैं, सेबी समुचित कार्रवाई करता है।

सेबी ने सूचित किया है कि अभी तक मानीटरिंग तंत्र का कार्यकरण संतोषजनक रहा है।

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों को ऋण

***472. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के मुख्य बैंक स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण मंजूर करने से इंकार कर रहे हैं जिन्हें आरम्भ में इन्हीं बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सूक्ष्म ऋण के संबंध में यह पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में समाज के निर्धन वर्गों तक पहुंचे कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस आकलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्व-सहायता समूह को ऋण देने के लिए जारी निर्देशों में, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बारम्बार ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। नाबार्ड के अनुमानित ब्यौरे के अनुसार, जून 2006 तक कम से कम 7 लाख स्व-सहायता समूहों ने बैंकों से बारम्बार ऋण प्राप्त किया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा सदस्य विशेष तथा उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन के प्रभाव एवं इसकी धारणीयता का आकलन के लिए छह राज्यों में किए गए अध्ययन के निष्कर्ष ये हैं कि स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम से ग्रामीण गरीब की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। एनसीएईआर के निष्कर्षों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं:-

* 60% से अधिक एसएचजी के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के हैं।

* गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का अंश स्व-सहायता समूह से पहले की अवधि के 58.3% से घटकर स्व-सहायता समूह के बाद की स्थिति में 33% हो गया है।

* केवल अनु.जा./अनु.ज.जाति के सदस्यों से युक्त स्व-सहायता समूहों का प्रतिशत 21 है।

* लगभग 80% स्व-सहायता समूहों में सिर्फ महिला सदस्य हैं जिसके परिणामस्वरूप महिला सशक्तिकरण हुआ है।

(ङ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यष्टि वित्त एवं वित्तीय समावेशन सुकर बनाने हेतु किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:-

* "सूक्ष्म वित्तीय सेक्टर (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2007" नामक विधेयक को दिनांक 20.3.2007 को लोक सभा में पेश करना, जिसका उद्देश्य देश में व्यष्टि वित्त सेवाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल नीति बनाना और व्यष्टि वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास तथा विनियमन हेतु एक औपचारिक सांविधिक ढांचा प्रदान करना है।

* बैंकों को "शून्य" अथवा "बहुत कम शेष राशि" के साथ "न्यूनतम शेष" खाता खोलने के लिए सरल मानदण्ड अपनाने की सलाह दी गई है। बैंकों ने 30.6.2007 की स्थिति के अनुसार 67,32,335 "न्यूनतम शेष" खाते खोले हैं।

* बैंकों को वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

* सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों से अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 100% वित्तीय समावेशन हेतु कम से कम एक जिले की पहचान करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है। एसएलबीसी ने 104 जिलों (30.6.2007 की स्थिति के अनुसार) की पहचान की है और ऐसे जिलों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

* विकासात्मक तथा संवर्धनात्मक मध्यस्थता की लागत उठाने के लिए एक वित्तीय समावेशन निधि और प्रौद्योगिकी को अपनाने की लागत पूरी करने के लिए एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना, प्रत्येक निधि के लिए 500 करोड़ रुपए के समग्र कार्पस से करना।

ग्रामीण विद्युतीकरण

***473. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री जुएल ओराम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युतीकरण हेतु किसी ग्राम का चयन करने तथा किसी ग्राम को विद्युतीकृत ग्राम घोषित करने संबंधी निर्धारित मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो योजना के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्य क्या थे;

(घ) वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 के दौरान धनराशि के आबंटन हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) वर्ष 2004-05 से प्रभावी परिभाषा के अनुसार एक गांव तभी विद्युतीकृत घोषित होगा यदि-

(1) बसे हुए स्थान तथा दलित बस्ती/हैमलेट में वितरण ट्रांसफार्मर तथा वितरण लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के जरिए विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है);

(2) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, समुदाय केन्द्र आदि को विद्युत मुहैया करायी जाए; और

(3) विद्युतीकृत कुल आवासों की संख्या गांव में कुल आवासों की संख्या का कम-से-कम 10% हो।

(ख) जी नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण समेत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य तथा ग्रामीण आवासों को विद्युत कनैक्शन जारी करने की जिम्मेवारी क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियों तथा संबंधित राज्य सरकारों की है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए नोडल एजेंसी है, विद्युत मंत्रालय से क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियों/राज्यों को निधि मुहैया कराने, राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच करने, आरजीजीवीवाय पर मानीटरिंग कमिटी तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करने के अलावा आरजीजीवीवाय कार्यक्रम की मानीटरिंग में सहायता करता है। वस्तुतः राज्यों में नौवीं एवं दसवीं योजना के आरंभिक वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति निराशाजनक थी। ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति आरजीजीवीवाय के शुरू होने के साथ ही शुरू हुई, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 90% केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में 13,409 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 2002-05 में 9,291 गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जबकि 2005-07 के दौरान 38,525 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया। 10वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाय के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को जिन गांवों में पूरा कर लिया गया है, उनकी वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) 10वीं योजनावधि के दौरान उन गांवों की राज्य-वार संख्या, जिनका आरजीजीवीवाय के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कर लिया गया है, संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) आरजीजीवीवाय के अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्ष-वार रूप से निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों को राज्य/क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियां आरजीजीवीवाय के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वीकृति पत्र में निहित शर्तों को पूरा करने तथा सरकार के पास निधियों की उपलब्धता की शर्त पर हासिल प्रगति के अनुरूप यह प्रमाणित करते हुए जारी करती हैं कि पूर्व में जारी राशि में से 80% राशि का समुपयोग कर लिया गया है।

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष-वार रूप से संवितरित निधियों तथा निधि आवंटन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

(ङ) आरजीजीवीवाय के अंतर्गत वर्ष 2009 तक सभी आवासों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने, लगभग 1.15 लाख गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा 2.34 करोड़ बीपीएल आवासों को विद्युत कनैक्शन जारी करने का विचार है।

विवरण I

10वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाय के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	वर्ष	ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य	ऐसे गांवों की संख्या जहां ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है		
			विद्युतीकृत	गैर-विद्युतीकृत	कुल
1.	2005-06	10000	350	9819	10169
2.	2006-07	40000	11527	28706	40233
	कुल	50000	11877	38525	50402

विवरण II

10वीं योजना में आरजीजीवीवाय के अंतर्गत राज्य-वार रूप से पूर्ण आरई कार्य

क्र.सं.	राज्य	2005-06 के दौरान			2006-07 के दौरान			संचयी		
		विद्युतीकृत संख्या	गैर-विद्युतीकृत संख्या	कुल	विद्युतीकृत संख्या	गैर-विद्युतीकृत संख्या	कुल	विद्युतीकृत संख्या	गैर-विद्युतीकृत संख्या	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	–	0	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	–	0	–
3.	असम	0	0	0	0	0	0	–	0	–
4.	बिहार	0	1600	1600	0	8415	8415	–	10015	10,015
5.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	–	0	–
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	–	0	–
7.	गुजरात	0	0	0	625	0	625	625	0	625
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	–	0	–
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	–	0	–
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	–	0	–
11.	कर्नाटक	350	47	397	8000	0	8000	8,350	47	8,397
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	–	0	–
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	–	0	–
14.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	–	0	–
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	–	0	–
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	–	0	–
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	–	0	–
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	–	0	–
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	–	0	–
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	–	0	–
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	–	0	–
22.	राजस्थान	0	230	230	570	765	1335	570	995	1,565
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	–	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	–	0	–
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	–	0	–
26.	उत्तर प्रदेश	0	7503	7503	0	16620*	16620*	0	24123*	24123*
27.	उत्तरांचल	0	87	87	2332	798	3130	2,332	885	3,217
28.	पश्चिम बंगाल	0	352	352	0	2108	2108	–	2460	2,460
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	–	0	–
	सकल योग	350	9819	10169	11527	28706	40233	11877	38525	50402

*उत्तर प्रदेश सरकार ने पीईओ, योजना आयोग की टिप्पणियों के उत्तर में आरजीजीवीवाय के अंतर्गत संसूचित कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या में 472 गांव कम कर दिये हैं।

विवरण III

आरजीजीवीवाय के अंतर्गत वर्ष-वार बजटीय प्रावधान एवं संवितरित निधि

क्र.सं.	वर्ष	बजटीय प्रावधान (करोड़ रुपये में)	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2007-08	3944.56	3913.45
2.	2008-09	5500.00	–

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले

***474. श्री भाईलाल:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने लंबित मामलों के निपटान हेतु इन न्यायालयों द्वारा लिए जाने वाले अनुमानित समय के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 31.12.2007 को लंबित मामलों की संख्या क्रमश: 46926 और 38,16,983 थी। उच्च न्यायालय-वार लंबित मामलों की संख्या को संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ख) से (घ) लंबित मामलों के निपटान के लिए इन न्यायालयों द्वारा लिए जाने वाले समय के संबंध में ऐसा कोई निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा, ऐसा विषय है जो अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, उच्चतर न्यायालयों में लंबित मामलों सहित मामलों के निपटारे को सुकर बनाने के विचार से सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन करती है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों का शीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किए गए पिछले पुनर्विलोकन में सरकार ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 152 अतिरिक्त पद सृजित करने का विनिश्चय किया है:-

1.	इलाहाबाद	65
2.	आंध्र प्रदेश	10
3.	बंबई	11
4.	कलकत्ता	08
5.	दिल्ली	12
6.	हिमाचल प्रदेश	02
7.	कर्नाटक	01

8.	केरल	09
9.	मध्य प्रदेश	01
10.	पंजाब और हरियाणा	15
11.	झारखंड	08
12.	छत्तीसगढ़	10
	योग	152

सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पदसंख्या को 25 से बढ़ाकर 30 करने का अनुमोदन भी किया है।

सरकार, न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोजन के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में आईसीटी अवसंरचना को प्रोन्नत करने का उपबंध करती है।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल मामले	दांडिक मामले	योग
1.	इलाहाबाद	609895	209789	819684
2.	आंध्र प्रदेश	137990	15257	153247
3.	बम्बई	330399	39579	369978
4.	कोलकाता	243222	40015	283237
5.	छत्तीसगढ़	52130	23211	75341
6.	दिल्ली	103273	36054	139327
7.	गुजरात	85862	29532	115394
8.	गुवाहटी	52838	7493	60331
9.	हिमाचल प्रदेश	21312	6378	27690
10.	जम्मू-कश्मीर	44804	1836	46640
11.	झारखंड	28302	21668	49970
12.	कर्नाटक	89753	16103	105856
13.	केरल	88167	24371	112538
14.	चेन्नै	392824	36008	428832
15.	मध्य प्रदेश	122331	59294	181625
16.	उड़ीसा	209481	24076	233557
17.	पटना	71749	34693	106442
18.	पंजाब और हरियाणा	210171	47645	257816
19.	राजस्थान	164369	53135	217504
20.	सिक्किम	66	14	80
21.	उत्तरांचल	24761	7133	31894
	योग	3081991	732507	3816983

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

***475. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में घाटे में चल रहे सहकारी बैंकों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ वर्ष पूर्व स्थापित किए गए कुछ सहकारी बैंकों को अभी तक सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास उपलब्ध अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.3.2006 तक की स्थिति के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और निम्नलिखित 88 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) हानि उठा रहे हैं:-

हरियाणा: जींद और हिसार; जम्मू एवं कश्मीर: अनंतनाग, बारामूला और जम्मू; बिहार: खगरिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सासाराम-भाबुआ और सीतामढ़ी; झारखण्ड: धनबाद, गिरीडीह और हजारीबाग; उड़ीसा: युनाइटेड पुरी-एनआईएमएपी; पश्चिम बंगाल: बलगारिया, बीरभूम और पुरुलिया; मध्य प्रदेश: मण्डला, रीवा, सिद्दी और सागर; उत्तर प्रदेश: अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, कासी, फैजाबाद, फतेहगढ़, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, रायबरेली, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सुलतानपुर, उन्नाव और वाराणसी; गुजरात: बड़ौदा, जूनागढ़, खेड़ा, कोदिनार, पंचमहल, सुरेन्द्रनगर और वलसाड; महाराष्ट्र: बुलढाणा, धुले, नागपुर, नांदेड़, नासिक, रत्नागिरी, सांगली और वर्धा; आंध्र प्रदेश: आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तौड़, कडप्पा, करीमनगर, खम्मम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोण्डा, नेल्लोर, प्रकाशम, विशाखापट्टनम, विजयानगर और वारंगल; तमिलनाडु: धर्मपुरी, डिंडिगल, कन्याकुमारी, कुम्बकोणम, मदुरै, पुदुकोट्टै, रामनाथपुरम, तंजावूर, तिरुनेलवेली, तूतुकुडी और विरुदुनगर।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2007 तक की स्थिति के अनुसार उनमें से 333 हानि उठा रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

आंध्र प्रदेश (21), दिल्ली (2), गुजरात (55), कर्नाटक (54), केरल (19), महाराष्ट्र/गोवा (141), मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ (2), पूर्वोत्तर (4), उड़ीसा (4), पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश (4), राजस्थान (2), तमिलनाडु (13), उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल (3) और पश्चिम बंगाल (9)

(ख) अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनरुज्जीवन के लिए, वर्ष 2006 में, सरकार ने 13,596 करोड़ रुपए के एक वित्तीय पैकेज का अनुमोदन किया जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एसटीसीसीएस द्वारा शेयर किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश को 1,078.21 करोड़ रुपए, गुजरात को 121.74 करोड़ रुपए, हरियाणा को 432.05 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 561.59 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 510.71 करोड़ रुपए, उड़ीसा को 279.97 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को 340.85 करोड़ रुपए, कुल 3,325.10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।

(ग) और (घ) 17 एससीबी, 296 डीसीसीबी और 77 यूसीबी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 11, 22(3)(ख), 27, 29 और 35(क) सहित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की कुछ धाराओं के अनुपालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को संतुष्ट करना है। तथापि, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22(2) के प्रावधान के अनुसार एक सहकारी बैंक जिसने बैंकिंग लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है, लाइसेंस दिए जाने तक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक लिखित नोटिस द्वारा ऐसा अधिसूचित किए जाने कि इसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, तक अपना बैंकिंग कारोबार कर सकता है।

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताएं

***476. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत निर्धन लोगों हेतु आवासों के निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितताओं के मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जब कभी-भी आईएवाई के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितताओं की जानकारी मंत्रालय के ध्यान में लाई जाती है तो इस मामले को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ उठाया जाता है। तथापि यदि आवश्यक हो तो इस मंत्रालय के पैनल के राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को शिकायतों की जांच करने के लिए कहा जाता है। विशेष मामलों में जांच करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता है। अनियमितता पाए जाने पर राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करने के अनुदेश दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में पाई गई अनियमितताओं तथा इन पर की-गई-कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पाई गई वित्तीय अनियमितताओं के मामले तथा इन पर की-गई-कार्रवाई की सूची

राजस्थान

राजस्थान के चूरू जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में 7.6.2006 को डा. चन्द्रशेखर वैद्य, विधायक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि आईएवाई निधियों का उपयोग मकान की बजाय दुकान के निर्माण के लिए किया गया था।

की-गई-कार्रवाई

7.7.2006 को राजस्थान की राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया था। जिला प्राधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोषी लाभार्थियों से आईएवाई धनराशि वसूलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उड़ीसा

उड़ीसा में भीषण चक्रवात से पीड़ितों के लिए आशयित निधियों के दुरुपयोग के संबंध में 3.8.2006 को श्री जे.बी. पटनायक, विपक्षी नेता, उड़ीसा विधान सभा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एक ऐसी ही शिकायत श्री सीताकांत महापात्र, विधायक से प्राप्त हुई थी।

की-गई-कार्रवाई

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के साथ-साथ इस मंत्रालय के अधिकारियों ने मामले की जांच की थी। हालांकि राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं ने कोई अनियमितता नहीं पाई थी जबकि मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं पाई थीं। नवंबर, 2006 में उड़ीसा की राज्य सरकार को जांच रिपोर्टें भेज दी गई थी। राज्य सरकार से भीषण चक्रवात के लिए जारी की गई निधियों के बारे में विशेष रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था।

मध्य प्रदेश

लाभार्थियों द्वारा समूची राशि प्राप्त न करने के संबंध में मध्य प्रदेश के सतना जिले के बारे में 7.9.2007 को राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

की-गई-कार्रवाई

इस संबंध में की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18.10.2007 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ मामले को उठाया गया था। तथापि, उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। इस संबंध में 22.4.2008 को एक अनुस्मारक भी भेजा गया था।

बिहार

1. बिहार के गया जिले में आईएवाई के अंतर्गत निधियों के तथाकथित दुर्विनियोजन के संबंध में श्रीमती कुंती देवी, विधायक, बिहार विधान सभा से 27.12.2005 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत सीध, ग्राम पंचायत शहोड़ा तथा ग्राम पंचायत जैतीयन से निकाली गई निधियों से कोई मकान नहीं बनाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि तेतर ग्राम पंचायत में उन लाभार्थियों को मकान आबंटित किए गए थे जो ग्राम प्रधान की जाति के थे।

की-गई-कार्रवाई

मामले की जांच के लिए एक राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ता नियुक्त किया गया था जिसने 10.4.2006 को अपनी रिपोर्ट दी थी। राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं तथा यह रिपोर्ट 1.5.2006 को बिहार राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियों की 31.5.2007 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी प्रतीक्षा की जा रही है।

2. बिहार के सीतामढ़ी जिले में आईएवाई के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में श्री संजय कुमार गुप्ता, विधायक, बिहार से 2.1.2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह आरोप लगाया गया था कि आईएवाई के अंतर्गत मकानों का आबंटन अपात्र लाभार्थियों के लिए किया गया था और पात्र लाभार्थियों को लाभ देने से वंचित रखा गया था। अधिकांश लाभार्थियों का ब्लाक अधिकारियों द्वारा शोषण किया गया था तथा उन्हें आईएवाई मकानों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने के लिए बाध्य किया गया था।

की-गई-कार्रवाई

मामले की जांच के लिए एक राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता नियुक्त किया गया था जिसने 25.4.2006 को अपनी रिपोर्ट दी थी। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं तथा यह रिपोर्ट 16.5.2006 को बिहार राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई ती। इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियों की 31.5.2007 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी प्रतीक्षा की जा रही है।

3. श्री सीताराम यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) से 12.4.2006 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत-यूजर मध्य, ब्लाक-कटरा, जिला-मुजफ्फरपुर के गांव वालों की शिकायतें भेजी गई थीं। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आईएवाई मकान के आबंटन के लिए प्रत्येक लाभार्थी से 2000 रु. से 5000 रु. तक की राशि रिश्वत के रूप में ली गई है।

की-गई-कार्रवाई

राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता ने मामले की जांच की थी जिसने इसमें अनियमितता पाई। जांच रिपोर्ट बिहार राज्य सरकार को भेज दी गई थी। दिनांक 19.7.2006 तथा 31.5.2007 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद स्थिति रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता, कर्नल (सेवानिवृत्त) यू.बी. सिंह ने अक्तूबर, 2007 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का दौरा किया तथा उन्होंने पाया कि निधियों का दुरुपयोग हुआ है, अपात्र उम्मीदवारों/लाभार्थियों को मकान आबंटित किए गए, आईएवाई योजना के अंतर्गत एक ही लाभार्थी को दोहरा लाभ दिया गया तथा बिचौलियों के जरिए रिश्वत का भुगतान किया गया।

की-गई-कार्रवाई

इस संबंध में की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 जनवरी, 2008 को बिहार सरकार को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक वाहनों का बीमा

*477. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक वाहनों का बीमा करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कंपनियां पांच वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों का "थर्ड पार्टी" बीमा करती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में दो प्रकार की बीमा पालिसियां प्रदान करती हैं अर्थात्,

(1) "देयता मात्र पालिसी" जो तृतीय पक्ष की वैयक्तिक चोट तथा तृतीय पक्ष की संपत्ति की हानि के संबंध में बीमाकृत के दायित्व को कवर करती है; तथा

(2) "पैकेज पालिसी" जो "देयता मात्र पालिसी" के अंतर्गत जोखिमों के अतिरिक्त बीमित व्यक्ति के वाहन की हानि/क्षति के जोखिम को कवर करती है।

(ख) से (घ) जी हां। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के तहत, आईआरडीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, प्रयतित फर्जी आधारों को छोड़कर सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने के लिए वैध परमिट वाले वाहनों के संबंध में किसी वाहन मालिक को तृतीय पक्ष बीमा सुरक्षा के लिए मना नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

धन लक्ष्मी योजना

*478. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का बालिका के लिए 'धन लक्ष्मी' नामक एक नई सशर्त नकदी अंतरण योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पहले चरण में इस योजना को किन-किन जिलों में आरंभ किया जाएगा?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) धनलक्ष्मी स्कीम (बालिकाओं हेतु जीवन बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम) 03.03.2008 को प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू कर दी गई है। स्कीम के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने पर बालिका के परिवार को नकद राशि हस्तांतरित की जायेगी। ये शर्तें बालिका के जन्म का पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूल में पढ़ाई जारी रखना तथा 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह करना हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश में खम्माम और वारंगल जिलों; छत्तीसगढ़ में बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों; उड़ीसा में मल्कानगिरि और कोरापुट; झारखंड में गिरिडीह और कोडरमा; बिहार में जमोई; उत्तर प्रदेश में रायबरेली तथा पंजाब में फतेहगढ़ साहिब जिलों को इस स्कीम के प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत निर्मित सड़कें

***479. श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान निर्मित ग्रामीण सड़कों की राज्य-वार कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक जो इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत वर्ष 2009 तक मैदानी क्षेत्रों में 1000 और इससे अधिक तथा पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। इस प्रयोजनार्थ, प्रत्येक वर्ष बजटीय आबंटन किया जाता है। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास कोष (आरआईडीएफ) के अंतर्गत एक विशेष विण्डो बनाई गई है। निधियां इस विण्डों से आहरित की जाती हैं और कार्यक्रम के लिए आवश्यकता एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को निधियां रिलीज की जाती हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान पीएमजीएसवाई के लिए इस मंत्रालय में बजटीय प्रावधान 6500 करोड़ रु. था। ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास कोष से 4500 करोड़ रु. आहरित कर इसमें वृद्धि की गई जिससे कुल प्रावधान 11000 करोड़ रु. हो गया। नाबार्ड से आहरित उन निधियों सहित राज्यों को रिलीज की गई निधियां पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सड़क कार्यों के निर्माण/उन्नयन के लिए राज्यों द्वारा उपयोग की जाती हैं। कुछ राज्यों ने उन्हें रिलीज की गई संपूर्ण निधियों का उपयोग नहीं किया है। राज्यों में कार्यक्रम के धीमे कार्यान्वयन के कुछ कारण हैं:

* योग्य अभियंताओं का उपलब्ध न होना।
* कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों द्वारा पूर्व में संचालित कम कार्य की वजह से उनकी अपर्याप्त क्षमता।
* कुछ क्षेत्रों में दीर्घकालीन वर्षा ऋतु।
* सीमेंट, इस्पात, बिट्यूमेन, मशीनरी जैसी अधिकांश निर्माण सामग्रियां तथा मशीन संचालित करने के कार्मिक स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।
* कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था के मामले।
* संविदात्मक क्षमता और रोड रोलर, क्रशिंग संयंत्र, डंपर/डिपर एवं ट्रक जैसी बुनियादी सड़क निर्माण सामग्री उपलब्ध न होना।
* वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमीन अधिग्रहण में विलम्ब।

मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2007-08 के दौरान 10135.41 करोड़ रु. के व्यय से 39611.92 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाई गई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2007-08 के दौरान रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	बनाई गई सड़क (कि.मी. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	316.57	381.89	1656.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.03	96.85	260.50
3.	असम	555	591.49	1141.00
4.	बिहार	733.06	580.11	1646.03
5.	छत्तीसगढ़	1050.89	699.83	1889.54
6.	गोवा*	0	0	0.00
7.	गुजरात	144.56	156.99	830.24
8.	हरियाणा	216.21	216.51	670.21
9.	हिमाचल प्रदेश	320.58	281.98	1555.20
10.	जम्मू-कश्मीर	72.74	105.09	140.69
11.	झारखंड[1]	0	57.62	203.66
12.	कर्नाटक	271.49	349.12	1427.01
13.	केरल	24.68	61.33	112.90
14.	मध्य प्रदेश	1615.66	1358.73	5231.45
15.	महाराष्ट्र	563.96	651.31	3155.18
16.	मणिपुर	78.99	64.28	265.99
17.	मेघालय**	0	15.59	52.47
18.	मिजोरम	21.96	40.49	181.19
19.	नागालैंड	12.51	20.42	398.42
20.	उड़ीसा	546.83	522.19	1485.88
21.	पंजाब	360.21	366.95	1036.49
22.	राजस्थान	1646.64	1455.44	9887.50
23.	सिक्किम	174.51	88.81	142.47
24.	तमिलनाडु	71.03	108.65	747.90

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	143	123.5	20.67
26.	उत्तर प्रदेश	1228.4	1201.04	3551.98
27.	उत्तराखंड	78.74	99.73	346.74
28.	पश्चिम बंगाल	549.69	439.47	1573.81
	कुल (राज्य)	10899.94	10135.41	39611.92
29.	दादरा व नगर हवेली	3.89		
	कुल योग[5]	10903.83	10135.41	39611.92

[5]इसके अतिरिक्त शीर्ष आर एवं डी (0.11 करोड़ रु.), कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाता आदि (0.32 करोड़ रु.), राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (10.00 करोड़ रु.), नाबार्ड से लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान (85.76 करोड़ रु.)।
[*]गोवा के मामले में, निधियों की रिलीज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
[†]झारखंड के मामले में निधियों के रिलीज के लिए निर्धारित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए।
[**]मेघालय के मामले में, निधियों की रिलीज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
नोट: अंकड़ा अनंतिम है।

महिला एवं बाल कल्याण हेतु योजनाएं

***480. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महिला एवं बाल कल्याण हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम, स्वयंसिद्धा तथा किशोर न्याय कार्यक्रम हैं। इन स्कीमों के क्रियान्वयन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

आई.सी.डी.एस. : आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण को छोड़कर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूरक पोषण हेतु भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागत मानकों की 50% अथवा वास्तविक व्यय की 50% जो भी कम हो, सहायता प्रदान करती है। राज्यों से प्राप्त व्यय विवरण की संवीक्षा के बाद स्कीम के मानकों के अनुसार अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखे बिना, मंत्रालय राशियों की मांग/निर्मुक्ति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क बनाए रखता है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राशियों को केवल व्यय विवरणों के आधार पर सभी राज्यों को 4 अथवा अधिक किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है। किशोरी शक्ति योजना की राशि भी आई.सी.डी.एस. के बजट शीर्ष से निर्मुक्त की जाती है तथा वही प्रक्रिया अपनायी जाती है। आई.सी.डी.एस./ किशोरी शक्ति योजना की प्रगति की गति का किसी भी मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, इस स्कीम का नियमित आधार पर वित्तीय एवं वास्तविक मूल्यांकन किया जाता है। राशियों की निर्मुक्ति भी व्यय विवरणों पर आधारित है। कभी-कभी, राज्य सरकार द्वारा स्कीम हेतु राशियों की निर्मुक्त धीमी गति से की जाती है। तथापि, व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार द्वारा राशियों की निर्मुक्ति में देरी नहीं होती है।

आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक राज्य प्रशिक्षण कार्य योजनाओं की जांच की जाती है तथा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ये योजनाएं अनुमोदित की जाती हैं। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राशियां समय-समय पर निर्मुक्त की जाती हैं। राशियों की निर्मुक्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत तिमाही

प्रगति रिपोर्टों में उनके द्वारा राशियों के उपयोग संबंधी दी गई जानकारी के आधार पर भी की जाती है। कुछ राज्य तो वार्षिक राज्य प्रशिक्षण कार्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, परंतु कुछ राज्यों में विभिन्न कारणों से प्रगति धीमी रहती है। क्रियान्वयन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए मंत्रालय तिमाही समीक्षा बैठकों, तिमाही प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्र दौरों आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा करता है तथा राज्यों को आवश्यक निदेश जारी करता है।

स्वयंसिद्धा: स्वयंसिद्धा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर तथा उन्हें पहले से निर्मुक्त अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर स्कीम के मानकों के अनुसार अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। यह स्कीम 31.3.2008 को समाप्त हो गई है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशियों का विवरण विवरण-II में दिया गया है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं। राज्यों में स्कीम के निष्पादन का सतत मूल्यांकन करने तथा तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्र दौरों जैसी सामान्य विधियों के माध्यम से स्कीम का मानीटरन करने के अलावा, राज्य नोडल अधिकारियों की तिमाही समीक्षा बैठकों की पद्धति भी लागू है।

किशोर न्याय कार्यक्रम: "किशोर न्याय कार्यक्रम" के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत गृहों/संस्थाओं की स्थापना, उन्नयन तथा रख-रखाव हेतु अपेक्षित व्यय का 50% वहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्कीम के अंतर्गत अनुदान के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में मंत्रालय को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में स्थापित किए जाने वाले सभी गृहों के लिए समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	कार्रवाई किए गए तथा अनुदान निर्मुक्त किए गए प्रस्तावों की संख्या (***)
2005-06	25(*)	23
2006-07	26(**)	25
2007-08	26(**)	25

(*) हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका, क्योंकि इन राज्यों के प्रस्ताव अधूरे थे।

(**) वर्ष 2006-07 में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को तथा वर्ष 2007-08 में पंजाब राज्य सरकार को अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका, क्योंकि इन राज्यों के प्रस्ताव अधूरे थे।

(***) निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

'किशोर न्याय कार्यक्रम' के अंतर्गत अनुदानों के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति, सहायता प्रदान किए गए गृहों की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मौजूदा बाल संरक्षण संस्थाओं, नीतिगत कार्यक्रमों तथा सभी स्तरों पर उनके क्रियान्वयन में कमियां बतायी हैं। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन हेतु 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया है। इस स्कीम का उद्देश्य देश में बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

प्रस्तावित समेकित बाल संरक्षण स्कीम कई मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों नामत: (1) किशोर न्याय कार्यक्रम; (2) बेघर बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम; (3) देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता भी स्कीम को एक साथ जोड़ेगी तथा नए उपाय किए जाएंगे।

विवरण I

आई.सी.डी.एस. स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान निर्मुक्त राशियों का राज्य-वार विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 निर्मुक्त राशि	2006-07 निर्मुक्त राशि	2007-08 निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14750.69	21877.67	26015.86
2.	बिहार	5036.11	20976.12	21909.01

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	4412.01	4561.50	9498.18
4.	गोवा	373.53	397.96	507.00
5.	गुजरात	9917.54	12732.62	11050.69
6.	हरियाणा	5312.54	6015.49	7115.76
7.	हिमाचल प्रदेश	3480.88	2882.29	3802.02
8.	जम्मू-कश्मीर	4989.19	5410.99	8001.09
9.	झारखण्ड	4288.33	7845.37	9191.01
10.	कर्नाटक	14176.11	19122.28	13934.16
11.	केरल	5725.65	8115.91	9687.99
12.	मध्य प्रदेश	9498.48	13002.16	26458.36
13.	महाराष्ट्र	16808.92	20433.15	25105.71
14.	उड़ीसा	10600.69	12137.96	15129.70
15.	पंजाब	5591.61	5861.62	5316.95
16.	राजस्थान	7459.77	13809.14	12885.03
17.	तमिलनाडु	15212.94	12786.60	15608.35
18.	उत्तर प्रदेश	31989.58	24768.42	37189.40
19.	उत्तराखंड	2861.67	1676.39	2690.52
20.	पश्चिम बंगाल	19391.00	17182.73	23845.30
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	212.82	174.11	241.55
22.	चण्डीगढ़	156.87	163.41	189.39
23.	दादरा व नगर हवेली	70.10	62.33	68.70
24.	दमन व दीव	47.74	56.78	48.00
25.	लक्षद्वीप	42.67	38.34	64.63
26.	दिल्ली	1290.03	1379.78	1569.21
27.	पांडिचेरी	233.68	195.22	234.36
28.	अरुणाचल प्रदेश	1780.28	3145.86	3302.60
29.	असम	22462.56	16077.48	8582.93
30.	मणिपुर	1664.87	3631.405	3203.17

1	2	3	4	5
31.	मेघालय	2158.35	2114.925	1289.14
32.	मिजोरम	1476.66	1573.255	1210.29
33.	नागालैंड	2531.64	2471.215	1697.65
34.	सिक्किम	354.75	782.6	553.31
35.	त्रिपुरा	2779.91	4475.41	3406.26
36.	भारतीय जीवन बीमा निगम	800.00	1200.00	200.00
	कुल	229940.10	269138.480	310803.270

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण हेतु वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 हेतु निर्मुक्त राशियां दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्ति 2005-06	निर्मुक्ति 2006-07	निर्मुक्ति 2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4745.42	9052.04	13718.25
2.	बिहार	8260.92	11828.92	19192.72
3.	छत्तीसगढ़	3133.33	2953.64	10452.14
4.	गोवा	115.13	175.41	169.52
5.	गुजरात	3339.82	4297.21	3855.01
6.	हरियाणा	1810.62	2829.56	5216.72
7.	हिमाचल प्रदेश	660.00	629.63	1017.58
8.	जम्मू-कश्मीर	343.56	653.20	917.69
9.	झारखण्ड	761.49	11154.47	6997.88
10.	कर्नाटक	7379.97	9407.65	9298.19
11.	केरल	1738.28	3666.11	3979.14
12.	मध्य प्रदेश	5457.86	5770.97	18263.25
13.	महाराष्ट्र	9869.23	8443.33	16770.11
14.	उड़ीसा	6697.98	6646.40	6295.06
15.	पंजाब	1246.53	3138.07	1691.46
16.	राजस्थान	5534.27	8571.57	11067.07

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	3703.59	3451.94	3521.89
18.	उत्तर प्रदेश	18125.13	41902.48	47968.74
19.	उत्तराखंड	705.72	1347.89	2367.65
20.	पश्चिम बंगाल	6348.24	5916.07	14392.25
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	80.39	93.67	67.45
22.	चण्डीगढ़	76.33	154.76	46.17
23.	दादरा व नगर हवेली	22.59	22.59	96.57
24.	दमन व दीव	13.74	13.74	
25.	लक्षद्वीप	7.52	39.91	27.75
26.	दिल्ली	737.49	694.29	516.47
27.	पांडिचेरी	85.72	55.03	200.64
28.	अरुणाचल प्रदेश	113.41	879.60	461.37
29.	असम	3066.67	3711.54	3376.61
30.	मणिपुर	664.58	914.32	926.30
31.	मेघालय	687.17	1023.42	1007.99
32.	मिजोरम	471.24	488.97	535.20
33.	नागालैंड	929.07	1188.71	991.99
34.	सिक्किम	118.48	95.77	64.68
35.	त्रिपुरा	407.06	707.69	759.54
	कुल	97458.55	151920.57	206231.05

*वर्ष 2004-05 तक पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु अलग से राशियां निर्मुक्त नहीं की जाती थीं।

विवरण II

स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06 में निर्मुक्त अनुदान	वर्ष 2006-07 में निर्मुक्त अनुदान	वर्ष 2007-08 में निर्मुक्त अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	110	231.84	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	9.35

1	2	3	4	5
3.	असम	100	100	110.12
4.	बिहार	100	270	492.45
5.	छत्तीसगढ़	60	25	57.63
6.	गुजरात	30.6	299.4	69.96
7.	हरियाणा	69.62	0	24.35
8.	हिमाचल प्रदेश	32.39	34.39	44.25
9.	जम्मू-कश्मीर	70.98	36.85	36.85
10.	झारखण्ड	25	50	127.47
11.	कर्नाटक	110	26.05	0
12.	केरल	132.43	52.6	4.76
13.	मध्य प्रदेश	200	100	115.4
14.	महाराष्ट्र	159.48	100	36.04
15.	मणिपुर	0	14.49	32.73
16.	मेघालय	29	30.89	0
17.	मिजोरम	27.12	0.33	11.31
18.	नागालैंड	46.71	0	0
19.	उड़ीसा	113.45	100	105.93
20.	पंजाब	25	71.76	0
21.	राजस्थान	180	200	18.23
22.	सिक्किम	25.75	39.84	22.60
23.	तमिलनाडु	167.02	150.01	65.76
24.	त्रिपुरा	10.94	0	19.75
25.	उत्तर प्रदेश	0	485.35	539.33
26.	उत्तरांचल	83	37.79	33.73
27.	पश्चिम बंगाल	99.63	327.75	0
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	2.97
29.	दिल्ली	0	10	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0
31.	पांडिचेरी	13.40	14.8	0
	कुल	2021.52	2809.14	1980.97

विवरण III

वर्ष 2005-06 के दौरान 'किशोर न्याय कार्यक्रम' के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ सहायता प्रदान किए गए गृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)	लाभार्थी बच्चों की संख्या	सहायता प्रदान किए गए गृहों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	1,33,72,660	1606	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	असम	24,10,750	400	7
5.	बिहार	1,03,26,760	847	23
6.	चण्डीगढ़	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	14,62,380	258	7
8.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–
9.	दमन व दीव	–	–	–
10.	दिल्ली	90,37,976	1772	14
11.	गोवा	5,35,570	87	3
12.	गुजरात	70,00,000	2413	56
13.	हरियाणा	41,55,000	327	7
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
16.	झारखण्ड	–	–	–
17.	कर्नाटक	70,94,993	2341	53
18.	केरल	35,06,090	739	22
19.	लक्षद्वीप	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	53,41,210	711	26
21.	महाराष्ट्र	6,82,41,808	15048	215
22.	मणिपुर	–	–	–
23.	मेघालय	6,16,682	76	3

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	10,50,586	225	4
25.	नागालैंड	5,76,000	100	2
26.	उड़ीसा	6,00,000	130	5
27.	पांडिचेरी	–	–	–
28.	पंजाब	31,94,140	475	14
29.	राजस्थान	47,01,650	324	9
30.	सिक्किम	2,32,750	25	1
31.	तमिलनाडु	1,19,85,750	1375	11
32.	त्रिपुरा	8,350	5	1
33.	उत्तर प्रदेश	1,60,57,850	2870	94
34.	उत्तरांचल	–	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	77,78,373	3720	32
	कुल	20,03,37,976	38,359	675

*आंकड़ों में नए गृहों के निर्माण हेतु निर्मुक्त सहायतानुदान शामिल नहीं है।

वर्ष 2006-07 के दौरान 'किशोर न्याय कार्यक्रम' के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ सहायता प्रदान किए गए गृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)	लाभार्थी बच्चों की संख्या	सहायता प्रदान किए गए गृहों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	3,49,31,720	1952	28
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	असम	73,96,422	400	7
5.	बिहार	34,12,160	856	13
6.	चण्डीगढ़	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	17,54,440	304	7
8.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–

1	2	3	4	5
9.	दमन व दीव	–	–	–
10.	दिल्ली	93,91,790	2206	19
11.	गोवा	5,32,460	86	3
12.	गुजरात	28,01,567	2557	55
13.	हरियाणा	18,02,775	319	7
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
16.	झारखण्ड	–	–	–
17.	कर्नाटक	1,01,59,011	3247	62
18.	केरल	38,34,510	710	23
19.	लक्षद्वीप	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	2,93,18,660	3906	26
21.	महाराष्ट्र	5,97,32,735	15520	273
22.	मणिपुर	–	–	–
23.	मेघालय	6,84,169	76	3
24.	मिजोरम	23,47,250	225	4
25.	नागालैंड	6,21,000	100	2
26.	उड़ीसा	7,54,758	240	5
27.	पांडिचेरी	31,88,560	416	15
28.	पंजाब	42,71,540	814	15
29.	राजस्थान	15,36,530	323	9
30.	सिक्किम	2,92,096	15	1
31.	तमिलनाडु	99,14,950	1545	19
32.	त्रिपुरा	3,00,000	287	7
33.	उत्तर प्रदेश	1,74,21,790	1654	47
34.	उत्तरांचल	35,34,686	200	28
35.	पश्चिम बंगाल	78,61,749	2003	33
	कुल	21,77,97,328	39,962	711*

*आंकड़ों में नए गृहों के निर्माण हेतु निर्मुक्त सहायतानुदान शामिल नहीं है।

वर्ष 2007-08 (31.03.2008 तक) के दौरान 'किशोर न्याय कार्यक्रम' के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ सहायता प्रदान किए गए गृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)	लाभार्थी बच्चों की संख्या	सहायता प्रदान किए गए गृहों की संख्या
1.	राजस्थान	17790820	3675	61
2.	गोवा	572890	99	3
3.	उड़ीसा	800000	260	5
4.	बिहार	24297540	914	14
5.	पश्चिम बंगाल	8012097	2080	38
6.	सिक्किम	494758	25	1
7.	हरियाणा	2713309	359	7
8.	उत्तर प्रदेश	12340840	1944	47
9.	अरुणाचल प्रदेश	344400	20	1
10.	महाराष्ट्र	75512678	22402	341
11.	कर्नाटक	8225584	2937	62
12.	गुजरात	14026632	2469	55
13.	मिजोरम	1097250	225	4
14.	असम	1369078	450	7
15.	हिमाचल प्रदेश	2839741	969	19
16.	केरल	4226870	827	23
17.	मेघालय	743971	76	3
18.	तमिलनाडु	13161790	2705	41
19.	आंध्र प्रदेश	8732160	1856	22
20.	नागालैंड	621000	100	2
21.	दिल्ली	8546512	1904	20
22.	त्रिपुरा	395000	279	5
23.	छत्तीसगढ़	3286556	382	13
24.	मणिपुर	2194605	395	11
25.	मध्य प्रदेश	7045530	3238	26
	कुल	221212512	50590	831

[हिन्दी]

अफीम प्रासेसिंग लाइसेंस

4549. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफीम प्रासेसिंग का कार्य निजी क्षेत्र की कंपनियों को देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इस लाइसेंस नीति का विरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या आधार है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया का बाद अफीम से क्षार के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु दो कम्पनियों का चयन किया है। अफीम का उत्पादन नीमच (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित वर्तमान अफीम कारखानों में ही जारी रहेगा जो अफीम से क्षार का भी उत्पादन करेंगे।

(ग) वास्तविक लाइसेंस अभी जारी किए जाने हैं।

(घ) और (ङ) मामले को दिनांक 27.2.2008 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया गया था जिसमें सरकार से निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए इस नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था:-

(1) अफीम की खेती मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के कुछ जिलों में की जाती है।

(2) अफीम को नीमच में स्थित सरकारी अफीम और क्षार कारखाने में प्रसंस्कृत किया जाता है जिसमें सैकड़ों कामगार कार्यरत हैं।

(3) यह ज्ञात हुआ है कि सरकार ने अफीम के प्रसंस्करण का कार्य निजी कम्पनियों को सौंपने का निर्णय लिया है और इसके लिए दो कम्पनियों का चयन किया है।

(4) सरकार के निर्णय से यह आशंका पैदा हुई है कि सरकार ने कारखाने का निजीकरण करने अथवा इसे बंद करने का निर्णय लिया है।

(5) यह आशंका भी है कि इन कम्पनियों का अफीम की खेती पर नियंत्रण होगा और ये कोडीन फोस्फेट के अलावा मारफीन का भी उत्पादन करेंगे।

यह जवाब दिया गया कि सरकार ने भारत में वैध रूप से अफीन से अफीम क्षार के उत्पादन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए अफीम से क्षार का उत्पादन करने हेतु दो भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस देने का निर्णय लिया है और रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करने के बाद तथा उनकी बोलियों पर कार्यवाही करने के बाद लाइसेंस प्रदान करने के लिए दो कम्पनियों का चयन किया। इन दो निजी कम्पनियों द्वारा क्षार के उत्पादन से जी ओ ए डब्ल्यू का उत्पादन बढ़ेगा। कम्पनियां अफीम का कोई भी क्षार जैसे, मारफीन, कोडीन, थेबेइन आदि का उत्पादन कर सकती है। तथापि, इन कम्पनियों को अफीम की खेती करने अथवा खेती पर नियंत्रण रखने की अनुमति देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षार कारखाने का निजीकरण करने अथवा उसे बंद करने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अजा/अजजा की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार

4550. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को उनके पति तथा पिता की स्वामित्व वाली संपत्ति में अधिकार प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) अनुसूचित जाति की हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं। तथापि, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के अनुसार, उक्त अधिनियम के उपबंध अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लागू नहीं हैं। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के संपत्ति अधिकार उनकी रुढ़िजन्य विधि द्वारा शासित होते हैं।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और जातियों को शामिल करना

4551. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और जातियों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में दावों को शामिल करने/हटाने तथा अन्य संशोधन करने का कार्य दिनांक 15.6.1999 को सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रविधियों के अनुसार किया जाता है। केवल उन्हीं प्रस्तावों, जिन पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा औचित्य बताते हुए सिफारिश की जा चुकी है, पर विचार किया जाता है तथा विधान में संशोधन किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में शामिल करने/हटाने एवं अन्य संशोधनों हेतु दावों के निर्धारण के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है।

बी पी ओ तथा आई टी केन्द्रों में यौन उत्पीड़न

4552. श्री कीरेन रिजीजू: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बी पी ओ तथा आई टी केन्द्रों पर यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की जानकारी है;

(ख) क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र से कुछ महिलाओं ने भी इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास शिकायत दर्ज करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) बी.पी.ओ./सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न की कुछ घटनाएं हुई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बी.पी.ओ./काल सेंटरों में कार्य कर रही महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बी.पी.ओ. कम्पनियों, काल सेंटरों के प्रतिनिधियों तथा दिल्ली/गुड़गांव/नौएडा के संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया। उपर्युक्त पक्षों से विचार-विमर्श के आधार पर आयोग ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिनमें कार्यालय परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने, अतिरिक्त जांच किए जाने तथा प्रतिष्ठानों के भीतर महिलाओं के अनुकूल पद्धतियां अपनाए जाने के संबंध में काल सेंटरों के मालिकों द्वारा किए जाने वाले उपाय दर्शाए गए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं

4553. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को सरकारी तथा निजी संस्थाओं में विभिन्न स्तर की शिक्षा में, यथा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा में प्रवेश तथा ट्यूशन फीस इत्यादि के संबंध में प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन सुविधाओं का उपभोग करने वाले राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या क्या थी?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, सरकारी एवं निजी संस्थानों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश एवं ट्यूशन शुल्क इत्यादि के विषय में अनुसूचित जनजातियों को जिन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं, वे निम्नांकित हैं:

1. अनुसूचित जनजातीय छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:

   इस योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अनुरक्षण भत्ता, विकलांग छात्रों के लिए प्रावधान, आवश्यक अप्रतिदेय शुल्कों का भुगतान, अध्ययन दौरा शुल्क, थिसिस टंकण/छपाई शुल्क तथा विभिन्न विषयों हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु विनिर्दिष्ट दरों पर संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि हेतु पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता भी शामिल है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. उच्च श्रेणी की शिक्षा:

   अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु उच्च श्रेणी की शिक्षा की योजना शैक्षिक वर्ष 2007-08 से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों दोनों में 127 चिह्नित संस्थानों में से किसी एक में

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने हेतु अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक संस्थान में अधिकतम पांच अवार्ड हैं।

इस योजना के अधीन पात्र अनुसूचित जनजातीय छात्रों को पूरे ट्यूशन शुल्क एवं अन्य अप्रतिदेय बकाया सरकारी/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को कवर करते हुए छात्रवृत्ति दी जाती है। तथापि, निजी क्षेत्र संस्थानों हेतु प्रतिवर्ष प्रति छात्र 2.00 लाख रुपए एवं निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लबों हेतु वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण हेतु 3.72 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है। उपर्युक्त के अलावा, यह छात्रवृत्ति निर्वाह व्यय, पुस्तक एवं स्टेशनरी अनुदान एवं विनिर्दिष्ट दर पर पाठ्यक्रम अवधि के दौरान एक अद्यतन कंप्यूटर एवं इसके उपसाधन वस्तुओं के लिए एककालिक लागत हेतु सहायता की व्यवस्था भी करती है। इस योजना के अधीन अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को नहीं बल्कि उपर्युक्त संस्थानों को निर्मुक्त किया जाता है। विगत वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 79 छात्रों हेतु 23 संस्थानों को अनुदान स्वीकृत किए गए।

3. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति:

यह योजना स्नातक स्तर पर कतिपय विषयों, पी.एचडी एवं पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों में विदेश में उच्चतर अध्ययनों के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। किसी भी विषय में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। इस योजना के अधीन, निर्धारित दरों पर शुल्क, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, पोल टैक्स एवं वास्तविक वीजा शुल्क, अनुरक्षण भत्तों तथा वार्षिक आकस्मिक भत्तों के लिए अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उच्चतर अध्ययनों हेतु कोई छात्र विदेश नहीं गया है। तथापि, 2007-08 के दौरान 2 नए छात्र उच्चतर अध्ययनों हेतु विदेश गए हैं।

4. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:

इन योजनाओं के अलावा, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय छात्रों को एम. फिल तथा पी.एचडी जैसे उच्चतर पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु यूजीसी दरों के समतुल्य दरों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अधीन अनुदान यूजीसी को निर्मुक्त किए जाते हैं न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 400 तथा 376 छात्रों को अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं। 2007-08 के दौरान यूजीसी को 667 प्रत्याशित अभ्यर्थियों हेतु अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06 लाभार्थी	2006-07 लाभार्थी	2007-08 प्रत्याशित लाभार्थी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	132252	147213	174128
2.	अरुणाचल प्रदेश	*13348	0	0
3.	असम	44832	102730	49050
4.	बिहार	2982	0	0
5.	छत्तीसगढ़	57803	63365	69151
6.	गोवा	617	675	745
7.	गुजरात	89030	96287	105165
8.	हिमाचल प्रदेश	3153	3930	4716

1	2	3	4	5
9.	जम्मू-कश्मीर	4611	*12048	0
10.	झारखंड	21626	15396	16755
11.	कर्नाटक	41976	44814	53118
12.	केरल	6301	7493	8344
13.	मध्य प्रदेश	54073	62217	66920
14.	महाराष्ट्र	88908	99759	104523
15.	मणिपुर	32796	33183	36501
16.	मेघालय	45000	43791	48170
17.	मिजोरम	25920	27886	38096
18.	नागालैंड	29416	31820	35002
19.	उड़ीसा	34608	43313	46781
20.	राजस्थान	43682	123186	135504
21.	सिक्किम	1131	1231	1601
22.	तमिलनाडु	1786	2854	4152
23.	त्रिपुरा	8802	10512	12528
24.	उत्तर प्रदेश	4986	4900*	0
25.	उत्तरांचल	12241	14536	15608
26.	पश्चिम बंगाल	15804	16020	24790
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	292	376	513
28.	दमन व दीव	30	156	217
	कुल	818005	1009691	1052078

*प्रत्याशित लाभार्थी

[अनुवाद]

राज्यों में महिला आयोग

4554. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने यहां महिला आयोग का गठन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में महिला आयोग के गठन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) सभी राज्य सरकारों ने महिला आयोगों का गठन कर लिया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

4555. श्री गिरिधर गमांग: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना हेतु निधियां आबंटित की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो आबंटित, प्रयुक्त की गई निधियों तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा दर्ज की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) योजना आयोग एवं विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतर केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई थीं। यद्यपि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके कार्यक्रम/योजनाएं अनुसूचित जनजातियों को भी कवर करते हैं।

मध्यवर्ती वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क

4556. श्री रशीद मसूद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छाता के विभिन्न भागों जैसे मध्यवर्ती इनपुट सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क तैयार उत्पादों से भी ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) छातों पर उत्पाद शुल्क 8% की रियायती दर से लगता है, जबकि छातों के पूर्जों पर सामान्यतया 14% का उत्पाद शुल्क लगता है। तथापि, चूंकि छाते के अधिकतर पूर्जे लघु उद्योग क्षेत्र में तैयार होते हैं, इसलिए छात्रों को तैयार करने में लगने वाले अधिकतर पूर्जों पर कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। छातों को तैयार करने में चोरी से लगाए गए पूर्जों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। यदि पूर्जों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है तो छाता निर्माताओं द्वारा तैयार उत्पाद पर शुल्क के भुगतान के लिए उसके क्रेडिट का लाभ ले लिया जाता है।

(ग) छातों और छाते के पूर्जों पर उत्पाद शुल्क दरों को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में छातों और छाते के पूर्जों पर शुल्क ढांचे में किसी परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार की जांच के अधीन नहीं है।

पाइप विनिर्माताओं हेतु उत्पाद शुल्क में छूट

4557. श्री उदय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए जल शोधन संयंत्र स्थापित करने तथा संयंत्र से जल की आपूर्ति करने/ले जाने वाली पाइपों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देने वाली उत्पाद शुल्क अधिसूचना मार्च, 2007 में जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ऐसे पाइप विनिर्माताओं को जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए पाइपों पर उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ दिया गया है जहां कोई जल शोधन संयंत्र स्थापित ही नहीं किया गया;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत उत्पाद शुल्क में छूट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का प्रस्ताव है तथा अवैध रूप से अब तक दावा की गई राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

4558. श्री रामपाल सिंह:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री वी.के. थुम्मर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम योजनाओं की राज्य-वार प्रगति क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के उन नगरों के नाम क्या हैं जहां त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना कार्यान्वित की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना का कार्य इन नगरों में धीमी गति से चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की राज्यवार प्रगति से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं। एयूडब्ल्यूएसपी योजना को छोटे एवं मझोले कस्बों के शहरी अवस्थापना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी) में मिला दिया गया है। 2005 तक अनुमोदित योजनाओं की निर्माण अवधि 2 से 3 वर्ष है तथा इन योजनाओं के मार्च, 2008 तक पूरी होने की आशा है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश में एयूडब्ल्यूएसपी के संबंध में स्वीकृत परियोजनाओं, परियोजना लागत, केन्द्रीय अंश, केन्द्र व राज्य द्वारा दी गई धनराशि, किए गए व्यय के विवरण तथा कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। मध्य प्रदेश के संबंध में स्वीकृत 147 कस्बों में से 75 योजनाएं पूरी करके चालू कर दी गई हैं तथा शेष 72 योजनाएं निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। राज्य सरकार को सभी परियोजनाएं दिनांक 31.3.2008 तक पूरी करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इस अवधि के बाद भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

विवरण I

शहरी विकास मंत्रालय
केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
पूरी की गई/चालू/आंशिक रूप से चालू योजनाओं की स्थिति

(31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत योजनाएं	पूरी/चालू/अंशत: चालू योजनाओं की कुल संख्या	निर्माणाधीन योजनाएं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	35	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	2
3.	असम	21	5	16
4.	बिहार	33	8	25
5.	छत्तीसगढ़	42	42	0
6.	गोवा	4	4	0
7.	गुजरात	70	64	6
8.	हरियाणा	38	31	7
9.	हिमाचल प्रदेश	16	14	2

1	2	3	4	5
10.	जम्मू-कश्मीर	15	5	10
11.	झारखंड	16	6	10
12.	कर्नाटक	45	35	10
13.	केरल	13	1	12
14.	मध्य प्रदेश	147	75	72
15.	महाराष्ट्र	37	21	16
16.	मणिपुर	26	18	8
17.	मेघालय	2	1	1
18.	मिजोरम	8	8	0
19.	नागालैंड	2	2	0
20.	उड़ीसा*	35	26	8
21.	पंजाब	16	9	7
22.	राजस्थान	72	53	19
23.	सिक्किम	2	2	0
24.	तमिलनाडु	93	92	1
25.	त्रिपुरा	12	6	6
26.	उत्तर प्रदेश	390	284	106
27.	उत्तरांचल	22	22	0
28.	पश्चिम बंगाल	22	10	12
	कुल	1244	880	363

*1 योजना मानत: गोपालपुर कार्यान्वित नहीं की जाएगी।

विवरण II

मध्य प्रदेश : एयूडब्ल्यूएसपी
स्वीकृत परियोजनाएं

(31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)
(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991)	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत	प्रति व्यक्ति लागत (रु. में)	केन्द्रीय अंश	दी गई धनराशि		मार्च, 2007 तक किया गया व्यय
								भारत सरकार द्वारा	राज्य द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भाबरा*	झबुआ	6200	जनवरी, 95	43.00	693.55	21.50			42.91
2.	बामनीया*	झबुआ	4478	जनवरी, 95	34.00	759.27	17.00			33.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	बादनवार*	धर	15137	जनवरी, 95	56.00	369.95	28.00	3116.61	8289.98	76.31
4.	धरमपुरी*	धर	11100	जनवरी, 95	51.00	459.46	25.50	(संचयी	(संचयी)	61.75
5.	धाम्नोद*	धर	18837	जनवरी, 95	163.00	865.32	81.50	तक जारी		220.68
6.	पानसेमल*	खरगोने	8249	जनवरी, 95	49.00	594.01	24.50	2000-2001)		48.80
7.	गौतमपुरा	इंदौर	10104	जनवरी, 95	56.50	559.18	28.25	590.44		57.31
8.	सांवेर*	इंदौर	10574	जनवरी, 95	49.50	468.13	24.75	(2001-2002)		64.24
9.	कन्नौद*	देवास	8125	जनवरी, 95	45.60	561.23	22.80	1236.46		60.74
10.	होशिपलिय*	देवास	12971	जनवरी, 95	86.00	663.02	43.00	(2002-2003)		86.38
11.	कतफोद*	देवास	7295	जनवरी, 95	39.50	541.47	19.75	1509.09		56.74
12.	सोहागपुर*	होशंगाबाद	18613	फरवरी, 95	62.60	336.32	31.30	(2003-2004)		66.38
13.	बबई*	होशंगाबाद	10979	फरवरी, 95	42.00	382.55	21.00	822.68		43.43
14.	खिड़किया*	होशंगाबाद	14946	फरवरी, 95	63.60	425.53	31.80	(2004-2005)		66.70
15.	तिमनि*	होशंगाबाद	14156	फरवरी, 95	42.00	296.69	21.00	0.00		28.55
16.	सुलतानपुर*	रैसेन	7041	जनवरी, 95	45.00	639.11	22.50	(2005-2006)		47.23
17.	उदयपुर*	रैसेन	10076	फरवरी, 95	54.00	535.93	27.00	150.31		64.71
18.	सितामऊ	मंडसौर	11446	जनवरी, 95	62.00	541.67	31.00	(2006-2007)		30.80
19.	राघोगढ़*	गुना	17859	फरवरी, 95	89.55	501.43	44.78	149.79		203.63
20.	खनिअंधन*	शिवपुरि	9780	जनवरी, 95	34.70	354.81	17.35	(2007-2008)		74.20
21.	बड़ौदा*	शेओपुर	12617	जनवरी, 95	21.55	170.80	10.78			34.02
22.	बमोरे*	मुरैना	19216	जनवरी, 95	49.90	259.68	24.95			74.85
23.	विजयपुर*	मुरैना	10680	जनवरी, 95	60.00	561.80	30.00			69.00
24.	बुधनी*	सेहोरे	13352	जनवरी, 96	46.80	350.51	23.40			51.42
25.	लतेरी*	विदिशा	8013	जनवरी, 96	65.00	811.18	32.50			59.59
26.	बर्घत*	सेवनी	8514	जनवरी, 96	44.70	525.02	22.35			48.31
27.	मुंदि*	खंडवह	8858	जनवरी, 96	58.80	663.81	29.40			53.67
28.	भीकनगांव	खरगोने	12888	जनवरी, 96	148.00	1148.36	74.00			172.04
29.	पछोरे	राजगढ़	14206	मार्च, 96	211.00	1485.29	105.50			178.36
30.	जोबत*	झबुआ	8290	मार्च, 96	57.00	687.58	28.50			57.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	बांदा	सागर	19805	मार्च, 96	123.20	622.07	61.60			183.39
32.	अमर्वर*	छिंदवाड़ा	9208	मार्च, 96	119.90	1302.13	59.95			140.64
33.	चोटरै*	छिंदवाड़ा	9208	मार्च, 96	140.50	1525.85	70.25			208.28
34.	भैंसदेही	बेतुल	14000	मार्च, 96	195.80	1398.57	97.90			193.11
35.	तिरोदि*	बालाघाट	8738	मार्च, 96	68.70	786.22	34.35			86.00
36.	हराय*	छिंदवाड़ा	7525	मार्च, 96	74.90	995.35	37.45			79.46
37.	निवाड़ी*	टीकमगढ़	15704	मार्च, 96	47.00	299.29	23.50			52.99
38.	नल्खेद	देवास	10879	मार्च, 96	125.80	1156.36	62.90			175.33
39.	मोहगांव*	छिंदवाड़ा	8495	मार्च, 96	48.60	572.10	24.30			46.24
40.	कतंगी	जबलपुर	15125	मार्च, 96	98.90	653.88	49.45			135.67
41.	शहपुर*	जबलपुर	9551	मार्च, 96	48.50	507.80	24.25			56.41
42.	मंज्ञोलि	जबलपुर	13077	मार्च, 96	77.00	588.82	38.50			122.44
43.	लखनदोन*	सेवनी	16410	मार्च, 96	69.10	421.08	34.55			108.95
44.	कसरावद*	खरगोने	13608	जुलाई, 97	133.40	980.31	66.70			157.73
45.	लोधिखेद	छिंदवाड़ा	7633	नवम्बर, 97	32.00	419.23	16.00			46.47
46.	सौंसर	छिंदवाड़ा	18803	नवम्बर, 97	117.19	623.25	58.60			81.33
47.	शहपुर*	खांडवा	15211	दिसम्बर, 98	70.61	464.20	35.31			70.59
48.	सैलाना*	रतलाम	11095	दिसम्बर, 98	43.95	396.12	21.98			43.93
49.	बेतम*	इंदौर	9587	फरवरी, 99	47.52	495.67	23.76			52.17
50.	सुथलिआ*	राजगढ़	6032	फरवरी, 99	85.53	1417.94	42.77			84.17
51.	चंदेरी	गुना	19383	मार्च, 99	214.84	1108.39	107.42			268.99
52.	देवेंद्र नगर	पन्ना	11092	मार्च, 99	61.51	554.54	30.76			58.82
53.	खातेगांव*	देवास	15667	अप्रैल, 99	322.51	2058.53	161.26			463.84
54.	कुक्षी*	धर	19838	अप्रैल, 99	184.91	932.10	92.46			184.97
55.	चक्मत*	रेवा	6576	अप्रैल, 99	52.43	797.29	26.22			53.30
56.	गोविंदगढ़*	रेवा	8435	अप्रैल, 99	58.96	698.99	29.48			58.12
57.	कन्नोड़	देवास	13352	मई, 99	151.43	1134.14	75.72			184.92
58.	प्रिथ्विपुर*	टीकमगढ़	17020	मई, 99	76.20	447.71	38.10			99.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	अंजद*	खरगोने	19423	मई, 99	179.30	923.13	89.65			182.60
60.	पथरिया	दमोह	14311	जून, 99	113.14	790.58	56.57			121.05
61.	विजयराघौगढ़	कटनी	5891	फरवरी, 2000	27.35	464.27	13.68			27.46
62.	बरही*	कटनी	8192	फरवरी, 2000	59.30	723.88	29.65			56.02
63.	बैकुंठपुर*	रेवा	7265	फरवरी, 2000	80.94	1114.11	40.47			80.94
64.	सेओंद	दतिया	15373	फरवरी, 2000	46.84	304.69	23.42			39.05
65.	कोतर	सतना	9814	फरवरी, 2000	41.17	419.50	20.59			38.90
66.	मंगवन*	रेवा	9307	फरवरी, 2000	108.40	1164.71	54.20			108.40
67.	नसरूल्लागंज*	सेहोरे	14688	फरवरी, 2000	91.06	619.96	45.53			72.66
68.	बदोद*	शाजापुर	9130	फरवरी, 2000	96.58	1057.83	48.29			51.42
69.	तरिचर्कलन	टीकमगढ़	5202	फरवरी, 2000	35.73	686.85	17.87			39.93
70.	इसागढ़*	गुना	12103	फरवरी, 2000	71.62	591.75	35.81			89.00
71.	रेहित*	सेहोरे	7492	फरवरी, 2000	64.11	855.71	32.06			42.70
72.	तलेन	राजगढ़	7378	फरवरी, 2000	151.46	2052.86	75.73			108.65
73.	बोद*	राजगढ़	6655	फरवरी, 2000	65.14	978.81	32.57			59.59
74.	सोयेत्कलन*	शाजापुर	10610	फरवरी, 2000	83.98	791.52	41.99			82.78
75.	बदगांव*	टीकमगढ़	7106	जनवरी, 2001	54.75	770.48	27.38			54.02
76.	जेरोन खल्स*	टीकमगढ़	6279	जनवरी, 2001	70.75	1126.77	35.38			67.32
77.	बैहर	बालाघाट	13442	जनवरी, 2001	200.30	1490.11	100.15			110.15
78.	कोथि	सतना	11188	जनवरी, 2001	44.20	395.07	22.10			49.91
79.	खुज्मेर	राजगढ़	7672	जनवरी, 2001	222.75	2903.42	111.38			66.78
80.	जीरपुर*	राजगढ़	12311	जनवरी, 2001	114.15	927.22	57.08			127.38
81.	राहतगढ़	सागर	19955	जनवरी, 2001	185.20	928.09	92.60			120.36
82.	मुंगावली	गुना	18047	जनवरी, 2001	263.55	1460.35	131.78			359.18
83.	कुरवई	विदिशा	10536	जनवरी, 2001	124.85	1185.10	62.43			62.61
84.	बेरसिया	भोपाल	17890	जनवरी, 2001	50.54	282.50	25.27			42.17
85.	पंधन	खंडवा	9430	जनवरी, 2001	65.75	697.24	32.88			52.77
86.	बागली*	देवास	8537	सितम्बर, 2002	51.00	597.40	25.50			57.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	भौरस*	देवास	9576	सितम्बर, 2002	66.11	690.37	33.06			57.88
88.	स्वर्गपुर*	टीकमगढ़	9843	अक्टूबर, 2002	84.90	862.54	42.45			89.48
89.	लोहर्द*	देवास	6713	अक्टूबर, 2002	64.53	961.27	32.27			64.46
90.	ठेहेल	उज्जैन	9890	नवम्बर, 2002	418.54	4231.95	209.27			167.93
91.	बदवाडा*	रतलाम	5917	नवम्बर, 2002	67.30	1137.40	33.65			64.73
92.	पिप्लोद*	रतलाम	6258	नवम्बर, 2002	57.88	924.90	28.94			61.21
93.	मानपुर	इंदौर	6983	नवम्बर, 2002	160.41	2297.15	80.21			146.74
94.	तालुका*	रतलाम	10331	नवम्बर, 2002	67.06	649.11	33.53			61.49
95.	बदगांव*	शाजापुर	5636	दिसम्बर, 2002	70.38	1248.76	35.19			44.09
96.	कनद	शाजापुर	6442	दिसम्बर, 2002	68.58	1064.58	34.29			53.89
97.	राजपुर	बडवानी	14396	दिसम्बर, 2002	408.78	2839.54	204.39			348.78
98.	मनसा*	नीमच	19036	दिसम्बर, 2002	413.76	2173.57	206.88			450.96
99.	सिंगोलि*	नीमच	6602	दिसम्बर, 2002	37.01	560.59	18.51			38.83
100.	जीरन	नीमच	9321	दिसम्बर, 2002	56.79	609.27	28.40			49.31
101.	रतनगढ़*	नीमच	5811	दिसम्बर, 2002	51.58	887.63	25.79			49.61
102.	पोलय्कलन*	शाजापुर	8861	दिसम्बर, 2002	71.20	803.52	35.60			67.38
103.	सत्वस*	देवास	8219	जनवरी, 2003	64.00	778.68	32.00			64.55
104.	खांडे	शहदोल	8225	जनवरी, 2003	57.57	699.94	28.79			45.01
105.	मक्सि	शाजापुर	14430	जनवरी, 2003	325.20	2253.64	162.60			310.93
106.	अकोडीया	शाजापुर	8347	जनवरी, 2003	96.00	1150.11	48.00			63.16
107.	लहर	भिंड	18650	जनवरी, 2003	161.84	867.77	80.92			153.43
108.	आलमपुर	भिंड	7728	जनवरी, 2003	83.24	1077.12	41.62			51.63
109.	राजगढ़	राजगढ़	18689	जनवरी, 2003	190.17	1017.55	95.09			133.64
110.	पिप्ल्य मंडी	मंडसौर	10483	जनवरी, 2003	165.61	1579.80	82.81			165.61
111.	रामपुरा	नीमच	15848	जनवरी, 2003	110.50	697.25	55.25			112.01
112.	पेतलावद*	झाबुआ	10631	जनवरी, 2003	17.44	164.05	8.72			11.16
113.	नरयंगर्ह	मंडसौर	9620	जनवरी, 2003	277.84	2887.55	138.92			81.93
114.	दीकन	नीमच	6030	जनवरी, 2003	135.20	2242.12	67.60			100.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	जवार	सेहोरे	5669	जनवरी, 2003	57.60	1016.05	28.80			51.97
116.	मल्हारगढ़*	मंडसौर	7349	फरवरी, 2003	61.00	830.04	30.50			60.94
117.	करेड़ा	शिवपुरि	17413	मार्च, 2003	267.63	1536.96	133.82			234.27
118.	नम्लि*	रतलाम	6697	मार्च, 2003	103.85	1550.69	51.93			122.26
119.	बुक्सवाहा	चत्तरपुर	7447	मार्च, 2003	109.40	1469.05	54.70			87.01
120.	पिछोरे	ग्वालियर	9595	मार्च, 2003	67.07	699.01	33.54			32.34
121.	बिलौअ	ग्वालियर	10288	मार्च, 2003	69.30	673.60	34.65			29.63
122.	मठ	भिंड	13747	मार्च, 2003	108.40	788.54	54.20			54.06
123.	मेहगांव	भिंड	11417	मार्च, 2003	110.76	970.13	55.38			61.25
124.	अंतरि	ग्वालियर	8840	मार्च, 2003	57.66	652.26	28.83			43.73
125.	सतै	चत्तरपुर	6606	मार्च, 2003	62.91	952.32	31.46			52.51
126.	गदि मल्हेर	चत्तरपुर	13598	अगस्त, 2003	247.19	1817.84	123.60			228.62
127.	अलोते	रतलाम	17638	अगस्त, 2003	418.97	2375.38	209.49			13.97
128.	बद मल्हेर	चत्तरपुर	11145	दिसम्बर, 2003	231.43	2076.54	115.72			131.11
129.	अजयार्ह	पन्ना	12273	जनवरी, 2005	207.10	1687.44	103.55			0.00
130.	ककर्हति	पन्ना	5909	जनवरी, 2005	107.85	1825.18	53.93			5.47
131.	बम्हनि बंजर	मंडला	8042	जनवरी, 2005	38.84	482.96	19.42			34.71
132.	पवई	पन्ना	9475	जनवरी, 2005	210.00	2216.36	105.00			10.50
133.	बरेल	जबलपुर	8952	जनवरी, 2005	187.83	2098.19	93.92			101.21
134.	मचत्पुर	राजगढ़	6297	जनवरी, 2005	165.97	2635.70	82.99			92.67
135.	अमर्कंतक	शहदोल	5356	जनवरी, 2005	115.92	2164.30	57.96			67.24
136.	नैगर्हि	रेवा	7252	जनवरी, 2005	117.50	1620.24	58.75			16.19
137.	गुर्ह	रेवा	10781	जनवरी, 2005	92.85	861.24	48.43			12.30
138.	शाहपुर	सागर	10107	फरवरी, 2005	62.32	616.60	31.16			0.00
139.	शह्गर्ह	सागर	16113	फरवरी, 2005	323.00	2004.59	161.50			7.22
140.	ओबेदुल्लगंज	रैसेन	15498	फरवरी, 2005	164.30	1060.14	82.15			103.14
141.	नेक्लोन चिखली	छिंदवाड़ा	10850	फरवरी, 2005	61.42	566.08	30.71			51.07
142.	इच्छवार	सेहोरे	10362	फरवरी, 2005	59.03	569.68	29.52			23.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	चंदमेत	छिंदवाड़ा	16652	फरवरी, 2005	107.35	644.67	53.68			11.22
144.	सोकंछ	देवास	12837	मार्च, 2005	110.88	863.75	55.44			19.00
145.	बुर्हर	शहडोल	16525	मार्च, 2005	119.89	725.51	59.95			34.30
146.	जयसिंग नगर	शहडोल	6845	मार्च, 2005	68.16	995.76	34.08			32.42
147.	खिलचीपुर	राजगढ़	12675	मार्च, 2005	146.06	1152.35	73.03			70.25
	कुल		1629651		15874.96		7937.48	7575.38	8289.98	13108.91

*स्कीम शुरू–विशेष टिप्पणी: वर्ष 2000-2001 तक अविभाजित महाराष्ट्र को 3625.96 लाख रुपए की धनराशि जारी की गयी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विस्तार क्रमशः 3116.61 लाख रुपए और 509.35 लाख रु. और बनता है।

विनिवेश को रोकना

4559. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न श्रम संगठनों से अनुसंधान तथा विकास कार्यों में विनिवेश की प्रक्रिया को रोकने तथा रोजगार के अवसर जुटाने के उद्देश्य से धनराशि निवेश संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंशदायी चिकित्सा सहायता निधि योजना

4560. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्सन्द विद डिसेबिलिटीज (इक्वल अपोर्चुनिटी प्रोटेक्शन आफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 के आलोक में अपने कार्यरत कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए अंशदायी चिकित्सीय सहायता निधि योजना में किसी संशोधन का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पेंशनभोगियों के वे आश्रित जो स्थायी रूप से नि:शक्त तथा विकलांग हैं उपर्युक्त योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अंशदायी चिकित्सीय सहायता निधि योजना (एमएएफ) में किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एमएएफ योजना का उद्देश्य, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वयं और अपने पति या पत्नी के लिए किसी गंभीर अथवा बड़ी शल्य-चिकित्सा या बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर किए गए व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करना है, एमएएफ योजना में आश्रितों को शामिल नहीं किया गया है।

कनाट प्लेस का सौन्दर्यीकरण

4561. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली महानगर परिषद के पास आगामी राष्ट्रमंडल खेल के मद्देनजर कनाट प्लेस तथा ल्युटियन्स जोन के अंतर्गत आने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के सौन्दर्यीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौन्दर्यीकरण का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा तथा इसको पूरा किए जाने की संभावित समय-सीमा क्या होगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एन.डी.एम.सी. द्वारा किए जा रहे कनाट प्लेस के पुनर्विकास का ब्यौरा इस प्रकार है:-

* अग्रभाग का पुनरुद्धार
* यातायात परिचालन
* पार्किंग
* सब-वे
* इंजीनियरी सेवाएं बढ़ाने/उन्नयन
* भू-दृश्यांकन
* संकेतक

तिब्बत मार्केट और जनपथ सड़क बर्मा मार्किट का कार्य पूरा हो गया है। युसूफ जिया बाजार, पालिका बाजार और जनपथ मिनी मार्किट का कार्य निकट भविष्य में शुरू किए जाने की संभावना है। एन.डी.एम.सी. ने यह भी सूचित किया है कि जुलाई, 2010 तक कार्य पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पुलों के निर्माण हेतु लंबित प्रस्ताव

4562. श्री राकेश सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान तथा आज तक राज्य-वार केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले पुलों के निर्माण के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 मीटर से अधिक लंबाई के पुल बनाने के 250 प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मंजूरी/स्वीकृति के लिए लंबित हैं जिनमें से 20 प्रस्ताव बिहार राज्य और 230 प्रस्ताव असम राज्य के हैं। 17.4.2008 को आयोजित बैठक में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है। इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम में मजदूर संघ

4563. श्री वसंतराव मोरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा के मजदूर संघों को मान्यता दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुपोषण

4564. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कुपोषण से पीड़ित बच्चों की राज्य-वार संख्या क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) मई, 2006 में प्रकाशित "बच्चों की प्रगति" नामक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में रह रहे पांच वर्ष से कम आयु के 146 मिलियन अल्पवजनी बच्चों में से 57 मिलियन बच्चे भारत में रह रहे हैं।

(ख) कुपोषण एक बहुमुखी समस्या है, जिसके समाधान के लिए खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण तथा गरीबी उपशमन के क्षेत्र में कार्रवाई अपेक्षित है।

भारत सरकार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम क्रियान्वित कर रही है, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषणीय एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना;
- बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना;
- मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने के मामलों की संख्या में कमी लाना;
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के मामले में कारगर समन्वय स्थापित करना; और
- बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमताओं को बढ़ाना।

स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

(1) पूरक पोषण,

(2) प्रतिरक्षण,

(3) स्वास्थ्य जांच,

(4) रैफरल सेवाएं,

(5) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, तथा

(6) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सेवा प्रदायगी को और अधिक कारगर बनाने के लिए हाल ही में किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

* दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में स्कीम का दो बार विस्तार किया गया।
* सरकार ने पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को दोगुना करके 1/- रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 2/- रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कर दिया है।
* पूरक पोषण की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाने वाली लागत में वर्ष 2005-06 से 50 प्रतिशत की भागीदारी।
* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर निरंतर जोर दिया जाता रहा है कि वे:
  - स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें।
  - विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षित पेयजल सेवाओं का कारगर संकेंद्रण सुनिश्चित करें।
  - पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करें।

(ग) पांच वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पांच वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पांच वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत
1	2	3
	भारत	42.5
	उत्तर	
1.	दिल्ली	26.1
2.	हरियाणा	39.6
3.	हिमाचल प्रदेश	36.5
4.	जम्मू-कश्मीर	25.6
5.	पंजाब	24.9
6.	राजस्थान	39.9
7.	उत्तरांचल	38.0
	मध्य	
8.	छत्तीसगढ़	47.1
9.	मध्य प्रदेश	60.0
10.	उत्तर प्रदेश	42.4

1	2	3
	पूर्व	
11.	बिहार	55.9
12.	झारखंड	56.5
13.	उड़ीसा	40.7
14.	पश्चिम बंगाल	38.7
	पूर्वोत्तर	
15.	अरुणाचल प्रदेश	32.5
16.	असम	36.4
17.	मणिपुर	22.1
18.	मेघालय	48.8
19.	मिजोरम	19.9
20.	नागालैंड	25.2
21.	सिक्किम	19.7
22.	त्रिपुरा	39.6
	पश्चिम	
23.	गोवा	25.0
24.	गुजरात	44.6
25.	महाराष्ट्र	37.0
	दक्षिण	
26.	आंध्र प्रदेश	32.5
27.	कर्नाटक	37.6
28.	केरल	22.9
29.	तमिलनाडु	29.8

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-3)

आवास मानकों में सुधार

4565. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आवास मानकों में सुधार लाने तथा नए आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) मकानों के मानकों को बेहतर बनाने तथा मकानों का पर्याप्त स्टाक सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आवास तथा पर्यावास नीति, 2007 जिसे संसद के दोनों सदनों में 7.12.2007 को पेश किया जा चुका है, में ऊर्जा को बढ़ाने तथा लागत को कम करने हेतु आवास क्षेत्र को आधुनिक बनाने, उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य गरीबों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने एवं भवनों पर भूकंप, बाढ़, तूफान आदि जैसी नैसर्गिक आपदाओं के प्रभाव को रोकने और कम से कम करने के लिए भी प्रौद्योगिकी प्रगति का प्रचार-प्रसार करके प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। विभिन्न राज्य सरकारों तथा नया निर्माण करने वाले अन्य पक्षों के बीच इस नीति का व्यापक परिचालन किया गया है।

[अनुवाद]

कामकाजी महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ

4566. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का कामकाजी महिलाओं के मातृत्व लाभों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में सरकार द्वारा कितना समय लिया जाएगा?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) संसद द्वारा प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि (1) यदि नियोक्ता द्वारा प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोपरांत देखभाल की व्यवस्था नि:शुल्क नहीं की जाती है, तो चिकित्सा बोनस को 250/- रुपये से बढ़ाकर 1,000/- रुपये कर दिया जाए; तथा (2) केन्द्र सरकार को चिकित्सा बोनस को तीन वर्ष से पहले बढ़ाकर अधिकतम 20,000/- रुपये तक करने के अधिकार दिए जाएं। विधेयक को 1 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 15) को 2 अप्रैल, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

बंगलौर शहर में परिवहन अवसंरचना प्रणाली

4567. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास बंगलौर शहर के लिए व्यापक यातायात और परिवहन योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य को सहायता देने पर सहमत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता अलग-अलग प्रस्ताव हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर निश्चित की जाती है न कि अकेले यातायात एवं परिवहन योजना पर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

झुग्गी बस्तियों में बाल यौन घटनाएं

4568. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में बाल यौन घटनाएं झुग्गियों में नहीं रहने वाले बच्चों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार भविष्य में स्थिति सुधारने के लिए इस मामले को गंभीरता से ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक से प्राप्त सूचना के अनुसार, 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित मलिन बस्तियों की तुलना में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात अधिक है। देश में बालिकाओं के अनुपात के कम होने के बताये गये सामान्य कारणों में बेटों को वरीयता, बेटियों की उपेक्षा तथा इनके परिणामस्वरूप अल्पायु में बालिकाओं की मृत्यु दर का अधिक होना तथा मादा भ्रूण हत्या का कारण बनने वाली लिंग निर्धारण परीक्षण की सुविधाओं का सुलभ होना शामिल है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गर्भाधान-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ-साथ सूचना, शिक्षा एवं संचार की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से इस विषय में जागरूकता उत्पन्न कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने धन लक्ष्मी स्कीम शुरू की है। बालिका हेतु बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी हस्तांतरण की इस स्कीम में यह प्रावधान है कि बालिका के जन्म के पंजीकरण, उसके प्रतिरक्षण, स्कूली शिक्षा जारी रखने तथा 18 वर्ष की आयु होने के बाद ही उसका विवाह करने की चार महत्वपूर्ण शर्तें पूरी किए जाने पर बालिका के परिवार को नकद राशि प्रदान की जाए। मंत्रालय इस विषय में जागरूकता एवं संचेतना कार्यक्रम भी चला रहा है।

झुग्गीवासियों के लिए फ्लैट

4569. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार झुग्गीवासियों के पुनर्वास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत फ्लैट आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कितने शहरों में यह योजना शुरू होने जा रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) दिसंबर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत स्लम वासियों/शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दिशानिर्देशों में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था पर विचार किया गया है।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत देश के 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए परियोजनाएं शुरू करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है। अन्य शहरों/कस्बों को एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ

4570. श्री ए. साई प्रताप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): वर्ष 2007-08 के लिए (दिसम्बर 2007 की समाप्ति पर) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ परिचालित करने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिसम्बर 2007 की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालनात्मक लाभ

बैंक समूह	बैंक का नाम	दिसम्बर 2007 प्रावधानों और करों के पूर्व प्राप्तियों (करोड़ रुपए में)
1	2	3
राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	1109.55
	आंध्रा बैंक	743.83
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1853.62
	बैंक ऑफ इंडिया	2110.23
	बैंक आफ महाराष्ट्र	488.27
	केनरा बैंक	1995.13
	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	791.58
	कार्पोरेशन बैंक	847.64
	देना बैंक	467.99
	आईडीबीआई लि.	1028.12
	इंडियन बैंक	1101.32
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1267.89
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	894.07
	पंजाब एंड सिंध बैंक	356.29
	पंजाब नैशनल बैंक	2257.60
	सिंडिकेट बैंक	1002.27
	यूको बैंक	572.00
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1689.66
	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	393.49
	विजया बैंक	474.46

1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक समूह	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	408.66
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	638.84
	भारतीय स्टेट बैंक	8052.72
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	303.46
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	398.98
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	490.50
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	102.44
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	454.20
	कुल	32294.81

परिचालनात्मक लाभ प्रावधानों और करों के पूर्व प्राप्तियों से दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

स्व-सहायता समूह को ऋण

4571. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान स्व-सहायता समूहों को कुल कितनी राशि बैंक ऋण के रूप में दी गई है;

(ख) बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण में से स्व-सहायता समूहों को दी गई ऐसी ऋण राशि का प्रतिशत कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों की बैंक ऋण बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम के तहत बैंकों द्वारा संवितरित ऋण निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	स्व-सहायता समूहों को संवितरित ऋण	कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता	कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता की तुलना में संवितरित ऋणों का प्रतिशत
2004-05	2994.25	1,25,309	2.39%
2005-06	4499.08	1,80,486	2.49%
2006-07	6570.39	2,29,400	2.86%

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश में स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक वातावरण बनाने में सहायक रहे हैं। इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

* स्व-सहायता समूहों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना।
* स्व-सहायता समूहों को उधार देना बैंक का सामान्य उधार क्रियाकलाप माना जाएगा।
* बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करके को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करना माना जाता है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने स्व-सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए मार्जिन एवं प्रतिभूति मानदंडों में छूट दे दी है।

* बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों के लिए सरलीकृत ऋण प्रलेखीकरण अपनाना।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड, कार्यक्रम के विभिन्न पणधारकों को प्रशिक्षण सहायता देता रहा है और साथ ही विभिन्न स्व-सहायता प्रवर्तन संस्थाओं (एसएचपीआई) को स्व-सहायता समूहों के प्रवर्तन एवं ऋण संयोजन हेतु सहायता भी देता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

4572. श्री परसुराम माझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में किसान और उद्यमी प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न कार्य समूहों ने विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता हेतु उपाय सुझाए हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि ऋण की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए वित्तीय एवं आजीविका संबंधी परामर्श महत्वपूर्ण है और यह कि बैंकों को ऋण एवं तकनीकी परामर्श हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परामर्श केन्द्र खोलने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार संस्थाएं (आरयूडीएसईटीआई) बनाई हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने ग्रामीण लोगों के लिए समय पर एवं वहनीय ऋण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं ऋण परामर्श केन्द्र भी खोले हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा को ऋण

4573. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण में से उड़ीसा को दिए गए ऋण का प्रतिशत कितना है;

(ख) उड़ीसा में दिए गए कुल ऋण में से कृषि और व्यावसायिक क्षेत्र को कितना प्रतिशत ऋण दिया गया; और

(ग) राज्य में कृषि क्षेत्र को और ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) उड़ीसा सरकार को 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत ऋण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

(ख) भारत सरकार कृषि क्षेत्र में केवल एक स्कीम "क्राप हसबेंडरी मैक्रो मैनेजमेंट" के कार्यान्वयन के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए 3.50 करोड़ रुपए, वर्ष 2006-07 के लिए 7.10 करोड़ रुपए और वर्ष 2007-08 के लिए 7.47 करोड़ रुपए का ऋण था।

(ग) उड़ीसा सहित सभी राज्यों में कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा और ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

भारत सरकार ने उड़ीसा सहित सभी राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए समयोचित और वहनीय क्रेडिट उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी निजी निधियों पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से ब्याज आर्थिक सहायता तथा निचले स्तर पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2006-07 से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्तपोषण उपलब्ध कराती है।

* भारत सरकार ने 2007-08 के दौरान सभी बैंकों द्वारा कृषि संबंधी क्रेडिट प्रवाह के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है।

* पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में 50 लाख नए किसानों का वित्तपोषण सफलतापूर्वक किया गया है।

* बैंकों ने कृषि ऋणों के लिए प्रलेखन प्रक्रिया को सरल किया है।

* 50,000/- रुपए तक के ऋणों को आनुषंगिक बनाया गया है और मार्जिन शुल्क तथा "बेबाकी प्रमाण-पत्र" की जरूरत समाप्त कर दी गयी है।

* बैंकों को सभी हकदार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।

* बैंकों को परिवारों को क्रेडिट कार्ड दिलाने, सीमित ओवर-ड्राफ्ट सुविधाओं के साथ "नो फ्रिल्स" खाते खोलने जैसे प्रावधानों के जरिए अपना एक वित्तीय जनाधार हासिल करने और फार्मर्स क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), डाकघरों जैसी सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए एक कारोबार-सहयोगी/कारोबार अनुरूपी माडल के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपना वित्तीय अभिगम बढ़ाने की हिदायत दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित व्यास समिति की कई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए बैंकों को भेज दी गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ- (1) 50,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए और कृषि-नैदानिक एवं कृषि व्यापार के मामलों में 5 लाख रुपए की मार्जिन/सुरक्षा मानकों की छूट; (2) प्रक्रियाओं का सरलीकरण; (3) स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह प्रयास के माध्यम से मौखिक पट्टेदारों और भूमिहीन कृषि मजदूरों का वित्तपोषण करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए नेगोशिएटिंग फोरम

4574. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए "नेगोशिएटिंग फोरम" के गठन का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कौन-कौन सदस्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए "समझौता वार्ता मंच" गठित करने का ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वृहद शहरों का मानदण्ड

4575. श्री महावीर भगोरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृहद शहर कार्यक्रम (मेगा सिटी प्रोग्राम) के अंतर्गत शहरों को शामिल करने के संबंध में मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्य-वार किन शहरों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नए शहरों को शामिल करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) वर्ष 1993-94 में शुरू की गई मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख की आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया था। स्कीम के अंतर्गत शामिल पांच मेगा शहर मुंबई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चैन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और बंगलौर (कर्नाटक) थे। दिसम्बर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में इस स्कीम को सम्मिलित कर लिया गया है तथा दिनांक 1.4.2007 से इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 से स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत 628 परियोजनाओं में से, 533 परियोजनाएं निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार पूरी हो गई हैं:-

मेगा शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
मुंबई	65	50
चेन्नई	197	194
कोलकाता	125	99
हैदराबाद	186	139
बंगलौर	55	51
कुल	628	533

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है, क्योंकि इस स्कीम को जेएनएनयूआरएम में सम्मिलित कर लिया गया है। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नवत् केन्द्रीय अंश जारी किया गया था:-

(करोड़ रु. में)

शहर/राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
मुंबई (महाराष्ट्र)	57.48788	91.51	0.00
कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	15.69750	0.00	0.00
चेन्नई (तमिलनाडु)	42.03566	73.58	0.00
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	46.27246	79.81	0.00
बंगलौर (कर्नाटक)	13.00650	0.00	0.00

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव तथा हमला

4576. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव तथा हमलों को रोकने के लिए किसी कानून को अधिनियमित करने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यस्थल पर इस बुराई को रोकने के लिए कौन से वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित विधेयक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारणार्थ विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है। इसमें पीड़ित महिलाओं की शिकायतों की जांच करने तथा प्रतिवादी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति तथा एक स्थानीय शिकायत समिति की स्थापना करने के प्रावधान विहित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नोटरी नियमों में संशोधन

4577. श्री सुनील खां: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नोटरी नियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्पश्चात् राज्य-वार नियुक्त नोटरियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में नोटरियों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां, नोटरी नियम, 1956 का अभी हाल ही में अधिसूचना सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23.01.2008 द्वारा संशोधन किया गया है।

(ख) 23.01.2008 के पश्चात् नियुक्त किए गए नोटरियों की राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
आंध्र प्रदेश	29
अरुणाचल प्रदेश	–
असम	–
बिहार	–
चंडीगढ़	04
छत्तीसगढ़	–
दिल्ली	05
दादरा और नगर हवेली	–
दमन और दीव	–
गोवा	–
गुजरात	57
हिमाचल प्रदेश	–
हरियाणा	36
झारखंड	–
जम्मू-कश्मीर	–
केरल	66
कर्नाटक	30
लक्षद्वीप	–
मेघालय	–
महाराष्ट्र	109
मणिपुर	–
मिजोरम	–
मध्य प्रदेश	03
नागालैंड	–
उड़ीसा	–
पंजाब	34
पांडिचेरी	–
राजस्थान	21
सिक्किम	–
तमिलनाडु	37
त्रिपुरा	–
उत्तर प्रदेश	60
उत्तरांचल	01
पश्चिम बंगाल	02

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

4578. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी की घोषणा के बाद कुछ निजी बैंक किसानों को ऋण देने के लिए आगे आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बजट 2008-09 में, किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा के बाद किसानों को ऋण देने के लिए गैर-सरकारी बैंकों के आगे आने की कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है। वर्ष 2005-06 हेतु विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति
2004-05	–	16224.64
2005-06	24222.39	31199.22
2006-07	40656.03	44092.93
2007-08 (फरवरी 2008 तक)	41426.99	26605.83*

*अनन्तिम आंकड़े, जो बढ़ने वाले हैं।

नाप्था का आयात

4579. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाप्था की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाप्था आधारित इकाइयों में विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नाप्था आधारित इकाइयों के सामने आ रहे वर्तमान संकट से निपटने के लिए नाप्था को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। नाप्था का मूल्य, मार्च, 2007 में 34,898 रुपये प्रति मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर मार्च, 2008 में 46,148/एमटी हो गया है।

(ख) और (ग) जी हां। नाप्था के मूल्य में वृद्धि से नाप्था आधारित विद्युत संयंत्रों में उत्पादन लागत के परिवर्तनीय लागत घटक में वृद्धि हुई हैं। एनटीपीसी लि. के राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन में ऊर्जा बिक्री की औसत लागत का परिवर्तनीय घटक वर्ष 2006-07 में 5.96/कि.वा. घं. से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 7.37/कि.वा. घं. हो गया है।

(घ) जी नहीं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए नाप्था को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया जाये।

(ङ) उक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मीठी नदी परियोजना

4580. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में मीठी नदी परियोजना के चरण-2 से संबंधित मामले को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ निपटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने मीठी नदी और उसके आस-पास के क्षेत्र के विकास तथा संरक्षण के लिए परियोजना प्रस्ताव (चरण-2) प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव की जांच योजना आयोग/वित्त मंत्रालय के परामर्श से की गई थी। योजना आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार महाराष्ट्र सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह बाढ़ नियंत्रक प्रबंधन कार्य नामक एक पृथक स्कीम के अधीन इस परियोजना के प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन हेतु इस प्रस्ताव को जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तथापि, इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या यह प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत स्वीकार्य है।

चल न्यायालय

4581. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रहे सांध्य व चल न्यायालय की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे कुछ और न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर चल न्यायालयों के रूप में ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करने के लिए 15 मई, 2007 को राज्य सभा में एक विधेयक अर्थात्, ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 पुर:स्थापित किया है।

(ग) न्यायालयों के ब्यौरों को राज्य सरकारों के परामर्श से प्रस्तावित विधान के अधिनियमन के पश्चात् तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विज्ञापन

4582. श्री मित्रसेन यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन शीर्ष के अंतर्गत राज्यवार आबंटित और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छोटे समाचार पत्रों को भी विज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2007-08 के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न सर्किल कार्यालयों द्वारा प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिए, विज्ञापन शीर्ष के अंतर्गत, आबंटित राशियों और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वे छोटे समाचार-पत्रों में विज्ञापन देते हैं। ऐसे निर्णय, बैंकों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक 2007-08 के सर्किल कार्यालयों द्वारा प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के लिये विज्ञापन शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों तथा किये गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

सर्किल	राज्य	प्रिंट मीडिया	इलेक्ट्रानिक मीडिया	योग
मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा	140.00	45.00	185.00
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	39.14	15.85	54.99
चेन्नई	तमिलनाडु	127.00	10.00	137.00
नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान	22.66	8.92	31.58
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	50.00	120.00	170.00
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	111.02	30.42	141.44
पटना	बिहार	28.19	9.45	37.64
भोपाल	मध्य प्रदेश	77.87	28.02	105.89
गुवाहाटी	पूर्वोत्तर (सभी राज्य)	40.00	16.00	56.00
भुवनेश्वर	उड़ीसा	65.00	39.00	104.00
चंडीगढ़	जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश (शिमला)	28.14	10.86	39.00
अहमदाबाद	गुजरात	60.00	50.00	110.00
बंगलुरू	कर्नाटक	44.80	–	44.80
तिरुवनंतपुरम	केरल	65.15	45.28	80.43
	योग	898.97	398.80	1297.77

उत्तर प्रदेश से प्राप्त आयकर तथा राज्य पर इससे व्यय

4583. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त आयकर का रिकार्ड है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें से उत्तर प्रदेश के लिए कितना व्यय किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य से कुल निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण 4262.20 करोड़ रुपए है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान संघीय करों और शुल्कों के निवल आगमों से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए व्यय हेतु आवंटन प्रत्यक्ष करों से वर्ष 2006-07 के लिए 11656.16 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

आईसीएआई का क्षेत्रीय कार्यालय

4584. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में किन स्थानों पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) फिलहाल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई (पश्चिमी क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), कानपुर (मध्य क्षेत्र) तथा दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र) में स्थित हैं।

(ख) आईसीएआई के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों या उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना सरकार द्वारा नहीं की जाती है। आईसीएआई अपनी आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करता है। फिलहाल, आईसीएआई का कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा विभिन्न स्थानों पर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(ग) और (घ) फिलहाल, आईसीएआई का हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और जयपुर (राजस्थान) में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हैदराबाद में उत्कृष्टता केन्द्र वर्ष 2008 के अंत तक स्थापित किए जाने की संभावना है, जबकि जयपुर में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने से संबंधित कार्य आरंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

हडको द्वारा ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ऋण

4585. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा ग्रामीण विकास और सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु अनुमोदित ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस राशि से प्रत्येक राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) एक वित्तीय संस्थान के रूप में, प्रस्तावित स्कीमों की वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद ऋण स्वीकृत करता है। हडको ने यह सूचित किया है कि उसने गत तीन वर्षों, अर्थात् 2005-06 से 2007-08 के दौरान 7 स्कीमें स्वीकृत की हैं, जिनकी परियोजना लागत 709.30 करोड़ रु., ऋण राशि 598.32 करोड़ रु. तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जारी ऋण राशि 226.60 करोड़ रु. है। परियोजनाओं के स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। हडको ने यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं रखे गए हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में हडको स्वीकृत स्कीमों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम सं.	स्वीकृति की तारीख	स्कीम का नाम	एजेंसी का नाम	स्कीम का प्रकार	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी ऋण
				2005-06				
आंध्र प्रदेश								
1.	18704	7.7.2005	एपीएसआरआरडीए द्वारा आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण	आंध्र प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एपीएसआरआरडीए)	सड़क/पुल	12800.00	11387.00	11387.00
2.	18890	31.03.2006	आंध्र प्रदेश के 7 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	आंध्र प्रदेश राज्य जल आपूर्ति और सफाई मिशन	जल आपूर्ति	15000.00	12750.00	9577.80
				राज्य योग		27800.00	24137.00	20964.80
				2006-07				
मेघालय								
3.	19065	17.01.2007	मेघालय में सड़कों व पुलों का निर्माण व सुधार	वित्त विभाग, मेघालय सरकार	सड़क/पुल	1542.05	792.02	792.02
				राज्य योग		1542.05	792.02	792.02
नागालैंड								
4.	18979	29.09.2006	कोहिमा में सड़क विकास परियोजना फेस-3	पीडब्ल्यूडी (मैकेनिकल) नागालैंड सरकार	सड़क/पुल	463.07	400.00	400.00
				राज्य योग		463.07	400.00	400.00
				2007-08				
आंध्र प्रदेश								
5.	19429	12.2.2008	पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	आंध्र प्रदेश राज्य जल आपूर्ति और सफाई मिशन	जल आपूर्ति	40000.00	34000.00	0.00
				राज्य योग		40000.00	34000.00	0.00
मेघालय								
6.	19462	18.03.2008	सड़कों व पुलों का निर्माण एवं सुधार	वित्त विभाग, मेघालय सरकार	सड़क/पुल	776.03	203.25	203.25
				राज्य योग		776.03	203.25	203.25

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास कार्यक्रम

4586. श्री विष्णु देव साय: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ की अबुजनमाद, बिरहोर, पहाड़ी, कोरवा, बैगा और कुमार अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए कोई आवास कार्यक्रम चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त राशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (घ) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने संरक्षण-सह-विकास योजना (सीसीडी) के अंतर्गत मात्र आदिम जनजातीय समूहों, नामत: अबुझ मारिया, बैगा, हिल कोरवा एवं कमार के लिए ही गृह निर्माण हेतु सहायता का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को आदिम जनजातीय समूहों के लिए प्राथमिकता वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों हेतु 700.00 लाख रुपए निर्मुक्त किए हैं, जिसमें 269.00 लाख रुपए गृह निर्माण के लिए शामिल हैं। इस मंत्रालय की किसी अन्य योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास मुहैया नहीं कराया जा सकता।

[अनुवाद]

पार्कों में अतिक्रमण

4587. श्री नकुल दास राई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आराम बाग क्षेत्र सहित कई सरकारी कालोनियों में लोगों ने पार्कों में अतिक्रमण कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसके खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमित पार्कों और सरकारी भूमि को खाली कराने हेतु विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति

4588. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के ऐसे कितने एलआईजी हेतु पंजीकृत व्यक्ति हैं जो कब्जा नहीं ले सके थे और पिछले 28 सालों से प्रतीक्षारत व्यक्तियों के पंजीकरण को डीडीए ने उन्हें दूसरा मौका दिए बिना रद्द कर दिया है;

(ख) उनमें से वरिष्ठ नागरिकों, अजा, अजजा और महिला पंजीकृत व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ग) इस समय स्थानवार आवंटन हेतु उपलब्ध रिक्त पड़े एलआईजी फ्लैटों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह बताया है कि एमआईजी, एलआईजी तथा जनता श्रेणियों के फ्लैटों के आबंटन के लिए वर्ष 1979 में न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 आरंभ की गई थी। कुलग 1,71,272 आवेदकों में से 67502 आवेदकों ने स्वयं ही एलआईजी श्रेणी के लिए पंजीकरण कराया है। जनता श्रेणी के कुछ आवेदकों ने भी अपनी श्रेणी को एलआईजी श्रेणी में बदलवाया था। न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 के अंतर्गत सिस्टम डाटा के तहत 68,825 पंजीकृत व्यक्तियों को एलआईजी फ्लैटों का आबंटन किया गया है। नीति के अनुसार, 1993 से पूर्व केवल ऐसे आबंटियों को दूसरा अवसर दिया जाता था, जिन्होंने अपना आबंटन निरस्त कराया था, निरस्त प्रभार जमा कर दिया था तथा अपना पंजीकरण सबसे अंत में कराया था। स्कीम की शुरूआत से ही ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे गए, जिनमें कि ऐसे एलआईजी श्रेणी के पंजीयकों, जो कब्जा नहीं ले सके और जिनका पंजीकरण डीडीए द्वारा दूसरा अवसर दिए बिना निरस्त कर दिया गया, में से वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला पंजीयकों की संख्या का ब्यौरा हो।

(ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि वर्तमान में 3695 एलआईजी फ्लैट खाली पड़े हैं/आबंटन किया जाना है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थान	खाली फ्लैटों की सं.
1.	द्वारका	200
2.	लोक नायक पुरम	980
3.	नरेला	180
4.	वसंत कुंज	305
5.	शालीमार बाग	70
6.	रोहिणी	1960
	कुल	3695

एलआईजी से एमआईजी श्रेणी में परिवर्तन

4589. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए एलआईजी फ्लैटों के पंजीकरण को एमआईजी श्रेणी में बदलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवर्तन के मामले में डीडीए के लिए नयी पंजीकरण संख्या, वरीयता संख्या और एफडीआर आदि जारी करना अनिवार्य है;

(घ) एलआईजी श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों जिन्हें एमआईजी श्रेणी में बदल दिया गया है, को अंत तक वरिष्ठता बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है;

(ङ) वर्ष 1989 में डीडीए द्वारा इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के बाद डीडीए को एलआईजी फ्लैट पंजीकरण को एमआईजी फ्लैट में परिवर्तित कराने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और अंतिम पंजीकृत व्यक्तियों, जिन्हें एमआईजी फ्लैट आबंटित हुए थे, के नामों तथा पंजीकरण संख्या की सूची का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एलआईजी हेतु पंजीकृत व्यक्तियों का एलआईजी में पंजीकरण होने के बाद भी उनका नाम रिकार्ड में रहता है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना 1979 के अंतर्गत 280 पंजीकरण एलआईजी से एमआईजी श्रेणी में परिवर्तित किए गए।

(ग) योजना के तहत एलआईजी से एमआईजी श्रेणी में परिवर्तन के मामले में नई पंजीकरण संख्या, प्राथमिकता संख्या तथा एफडीआर आदि जारी करना अपेक्षित था। तथापि, इस संबंध में गलती के कुछ मामले डीडीए के ध्यान में आए हैं तथा इन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

(घ) उन आबंटियों के नाम जिन्हें एलआईजी से एमआईजी श्रेणी में परिवर्तन हेतु आवेदन किया, परिवर्तन प्रभार जमा कराए तथा सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कीं, उनका एमआईजी पंजीकरण रिकार्ड में अंत में दर्ज किया गया।

(ङ) डीडीए ने यह भी बताया है कि डीडीए द्वारा एलआईजी फ्लैटों का पंजीकरण एमआईजी में बदलने के लिए 1989 में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र को संबंधित फाइल में अलग-अलग जांच की गई तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, अंत में दर्ज किए गए आवेदकों, जिन्हें एमआईजी फ्लैट आबंटित किए गए, के नाम तथा पंजीकरण से संबंधित आंकड़े 1989 से नहीं रखे जा रहे हैं।

(च) से (ज) एमआईजी श्रेणी में परिवर्तन होने के बाद एलआईजी श्रेणी में आवेदक का पंजीकरण समाप्त हो गया, क्योंकि उच्चतर श्रेणी में परिवर्तन का उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, इस संबंध में गलती के कुछ मामले डीडीए के ध्यान में आए हैं तथा इन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई है।

बैंकिंग नकद निकासी कर संबंधी समीक्षा

4590. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बैंकिंग नकद निकासी कर (बीसीटीटी) समाप्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आयकर विभाग ने इस मामले के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के अनुसार, वित्त विधेयक, 2008 में यह प्रस्तावित है कि 31 मार्च, 2009 के पश्चात् किसी कराधेय बैंकिंग संव्यवहार के संबंध में कोई बैंकिंग नकद संव्यवहार कर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

राज्य सतर्कता/निगरानी समितियों को प्राप्त शिकायतें

4591. श्री पी.सी. थामस: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में राज्य सतर्कता/निगरानी समितियों को प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय क्षेत्रों में एसबीआई की शाखाओं के विरुद्ध शिकायतें

4592. श्री रमेश दूबे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में स्थित बैंकों में कंप्यूटर नेटवर्क के कार्य न करने के बारे में अभ्यावेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में लोगों को बहुत खराब सेवा प्राप्त हो रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में एसबीआई की शाखाओं के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। उन जिलों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या (संबंधित राज्य की जनगणना आंकड़ों के आधार पर) अधिक है, में दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक की कार्यशील शाखाओं की संख्या से संबंधित राज्य-वार, जिला-वार और अंचल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उपरोक्त (क) और (ख) में यथा उल्लिखित राज्य, जिला और अंचल में कार्यशील भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में कंप्यूटर नेटवर्क में खराबी से संबंधित कोई शिकायत उनकी जानकारी में नहीं है।

(ङ) एटीएम/इंटरनेट बैंकिंग, इत्यादि जैसे वैकल्पिक वितरण माध्यमों के साथ शाखाओं में भारतीय स्टेट बैंक के अद्यतन किए गए कोर बैंकिंग समाधान ग्राहकों को उन्नत सेवा प्रदान कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में, लोगों तक पहुंचने के लिए, एसबीआई छोटे कार्ड्स (चिप आधारित स्मार्ट कार्ड) का प्रयोग करते हुए, कारोबार सुविधा प्रदाता/कारोबार सम्पर्की माडल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक प्रायोगिक परियोजनाएं भी चला रहा है।

विवरण

अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिलों में एसबीआई की शाखाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिला	31.3.08 की स्थिति के अनुसार शाखाओं की संख्या	सर्किल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान	16	कोलकाता
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार	2	कोलकाता
3.	महाराष्ट्र	ठाणे	41	मुम्बई

1	2	3	4	5
4.	महाराष्ट्र	पुणे	68	मुम्बई
5.	महाराष्ट्र	नासिक	42	मुम्बई
6.	महाराष्ट्र	धुले	18	मुम्बई
7.	महाराष्ट्र	नंदरबार	7	मुम्बई
8.	महाराष्ट्र	जलगांव	39	मुम्बई
9.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	34	मुम्बई
10.	महाराष्ट्र	नांदेड़	15	मुम्बई
11.	महाराष्ट्र	अमरावती	36	मुम्बई
12.	महाराष्ट्र	यवतमाल	33	मुम्बई
13.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	8	मुम्बई
14.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	28	मुम्बई
15.	तमिलनाडु	दि नीलगिरी	10	चेन्नई
16.	राजस्थान	बांसवाड़ा	3	दिल्ली
17.	राजस्थान	डूंगरपुर	3	दिल्ली
18.	उत्तराखण्ड	देहरादून	3	दिल्ली
19.	उत्तराखण्ड	चमोली	4	दिल्ली
20.	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर	7	दिल्ली
21.	उत्तराखण्ड	बागेश्वर	5	दिल्ली
22.	उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़	25	दिल्ली
23.	उत्तराखण्ड	चम्पावत	1	दिल्ली
24.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	14	लखनऊ
25.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	10	लखनऊ
26.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	11	लखनऊ
27.	गुजरात	बड़ौदा	85	अहमदाबाद
28.	गुजरात	भरुच	27	अहमदाबाद
29.	गुजरात	वल्साड	21	अहमदाबाद
30.	गुजरात	दादरा नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र	1	अहमदाबाद
31.	गुजरात	दाहोद	9	अहमदाबाद

1	2	3	4	5
32.	गुजरात	डंगा	3	अहमदाबाद
33.	गुजरात	नर्मदा	4	अहमदाबाद
34.	गुजरात	नवसारी	16	अहमदाबाद
35.	गुजरात	पंचमहल	12	अहमदाबाद
36.	गुजरात	साबरकांठा	24	अहमदाबाद
37.	गुजरात	सूरत	59	अहमदाबाद
38.	आंध्र प्रदेश	खम्मम	11	हैदराबाद
39.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	8	हैदराबाद
40.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	28	हैदराबाद
41.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	6	हैदराबाद
42.	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	73	हैदराबाद
43.	आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	52	हैदराबाद
44.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	32	हैदराबाद
45.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	31	हैदराबाद
46.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	82	हैदराबाद
47.	छत्तीसगढ़	धमतारी	5	भोपाल
48.	छत्तीसगढ़	जिंजगीर-चाम	10	भोपाल
49.	छत्तीसगढ़	महासामुंड	7	भोपाल
50.	छत्तीसगढ़	रायपुर	37	भोपाल
51.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	27	भोपाल
52.	छत्तीसगढ़	कोड़िया	8	भोपाल
53.	छत्तीसगढ़	सरगुजा	14	भोपाल
54.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	32	भोपाल
55.	छत्तीसगढ़	कवारदा	7	भोपाल
56.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	9	भोपाल
57.	छत्तीसगढ़	बस्तर	15	भोपाल
58.	छत्तीसगढ़	दांतेवाडा	13	भोपाल
59.	छत्तीसगढ़	कांकेर	10	भोपाल

1	2	3	4	5
60.	छत्तीसगढ़	जैशपुर	12	भोपाल
61.	छत्तीसगढ़	कोरबा	23	भोपाल
62.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	16	भोपाल
63.	मध्य प्रदेश	बरवानी	5	भोपाल
64.	मध्य प्रदेश	ईस्ट निमाड़	7	भोपाल
65.	मध्य प्रदेश	वेस्ट निमाड़	3	भोपाल
66.	मध्य प्रदेश	धार	3	भोपाल
67.	मध्य प्रदेश	बेतुल	20	भोपाल
68.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	23	भोपाल
69.	मध्य प्रदेश	झाबुआ	4	भोपाल
70.	मध्य प्रदेश	रतलाम	7	भोपाल
71.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	14	भोपाल
72.	मध्य प्रदेश	डिंडोरी	7	भोपाल
73.	मध्य प्रदेश	मण्डला	8	भोपाल
74.	मध्य प्रदेश	सिओनी	7	भोपाल
75.	मध्य प्रदेश	सिधी	12	भोपाल
76.	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	8	भोपाल
77.	मध्य प्रदेश	शहडोल	8	भोपाल
78.	मध्य प्रदेश	उमरिया	6	भोपाल
79.	मध्य प्रदेश	मुरैना	12	भोपाल
80.	मध्य प्रदेश	शिवपुरकलां	1	भोपाल
81.	झारखण्ड	सरायकेला-खारसावन	6	पटना
82.	झारखण्ड	लोहरदगा	1	पटना
83.	झारखण्ड	सिमडेगा	2	पटना
84.	झारखण्ड	गढ़वा	9	पटना
85.	झारखण्ड	लातेहार	9	पटना
86.	झारखण्ड	पलामू	24	पटना
87.	झारखण्ड	छत्रा	8	पटना

1	2	3	4	5
88.	झारखण्ड	हजारीबाग	34	पटना
89.	झारखण्ड	गुमला	2	पटना
90.	झारखण्ड	वेस्ट सिंहभूम	11	पटना
91.	झारखण्ड	संथाल-परगना	26	पटना
92.	झारखण्ड	गोड्डा	31	पटना
93.	झारखण्ड	जमतारा	17	पटना
94.	झारखण्ड	खूंटी	4	पटना
95.	उड़ीसा	बारगढ़	22	भुवनेश्वर
96.	उड़ीसा	झरसुगुडा	12	भुवनेश्वर
97.	उड़ीसा	संबलपुर	25	भुवनेश्वर
98.	उड़ीसा	देवगढ़	2	भुवनेश्वर
99.	उड़ीसा	सुंदरगढ़	50	भुवनेश्वर
100.	उड़ीसा	केंदूझार	13	भुवनेश्वर
101.	उड़ीसा	मयूरभंज	21	भुवनेश्वर
102.	उड़ीसा	बालेश्वर	24	भुवनेश्वर
103.	उड़ीसा	भद्रक	10	भुवनेश्वर
104.	उड़ीसा	केन्द्रपाड़ा	14	भुवनेश्वर
105.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर*	8	भुवनेश्वर
106.	उड़ीसा	कटक	35	भुवनेश्वर
107.	उड़ीसा	जालापुर	15	भुवनेश्वर
108.	उड़ीसा	धेनकनाल	14	भुवनेश्वर
109.	उड़ीसा	अनुगुल	16	भुवनेश्वर
110.	उड़ीसा	नयागढ़	6	भुवनेश्वर
111.	उड़ीसा	खोर्धा	44	भुवनेश्वर
112.	उड़ीसा	पुरी	13	भुवनेश्वर
113.	उड़ीसा	गंजाम	43	भुवनेश्वर
114.	उड़ीसा	गजपती	7	भुवनेश्वर
115.	उड़ीसा	कंधमाल	24	भुवनेश्वर

1	2	3	4	5
116.	उड़ीसा	बौध	11	भुवनेश्वर
117.	उड़ीसा	सोनापुर	10	भुवनेश्वर
118.	उड़ीसा	बोलनगीर	15	भुवनेश्वर
119.	उड़ीसा	नौपाड़ा	9	भुवनेश्वर
120.	उड़ीसा	कालाहांडी	26	भुवनेश्वर
121.	उड़ीसा	रायागडा	19	भुवनेश्वर
122.	उड़ीसा	नबरंगपुर	9	भुवनेश्वर
123.	उड़ीसा	कोरापुट	14	भुवनेश्वर
124.	उड़ीसा	मल्कागिरी	5	भुवनेश्वर
125.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	7	चण्डीगढ़
126.	हिमाचल प्रदेश	लाहौल एवं स्पीति	7	चण्डीगढ़
127.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	15	चण्डीगढ़
128.	जम्मू-कश्मीर	कारगिल	4	चण्डीगढ़
129.	जम्मू-कश्मीर	लद्दाख	4	चण्डीगढ़
130.	असम	कोकराझार	4	पूर्वोत्तर
131.	असम	कर्बी अंगलोंग	11	पूर्वोत्तर
132.	असम	चिरांग (नया जिला)	5	पूर्वोत्तर
133.	असम	बक्सा (नया जिला)	3	पूर्वोत्तर
134.	असम	उदलगुरी	5	पूर्वोत्तर
135.	असम	बोंगालगांव	4	पूर्वोत्तर
136.	मणिपुर	इम्फाल वेस्ट	5	पूर्वोत्तर
137.	मणिपुर	थोबल	1	पूर्वोत्तर
138.	मणिपुर	सेनापती	4	पूर्वोत्तर
139.	मणिपुर	बिश्नुपुर	1	पूर्वोत्तर
140.	मणिपुर	चूराचांदपुर	2	पूर्वोत्तर
141.	मणिपुर	चन्देल	4	पूर्वोत्तर
142.	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	13	पूर्वोत्तर
143.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	23	पूर्वोत्तर

1	2	3	4	5
144.	मेघालय	जयन्तिया हिल्स	6	पूर्वोत्तर
145.	मेघालय	ईस्ट खासी हिल्स	25	पूर्वोत्तर
146.	मेघालय	वेस्ट खासी हिल्स	5	पूर्वोत्तर
147.	मेघालय	रि-भोइ	8	पूर्वोत्तर
148.	मेघालय	साउथ गारो हिल्स	4	पूर्वोत्तर
149.	नागालैण्ड	कोहिमा	9	पूर्वोत्तर
150.	नागालैण्ड	मोकोकचुंग	6	पूर्वोत्तर
151.	नागालैण्ड	मोन	2	पूर्वोत्तर
152.	नागालैण्ड	तेनसंग	6	पूर्वोत्तर
153.	नागालैण्ड	फेक	5	पूर्वोत्तर
154.	नागालैण्ड	वोखा	5	पूर्वोत्तर
155.	नागालैण्ड	जूंहेबोतो	4	पूर्वोत्तर
156.	नागालैण्ड	दीमापुर	8	पूर्वोत्तर
157.	त्रिपुरा	धलाल	4	पूर्वोत्तर
158.	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	18	पूर्वोत्तर
159.	अरुणाचल प्रदेश	चंगलांग	4	पूर्वोत्तर
160.	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग	2	पूर्वोत्तर
161.	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट सलांग	4	पूर्वोत्तर
162.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	3	पूर्वोत्तर
163.	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी	3	पूर्वोत्तर
164.	अरुणाचल प्रदेश	तिराप	4	पूर्वोत्तर
165.	अरुणाचल प्रदेश	तवांग	3	पूर्वोत्तर
166.	अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग	7	पूर्वोत्तर
167.	अरुणाचल प्रदेश	अप्पर सुबनसिरी	2	पूर्वोत्तर
168.	अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट सिआंग	3	पूर्वोत्तर
169.	अरुणाचल प्रदेश	दिबंग घाटी	2	पूर्वोत्तर
170.	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपरे	4	पूर्वोत्तर
171.	अरुणाचल प्रदेश	अंजा (नया जिला)	1	पूर्वोत्तर

1	2	3	4	5
172.	मिजोरम	आइजाल	8	पूर्वोत्तर
173.	मिजोरम	चम्फाई	1	पूर्वोत्तर
174.	मिजोरम	लुंगलेई	3	पूर्वोत्तर
175.	मिजोरम	मामित	3	पूर्वोत्तर
176.	मिजोरम	कोलासिब	1	पूर्वोत्तर
177.	मिजोरम	सरचिप	2	पूर्वोत्तर
178.	मिजोरम	लांगतायल	2	पूर्वोत्तर
179.	मिजोरम	साल्हा	1	पूर्वोत्तर
180.	केरल	वायनाड	5	केरल
181.	केरल	इदुक्की	13	केरल
	कुल		2498	

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

4593. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री अनन्त नायक:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
डा. के.एस. मनोज:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पी.एफ.सी.

4594. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कार्पोरेशन का विचार देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या पी.एफ.सी. ने इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश):

(क) से (ग) जी हां, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष ध्यान दे रहा है। देश में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु, पीएफसी ऐसी परियोजनाओं के लिए सावधि ऋणों के अतिरिक्त लीज फाइनेंसिंग स्कीम की पेशकश भी कर रहा है। हाल ही में, पीएफसी ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के साथ देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कन्सोर्टियम फाइनेंसिंग को सुगम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि तीव्रता से वित्तीय समापन प्राप्त हो सके।

जनहित याचिकाओं संबंधी दिशा-निर्देश

4595. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री पंकज चौधरी:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की ग्राह्यता के बारे में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अनैतिक तत्वों द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर कतिपय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। अपने निर्णयों में से एक में, उसने अन्य बातों के साथ-साथ, विहित हितों वाले तृतीय पक्षकारों द्वारा पीआईएल के दुरुपयोगों की निंदा की थी तथा उच्च न्यायालयों से यह कहा था कि वे उन पर विचार करते हुए अत्यधिक सावधान रहें। न्यायिक प्रणाली को बाधित करने वाली बड़ी संख्या में पीआईएलों पर चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि ऐसी मुकदमेबाजी में वास्तविक और प्रामाणिक लोक हित अंतर्वलित होना चाहिए। इन्हें किसी व्यक्ति या निकायों द्वारा उसके या उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक हित को अग्रसर करने या उसके या उनके व्यक्तिगत वैमनस्य और शत्रुता का समाधान करने के लिए नहीं लाया जा सकता। पीआईएल पर विचार करने और दिशा-निर्देश तथा निदेश जारी करने का विषय उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है, जिसमें यह फाइल की जाती है।

शहरी अवसंरचना हेतु धनराशि

4596. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शहरी अवसंरचना के लिए आवश्यक निवेश के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में शहरी अवसंरचना के लिए आवश्यक निवेश का अनुमान लगाने हेतु कोई समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शहरी जलापूर्ति, सीवरेज तथा स्वच्छता, जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन आवश्यकताओं के संबंध में अपेक्षित अनुमानित राशि इस प्रकार है:-

धन की आवश्यकता	करोड़ रुपए में
शहरी परिवहन	1,32,590
एमआईएस, आर एंड डी और प्रशिक्षण आदि सहित शहरी जल आपूर्ति, सीवरेज और सीवेज शोधन, जल निकास, ठोस कचरा प्रबंधन	1,29,237

(ग) और (घ) शहरी अवस्थापना सेवाओं के लिए निवेश आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) भी गठित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

लड़कियों/महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार

4597. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लड़कियों और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बारे में संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में प्रभावित राज्यों में अपनी टीम भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के मामलों का मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसे मामलों की जांच करने तथा प्रभावित राज्यों का दौरा करने हेतु जांच समितियां गठित की हैं। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने राज्य सरकारों को मामलों को दर्ज करने, तेजी से जांच करने की आवश्यक कार्रवाई करने तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है।

बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के मामलों की जांच करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान गठित जांच समितियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	राज्य	मामला	जांच समिति की संरचना
2006	राजस्थान	एक सामाजिक कार्यकर्त्री के साथ तथाकथित सामूहिक बलात्कार	डा. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा, रा.म.आ., सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री पवन सुराना, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, श्री बी.एम. बंसल, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य महिला आयोग
2006	त्रिपुरा	अम्बासा, त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों द्वारा तीन आदिवासी महिलाओं के साथ तथाकथित बलात्कार	सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य, रा.म.आ.
2006	मणिपुर	मणिपुर के पारबंग तथा लुंगथूलियन गांव में उग्रवादियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं तथाकथित बलात्कार	सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य, रा.म.आ.
2007	पश्चिम बंगाल (नन्दीग्राम)	सी.पी.आई. के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक बलात्कार	सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री नीवा कुंवर, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री मंजुलता हैम्ब्रम, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री सौमित्रा चटर्जी, एडवोकेट
2007	राजस्थान (धौलपुर)	धौलपुर में एक बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार	सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री मंजुलता हैम्ब्रम, सदस्य, रा.म.आ.
2007	मध्य प्रदेश (सागर)	अभिरक्षा में सामूहिक बलात्कार (मालती आहूजा)	सुश्री मंजुलता हैम्ब्रम, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री आर. थापर, एडवोकेट
2008	गुजरात	पाटन स्थित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कालेज के शिक्षकों द्वारा एक 18 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार	सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री मंजुलता हैम्ब्रम, सदस्य, रा.म.आ., सुश्री स्वीटी सूद, एडवोकेट
2008	हरियाणा (फरीदाबाद)	फरीदाबाद में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कालेज की दो छात्राओं के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, जिनके शव रेलवे ट्रैक पर मिले	सुश्री यास्मीन अबरार, सुश्री नीवा कुंवर, सुश्री मंजुलता हैम्ब्रम, सदस्य, रा.म.आ.

[अनुवाद]

बिना लिस्टिंग के कारोबार करना

4598. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत एक वर्ष के दौरान स्टाक एक्सचेंजों में बिना लिस्टिंग के शेयरों का लेनदेन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या दांडिक कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) कुछ मीडिया रिपोर्टों में स्टाक एक्सचेंजों में शेयरों के सूचीबद्ध किए जाने के पहले "संदिग्ध बाजार" की मौजूदगी के संबंध में टिप्पणी की गई है। ऐसे लेनदेन स्टाक एक्सचेंज प्रक्रम के बाहर होते हैं। सेबी का विश्वास है कि यह उसके क्षेत्राधिकार के परे है। पूर्व-सूचीयन अवधि के दौरान आईपीओ के शेयरों में लेनदेनों को रोकने के लिए, सेबी द्वारा निक्षेपागारों को सुझाव दिया गया है कि आईपीओ के मामले में वे आईएसआईएन को स्टाक एक्सचेंजों में कारोबार शुरू होने की तारीख को ही सक्रिय करेंगे।

विधवाओं के लिए पेंशन योजना

4599. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विधवाओं को पेंशन देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विधवाओं को पेंशन देने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

रिलायंस पावर आईपीओ के संबंध में प्रतिदाय

4600. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में लघु निवेशकों को रिलायंस पावर लिमिटेड के आईपीओ की खुदरा श्रेणी के अंतर्गत प्रतिदाय प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रोमोटरों/अग्रणी प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) दिनांक 10 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार प्रतिदाय प्राप्त न होने के संबंध में सेबी को निवेशकों से 8362 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) सेबी ने दिनांक 26 मार्च, 2008 को रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के कार्मिकों, पंजीयक और निर्गम से संबंधित सभी मर्चेंट बैंकरों की बैठक बुलाई। पश्च निर्गम मर्चेंट बैंकर को सभी लंबित मामलों का अनुवीक्षण करने और उनका समाधान करने की सलाह दी गई है। कंपनी को सेबी द्वारा प्रतिदाय आदेशों की प्रास्थिति के संबंध में एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना

4601. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री रनेन बर्मन:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना (ए.डब्ल्यू.आई.एस.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा ए.डब्ल्यू.आई.एस. के अंतर्गत राज्य-वार कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों का बीमा किया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/सहायिकाएं अब इस स्कीम में शामिल हैं।

विवरण

''आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना'' की प्रमुख विशेषताएं

पात्रता

* 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाएं
* आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/सहायिकाएं होनी चाहिएं

लाभ

(15.8.2006 से)

* स्वाभाविक मृत्यु होने पर	30,000/- रुपये
* दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी रूप से पूर्णत: अक्षम होने पर	75,000/- रुपये
* दुर्घटना में स्थायी रूप से आंशिक अक्षमता से ग्रस्त होने पर	37,500/- रुपये

गंभीर स्त्री रोग संबंधी लाभ

* निम्नलिखित अंगों में इनवेजिव कैंसर (मैलिग्नेंट ट्यूमर) का निदान होने पर 20,000/- रुपये की राशि (संक्रमण के साक्ष्य से निगम के संतुष्ट होने पर) देय होगी।

(1) स्तन

(2) सर्विक्स यूटेरी

(3) कॉरपस यूटेरी

(4) अण्डासय

(5) डिम्बवाही नलिका

(6) योनि

मैलिग्नेंट ट्यूमर होने की दशा में मैलिग्नेंट कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विकसित होती हैं तथा फैलती हैं और उपर्युक्त अंगों में उत्पन्न होने वाले ऊतकों को प्रभावित करती हैं।

शिक्षा सहयोग

* इस स्कीम में शामिल सदस्याओं के बच्चों को छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ भी उपलब्ध है। नौवीं से बारहवीं कक्षा (आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों सहित) के छात्रों को प्रत्येक तिमाही में 300/- रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति प्रत्येक परिवार के केवल दो बच्चों को दी जाएगी।

प्रीमियम

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100/- रुपये
सामाजिक सुरक्षा निधि (जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित)	100/- रुपये

31.3.2009 तक गंभीर रोगों के संबंध में कोई प्रीमियम देय नहीं होगा।

एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा लघु उद्यमियों को ऋण

4602. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एस.आई.डी.बी.आई. के माध्यम से लघु उद्यमियों को आसान ऋण मुहैया कराने हेतु एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है जैसा कि दिनांक 12 मार्च, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.आई.डी.बी.आई. द्वारा कितने लघु उद्यमियों को ऐसे ऋण दिए गए हैं;

(ग) क्या ऋण बोझ और लाभ की कमी ने उपर्युक्त कुछ उद्यमियों को अपने उद्योग बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उद्यमियों के ऋणों को माफ करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) वित्तपोषण, अप्रत्यक्ष (पुनर्वित्त) तथा प्रत्यक्ष दोनों, और सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन एवं विकास का कार्य करता है। सिडबी पारम्परिक रूप से एक पुनर्वित्त संस्था रही है, जो प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) को सावधि ऋण/स्वीकृत अधिकतम ऋण सहायता के रूप में संसाधन सहायता प्रदान कर रही है। सिडबी ने एमएसएमई की विभिन्न प्रकार की ऋण जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2005 से विभिन्न वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं को, विशेषकर समूहों में, सीधे प्रदान करना प्रारंभ किया है। एमएसएमई क्षेत्र को बैंक का समर्थन 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, 73 खुदरा शाखाओं के वर्तमान नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है जिसमें लगभग 214 एसएमई समूह शामिल हैं। जिन एमएसएमई ने प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान सिडबी से ऋण प्राप्त किया है, उनकी संख्या तथा ऋण की राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	लघु उद्योगों की संख्या	राशि (करोड़ रु. में)
2005-06	1104	2440
2006-07	1480	3452
2007-08	1869	4182

(ग) और (घ) सिडबी ने सूचित किया है कि एमएसएमई के उत्पादन तथा लाभप्रदता को कुप्रभावित करने वाली मुख्य समस्याएं, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं- मांगों में कमी, प्रौद्योगिक अप्रचलन, प्रबंधकीय अक्षमता तथा निविष्टियों की समय पर, पर्याप्त तथा किफायती तरीके से अनुपलब्धता। इसके परिणामस्वरूप, इकाई अपने बैंकर/ऋणदाता की चूककर्ता बन जाती है।

31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, सिडबी द्वारा प्रत्यक्ष वित्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त 123 रुग्ण एमएसएमई इकाइयां बंद की गई थी।

सिडबी ने रुग्णता की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से, विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे- सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग (एसएसआई) इकाइयों का पुनर्वास, ऋणों का पुनर्निर्धारण, रुग्ण एसएसआई इकाईयों के पुनर्वास हेतु पुनर्वित्त योजना, ब्याज के निधीयन के द्वारा राहत एवं रियायत प्रदान करना और दंडस्वरूप देयराशि की माफी आदि।

[अनुवाद]

समितियों में अ.जा./अ.ज.जा. के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना

4603. श्री लालमणि प्रसाद:
श्री परसुराम माझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में उनके प्रतिनिधियों को लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार

4604. श्री भर्तृहरि महताब:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या निर्धारित कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण/तर्काधार हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने बी.पी.एल. परिवारों की सूची को अपनाने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस सूची में और अधिक परिवारों को शामिल किए जाने के संबंध में कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा करवाए गए उपभोक्ता व्यय के व्यापक नमूना सर्वेक्षण से लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् योजना आयोग द्वारा राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तथा अनुपात का आकलन किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना आयोग द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बीपीएल जनगणना करवाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि उन लोगों को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा सके। बीपीएल जनगणना 2002 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में इस बात की परिकल्पना की गई है कि राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करते समय इस संख्या को 1999-2000 के गरीबी आकलन के बराबर अथवा योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए समंजित अंश के बराबर, जो भी अधिक हो, रख सकते हैं तथा सीमांत गरीबों के लिए 10 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गई है। पहचान किए जाने वाले बीपीएल परिवारों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) उड़ीसा, बिहार, केरल तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बीपीएल सूची में और अधिक परिवारों को शामिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। बीपीएल जनगणना 2002 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों को इस बात का विकल्प दिया गया है कि वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करते समय इस संख्या को 1999-2000 के गरीबी आकलन के बराबर अथवा योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए समंजित अंश के बराबर, जो भी अधिक हो, रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सीमांत गरीबों के लिए 10 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गई है। चूंकि राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की संख्या निर्धारित करने में पर्याप्त लोचनीयता प्राप्त है इसलिए उनके अनुरोध को नहीं माना जा सकता।

विवरण

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 के गरीबी आकलन के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या	समंजित अंश के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या	बीपीएल परिवारों की कुल अनुमत संख्या (10% सहित)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11.626	27.526	30.279
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.760	0.605	0.836
3.	असम	18.434	15.725	20.277
4.	बिहार	55.380	66.322	72.954
5.	छत्तीसगढ़	14.802	15.019	16.521
6.	दिल्ली	0.014	0.039	0.043
7.	गोवा	0.022	0.063	0.069
8.	गुजरात	7.960	10.361	11.397
9.	हरियाणा	2.388	6.096	6.706
10.	हिमाचल प्रदेश	0.968	2.567	2.824
11.	जम्मू-कश्मीर	0.594	3.177	3.495
12.	झारखंड	19.922	23.851	26.236
13.	कर्नाटक	11.982	20.786	22.865
14.	केरल	4.194	9.327	10.260
15.	मध्य प्रदेश	28.762	30.687	33.755
16.	महाराष्ट्र	25.024	41.089	45.198
17.	मणिपुर	1.306	1.054	1.437
18.	मेघालय	1.578	1.181	1.736
19.	मिजोरम	0.280	0.273	0.308

1	2	3	4	5
20.	नागालैंड	1.042	0.810	1.146
21.	उड़ीसा	28.738	31.484	34.632
22.	पंजाब	2.040	2.962	3.258
23.	राजस्थान	11.012	15.784	17.362
24.	सिक्किम	0.400	0.303	0.440
25.	तमिलनाडु	16.102	24.339	26.773
26.	त्रिपुरा	2.506	1.903	2.757
27.	उत्तर प्रदेश	77.836	93.768	103.145
28.	उत्तरांचल	4.566	5.468	6.015
29.	पश्चिम बंगाल	36.022	34.989	39.624
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.116	0.146	0.161
31.	चण्डीगढ़	0.012	0.015	0.017
32.	दादरा और नगर हवेली	0.060	0.146	0.161
33.	दमन और दीव	0.002	0.005	0.006
34.	लक्षद्वीप	0.006	0.010	0.011
35.	पांडिचेरी	0.128	0.185	0.2035
	कुल	386.584	488.056	542.905

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा

4605. श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अंतर्गत प्रीमियमों की दरें बढ़ायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की गयी स्वास्थ्य बीमा की वर्तमान पालिसियों के नाम क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गयी पालिसियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा इन पालिसियों को जनता के लिए सस्ती बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के चारों गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा मेडिक्लेम पालिसी के संबंध में जारी दरें, वर्ष 2006-07 में संशोधित की गई हैं। अपने उत्पादों के मूल्य का निर्णय बीमाकर्ता स्वयं ही करते हैं तथा ''फाइल करें तथा प्रयोग करें'' प्रक्रिया के अंतर्गत बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)

के समक्ष फाइल करना अपेक्षित है। इस मामले में, जहां बीमाकर्ताओं ने लगभग एक दशक से प्रीमियम दरों में वृद्धि नहीं की हैं, वहां उन्होंने प्रीमियम दरों में वृद्धि करने पर विचार करना आवश्यक समझा। इस अवधि के दौरान, चिकित्सा लागत तथा अस्पताल प्रभारों में वृद्धि हुई है और पालिसियों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा भुगतान किए जा रहे दावे प्रीमियम से प्राप्त आय से बहुत अधिक थे।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य बीमा की विद्यमान पालिसियों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई पालिसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आईआरडीए ने सूचित किया है कि उत्पादों के मूल्य बीमाकर्ता द्वारा दावों के अपने अनुभवों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तथा नियामक मूल्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तथापि, वरिष्ठ नागरिकों के वर्ग के लिए आईआरडीए ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके द्वारा बीमाकर्ता को सलाह दी गई है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक पर संशोधित पालिसी (जहां प्रीमियम दरें अधिक हैं) लेने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। जहां तक पूर्व संशोधित पालिसी के मूल्यों का संबंध है, बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे पूर्व संशोधित पालिसी के प्रीमियम का 50 से 75 प्रतिशत से अधिक, यदि युक्तिसंगत हो तो, नवीकरण प्रीमियम प्रभारित न करें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2008-09 में, अपने अभिभावक/अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अदा करने वाले व्यक्तियों के लिए धारा 80(घ) के अंतर्गत 15,000/- रु. की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। इस धारा के अंतर्गत, 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले अभिभावकों के लिए 20,000/- रु. की कटौती की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

विद्यमान स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्र.सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
1	2	3
1.	नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मेडिक्लेम, वरिष्ठ मेडिक्लेम गंभीर बीमारी लाभ*, परिवार फेमिली फ्लोटर*, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना*, स्वास्थ्य बीमा योजना*, नैशनल स्वास्थ्य पालिसी, ट्रामा केयर
2.	न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मेडिक्लेम, जनता मेडिक्लेम*, फेमिली फ्लोटर मेडिक्लेम*, वरिष्ठ नागरिक पालिसी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना*
3.	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हेल्थ फार प्रिविलेज्ड इल्डर्स (एचओपीई), मोडिफाइड मेडिक्लेम पालिसी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना*, स्वास्थ्य बीमा योजना*
4.	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी सिल्वर (वरिष्ठ नागरिक), हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी-प्लेटिनम, हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी-गोल्ड, फेमिली मेडिकेयर पालिसी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना*, स्वास्थ्य बीमा योजना*, डेन्टल इंश्योरेंस*
5.	स्टार एवं एलाइड हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	मेडिक्लासिक, मेडि प्रिमियर
6.	बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	सिल्वर हेल्थ, हेल्थ गार्ड, हास्पिटल कैश*, क्रिटिकल इलनेस कवर*, स्टार पैकेज, वीमेन स्पेशिफिक, हेल्थ इंश्योर, फ्लोटर पैकेज कवर, वरिष्ठ नागरिक हेल्थ प्लान
7.	आईसीआईसीआई लोमबर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी*, ग्रुप हेल्थ (फ्लोटर) इंश्योरेंस पालिसी*, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ केयर इंश्योरेंस पालिसी*, क्रिटिकल इलनेस*, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ केयर इंश्योरेंस पालिसी* (टैक्स सेवर), सिक्योर माइंड पालिसी (वैयक्तिक), ग्रुप सिक्योर माइंड पालिसी, टैक्स गेन

1	2	3
8.	इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	व्यक्तिगत मेडिशिल्ड
9.	रिलायंस-जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	व्यक्तिगत मेडिक्लेम, हेल्थ केयर, गुड हेल्थ, हैल्दी फैमिली, ग्रुप मेडिक्लेम
10.	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	हेल्थ शिल्ड स्टैण्डर्ड, टैक्स सेवर हेल्थ शिल्ड-फैमिली फ्लोटर, मेडिसेफ स्टैण्डर्ड मेडिक्लेम, हेल्थ फार इवर इंश्योरेंस पालिसी, हेल्थ शिल्ड प्लस, हेल्थ शिल्ड प्रिमियर
11.	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हेल्थ केयर, क्रिटि केयर
12.	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हेल्थ इंश्योरेंस, गोल्डन हेल्थ प्लान, चोला फैमिली हेल्थ प्रोटेक्टर प्लान
13.	अपोलो डीकेवी	ईजी हेल्थ (व्यक्तिगत), ईजी हेल्थ (समूह)
14.	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हेल्थ एस्योर, हेल्थ एस्योर प्लस, कैन्सर केयर, डाइबिटीज केयर, डाइबिटीज केयर प्लस, कैन्सर केयर प्लस, हास्पिटल केयर, डाइबिटीज एस्योर, डाइबिटीज केयर एक्टिव
15.	बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंस	बजाज एलाइंज हेल्थ केयर, बजाज एलाइंज केयर फर्स्ट
16.	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	ग्रुप हेल्थ प्लस, हेल्थ इंवेस्टर
17.	लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया	हेल्थ प्लस
18.	रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रिलायंस वेल्थ+हेल्थ प्लान
19.	मैक्स न्यू योर्क लाइफ इंश्योरेंस	लाइफलाइन वेलनेस प्लस प्लान, लाइफलाइन मेडि कैश प्लान, लाइफलाइन वेलनेस प्लान
20.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	अवीवा हेल्थ प्लस

*तीन वर्ष से पहले प्रारंभ
अन्य पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रारंभ

[अनुवाद]

कपड़े धोने वाले हस्तनिर्मित साबुन पर उत्पाद शुल्क लगाना

4606. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल आधारित कपड़ा धोने वाले साबुन पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ लघु इकाइयां तेल की बढ़ती कीमतों और उत्पाद शुल्क लगाए जाने की वजह से बंद हो गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन श्रम आधारित लघु इकाइयों को बचाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के बजट के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में, हस्तनिर्मित धुलाई के साबुन सहित बिना बिजली की सहायता से विनिर्मित कई मदों पर से उत्पाद शुल्क की छूट हटा ली गयी थी। इस प्रकार, हस्तनिर्मित धुलाई के साबुन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सामान्य प्रभावी दर अब 14 प्रतिशत है। फिर भी केवीआईसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समितियों द्वारा, पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा निर्मित ऐसे

साबुनों को पूरी छूट दी गयी है। इसके अलावा, इस मद को सामान्य लघु उद्योग छूट भी प्राप्त है।

(ग) तेल के मूल्यों में वृद्धि और हस्तनिर्मित तेल आधारित धुलाई के साबुनों पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण कोई भी लघु उद्योग इकाई बंद नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाएं

4607. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर महिलाओं हेतु सकारात्मक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं हेतु अवसर मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र में नियोजित 20.95 लाख महिलाओं की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में 29.21 लाख महिलाएं नियोजित थीं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पिछले वर्ष की तुलना में 1.1 प्रतिशत बढ़ा है।

(ग) कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम एवं संस्थागत सहायता

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सतत आधार पर रोजगार या स्व-रोजगार प्राप्त करने में महिलाओं की सहायतार्थ, उन्हें प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) नामक स्कीम चला रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वयंसिद्धा नामक एक अन्य कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण एवं विभिन्न स्कीमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण करना है।

राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आय अर्जन, उत्पादन, कौशल विकास तथा आवासीय कार्यकलापों के लिए उन्हें ऋण-सहायता अथवा लघु ऋण सुलभ कराता है।

महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने महिला प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किया है। इस निदेशालय का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। महिलाओं की पारिश्रमिक वाले रोजगार/स्व-रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करने के लिए, उन्हें महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत आधारभूत, उन्नत एवं उन्नतोत्तर कौशल का संस्थागत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विशिष्ट महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

महिला कार्मिकों के लिए सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना

महिलाओं के पक्ष में अनेक संरक्षणात्मक उपबंध विभिन्न श्रम कानूनों में समाविष्ट किए गए हैं। ये श्रम कानून इस प्रकार हैं: समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 इत्यादि।

रोजगार खोज रही महिलाओं को सहायता

रोजगार कार्यालय अपने पास पंजीकृत महिलाओं की रोजगार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर विशेष ध्यान देते हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला शक्तिसंपन्नता नीति, 2001 में सरकार की इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है कि वृहत् आर्थिक नीतियां तथा सामाजिक नीतियां तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप प्रदान करके ऐसी प्रक्रियाओं में महिलाओं के परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया जाए। इस नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों (गृह-आधारित कार्मिकों सहित) में उत्पादकों एवं कार्मिकों के रूप में समाजार्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को भी मान्यता दी जाएगी तथा उनके रोजगार एवं कार्य दशाओं के संबंध में उपयुक्त नीतियां तैयार की जाएंगी।

मिश्र धातुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती

4608. श्री निखिल कुमार:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात निर्माताओं ने मिश्र धातुओं पर उत्पाद शुल्क को घटाने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ताकि वे इस्पात के मूल्य घटा सके और इसका लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2008-09 के बजट से पहले अथवा बाद में सरकार को मिश्र धातुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी करने हेतु कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्क

4609. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन पर से आयात शुल्क वापस लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पेट्रोल एवं डीजल पर आयात शुल्क दरों को ग्राहकों और उत्पादकों के हितों सहित सभी ठोस कारकों को ध्यान में रख कर विहित किया जाता है। पेट्रोल एवं डीजल पर आयात शुल्क को वापस लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

किसानों को ऋण सुविधाएं

4610. श्री के. सुब्बारायण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कोई विशेष नीतियां बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें रियायती ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारत सरकार ने किसानों, जिनमें वे किसान शामिल हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, के लिए समय पर तथा वहन योग्य ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* भारत सरकार खरीफ 2006-07 से बुनियादी स्तर पर किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों को अपनी स्वयं की निधियों पर 2 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों तथा आरआरबी को रियायती पुनर्वित्त प्रदान कर रही है। यह योजना वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में भी जारी है।

* भारत सरकार ने सभी बैंकों द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि ऋण उपलब्धता हेतु 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

* वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 50 लाख नए किसानों, जिनमें वे किसान भी शामिल हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, को वित्तपोषित करने में सफल रहे हैं।

* बैंकों ने कृषि ऋणों हेतु प्रलेखीकरण प्रक्रिया को सरल किया है।

* 50,000/- रुपये तक के ऋणों को सम्पार्श्विक तथा मार्जिन राशि मुक्त बना दिया गया है और "अदेयता प्रमाणपत्र" की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

* बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सलाह दी गई है।

* बैंकों को, परिवारों को जनरल क्रेडिट कार्ड प्रदान करके वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के साथ अतिरिक्त सुविधा रहित खाता खोलने, नागरिक सामाजिक संगठनों जैसे किसान क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डाकघरों की सेवाओं का कारबार सुविधा प्रदाता/कारबार सम्पर्की माडल आदि के रूप में उपयोग करके वित्तीय पहुंच बढ़ाने के निदेश दे दिए गए हैं।

पेयजल के संबंध में अध्ययन

4611. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री राम कृपाल यादव:
श्री पुष्प जैन:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की पेयजल समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार जलापूर्ति का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत सरकार राज्यों/स्थानीय शासनों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अधीन सहायता प्रदान करती है, ताकि राज्य/स्थानीय शासन पेयजलापूर्ति से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके।

शहरी विकास मंत्रालय ने देश में पेयजल समस्याओं के अध्ययन के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति स्थापित नहीं की है। तथापि, भारत सरकार ने 63 चुनिंदा शहरों में शहरी विकास अवसंरचना और सेवाओं के एकीकृत विकास पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए 3.12.05 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। इस मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना तथा शासन घटक के अधीन 99 जल परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनकी लागत 11100.47 करोड़ रु. है। छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम नामक घटक के अधीन 3393.21 करोड़ रु. की लागत वाली 205 जलापूर्ति परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस विभाग के दिनांक 16.8.2007 के आदेश के अधीन एक तकनीकी विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया गया है जिसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में पेयजल तथा सफाई क्षेत्र के अंतर्गत उदीयमान विभिन्न मसलों की जांच करना तथा नई चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय सुझाना है। इस तकनीकी विशेषज्ञ ग्रुप के विचारणीय विषय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इस विभाग ने यह भी बताया है कि पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही पेय जलापूर्ति हेतु राज्यों के बजटों में निधियों का प्रावधान किया जाता रहा है। वर्ष 1954 में सामाजिक कल्याण क्षेत्र के अधीन राष्ट्रीय जलापूर्ति तथा सफाई कार्यक्रम लागू किया गया था। भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को सहायता प्रदान की ताकि वे इस समस्या से ग्रस्त ग्रामों का पता लगाने हेतु विशेष जांच प्रभाग स्थापित कर सकें। इस समस्या के परिमाण को देखते हुए तथा इस समस्या से ग्रस्त ग्रामों को इस कार्यक्रम के अधीन शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) 1972-73 में शुरू किया। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य ऐसे ग्रामों में इन स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत अनुदान सहायता देना है। यह कार्यक्रम 1973-74 तक जारी रहा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-75 से) के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के लागू करने के परिणामत: इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। जब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन चुनिंदा समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो 1977-78 में इस कार्यक्रम को पुन: लागू किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम को उस समय एक मिशन का रूप दिया गया जब 1986 में पेय जल तथा संबद्ध जल प्रबंधन के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन जो राष्ट्रीय पेय जल मिशन (एनडीडब्ल्यूएम) के रूप में भी जाना जाता है शुरू किया गया जो पांच सामाजिक मिशनों में से एक था। एनडीडब्ल्यूएम का 1991 में नाम बदल कर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन रखा गया। पेय जलापूर्ति भारत निर्माण के छह घटकों में से एक है, जिनके अंतर्गत उन सभी शेष बस्तियों को शामिल किया जाना है जिन्हें शामिल नहीं किया जा सका। गुणवत्ता प्रभावित सभी बस्तियों की गुणवत्ता संबंधित समस्याओं को 2005-06 से 2008-09 तक की चार वर्ष की अवधि के दौरान सुलझाया जाएगा। भारत निर्माण के अंतर्गत फरवरी, 2008 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आशा है कि शेष बस्तियों को मार्च, 2009 तक शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण I

तकनीकी विशेषज्ञ ग्रुप (टीईजी) के विचारणीय विषय (टीओआर)

(1) मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का विश्लेषण तथा मसलों तथा उदीयमान चुनौतियों का पता लगाना ताकि देश के सभी भागों में ग्रामीण समुदाय को स्थायी रूप से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल मिल सके और सफाई सेवाएं मिल सकें।

(2) गरीबी को कम करने तथा स्वच्छ पेयजल एवं सफाई सुविधाएं मुहैया कराकर गरीब लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से अन्य क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण परस्पर संबंधों का पता लगाना और बेहतर संचालन तथा इसके साथ-साथ एनआरएचएम, वाटर शैड विकास तथा प्रबंधन, आवास तथा प्रौद्योगिकी विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में नवीन अनुसंधान क्षेत्र, ग्रामीण रोजगार एवं एनआरईजीए आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ उनके साथ संस्थागत संबंधों की सिफारिश करना।

(3) तृणमूल स्तर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से पेयजलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा करें और उनके बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने हेतु उपायों की सिफारिश करें और साथ ही भारत में वर्ष 2012 तक सभी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों तथा संसाधनों को समुचित रूप से सारणी बद्ध करने हेतु कार्य नीति की सिफारिश करना।

(4) जल तथा सफाई व्यवस्था प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग, नए आरएनडी प्रयासों और नवीनतम प्रगति, एकीकृत जल और सफाई प्रबंधन, सतह, भूमि तथा वर्षा जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी प्रगति तथा उसे अपनाने के बीच मौजूदा अंतरालों का पता लगाना और इन अंतरालों को पाटने के लिए समुचित कार्यनीतियां तैयार करना।

(5) राज्यों तथा पीआरआई में क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ऐसी कार्यपद्धतियों/एजेंसियों/संरचनाओं का सुझाव देना जिनके माध्यम से जनता के लिए सृजित सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने संबंधी मुद्दे हल किए जा सकें।

(6) इस क्षेत्र में ऐसे भावी मानव संसाधनों की मांग की आकलन करना जिसके पास उपयुक्त ज्ञान तथा कौशल हो तथा सभी स्तरों पर मानव संसाधन विकास के लिए कार्य नीति सुझाना/ऐसी भूमिका/दायित्व तथा कार्यपद्धति का सुझाव देना जिन्हें मिशन/एजेंसी अपनाकर स्थानीय निकायों/प्रयोक्ता समूहों, ग्राम समुदायों को इस बात के लिए प्राधिकार दे सकें कि वे ग्राम/बस्ती स्तर पर पेयजल एवं सफाई व्यवस्था के लिए योजना बना सके उसका कार्यान्वयन कर सकें, उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकें तथा उस पर नियंत्रण रख सकें।

(7) जल गुणवत्ता, पेयजल मानकों, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था, पेयजल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने संबंधी व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता को प्रभावित करके अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति करने, पेयजल स्रोतों के संरक्षण आदि से संबद्ध सभी मौजूदा संगत कानूनी/नियामक पहलुओं/मुद्दों पर विचार करते हुए यदि आवश्यक हो तो इनमें सुधार करने हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(8) सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था तथा प्रदूषण नियंत्रण अपेक्षाओं के नियंत्रण/विनियमन तथा प्रवर्तन हेतु तौर तरीके सुझाना।

(9) अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों के कार्यकलापों और योगदान की समीक्षा करना तथा उनके कार्यकलापों के ऐसे संभावित क्षेत्रों की सिफारिश करना ताकि मंत्रालय/मिशन के भरसक प्रयासों में उनके सीमित सहयोग के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बेहतर उपायों हेतु बेहतर समन्वय व्यवस्था की सिफारिश करना, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेंसियों, सिविल सोसाइटी, एनजीओ/सीबीओ, गैर-सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकारों, आरएण्डडी संस्थाओं और पीआरआई के साथ बेहतर भागीदारी हेतु किसी नई व्यवस्था की सिफारिश करना।

(10) लघु निजी उद्यम सहभागिता के प्रोन्नयन तथा क्षेत्रीय विकास एवं आम सृजन हेतु स्थानीय स्तरीय आर्थिक कार्यकलाप के लिए निजी क्षेत्र सहभागिता हेतु क्षेत्रों का पता लगाना।

(11) मिशन की वर्तमान संरचना और इसके संबंध तथा मंत्रालय में इसके कार्य संचालन, राज्य सरकारों तथा उसकी एजेंसियों के साथ उसके पारस्परिक संबंध एवं संसाधनों के आबंटन की समीक्षा करना। ज्ञान आधारित संरचनात्मक मौजूदा कमियों एवं उदीयमान मुद्दों और चुनौतियों से निपटने हेतु मौजूदा कमियों की समीक्षा करना और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन/विभाग की समुचित पुनर्संरचना/उन्हें सुदृढ़ बनाने का सुझाव देना।

(12) ऐसी किसी कार्यनीति अथवा योजना का सुझाव देना/सिफारिश करना जिसका उपर विशेष उल्लेख नहीं किया गया हो और वह ग्रुप के मतानुसार मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान कर सकती हो।

विवरण II

पेयजलापूर्ति विभाग

भारत निर्माण-ग्रामीण जलापूर्ति: संचयी उपलब्धियां

(बस्तियों की सं.)

घटक	लक्ष्य (2005-09)	2005-06		2006-07		2007-08		संचयी
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां
शामिल नहीं की गई बस्तियां	55067	11897	13121	18120	12440	16886	6890	32451
स्लिप्ड-बैक बस्तियां	331604	34373	79544	40000	89580	90000	49012	218136
गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां	216968	10000	4550	15000	5330	48613	88209	98089
कुल	603639	56270	97215	73120	107350	155499	144111	348676

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फरवरी, 2008 तक दी गई सूचना के अनुसार।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना

4612. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री सूरज सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सा बीमा पालिसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु चिकित्सा बीमा अभी भी कठिन है जैसा कि दिनांक 14 मार्च, 2008 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी चिकित्सा बीमा प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वरिष्ठ नागरिकों हेतु उपलब्ध चिकित्सा बीमा पालिसियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सेवाओं का नाम	बीमाकर्ता का नाम	पालिसी लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ मेडिक्लेम	नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	80 वर्ष
2.	वरिष्ठ नागरिक पालिसी	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	80 वर्ष
3.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पालिसी (सिल्वर प्लान)	युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	80 वर्ष
4.	हैल्थ आफ प्रिविलेज्ड एल्डर (एचओपीई)	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कोई सीमा नहीं

1	2	3	4
5.	मेडि-क्लासिक	स्टार एंड एलाइड हैल्थ इंश्योरेंस	75 वर्ष
6.	मेडि-प्रीमियर	स्टार एंड एलाइड हैल्थ इंश्योरेंस	75 वर्ष
7.	सिल्वर हैल्थ	बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंस	70 वर्ष
8.	वैयक्तिक मेडिशील्ड	इफको-टोकिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	70 वर्ष
9.	वैयक्तिक मेडिक्लेम	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	80 वर्ष
10.	गुड हैल्थ	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	75 वर्ष
11.	मेडि-सेफ स्टैंडर्ड मेडिक्लेम	रायल सुंदरम	75 वर्ष
12.	हैल्थ फारएवर बीमा पालिसी	रायल सुंदरम	75 वर्ष
13.	इजी हैल्थ (ग्रुप)	अपोलो-डीकेवी	80 वर्ष
14.	समूह स्वास्थ्य बीमा	आईसीआईसीआई लोमबर्ड	80 वर्ष
15.	फैमिली मेडिकेयर पालिसी	युनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	80 वर्ष

(ख) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने विशेष रूप से 60 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा योजनाएं आरंभ की हैं। सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां प्रतिकूल दावों के अनुभव के कारण, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में परिवर्तन/संशोधन करती हैं तब बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) उन्हें यह सलाह देता है कि पूर्व संशोधित पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का प्रभार, पूर्व संशोधित पालिसी के प्रीमियम के 50-75% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को कुछ वरिष्ठ नागरिक समूहों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर, आईआरडीए द्वारा गठित के.एस. शास्त्री समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के अनुरोध सहित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यावेदन आईआरडीए को अग्रेषित कर दिए गए हैं। आईआरडीए ने सूचित किया है कि शास्त्री समिति की सिफारिशें जांच/कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2008-09 में, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अदा करने वाले व्यक्तियों के लिए अपने अभिभावक/अभिभावकों के लिए धारा 80(घ) के अंतर्गत 15,000/- रु. की अतिरिक्त कटौती की अनुमति के लिए प्रस्ताव किया है। इस धारा के अंतर्गत, 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले अभिभावकों के लिए 20,000/- रु. की कटौती की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

नई पेंशन प्रणाली

4613. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन निधि विनियामक विकास एजेंसी (पीएफआरडीए) ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) हेतु पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई पेंशन प्रणाली के दायरे में केन्द्र व राज्य सरकारों के कितने कर्मचारियों को लाया जाएगा;

(घ) क्या नई पेशन प्रणाली के कारण केन्द्र सरकार पर भारी देयता की स्थिति उत्पन्न होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) पेंशन निधियों के तीन प्रायोजक नामत: भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और यूटीआई आस्ति प्रबंधन कंपनी को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन निधि का प्रबंधन करने के लिए चुना गया है। इन तीनों प्रायोजकों ने पेंशन निधियों को अलग इकाइयों के रूप में निगमित करते हुए उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नई कंपनियों के रूप में पंजीकृत करवा लिया है। ये नई कंपनियां हैं: एसबीआई पेंशन फंड लि.; यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लि. और एलआईसी पेंशन फंड लि.।

(ग) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार इस समय केन्द्र सरकार में (स्वायत्तशासी निकायों, अन्तरिक्ष विभाग, दिल्ली प्रशासन डाक विभाग, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, को छोड़कर) एनपीएस के अधीन 3,52,941 कर्मचारी कवर किए गए हैं। 19 राज्यों ने एनपीएस के कार्यान्वयन को अधिसूचित कर दिया है। तथापि, भारत सरकार के पास एनपीएस के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों के कवरेज के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) एनपीएस सरकार पर अत्यधिक दायित्व का भार नहीं डालता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत पूल फंड के अंतर्गत परियोजनाएं

4614. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत पूल फंड के अंतर्गत असम के नगरों में विभिन्न अवसंरचनाओं की स्थापना करने हेतु परियोजनाएं मंत्रालय के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) 10 प्रतिशत एक मुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत 31.3.2008 तक असम के कस्बों में विभिन्न अवस्थापनों की स्थापना हेतु 28 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन निम्नलिखित आधार पर होता है-

(1) स्कीम के अंतर्गत शामिल विभिन्न राज्यों के लिए जारी तथा नई परियोजनाओं हेतु धन की उपलब्धता;

(2) तकनीकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन निष्कर्ष; तथा

(3) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाएं खरी उतरना/ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार 2007-08 के दौरान इस स्कीम के अधीन अनुमोदन हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है जो दिशा-निर्देश के अनुरूप हो तथा तकनीकी एजेंसियों द्वारा अनुमोदन हेतु जिसकी सिफारिश की गई हो।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन वर्ष	अनुमोदित अनुमानित राशि	निष्पादन एजेंसी
1	2	3	4	5
	असम			
1.	गुवाहाटी नगर निगम सड़कों/बाईलेन, असम फेज-1 का एकीकृत विकास	2002-03	2426.54	एनबीसीसी
2.	गुवाहाटी, असम के नूनामती क्षेत्र हेतु वर्षा जल निकास स्कीम		2468.59	एनबीसीसी
3.	वर्षा जल निकास स्कीम का निर्माण, सीलापत्थर कस्बा, असम	2003-04	2240.84	एनबीसीसी
4.	जोरहाट मास्टर प्लान क्षेत्र, असम हेतु वर्षा जल निकास स्कीम का निर्माण	2004-05	1519.36	राज्य सरकार
5.	नाजीरा, असम में नाजीरा बिजनिस सेंटर (मार्किट काम्पलेक्स) का निर्माण	2004-05	334.63	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
6.	गोलाघाट मास्टर प्लान क्षेत्र जल निकास स्कीम फेज-1, असम (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2004-05	718.56	राज्य सरकार
7.	ना-पुखूरी पीओ और पीएस तिनसुकिया, असम में बस टर्मिनल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2004-05	220.99	राज्य सरकार
8.	गुवाहाटी की लेन और बाइलेन का सुधार, फेज-2 (भाग-1), असम	2005-06	2416.45	एनबीसीसी
9.	तिनसुकिया, असम में ट्रक टर्मिनल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2005-06	229.21	राज्य सरकार
10.	सोनारी, असम में बहु-उपयोपी भवन का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2005-06	496.00	राज्य सरकार
11.	धीमाजी कस्बा, असम हेतु निकास प्रणाली (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	1217.00	राज्य सरकार
12.	मोरन, असम में सड़कों का सुधार (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	238.86	राज्य सरकार
13.	डोकमोका, असम में बिजनेस सेंटर का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	461.00	राज्य सरकार
14.	सिलचर वर्षा जल निकास परियोजना (फेज-1) असम (निष्पादन एजेंसी, एनबीसीसी)	2006-07	1700.70	एनबीसीसी
15.	जोराहाट, असम में ट्रक टर्मिनल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	1016.67	राज्य सरकार
16.	तिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र वर्षा जल निकास स्कीम, फेज-1, असम (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	1391.11	राज्य सरकार
17.	दीपूह, असम में बिजनेस सेंटर का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	472.24	राज्य सरकार
18.	ढींग, असम में बिजनेस सेंटर का निर्माण (निष्पादन एजेंसी, राज्य सरकार)	2006-07	494.86	राज्य सरकार
19.	लखीपुर में व्यावसायिक काम्पलेक्स (काचर जिला)	2007-08	455.13	राज्य सरकार
20.	नार्थ लखीपुर में व्यावसायिक काम्पलेक्स	2007-08	354.74	राज्य सरकार
21.	कोकराझार में व्यावसायिक काम्पलेक्स	2007-08	462.91	राज्य सरकार
22.	हेलाकुण्डी में व्यावसायिक काम्पलेक्स	2007-08	435.90	राज्य सरकार
23:	डिब्रूगढ़ में व्यावसायिक काम्पलेक्स	2007-08	460.26	राज्य सरकार
24.	पाठशाला में व्यावसायिक काम्पलेक्स	2007-08	351.84	राज्य सरकार
25.	धेकियाजुली में व्यावसायिक काम्पलेक्स	2007-08	452.47	राज्य सरकार

1	2	3	4	5
26.	करीमगंज में निकास नेटवर्क	2007-08	1183.57	राज्य सरकार
27.	गुवाहाटी (फेज-2, भाग-2), असम के बाईलेन का सुधार	2007-08	2470.66	एनबीसीसी
28.	सपतग्राम, असम में टाऊन हाल का निर्माण	2007-08	132.77	राज्य सरकार
	कुल		26823.848	

फायनांसियल एन्क्लुजन फंड संबंधी समिति

4615. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान फायनांसियल एन्क्लुजन फंड (एफ.आई.एफ.) और फायनांसियल एन्क्लुजन टेक्नोलाजी फंड (एफ.आई.टी.एफ.) सृजित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समग्र विकास की अवधारणा को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आधार के रूप में लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। दोनों कोष की स्थापना नाबार्ड में की गई है। मार्च 2008 में, भारत सरकार और नाबार्ड ने प्रत्येक निधि में क्रमश: 10 करोड़ रु. और 5 करोड़ रु. का अंशदान किया है। यह उम्मीद है कि शीघ्र ही, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक निधि में 10 करोड़ रु. का समान हिस्से का अंशदान करेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित है कि तीव्रतर, और व्यापक और समावेशित वृद्धि पर आधारित एक नए भावी दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नीतियों की पुनर्संरचना का अवसर प्रदान किया जाना है। यह योजना गरीबी कम करने और विभिन्न प्रकार के भेदभाव/विभाजन जो हमारे समाज को विभाजित करते हैं, को पाटने के लक्ष्य को लेकर बनायी गयी है। समावेशित विकास की योजना की रणनीति का एक मुख्य तत्व अपने बहुजन समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ पेय जल, इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरा जोर देना, होना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर सरकार को इन सुविधाओं की उपलब्धता समावेशित विकास की योजना के आवश्यक भाग के रूप में सुनिश्चित करना होगा।

परिसीमान आयोग

4616. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने अगला लोक सभा चुनाव परिसीमन आयोग द्वारा पुनर्निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे परंतुक और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात्, (1) गोवा, (2) पांडिचेरी, (3) मिजोरम, (4) केरल, (5) राजस्थान, (6) पश्चिम बंगाल, (7) छत्तीसगढ़, (8) पंजाब, (9) महाराष्ट्र, (10) सिक्किम, (11) दिल्ली, (12) गुजरात, (13) उड़ीसा, (14) उत्तर प्रदेश, (15) उत्तरांचल, (16) हिमाचल प्रदेश, (17) हरियाणा, (18) आंध्र प्रदेश, (19) मध्य प्रदेश, (20) कर्नाटक, (21) तमिलनाडु, (22) बिहार में तुरंत प्रभाव से परिसीमन आदेशों को प्रभावी करते हुए 19 फरवरी, 2008 को एक राष्ट्रपतीय आदेश जारी किया गया है। त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के संबंध में परिसीमन आदेश को 20 मार्च, 2008 से प्रभावी किया गया है।

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क के अनुसरण में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संबंध में परिसीमन कार्य को तारीख 8 फरवरी, 2008 के चार आदेशों द्वारा आस्थगित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 10ख ने झारखंड राज्य के संबंध में जारी परिसीमन आयोग के आदेशों को अकृत कर दिया है। इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सभी राज्यों के संबंध में परिसीमन कार्य पूरा हो गया है।

भारत निर्वाचन आयोग को, परिसीमन आदेशों को समेकित करने और ऐसे अन्य उपाय, जो नए परिसीमन आदेशों के निबंधनों के अनुसार भावी निर्वाचनों के संचालन के लिए अपेक्षित हों, करने में समर्थ बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 10), जो 16 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ था, के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा ऋण

4617. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में भारतीय/विदेशी बैंकों द्वारा वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण तथा वाहन ऋण में वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋणों में इस वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 31 मार्च, 2005, 2006 और 2007 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गृह ऋण एवं वाहन ऋण सहित बकाया वैयक्तिक ऋणों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) 31 मार्च, 2006 की तुलना में, 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, बकाया वैयक्तिक ऋण में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह वर्ष 2006-07 के दौरान अर्थव्यवस्था में हुई समग्र ऋण संवृद्धि से कुछ कम थी। सरकार, संवृद्धि को प्रोत्साहित करने की नीति पर चलती रही है वहीं वैयक्तिक ऋणों द्वारा वित्तपोषित विशिष्ट क्षेत्रों सहित अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति के दबावों की अनुमति नहीं दे रही है।

विवरण

31 मार्च की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का, पेशे के अनुसार, राज्य-वार बकाया ऋण

(राशि लाख रुपये में)

राज्य	वैयक्तिक ऋण*			गृह ऋण			वाहन ऋण		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10341	10419	14885	4319	4023	6445	1227	1247	1566
आंध्र प्रदेश	2316516	2886819	3711893	1118351	1389705	1918595	142111	214098	277195
अरुणाचल प्रदेश	14465	19985	25269	3308	3880	4118	2306	3294	4161
असम	280879	397118	533254	98039	134035	173951	20909	40088	58503
बिहार	431309	582138	857719	155911	226001	382583	17315	26683	48567
चंडीगढ़	232290	365553	403993	141347	231103	233230	27754	52031	74389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	197918	265811	354117	72692	103055	152475	14684	23460	28775
दादरा और नगर हवेली	1932	3552	4962	1028	1645	2539	97	503	683
दमन और दीव	3322	3810	4223	876	1411	1585	677	703	1094
दिल्ली	2124927	3123830	3434260	1070387	1619332	1761894	326537	474816	549949
गोवा	99533	130014	158664	41138	54956	75148	16846	27510	27639
गुजरात	992405	1436106	1993419	428211	655716	1006641	91581	188781	222926
हरियाणा	533220	997180	996290	271865	612696	559891	54655	82292	108323
हिमाचल प्रदेश	134633	193876	241687	69014	110210	138116	10793	16872	20251
जम्मू-कश्मीर	161275	213985	280570	42929	54956	74217	25344	36637	44194
झारखंड	240702	332113	393085	62883	85864	106268	12857	29932	33435
कर्नाटक	2588552	3737357	4570627	1429402	2212329	2831693	171047	269058	302286
केरल	1493195	1935578	2373848	880154	1111102	1379825	110981	190286	224541
लक्षद्वीप	870	1390	1713	287	465	437	6	5	7
मध्य प्रदेश	762071	1025215	1118340	358706	452781	546138	58084	95708	99913
महाराष्ट्र	4569739	6474855	8421149	2477621	3699488	4875059	585913	928319	1014280
मणिपुर	20756	33213	41688	10579	13336	18607	1438	1903	2785
मेघालय	74156	125101	59608	39386	61107	15174	3368	5574	3852
मिजोरम	22903	31803	43380	15161	22348	31592	461	1261	1606
नागालैंड	14383	22524	36844	1606	2347	5850	986	1540	2425
उड़ीसा	628288	809094	920378	325321	381914	410808	40220	74816	76593
पांडिचेरी	45179	60991	80835	19034	27309	35900	3569	7088	10297
पंजाब	871091	1121580	1292979	409995	568673	635250	99340	134653	159480
राजस्थान	837601	1182841	1466622	384903	596920	744303	95525	150431	199658
सिक्किम	25535	36444	48599	15465	23477	34358	1165	2198	2013
तमिलनाडु	2792142	3733382	4467797	1286214	1743206	2155602	190690	276292	332555
त्रिपुरा	31084	50413	65951	9412	20414	31148	668	1235	2234
उत्तर प्रदेश	1557033	1985021	2363156	794881	1070351	1313008	130017	187117	228119
उत्तराखंड	193195	256320	312467	86924	116242	144678	16142	28115	38570
पश्चिम बंगाल	1294697	1737107	2261924	552353	804322	1085212	158840	241173	284423
कुल	25598137	35322538	43356195	12679702	18218725	22892338	2434153	3815719	4487287

टिप्पणी: मार्च, 2007 के आंकड़े अनंतिम है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मूल सांख्यिकीय विवरण)

*वैयक्तिक ऋण में गृह ऋण और वाहन ऋण शामिल है।

[अनुवाद]

मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

4618. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री सुव्रत बोस:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 90,000 से अधिक मैला ढोने वालों को अभी भी मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्त किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एकीकृत अल्प लागत स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में राज्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर इसके दिशानिर्देशों में संशोधन का कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए संभावित समय-सीमा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारत सरकार मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार स्कीम (एसआरएमएस) कार्यान्वित करती है। इस स्कीम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2007 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मैला ढोने वाले उन व्यक्तियों का पुनर्वास करना है जो कभी मैला ढोते थे तथा जिनके पुनर्वास हेतु अब सहायता दी जानी है। स्कीम के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों की संख्या 3,42,468 है जिनमें उनके आश्रित भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र प्रायोजित "एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम" (आईएलसीएस) के संशोधित दिशानिर्देश सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं। संशोधित स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में एक समयबद्ध तरीके से मौजूदा शुष्क शौचालयों को वर्ष 2009-10 तक जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

संशोधित एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय अवस्थितियों के अनुकूल (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) सुपर स्ट्रक्चर एवं उचित अंतराल वाले दो गड्ढे वाले जलवाही शौचालयों के निर्माण के जरिए कम लागत वाले शौचालयों का निर्माण करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन परिवारों के लिए नए शौचालयों का निर्माण करना जिनके पास कोई शौचालय नहीं है।

(2) जनसंख्या मानदंड पर ध्यान दिए बिना यह स्कीम "समग्र कस्बा" कवरेज आधार पर है। स्कीम केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सीमित है।

(3) अभी तक राज्यों द्वारा बताए गए 6 लाख शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने के संबंध में प्रारम्भ में 75% का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। जलवाही शौचालयों के लिए 25% प्रावधान उन लाभार्थियों के लिए है जिनके पास कोई शौचालय नहीं हैं।

(4) इस स्कीम के लिए वित्तपोषण इस प्रकार किया जाएगा:-

केन्द्रीय सब्सिडी 75%, राज्य सब्सिडी 15% तथा लाभार्थी अंश 10%

(5) सुपरस्ट्रक्चर (दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों को छोड़कर) वाले दो गड्ढे वाले जलवाही निजी शौचालय की एक इकाई का निर्माण पूरा करने के लिए ऊपरी लागत सीमा 10,000 रुपए दी गई है। दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए दो गड्ढे वाले प्रत्येक जलवाही शौचालय के लिए 25% अतिरिक्त लागत मुहैया करायी जाती है। यह स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ही है तथा उसमें ऋण घटक शामिल नहीं होता। यह स्कीम आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(6) राज्यों को इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों का चयन करना चाहिए जिसका वित्तपोषण कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 5:1 के अनुपात के आधार पर केन्द्र तथा राज्य द्वारा वहन की जाने वाली कुल परियोजना लागत के अतिरिक्त अधिकतम 15% तक किया जाएगा।

(7) एमआईएस, निगरानी प्रणाली, क्षमता निर्माण और आईईसी घटकों के प्रयोग के लिए कुल केन्द्रीय आवंटन का 1% मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने पास रखा जाए।

(8) हडको इस स्कीम के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। तथापि, इसका उपयोग तकनीकी सहायता मुहैया कराने जैसे राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

(9) 6 लाख शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने के लिए कुल परियोजना लागत 715.48 लाख रुपए है जिसमें से 11वीं परियोजना के दौरान केन्द्रीय सब्सिडी 545.16 करोड़ रुपए होती है। संशोधित एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम में तीन वर्ष की अवधि (2007-2010) के भीतर सभी मौजूदा शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने हेतु विचार किया गया है।

दवा कंपनियों द्वारा शेयरधारकों की राशि हड़पना

4619. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि कुछ दवा कंपनियां ऋण लाइसेंसिंग तथा अनुबंध विनिर्माण के माध्यम से शेयरधारकों की राशि हड़प रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दादरी विद्युत संयंत्र के विस्थापित

4620. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दादरी ताप विद्युत परियोजना से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की काफी समय से कोई मांग लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मांग सरकार द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) एनटीपीसी दादरी परियोजना के लिए 1986 में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भू-अधिग्रहण (एल.ए.) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भूमि का अधिग्रहण किया गया था। पात्र व्यक्तियों को भू-अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त, एनटीपीसी दादरी ने, समय-समय पर अपनी मौजूदा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति एवं व्यवहार के अनुरूप, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्यकलाप कार्यान्वित किए हैं। विस्थापित लोगों से रोजगार हेतु कुछेक वैयक्तिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय दादरी परियोजना में कोई भर्ती नहीं हो रही है। एनटीपीसी परियोजनाओं में आवश्यकता होने पर की जाने वाली भर्ती यथा लागू इसकी भर्ती नीति एवं सरकारी नीतियों के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत महाराष्ट्र से प्रस्ताव

4621. श्री बापू हरी चौरे:
श्री वसंतराव मोरे:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अनुदानों की स्वीकृति के लिए 97 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है;

(ग) कितने प्रस्ताव सरकार के पास अभी तक लंबित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों पर शीघ्र अनुदान जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) मंजूर करने के लिए 141 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इनमें से अभी तक 58 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मंजूर की गई हैं।

(ग) और (घ) चार विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। विचाराधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशों के अनुसार होना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

झुग्गी झोपड़ी तथा पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार

4622. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी कालोनियों तथा पुनर्वास कालोनियों का इनके स्थानों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अधिकार उन्हें कब तक प्रदान किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न भागों यथा मदनगीर, नांगलोई, सीलमपुर, नन्दनगरी, मंगोलपुरी, शकूरपुर, मादीपुर, ख्याला, खानपुर, कल्याणपुरी, दक्षिणपुरी, गोकुलपुरी, श्रीनिवासपुरी, नरेला, मदनपुर खादर इत्यादि में स्थित जेजे पुनर्वास/पुनर्स्थापन कालोनियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग

(1) जेजे पुनर्स्थापन कालोनियां (25 वर्ग गज): 44

(2) जेजे पुनर्स्थापन कालोनियां (80 वर्ग गज): 5

(3) जेजे पुनर्स्थापन कालोनियां (18 तथा 12.5 वर्ग मी.): 32

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(1) जेजे पुनर्स्थापन कालोनियां (18 तथा 12.5 वर्ग मी.): 6

(ख) से (घ) पहले यह निर्णय लिया गया था कि झुग्गी-झोपड़ी हटाओं स्कीम के अंतर्गत प्लाटों/टेनेमेंटों के आबंटियों को लीजहोल्ड अधिकार प्रदान किया जाए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने "पीतमपुरा सुधार समिति बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य" नामक सिविल रिट याचिका संख्या 4215/995 में अपने दिनांक 12.10.1998 तथा 27.9.2002 के आदेशों के तहत यह निदेश दिया था कि पुनर्स्थापन आधार पर अथवा पुनर्स्थापन स्कीम के अंतर्गत आबंटित भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय के भीतर आदेश के खिलाफ अपील नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन

4623. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) का विचार वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता से 2700 मेगावाट की वृद्धि करने का है जैसा कि 14 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन क्षमता में किस प्रकार वृद्धि किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) एनटीपीसी लि. ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2008-09 में 2160 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता चालू करने का अनुमान लगाया है-

क्र.सं.	परियोजनाएं (स्थल)	क्षमता (मेगावाट)
1.	सीपत-2, यूनिट-5 (छत्तीसगढ़)	500 (1×500)
2.	भिलाई (विस्तार) यूनिट-1 व 2, छत्तीसगढ़ (सेल के साथ संयुक्त उद्यम)	500 (2×250)
3.	कहलगांव-2, फेज-2, यूनिट-7 (बिहार)	500 (1×500)
4.	सीपत-1, यूनिट-1 (छत्तीसगढ़)	660 (1×660)
	कुल	2160

एनटीपीसी ने रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लि. (आरजीपीपीएल), जो गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) और भारतीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) का एक संयुक्त उपक्रम है, के द्वारा निष्पादित की जा रही तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर आधारित 670 मेगावाट क्षमता के प्रथम ब्लाक को पुनर्जीवित करने की भी परिकल्पना की है।

संपत्तियों को सीलमुक्त किया जाना

4624. डा. राजेश मिश्रा:
श्री अथतार सिंह भडाना:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में संपत्तियों को सीलमुक्त किए जाने की प्रक्रिया को तेज करने के संबंध में कोई निदेश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2007 में 31.12.2008 तक के अनधिकृत विकास कार्यों की कुछ श्रेणियों के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखने की व्यवस्था की गई है।

अधिनियम में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को अधिकार भी दिया गया है। तदनुसार केन्द्र सरकार ने यथा स्थिति बनाए रखने के लिए सीलिंग हटाने (डी-सीलिंग) सहित उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2008 की अधिसूचना जारी करके स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए।

[हिन्दी]

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का भारत पर प्रभाव

4625. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की आर्थिक प्रगति से प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत का शेयर-बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, शंघाई तथा टोक्यो आदि के शेयर-बाजारों से लगातार प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे प्रभावों का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अधिकाधिक वैश्वीकृत होते जा रहे विश्व के आर्थिक वातावरण में विश्व के अन्य देशों में हो रहे आर्थिक घटनाक्रमों का व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर, जिनमें भारत भी शामिल है, कुछ असर अवश्य पड़ता है। तथापि, भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय बाजारों में हाल में हुई हलचल के प्रतिकूल प्रभाव को मंद कर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समुत्थान शक्ति का कारण सुदृढ़ घरेलू मांग और निवल विदेशी मांग पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता तथा तुलनात्मक रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों के प्रति भारतीय वित्तीय बाजारों का कम प्रत्यक्ष जोखिम रहा है। उभरती स्थिति को मानीटर करना और अन्य देशों में हो रहे घटनाक्रमों से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) स्टाक सूचकांक अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों के बारे में निवेशकों-घरेलू और विदेशी, खुदरा और संस्थागत की बदलती धारणाओं पर निर्भर करते हुए बढ़ते अथवा घटते रहते हैं। विभिन्न स्टाक बाजारों में हाल ही घट-बढ़ अन्य कारकों के साथ-साथ अमरीकी सबप्राइम मारगेज संकट, अमरीकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कमी, येन कैरी ट्रेड, तेल की कीमतों में वृद्धि आदि के कारण हुई कही जा सकती है। प्राधिकारी स्टाक सूचकांकों की घटबढ़ के प्रबंधन अथवा नियंत्रण का प्रयास नहीं करते हैं। उन्होंने सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बाजार के संवर्धन

और बाजार की विश्वसनीयता के संरक्षण हेतु प्रणालियों और प्रथाओं की व्यवस्था स्थापित कर रखी है। इन संस्थापित प्रणालियों में आनलाइन मानीटरिंग और निगरानी, स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन अपेक्षाएं और सर्किट फिल्टर जैसे उन्नत जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एस.पी.वी.

4626. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना समयचक्र को कम करने के उद्देश्य से जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बोली मानदण्डों में संशोधन करने का है जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा परियोजना निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना तथा उसके बाद विशेष प्रयोजनार्थ व्हीकल (एस.पी.वी.) का गठन अनिवार्य हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसके अंतर्गत राज्यों द्वारा बोली आमंत्रित करने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करना और इसके बाद स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) का गठन अनिवार्य रूप से पूर्वापेक्षित हो।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4627. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक कंपनी के लिए कारपोरेट सामाजिक नीति को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नियंत्रण उपाय अपनाए गए हैं जिनसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) का अनुपालन किया जाता है; और

(ग) सरकार उद्योगों में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कंपनियों को सभी पणधारकों के हित में बेहतर कारपोरेट गवर्नेंस व्यवहार के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली के लिए दिशा-निर्देश

4628. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री पुष्प जैन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने ऋणों की वसूली के लिए बाहुबल का प्रयोग नहीं करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन भारतीय तथा विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को बाहुबल का प्रयोग कर ऋणों की वसूली करने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) बैंकों को नई दिशा-निर्देश का पालन करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में इंडियन बैंक एसोसिएशन से संपर्क/विचार-विमर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर बैंक संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) 30 नवम्बर, 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने, बैंकों द्वारा वसूली एजेन्टों की सेवा लेने के संबंध में, दिशानिर्देशों का मसौदा फीडबैक हेतु अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया। व्यक्तियों, संगठनों, बैंकों आदि से प्राप्त हुए फीडबैक के आधार पर दिशानिर्देश संशोधित

किए गए और 25 मार्च 2008 को आरबीआई द्वारा दूसरा मसौदा फीडबैक हेतु जारी किया गया। दिशा-निर्देशों के दोनों मसौदे आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं। दूसरे मसौदे में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा वसूली एजेन्टों की सेवा लेने संबंधी विभिन्न परिचालनात्मक मसले, देय राशि की वसूली के लिए उनके द्वारा अपनाए जा रहे तरीके, वसूली एजेन्टों का प्रशिक्षण, बैंकों के पास बंधक/दृष्टिबंधक संपत्ति का कब्जा लेने की प्रक्रिया आदि शामिल हैं। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे देयराशि की वसूली संबंधी संहिता का कड़ाई से पालन करें।

आरबीआई ने सूचित किया है कि चूक के मामले में ऋणों की वसूली के लिए विदेशी बैंकों सहित कुछ बैंकों द्वारा तथाकथित जोर-जबरदस्ती वाले तरीकों के प्रयोग की घटनाएं उसकी जानकारी में आई हैं। इन शिकायतों को आरबीआई द्वारा उचित कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है और किसी बैंक द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में आरबीआई द्वारा उचित विनियामक कार्रवाई की जाती है। आरबीआई ने बैंकों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी बैंक के वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़क तरीकों के प्रयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर गंभीर पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाएगी। बैंकों के वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़क तरीकों के प्रयोग के संबंध में, आरबीआई उन बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवा लेने के दंडस्वरूप उन बैंकों पर अस्थायी प्रतिबंध (उत्पीड़क तरीकों के लगातार प्रयोग के मामले में स्थायी प्रतिबंध भी) लगा सकता है जिनके अथवा जिनके निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध उनके वसूली एजेंटों द्वारा बुरी पद्धतियों को अपनाए जाने के मामले में किसी उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा अवक्षेप पारित किए गए हैं/दंड लगाए गए हैं।

(ङ) और (च) दिशा-निर्देशों में, वसूली के कार्यों में लगे व्यक्तियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। आरबीआई ने सभी वसूली एजेंटों के लिए एक अनिवार्य प्रशिक्षण-सह-प्रमाणीकरण प्रक्रिया का प्रस्ताव किया है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने, भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के साथ मिलकर, एक ऐसे कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है जिसमें 100 घंटे का प्रशिक्षण और तत्पश्चात् आईआईबीएफ द्वारा आयोजित एक परीक्षा शामिल हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में उच्च मातृत्व मृत्यु दर

4629. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनजातीय क्षेत्रों में मातृत्व मृत्यु दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक देश के सभी भागों के यादृच्छिक ढंग से चयनित कुछ गांवों और शहरी ब्लाकों में जन्म एवं मृत्यु के मामलों का 'प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली' शीर्षक से प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराते रहे हैं। मातृ मृत्यु दर 398 प्रति लाख जीवित जन्म (1997-98) से कम होकर 301 प्रति लाख जीविक जन्म (2003) रह गई है। 1997-98, 1999-01 तथा 2001-03 के संबंध में भारत के महापंजीयक द्वारा बड़े राज्यों में अनुमानित मातृ मृत्यु दरें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ग) भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चला रहा है, जिसके अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

जननी सुरक्षा योजना, संस्थाओं में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद लाभ प्रदान करने वाली स्कीम है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है; गर्भवती महिलाओं सहित संपूर्ण समुदाय को स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं सुलभ कराने के लिए प्रति हजार जनसमुदाय के लिए एक मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री की नियुक्ति; निरंतर प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रैफरल एककों के रूप में सामुदायित स्वास्थ्य केंद्रों तथा 50% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वर्ष 2012 तक प्रचालन; कुशल प्रसव परिचारक प्रशिक्षण, एम.बी.बी.एस. डाक्टरों के लिए लाइफ सेविंग एनेस्थटिक स्किल्स तथा शल्यक्रिया सहित आपातकालिक प्रसविक देखरेख के प्रशिक्षण जैसे विभिन्न बुनियादी कौशल प्रशिक्षणों द्वारा कुशल कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि; आयरन तथा फालिक एसिड की गोलियों की खुराक देकर रक्ताल्पता का निवारण एवं उपचार; आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन; आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पूरक पोषण; बुनियादी ढांचा, उपकरण और विशेषज्ञ कार्मिक प्रदान करके सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक

स्वास्थ्य मानकों का कार्यान्वयन; स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयोजनमुक्त अनुदानों, वार्षिक अनुरक्षण अनुदानों तथा कोरपस कोष जैसी निधियां प्रदान करके जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप-केन्द्रों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार; जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों (अस्पताल प्रबंधन समितियों) की स्थापना; ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की स्थापना।

विवरण

मातृ मृत्यु दर

(भारत में तथा राज्यवार)

(स्रोत: भारत के महापंजीयक द्वारा प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, 1997-98, 1999-01, 2001-03)

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997-98)	मातृ मृत्यु दर (1999-01)	मातृ मृत्यु दर (2001-03)
भारत (कुल)*	398	327	301
असम	568	398	490
बिहार/झारखंड	531	400	371
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	441	407	379
उड़ीसा	346	424	358
राजस्थान	508	501	445
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	606	539	517
आंध्र प्रदेश	197	220	195
कर्नाटक	245	266	228
केरल	150	149	110
तमिलनाडु	131	167	134
गुजरात	46	202	172
हरियाणा	136	176	162
महाराष्ट्र	166	169	149
पंजाब	280	177	178
पश्चिम बंगाल	303	218	194
अन्य	–	276	235

*अन्य भी शामिल हैं।

पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला

4630. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक देश में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश के सभी जिलों में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर गुजरात में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु सरकार के पास अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार उन जिलों में जिला जल जांच प्रयोगशालाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है जिन जिलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। संबंधित राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आज की तारीख तक स्वीकृत और बनाई गई जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। गुजरात राज्य में सभी 25 जिलों के लिए प्रति जिला एक जिला जल जांच प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

22.04.2008 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और बनाई गई जिला जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	स्थायी प्रयोगशालाओं की स्थिति					चल प्रयोगशालाएं	
			केंद्र द्वारा		राज्य द्वारा बनाई गई	अन्य द्वारा बनाई गई	कुल बनाई गई	स्वीकृत	सौंपी गई
			स्वीकृत	बनाई गई					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	23	14	14	37	0	51	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	13	0	0	13	–	–
3.	असम	23	21	21	2	0	23	–	–
4.	बिहार	38	35	35	2	0	37	1	1
5.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1	0	0	0	0	0	–	–
6.	छत्तीसगढ़	16	16	16	0	0	16	–	–
7.	गोवा	2	1	1	1	0	2	–	–
8.	गुजरात	25	21	13	4	0	17	1	1
9.	हरियाणा	19	18	18	1	0	19	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	12	10	10	5	0	15	1	1
11.	जम्मू-कश्मीर	14	9	6	2	0	8	3	3
12.	झारखण्ड	24	7	5	16	1	22	–	–
13.	कर्नाटक	29	23	21	6	0	27	–	–
14.	केरल	14	4	4	10	0	14	–	–
15.	मध्य प्रदेश	48	48	48	14	0	62	1	1
16.	महाराष्ट्र	35	3	3	27	0	30	1	1
17.	मणिपुर	9	8	1	1	0	2	1	1
18.	मेघालय	7	7	7	0	0	7	1	1
19.	मिजोरम	8	8	5	0	0	5	1	1
20.	नागालैंड	8	6	2	0	0	2	1	1
21.	उड़ीसा	30	30	29	0	0	29	1	1
22.	पंजाब	17	12	12	0	0	12	–	–
23.	राजस्थान	32	23	23	10	0	33	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सिक्किम	4	3	2	0	0	2	1	1
25.	तमिलनाडु	30	24	24	4	0	28	1	1
26.	त्रिपुरा	4	3	3	3	0	6	1	1
27.	उत्तर प्रदेश	70	55	55	1	14	70	1	1
28.	उत्तराखंड	13	13	0	3	0	3	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	18	18	18	0	0	18	1	1
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1	0	0	1	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	1	1	1	0	0	1	–	–
32.	दमन व दीव	2	2	2	0	0	2	–	–
33.	दिल्ली	9	0	0	6	0	6	1	1
34.	लक्षद्वीप	1	2	2	7	0	9	–	–
35.	पुदुचेरी	4	2	2	2	0	4	–	–
36.	डी.एल. जोधपुर							1	1
37.	आईटीआरसी, लखनऊ							1	1
38.	आईआईपीएच और पीएच. कोलकाता							1	1
	कुल	608	464	417	164	15	596	23	23

महिला स्वसहायता समूहों को ऋण

4631. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान स्वसहायता समूहों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित किए गए संचयी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने महिला स्वसहायता समूहों का वित्तपोषण किया गया तथा किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए उन्हें ऋण दिया गया है; और

(ग) स्वसहायता समूहों का आगे आने तथा ऋण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक संयोजन कार्यक्रम के तहत संवितरित कुल ऋण राशि 3,479.13 करोड़ रुपये थी।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान, सभी बैंकों द्वारा 11.37 लाख स्व-सहायता समूहों को वित्त पोषित किया गया था, जिनमें से 5.37 लाख स्व-सहायता समूह सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त पोषित किए गये थे। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) द्वारा हाल ही में ही किए गये अध्ययन में पाया गया कि लगभग 80% स्व-सहायता समूहों में केवल महिला सदस्य हैं। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि स्व-सहायता समूहों द्वारा उधार दिए जाने के प्रमुख प्रयोजन कृषि (37.7%), व्यापार एवं शिल्प सहित आय सृजन के अन्य क्रियाकलाप (24.1%),

घरेलू परिसंपत्ति/आवास सुधार (6.0%), ऋण चुकौती (7.6%) और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी मूलभूत उपयोग आवश्यकताएं (24.6%) थे।

(ग) स्व-सहायता समूहों को आगे आने और ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों द्वारा शुरू किए गये कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

* स्व-सहायता समूहों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना।
* स्व-सहायता समूहों को उधार देना बैंक का सामान्य उधार क्रियाकलाप माना जाएगा।
* बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान करना माना जाता है।
* भारतीय रिजर्व बैंक ने स्व-सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए मार्जिन एवं प्रतिभूति मानदंडों में छूट दे दी है।
* बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों के लिए सरलीकृत ऋण प्रलेखीकरण अपनाना।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड, कार्यक्रम के विभिन्न पणधारकों को प्रशिक्षण सहायता देता रहा है और साथ ही विभिन्न स्व-सहायता प्रवर्तन संस्थाओं (एसएचपीआई) को स्व-सहायता समूहों के प्रवर्तन एवं ऋण संयोजन हेतु सहायता भी देता है।

आयकर के लंबित मामले

4632. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न आयकर अपीलीय अधिकरणों के समक्ष हजारों आवेदन/याचिकाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, हां।

(ख) अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के समक्ष पिछले तीन वर्ष के लंबित मामलों के ब्यौरे दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 2002-03 के अंत में 180666 अपीलें लंबित थी, जिनकी संख्या 1.4.2008 को घटकर 70832 अपीलें रह गई हैं। संबंधित वर्षों के दौरान संस्थित अपीलों के निपटारे के अलावा, समान मुद्दों का समूहन करके, जटिल और पेचीदे मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए ज्येष्ठ सदस्यों की विशेष न्यायपीठों को नियत करके लघु मामलों और ऐसे मुद्दों के, जो किसी पूर्व निर्णय के अंतर्गत आते हैं, निपटारे के लिए विशेष अभियान आरंभ करके तथा सभी न्यायपीठों को चलाने का प्रयास करके और साथ ही सदस्यों के कार्यपालन पर उचित प्रशासनिक नियंत्रण और मानीटरिंग रखकर भी अपीलों का निपटारा किया गया था।

वर्तमान में, पूर्वोक्त उपायों को और अधिक उत्साह से किया जा रहा है, जिससे कि अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या में और कमी लाई जा सके।

विवरण

देश भर में अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के समक्ष पिछले तीन वर्षों से लंबित अपीलें

न्यायपीठ	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
मुंबई	31569	26396	22662
पुणे	5380	4239	3026
नागपुर	337	139	853
पणजी	525	283	310
दिल्ली	14396	11813	8717
आगरा	1720	1198	1091
लखनऊ	1782	1592	503
इलाहाबाद	1080	397	315
जबलपुर	587	450	622
कोलकाता	2383	1436	912
पटना (बिहार)	697	986	411
रांची सर्किट न्यायपीठ (झारखंड)	620	319	376
कटक	741	650	481

1	2	3	4
गुवाहाटी	395	277	223
चेन्नई	8332	5904	4674
बंगलौर	3089	1838	1010
कोचीन	2690	2252	2250
अहमदाबाद	13850	11135	10591
इंदौर	4162	2808	1985
राजकोट	575	644	657
हैदराबाद	4036	3910	2753
विशाखापत्तनम	2637	1978	2215
चंडीगढ़	2018	1678	1066
अमृतसर	1175	934	595
जयपुर	1993	1687	1553
जोधपुर .	1699	1193	981
	108468	86136	70832

[हिन्दी]

आवास ऋण का संवितरण

4633. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1999 से 2006 तक आवास ऋण योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुछ ऋण का संवितरण आवासों का निर्माण किए बिना ही कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आवासों का निर्माण नहीं किए जाने के मामले में गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों तथा बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में कोई एफ.आई.आर. दर्ज की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 1999 से वर्ष 2006 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया आवास ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि लाख में)

वर्ष	खातों की संख्या	बकाया राशि
1999	86798	65996
2000	131817	92578
2001	145340	117897
2002	96725	121741
2003	93612	145796
2004	118935	218689
2005	140172	331798
2006	187520	528930

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

(ख) गुजरात राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंक द्वारा इस प्रकार के किसी मामले की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एसएलबीसी के समन्वयक बैंकों के पास इस प्रकार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा ऋण

4634. श्री पंकज चौधरी:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रों को दिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज घटक पर राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में 2.5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों तथा उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले उनके बच्चों को भी कुछ रियायत देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने शिक्षा ऋण को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए बैंकों को कोई दिशानिर्देश/निदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा परिचालित, वर्तमान माडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत लिए गए ऋणों पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) और (च) माडल शिक्षा ऋण योजना के लिए आईबीए द्वारा परिचालित दिशानिर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऋण आवेदनों को सामान्यत: 15 दिनों से एक महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

बी.पी.एल. कर्जदारों को ऋणग्रस्तता से राहत

4635. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त किसानों के लिए घोषित किए गए राहत पैकेज की तर्ज पर गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कर्जदार व्यक्तियों की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्जदारों को ऋणभार से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्व-रोजगारियों को कुछ समयावधि में आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करके गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण गरीबों को सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया के माध्यम से स्व-सहायता समूहों में संगठित करके, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा आय उत्पन्न करने वाली आस्तियों का प्रावधान करके प्राप्त किया जाना है। इस योजना में बैंक ऋणों के माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली आस्तियां सृजित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का घटक शामिल है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 31.03.2007 तक संवितरित किए गए, दिनांक 31.12.2007 को अतिदेय तथा 29.02.2008 तक भुगतान न किए गए लघु और सीमांत किसानों के समस्त ऋणों की पूर्ण माफी शामिल है। इस योजना में बैंकिंग संस्थाओं से कृषि ऋण लेने वाले कई गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार भी शामिल हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण

4636. श्री रनेन बर्मन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं तथा बच्चों का सशक्तिकरण, समानता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों में व्यापक संशोधन किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिफारिशें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ को विशिष्ट अपराध मानते हुए, इन समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय दंड संहिता में कुछ व्यापक संशोधनों की सिफारिशें की हैं तथा बलात्कार सहित सभी प्रकार के यौन प्रहारों के लिए सजा में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव किया है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी उपर्युक्त प्रस्तावों के अनुरूप परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को पहले से अधिक कारगर बनाने के लिए इस अधिनियम में भी कुछ संशोधनों की सिफारिश की

है। आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में विधेयक लाने का प्रस्ताव भी किया है, ताकि इस प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं से कानूनी उपबंधों के अनुसार निपटा जा सके।

(ग) फिलहाल, सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना इस समय संभव नहीं होगा।

रिवर्स मोर्टगेज स्कीम

4637. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक भागों में रिवर्स मोर्टगेज स्कीम शुरू नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा अब तक इस सुविधा का लाभ उठाने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) प्रतिलोम बंधक ऋण (आरएमएल) योजना का प्रारंभ 2007-08 में हुआ था तथा यह कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है। इस योजना के लिए वे वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं जिनका अपना मकान है तथा जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और इस प्रकार, इसका एक सीमित परन्तु विशिष्ट उपयुक्त क्षेत्र है।

(ख) आरएमएल योजना के कारकों में से एक अत्यावश्यक कारक उधारकर्ता तथा इसके साथ-साथ ऋणदात्री संस्था द्वारा कर व्यवहार करना है। इस योजना से उत्पन्न होने वाले कर संबंधी मामलों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के अपने केन्द्रीय बजट, योजना के लिए आयकर अधिनियम में कुछ संशोधनों की घोषणा की है। हालांकि वर्तमान में प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं (पीएलआई) अर्थात् बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों द्वारा लगभग 240 करोड़ रुपये की राशि के लगभग 500 आरएमएल की मंजूरी दी गई है, यह आशा की जाती है कि वर्ष के दौरान ऐसे ऋणों की मांग बढ़ेगी।

वैकल्पिक ईंधन के बारे में अनुसंधान

4638. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री पन्नियन रविन्द्रन:
श्री मोहन सिंह:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वैकल्पिक ईंधन के बारे में कोई अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित एवं खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार जैव-डीजल नीति बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार जैव-डीजल उद्योग को विनियमित करने के लिए जैव-डीजल बोर्ड स्थापित किए जाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) बायो-ईंधनों के उत्पादन, रूपांतरण तथा उपयोग के विभिन्न पहलुओं सहित वैकल्पिक ईंधनों पर अनेक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जा रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 41 करोड़ रु. का व्यय किए जाने की रिपोर्ट दी गई है।

(घ) से (छ) कार्य-आवंटन नियमावली के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राष्ट्रीय बायोईंधन नीति को तैयार करने तथा एक राष्ट्रीय बायोईंधन विकास बोर्ड के गठन का दायित्व सौंपा गया है। इस बोर्ड के गठन हेतु एक प्रस्ताव के साथ-साथ इसके प्रारूप विचारार्थ विषयों और गठन सहित प्रारूप नीति को आवश्यक अनुमोदनों हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रारूप नीति का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा में योगदान, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए परिवहन, स्थैतिक और पोर्टेबल अनुप्रयोगों हेतु पेट्रोल और डीजल को आंशिक रूप

से प्रतिस्थापित करने के लिए बायो-ईंधनों की खेती, उत्पादन तथा प्रयोग को बढ़ावा देना है।

मलिन बस्ती निवासियों के लिए आवास योजना

4639. श्री संजय धोत्रे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पंजीकृत व्यक्तियों को 26 वर्ग-मीटर वाले फ्लैट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "रेजिडेन्शियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम फार स्लम डवैल्र्स एण्ड अदर्स, 1985" नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लम्बा समय बीत जाने के बाद भी उक्त योजना के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अब तक उक्त योजना लागू नहीं करने के लिए डी.डी.ए. के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) से (च) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) के स्लम और झुग्गी झोंपड़ी विभाग, जो पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के पास था तथा इस समय स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ने यह सूचित किया है कि स्लम वासियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को फ्लैट मुहैया कराने के लिए एक स्कीम वर्ष 1985 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 27,693 व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 5,662 पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं। एम.सी.डी. के स्लम और झुग्गी-झोंपड़ी विभाग ने यह भी सूचित किया है कि भूमि की कमी के कारण वह फ्लैटों का निर्माण नहीं कर सका है।

किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

4640. श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि ऋणों पर ब्याज माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों के हिस्से सहित कृषि ऋणों पर ब्याज माफी हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) केन्द्रीय बजट 2008-09 में, सरकार ने किसानों के लिए एक ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की है, जो यह निर्धारित करती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक, छोटे और सीमांत किसानों को संवितरित सभी ऋण जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय हो गये थे और जिनका 29 फरवरी, 2008 तक भुगतान नहीं किया गया था, को माफ कर दिया जाएगा और अन्य किसानों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत 75% राशि का भुगतान किए जाने पर शेष 25% की छूट दी जाएगी।

अनंतिम अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि प्रस्तावित राहत छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए 50,524 करोड़ रु. की ऋण माफी और अन्य किसानों को उनके अतिदेय का 25% एकबारगी निपटान (ओटीएस) के रूप में 9,790 करोड़ रु. को मिलाकर करीब 60,314 करोड़ रु. होगी। इस बजट घोषणा में, इस योजना के कार्यान्वयन के राज्य सरकार के हिस्से का कोई उल्लेख नहीं है।

परिसीमन अधिनियम

4641. श्री नन्द कुमार साय: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने चार पूर्वोत्तर राज्यों तथा झारखंड को परिसीमन अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों ने भी इस प्रकार की छूट की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) मूल अधिनियम में 2 धाराएं 10क और 10ख अंत:स्थापित करते हुए परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 का संशोधन किया गया है। सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जहां भारत की एकता और अखंडता को खतरा है तथा शांति और लोक व्यवस्था को भी गंभीर प्रकृति का खतरा है, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपने आदेशों, जिनका संख्यांक क्रमश: का.आ. 283(अ), का.आ. 284(अ), का.आ. 285(अ) और का.आ. 286(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 है, के द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में परिसीमन कार्य को आस्थगित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10ख ने परिसीमन आयोग द्वारा झारखंड राज्य के संबंध में किए गए अंतिम आदेशों को, वर्ष 2026 तक, उस राज्य में कराए जाने वाले लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में अकृत कर दिया है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के संबंध में अंतिम आदेश क्रमश: 2.6.2006 और 28.12.2006 को जारी किए गए थे। छत्तीसगढ़ के मामले में सहबद्ध सदस्यों के रूप में विधान सभा सदस्यों से कुछ विसम्मत प्रस्ताव और दोनों राज्यों के संसद सदस्यों से कतिपय निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

इस प्रकार, राज्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को तब तक सरकार की सूचना में नहीं लाया गया था जब तक कि पूर्वोक्त परिसीमन आदेशों को राष्ट्रपतीय आदेश द्वारा प्रभावी नहीं किया गया था।

संपत्ति की कीमतें

4642. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में देश में संपत्ति की कीमतें सर्वाधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गरीब लोगों के लिए संपत्ति की कीमतें वहनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) मंत्रालय, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किफायती मकानों की सुलभता की स्थिति को समझता है।

समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती मकानों की सुलभता के मुद्दे से निपटने के लिए पहली शहरी क्षेत्र विशिष्ट राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 (एनयूएचएचपी) तैयार की गई है जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर दिनांक 7.12.2007 को रखा गया था। नीति का उद्देश्य, विभिन्न किस्म के सार्वजनिक-निजी भागीदारी और विभिन्न वित्तीय तथा प्रचालनात्मक नवीनताओं के जरिए सभी के लिए किफायती आवास और विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गतिमान बनाना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप मिशन के तहत 63 चुनिन्दा शहरों तथा एकीत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों व कस्बों में शहरी गरीबों को आवास तथा बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी को आवास ऋण के लिए ब्याज दर सब्सिडी योजना उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्त वर्ष 2008-09 में प्रावधान किया गया है।

शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा निवेश

4643. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट के बाद जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (एस.बी.आई.) जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ संस्थानों ने इक्विटी बाजार में भारी धनराशि का निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इक्विटी बाजार में ऐसे सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि वह राजकोष कारोबार के भाग के रूप में नियमित आधार पर स्टाक मार्केट में निवेश करता है। एलआईसी भी, निधियों के निवेश की सामान्य प्रक्रिया में दैनंदिन आधार पर इक्विटी की खरीद और बिक्री करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दिनांक 21.01.2008 से 31.03.2008 के दौरान इक्विटी मार्केट में किए गए सकल निवेश (खरीद) क्रमश: कुल 13,137.29 करोड़ रुपए तथा 813.55 करोड़ रुपए थे।

[हिन्दी]

काउंटर मैगनेट सिटी

4644. श्री संतोष गंगवार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में कितने शहरों को विकसित किया जा रहा है/ विकसित किए जाने का विचार है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त शहरों में प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना में बरेली शहर को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सूचित किया है कि क्षेत्रीय योजना, 2021 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 शहरों, नामत: उत्तर प्रदेश में बरेली, हरियाणा में हिसार, पंजाब में पटियाला, राजस्थान में कोटा तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर को काउंटर मैगनेट क्षेत्र (सीएमए) के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने शुरूआत से लेकर अब तक इन पांच सीएमए कस्बों में 13 अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता मंजूर की है। इनमें से 4 परियोजनाएं गत पांच वर्षों के दौरान मंजूर की गई है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ऐसे काउंटर मेग्नेट क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की स्थिति, जहां पर एन सी आर पी बी द्वारा ऋण सहायता प्रदान की गई है (अप्रैल, 2008 की स्थिति)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कस्बा	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	मंजूरी तारीख	पूर्णता की वास्तविक तारीख/संशोधित तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ में)	मंजूर ऋण	जारी वास्तविक ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भूमि विकास क्षेत्र									
1.	बरेली में राम गंगा नगर रिहायशी स्कीम	बरेली	उत्तर प्रदेश	बरेली विकास प्राधिकरण	दिस., 04	मार्च, 10	99.37	37.00	37.00
विद्युत क्षेत्र									
2.	हरियाणा के हिसार जिले में 1200 मेगावाट (2×600 मेगावाट) के लिए स्टेज-1 के अंतर्गत कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना की स्थापना	हिसार	हरियाणा	एचपीजीसीएल	फरवरी, 2007	अप्रैल-10	4258.65	500.00	135.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	कोटा थर्मल पावर स्टेशन एक्टे. यूनिट-7, स्टेज-5 (1×195 मेगावाट) कोयला आधारित विद्युत परियोजना	कोटा	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	अक्टू., 07	दिसम्बर-08	880.00	160.00	80.00
जल क्षेत्र की परियोजनाएं									
4.	ग्वालियर, मध्य प्रदेश के लिए जल आपूर्ति स्कीम	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	एसएडीए, ग्वालियर	नवम्बर, 04	मार्च, 2006/ मार्च, 2008	29.65	22.24	22.24

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम करना

4645. श्री एस. अजय कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अतिरिक्त पूंजी लाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। सरकार के समक्ष, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के अलावा, जिनमें सरकार की कोई शेयरधारिता नहीं है) में अपनी शेयरधारिता घटा कर 51% से कम करने में समर्थ बनाने के लिये सांविधिक अथवा अन्य उपबंधों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार, बैंकों की विनियामक पूंजी आवश्यकता, उनके आस्ति एवं निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि, अन्य व्यापार विस्तारण योजनाओं, सांविधिक एवं विनियामक उपबंधों, आदि को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के, पूंजी निधियां जुटाने संबंधी प्रस्तावों की जांच करती है।

आंगनवाड़ी

4646. डा के.एस. मनोज:
श्री के.एस. राव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी आंगनवाड़ियों के लिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण में ठेकेदारी राज के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों अथवा महिला मंडलों के माध्यम से आंगनवाड़ियों को पोषण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के आंगनवाड़ियों के माध्यम से बच्चों, गर्भीवती महिलाओं

तथा शिशुवती माताओं को पूरक पोषण के वितरण में महिला मण्डलों/महिला सहकारी समितियों/स्व-सहायता दलों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं तथा इस बारे में शीर्षस्थ न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

[हिन्दी]

सिक्कों की उपलब्धता

4647. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में एक रुपए और दो रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की भारी कमी है तथा 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के कम उपयोग के कारण इनकी कोई मांग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों से वर्ष 2006-07 के लगभग उत्तरार्ध में सिक्कों की कमी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात्, सिक्कों के निर्माण और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उनके वितरण में तेजी लाई गई और मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए। यह भी एक तथ्य है कि 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों की तुलना में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की मांग कम है। इस समस्या का और हल निकालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) बैंक शाखाओं के अतिरिक्त चुने हुए डाकघरों के माध्यम से खुदरा वितरण के लिए पंद्रह क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यवस्था की गई है।

(2) बैंकों ने सिक्कों के वितरण के लिए लगभग 2000 चुनी हुई शाखाओं की विशेषरूप से पहचान की है। इस बारे में जनता को सूचित करने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं थी। इन शाखाओं के नाम/पते भी भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

(3) इसके अतिरिक्त बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय भी बाजार स्थलों, गांवों में मेलों आदि में सिक्कों के मेले आयोजित कर रहे हैं।

(4) होटलों, खुदरा दुकानों, केमिस्टों आदि की पंजीकृत संस्थाओं को सिक्कों के वितरण की व्यवस्था की गई है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों पर सिक्का विक्रय मशीनें भी स्थापित की गई हैं। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सिक्का विक्रय मशीनों को स्थापित करने के लिए खास स्थानों पर अतिरिक्त स्थलों का भी पता लगाएं।

[अनुवाद]

गुजरात भूकम्प हेतु आयकर अधिभार

4648. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात भूकम्प के आधार पर आयकर अधिभार के रूप में कोई धनराशि एकत्रित की गई है और यह धनराशि राज्य को संवितरित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस धनराशि को राज्य को संवितरित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। भूकम्प राहत एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुजरात राज्य सरकार को वितरित किए जाने हेतु देय समस्त राशि को पहले ही वितरित किया जा चुका है। इस संबंध में गुजरात सरकार को किसी अन्य राशि को वितरित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रभाव

4649. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 की तारीख की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार पर वेतन और पेंशन भार का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन से धन के संदर्भ में और सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों और संबंधित राज्य सरकारों से वेतन प्राप्त कर रही सहायता अनुदान संस्थाओं पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभाव का अध्ययन शुरू करने का आदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या, वेतन एवं पेंशन के संबंध में राज्य-वार सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जिस वर्ष में सिफारिशें लागू होंगी, उस वर्ष 12,561 करोड़ रुपए का सकल अतिरिक्त भार पड़ेगा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.23 प्रतिशत है। इसके अलावा, वेतनमानों तथा पेंशन के पुनरीक्षण जिसे कार्यान्वित करने की संस्तुति दिनांक 01.01.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से की गई है, के कारण बकाया राशि की अदायगी पर सरकार को तकरीबन 18,060 करोड़ रुपए का एक-मुश्त खर्च करना होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

4650. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ए.आर.डी.बी.) को अन्य बैंकों की तरह पूर्ण बैंकों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के संदर्भ में, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी), बैंक नहीं माने जाते हैं। एआरडीबी, वास्तव में सहकारी समितियां है जो किसानों को दीर्घावधि ऋण का संवितरण करती हैं। अन्य बैंक, (अर्थात् वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत विनियमित होते हैं, जबकि यह अधिनियम एआरडीबी पर लागू नहीं होता है।

पी.जी.सी.आई.एल. में निदेशकों के रिक्त पद

4651. श्री अनिल बसु: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक मंडल में रिक्तियों के कारण पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के निदेशक मंडल में कुल कितने निदेशक हैं और इनमें से कितने पद रिक्त हैं तथा ये पद किस तारीख से रिक्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों की यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) के निदेशक मंडल में चार पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक, एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), दो अंशकालिक गैर-विभागीय सरकारी निदेशक और सात अंशकालिक गैर-विभागीय निदेशक हैं। प्रकार्यात्मक निदेशकों के दो पद क्रमश: 25.1.2007 और 1.2.2007 से रिक्त हैं। मौजूदा प्रकार्यात्मक निदेशक और सीएमडी रिक्त पदों का कार्य देख रहे हैं। तीन अंशकालिक निदेशकों के पद भी 12.7.2006 (दो पद) एवं 5.10.2007 (एक पद) से रिक्त पड़े हैं।

(ग) सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर रही है।

शुल्क प्रतिअदायगी दरों की समीक्षा

4652. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात क्षेत्र को दी जाने वाली शुल्क प्रतिअदायगी दरों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अखिल उद्योग दरों की शुल्क प्रति अदायगी 2008-09 का सूत्रपात करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति से 30.4.2008 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

4653. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निधि कंपनियों और म्युचुअल बेनिफिट सोसाइटियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों एवं उन शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	शिकायत की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	मै. कुबार म्यूचुअल बेनीफिट्स लि., मेरठ	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के तहत कंपनी द्वारा जमा करवाए गए धन की वापसी न करना।	मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के तहत निधि कंपनियों की लेखा पुस्तकों की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट एवं संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रादेशिक निदेशक की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कंपनी के निधि पदवी को विखंडित कर दिया है।
2.	मै. त्रिकोण म्यूचुअल बेनिफिट्स लि., लखनऊ	–यथोपरि–	–यथोपरि–
3.	मै. सिंह म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी लि., हल्दवानी	–यथोपरि–	–यथोपरि–
4.	मै. आरबीएफ निधि लि., चेन्नई	–यथोपरि–	मंत्रालय ने कंपनी विधि बोर्ड की सहमति से कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति की है।
5.	मै. पार्क टाउन बेनिफिट फंड लि., चेन्नई	–यथोपरि–	केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
6.	मै. अल्वारपेट बेनिफिट फंड लि., चेन्नई	–यथोपरि–	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी के कार्यों के निरीक्षण के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है।
7.	मै. मणिपाल सौभाग्य निधि लि., कर्नाटका	–यथोपरि–	कंपनी द्वारा जमा कराए गए धन की वापसी के लिए एक स्कीम माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे के बाद ही मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकेगी।

[अनुवाद]

आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां

4654. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक कौशल के आधार पर आवासीय परिसरों से व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवासीय परिसरों से अपनी गतिविधियां चलाने के संबंध में मीडिया व्यावसायिकों की क्या परिभाषा है;

(घ) क्या मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार समाचार-पत्रों का पंजीयक के पास विधिवत पंजीकृत छोटे समाचार पत्र/पत्रिकाओं के प्रकाशक और लेखक ''मीडिया प्रोफेशनल्स'' की परिधि में आते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार, प्लाटेड विकास तथा समूह आवास के मामले में कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। इस प्रयोजनार्थ व्यावसायिक गतिविधियों से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है, जिनमें डाक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत और कार्य लेखाकार, इंजीनियर, नागर नियोजक, मीडिया व्यावसायिक तथा डाक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता जैसे व्यावसायिक कौशलों पर आधारित सेवाएं शामिल हैं।

(ग) से (ङ) केवल ऐसे मीडिया व्यावसायिकों को ही रिहायशी परिसरों में कार्य करने की अनुमति दी गई है, जो व्यावसायिक कौशल आधारित सेवाएं चलाते हैं।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की सिफारिशें

4655. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने अपनी जांच पूरी करने के बाद सरकार से कंपनी कानूनों और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उल्लंघन करने वाली कुछ कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दायर करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) जांच रिपोर्टों में उल्लिखित सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा इन रिपोर्टों में सूचित किए गए कानून के उल्लंघन संबंधी मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए एसएफआईओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यायालयों में दर्ज कराई गई शिकायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 21.04.2008 तक एसएफआईओ द्वारा विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध जांच के पश्चात् न्यायालयों में दायर किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी कानून	आईपीसी	दायर किए गए कुल मामले
1	2	3	4	5
1.	डेवू मोटर्स इंडिया लि.	21	02	23
2.	डिजाइन आटो सिस्टम्स लि.	11	02	13
3.	बोनांजा बायोटेक लि.	16	01	17
4.	वत्स कार्पोरेशन लि.	106	08	114
5.	मर्डिया केमिकल्स लि.	22	01	23

1	2	3	4	5
6.	साऊंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	35	09	44
7.	कोलार बायोटेक लि.	24	04	28
8.	एडम कॉमसॉफ लि.	21	04	25
9.	डीएसक्यू साफ्टवेयर लि.	23	02	25
10.	ऊषा इंडिया लि.	27	07	34
11.	माल्विका स्टील्स लि.	27	06	33
12.	कोशिका टेलेकाम लि.	41	03	44
13.	चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	16	02	18
14.	क्लासिक क्रेडिट लि.	17	01	18
15.	क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लि.	36	–	36
16.	गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	22	01	23
17.	केएनपी सिक्यूरिटीज प्रा.लि.	15	–	15
18.	लुमिनेंट इंवेस्टमेंट प्रा.लि.	11	–	11
19.	मनमंदिर एस्टेट्स डेव. लि.	02	01	03
20.	एनएच सिक्यूरिटीज लि.	24	01	25
21.	पेंथर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	24	02	26
22.	पेंथर इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि.	25	–	25
23.	पेंथर इन्वेस्ट्रेड लि.	14	01	15
24.	साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लि.	18	01	19
25.	ट्रम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लि.	10	02	12
26.	वी एन पारेख सिक्यूरीटीज प्रा.लि.	12	–	12
27.	ट्रम्फ सिक्यूरीटीज प्रा.लि.	22	01	23
28.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	17	02	19
29.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लि.	12	05	17
	कुल	671	69	740

किसानों के ऋणों पर ब्याज दर

4656. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमान्त और छोटे किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को कम करके 4 प्रतिशत करने का है ताकि उन्हें निजी साहूकारों के चंगुल से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) ऋणों पर ब्याजदरों के अविनियमन के बाद, बैंक अन्य बातों के साथ-साथ, निधियों की लागत और अंतर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखते हुए ऋणों की ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 2.00 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज की दर आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए और 50,000/- रुपए तक के ऋण संपार्श्विक रहित होने चाहिए।

किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005-06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए 1,00,000 रुपए तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता की देयता के दो प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपये की उच्चतर सीमा सहित 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भी सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता प्रदान कर रही है।

इस समय, ब्याज दर को कम करके 4% वार्षिक करने की कोई योजना सरकार के समक्ष नहीं है।

पान मसाला और गुटखा उद्योग से संग्रहीत राजस्व

4657. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पान मसाला और गुटखा उद्योग से संग्रहीत शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पान मसाला और गुठका उद्योगों के लिए कोई आपशनल कम्पाउन्डेड लेवी स्कीम शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना द्वारा पान मसाला और गुटखा उद्योगों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन को किस तरीके से रोका जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पान मसाला और गुटखा से प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इस प्रकार रहा है:-

	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)
पान मसाला (तम्बाकू रहित)	151.3	246.6	87.88
गुटखा (पान मसाला तम्बाकू सहित)	261.7	360	177.7

अनंतिम आंकड़े

(ख) और (ग) जी, हां। अधिसूचना सं. 38/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 19.12.2007 में इस योजना का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्रति पैकिंग मशीन के हिसाब से ड्यूटी निर्धारित की गई चाहे उनका वास्तविक उत्पादन कुछ भी हो। वे इकाईयों जो भी कम उत्पादन के बारे में जानकारी दे रही है, को इस योजना के अंतर्गत ज्यादा शुल्क अदान करना पड़ेगा ऐसी संभावना है।

[हिन्दी]

बच्चों के संरक्षण और महिलाओं के उत्थान हेतु योजनाएं

4658. डा. राम लखन सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण और महिलाओं के उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के लिए योजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में कुछ स्वीकृत योजनाएं शुरू की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) बच्चों के संरक्षण तथा महिलाओं के उत्थान हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के नाम और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन स्कीमों के लिए निर्मुक्त राशि का ब्यौरा संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में तथा मंत्रालय की वैबसाइट www.wcd.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुले बाजार में एस.जी.आर.वाई. खाद्यान्नों की बिक्री

4659. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों की खुले बाजार में बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) को 2007-08 तक चलाया गया था। एसजीआरवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की थी। जब कभी भी केन्द्र सरकार के ध्यान में अनियमितता के मामले आते थे तो वह संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को मामले की जांच करने तथा उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह देती थी। 1 अप्रैल, 2008 से समूचे एसजीआरवाई कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) में मिला दिया गया है। एनआरईजीए के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन नहीं किया जाता है।

आई.एफ.सी.आई. में अनियमितताएं

4660. श्री अनिल शुक्ल वारसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मेडाराम जत्र हेतु सुविधाएं

4661. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में आदिवासी मेडाराम जत्र के तीर्थयात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने/उनमें सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मेडाराम जत्र एक राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया है। दिनांक 21 से 23 फरवरी, 2008 को आयोजित जत्र को देखते हुए मेडाराम एवं आसपास के स्थानों पर आंतरिक सड़क के सुधार, कलवर्ट का निर्माण, पेयजल आपूर्ति इत्यादि हेतु आंध्र प्रदेश के जनजातीय कल्याण विभाग ने 369.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत के 34 निर्माण कार्य किए हैं। राज्य सरकार के अन्य विभागों ने भी अपने बजट से विकास कार्य किए हैं।

सीपत विद्युत संयंत्र

4662. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीपत विद्युत संयंत्र की 500 मेगावाट की इकाई को आरंभ करने में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। सीपत ताप विद्युत परियोजना (एसटीपीपी) की इकाई-4 और 5 (500 मेगावाट) के चालू होने की स्थिति निम्नवत है:-

इकाई #4 (500 मेगावाट):

सीपत चरण-2 (2×500 मेगावाट) की इकाई-4 (500 मेगावाट) मई, 2007 में चालू की गयी थी और कोयला प्रचालन जमा किए गए जल (दिसम्बर, 2006 में अंतिम निकासी) का प्रयोग करते हुए नवम्बर, 2007 में शुरू किया गया था। तथापि, नियमित

उत्पादन जारी नहीं रखा जा सका था क्योंकि सितम्बर, 2007 में जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल आबंटन को रद्द करने के कारण जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी। विद्युत उत्पादन अब केवल तभी सम्भव हो सकेगा जब जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियमित आधार पर जल को छोड़ा जायेगा।

इकाई #5 (500 मेगावाट):

इकाई-5 (500 मेगावाट) के चालू होने का समय दिसम्बर, 2007 में निर्धारित था। इकाई का बायलर लाइट अप नवम्बर, 2007 में किया गया था, किन्तु जल के उपलब्ध न होने के कारण अनुवर्ती चालू होने संबंधी कार्य-कलाप प्रभावित हुए थे। जनवरी, 2008 से, स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीणों के आन्दोलन के कारण भी कार्य की प्रगति पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कार्य अप्रैल, 2008 के पहले सप्ताह से पुन: शुरू हो चुका है तथापि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल आपूर्ति अभी की जानी है जो कि इकाई के चालू होने के कार्यक्रम पर प्रभाव डाल रही है।

(ग) एनटीपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय सीपत ताप विद्युत परियोजना से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले से ही किए गए वायदे को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने तथा 500 मेगावाट की प्रथम इकाई के प्रचालन तथा 500 मेगावाट की दूसरी इकाई को चालू करने हेतु तुरंत ही जल छोड़ने के लिए मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया है। विद्युत राज्य मंत्री ने परियोजना से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु 20.04.08 को मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक बैठक की है।

शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से सिगरेटों की बिक्री

4663. श्रीमती जयाप्रदा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से सिगरेटों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दुकानों से सिगरेटों की बिक्री बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सिगरेटों के विक्रय की अनुमति शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से दी जाती है।

(ख) और (ग) ऐसे शुल्क मुक्त दुकानों से सिगरेटों के विक्रय को प्रतिबंधित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ए.टी.एम. की सुरक्षा

4664. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश ए.टी.एम. में पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है तथा देश में विशेषकर चेन्नई में लोग ए.टी.एम. का इस्तेमाल करते हुए डरते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के संवेदनशील तथा अन्य स्थानों पर ए.टी.एम. की सुरक्षा को सुधारने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों ने, विशेषत: चेन्नई में, नकदी आहरण हेतु एटीएम में क्रेडिट/डेबिट कार्डों के स्थान पर प्लास्टिक कार्डों का प्रयोग करने का प्रयास किया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जून, 2006 को बैंकों को परिपत्र जारी किया है, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि एटीएम/क्रेडिट/क्रेडिट कार्डों के प्रयोग करने से संबंधित ऐसी धोखाधड़ियों से निपटने के लिए विभिन्न निवारक उपाय करें जिनके परिणामस्वरूप एटीएम के जरिए धनराशि का कपटपूर्ण आहरण हो सकता है। उक्त परिपत्र में, एटीएम केंद्रों पर बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले परिचालनात्मक/सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में भी विस्तार से बताया गया है। बैंकों से यह कहा गया है कि ग्राहकों को पर्चों, ई-मेल, एटीएम टर्मिनल पर प्रदर्शन, वेबसाइट, आदि के जरिए जानकारी प्रदान करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम की जांच

4665. श्री वसंतराव मोरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की सभी तीनों विदेशी शाखाओं से वर्ष 2006-07 में कुल प्रीमियम आय 1.61 मिलियन अमरीकी डालर होने के मद्देनजर वर्ष 2006 में

मारीशस में आयोजित जी.टी.वी. सिने अवार्ड समारोह में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उठाए गए खर्च के बारे में कोई जांच कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

4666. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार, बैंक-वार कितनी शाखाएं खोली गईं;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं बंद कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं बन्द होने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 (1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007) की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या से संबंधित राज्य-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 (1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007) की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बंद/विलयित/परिवर्तित की गई शाखाओं की संख्या से संबंधित राज्य-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बंद/विलयित/परिवर्तित शाखाओं की संख्या से संबंधित ब्यौरा

राज्य का नाम	बैंक का नाम	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2005	1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007	1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007
आंध्र प्रदेश	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	1	–	–
तमिलनाडु	करूर वैश्य बैंक लि.	2	–	–
	साउथ इंडियन बैंक लि.	2	–	–
	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	–	–	1
कुल		5	–	1

भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा प्राधिकार नीति के अंतर्गत, वाणिज्यिक बैंक की एक ही शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा को छोड़कर) हानि उठाने वाली शाखाओं को भी बंद करने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि इनके बंद होने से केन्द्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक की एक से अधिक शाखाओं वाले केंद्रों पर ग्रामीण शाखा को बंद करने का प्रस्ताव बैंकों द्वारा जिला परामर्शी समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही वार्षिक शाखा विस्तार योजना में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रस्तावों पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करता है और ग्रामीण शाखाओं को बंद करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन असाधारण परिस्थितियों जैसे कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति, प्राकृतिक विपदाओं, आदि में ही दिया जाता है।

विवरण

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2006, 2007 तथा 1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या से संबंधित राज्य-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा

(जिस अवधि के दौरान खोली गई)

राज्य का नाम	बैंक का नाम	1 अप्रैल, 2005- 31 मार्च, 2006	1 अप्रैल, 2006- 31 मार्च, 2007	1 अप्रैल, 2007- 31 दिसम्बर, 2007	कुल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	–	1	1	2
	एचडीएफसी बैंक लि.	1	1	–	2
	करूर वैश्य बैंक लि.	–	1	–	1
	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	1	1
असम	एचडीएफसी बैंक लि.	–	1	–	1
चंडीगढ़	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	1	1
गोवा	एचडीएफसी बैंक लि.	–	3	–	3
गुजरात	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	–	1	–	1
	बैंक आफ राजस्थान लि.	–	1	–	1
	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	–	–	1	1
	आईसीआईसीआई बैंक लि.	2	–	–	2
	इंडस्इंड बैंक लि.	–	1	1	2
	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	2	2	4
हरियाणा	सेन्चूरियन बैंक आफ पंजाब लि.	–	2	–	2
	एचडीएफसी बैंक लि.	–	2	–	2
	यस बैंक लि.	–	–	2	2
हिमाचल प्रदेश	एचडीएफसी बैंक लि.	–	2	–	2
	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	–	–	1	1
जम्मू-कश्मीर	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	6	2	7	15
झारखंड	आईसीआईसीआई बैंक लि.	–	1	–	1
कर्नाटक	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	–	1	–	1
	फेडरल बैंक लि.	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6
	एचडीएफसी बैंक लि.	–	2	–	2
	इंडसइंड बैंक लि.	–	1	–	1
	कर्नाटक बैंक लि.	–	1	–	1
	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	1	1
	साउथ इंडियन बैंक लि.	–	1	–	1
	यस बैंक लि.	–	–	1	1
केरल	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	1	–	–	1
	फेडरल बैंक लि.	1	–	1	2
	एचडीएफसी बैंक लि.	–	1	–	1
	साउथ इंडियन बैंक लि.	–	1	1	2
महाराष्ट्र	एचडीएफसी बैंक लि.	–	1	–	1
	आईसीआईसीआई बैंक लि.	–	–	2	2
	रत्नाकर बैंक लि.	–	1	–	1
	यस बैंक लि.	–	3	–	3
उड़ीसा	करुर वैश्य बैंक लि.	–	1	–	1
पंजाब	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	1	–	–	1
	सेन्चूरियन बैंक आफ पंजाब लि.	–	1	–	1
	एचडीएफसी बैंक लि.	–	1	–	1
	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	1	1
राजस्थान	बैंक आफ राजस्थान लि.	1	–	–	1
सिक्किम	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	–	1	–	1
तमिलनाडु	एचडीएफसी बैंक लि.	–	3	–	3
	आईसीआईसीआई बैंक लि.	–	–	1	1
	करुर वैश्य बैंक लि.	–	2	–	2
	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	–	1	–	1
	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	–	2	1	3
उत्तर प्रदेश	एचडीएफसी बैंक लि.	–	3	–	3
	यस बैंक लि.	–	1	1	2

1	2	3	4	5	6
उत्तराखण्ड	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	–	1	–	1
	नैनीताल बैंक लि.	–	–	2	2
पश्चिम बंगाल	ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	–	1	–	1
	एचडीएफसी बैंक लि.	–	2	–	2
कुल		13	54	30	97

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंक संबंधी मास्टर आफिस फाइल (नवीनतम उपलब्ध)।
2. 'ग्रामीण' केन्द्र 10,000 से कम की जनसंख्या वाले केंद्र हैं।

[अनुवाद]

गायब होने वाली कंपनियों के विरुद्ध मामलों हेतु कानूनी पेशेवर

4667. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गायब होने वाली कंपनियों के विरुद्ध राज्य-वार कितने कानूनी पेशेवर लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु और अधिक कानूनी पेशेवरों को नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) लुप्त कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में दायर किए गए अभियोजनों के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कार्य पर लगाए गए कानूनी पेशेवर की संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) लुप्त कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध दायर सभी अभियोजनों में कानूनी पेशेवर कार्य कर रहे हैं। इन पेशेवरों को विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यथापेक्षित देशभर में विभिन्न स्थानों से अनुमोदित/बनाए गए पैनलों से कार्य पर लगाया गया है। मंत्रालय ने 5.00 करोड़ रुपए या इससे अधिक राशि वसूलने के पश्चात् लुप्त हुई कंपनियों के मामले में ''वरिष्ठ सरकारी वकीलों'' को कार्य पर लगाने संबंधी निर्देश भी जारी किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्य पर लगाए गए विधिक व्यवसायिकों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	01
2.	बिहार	01
3.	तमिलनाडु	05
4.	कर्नाटक	01
5.	आंध्र प्रदेश	02
6.	दिल्ली	07
7.	उत्तर प्रदेश	05
8.	पंजाब	01
9.	महाराष्ट्र	01
10.	गुजरात	03
	योग	27

शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा

4668. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना, मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की स्वतंत्रता तथा पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना, कम लागत की समेकित सफाई तथा शहरी बेसहारा लोगों हेतु रैन बसेरा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना में कितने लोगों/परिवारों को लाभ हुआ?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

योजना का नाम	पुनरीक्षा	निष्कर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	नवंबर, 2006 तथा मार्च 2007 के दौरान 9 प्रतिनिधि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों यथा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, असम, केरल, गोवा, हरियाणा तथा दिल्ली में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक योजना का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से मैसर्स एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसिज, नई दिल्ली द्वारा किया गया है।	* योजना में शहरी स्व-रोजगार को बढ़ावा देने पर बल दिया जाए। * शहरी निर्धन, व्यक्तियों तथा समूहों दोनों द्वारा अधिक लघु उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए। * लाभार्थियों को विपणन तथा ऋण संपर्क मुहैया कराये जायें। * सेवा क्षेत्र तथा लघु व्यवसाय में स्वरोजगार अवसरों की काफी संभावनायें हैं। * लघु उद्योग तथा अन्य उद्यमों की स्थापना का निर्णय लेने से पहले उद्यमियों के लिए समुचित बाजार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। * शहरी निर्धनों को कौशल प्रशिक्षण देने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन कराया जाए। * रोजगार सृजन तथा आय प्राप्ति कार्यक्रमों की सफलता के लिए समुदाय सहभागिता महत्वपूर्ण है। * गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ-साथ निर्धनों के सामाजिक सुरक्षा पक्षों का भी ध्यान रखा जाए। * समुदाय आधारित ऋण कार्यक्रम तैयार किये जायें जिनमें गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/ समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) भी शामिल हों। * स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की सफलता के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण अनिवार्य है।	राज्य सरकारों द्वारा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टों में दी गयी सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

	2005-06	2006-07	2007-08
स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत/ग्रुप लघु उद्यमों की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त शहरी निर्धनों की सं.	100624	136178	91152
शहरी निर्धनों की संख्या जिन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया गया	142073	167364	116292

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बीएएमबीएवाई)</td><td>वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बीएएमबीएवाई) को दिनांक 3.12.2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में मिला दिया गया है।</td><td>सचिव तथा संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्तरों पर अनेक बार पुनरीक्षा की गयी है। इन पुनरीक्षाओं का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि योजना के तहत इकाई की लागत निर्माण की वास्तविक बाजार लागत से कम है। यही विसंगति योजना के आईएचएसडीपी के तहत मिलाने का मुख्य कारण है।</td><td>पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति इस प्रकार है:-
<table><tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">आवासीय इकाइयां</th><th colspan="2">शौचालय</th></tr><tr><th>पूरी कर ली गई</th><th>निर्माणाधीन</th><th>पूरी कर ली गई</th><th>निर्माणाधीन</th></tr><tr><td>2004-05</td><td>81561</td><td>8095</td><td>31194</td><td>1897</td></tr><tr><td>2005-06</td><td>70185</td><td>12904</td><td>638</td><td>646</td></tr><tr><td>2006-07</td><td>10882</td><td>7521</td><td>0</td><td>249</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>मैला ढोने वालों व उनके आश्रितों की मुक्ति व पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना</td><td>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फिलहाल मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना नामक नई योजना चलाई जा रही है जो सभी राज्यों में पहले की योजना के स्थान पर लागू की जाएगी।</td><td>कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया।</td><td>वर्ष 2005-06 से कोई धनराशि नियत नहीं की गयी।</td></tr>
<tr><td>एकीकृत कम लागत की सफाई योजना (आईएलसीएस)</td><td>इस योजना का मूल्यांकन एग्रीकल्चरल फाइनेंस कार्पोरेशन लि. द्वारा किया गया। उक्त एजेंसी में अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर, 2007 में प्रस्तुत की।</td><td>दल के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-
(1) कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सब्सिडी मानक बढ़ाये जायें।
(2) योजना में सुपरस्ट्रक्चर शामिल किया जाए क्योंकि अधिकांश लाभार्थी बीपीएल तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं। सुपरस्ट्रक्चर की संपूर्ण लागत राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाए।
(3) कच्ची सामग्री की मूल्यवृद्धि को देखते हुए आईएलसीएस की इकाई लागत की पुनरीक्षा की जाए।
(4) क्षेत्र के अनुसार शौचालयों का निर्माण किया जाए। शौचालयों के डिजाइन अपनाने में लचीलापन होना चाहिए। स्थान की कमी/भूमि अवरोध, मृदा उपयुक्त न होना तथा जल स्रोतों का प्रदूषण जैसे तथ्यों को ध्यान में रखा जाए।</td><td>इस मंत्रालय ने वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान योजना लागू करने के लिए हडको को निम्नलिखित प्रकार से सब्सिडी प्रदान की है:-
(करोड़ रुपए में)
<table><tr><th></th><th>2005-06</th><th>2006-07</th><th>2007-08</th></tr><tr><td>हडको को दी गयी धनराशि</td><td>2.00</td><td>27.00</td><td>70.97</td></tr></table>
एकीकृत कम लागत की सफाई योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त व्यक्तियों/परिवारों की संख्या इस प्रकार है:
<table><tr><th></th><th>2005-06</th><th>2006-07</th><th>2007-08</th></tr><tr><td>मुक्त किये गये मैला ढोने वालों की सं.</td><td>8786</td><td>2484</td><td>4044</td></tr></table></td></tr>
</table>

1	2	3	4
		(5) समुदाय स्वास्थ्य कर्मियों, गैर-सरकारी संगठनों, समाचार पत्र विज्ञापनों आदि के माध्यम से जागरूकता व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अलग धनराशि नियत की जाए। (6) प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक व्यवहार्य ढांचा तैयार किया जाए। (7) तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों द्वारा एमआईएस की जाए ताकि धनराशि की अनुवर्ती किस्तें सुगमता से प्रदान की जा सकें। (8) योजना का लक्ष्य समूहों में प्रसार के लिए आईईसी सामग्री तैयार की जाए। सरकार ने उपर्युक्त निष्कर्षों को दिनांक 17.1.2008 को एकीकृत कम लागत की सफाई योजना के संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया है। देश में 6 लाख शुष्क शौचालयों को 2009-10 तक जलवाही शौचालयों में बदलने के लिए संशोधित दिशानिर्देश एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जायेंगे।	
शहरों में आश्रयहीनों के लिए रैन बसेरे	यह योजना दिनांक 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गयी तथा 2005-06 से केन्द्र सरकार द्वारा कोई नियतन अथवा धनराशि रिलीज नहीं की गयी।	कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया।	लागू नहीं होता क्योंकि दिनांक 1.4.2005 से कोई धनराशि नियत नहीं की गयी।

विधान मंडलों में महिलाओं का आरक्षण

4669. श्री ए. साई प्रताप: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधान मंडलों में महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर राजनीतिक दलों में कोई सर्वसम्मति हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

टी.सी.एम.डी.एफ.आई.

4670. श्री महावीर भगोरा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ट्राईबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लि. (टी.सी.एम.डी.एफ.आई.) द्वारा ऋण जारी करने, ऋणों की वसूली और ब्याज दर के निर्धारण हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) टी.सी.एम.डी.एफ.आई. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टी.सी.एम.डी.एफ.आई. की स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड) कोई ऋण निर्मुक्त नहीं करता।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्रोकरों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक

4671. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक ब्रोकिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि दिनांक 18 फरवरी, 2008 के ''द एशियन ऐज'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक को कुछ क्रियाकलाप चलाने की अनुमति दे दी है, जिनमें बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी दि गिल्ट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. (जीएसटीसीएल) द्वारा इक्विटी में ब्रोकिंग शामिल है। तथापि, समाचार में बताए गये किसी अन्य बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

एन एच पी सी का विस्तार

4672. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वित्तपोषण के तौर-तीरकों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान 5233 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता वाली 10 परियोजनाओं को चालू करने का प्रस्ताव किया है। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से 2 परियोजनाएं नामत: तीस्ता-5 और ओंकारेश्वर पहले ही चालू की जा चुकी हैं। एनएचपीसी ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 28,000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है। एनएचपीसी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), आंतरिक संसाधन जुटाने (आईआरजी) और बाजार उधारों जैसे विभिन्न स्रोतों से इन परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रस्ताव किया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	तीस्ता-5	सिक्किम	510	परियोजना मार्च, 2008 में चालू हुई
2.	पार्बती चरण-2	हिमाचल प्रदेश	800	दिसंबर, 2010

1	2	3	4	5
3.	सेवा-2	जम्मू-कश्मीर	120	जून, 2009
4.	सुबानसिरी (लोअर)	अरुणाचल प्रदेश	2000	जनवरी, 2012
5.	तीस्ता लो डैम-2	पश्चिम बंगाल	132	दिसंबर, 2009
6.	उड़ी-2	जम्मू-कश्मीर	240	अगस्त, 2010
7.	चमेरा-3	हिमाचल प्रदेश	231	अगस्त, 2010
8.	तीस्ता लो डैम-4	पश्चिम बंगाल	160	अगस्त, 2010
9.	पार्बती-3	हिमाचल प्रदेश	520	नवंबर, 2010
10.	ओंकारेश्वर (जेवी)*	मध्य प्रदेश	520	परियोजना नवंबर, 2007 में चालू हुई

*एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम परियोजना।

समान विद्युत प्रशुल्क नीति

4673. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट लागत सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोनों क्षेत्रों हेतु एक समान प्रशुल्क नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत संयंत्र दर संयंत्र भिन्न-भिन्न होती है और संयंत्र के प्रकार और प्रयोग किए गए ईंधन, उसकी अवस्थिति, आकार, आयु और कुशलता पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों दोनों में उत्पादन लागत में विभिन्नता होती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत वितरक लाइसेंसधारकों के लिए विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) का सांविधिक कार्य है। विद्युत प्रशुल्क समग्र विद्युत क्रय लागत के साथ-साथ संचालन और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय निष्पादन अर्थात् समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां (एटी एंड सी), संचालन व्यय, प्रणाली उन्नयन/संवर्धन के लिए पूंजीगत निवेश पर आदि निर्भर होते हैं।

एसईआरसी द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सुनवाई के उपरांत पारदर्शी रूप से प्रशुल्क का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्कों का निर्धारण करते समय एसईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 में निहित प्रावधानों के द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन, दक्षता, संसाधनों का किफायती उपयोग, ग्राहकों के हितों की रक्षा और साथ-साथ युक्तिसंगत तरीके से विद्युत की लागत की वसूली एवं राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ पालिसी का पालन करना शामिल है। टैरिफ पालिसी के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण संबंधी प्रशुल्कों का निर्धारण का उल्लेख किया गया है। तथापि, समूचे देश में एक समान प्रशुल्क की परिकल्पना नहीं है।

राष्ट्रीय निवेश कोष

4674. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) में धनराशियां जमा की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एनआईएफ में उक्त धनराशि कब तक जमा कर दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) आज तक, राष्ट्रीय निवेश कोष में कुल 1651 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

यू आई डी एस एस एम टी

4675. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छोटे तथा मध्यम कस्बों हेतु अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लातूर सहित महाराष्ट्र से वैकल्पिक परियोजनाएं प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस.एल.एस.सी.) ने दिनांक 8.6.2006 को हुई अपनी बैठक में छोटे और मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत लातूर नगर में 10857.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 6 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं और 4342.80 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राज्य को जारी कर दी गई है। मंजूर परियोजनाओं और जारी धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तथापि, राज्य सरकार ने स्वीकृत परियोजनाओं में से एक के स्थान पर उतनी ही जागत की अन्य परियोजना को बदलने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार का अनुरोध चूंकि स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था इसलिए इसे मंजूर नहीं किया गया और वित्त मंत्रालय ने परियोजना के लिए पहले जारी धनराशि राज्य सरकार से वापिस ले ली है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास हेतु विशेष कोष

4676. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की कई वर्षों से उपेक्षा की जाती रही है और वे अब भी नजर से दूर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष कोष की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) जहां तक विकास की गति का संबंध है, देश में व्याप्त भौगोलिक, प्राकृतिक संसाधनों तथा सामाजिक-आर्थिक विभन्नताओं के कारण क्षेत्रीय असमानताएं अब भी विद्यमान हैं और इस तथ्य को विभिन्न योजना दस्तावेजों में भी माना गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का विस्तार सभी जिलों तक किया गया है। एनआरईजीए के अंतर्गत, 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उस ग्रामीण परिवार को दिया जाता है जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का नवीकरण किया गया है ताकि रोजगार आधारित प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर बल दिया जा सके। अवसंरचना विकास के लिए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को देशभर में ग्रामीण संपर्क प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी तरह, सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) की सामाजिक सुरक्षा योजना भी सभी गांवों में कार्यान्वित की गई है, जिसके अंतर्गत सभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को केन्द्र की ओर से 200/- रु. और राज्यों की ओर से पूरक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है।

सभी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने 'भारत निर्माण' नामक एक विशेष कार्य योजना शुरू की है। भारत निर्माण का उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचनाओं जिनमें सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण टेलीफोन संपर्क तथा ग्रामीण बिजली जैसे छह मुख्य घटक हैं, का विकास करना है। भारत निर्माण को 1,74,000 करोड़ रु. के कुल अनुमानित निवेश के साथ वर्ष 2005-09 की अवधि में समयबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे अन्य प्रयास भी किए गए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय, योजना आयोग द्वारा निर्धारित देश के 250 पिछड़े हुए जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

कार्यक्रम भी चला रहा है। बीआरजीएफ को विकास संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में दो घटक शामिल हैं-250 जिलों को कवर करने वाला जिला घटक और बिहार तथा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं। बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत, पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता से विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु निर्धारित जिलों में विकास की गति को तेज करने और तालमेल स्थापित करने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में विद्युत, सड़क संपर्क, सिंचाई, वनरोपण प्रक्रिया एवं वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। केबीके जिलों के लिए विशेष योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास संबंधी कमियों को दूर करना है। बीआरजीएफ का कार्यान्वयन, 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भी जारी रहेगा। बीआरजीएफ के लिए वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान 5800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश हेतु कर राहत

4677. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में उनके द्वारा किए गए निवेश से अर्जित आय पर लगाए जाने वाले कर की दर में उन्हें छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा अर्जित आय पर सरकार द्वारा कितने प्रतिशत कार्पोरेट कर लगाया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) घरेलू कम्पनी के मामले में कार्पोरेट आयकर की दर कुल आय का 30 प्रतिशत और विदेशी कम्पनी के मामले में 40 प्रतिशत है। जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक होती है, वहां घरेलू कम्पनी और विदेशी कम्पनी के मामले में ऐसे आय कर के क्रमश: 10% और 2.5% की दर से अधिभार लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी सभी कम्पनियों के मामले में ऐसे आयकर और अधिभार पर क्रमश: 2% और 1% की दर से 'आयकर पर शिक्षा उपकर' और 'आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर' भी लगाया जाता है।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

4678. श्री रमेश दूबे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं नहीं शुरू कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (पीएसयूस) सहित किसी कम्पनी या कम्पनियों का संघ अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपीएस) के लिए बोली प्रक्रिया में भाग ले सकता है। एनटीपीसी लि. ने, वास्तव में, सासन तथा कृष्णापटनम यूएमपीपी के लिए बोली प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में भाग लिया है। यूएमपीपी के संबंध में शुरू की गई/शुरू की जा रही बोली प्रक्रिया में किसी पीएसयू द्वारा भाग लेना संबंधित पीएसयू का पूर्णत: वाणिज्यिक निर्णय है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चोरी और लूट के मामले

4679. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अगस्त, 2007 से आज तक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में चोरी और लूट आदि के राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे कितने मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कितने मामलों में अपराध साबित नहीं किए जा सके हैं; और

(घ) बैंक लूट मामलों को रोकने और संवेदनशील क्षेत्रों तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जुलाई 2007 से अब तक सूचित किए बैंकों के विरुद्ध अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था प्राथमिक रूप से प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारी है, तथापि मुद्रा पेटिका वाली शाखाओं के संबंध में इसमें सशस्त्र पुलिस गार्डों की तैनाती का निदेश जारी किया है। अन्य शाखाओं और एटीएम इत्यादि में, अलार्म प्रणाली, सीसीटीवी, कालैपसिबल दरवाजा/शटर, नाइट लेचेस, सुरक्षित कक्ष में ग्रिल फाटक, आर्मर्ड नकद वैन और समय से खुलने वाले ताले यंत्रों सहित, बैंक अपनी स्वयं की व्यवस्था कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की आवधिक बैठकों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है। समिति राज्य में सुरक्षा हालात का जायजा लेती है और तदनुसार आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।

मुद्रा पेटिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(1) मुद्रा पेटिकाओं की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा किया जाना।

(2) निकटतम थानों के साथ हाटलाइन स्थापित करना।

(3) सभी मुद्रा पेटिकाओं वाली शाखाओं में मुद्रा पेटी क्षेत्र के अंदर नकद व्यवहार परिचालनों वाले क्षेत्र के साथ-साथ बाह्य क्षेत्रों का सीसीटीवी कवरेज।

(4) संवेदनशील क्षेत्रों/सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित मुद्रा पेटिका वाले शाखाओं में कम से कम एक वर्ष में एक बार और दूसरे क्षेत्रों के मुद्रा पेटिका वाली शाखाओं में कम से कम दो वर्ष में एक बार सुरक्षा संबंधी निरीक्षण/संबंधित बैंक के मुख्य/अंचल सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है और ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अपराध साबित नहीं किया जा सका है, का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक नहीं रखता है।

विवरण

जुलाई, 2007 से अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित बैंक के विरुद्ध अपराध का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अपराध की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	15
4.	बिहार	11
5.	चंडीगढ़	2
6.	छत्तीसगढ़	13
7.	दिल्ली	7
8.	गोवा, दमन एवं दीव	2
9.	गुजरात	14
10.	हरियाणा	14
11.	हिमाचल प्रदेश	3
12.	जम्मू-कश्मीर	6
13.	झारखंड	15
14.	कर्नाटक	12
15.	केरल	8
16.	मध्य प्रदेश	18
17.	महाराष्ट्र	17
18.	मणिपुर	–
19.	मेघालय	1
20.	मिजोरम	–
21.	नागालैंड	–

1	2	3
22.	उड़ीसा	11
23.	पंजाब	34
24.	राजस्थान	16
25.	सिक्किम	–
26.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	9
27.	त्रिपुरा	–
28.	उत्तर प्रदेश	24
29.	उत्तराखण्ड	6
30.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	278

[अनुवाद]

टाइटेनियम डाई ऑक्साइड पर आयात शुल्क

4680. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टाइटेनियम डाई आक्साइड पर आयात शुल्क में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विधवाओं के संबंध में समस्या

4681. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विधवाओं के संबंध में ब्यौरा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस ब्यौरे का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें अपनी जीविका कमाने और आत्म-निर्भर बनने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें कोई प्रशिक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में युवा विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कोई योजना चलाने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा देश में सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया जाता है, जिसमें आयु वर्गों, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि जैसे जनसंख्या की संरचना संबंधी आंकड़े शामिल किए जाते हैं। इस जनसंख्या में विधवाएं, अलग रह रही तथा तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल होती हैं। ब्यौरा उनकी वेबसाइट wwwc.censusindia.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार स्कीम चला रहा है, जो निराश्रित विधवाओं सहित विपरीत परिस्थितियों में विपदा में जीवन यापन करने वाली विभिन्न प्रकार की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आश्रय-आधारित स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और कानूनी सहायता, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास, जागरूकता विकास, कौशल उन्नयन तथा व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं। स्वाधार स्कीम का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) देश में विधवा युवतियों का पुनर्विवाह कराने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन उपस्करों की कमी

4682. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री रमेश दूबे:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय हाई-एंड उपस्करों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के अलावा किसी अन्य कंपनी पर निर्भर है, जैसा कि दिनांक 29 जनवरी, 2008 के "द बिजनेस स्टैण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) आगामी 20-25 वर्षों के विचारित व्यापक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय का यह मत है कि देश में सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत यूनिटों सहित विश्व स्तरीय विद्युत उपकरण उत्पादन क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्रालय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, घरेलू उत्पादकों के बीच विक्रेता विकल्प को बढ़ाने तथा आपूर्ति के कार्यक्रम एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, विद्युत उत्पादन उपकरण के विकास एवं विविधता का समर्थन करता है।

वन भूमि पर अतिक्रमण

4683. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाहरी लोगों ने वन भूमि का अतिक्रमण कर लिया है और वे जनजातीय लोगों को वहां पर कृषि कार्य करने के लिए बाध्य करके उनका शोषण कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) जनजातीय लोगों को पट्टे के आधार पर वन भूमि आबंटित करने और रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों को उनके पलायन को रोककर उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) ऐसा दृष्टांत इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय निवेश आयोग

4684. श्री मधु गौड यास्खी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निवेश आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने सरकार को कोई रिपोर्ट अथवा सिफारिश प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या आयोग ने सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि लौह अयस्क सहित बिना मूल्यवर्धित भारतीय खनिज संसाधनों के निर्यात से हर प्रकार से बचा जाना चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2004-05 में की गई घोषणा के क्रम में, भारत में निवेशकों के लिए माहौल को आकर्षक बनाने के लिए, 13 दिसम्बर, 2004 को श्री रतन टाटा की अध्यक्षता में एक निवेश आयोग की स्थापना की गई जिसमें सदस्यों के रूप में डा. अशोक गांगुली और श्री दीपक पारेख शामिल थे। आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) निवेश आयोग ने "भारत के लिए निवेश रणनीति" शीर्षित अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी, 2006 में और "महत्वपूर्ण क्षेत्र" शीर्षक की द्वितीय रिपोर्ट दिसम्बर, 2007 में प्रस्तुत की। जहां पहली रिपोर्ट में अवसंरचना, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र के साथ-साथ ज्ञान अर्थव्यवस्था पर 152 मुख्य सिफारिशें निहित थी, दूसरी रिपोर्ट में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान तथा विद्युत संबंधी सिफारिशें शामिल थीं। इन सभी सिफारिशों का संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्यान्वयन हेतु प्रबलता से परिशीलन किया जा रहा है।

(च) और (छ) निवेश आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि भारत से बाहर किए जाने वाले निर्यात अयस्क के बजाए धातु का सर्वाधिक मूल्यवर्धित रूप हों। सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां तक संभव हो, मूल्यवर्धित रूप में खनिज निर्यात करने के प्रयास किए जाएंगे।

विवरण

विचारार्थ विषय

(क) निवेश आयोग का गठन प्रारंभिक तौर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा।

(ख) निवेश आयोग सरकार के भीतर ही अवस्थित होगा (प्रधानमंत्री द्वारा यथानिर्णित वित्त मंत्रालय में) और इसे प्रचालनात्मक स्वायत्तता और सरकार का समर्थन प्राप्त होगा।

(ग) आयोग भारत में औद्योगिक समूहों/गृहों के साथ और विदेश में बड़ी कंपनियों के साथ बैठकों और दौरों का आयोजन करेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है किन्तु अभी तक पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है। आयोग संभावी निवेशकर्ता कंपनियों के निदेशक मंडलों के साथ सन्निकटता से अंत:क्रिया करेगा।

(घ) भारतीय निवेशकों के संबंध में, आयोग ''घोषणाओं'' और ''प्रस्तावों'' के बीच अंतर और साथ ही ''प्रस्तावों'' और ''परियोजना कार्यान्वयन'' के बीच अंतर को पाटने के मुद्दे का निवारण भी करेगा।

(ङ) आयोग प्रत्येक वर्ष निवेश के एक निश्चित स्तर को पाने का प्रयास करेगा और इसकी प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तिमाही के अंत में की जाएगी।

(च) आयोग भारत में अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों को सुकर बनाने के लिए नीति और प्रणालियों दोनों पर सरकार के समक्ष सिफारिश करेगा।

[हिन्दी]

अनिवार्य मतदान

4685. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए संविधान में एक संशोधन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) मताधिकार को आज्ञापक बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस मुद्दे पर निर्वाचन सुधार संबंधी समिति, 1990 (दिनेश गोस्वामी समिति) द्वारा और साथ ही वर्ष 1998 में बुलाई गई सभी राजनीतिक दलों की बैठक में भी विचार किया गया था। तथापि, इसके कार्यान्वयन में अंतर्निहित व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उपायों को स्वीकार नहीं किया गया था।

दैनिक आय

4686. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर उनतीस हजार रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी आंकड़ों की ओर भी आकृष्ट हुआ है जिसके अनुसार देश में अनेक लोग प्रतिदिन 12 रुपए कमाते हैं और लगभग एक-तिहाई जनसंख्या कच्चे घरों में रहती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने योजना को लक्षित करने और ऐसे लोगों की आय के स्तर में वास्तविक रूप में वृद्धि करने के उद्देश्य से कारणों का आंकलन किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गरीबों और अमीरों के बीच के अंतर को वास्तविक रूप से कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने पर विचार किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण 2006-07 के तीव्र आकलन के अनुसार, वर्तमान दरों के आधार पर देश में प्रति व्यक्ति आय (कारक लागत पर प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद) का आकलन विगत वर्ष के 25956 रु. की तुलना में वर्ष 2006-07

में 29642 रु. किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित एनएसएस के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय का स्तर और पद्धति 2004-05 से संबंधित रिपोर्ट संख्या 508 में देश में 30% ग्रामीण आबादी का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय प्रति दिन 12 रु. से कम है। इसी तरह एनएसएस के 58वें दौर (जुलाई-दिसम्बर, 2002) की रिपोर्ट संख्या 488 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पक्की और कच्ची आवासीय इकाइयों के प्रतिशत के संबंध में दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि 21% ग्रामीण आवासीय इकाइयां कच्ची थीं।

(ग) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण परिवारों के लिए बढ़ी हुई आय सृजित करने के उद्देश्य से मजदूरी और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। 1 अप्रैल, 2008 को देश के सभी जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। यह एक मुख्य मजदूरी रोजगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण गरीब को ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सब्सिडी और ऋण के रूप में सहायता दी जाती है जिनसे स्थायी आधार पर आय सृजित हो सके। सरकार ने 65 वर्ष और इससे अधिक की आयु के सभी बीपीएल व्यक्तियों को कवर करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार भी किया है और उन्हें प्रति माह 200/- रु. पेंशन भी दी जाती है। राज्य सरकारों को भी इस राशि में सहयोग करने की आवश्यकता है। ग्रामीण गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना नामक ग्रामीण आवास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत औसत आधार प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक आवासीय इकाइयां बनाई जा रही हैं। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारना है ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके।

[अनुवाद]

शेयर बाजार में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध किया जाना

4687. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के शेयर बाजारों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो शेयर बाजार-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुछ आवेदन सूचीबद्ध किए जाने हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को शेयर बाजार में स्वयं को सूचीबद्ध कराने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के 73 उद्यम (पीएसई) बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध है और 58 पीएसई नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। सेबी ने सूचित किया है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नए सूचीयन का कोई आवेदन बीएसई और एनएसई के पास लंबित नहीं है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी नीतिगत निर्णय, जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सूचीयन शामिल है, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लिए जाते हैं।

कूड़ा करकट निपटान कार्यों में कार्यरत लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपस्कर

4688. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि हानिकारक और असुरक्षित पदार्थों सहित कूड़ा करकट निपटान कार्यों से जुड़े विभिन्न सिविक एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों को देश में ऐसे कार्यों के लिए समुचित सुरक्षात्मक उपस्कर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कड़े रूप से मानदंडों का अनुपालन करने और कूड़ा करकट निपटान से जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उनके लिए नियमित चिकित्सा जांच का प्रावधान करने हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) नगर पालिका ठोस कूड़ा प्रबंधन का कार्य, शहरी स्थानीय निकायों के दायित्वों में आता है, इसलिए कूड़े करकट का निपटान करने वाली विभिन्न नगर एजेंसियों में कार्यरत कार्मिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण प्रदान करने का दायित्व भी राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों का है।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई, 2000 में प्रकाशित नगर पालिका ठोस कूड़ा प्रबन्धन मैन्युअल में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि नीति के तौर पर स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह अपने कार्मिकों को पर्याप्त सुरक्षा परिधान दें और समय-समय पर उनके स्वाथ्य की जांच कराए ताकि ठोस कूड़े करकट के निपटान का कार्य करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़ सके। जिन कार्मिकों के स्वास्थ्य पर ठोस कूड़े के निपटान का कार्य करने के कारण बुरा प्रभाव पड़ा हो उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।

बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4689. डा. बाबू राव मिडियम:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी/निजी बीमा कंपनियों में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीमा क्षेत्र ने स्वास्थ्य बीमा के लिए सेवा कर में छूट की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान, स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत, बैंकों और बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

	2005	2006	2007
बैंक	413.05	343.53	986.14
बीमा कंपनियां	111.37	184.40	410.55

(ख) और (ग) बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 26% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संविधान में संशोधन

4690. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित "भ्रष्टाचार के प्रभाव संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन-एक सुशासन" ने मौलिक कर्त्तव्य अध्याय के अनुच्छेद 51क में एक खंड जोड़कर संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 9 से 10 जुलाई, 2006 के दौरान "मानवाधिकारों पर अच्छे शासन में भ्रष्टाचार के प्रभाव" पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि मूल कर्त्तव्यों के अध्याय में अनुच्छेद 51क में एक और खंड जोड़कर भारत के संविधान का संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि सिफारिश भ्रष्टाचार से संबंधित है, इसलिए इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अग्रेषित किया गया था।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सूचना दी है कि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी "शून्य सहिष्णुता" की नीति के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतया सचेत है। भ्रष्टाचार को हटाने और सरकार के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम आदि पहले ही लोक सेवकों के भ्रष्ट व्यवहारों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित विधिक ढांचा उपलब्ध कराते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियम, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता की वृद्धि करके भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में एक अन्य उपाय है।

[अनुवाद]

परिसीमन आयोग

4691. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कोई योजना स्वीकृत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी हां, परिसीमन आयोग ने अभी तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क के अनुसरण में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संबंध में परिसीमन कार्य को तारीख 8 फरवरी, 2008 के चार आदेशों द्वारा अस्थगित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 10ख ने झारखंड राज्य के संबंध में जारी परिसीमन आयोग के आदेशों को अकृत कर दिया है। इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, सभी राज्यों के संबंध में परिसीमन कार्य पूरा हो गया है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे परंतुक और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों को छोड़कर, जिनके संबंध में परिसीमन आदेश को 20 मार्च, 2008 से प्रभावी किया गया है, सभी 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से परिसीमन आदेशों को प्रभावी करते हुए 19 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग को, परिसीमन आदेशों को समेकित करने और ऐसे अन्य उपाय, जो नए परिसीमन आदेशों के निबंधनों के अनुसार भावी निर्वाचनों के संचालन के लिए अपेक्षित हों, करने में समर्थ बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 10), जो 16 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ था, के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

कैमिस्टों के कार्टेल के बारे में एमआरटीपीसी की जांच

4692. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) ने उन कैमिस्टों तथा थोक विक्रेताओं द्वारा बनाए गए कार्टेल की जांच कराई है जो दवा निर्माताओं को प्रमुख रीटेल चेन को दवाएं न बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं और रीटेल चेन द्वारा उपभोक्ताओं को अक्सर दिए जाने वाली 10 प्रतिशत छूट से वंचित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (घ) मीडिया में कुछ रिपोर्टें आने के पश्चात्, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) ने महानिदेशक, (जांच एवं पंजीकरण) को कैमिस्टों और थोक विक्रेताओं की उन कतिपय तथाकथित पाई गई प्रथाओं की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं जिसका दवा निर्माताओं के रीटेल चैन को विक्रय न करने पर प्रभाव पड़ता है तथा साथ ही आरंभिक जांच रिपोर्ट दायर करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आरंभिक जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ङ) अर्ध-न्यायिक निकाय होने के कारण, एमआरटीपी आयोग इसके समक्ष प्रक्रियाधीन मामलों की सुनवाई करेगा तथा समुचित सुनवाई पूरी होने के पश्चात्, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर ऐसी प्रथाओं के विरुद्ध यथोचित आदेश करेगा।

[हिन्दी]

जैव-डीजल संबंधी समिति

4693. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव-ईंधन के विकास के संबंध में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जैव-ईंधनों को वाणिज्यिक आधार पर बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति और पद्धति के संबंध में सुझाव देने हेतु योजना आयोग ने जुलाई, 2002 में जैव-ईंधन के विकास के संबंध में एक समिति गठित की थी।

(ख) और (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में प्रस्तुत की थी, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि जटरोफा करकास के पौधरोपण पर विशेष ध्यान देते हुए एक राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन दो चरणों में शुरू किया जाए। चरण-1 प्रदर्शन परियोजना के रूप में होगा, जिसमें वनीय और वनेतर क्षेत्रों (प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 लाख हैक्टेयर) में, विशेषरूप से बंजरभूमि तथा अवक्रमित भूमि पर 5 वर्षों की अवधि के दौरान जटरोफा करकास की खेती को बढ़ावा देना शामिल होगा। इसके पश्चात् दूसरा चरण आरंभ किया जाएगा जो पेट्रोलियम-डीजल के साथ 20 प्रतिशत के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बायो-डीजल के उत्पादन हेतु सरकारी और निजी, दोनों प्रकार की 11.2 मिलियन हैक्टेयर भूमि में जटरोफा के पौधरोपण सहित एक स्वत: सम्पोषित कार्यक्रम होगा।

(घ) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का नोडल मंत्रालय के रूप में चयन किया गया है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रदर्शन चरण को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में 5 वर्षों की अवधि के दौरान तथा 1500 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा वनेतर सार्वजनिक बंजरभूमि में 5 लाख हैक्टेयर भूमि पर जटरोफा (रतनजोत) तथा पोंगामिया (करंज) के पौधरोपण को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर सरकारी व्यय

4694. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर किया गया कुल व्यय पिछले चार बजटों में से किसी में भी कुल आबंटन के एक प्रतिशत से अधिक नहीं रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु और अधिक आबंटन देने के मद्देनजर इसके कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर उरांव): (क) जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, पिछले चार वित्तीय वर्षों (2004-05 से 2007-08 तक) में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किए गए बजटीय आबंटनों के ब्यौरे और उक्त अवधि के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	ब.अ. की तुलना में वास्तविक व्यय का%
2004-05	1146.00	1069.45	1053.06	91.89%
2005-06	1498.82	1398.82	1391.95	92.86%
2006-07	1656.90	1652.68	1647.73	99.44%
2007-08	1719.71	1719.71	1524.88	88.67%

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 2008-09 के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना आयोग द्वारा 2121.00 करोड़ रुपए का बजट आबंटन अनुमोदित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए आबंटन की तुलना में 23.33% की बढ़ोत्तरी है।

सतत शहरी परिवहन

4695. श्री एल. राजगोपाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सतत शहरी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) उन शहरों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान सतत शहरी परिवहन और ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अर्थक्षम मॉडलों के रूप में की गयी है;

(ग) पहचान किये गये शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं; और

(घ) देश में विशेषकर तेजी से विकास कर रहे शहरों में इस संबंध में गैर-मोटरीकृत वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सुस्थिर शहरी परिवहन कार्यक्रम (एसयूटीपी) के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

(1) सुस्थिर शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना तैयार करने, उनका वित्तपोषण करने, उनका संचालन तथा प्रबंध व्यवस्था करने में भारत सरकार की तथा सहभागी राज्यों एवं नगरों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना।

(2) हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी करने में सहायक निदर्शी "शहरी परिवहन" परियोजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में राज्यों तथा नगरों की सहायता करना।

(ख) एसयूटीपी के लिए निदर्शी नगरों के रूप में पहचान किए गए नगर इस प्रकार है- हैदराबाद, इन्दौर, पूणे, मैसूर, अहमदाबाद, अजमेर-पुष्कर, तिरूवनन्तपुरम, नया रायपुर तथा जालंधर।

(ग) किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय नगर दर नगर अलग-अलग होते हैं और वे इस प्रकार है:-

(1) पैदल मार्ग अवस्थापना को बेहतर बनाना।

(2) मोटर रहित परिवहन प्रणाली।

(3) बहुमाडल यात्रा को प्रोत्साहित करना।

(4) बस द्रुत परिवहन व्यवस्था में अभिवृद्धि तथा सुधार करना।

(5) बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली में सूचना, प्रौद्योगिकी व्यवस्था संबंधी सुधार करना।

(घ) मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 सभी राज्यों को परिचालित की है और इस नीति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के उपयोग पर, पैदल यात्रा और मोटर रहित परिवहन यात्रा पद्धतियों के इस्तेमाल पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चय करने की भी सलाह दी है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन शहरी परिवहन हेतु नगर प्राधिकरणों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता एनयूटीपी के लिए होनी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चय करने की सलाह दी है कि नई सड़कें बनाने अथवा सड़कों को चौड़ा करने, मास्टर प्लान तैयार करने तथा नए नगर, सैटेलाईट नगर, विशेष आर्थिक जोन आदि विकसित करते समय पैदल चलने वालों तथा साईकिल का प्रयोग करने वालों के लिए स्थान की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ

4696. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश मामलों में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी लाभ जनजाति के समुदायों के बीच समान रूप से नहीं पहुंच रहे हैं;

(ख) क्या इसका लाभ अनुसूचित जाति के कुछ धनी समुदायों द्वारा उठाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने आरक्षण के इस पहलू की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति

4697. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक संस्थानों में मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता के कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने संबंधी मानदंड का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए 60 प्रतिशत के बैंचमार्क से संबंधित शर्तों, जहां दाखिला 12वीं स्तर की परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है, इस संदर्भ में सरकार के एक निर्णय, जिसके अनुपालन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की समान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, अब यह अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं है।

पोलावरम जल विद्युत परियोजना

4698. श्री के.एस. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक बहु-उद्देशीय पोलावरम जल विद्युत परियोजना केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कब से लम्बित है; और

(ग) इस परियोजना को जल्दी मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पोलावरम चूंकि एक बहुउद्देशीय परियोजना है इसलिए उसके जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा परियोजना के मूल्यांकन को समन्वित किया जा रहा है। सीडब्ल्यूसी ने सूचित किया है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट उन्हें वर्ष 2005 की अंतिम तिमाही में प्राप्त हुई है और सीवीसी द्वारा उसका मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वन और वन्यजीव स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् पोलावरम परियोजना की डीपीआर अब जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति को सौंप देना अपेक्षित हैं।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

4699. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री निखिल कुमार:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री देविदास पिंगले:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला और प्राकृतिक गैस की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र की अग्रणी विद्युत उत्पादन कंपनियों तथा रक्षित विद्युत संयंत्रों का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला तथा गैस की अनुबंधित मात्रा के अनुसार आपूर्ति नहीं की जा रही जिससे विद्युत संयंत्रों की प्रचालन क्षमता कम हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कोयले तथा गैस की कमी के कारण विद्युत उत्पादन क्षमता का कितना नुकसान हुआ है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) थर्मल विद्युत केंद्रों (टीपीएस) को कोयला आपूर्ति की स्थिति सुखद नहीं है। 22 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार, 77 कोयला आधारित थर्मल विद्युत केंद्रों में से 23 विद्युत केंद्रों की स्थिति गंभीर है जिनमें कोयला भंडार 7 दिनों से भी कम रह गया है। अखिल भारतीय कोयला भंडार 22 एमटी की मानकीय अपेक्षा की तुलना में 10.122 मिलियन टन (एमटी) रह गया है।

2007-08 के दौरान, देश में कोयला आधारित टीपीएस का असल प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 77.78 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 78.91 प्रतिशत था। तथापि, एनटीपीसी के अनुसार, 2007-08 के दौरान उनके 4 विद्युत केंद्रों नामत: फरक्का, कहलगांव, तालचर (कानिहा) और विन्ध्याचल में कोयले की कमी के कारण पीएलएफ में क्रमश: 4.66%, 0.65%, 0.08%, 0.33% की कमी आई है।

कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के बिना कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) को कोयले का आबंटन तिमाही-2 (2007-08) के लिए 1.099 एमटीपीएम आबंटन की तुलना में तिमाही-1 (अप्रैल से जून, 2008) में 1.104 मिलियन टन प्रति माह (एमटीपीएम) है। यह आंशिक वृद्धि नए चालू किए गए संयंत्रों को किए गए आबंटन के कारण हुई है। एफएसए के साथ सीपीपी को कोयले का आबंटन तिमाही-4 (2007-08) के 2.110 एमटीपीएम के आबंटन की तुलना में तिमाही-1 (अप्रैल से जून, 2008) में 2.058 एमटीपीएम है। यह आंशिक कमी कुछ सीपीपी की तिमाही अनुबंधित मात्रा में भिन्नता के कारण हुई है। सीपीपी को कुल कोयला आबंटन तिमाही-4 (2007-08) के दौरान 3.209 एमटीपीएम के आबंटन की तुलना में तिमाही-1 (अप्रैल से जून, 2008) के दौरान 3.162 एमटीपीएम रहा है।

देश में गैस का उत्पादन और सप्लाई विद्युत क्षेत्र सहित देश में गैस की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नहीं बढ़ रही है। 2007-08 (अप्रैल-फरवरी, 2008) में औसत गैस सप्लाई, केंद्रों को 90 प्रतिशत पीएलएफ पर चलाने के लिए आवश्यक 65.67 एमएमएससीएमडी की तुलना में 37.06 मिलियन मैट्रिक स्टेन्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) रही है। जिसके परिणाम स्वरूप 29 बिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई है।

(च) विद्युत केन्द्रों के लिए गैस और कोयले की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) थर्मल विद्युत केंद्रों को कोयला आपूर्ति की कड़ी मानीटरिंग ताकि विद्युत केंद्रों को विभिन्न स्रोतों से सर्वाधिक कोयला आपूर्ति की जा सके।

(2) कोयला मंत्रालय से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है।

(3) देश में कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

(4) रिगैसीफाइड लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) का मौके पर प्रबंध करना।

(5) विद्युत उत्पादकों/यूटिलिटियों को उनके विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कैप्टिव खनन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नए कोयला ब्लॉक आबंटित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को अनुदान

4700. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री जुएल ओराम:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इनके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन केन्द्रों में राज्य-वार जनजातियों के कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जहां तक यह सूचना राज्य में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित है, यह संलग्न विवरण में दी गई है। लाभार्थियों में जनजातीय युवा शामिल हैं।

विवरण

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्मुक्त सहायता-अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06			2006-07			2007-08		
		निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त निधि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	107.90	107.90	900	67.50	67.50	900	0	0	0
2.	असम	65.37	65.37	500	65.37	65.37	500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	गुजरात	0	0	0	94.50	94.50	1300	54.83	0	1300
4.	जम्मू-कश्मीर	15.50	15.50	50	0	0	0	13.50	0	100
5.	कर्नाटक	68.27	68.27	1000	67.50	67.50	500	0	0	0
6.	केरल	0	0	0	17.32	0	175	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	57.00	57.00	500	198.81	198.81	1000	220.75	0	1000
8.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	मिजोरम	64.78	64.78	500	0	0	0	65.28	0	500
10.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	त्रिपुरा	0	0	0	54.00	0	400	0	0	0
12.	पश्चिम बंगाल	63.60	0	400	54.00	0	400	0	0	0
13.	छत्तीसगढ़	0	0	0	81.00	81.00	1100	302.34	0	1100
14.	सिक्किम	42.57	42.57	300	0	0	0	18.30	0	240

[अनुवाद]

एन.आर.ई.जी.एस. में संशोधन

4701. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अनन्त नायक:
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित मानदण्डों में संशोधन के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत पौध रोपण के कार्यों तथा छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा किए गए क्षेत्र कार्य को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मानदंडों में संशोधन के लिए राज्यों से इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूखा रोधन (वनीकरण एवं वृक्षारोपण सहित) एनआरईजीए अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 1(2) के अंतर्गत अनुमेय क्रियाकलाप है। एनआरईजीए अधिनियम में छोटे तथा सीमांत किसानों के मैदानी कार्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों अथवा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा भूमि सुधार के लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि विकास सुविधाओं का प्रावधान एनआरईजीए की अनुसूची-1 के पैरा 1(4) में किया गया है।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

4702. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक को आबंटित विद्युत से हाल ही में विद्युत की आपूर्ति में 150 मेगावाट की कमी कर दी है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कायमकुलम विद्युत परियोजना से 500 मेगावाट विद्युत प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादक केन्द्रों से कर्नाटक राज्य को विद्युत का आबंटन 150 मे.वा. तक घटा दिया गया (1800-2200 घंटे के दौरान) और तमिलनाडु में व्याप्त भारी विद्युत की कमी को न्यून करने के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 से तमिलनाडु को आवंटित कर दिया गया था। इसे दो चरणों में अर्थात् दिनांक 11.01.08 को 50 मे.वा. और दिनांक 18.03.08 को 100 मे.वा. के जरिए कर्नाटक राज्य को पुन: बहाल कर दिया गया था।

(ख) से (घ) जी नहीं। मौजूदा कायमकुलम कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट की संस्थापित क्षमता 360 मे.वा. है।

[हिन्दी]

बैंकों में जमा धनराशि

4703. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जमा धनराशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर दिए गए ब्याज का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को हुए लाभ/हानि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के संदर्भ में मांग जमा, बचत जमा, सावधि जमा, ऐसी जमाओं पर ब्याज व्यय और कुल लाभ/हानि की राशि के संदर्भ में बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिये गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	बैंकों के नाम	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए)					
		मांग जमा	बचत जमा	सावधि जमा	कुल जमा	जमाओं पर ब्याज व्यय	कुल लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	3299	12472	24991	40762	1767	542
2.	आंध्रा बैंक	2558	7401	17592	27551	1129	520
3.	बैंक आफ बड़ौदा	6871	22777	51685	81333	3248	677
4.	बैंक आफ इंडिया	6098	21132	51591	78821	3137	340
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2399	7133	19311	28844	1396	177
6.	केनरा बैंक	8957	23867	64085	96908	4215	1110
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	6139	20327	34286	60752	2703	357
8.	कार्पोरेशन बैंक	4093	5326	17814	27233	1075	402
9.	देना बैंक	2124	6660	11312	20096	980	61

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	इंडियन बैंक	2858	9276	22674	34808	1508	408
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5011	12191	27039	44241	1991	651
12.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	4311	9209	34330	47850	1966	760
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1406	5153	7611	14171	646	-71
14.	पंजाब नैशनल बैंक	12467	35341	55359	103167	4163	1410
15.	सिंडिकेट बैंक	4981	12171	29142	46295	2001	403
16.	यूको बैंक	3945	10516	35009	49470	2048	346
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5010	15197	41623	61831	2710	719
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2685	9122	13541	25348	1197	300
19.	विजया बैंक	2945	5396	17277	25618	1072	381

विवरण II

क्र.सं.	बैंकों के नाम	31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए)					
		मांग जमा	बचत जमा	सावधि जमा	कुल जमा	जमाओं पर ब्याज व्यय	कुल लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	4081	14967	29451	48500	2116	706
2.	आंध्रा बैंक	3085	9232	21605	33922	1389	486
3.	बैंक आफ बड़ौदा	8379	27160	58123	93662	3517	827
4.	बैंक ऑफ इंडिया	7407	25486	61039	93932	3498	701
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2864	8661	15381	26906	1381	51
6.	केनरा बैंक	10262	28627	77914	116803	4825	1343
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	7631	23480	35372	66483	2880	257
8.	कार्पोरेशन बैंक	4746	6540	21590	32877	1289	444
9.	देना बैंक	2381	7931	13312	23623	973	73
10.	इंडियन बैंक	3204	11003	26599	40806	1730	504
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5700	14468	30361	50529	2186	783
12.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	5021	11369	33808	50197	2412	557
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2781	6043	8101	16925	636	108

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पंजाब नैशनल बैंक	16724	41908	61053	119685	4612	1439
15.	सिंडिकेट बैंक	6025	14450	33149	53624	2055	536
16.	यूको बैंक	4006	12112	38425	54544	2606	197
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	5979	17997	50119	74094	3156	675
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3133	10434	15683	29250	1289	205
19.	विजया बैंक	3417	6369	17923	27709	1262	127

विवरण III

राष्ट्रीयकृत बैंकों के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जमाओं, जमाओं पर ब्याज व्यय और कुल लाभ/हानि का बैंक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंकों के नाम	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए)					
		मांग जमा	बचत जमा	सावधि जमा	कुल जमा	जमाओं पर ब्याज व्यय	कुल लाभ/हानि
1.	इलाहाबाद बैंक	5492	17120	36932	59544	3013	750
2.	आंध्रा बैंक	3662	10652	27140	41454	1811	538
3.	बैंक आफ बड़ौदा	9875	31577	83464	124916	4986	1026
4.	बैंक आफ इंडिया	9366	29255	81261	119882	4608	1123
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	4121	10518	19280	33919	1499	272
6.	केनरा बैंक	12445	32435	97501	142381	6888	1421
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	8526	26312	47938	82776	3571	498
8.	कार्पोरेशन बैंक	6777	7652	27928	42357	1882	536
9.	देना बैंक	3281	9044	15365	27690	1190	202
10.	इंडियन बैंक	3632	13045	30414	47091	2219	760
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6815	17145	44780	68740	2896	1008
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6358	13032	44606	63996	3297	581
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2129	6703	10487	19319	904	219
14.	पंजाब नैशनल बैंक	16466	48089	75305	139860	5617	1540
15.	सिंडिकेट बैंक	7611	16472	54550	78634	3639	716
16.	यूको बैंक	5474	13463	45923	64860	3211	316
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	8623	20763	55795	85180	4040	845
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3954	11669	21544	37167	1603	267
19.	विजया बैंक	4171	7408	26025	37604	1676	331

पीपीपी के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4704. श्री वी.के. दुग्मर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) में शामिल संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी निजी भागीदारी के दिशानिर्देशों के कारण कुछेक कंपनियों ने लाभ उठाया है और इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है;

(ग) क्या बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को पीपीपी संरचना में शामिल नहीं होने दे रही तथा यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्रवाई का क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ऐसे दिशा-निर्देश तथा मानक दस्तावेजों को तैयार करने में लगे हुए हैं जिनका अनुपालन सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। केंद्रीय अवसंरचना लाइन मंत्रालय और राज्य सरकारें पीपीपी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं। निर्धारित अवधि (रियायत अवधि) के लिए सरकारी प्रयोजन हेतु अवसंरचना के सृजन और/अथवा प्रबंधन के लिए सरकारी निजी भागीदारी में आधार आस्ति के स्वामित्व वाली एक सरकारी क्षेत्र कंपनी जो सरकारी अथवा सांविधिक कंपनी होती है, और एक निजी क्षेत्र कंपनी जिसकी 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की इक्विटी निजी भागीदारों के स्वामित्व और नियंत्रण में होती है, शामिल है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन की कार्यविधि को अधिदेशित करते हैं। परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के दौरान यह निश्चित किया जाता है कि पीपीपी परियोजनाओं की बोली/अधिप्राप्ति पारदर्शी तथा उपयुक्त तरीके से की गई है जिससे निजी भागीदारी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलती है और सभी कंपनियां परियोजनाओं के लिए बोली लगा सकती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋणों का पुनर्भुगतान

4705. श्री काशीराम राणा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दस वर्षों में सरकारी ऋणों के प्रतिशत के रूप में पुनर्भुगतान में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी नहीं। वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 2006-07 में केन्द्र सरकार के सकल बाजार उधार (आन्तरिक ऋण के मामले में) और सकल विदेशी उधार (विदेशी ऋण के संबंध में) के प्रतिशत के रूप में वापसी अदायगियां 1997-98 की स्थिति की तुलना में बढ़ी है। जबकि सकल बाजार उधार के प्रतिशत के रूप में बाजार उधारों की वापसी अदायगी 1997-98 में 25 प्रतिशत से गिरकर 2006-07 में 24 प्रतिशत हो गई, वहीं सकल विदेशी उधारों की प्रतिशतता के रूप में वापसी अदायगी 1997-98 में 86 प्रतिशत से गिरकर 2006-07 में 48 प्रतिशत हो गई।

असम में जल आपूर्ति योजनाएं

4706. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम सरकार से 1100 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है तथा इसमें किन शहरों को शामिल किया जाना है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। गुवाहाटी के लिए जल आपूर्ति क्षेत्र में 1209.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की चार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) असम सरकार से प्राप्त हुई हैं।

साउथ गुवाहाटी वेस्ट जोन के लिए 280.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक जल आपूर्ति परियोजना 29.2.2008 को मंजूर की गई है, जिसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 252.80 करोड़ रुपए की वचनबद्धता की गई है। नार्थ गुवाहाटी के लिए एक जल आपूर्ति परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के मानदण्डों के अनुसार डीपीआर संशोधित करने के लिए राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया है। शेष दो परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है तथा सभी आवश्यकताएं पूरी करने पर इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण मोबिलाइजेशन

4707. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पिछले वर्ष में 22.6 प्रतिशत ऋण मोबालाइजेशन की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान ऋण मोबालाइजेशन केवल 16.7 प्रतिशत तक बढ़ा है जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 28.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बताया गया है, बैंकों के खाद्येतर ऋणों में लगातार 3 वर्ष तक 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुई और समग्र चल निधि में कमी आई। बैंक ऋणों में अधिक वृद्धि की इस अवस्था के दौरान खुदरा क्षेत्र, विशेष रूप से आवास, स्थावर सम्पदा, व्यापार, परिवहन और व्यावसायिक सेवाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्रों, जो अब तक ऋण बाजार में अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, को दिए जाने वाले ऋणों में पर्याप्त वृद्धि हुई। यद्यपि बैंकों द्वारा इनमें से कुछ नए क्षेत्रों को दिया गया ऋण, कम आधार को देखते हुए अभी भी अपेक्षाकृत कम है, तथापि वृद्धि की उच्च दरों ने इन आस्तियों की गुणवत्ता तथा संभावित अनर्जन के बारे में चिंताएं उत्पन्न की हैं। तदनुसार, वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह सूचित किया गया था कि निधीयन के स्रोतों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी कार्पोरेट क्षेत्र के बांडों/डिबेंचरों/शेयरों तथा वाणिज्य पत्र (सीपी) में निवेश सहित खाद्येतर ऋणों में वर्ष 2004-07 के दौरान 29.8 प्रतिशत के औसत से वर्ष 2007-08 में 24.0-25.0 प्रतिशत की क्रमिक कमी मौद्रिक अनुमानों के अनुरूप है।

इस स्थूल नीति के दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख दरों में वृद्धि करने सहित विभिन्न मौद्रिक उपाय किए गए हैं। सितम्बर 2004 से, पुन: खरीद/प्रति पुन: खरीद दरों में 175/150 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की गई है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 300 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की गई है, जोखिम भार में वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा के मामले में (100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत) और उपभोक्ता ऋण के मामले में (100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है और विशिष्ट क्षेत्रों में मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान संबंधी अपेक्षा में मानक अग्रिमों के 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तदनुसार, वर्ष 2004-07 के दौरान प्रचलित निरंतर उच्च दरों से वर्ष 2007-08 में खाद्येतर ऋण की वृद्धि में कमी स्थूल रूप से अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में दी गई सांकेतिक सारणी के अनुरूप है।

जैसा कि वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा (जनवरी, 2008) में बताया गया है, आगामी अवधि में मौद्रिक नीति का समग्र दृष्टिकोण स्थूल रूप से निम्नानुसार जारी रहेगा:

* विकास की गति को जारी रखने और वित्तीय बाजार की व्यवस्थित परिस्थितियों के लिए सहायक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करते हुए कीमतों के स्थायित्व और नियंत्रित मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर अधिक बल देना।

* वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए, विशेष रूप से, रोजगार उन्मुख क्षेत्रों के लिए ऋण की गुणवत्ता और ऋण के वितरण पर बल दना।

* मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और विकास की गति को प्रभावित करने वाली क्रमिक रूप से विकसित होने वाली अधिक सार्वभौमिक अनिश्चितताओं और घरेलू स्थिति की निगरानी करना, ताकि परम्परागत और अपरम्परागत जो भी उपयुक्त हो, दोनों उपायों के साथ शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

4708. श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण अवसंरचना के विकास का वित्तपोषण करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विकास के कौन-कौन से क्षेत्र हैं तथा राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इनके द्वारा कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में ग्रामीण मूलभूत सुविधा अवसंरचना के विकास को वित्तपोषित करने हेतु 2,000/- करोड़ रुपए के प्रारम्भिक कार्पस से वर्ष 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की थी। तब से यह योजना उत्तरोत्तर केन्द्रीय बजटों में इसके लिए वार्षिक आबंटन की घोषणा करते हुए प्रत्येक वर्ष जारी है। सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2008-09 में 14000 करोड़ रुपए के कार्पस की घोषणा कर दी गई है। राज्यों को संस्वीकृत तथा संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आरआईडीएफ के अंतर्गत शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

* ग्रामीण सड़कें तथा पुल;
* लघु, छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं;
* मृदा संरक्षण, बाढ़ से सुरक्षा, जल विभाजक विकास/ जलभराव वाले क्षेत्रों का सुधार (समतल करना);
* गंदे पानी की निकासी, वन विकास;
* बाजार यार्ड/गोदाम, अपनी मंडी, ग्रामीण हाट तथा अन्य विपणन अवसंरचना;
* शीतागार: विभिन्न निर्गम बिन्दुओं पर सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत शीतागार;
* बीज/कृषि/बागवानी फार्म;
* जांच तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं आदि जैसे ग्रेडिंग तथा प्रमाणन तंत्र;
* मत्स्य पत्तन/घाट, तटीय मत्स्य-क्षेत्र, पशु पालन;
* जल-विद्युत परियोजनाएं/छोटी जल विद्युत परियोजनाएं (10 मेगावाट तक);
* पेय जल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था;
* ग्रामीण शिक्षा संस्थानों के लिए आधारभूत सुविधाएं;
* विद्यमान स्कूलों में, जहां जरूरी हो, विशेष रूप से छात्राओं के लिए, शौचालयों का निर्माण, जिससे स्कूल में उपलब्ध जन सुविधाओं में सुधार हो सके;
* समुद्र-तटीय क्षेत्रों में पानी का खारापन दूर करने के संयंत्र लगाना;
* ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना;
* आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण;
* ग्रामीण औद्योगिक सम्पदा/केन्द्र (केवीआईसी) की स्थापना।

विवरण

राज्यवार संचयी संस्वीकृत तथा संवितरण-आर.आई.डी.एफ.
(31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार)

(रुपये करोड़ में)

राज्य का नाम	राज्य जोड़	
	संस्वीकृत	संवितरित
1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	9401.11	5991.13
कर्नाटक	4247.88	2426.99
केरल	2108.13	1322.24
तमिलनाडु	5466.75	3723.54
दक्षिण क्षेत्र कुल	21223.87	13463.89
पश्चिमी क्षेत्र		
गोवा	94.03	50.07
गुजरात	6316.77	4405.70

1	2	3
महाराष्ट्र	4597.08	2967.43
पश्चिमी क्षेत्र कुल	11007.88	7423.20
उत्तर क्षेत्र		
हरियाणा	1875.20	1260.42
हिमाचल प्रदेश	1812.49	1194.93
जम्मू-कश्मीर	2160.32	1243.45
पंजाब	2937.68	2014.59
राजस्थान	4298.11	2647.40
उत्तर प्रदेश	6219.16	3864.15
उत्तराखंड	968.70	683.35
उत्तर क्षेत्र कुल	20271.66	12908.29
मध्य क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	1398.19	970.23
मध्य प्रदेश	5487.17	3379.16
मध्य क्षेत्र कुल	6885.36	4349.39
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	2396.06	747.30
झारखण्ड	1283.51	607.87
उड़ीसा	3261.23	1648.23
पश्चिमी बंगाल	4539.91	2730.17
पूर्वी क्षेत्र कुल	11480.71	5733.57
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य और सिक्किम		
अरुणाचल प्रदेश	542.62	295.93
असम	1432.84	763.75
मणिपुर	45.09	14.63
मेघालय	252.30	160.13
मिजोरम	139.97	116.80
नागालैंड	200.88	142.50
त्रिपुरा	469.33	146.94
सिक्किम	120.90	75.84
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम कुल	3203.93	1716.52
सकल योग	74073.41	45594.85

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में शहरी अवसंरचना विकास योजना

4709. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.) के अंतर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के कितने शहरों को शामिल किया गया है तथा इनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम 3.12.2005 को सात वर्षीय मिशन अवधि अर्थात् 2005 से 2012 तक के लिए शुरू की गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन नगर अर्थात् बाम्बूफ्लैट, गाराचारमा तथा पोर्ट ब्लेयर इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए विचार हेतु पात्र हैं।

इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से यह अपेक्षा है कि वह स्कीम के अंतर्गत धन प्राप्त करने हेतु स्वीकार्य घटकों से संबंधित परियोजनाएं स्वीकार करें। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इन परियोजनाओं को स्वीकार करने हेतु अभी राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन करना है, इसलिए छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अधीन अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अभी तक कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

(ख) योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अधीन पूरी मिशन अवधि के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह हेतु 4.48 करोड़ रु. आबंटित किए है।

आई.सी.डी.एस.

4710. श्री नरहरि महतो:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री विजय कृष्ण:
श्री महावीर भगोरा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत गर्भवती स्त्रियों तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को और मातृत्व लाभ देने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के लिए विश्व बैंक से धनराशि प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इनके द्वारा कितनी धनराशि उपभोग में लाई गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना, जिसे 1999 और 2006 के मध्य कार्यान्वित किया गया था तथा आई.सी.डी.एस. आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना, जिसे, 1999 से सितम्बर, 2005 तक कार्यान्वित किया गया था, के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से निधियां प्राप्त की थीं।

(घ) आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना प्रारंभ में पांच राज्यों, नामत: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा केरल में कार्यान्वित की गई थी। वर्ष 2002 में परियोजना का पुनर्गठन किया गया तथा छह और राज्यों को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा, केवल नौ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्माण कार्यकलाप चलाए गए। आंध्र प्रदेश में वर्ष 1999 से सितम्बर, 2005 तक आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना भी कार्यान्वित की गई। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना तथा आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार निर्मुक्त राशि तथा व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रारंभिक सूचना इस मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर समेकित बाल विकास सेवा संबंधी आंकड़ा तालिका में उपलब्ध है।

विवरण

विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना (आई.सी.डी.एस.-3/आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त अनुदान तथा व्यय दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय	निर्मुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	54.90	63.82	66.03	34.25	–	–	–	–
2.	उत्तर प्रदेश	70.67	57.88	9.62	26.78	0.40	–	0.00	–
3.	राजस्थान	40.13	28.33	9.65	9.65	6.09	–	0.00	–
4.	महाराष्ट्र	21.03	42.49	52.09	41.37	28.58	–	0.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	केरल	24.48	28.35	18.18	13.20	0.00	–	0.00	–
6.	तमिलनाडु	15.68	2.46	0.00	–	0.00	–	0.00	–
7.	मध्य प्रदेश	68.36	83.53	61.73	75.83	35.64	–	0.00	–
8.	छत्तीसगढ़	28.46	28.83	21.96	26.00	8.54	–	0.00	–
9.	बिहार	41.03	46.62	45.00	63.19	35.00	–	0.00	–
10.	झारखंड	36.84	17.14	12.00	31.18	9.63	–	0.00	–
11.	उड़ीसा	15.00	8.15	5.48	14.26	0.00	–	0.00	–
12.	उत्तरांचल	6.00	3.97	3.88	12.05	0.00	–	0.00	–
13.	गुजरात	0.00	5.91	1.00	–	0.00	–	0.00	–
14.	पश्चिम बंगाल	0.00	7.00	3.92	–	0.00	–	0.00	–
15.	कर्नाटक	0.00	4.47	1.43	1.16	0.00	–	0.00	–
16.	हरियाणा	0.00	3.44	0.72	0.65	0.00	–	0.00	–
17.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	–	0.00	–	0.00	–
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	–	0.00	–	0.00	–
19.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.90	–	0.00	–	0.00	–
20.	पांडिचेरी	0.17	0.00	0.00	–	0.00	–	0.00	–
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.15	–	0.00	–	0.00	–
	कुल	422.75	435.38	314.74	383.47	123.88*	–	0.00	–

*आई.सी.डी.एस. आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन परियोजना सितम्बर, 2005 में समाप्त हुई तथा विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना 31.3.2006 को समाप्त हुई। तथापि, 2005-06 के दौरान कुछ राज्यों ने उन्हें निर्मुक्त निधियों की तुलना में अधिक व्यय किया गया था। इस प्रकार, विगत वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान राज्यों द्वारा पहले से किए गए अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 123.88 करोड़ रुपये की निधियां निर्मुक्त की गईं।

[हिन्दी]

जनजातीय बालकों को शिक्षा

4711. श्री भावना पुंडलिकराव गवली: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय बालकों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं को चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय बालकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय सामान्य शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों का संपूरक है। जहां तक

जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना का संचालन कर रहा है। विभिन्न राज्यों में कक्षा 6 से 12 तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों को स्थापित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान लिया गया था। 24 राज्यों में 100 आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए तथा 79 प्रचालन में हैं। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए निर्मुक्त किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। मंत्रालय द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2007-08 में ईएमआरएस के लिए अलग निधियां चिह्नित नहीं की गई हैं तथा राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियों से ही ईएमआरएस की आवश्यकताओं को समायोजित करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) जनजातीय बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित योजनाएं चला रहा है:

(1) लड़के और लड़कियों के छात्रावास के निर्माण की योजना।

(2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना

(3) अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(4) प्रतिभा उन्नयन योजना

(5) आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(6) जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना, जिसे हाल ही में संशोधित तथा कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण से पुन: नामित किया है।

विवरण

2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ईएमआरएस के लिए राज्य सरकारों को निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	360.00	530.00
2.	असम	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00
4.	गुजरात	1850.00	540.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	175.00
6.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	387.76	189.87
8.	केरल	0.00	330.00
9.	मध्य प्रदेश	577.75	452.25
10.	महाराष्ट्र	520.00	120.00
11.	मणिपुर	0.00	125.00
12.	उड़ीसा	1029.79	300.00
13.	राजस्थान	0.00	420.00
14.	सिक्किम	100.00	0.00
15.	तमिलनाडु	205.00	180.00
16.	त्रिपुरा	0.00	115.00
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	325.00	450.00
19.	अरुणाचल प्रदेश	105.44	0.00
20.	मेघालय	0.00	0.00
21.	मिजोरम	0.00	0.00
22.	नागालैंड	0.00	0.00
23.	झारखंड	400.00	0.00
24.	छत्तीसगढ़	0.00	1115.00
25.	उत्तरांचल	0.00	150.00
	कुल	5860.74	5192.12

घरेलू तथा विदेशी निवेश

4712. श्री अजीत जोगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए घरेलू तथा विदेशी निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त निवेश किए गए हैं; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान किन क्षेत्रों में घरेलू तथा विदेशी निवेश बढ़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए घरेलू निवेश (औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के अनुसार संकलित) और विदेशी निवेश के ब्यौरे, क्षेत्रों सहित संलग्न विवरण क्रमश: I और II में दिए गए हैं।

(ग) वे क्षेत्र, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान घरेलू निवेश और साथ ही विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 तक दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरा

		संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)
1		2	3
1.	धातु कर्म उद्योग	639	331335
2.	ईंधन	46	71387
3.	बॉयलर और भाप उत्पादक संयंत्र	1	7
4.	प्राइम मूवर वैद्युत जेनरेटरों को छोड़कर	104	5043
5.	इलेक्ट्रिक उपकरण	380	355553
6.	दूर-संचार	40	1394
7.	परिवहन उद्योग	73	11358
8.	औद्योगिक मशीनरी	63	2625
9.	मशीन टूल्स	3	20
10.	कृषि मशीनरी	2	46
11.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	10	617
12.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी उद्योग	136	4267
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	5	59
14.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	7	127
15.	औद्योगिक उपस्कर	0	0
16.	वैज्ञानिक उपस्कर	10	175
17.	उर्वरक	24	298
18.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	319	88846
19.	रंजक सामान	5	84

1		2	3
20.	औषध और भेषज	117	3374
21.	कपड़ा	380	16839
22.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी	73	5811
23.	शर्करा	97	8673
24.	किण्वन उद्योग	141	6371
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	80	1741
26.	वनस्पति तेल और वनस्पति	74	1979
27.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	20	687
28.	रबर पदार्थ	38	2090
29.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	17	235
30.	सरेस और जिलेटिन	2	12
31.	कांच	11	2210
32.	मृत्तिका	51	4121
33.	सीमेंट और जिम्पस उत्पाद	238	120896
34.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	6	237
35.	विविध उद्योग	30	879
36.	अन्य	431	176365
	कुल जोड़	3673	1225761

विवरण II

एफडीआई अंतर्वाहों का क्षेत्रवार विवरण
अप्रैल 2007 से फरवरी 2008

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्रक	एफडीआई अंतर्वाहों की राशि
1	2	3
1.	सेवा क्षेत्रक	5,491.69
2.	आवास और स्थावर संपदा (सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, एकीकृत टाऊनशिप और व्यावसायिक परिसरों आदि सहित)	1,791.65

1	2	3
3.	निर्माण कार्यकलाप	1,526.93
4.	कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर	1,373.03
5.	दूर-संचार	11,97.92
6.	धात्विक उद्योग	971.30
7.	विद्युतीय उपस्कर	631.25
8.	पत्तन	623.31
9.	व्यापार	580.16
10.	विविध उद्योग	553.73
11.	आटोमोबाईल उद्योग	552.57
12.	विद्युत	503.46
13.	खनन	444.26
14.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	385.87
15.	होटल और पर्यटन	375.87
16.	औषध और भेषज	334.00
17.	परामर्शी सेवाएं	314.60
18.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	314.09
19.	किण्वन उद्योग	268.59
20.	अस्पताल और निदान केन्द्र	237.50
21.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	216.28
22.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी उद्योग	205.40
23.	समुद्र परिवहन	128.34
24.	कृषि सेवाएं	111.36
25.	इलेक्ट्रॉनिक्स	106.48
26.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	105.20
27.	वायु परिवहन (वायु मालभाड़े सहित)	99.08
28.	मृत्तिका	93.08
29.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	68.71
30.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	66.09

1	2	3
31.	औद्योगिक मशीनरी	58.49
32.	मशीन टूल्स	55.87
33.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	52.84
34.	हीरा, स्वर्ण आभूषण	38.21
35.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा	32.96
36.	(कागज इत्यादि सहित) कागज और लुगदी	31.23
37.	शिक्षा	27.69
38.	किताबों का मुद्रण (लिथो मुद्रा उद्योग शामिल)	19.50
39.	चाय और कॉफी (कॉफी और रबर का प्रसंस्करण और भंडारण)	18.94
40.	कोयला उत्पादन	14.08
41.	रबड़ वस्तुएं	13.08
42.	रेलवे संबंधी संघटक	12.36
43.	सीमेंट और जिप्पस उत्पाद	11.52
44.	कांच	11.04
45.	चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय उपस्कर	10.08
46.	शर्करा	10.07
47.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	10.01
48.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	9.78
49.	कृषि मशीनरी	6.10
50.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	5.33
51.	सरेस और जिलेटिन	2.28
52.	औद्योगिक उपकरण	2.23
53.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रैंड)	1.98
54.	उर्वरक	1.95
55.	रंजक सामान	1.93
56.	वनस्पति तेल और वनस्पति	1.53
57.	बॉयलर्स और भाप उत्पादक संयंत्र	1.51

1	2	3
58.	गणितीय, सर्वेक्षण और आरेखण उपस्कर	1.26
59.	इमारती लकड़ी का उत्पादन	0.39
60.	प्राइम मूवर्स (इलेक्ट्रिकल जेनरेटरों को छोड़कर)	0.28
61.	कॅयर	0.01
62.	वैज्ञानिक उपस्कर	0.00
	उप-जोड़	20,137.36
63.	स्टाक अदला-बदली	0.17
	कुल जोड़	20,137.63

विवरण III

क्षेत्रक जिनमें घरेलू निवेश (आईईएम के अनुसार) में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 में वृद्धि की गई है।		क्षेत्रक जिनमें विदेशी निवेश में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 में वृद्धि दर्ज की गई है।	
1.	धातु कर्म उद्योग	1.	सेवा क्षेत्रक
2.	ईंधन	2.	आवास और स्थावर संपदा
3.	इलेक्ट्रिक उपकरण	3.	निर्माण कार्यकलाप
4.	परिवहन उद्योग	4.	दूरसंचार
5.	औद्योगिक मशीनरी	5.	धात्विक उद्योग
6.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	6.	विद्युतीय उपस्कर
7.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	7.	पत्तन
8.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा उपकरण	8.	व्यापार
9.	वैज्ञानिक उपस्कर	9.	विविध उद्योग
10.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	10.	आटोमोबाईल उद्योग
11.	वनस्पति, तेल और वनस्पति	11.	विद्युत
12.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	12.	खनन
13.	ग्लू और जिलेटिन	13.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
14.	कांच	14.	होटल और पर्यटन
15.	सिरेमिक्स	15.	औषध और भेषज

16.	सीमेंट और जिप्सस उत्पाद	16.	परामर्शी सेवाएं
17.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	17.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)
18.	अन्य	18.	किण्वन उद्योग
		19.	अस्पताल और निदान केन्द्र
		20.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)
		21.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी उद्योग
		22.	समुद्र परिवहन
		23.	कृषि सेवाएं
		24.	इलेक्ट्रानिक्स
		25.	वायु परिवहन (वायु मालभाड़े सहित)
		26.	मृत्तिका शिल्प
		27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
		28.	अर्थ-मूविंग मशीनरी
		29.	औद्योगिक मशीनरी
		30.	मशीन टूल्स
		31.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज
		32.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा
		33.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी
		34.	चाय और कॉफी (प्रसंस्करण और भांडागारण)
		35.	कोयला उत्पादन
		36.	शीक्षा
		37.	चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय उपकरण
		38.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री
		39.	सरेस और जिलेटिन
		40.	इमारती लकड़ी के उत्पाद

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन हेतु बेकार बह रहे जल का उपयोग

4713. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश की नदियों में बेकार बह रहे जल का दोहन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी हां, 1987 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा

पूरे किए गए देश की जल-विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, आर्थिक रूप से दोहनीय जल विद्युत क्षमता 60% भार घटक पर 84,044 मेगावाट अनुमानित की गई है। पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर, यह लगभग 1,50,000 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता में परिवर्तित हो जाएगी। विभिन्न बेसिनों में कुल 845 जल-विद्युत योजनाओं को चिन्हित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2001-02 में एक रैंकिंग अध्ययन किया था जिसमें 1,06,910 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 399 योजनाओं को जल योजनाओं के विकास में शामिल विभिन्न तत्वों के आधार पर प्राथमिकता दी गई थी। रैंकिंग अध्ययन के आधार पर, 2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत 16 राज्यों में 162 आकर्षक जल विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर) तैयार की गई हैं। प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टों के परिणामों के आधार पर, 33,951 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 77 योजनाएं, जिनके प्रथम वर्ष का टैरिफ 2.50 रुपये/केडब्ल्यूएच से कम है, विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच तथा डीपीआर की तैयारी के लिए ली गई हैं। इस प्रयोग से जल विद्युत योजनाओं के विकास के लिए भरोसे योग्य डीपीआर का भंडार उपलब्ध होगा जिससे 11वीं योजना अवधि तथा उसके बाद लाभ प्राप्त होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में जल विद्युत के तीव्र विकास को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदमों तथा उपायों को शामिल करते हुए नई जल नीति की घोषणा की है। यह नीति निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है।

10वीं योजना के अंत तक जल अधिष्ठापित क्षमता 34,654 मेगावाट थी। 11वीं योजना अवधि के लिए जल विद्युत क्षमता में 16,553 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कामकाजी महिलाओं की संख्या

4714. श्री हितेन बर्मन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में कामकाजी महिलाओं की संख्या संबंधी कोई आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में नियोजित महिलाओं की क्षेत्र-वार औसत संख्या क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाओं की संख्या 50.16 लाख थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.7% अधिक थी। इमें से 29.21 लाख महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में और 20.95 लाख महिलाएं निजी क्षेत्र में नियोजित थीं।

पवन ऊर्जा

4715. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पवन ऊर्जा का दोहन करने की असीम संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक राज्य में कुल कितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) 200 वाट प्रति वर्गमीटर अथवा उससे अधिक पवन विद्युत घनत्व वाले क्षेत्रों के आधार पर और संभाव्यता वाले क्षेत्रों में एक प्रतिशत की दर पर भूमि उपलब्धता तथा 12 हेक्टेयर प्रति मेगावाट की दर पर भूमि आवश्यकता को मानते हुए देश में सकल पवन विद्युत संभाव्यता 45000 मेगावाट से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। संभाव्यता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2008 तक देश में 8748 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

देश में सकल पवन विद्युत संभाव्यता

क्र.सं.	राज्य	सकल संभाव्यता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8275
2.	गुजरात	9675
3.	कर्नाटक	6620
4.	केरल	875

1	2	3
5.	मध्य प्रदेश	5500
6.	महाराष्ट्र	3650
7.	उड़ीसा	1700
8.	राजस्थान	5400
9.	तमिलनाडु	3050*
10.	पश्चिम बंगाल	450
	कुल	45195

*राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में संशोधित करके 5200 मेगावाट की गई।

विवरण II

राज्यवार और वर्षवार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता (मेगावाट)

(31.03.2008 के अनुसार)

राज्य	क्षमता
आंध्र प्रदेश	122.5
गुजरात	1252.9
कर्नाटक	1011.4
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	187.7
महाराष्ट्र	1755.9
राजस्थान	538.8
तमिलनाडु	3873.4
पश्चिम बंगाल	1.1
अन्य	3.2
कुल	8748.7

विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन

4716. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत छः महीनों के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के किसी मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी विदेशी मुद्रा पकड़ी गयी है; और

(घ) विदेशी मुद्राओं के अवैध लेन-देन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले छः माह के दौरान विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के 17 मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें 10509.97 लाख रुपये का उल्लंघन शामिल है।

(ग) पिछले छः माह के दौरान फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत वसूल की गई विदेशी मुद्रा के राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

	राज्य	राशि (रुपये लाखों में)
1.	कर्नाटक	24.70
2.	दिल्ली	02.66

(घ) विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देनों पर नियंत्रण रखने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत दिये गये सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अफीम उगाने वाली भूमि में कमी

4717. श्री मित्रसेन यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफीम उगाने वाली भूमि के कुल क्षेत्र में भारी कमी देखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफील की कम पैदावार से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच स्थित कुछ उद्योगों के प्रभावित होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान अफीम पोस्ते की खेती के लिए लाइसेंस शुदा कुल क्षेत्र (हे.ए.) इस प्रकार है:-

2005-06	2006-07	2007-08
7252	6269	4680

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए आवास

4718. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री देविदास पिंगले:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की सहायता से प्रत्येक राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को कितनी आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप-मिशन तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटकों के अंतर्गत अनुमोदित रिहायशी इकाइयों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा (उप मिशन-2)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	511.27	14675	250.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	4.10	100	3.36
3.	असम	1	53.95	1232	48.56
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	0	0.00	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00
6.	बिहार	9	367.72	14596	179.54
7.	दिल्ली	11	1506.89	57504	630.90
8.	गुजरात	3	240.55	15136	115.63
9.	हरियाणा	0	0.00	0	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1	14.01	384	11.21
11.	गोवा	1	10.22	155	4.60

1	2	3	4	5	6
12.	जम्मू-कश्मीर	2	105.17	5208	84.88
13.	झारखंड	5	195.29	7218	132.91
14.	कर्नाटक	4	271.43	7335	147.57
15.	केरल	3	234.92	17460	155.22
16.	मध्य प्रदेश	1	17.41	1320	13.26
17.	महाराष्ट्र	5	1200.65	30034	632.62
18.	मेघालय	2	34.33	600	23.77
19.	मिजोरम	2	34.33	408	28.91
20.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00
21.	उड़ीसा	5	67.17	2316	48.77
22.	पंजाब	2	72.43	5152	36.15
23.	पुडुचेरी	2	43.97	1304	32.31
24.	राजस्थान	0	0.00	0	0.00
25.	सिक्किम	1	3.25	52	2.79
26.	तमिलनाडु	5	1303.85	41586	587.69
27.	त्रिपुरा	1	16.73	256	13.96
28.	उत्तर प्रदेश	7	355.58	17072	162.50
29.	उत्तराखंड	4	22.88	524	18.08
30.	पश्चिम बंगाल	31	1241.80	54932	610.01
	वर्ष 2007-08	114	7926.02	296559	3975.84
1.	आंध्र प्रदेश	9	572.61	30320	284.34
2.	चंडीगढ़ (यूटी)	2	564.94	25728	396.13
3.	छत्तीसगढ़	4	391.45	27976	312.18
4.	गुजरात	10	1028.32	72368	497.29
5.	हरियाणा	2	64.23	3248	31.18
6.	हिमाचल प्रदेश	1	9.99	252	7.05
7.	कर्नाटक	3	238.84	14511	125.40
8.	केरल	3	69.20	4748	47.17

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	14	428.22	26205	206.02
10.	महाराष्ट्र	31	2934.82	100578	1299.50
11.	नागालैंड	1	134.50	3504	105.60
12.	राजस्थान	2	277.14	17337	169.20
13.	तमिलनाडु	19	830.26	44021	359.67
14.	उत्तर प्रदेश	5	82.13	4680	38.58
15.	पश्चिम बंगाल	45	1169.51	60312	556.54
	वर्ष 2006-07	151	8796.16	435788	4435.86
	योग	265	16722.18	732347	8411.70

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
कुल अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित योजना लागत	कुल अनुमोदित रिहायशी इकाइयां	कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32	385.34	4087	300.55
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	5.2674	40	4.7407
3.	असम	9	26.07	4780	22.32
4.	बिहार	3	31.92	2333	23.21
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00
6.	दादरा व नगर हवेली	1	0.5	0	0.45
7.	गुजरात	1	0.6888	16	0.5796
8.	हरियाणा	15	155.43	12205	101.59
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	3	23.44	816	16.19
11.	झारखंड	10	42.40	2654	32.23
12.	कर्नाटक	1	19.67	1292	15.58
13.	केरल	20	171.81	8983	103.86

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	11	71.45	6267	53.85
15.	राजस्थान	10	44.72	2518	33.07
16.	महाराष्ट्र	10	186.37	11526	122.24
17.	मेघालय	20	245.77	18091	181.94
18.	मिजोरम	1	21.82	456	8.97
19.	मणिपुर	1	8.27	500	6.21
20.	नागालैंड	2	16.5029	1103	12.3672
21.	उड़ीसा	0	0.00	0	0.00
22.	पुडुचेरी	15	83.63	4884	59.13
23.	पंजाब	1	17.03	432	5.4774
24.	तमिलनाडु	2	42.40	3938	25.55
25.	त्रिपुरा	8	79.61	6832	56.64
26.	उत्तर प्रदेश	1	7.19	400	6.33
27.	उत्तर प्रदेश	1	4.29	204	2.78
28.	उत्तराखंड	2	5.85	231	2.91
29.	पश्चिम बंगाल	44	365.43	20061	260.70
	वर्ष 2007-08	225	2062.873	114649	1459.4757
1.	आंध्र प्रदेश	25	301.92	25170	210.57
2.	असम	3	12.24	613	10.79
3.	बिहार	7	48.81	4167	36.55
4.	छत्तीसगढ़	14	176.50	14846	122.01
5.	गुजरात	8	72.07	6200	51.54
6.	हरियाणा	15	238.84	14641	182.96
7.	कर्नाटक	5	68.46	4070	41.90
8.	केरल	15	65.25	5985	50.10
9.	मध्य प्रदेश	23	197.17	14646	137.99
10.	राजस्थान	17	140.06	10758	110.08

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	15	152.67	13036	120.71
12.	नागालैंड	1	87.74	2496	44.14
13.	तमिलनाडु	22	146.05	12931	112.56
14.	उत्तर प्रदेश	8	29.01	2032	22.11
15.	पश्चिम बंगाल	16	201.20	12824	150.57
	वर्ष 2006-07	194	1938.00	144415	1404.56
	योग	419	4000.87	259064	2864.03

[अनुवाद]

सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए एटीएम सुविधाएं

4719. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सभी बैंकों की नि:शुल्क एटीएम सुविधा देने का है, जैसा कि 13 मार्च, 2008 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 मार्च, 2008 को सभी प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंकों को नकदी आहरण एवं शेष राशि की पूछताछ करने हेतु एटीएम के प्रयोग के लिए ग्राहक शुल्क संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (1) किसी प्रयोजन से बैंकों के स्वयं के एटीएम के प्रयोग के लिए सेवाएं तत्काल प्रभाव से नि:शुल्क होंगी, (2) शेष राशि संबंधी पूछताछ हेतु अन्य बैंकों के एटीएम का प्रयोग करने के लिए सेवाएं तत्काल प्रभाव से नि:शुल्क होंगी, (3) नकदी आहरण हेतु अन्य बैंक के एटीएम के प्रयोग के लिए अनुदेश निम्नलिखित है:-

1. कोई भी बैंक 23 दिसम्बर, 2007 (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दृष्टिकोण पत्र जारी करने की तारीख) की स्थिति के अनुसार प्रचलित शुल्कों में वृद्धि नहीं करेगा।

2. जो बैंक प्रति लेन-देन 20/- रुपए से अधिक शुल्क ले रहे हैं, वे 31 मार्च, 2008 तक शुल्क को प्रति लेन-देन घटाकर अधिकतम 20 रुपए करेंगे।

3. 1 अप्रैल, 2008 से नि:शुल्क।

2008-09 के लिए उर्वरक राजसहायता

4720. डा. के. धनराजू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2008-09 के लिए प्रत्याशित उर्वरक राजसहायता विधेयक का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) उर्वरक सब्सिडी के लिए बजट अनुमान 2008-09 में 30,986.36 करोड़ रुपए (निवल वसूलियों) का प्रावधान है।

केरूर में बैंक शाखाओं को खोलना

4721. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बादामी तालुक स्थित केरूर में राष्ट्रीयकृत बैंक की अन्य शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शाखा के कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सिंडिकेट बैंक की एक शाखा केरूर, जिला बागलकोट, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी दिनांक 31.03.2008 को केरूर में एक शाखा खोल दी है।

मैट्रो रेल के लिए विद्युत परियोजनाएं

4722. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड हेतु 300 मेगावाट की विद्युत परियोजना की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए भू-ताप प्रौद्योगिकी का प्रयोग

4723. श्री राकेश सिंह:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए एक नई प्रौद्योगिकी अर्थात् भू-ताप प्रौद्योगिकी लागू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सफलता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) के अनुसार, देश में विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोग हेतु भू-ताप ऊर्जा के उपयोग के लिए, अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एम.एन.आर.ई. देश में सम्भाव्य भू-ताप स्थलों को चिह्नितकरण हेतु राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद द्वारा किए जा रहे मैगनेटोटेल्यूरिक (एमटी) अध्ययनों को सहयोग दे रही है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में पुगा घाटी तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तातापानी को विद्युत उत्पादन के लिए सम्भाव्य स्थलों के रूप में चिह्नित किया गया है। एनजीआरआई द्वारा इस प्रकार के अध्ययन झारखण्ड में सूरजकुण्ड क्षेत्र में उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ-तपोवन एवं हिमाचल प्रदेश में सतलुज व्यास और पार्वती घाटी में भी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) 1992 में नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेटरी, बैंगलोर द्वारा 5 किलोवाट क्षमता का प्रयोगात्मक भू-तापीय विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में स्थापित किया गया था जो कि कुछ समय तक प्रचालनाधीन रहा था, किन्तु बाद में भूस्खलन द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद देश में कोई भी भू-ताप आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

विद्युत क्षेत्र का आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन

4724. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन में विदेशी/निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निजी और सरकारी क्षेत्र की भूमिका क्या है; और

(घ) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियों की आवश्यकता होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप विद्युत जिसमें उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) पारेषण, वितरण एवं विद्युत व्यापार भी शामिल है, के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

विद्युत मंत्रालय ने अक्तूबर, 1995 में नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा की थी जिससे विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता हो सके।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें जर्मनी सरकार तथा विश्व बैंक के साथ के कार्यक्रम शामिल हैं, के माध्यम से भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

ग्यारहवीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह ने विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने तथा 11वीं योजना के दौरान अनुमानित विद्युत क्षेत्र की प्रगति के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। साथ ही, यह भी सिफारिश की गई है कि विद्युत उत्पादन में कार्यशील बड़े संगठनों को अपने मुनाफे का कम से कम 1% तथा विनिर्माण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को अपने मुनाफे का 3-4% प्रौद्योगिकी विकास पर उपयोग करना चाहिए।

विद्युत मंत्रालय ने सुपर-क्रिटिकल एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाते हुए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली माध्यम से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2006 में एक पहल की है। अब तक तीन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकर्त्ताओं को सौंपी गई हैं, जो मुंद्रा (गुजरात), सासन (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में स्थापित की जाएगी।

विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह के अनुमान के अनुसार 11वीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में निधिगत आवश्यकता आर एंड एम कार्यों के लिए 15,875 करोड़ रुपये तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए 1214 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

जनजातियों पर अत्याचार

4725. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए जनजातियों पर अत्याचार के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध के लिए 2004-06 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत उनकी हैसियत सहित दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा देने वाले विवरण संलग्न है। अपराध का पंजीकरण, छानबीन, पता लगाना और निवारण राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सरकारी आदेश राज्य के विषय हैं।

भारत सरकार निम्नलिखित उपचारात्मक और निवारक कार्रवाइयां करता है:

(1) अपराधिका न्याय प्रणाली के प्रशासन को सुधारने हेतु संगठित प्रयास करने के लिए और जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध को नियंत्रित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करना।

(2) नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 का संरक्षण और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संबोधित करना।

(3) प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास तथा जागरूकता सृजन, अंतर्जातीय विवाह, प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 का संरक्षण के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्मुक्त सहायता (करोड़ रुपए में)
2005-06	38.31
2006-07	36.44
2007-08	39.06

(4) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) भी, जब कभी उपचारात्मक कार्रवाई के लिए अत्याचार के मामले इसकी जानकारी में लाए जाते हैं, हस्तक्षेप करता है।

विवरण

2004-06 के दौरान अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम (अजजा के विरुद्ध सभी भा.दं.सं. सहित) के अंतर्गत पंजीकृत केस (सीआर), चार्जशीट किए गए केस (सीएस), आरोपित केस (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर) चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) आरोपित व्यक्ति (पीसीवी) के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	2004						2005						2006					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	562	274	46	868	737	143	515	428	40	737	680	114	781	438	42	874	960	71
2.	अरुणाचल प्रदेश	75	57	0	43	31	0	54	37	7	38	23	8	27	18	2	18	16	2
3.	असम	12	12	4	20	22	1	216	105	17	280	137	16	244	114	20	278	125	20
4.	बिहार	40	16	2	63	48	2	82	20	2	48	33	2	56	30	5	87	58	8
5.	छत्तीसगढ़	676	628	183	1003	1046	493	497	470	147	751	754	253	583	524	172	895	877	172
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
7.	गुजरात	241	185	13	461	455	16	237	207	2	555	553	1	164	159	5	382	371	9
8.	हरियाणा	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	11	8	0	15	29	0	8	3	0	7	4	0	15	9	1	10	10	4
10.	जम्मू-कश्मीर	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	123	81	11	189	149	15	323	214	24	307	240	37	298	212	23	287	306	53
12.	कर्नाटक	172	138	2	534	536	3	161	129	9	490	475	30	213	156	10	607	585	16
13.	केरल	82	54	1	166	105	7	82	82	14	94	123	17	75	51	11	57	62	22
14.	मध्य प्रदेश	1667	1668	340	2874	2873	618	1615	1526	485	2919	2983	814	1498	1437	584	2680	2751	1213
15.	महाराष्ट्र	231	207	17	724	649	36	224	203	7	542	493	16	267	227	8	631	691	15
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नगालैंड	0	126	655	0	205	279	0	0	0	0	0	0	109	32	17	38	38	17
20.	उड़ीसा	519	399	57	762	764	120	602	418	39	728	687	99	349	256	64	348	349	75
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1031	532	204	1318	1318	426	863	548	237	989	992	460	967	440	220	963	946	451
23.	सिक्किम	32	8	0	9	7	0	22	22	4	22	13	10	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24.	तमिलनाडु	26	15	9	60	45	10	13	9	0	19	42	1	24	16	1	53	35	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	12	7	0	18	13	0	9	8	0	12	6	0
26.	उत्तर प्रदेश	5	4	23	17	21	58	6	7	20	15	14	46	11	9	18	21	21	28
27.	उत्तरांचल	3	2	6	7	5	4	1	1	8	0	2	8	1	2	3	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	9	3	1	19	16	1	12	2	1	16	3	2	7	13	1	9	18	2
	कुल राज्य	5518	4418	1577	9154	9063	2233	5546	4438	1063	8575	8264	1934	5724	4152	1207	8251	8226	2179
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	2	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	17	16	0	60	59	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	4	9	1	12	13	1	2	1	0	4	1	0	1	2	0	2	6	0
32.	दमन व दीव	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली सं.रा.क्षे.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	6	14	1	15	16	1	5	6	0	7	4	0	18	18	0	62	65	0
	कुल अखिल भारत	5524	4432	1578	9169	9079	2234	5551	4444	1063	8582	8268	1934	5742	4170	1207	8313	8291	2179

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

हुडको में अनियमितताएं

4726. श्री निखिल कुमार: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत कई वर्षों के दौरान आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कई करोड़ के घोटाले में संलिप्त अधिकारियों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने हुडको की विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की जांच की है और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(च) यदि हां, तो की गई सिफारिशों और इस संबंध में आगे सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) आवास एवं शहरी विकास निगम लि. (हडको) एवं अन्य के खिलाफ सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर जनहित याचिका [रिट याचिका (सिविल) सं. 573/2003] में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने आवास एवं शहरी विकास निगम लि. द्वारा ऋणों की स्वीकृति एवं निवेश करने के मामले में किए गए तथाकथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच कराई थी।

आयोग ने सिफारिश की थी कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को रिपोर्ट की जांच करने एवं उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तदनुसार, भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट दायर की गयी है। मामला न्यायालयाधीन है।

ग्रामीण जनता को ऋण देने संबंधी कार्यशाला/सेमिनार

4727. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जनता को अधिक ऋण देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों का बैंकवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न कार्य समूहों ने विपत्तिग्रस्त किसानों की सहायता हेतु उपाय सुझाए हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि ऋण की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए वित्तीय एवं आजीविका संबंधी परामर्श महत्वपूर्ण है और यह कि बैंकों को ऋण एवं तकनीकी परामर्श हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परामर्श केन्द्र खोलने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार संस्थाएं (आरयूडीएसईटीआई) बनाई हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने ग्रामीण लोगों के लिए समय एवं वहनीय ऋण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं ऋण परामर्श केन्द्र भी खोले हैं।

ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकरण

4728. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण बैंकिंग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी संघों से ग्रामीण बैंकों के राष्ट्रीयकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारत सरकार ने, ग्रामीण बैंकिंग में सुधार करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं:-

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य स्तर पर प्रायोजक बैंक-वार समामेलन। समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेहतर अवसंरचना, शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण, अनुभवी कार्यबल समूह, सामान्य प्रचार एवं विपणन प्रयासों, आदि के कारण बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे। उन्हें बड़े परिचालन क्षेत्र एवं बड़े हुए ऋण निवेश सीमाओं का लाभ भी मिलेगा।
2. कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को चरणबद्ध तरीके से पूरा करना।
3. बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा विस्तार।
4. बीमा पालिसियों की बिक्री, पेंशन, वेतन, आदि का वितरण तथा आय सृजन बढ़ाने के लिए सरकार के कार्यों का संचालन जैसे गैर-निधि आधारित व्यावसायिक क्रियाकलापों का विस्तार।
5. कम या न्यूनतम शेष सहित "अतिरिक्त सुविधा रहित" खाते खोलना।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाएं स्वीकार करने की अनुमति देना।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संघीय उधार की अनुमति देना।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों से अलग करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक शीर्ष संस्था अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के तहत राज्य/अंचल संस्थाओं के साथ समामेलन, आदि जैसे कार्य सुझाव देते हुए कर्मचारी संघों सहित विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कम्पनियों के ऋणों की माफी

4729. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ बैंकों को कतिपय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण की बड़ी राशि को अशोध्य ऋण के रूप में माफ करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने ऋण के एक भाग को दीर्घकालिक आधार पर भुगतान करने की सुविधा का भी लाभ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान माफ की गई कुल धनराशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) बैंकों की अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) खातों में बट्टे खाते डाली गई राशियां, उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, या तो उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान के एक भाग के रूप में है अथवा उस रूप में जहां कर्ज को 'हानि' आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशियों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निपटान सहित कुल बट्टे खाते डाली गई राशियां

(रु. करोड़ में)

बैंक का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	275	264	448
आंध्रा बैंक	170	82	158
बैंक आफ बड़ौदा	609	892	587
बैंक आफ इंडिया	329	523	441
बैंक आफ महाराष्ट्र	79	155	198
केनरा बैंक	973	576	515
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	583	215	354
कार्पोरेशन बैंक	91	71	78
देना बैंक	317	274	415
आईडीबीआई बैंक	104	1191	464
इंडियन बैंक	482	98	145
इंडियन ओवरसीज बैंक	244	219	311
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	117	199	777
पंजाब एंड सिंध बैंक	37	66	544
पंजाब नेशनल बैंक	704	616	883
सिंडीकेट बैंक	220	126	323
यूको बैंक	334	299	253

1	2	3	4
यूनियन बैंक आफ इंडिया	308	278	320
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	111	142	189
विजया बैंक	125	77	94
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	82	88	47
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	153	173	128
भारतीय स्टेट बैंक	1337	1810	1397
स्टेट बैंक आफ इंदौर	41	88	71
स्टेट बैंक आफ मैसूर	73	56	43
स्टेट बैंक आफ पटियाला	90	109	98
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	53	51	30
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	62	94	113
कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	8102	8833	9423
एक्सिस बैंक लि.	70	86	88
बैंक आफ पंजाब लि.	3	0	0
सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	59	96	112
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	56	4	151
एचडीएफसी बैंक लि.	120	500	613
आईसीआईसीआई बैंक लि.	1205	672	151
इंडसइंड बैंक लि.	156	44	102
कोटक महेन्द्र बैंक लि.	12	9	15
यस बैंक लि.	0	0	0
कुल (निजी क्षेत्र के नए बैंक)	1682	1409	1232
बैंक आफ राजस्थान लि.	14	3	1
भारत ओवरसीज बैंक लि.	9	9	0
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	13	19	19
सिटी यूनियन बैंक लि.	38	28	31
धनलक्ष्मी बैंक लि.	4	5	18
फेडरल बैंक लि.	30	132	157
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	52	78	138

1	2	3	4
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	48	11	8
कर्नाटक बैंक लि.	71	57	70
केरूर वैश्य बैंक लि.	0	0	11
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	60	20	42
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	10	11	0
नैनीताल बैंक लि.	1	2	2
रत्नाकर बैंक लि.	0	8	4
एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	12	30	17
सांगली बैंक लि.	7	4	0
साउथ इंडियन बैंक लि.	11	45	51
तमिलनाडु मरकेटाइल बैंक लि.	4	29	53
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	79	53	0
कुल (निजी क्षेत्र के पुराने बैंक)	464	544	618
एबीएन एमरो बैंक एनवी	10	263	173
अबू ढाबी कमर्शियल बैंक लि.	33	5	8
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	116	1	18
एंटरवप डायमंड बैंक एनवी	0	0	0
अरब बंगलादेश बैंक	0	0	0
बीएनपी परिबस	15	15	0
बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	35	0
बैंक आफ अमेरिका एनटी एंड एसए	2	3	3
बैंक आफ बेहरीन एंड कुवैत बीएससी1	1	6	6
बैंक आफ सिलोन	2	0	2
बैंक आफ नोवा स्कोतिया	90	2	33
बार्कले बैंक पीएलसी	4	0	0
सिलोन बैंक	14	16	1
चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	3	14	0
सिटी बैंक एनए	15	0	0

1	2	3	4
ड्यूच बैंक (एशिया)	0	0	2
डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर लि.	0	0	0
एचएसबीसी	133	334	251
जेपी मोर्गन चेज बैंक, नेशनल एसोसिएशन	0	0	0
क्रंग थाई बैंक पीसीएल	0	0	0
मसटेक बैंक पीएससी	0	0	12
मजुहो कार्पोरेट बैंक लि.	0	17	0
ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	68	0	0
शिनहान बैंक	0	0	0
सोशाइट जनरले	4	6	0
सोनाली बैंक लि.	0	0	0
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	116	186	76
स्टेट बैंक आफ मारीशस यूएफजे लि.	0	0	0
दि बैंक आफ टोक्यो-मितशुभिषी यूफजे, लि.	1	0	0
कुल (विदेशी बैंक)	628	905	590
कुल (सभी बैंक)	10876	11691	11863

गृह ऋण

4730. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गृह ऋण पर ब्याज दर को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गृह ऋण पर ब्याज दर में कमी कब से लागू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18 अक्तूबर, 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है और ये दरें स्वयं बैंकों द्वारा अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्बन उत्सर्जन में कमी

4731. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुंबई में बी.एम.सी. द्वारा कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी करने तथा सुधार करने के उद्देश्य से कूड़ा डालने के स्थल को बंद कर दिए जाने की जानकारी है जैसा कि दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 के "इंडियन एक्सप्रैस" (दिल्ली) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के माध्यम से बी.एम.सी. को राजस्व अर्जन की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य महानगरीय शहरों तथा जिला स्तर के बड़े शहरों में व्यवहार्यता अध्ययन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का अध्ययन कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने सहित नगर पालिका ठोस कूड़े के प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की योजना बनाने, उनका डिजाईन तैयार करने, उनका कार्यान्वयन करने, उनका संचालन करने तथा उनका रखरखाव करने का कार्य राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का है। सभी महानगरों और जिला स्तरीय कस्बों में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करवाने का शहरी विकास मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विकास क्रियाकलापों पर बैंकों का मार्गदर्शन

4732. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश बैंक अपने प्राथमिक/मुख्य कार्यों के अलावा ग्रामीण विकास क्रियाकलापों में संलग्न है;

(ख) क्या सभी ग्रामीण विकास क्रियाकलापों तथा प्रशिक्षुओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय योजनाओं, स्वरोजगार के अवसर इत्यादि के संबंध में बैंकों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई समन्वय एजेंसी विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्ध कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यकलापों को शुरू करने के लिए बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों, विकास एजेंसी/व्यावसायिक संस्थानों को मार्गनिर्देश और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों से सहयोग करता रहता है। उपर्युक्त एजेंसियों को नाबार्ड के दिशानिर्देश और सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* एसएचजी ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण देने के रूप में बैंक को एक सामान्य ऋण देने के कार्यकलाप रूप में मानना;
* एसएचजी के लिए मार्जिन और प्रतिभूति मापदंड में छूट और सरल प्रलेखीकरण;
* विभिन्न स्तर के बैंक कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण सहायता;
* संवर्धन करने और बैंक के द्वारा एसएचजी को ऋण संबद्धता दिलवाने के लिए स्वयं सहायता संवर्द्धन संस्थानों (एसएचपीआई) को अनुदान सहायता उपलब्ध करवाना;
* ग्रामीण क्षेत्र में ऋण लेने की क्षमता बढ़ाना और अबाधित ऋण संवितरण के लिए प्रशिक्षण नवीनता;
* विभिन्न विकास कार्यक्रमों संबद्ध पणधारकों का क्षमता निर्माण;
* विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना;
* सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में महिला विकास प्रकोष्ठ की स्थापना;
* ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण उद्यम विकास प्रशिक्षण (आरईडीजी) का आयोजन;
* ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआई) की स्थापना;
* सहकारी बैंकों में कारोबार विकास प्रकोष्ठ (बीडीसी) की स्थापना;
* नाबार्ड ने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को कवर करते हुए 143 आदर्श योजनाएं बनायी थीं और इसे बैंकों एवं आम नागरिकों के लाभ के लिए इसे अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया था।

स्टाफ के लिए सरकारी आवास

4733. डा. के. धनराजू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के अनेक कर्मचारी अभी भी सरकारी आवास पाने हेतु प्रतीक्षा सूची में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेष रूप से दिल्ली में कर्मचारियों को सुविधा देने हेतु हर श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां, दिल्ली में टाइप-ए श्रेणी के आवास को छोड़कर।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है, जो विभिन्न स्थलों पर इनकी आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय निर्माणाधीन विभिन्न प्रकार के मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निर्माणाधीन मकानों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्टेशन	क्वार्टरों की संख्या							क्वार्टरों की
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	कुल सं.
1.	सिलिगुड़ी		22	23	14					59
2.	शिमला		12	06						18
3.	मुम्बई				176					176
4.	गुवाहाटी		08	08	08					24
5.	दिल्ली		300				376	104	19	799
6.	कालीकट		14	14	14	14	02			58
	कुल		356	51	212	14	378	104	19	1134

कमजोर वर्ग के लिए ब्याज मुक्त ऋण

4734. श्री सुव्रत बोस:
श्री महाबीर भगोरा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास की भारी समस्या है;

(ख) क्या समाज के कमजोर वर्गों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए कोई योजना उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शहरी आवासों की कमी के मूल्यांकन हेतु इस मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार देश में कुल आवासों की कमी 24.71 मिलियन है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों समेत सभी श्रेणियों की श्रेणीवार आवासीय कमी निम्नलिखित है:-

श्रेणी	वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार आवासीय कमी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	21.78
कम आय समूह (एलआईजी)	2.89
मध्यम आय समूह (एमआईजी) उच्च आय समूह (एचआईजी)	04
कुल	24.71

(ख) और (ग) शहरी गरीबों के आवास हेतु एक ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए इस मंत्रालय के वर्ष 2008-09 के बजट अनुदान में 95 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

सरकारी आवासों के संबंध में स्वामित्व

4735. श्री संतोष गंगवार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किराए पर/लाइसेंस शुल्क आधार पर आवंटित फ्लैटों के संबंध में स्वामित्व का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकार द्वारा किराए पर/लाइसेंस शुल्क आधार पर आबंटित फ्लैटों के संबंध में स्वामित्व का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

लोक अदालतों के जरिए ऋण वसूली

4736. श्री एस. अजय कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को व्यक्तिगत ऋणों, क्रेडिट कार्ड ऋणों और आवास ऋणों की वसूली के लिए लोक अदालतों का सहारा लेने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं कि उपर्युक्त ऋणों की वसूली के लिए नियुक्त एजेंटों के कार्य के लिए बैंक ही उत्तरदायी होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 नवम्बर, 2007 को "बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवाएं लेने" के संबंध में दिशानिदेशों का मसौदा फीडबैक हेतु अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। बैंकों/व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त हुए फीडबैक के आधार पर, दिशानिर्देश संशोधित किये गए हैं और एक दूसरा मसौदा टिप्पणियों/फीडबैक हेतु 25 मार्च, 2008 को जारी किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे 10 लाख रुपए से कम के वैयक्तिक ऋणों, क्रेडिट कार्ड ऋणों अथवा आवास ऋणों की वसूली के लिये लोक अदालतों के मंच का प्रयोग करें। ये दोनों दिशानिर्देश आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) आरबीआई ने "बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता" संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को निदेश दिया गया है कि बैंक द्वारा किसी भी कार्य की आउटसोर्सिंग करने से उसकी, अथवा उसके निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की जिनकी आउटसोर्स किये गए कार्य की प्रमुख जिम्मेदारी है, देयताएं कम नहीं होती। अत:, बैंक प्रत्यक्ष क्रय एजेंटों/प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों सहित अपने सेवा प्रदाताओं तथा ग्राहकों से संबंधित सूचना, जो सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध है, की गोपनीयता के लिये जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, "बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवा लेने संबंधी दिशानिर्देशों के मसौदे में यह प्रावधान है कि नियोक्ता होने के नाते, बैंक अपने एजेंटों के कार्यों के लिये जिम्मेदार होंगे और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी देय राशियों की वसूली में लगे उनके एजेंट, देय राशियों की वसूली करने की प्रक्रिया में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की संहिता सहित उपर्युक्त दिशानिर्देशों तथा निर्देश का कड़ाई से पालन करें। तथापि, बैंकों को इस संबंध में कोई फीडबैक नहीं दिया गया है।

आयकर संग्रहण

4737. श्री सुनील खां: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयकर संग्रहण के मानकों/मानदंडों/विधियों को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या बाधाएं आ रही है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। सरकार आयकर संग्रहण के लिए मानदंडों/कसौटियों/कानूनों को पूरी तरह से कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष करों से राजस्व के संग्रहण में काफी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान, विभाग ने 2,10,684 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 2,29,272 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 2,30,184 करोड़ रुपए के राजस्व का संग्रहण किया। 2007-08 में, विभाग 2,67,490 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 3,04,760 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले 3,06,815 करोड़ रुपए (अनंतिम डाटा) का संग्रहण करने में समर्थ रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बालिका शिशु के प्रति भेद-भाव

4738. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 मार्च, 2008 के "टाइम्स आफ इंडिया" में बालिका शिशु के प्रति भेद-भाव के बारे में प्रकाशित समाचार "फार गर्ल्स, रा डील बिगिन्स एट होम' की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने समाज की मुख्यधारा में बालिकाओं, विशेषकर वंचित बालिकाओं और बालकों के प्रति समान व्यवहार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने बताया है कि समाचारों में दी गई जानकारी उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है। तथापि, समाज में बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिका हेतु सशर्त नकदी हस्तांतरण की एक नई स्कीम 'धनलक्ष्मी' शुरू की है। इस स्कीम में यह प्रावधान है कि बालिका के जन्म के पंजीकरण, उसके प्रतिरक्षण, स्कूली शिक्षा जारी रखने तथा 18 वर्ष की आयु होने के पश्चात् ही उसका विवाह किए जाने की चार महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होने पर बालिका के परिवार को नकद राशि प्रदान की जाएगी। मंत्रालय इस विषय में जागरूकता एवं संचेतना कार्यक्रम भी चला रहा है।

न्यायिक सुधारों पर संगोष्ठी

4739. श्री उदय सिंह: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में न्यायिक सुधारों पर हाल ही में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भीड़ द्वारा व्यक्तियों की अवैध हत्या की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने समय से न्याय प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी हां। "ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007" के, जिसे संसद में पुर:स्थापित किया गया है, अनुसरण में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और अन्य संबद्ध विषयों जैसे कि ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए समय-सीमा और वित्तीय व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 1 फरवरी 2008 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार, न्यायालयों में बड़ी संख्या में बकाया मामलों को कम करने के लिए तथा जनता के लिए शीघ्र और सस्ते न्याय के उपबंध को सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रदाय प्रणाली को त्वरित बनाने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। सरकार न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीयकृत रूप से प्रायोजित योजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक अन्य केंद्रीय स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने सेशन न्यायालयों के स्तर पर बकाया मामलों को कम करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों को जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, बिल्कुल निचले स्तर पर निर्धनों को शीघ्र, सस्ता और सारवान् न्याय उपलब्ध कराने के विचार से, सरकार ने संसद में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2007 पुर:स्थापित किया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

4740. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निजी बीमा और म्युचुअल फंड कंपनियों से समझौता स्थापित करने की अनुमति दी थी ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कमीशन के बदले उनका कारोबार बढ़ सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे ग्राहकों को जानकारी निजी बीमा/म्युचुअल फंड कंपनियों के एजेंटों को पता चलने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 02.07.2007 को जारी "पैरा-बैंकिंग क्रियाकलापों पर मास्टर परिपत्र" के अनुसार, बैंक बीमा एजेंसी व्यवसाय या परामर्शी व्यवस्था संबंधी कार्य कर सकते हैं और म्युचुअल फंड एककों के विपणन के लिए म्युचुअल फंड के साथ करार कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.05.2004 के अपने परिपत्र के अनुसार बैंकों से कहा था कि खाता खोलते समय "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) हेतु ग्राहकों द्वारा दी गई सूचना गोपनीय होती है और प्रति बिक्री या किसी अन्य प्रयोजन से किसी ब्यौरे का प्रकटीकरण करना ग्राहक संबंधी गोपनीयता दायित्वों का उल्लंघन होगा। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे केवाईसी अपेक्षाओं को छोड़कर किसी प्रयोजन के लिए जब वे ग्राहक के संबंध में कोई सूचना लेना चाहें तो उसे खाता खोलने के प्रपत्र का एक भाग नहीं बनाना चाहिए। ऐसी सूचना पृथक रूप से ले ली जानी चाहिए और यह ग्राहक को उद्देश्य बताने के बाद, जिस विशिष्ट प्रयोग हेतु ऐसी सूचना दी जानी है उसके लिए उसका अनुमोदन लेने के बाद, पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर होनी चाहिए। बैंकों से कहा गया है कि ग्राहक गोपनीयता दायित्वों के संबंध में, ग्राहकों के प्रति अपने दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय जनजाति नीति

4741. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों से संबंधित मुद्दों जैसे निम्नतर मानव विकास सूचकांक, असंतोषजनक अवसंरचना, प्राकृतिक संसाधन आधार पर घटता नियंत्रण, प्राकृतिक आवासों से निष्कासन का भय, समाज की मुख्य धारा से निष्कासन, अवसर और धन का असमान वितरण, असशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधानों के पर्याप्त कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने तथा विकास में उनकी सक्रिय और संसूचित भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय नीति मसौदे को जून, 2006 में प्रतिपादित किया है। विभिन्न हितधारियों से व्यापक परामर्श के बाद अंतिम मसौदा नीति 31 मई, 2007 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु रख दी गई है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के साथ समन्वयन हेतु इसे मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया है। मंत्रियों के समूहों की तीन बैठकें पहले ही की जा चुकी हैं। चूंकि इस नीति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना है। इस समय कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भारत में विदेशी कंपनियां

4742. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इस समय राज्यवार कितनी विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी कंपनियां पंजीकृत की गईं;

(ग) क्या सरकार को विदेशी कंपनियों द्वारा विभिन्न दस्तावेज दर्ज/पंजीकृत कराने से शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों से विगत तीन वर्षों में प्राप्त राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत की गई विदेशी कंपनियों की संख्या निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत की गई कंपनियों की संख्या
2005-06	211
2006-07	276
2007-08	338

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों से प्राप्त शुल्क की राशि निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शुल्क (रु.)
2005-06	3,56,45,689
2006-07	4,76,75,000
2007-08	5,26,47,000

विवरण

दिनांक 31.03.2008 तक भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	50
2.	बिहार	01
3.	छत्तीसगढ़	01
4.	दिल्ली	1405
5.	गोवा	02
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	100
8.	जम्मू-कश्मीर	02
9.	कर्नाटक	222
10.	केरल	11
11.	मध्य प्रदेश	01
12.	महाराष्ट्र	553
13.	उड़ीसा	07
14.	पुदुचेरी	01
15.	राजस्थान	02
16.	तमिलनाडु	122
17.	उत्तर प्रदेश	29
18.	पश्चिम बंगाल	57
	कुल योग	2593

एसबीआई विदेश विभाग कार्यालय का स्थानांतरण

4743. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया का प्रस्ताव अपने विदेश विभाग कार्यालय को कलकत्ता से बम्बई स्थानांतरित करने का है;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी संघ इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं/प्रौद्योगिकीय मध्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, अपने कुछ विदेशी विभाग परिचालनों को कलकत्ता से मुम्बई स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) और (घ) विरोध कर रहे स्थानीय कर्मचारी यूनियनों/संघों ने हाल ही में अपना विरोध वापस ले लिया है।

प्रति दस लाख की जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या

4744. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर कितने न्यायाधीश हैं;

(ख) सर्वोच्च न्यायालय ने प्रति दस लाख जनसंख्या पर कितने न्यायाधीशों की संख्या का सुझाव दिया है; और

(ग) सरकार आदेश को मानने हेतु क्या कदम उठा रही है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि की आवश्यकता है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या को 10.5 से बढ़ाकर 50 न्यायाधीश किया जाए। भारत में वर्तमान न्यायाधीश पदसंख्या प्रति दस लाख जनसंख्या पर 14 न्यायाधीश (लगभग) है। सरकार ने पहले ही उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या में 152 पदों की वृद्धि की है।

अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने 21 मार्च, 2002 के निर्णय में यह निदेश दिया था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 10.5 न्यायाधीशों की वर्तमान पदसंख्या को पांच वर्ष की अवधि के भीतर, संघ के विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली एक चरणबद्ध रीति में बढ़ाकर 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख व्यक्ति किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के अनुपालन में अपेक्षित

निधियों की मात्रा को दर्शित करते हुए एक शपथपत्र फाइल किया था। केंद्रीय सरकार ने भी यह प्रार्थना करते हुए कि संघ राज्य क्षेत्रों में, जिनके लिए केंद्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि की अनुज्ञा कार्यभार और लंबित मामलों की संख्या के आधार पर दी जाए, उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र फाइल किया है। यह मामला न्यायाधीन है।

सभी राज्य सरकारें भी इस मामले की पक्षकार हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है। तद्नुसार केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि करने के लिए और साथ ही अत्यावश्यकता के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करें।

कृषि पम्पसैटों के लिए नए मानदंड

4745. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा कुशलता का ब्यूरो ने देश में कृषि पम्प सैटों के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए मानकों के आधार पर कृषि पम्प सैट बाजार में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय महिलाओं का प्रवास

4746. श्री जुएल ओराम: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय महिलाएं और बालिकाएं बड़ी संख्या में देश के बड़े शहरों की ओर पलायन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) ऐसी सूचना और आंकड़े जनजातीय कार्य मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियों के समग्र कल्याण और विकास के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण विभिन्न प्रकार की नौकरियों और स्व-रोजगार के लिए जनजातियों के कौशलों का विकास करने हेतु शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयसृजन और अवसंरचनात्मक विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) का सृजन लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और आधिक्य कृषि उत्पाद (एसएपी) के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों को विपणन सहायता और पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ तथा शोषक निजी व्यापारियों और मध्यस्थों से दूर रखने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जो पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की शीर्ष संस्था है, अनुसूचित जनजाति महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु, उन्हें रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" (एएमएसवाई) नामक एकमात्र योजना चलाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एक मांग आधारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) का कार्यान्वयन करता है, जो संपूर्ण जनजातीय आबादी सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। अन्य मंत्रालयों में भी ऐसे कार्यक्रम हैं, जो रोजगार अथवा कार्य का सृजन करते हैं।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य और रोजगार की उपलब्धता के लिए प्रवसन की जांच की जाती है।

दिल्ली में जलापूर्ति की कमी

4747. श्री नकुलदास राई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के बीच मतभेदों के कारण दिल्ली की कुछ कालोनियों में जलापूर्ति में भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आराम बाग क्षेत्र सहित सरकारी आवास कल्याण संघों से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के फ्लैटों, जिनमें आरामबाग क्षेत्र भी शामिल है, को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बल्क पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। परिसर के अंदर पानी के आंतरिक वितरण का प्रबंधन के.लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड से पानी की कमी होने पर कई बार के.लो.नि.वि. परिसरों में पानी की कमी हो जाती है।

दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि जहां तक आरामबाग क्षेत्र का संबंध है, पानी चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र से आता है। लगभग $11^{1}/_{2}$ माह के दौरान वजीराबाद जलाशय में पानी का स्तर नीचे था जिसके कारण चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र पर उत्पादन कम था अत: चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी थी। तथापि अब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है।

आईएफसीआई के कार्यालयों को बंद करना

4748. श्री अनिल शुक्ल वारसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई) के लखनऊ, भोपाल, पटना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर स्थित कार्यालयों को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) आईएफसीआई ने सूचित किया है कि वे लखनऊ, भोपाल, पटना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर स्थित अपने कार्यालयों को बंद करने पर विचार नहीं कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंजाब में एसजेएसआरवाई

4749. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल पंजाब के कस्बों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब राज्य के शहरी बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगारों को विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए लाभदायक रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत गरीब युवाओं के द्वारा विगत तीन वर्षों में स्थापित उद्योगों का वर्ष-वार और कस्बा-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) पंजाब राज्य सरकार द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट में यथा सूचित पंजाब राज्य में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल नगरों की कुल संख्या 134 है।

(ख) और (ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत नगर-वार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में यथा सूचित पंजाब राज्य में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की वर्ष-वार कुल संख्या इस प्रकार है:-

	2005-06	2006-07	2007-08
स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत/समूह उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	17	0	0
कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	597	1185	1195

[अनुवाद]

किसान क्रेडिट कार्ड

4750. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों को उपर्युक्त क्रेडिट कार्डों के जरिए वितरित की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्यवार संख्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 (योजना के आरम्भ से फरवरी 2008 तक) के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड तथा संस्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान जारी राज्य-वार किसान क्रेडिट कार्ड तथा 29 फरवरी, 2008 (शुरूआत से) की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	31 मार्च 2005		31 मार्च 2006		31 मार्च 2007		29 फरवरी, 2008 (शुरूआत से) की स्थिति के अनुसार की संचयी स्थिति	
		जारी किए गए कार्ड	संस्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	संस्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	संस्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश**	1582480	333725	1345804	450460	1506641	675266	11267385	2595921
2.	असम	83416	11666	64963	9109	43034	8269	333472	51961
3.	अरुणाचल प्रदेश#	4345	700	2173	145	1717	606	14084	2080
4.	बिहार**	231781	59229	209249	64293	346960	125379	2197012	473944
5.	गुजरात	209758	399035	238534	415277	249249	472738	2372271	2095772
6.	गोवा$	2131	845	2826	3771	798	697	12030	11773
7.	हरियाणा	158441	220179	253997	304559	134607	181153	2145434	1514197
8.	हिमाचल प्रदेश	32191	11330	35170	32752	35098	13996	240887	88642
9.	जम्मू-कश्मीर	12678	2533	9056	2356	5400	3734	70463	18878
10.	कर्नाटक	406589	226631	505037	790727	861	207077	4021868	2037640
11.	केरल	318899	107932	240090	0.00	342681	124503	2631699	705770
12.	मध्य प्रदेश	759448	264813	497855	346072	433431	306288	4487470	2155930
13.	महाराष्ट्र	590723	536061	778374	510106	1131391	477475	6889844	3724182
14.	मेघालय#	10883	1180	9855	1589	12461	2575	51990	7472
15.	मिजोरम#	5769	724	3748	593	4471	1548	15726	3746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर#	5769	1084	6045	773	15054	3799	32254	6343
17.	नागालैंड	4277	519	4321	802	5177	1094	17828	2648
18.	उड़ीसा	602605	122972	493979	220654	377477	173399	4085197	984385
19.	पंजाब	152243	193046	179235	196410	151480	240024	1975700	1448724
20.	राजस्थान	875218	361055	346500	300246	301787	225738	4236372	1671266
21.	सिक्किम#$	1438	211	1726	371	1127	303	6899	1383
22.	तमिलनाडु	614641	162447	527892	190379	686940	296447	4658082	1234947
23.	त्रिपुरा#	10415	1345	11476	2124	15617	3231	60343	9519
24.	उत्तर प्रदेश	1998378	247887	1333064	653768	1567678	828411	13770981	3186130
25.	पश्चिम बंगाल	498094	96899	479726	78699	250715	141334	2645122	665142
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह#$	902	182	364	146	671	164	4236	1045
27.	चंडीगढ़#$	928	164	1	2	0	0	935	177
28.	दमन व दीव@#			71	30	215	205	286	230
29.	नई दिल्ली#$	1139	657	658	607	1650	1628	6512	4537
30.	दादरा व नगर हवेली@$	3	1	5	3	537	441	553	455
31.	लक्षद्वीप@$	75	32	109	45	101	41	497	180
32.	पांडिचेरी#$	5378	1563	5222	1724	9283	3283	38391	11290
33.	झारखण्ड	158472	16964	12683	29200	218171	52913	77910	126863
34.	छत्तीसगढ़	251944	18505	238537	35625	183444	57559	120437	249725
35.	उत्तरांचल	91197	16392	59956	24916	40545	41525	501628	160377
36.	अन्य राज्य					4		4	1
	सहकारी बैंकों के लिए ब्यौरा उपलब्ध नहीं है (1998-99)							188005	26604
	कुल	9680374	3418508	8012251	4760137	8511478	4672844	71005867	25279879

टिप्पणी: सीएफए के रूप में एससीबी के कार्य
#इन संघ राज्य क्षेत्रों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
$इन राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।
*योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंकों की संख्या धनराशि मंजूर आंकड़े अनंतिम
**सहकारी बैंकों के लिए आंकड़ों का मिलान हो रहा है।

[हिन्दी]

ज्वार तरंगों से ऊर्जा

4751. श्री महावीर भगोरा: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ज्वार तरंगों से विद्युत उत्पादन के लिए कोई अनुसंधान/अध्ययन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा, विद्युत उत्पादन के लिए देश में ज्वारीय ऊर्जा की संभाव्यता का दोहन करने हेतु एक अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्रालय ने फरवरी, 2008 में पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (वब्रेडा), कोलकाता को पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में दुर्गादुआनी क्रीक में 3.75 मेगावाट क्षमता की एक ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए एक प्रदर्शन परियोजना मंजूर की है। इस परियोजना की कुल लागत 48.00 करोड़ रु. है। मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए 90% की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जबकि शेष 10% की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यह परियोजना 33 महीनों में पूरी की जाएगी।

[अनुवाद]

लुटियन बंगला जोन में कमी

4752. श्री नवीन जिन्दल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में लुटियन बंगला जोन (एलबीजेड) के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कमी करने की सिफारिश की है, जैसा कि दिनांक 18 फरवरी, 2008 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि जोन "डी" के भीतर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले क्षेत्र के संबंध में उसे एनडीएमसी और दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) द्वारा तैयार प्रारूप जोनल विकास योजना 2021 प्राप्त हो गई है जिस पर विकास (मास्टर प्लान तथा जोनल विकास योजना) नियम, 1959 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जानी है। ल्यूटियन बंगला जोन (एलबीजैड) जोन डी में स्थित है और एनडीएमसी के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ ल्यूटियन बंगला जोन (एलबीजैड) के मौजूदा कुल क्षेत्र में कटौती का सुझाव दिया गया है। डीयूएसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि लूटियन बंगला जोन (एलबीजैड) की संकल्पना के स्थान पर लूटियन कंजरवेसन जोन (एनसीजैड) की संकल्पना को रखा जाए जिसमें अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र शामिल है। जोनल योजना को अंतिम रूप देने में प्रारूप योजना का प्रकाशन, जनता के सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करना, प्राधिकरण द्वारा विचार करना और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन सहित विस्तृत प्रक्रिया निहित है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऋण भार

4753. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के अन्य राज्यों की तुलना में असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति ऋण भार के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को कोई विशेष पैकेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में लोगों की सहायता करने/प्रति व्यक्ति ऋण भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) अन्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रति व्यक्ति ऋण भार दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य शामिल हैं, को 01.04.2005 से बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत बाह्य सहायता ऋण के लिए बैक-टू-बैक आधार पर की गई व्यवस्थाओं से छूट प्रदान की है जिससे कि

विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों को भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त होती रहे।

विवरण

अन्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों का प्रति व्यक्ति ऋण भार

(रुपए)

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति ऋण भार
1	2	3
1.	**पूर्वोत्तर राज्य**	
1.	अरुणाचल प्रदेश	21000
2.	असम	6086
3.	मणिपुर	13309
4.	मेघालय	9791
5.	मिजोरम	20611
6.	नागालैंड	16075
7.	सिक्किम	25060
8.	त्रिपुरा	10500
2.	**अन्य राज्य**	
1.	आंध्र प्रदेश	10762
2.	बिहार	4714
3.	छत्तीसगढ़	5734
4.	गोवा	42646
5.	गुजरात	15679
6.	हरियाणा	10476
7.	हिमाचल प्रदेश	22946
8.	जम्मू-कश्मीर	15663
9.	झारखण्ड	8609
10.	कर्नाटक	8495
11.	केरल	13114
12.	मध्य प्रदेश	7652
13.	महाराष्ट्र	12179
14.	उड़ीसा	7724
15.	पंजाब	19706
16.	राजस्थान	9687
17.	तमिलनाडु	9839
18.	उत्तर प्रदेश	7716
19.	उत्तराखण्ड	14740
20.	पश्चिम बंगाल	14918

राज्य वित्त स्रोत: 2007-08 के बजटों का अध्ययन, आर.बी.आई.

[हिन्दी]

मामलों का समय पर निपटान

4754. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दीवानी और फौजदारी मामलों को दो वर्ष के अंदर निबटाने के लिए कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या कम की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) चूंकि न्यायालयों में किसी मामले के निपटान में लगने वाला समय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए न्यायालयों में दो वर्षों के भीतर सिविल और दांडिक मामलों का निपटान करने के लिए विधियों का संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन कैदियों के लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा सुकर बनाने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

वन अधिकार अधिनियम

4755. श्रीमती जयाप्रदा:
डा. आर. सेनथिल:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
प्रो. एम. रामदास:
डा. बाबू राव मिडियम:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन नीति का ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन कर्ता एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या अधिनियम में सुनिश्चित संरक्षणों में वन्यजीव अभयारण्यों के वर्तमान राष्ट्रीय उद्यानों में संकटापन्न वन्यजीव पर्यावासी (सीडब्ल्यूएच) भी सम्मिलित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अधिनियम में सीडब्ल्यूएच से संबंधित वर्तमान खंडों में कोई संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अधिनियम के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 को 31 दिसम्बर, 2007 से प्रभाव में लाने हेतु अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। वन निवासी अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने एवं ये अधिकार उन्हें सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने एवं इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समितियों के गठन हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों को पिछली बार 11.1.2008 को संबोधित किया गया।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का उद्देश्य पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों, जिनके वन अधिकारों को अब तक दर्ज नहीं किया गया था, को वन अधिकारों एवं वन भूमि पर उनके कब्जे को मान्यता देना तथा ये अधिकार उन्हें सौंपना है। इस अधिनियम की धारा 2(घ) के अनुसार "वन भूमि" में अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के भीतर की भूमि भी शामिल है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(छ) इस अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समय-सीमा के साथ कार्रवाई किए जाने योग्य प्रमुख मदों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को संसूचित किया है।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर में गिरावट

4756. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गिरते भू-जल स्तर के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 2008 के "दैनिक जागरण" में "पानी पाने के प्रयासों को ब्रेक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली का नांगलोई जल शोधन संयंत्र वर्ष 1998 में बनकर तैयार हुआ। संयंत्र को चलाने के लिए दिल्ली के पास कच्चा जल उपलब्ध नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 मई, 2000 को आदेश दिया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) नांगल में 125 क्यूसेक अतिरिक्त जलापूर्ति करेगा। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निरीक्षण और पुनरीक्षण करने के बाद लिए गये निर्णय के अनुसार इसे दिनांक 27.5.2000 को कम करके 60 क्यूसेक कर दिया।

केन्द्रीय जल आयोग ने इस प्रणाली का और निरीक्षण करने के आधार पर दिनांक 31.5.2007 को आदेश दिया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पूरे 125 क्यूसेक जल की आपूर्ति की जाएगी और पंजाब तथा हरियाणा सरकार अपनी-अपनी नहरों से इस अतिरिक्त जल को ले जाने की व्यवस्था करेगी। जबकि दिनांक 7.6.2007 को अतिरिक्त पानी छोड़ा गया और पंजाब द्वारा इसे हरियाणा राज्य तक ले जाया गया, लेकिन हरियाणा राज्य इस जल को आगे ले जाने के लिए सहमत नहीं हुआ और तभी से इस अतिरिक्त जलापूर्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 3.8.2007 को एक बैठक की गई और हरियाणा राज्य को निदेश दिया गया कि वन नांगलोई जल शोधन संयंत्र के लिए निर्धारित अतिरिक्त जल दिल्ली तक पहुंचा कर आदेशों का पालन करे। हरियाणा राज्य ने निदेशों का पालन करने से मना कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि उसने उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी है।

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा आयोग को शक्तियां

4757. श्री के.एस. राव: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमआरटीपीसी ने वर्तमान में गृह ऋण लेने वालों को छूट न देने वाले बैंकों की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिस्पर्धा आयोग को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध दंडात्मक शक्तियां प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रतिस्पर्धा आयोग ने सामान्य ग्राहकों के हितों के विरुद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संघ बनाकर कार्य करने के संबंध में अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) द्वारा कुछ बैंकों के विरुद्ध गृह ऋणों से संबधित कतिपय जांच प्रारंभ कर दी गई है। ये मामले एमआरटीपीसी जो कि अर्धन्यायिक निकाय है, के विचारार्थ विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में इस आयोग के विचारार्थ मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	जांच संख्या	शीर्षक
1.	*यूटीपीई 14/2003	रवि लुथरा बनाम सिटी बैंक एनए एंड एएनआर
2.	#आरटीपीई 33/2007	^डीजी (आई एंड आर) बनाम विभिन्न वाणिज्यिक बैंक
3.	यूटीपीई 106/2007	संदीप पी. गोयल बनाम एचडीएफसी लि. एवं अन्य
4.	यूटीपीई 46/2008	रतीन्द्र प्रसाद लाहड़ी बनाम एचडीएफसी
5.	यूटीपीई 16/2008	जी.वी. नागराजराव बनाम आईसीआईसीआई बैंक

*यूटीपीई - अनुचित व्यापार व्यवहार जांच
#आरटीपीई - अवरोधक व्यापार व्यवहार जांच
^डीजी (आई एंड आर) - महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण

(ग) से (घ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी लागू हैं तथा इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम के सभी दांडिक उपबंध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू होंगे। तथापि, यह आयोग अभी तक पूरी तरह प्रचालित नहीं है और वर्तमान में केवल प्रशासनिक एवं वकालत कार्यों को कर रहा है।

बीआईएफआर में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के उद्यम

4758. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजे गए सरकारी क्षेत्र के गैर-अर्थक्षम उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पांच मामले नामत: मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स एचएमटी बेयरिंग लिमिटेड, मैसर्स ट्रैको केबल कंपनी लिमिटेड, मैसर्स स्टील इंडस्ट्रियल केरल लिमिटेड तथा मैसर्स ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड वर्ष 2005 के दौरान पंजीकृत किए गए थे और मैसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और मैसर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मामले क्रमश: वर्ष 2006 एवं 2007 के दौरान पंजीकृत किए गए थे।

(ख) बाइफर में पंजीकृत रुग्ण उद्योगों के संबंध में कार्रवाई, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार की जाती है और जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां अधिनियम की धारा 18 के तहत विभिन्न उपायों द्वारा इन कंपनियों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं, जिनमें पूंजी का पुनर्गठन, सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता सहित प्रवर्तकों द्वारा नई निधियां देना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन में परिवर्तन, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा राहत एवं रियायतें, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा देय राशि के पुनर्निर्धारण के रूप में राहत एवं रियायतें शामिल हैं।

उत्तरी ग्रिड का ठप हो जाना

4759. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री अधीर चौधरी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री उदय सिंह:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उत्तरी ग्रिड की विद्युत आपूर्ति लाइनों के ठप हो जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में ब्लैक-आउट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट में समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) 7 से 9 मार्च, 2008 के बीच उच्च वोल्टेज वाली अनेक पारेषण लाइनें ट्रिप हुई थी, जिससे 7-9 मार्च, 2008 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में विद्युत की आपूर्ति प्रभावित हुई। पारेषण लाइनों की ट्रिपिंग से विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में कमी की गई और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में तथा रेलवे की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई।

(ग) से (च) उक्त घटनाओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 13 मार्च, 2008 को एक समिति गठित की है। समिति द्वारा दो महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

4760. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न राज्य सरकारों को 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना' के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा हेल्परों को जीवन बीमा में शामिल करने के लिए धनराशि आबंटित और जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार ने "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के रूप में वर्ष 2004-05 में शुरू की थी। इस स्कीम का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं

सहायिकाओं को जोखिम से सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है। प्रति वर्ष प्रति लाभार्थी 280/- रुपये की प्रीमियम राशि को इस प्रकार बांटा गया है:

1. जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा कोष से 100/- रुपये
2. भारत सरकार से 100/- रुपये
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका (बीमित सदस्य) से 80/- रुपये

यह निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका से प्रीमियम के अंश के रूप में ली जाने वाली 80/- रुपये की राशि के भुगतान से उन्हें वर्ष 2007-08 से दो वर्ष की अवधि के लिए छूट दी जाए। भारत सरकार प्रीमियम में अपने अंश के भुगतान हेतु निधियां जीवन बीमा निगम को प्रदान करती है। अत:, भारत सरकार ये निधियां किसी राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान नहीं करती है।

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक जीवन बीमा निगम को प्रदान की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	राशि
2004-05	5.00 करोड़ रुपये
2005-06	8.00 करोड़ रुपये
2006-07	12.00 करोड़ रुपये
2007-08	2.00 करोड़ रुपये (जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार)

[हिन्दी]

आयकर अपवंचन

4761. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा आयकर अपवंचन के पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर अपवंचन के इन मामलों में आयुक्तालय-वार कितनी राशि शामिल है;

(ग) क्या इसमें ब्रोकर और स्टाक एक्सचेंज भी शामिल पाए गए हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध छापे मारे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन छापों में कितना काला धन बरामद किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयकर अपवंचन को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा आयकर अपवंचन का पता लगाना एक सतत एवं चालू प्रक्रिया है। आयकर अपवंचन का पता लगाने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत विभिन्न उपाय किए जाते हैं जैसे कि तलाशी, सर्वेक्षण, सूचना का संग्रहण, आय विवरणियों की संवीक्षा आदि। इस संबंध में आयकर विभाग के निष्कर्षों को विभिन्न अपीलीय अधिकरणों एवं न्यायालयों के समक्ष अपील के अधीन लाया जाता है। पता लगाई अप्रकटित आय की राशि तथा तत्संबंधी कर संघटक का अंतत: पता तभी चल पाता है जब सभी अपीलों आदि को अन्तिम रूप दे दिया गया हो। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों के ब्यौरे तथा ऐसे अपवंचनों की मात्रा का सही-सही आंकलन करना और उन्हें सारणीबद्ध करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ब्रोकर और स्टाक एक्सचेंज सहित व्यक्तियों की किसी विशेष श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में पता लगाए गए कर अपवंचन अथवा मारे गए छापे/की गई तलाशियों के संबंध में केन्द्रीय डाटाबेस नहीं रखती है। कर अपवंचन का जब भी कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है, तब कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सरकार आयकर अपवंचन पर रोक लगाने के लिए अनेक दंडात्मक एवं निवारक कदम उठाती है जिसमें विवरणियों की समीक्षा, सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई, अर्थदंड अधिरोपित करना एवं उपर्युक्त मामलों में अभियोजन चलाना शामिल है। कर अपवंचन रोकने के लिए सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत तथा निर्धारित वार्षिक सूचना विवरणियां प्रस्तुत करने और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ए के अंतर्गत यथा निर्धारित कर कटौती किए बिना ब्याज भुगतान की तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने जैसे उपाय भी किए गए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 का प्रवर्तन

4762. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री काशीराम राणा:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रही निजी विद्युत कंपनियों के नाम और ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपयिनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग सहित विद्युत विनियामक आयोगों को अपने कार्यों के निर्वहन में विद्युत अधिनियम, 2003 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के अंतर्गत दिशानिर्देश, विनियम जारी करने का आदेश दिया गया है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अंतर्गत स्वयं में निहित शक्तियों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य विनियम जारी किए हैं:

(1) सीईआरसी (ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण) नियम, 2006

(2) इंडियन इलैक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड

(3) सीईआरसी (अंतराज्यीय पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2008

(4) सीईआरसी (अन्य व्यापार हेतु पारेषण यूटिलिटियों के आयोग से प्राप्त राजस्व का आवंटन) विनियम, 2007

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत एक्सचेंज की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

यद्यपि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रिड कोड के उल्लंघन के लिए वितरण लाइसेंसियों जोकि सरकारी कंपनियों/और राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत विभाग हैं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है। किन्तु निजी कंपनियों के संबंध में उल्लंघन के किसी मामले के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया गया है। हालांकि सीईआरसी (प्रोसीजर, टर्म्स व कंडीशन फार ग्रेंट आफ ट्रेडिंग लाइसेंस एण्ड अदर रिलेटेड मैटर्स) विनियम, 2004 के गैर अनुपालन के कुछ मामलों में जो कि देखे गए हैं विशेष रूप से आयोग को आवधिक सूचना देने के बारे में, ट्रेडरों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनके स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर आयोग ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात् उपयुक्त निर्देशों के साथ उनके विरुद्ध कार्यवाहियां स्थगित कर दी है। निजी कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

अधिनियम की धारा 181 अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 अधिसूचना द्वारा संगत विनियमों, तथा नियमों को बनाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को आदेश देता है।

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विद्युत विनियामक आयोगों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और गुजरात के राज्यों में कई विनियम/दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए विनियमन विभिन्न मुद्दों जैसे राज्य बिजली आपूर्ति बोर्ड, राज्य बिजली ग्रिड कोड, बिजली के वितरण में कार्य निष्पादन के मानक, ओपन एक्सेस हेतु नियम एवं शर्तें इत्यादि से संबंधित है। गुजरात राज्य बिजली नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए एक फोरम की स्थापना के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित कर दिये हैं।

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 142 में नियामक आयोगों को शक्तियां दी गई है कि किन्हीं मामलों में यदि अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधानों में या आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोई विषमता उत्पन्न होती है तो आयोग उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् पैनाल्टी लगा सकता है।

राज्य बिजली नियामक आयोगों (एमईआरसी) द्वारा उल्लिखित उपरोक्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित मामलों को छोड़कर एसईआरसी के समक्ष किसी निजी पावर कंपनी द्वारा विनियमों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है:-

(1) उड़ीसा बिजली नियामक आयोग (ओईआरसी) ने लाइसेंस शर्तों की अनुपालन न करने पर तीन वितरण कंपनियों के लाइसेंस को रद्द करने हेतु नोटिस जारी किया है। मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) ने एक अन्य निजी वितरण कंपनी केस्को का लायसेंस भी रद्द कर दिया है, तथा

वर्तमान में, यूटिलिटी का प्रबंधन आयोग द्वारा स्थापित प्रबंधन मंडल द्वारा किया जाता है।

(2) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने 32 मामलों में रु. 500/- रु. से 1,00,000/- तक के दंड लगाए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

प्राइवेट लाइसेंसधारियों जिन्होंने सीईआरसी ट्रेडिंग नियम, 2004 के नियम 11 (सूचना का प्रस्तुतीकरण) को संकलित नहीं किया है।

क्र.सं.	ट्रेडिंग लाइसेंसी का नाम
1	2
1.	लेनको इलेक्ट्रिक यूटिलिटी लि.
2.	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.
3.	डीएलएफ पावर लि.
4.	छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लि.
5.	कर्मचन्द थापर एंड ब्रदर्स लि.
6.	सुभाष कबिनी पावर कारपोरेशन लि.
7.	महेश्वरी इस्पात लि.
8.	स्पेशल ब्लास्ट लि.
9.	इंस्टिंक्ट एडवरटाइजमेंट एंड मार्किटिंग लि.
10.	एस्सार इलेक्ट्रिक पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन
11.	सूर्यचक्र पावर कारपोरेशन लि.
12.	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.
13.	जीईए एनर्जी सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड
14.	महालक्ष्मी एनर्जी ट्रेडिंग प्राइवेट लि.

विवरण II

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वितरण लाइसेंसियों पर जिन मामलों में दंड लगाया गया है उनका ब्यौरा

क्र.सं.	याचिकाकर्ता का नाम	प्रतिवादी का नाम	दंड लगाने वाले अथारिटी	दंड की राशि (रुपये)	मुआवजे की राशि	दंड आदेश की तारीख	आदेश अनुपालन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री रवि देव गुप्ता	बीआरपीएल	डीईआरसी	500/-	1000/-	22.8.2005	6.9.2005
2.	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतम माध्यमिक सह-शिक्षा विद्यालय, वसंत कुंज	बीआरपीएल	डीईआरसी	1,00,000/-	-	24.1.2006	3.2.2006
3.	मै. के.एस. पंकज खुराना	बीआरपीएल	डीईआरसी	5000/-	5000/-	7.4.2006	8.5.2006
4.	श्री महादेव प्रसाद	बीआरपीएल	डीईआरसी	8000/-	-	7.4.2006	8.5.2006
5.	श्री एम.एम. लाल	बीआरपीएल	डीईआरसी	10,000/-	-	25.4.2006	8.5.2006
6.	राजेश कुमार शर्मा	बीवाईपीएल	डीईआरसी	10,000/-	-	24.4.2006	1.6.2006
7.	ईश्वर दास	बीवाईपीएल	डीईआरसी	1,00,000/-	10,000/-	24.1.2006	21.6.2006
8.	रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जैन पार्क, उत्तम नगर	बीआरपीएल	डीईआरसी	5000/-	-	23.3.2006	21.6.2006

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री प्रवीण गंभीर	बीआरपीएल	डीईआरसी	5000/-	–	25.4.2006	21.6.2006
10.	श्री एच.बी.एस. डुकराल फिलिप को-ओपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी लि.	बीआरपीएल	डीईआरसी	50,000/-	50,000/-	18.4.2006	22.6.2006
11.	मै. जैन पेपर प्रोडक्ट्स	बीवाईपीएल	डीईआरसी	5000/-	5000/-	22.8.2006	14.10.2006
12.	श्री पद्मनाभन	बीआरपीएल	डीईआरसी	10,000/-	–	22.8.2006	14.10.2006
13.	श्री दुर्गा प्रसाद बिस्वाल	बीवाईपीएल	डीईआरसी	8,000/-	–	30.8.2006	14.10.2006
14.	श्री सुखपाल	बीआरपीएल	डीईआरसी	25,000/-	–	30.8.2006	14.10.2006
15.	श्री जितेन्द्र	बीवाईपीएल	डीईआरसी	10,000/-	–	5.9.2006	14.10.2006
16.	श्री तनवीर ए. बुखारी	बीआरपीएल	डीईआरसी	10,000/-	–	14.9.2006	5.12.2006
17.	श्री कमल सिंह	बीवाईपीएल	डीईआरसी	5000/-	5000/-	3.11.2006	8.1.2007
18.	महिन्दर इंजीनियरिंग	बीआरपीएल	डीईआरसी	10000/-	5000/-	22.11.2006	04.06.2007
19.	सुरजीत सिंह	बीवाईपीएल	डीईआरसी	10000/-	10,000/-	3.11.2006	20.3.2007
20.	कौशल्या रानी उप्पल	बीवाईपीएल	डीईआरसी	2500/-	–	12.12.006	08.1.2007
21.	मोहिन्दर पासवान	बीआरपीएल	डीईआरसी	10,000/-	–	13.2.2007	26.03.2007
22.	सी. कपूर एवं श्रीमती सुदर्शन कपूर	बीआरपीएल	डीईआरसी	500/-	–	14.2007	26.3.2007
23.	रायल लेसेस लि.	बीआरपीएल	डीईआरसी	10,000/-	–	13.2.2007	26.03.2007
24.	श्री वाई.के. गुप्ता	बीआरपीएल	डीईआरसी	5000/-	5000/-	23.4.2007	24.7.2007
25.	रघुबीर सिंह	बीआरपीएल	डीईआरसी	25,000/-	10,000/-	23.4.2007	24.7.2007
26.	श्री रामदास	बीआरपीएल	डीईआरसी	25000/-	–	7.5.2007	3.12.2007
27.	श्री महाबीर सिंह यादव	एनडीपीएल	डीईआरसी	5000/-	–	7.5.2007	7.6.2007
28.	श्री अशोक शर्मा	बीआरपीएल	डीईआरसी	10,000/-	20,000/-	10.5.2007	24.7.2007
29.	जितेन्द्र अग्रवाल	बीवाईपीएल	डीईआरसी	5000/-	–	2.8.2007	7.1.2007
30.	बी.के. बेदी	बीवाईपीएल	डीईआरसी	1000/-	–	3.8.2007	7.11.2007
31.	मो. खलील	बीवाईपीएल	डीईआरसी	1000/-	–	2.8.2007	7.11.2007
32.	श्री विकास जैन	बीवाईपीएल	डीईआरसी	10,000/-	–	17.8.2007	7.11.2007

एनडीपीएल: 01 बीआरपीएल: 19 बीवाईपीएल: 12

बीएसईएस का कर निर्धारण

4763. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विद्युत वितरण कम्पनी बीएसईएस का उचित कर निर्धारण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) मैसर्स बीएसईएस लि. (अब मैसर्स रिलायंस एनर्जी लि.) का कर निर्धारण संवीक्षा के बाद पूरा किया जा रहा है तथा कर निर्धारण वर्ष 2005-06 (वित्त वर्ष 2004-05) तक मैसर्स बीएसईएस के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा कर निर्धारण आदेश पारित किए गए हैं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) कर निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान, विभिन्न कर निर्धारण वर्षों के लिए मैसर्स बी.एस.ई.एस. लि. द्वारा दायर आय विवरणियों में किए गए विभिन्न दावों की जांच की गई है। मैसर्स बीएसईएस लि. द्वारा दायर ब्यौरों की जांच तथा संगत जांच-पड़ताल के उपरांत विभिन्न कर निर्धारण वर्षों की विवरणीगत आय में वृद्धि की गई है।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

4764. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
डा. सत्यनारायण जटिया:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गणेश सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री संतोष गंगवार:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल देश विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में विद्युत की कुल मांग और विभिन स्रोतों से आपूर्ति कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन विद्युत परियोजनाओं का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं जो अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में निरन्तर विद्युत की कमी समग्र रूप से हो रही है। विद्युत की प्रतिदिन एवं प्रतिघंटे कमी उसकी मांग व आपूर्ति के अनुसार भिन्न होती है। मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार विद्युत की आपूर्ति का राज्यवार/प्रणाली वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार, निरन्तर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ जिसमें विद्युत क्षेत्र में निवेश संग्रहण द्वारा देश में विद्युत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि:-

1. बिजली अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत ओपन एक्सेस, उत्पादन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता न होना तथा

कैप्टिव पावर प्लांटों को मुफ्त परमिट देना जैसी विशिष्टताओं सहित स्वतंत्र एवं उन्नतिशील फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

2. सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाने तथा निजी निवेशकों को लुभाने हेतु बोली दस्तावेजों का मानवीकरण।

3. विद्युत क्षेत्र में शत-प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश की अनुमति।

4. मेगा पावर पालिसी के अंतर्गत क्षमता वृद्धि में त्वरित विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न टैक्स प्रोत्साहन दिए गए हैं।

5. 4000 मेगावाट प्रत्येक के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों की स्थापना।

11वीं योजना के लिए 78,577 मेगावाट का क्षमता वृद्धि जिसमें से 50 केन्द्रीय क्षेत्र के लिए है, की परिकल्पना की गई है। क्षमता वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न उपायों को कारगर बनाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों, बीएचईएल, के साथ-साथ राज्य विद्युत यूटिलिटियों के साथ बैठकों/विचार-विमर्शों के माध्यम से सघन रूप से बातचीत व मानीटरिंग की जा रही है। दिनांक 26-27 अप्रैल, 2007 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन एवं 28 मई, 2007 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में क्षमता वृद्धि कार्यक्रम पर चर्चा की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित पावर प्रोजेक्टों की स्थापना से संबंधित आदेशों को शीघ्र जारी करने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 11वीं योजना के दौरान सभी परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए समय पर आदेशों को जारी किया जाएगा तथा पूर्व निर्धारित समय के अनुसार प्रोजेक्टों की स्थापना किए जाने हेतु नियमित रूप से मानिटरिंग की जाएगी। विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की एक बैठक दिनांक 27 सितम्बर,2007 को हुई जिसमें हाइड्रोपावर प्रोजेक्टों के विकास के लिए एक कार्यदल बनाया गया तथा 11वीं योजना हेतु त्वरित विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि से संबंधित विस्तृत राज्य-वार चर्चाएं की गईं। इसके उपरान्त मुख्य सचिवों की एक बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2008 को की गई जिसमें 11वीं योजना में पूरी की जाने वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया। इस मामले पर पुनः 22 अप्रैल, 2008 को बुलाए गए सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गई। वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान 9,263 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है तथा 62,847 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का कार्य प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में हाइड्रो विकास हेतु एक कार्यदल का गठन कर दिया गया है, निजी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु हाइड्रो पालिसी को अधिसूचित कर दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा उन पावर प्लांटों की उत्पादन क्षमताओं में सुधार लाने हेतु जो कि अपनी स्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं-

(1) कोयला आधारित स्टेशनों को विभिन्न स्रोतों से समुचित कोयला उपलब्ध करवाने के लिए कड़ी मानीटरिंग करना।

(2) संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों की गड़बड़ियों से निपटने के लिए सीईए इंजीनियरों सहित प्लांट प्राधिकारियों की एचईएल तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निरन्तर बातचीत।

(3) पुराने व असक्षम उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा आयु विस्तार करना।

(4) बेहतर संचालन एवं अनुरक्षण व्यवहार लागू करने के लिए सीईए तथा बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाली यूटिलिटियों के साथ निरन्तर बातचीत करते रहना जिससे कि प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाया जा सके।

विवरण

विद्युत आपूर्ति स्थिति अनंतिम

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य प्रणाली क्षेत्र	मार्च, 2008							
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	अधिकतम मांग (मेगावाट)	उपलब्धता (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	94	94	0	0.0	200	200	0	0.0
दिल्ली	1,470	1,436	-34	-2.3	3,158	3,027	-131	-4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	2,263	1,824	-439	-19.4	4,635	3,917	-718	-15.5
हिमाचल प्रदेश	468	468	0	0.0	919	919	0	0.0
जम्मू-कश्मीर	763	663	-100	-13.1	1,744	1,444	-300	-17.2
पंजाब	2,969	2,445	-524	-17.6	6,016	4,807	-1,209	-20.1
राजस्थान	3,060	3,060	0	0.0	6,006	5,426	-580	-9.7
उत्तर प्रदेश	4,576	3,826	-750	-16.4	9,143	6,843	-2,300	-25.2
उत्तराखंड	589	559	-30	-5.1	1,116	1,116	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	16,252	14,375	-1,877	-11.5	29,873	25,461	-4,412	-14.8
छत्तीसगढ़	1,364	1,314	-50	-3.7	2,421	2,188	-233	-9.6
गुजरात	6,595	5,224	-1,371	-20.8	12,119	8,591	-3,528	-29.1
मध्य प्रदेश	3,957	3,085	-872	-22.0	6,501	5,502	-999	-15.4
महाराष्ट्र	10,650	8,387	-2,263	-21.2	17,872	12,672	-5,200	-29.1
दमन और दीव	156	137	-19	-12.2	220	195	-25	-11.4
दादरा और नगर वेली	300	297	-3	-1.0	454	424	-30	-6.6
गोवा	245	242	-3	-1.2	446	400	-46	-10.3
पश्चिमी क्षेत्र	23,267	18,686	-4,581	-19.7	37,778	27,900	-9,878	-26.1
आंध्र प्रदेश	5,990	5,738	-252	-4.2	10,091	9,162	-929	-9.2
कर्नाटक	3,717	3,577	-140	-3.8	6,366	5,567	-799	-12.6
केरल	1,381	1,337	-44	-3.2	2,908	2,742	-166	-5.7
तमिलनाडु	5,385	5,241	-144	-2.7	8,871	8,389	-482	-5.4
पांडिचेरी	156	156	0	0.0	254	254	0	0.0
लक्षद्वीप*	2	2	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	16,629	16,049	-580	-3.5	26,669	24,368	-2,301	-8.6
बिहार	908	665	-243	-26.8	1,534	1,020	-514	-33.5
डीवीसी	1,183	1,135	-48	-4.1	1,774	1,732	-42	-2.4
झारखंड	421	370	-51	-12.1	809	696	-113	-14.0
उड़ीसा	1,745	1,700	-45	-2.6	2,980	2,939	-41	-1.4
पश्चिम बंगाल	2,683	2,584	-99	-3.7	5,379	4,754	-625	-11.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	35	34	-1	-2.9	60	60	0	0.0
अंडमान निकोबार*	20	15	-5	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	6,975	6,488	-487	-7.0	11,940	10,668	-1,272	-10.7
अरुणाचल प्रदेश	44	22	-22	-50.0	101	67	-34	-33.7
असम	418	333	-85	-20.3	827	753	-74	-8.9
मणिपुर	35	34	-1	-2.9	112	84	-28	-25.0
मेघालय	123	82	-41	-33.3	455	213	-242	-53.2
मिजोरम	26	22	-4	-15.4	97	55	-42	-43.3
नागालैंड	34	33	-1	-2.9	91	88	-3	-3.3
त्रिपुरा	64	56	-8	-12.5	159	134	-25	-15.7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	744	582	-162	-21.8	1,742	1,279	-463	-26.6
अखिल भारत	63,867	56,180	-7,687	-12.0	108,002	89,676	-18,326	-17.0

*लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।
नोट- उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

कम्युनिटी स्कोर कार्ड और एन.आर.ई.जी.एस.

4765. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए कम्युनिटी स्कोर कार्ड (सी.एस.सी.) का प्रयोग कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी राज्य सरकार से सामुदायिक अंक तालिका के प्रयोग से संबंधित कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

हुडको द्वारा विकसित व्यावसायिक क्षेत्र की नीलामी

4766. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा विकसित व्यावसायिक क्षेत्र का कई वर्षों से उपयोग/नीलामी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) ने दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस पर तीन संपत्तियों नामत: त्रिकुट, विशाला और अगस्त क्रान्ति भवन का निर्माण किया है। इनमें से त्रिकुट और विशाला की पहले ही बिक्री हो चुकी है। जहां तक अगस्त क्रान्ति भवन का संबंध है, इसका 37% स्थान अभी भी हडको के कब्जे में है क्योंकि अप्रैल, 2006 में आमंत्रित की गई खुली बोली के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। हडको द्वारा इस स्थान की पुन: नीलामी/पुन: निविदा आमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है।

इसके अलावा, एन्ड्रयूगंज, नई दिल्ली में एक और संपत्ति है जहां सभी व्यावसायिक स्थलों का आबंटन कर दिया गया है। परंतु आबंटियों के साथ मुकदमों के चलते 9 गेस्ट हाऊस और होटल स्थल अभी भी हडको के कब्जे में है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आईआरईपी

4767. श्री मनोरंजन भक्त: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वांछित परिणाम नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) का कार्यान्वयन विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुकिंग, रोशनी और तापन उद्देश्यों हेतु ग्रामीण परिवारों की ऊर्जा आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए विभिन्न द्वीप समूहों/ब्लाकों/क्षेत्रों के ऊर्जा सर्वेक्षण किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियों, जागरूकता शिविरों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत इन द्वीप समूहों में अब तक 182 बायोगैस संयंत्रों, 40,333 उन्नत चूल्हों, 7,252 सौर लालटेनों, 69 सौर घरेलू प्रणालियों, 25 सौर सड़क लाइटों और 2,870 मिट्टी के तेल के उन्नत स्टेशनों की संस्थापना/वितरण किया गया है।

मंत्रालय ने 11वीं योजना अर्थात् 1 अप्रैल, 2007 से आईआरईपी को बन्द कर दिया है क्योंकि इस कार्यक्रम के लक्ष्य पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं।

मातृत्व मृत्यु और कुपोषण

4768. श्री नरहरि महतो:
श्री रनेन बर्मन:
श्री सुनील खां:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्रीमती टी.एस. सुजाता:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण के कारण मृत्यु के मामले विश्व में दर्ज कुल मामलों से 18 प्रतिशत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मातृत्व मृत्यु अनुपात गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान विभिन्न राज्यों में ऊंचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महिलाओं में पोषण स्तर अन्य विकाशील देशों की तुलना में काफी कम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) यूनिसेफ की "विश्व में बच्चों की स्थिति, 2008" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 76 प्रति हजार है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. नवजात एवं बाल्यावस्था की बीमारियों का समेकित उपचार।
2. नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल।
3. स्तनपान एवं पूरक आहार को बढ़ावा देना।
4. गम्भीर श्वसन संक्रमण के कारण मौतों में कमी लाना।
5. अतिसार संबंधी बीमारियों के कारण मौतों में कमी।
6. सूक्ष्म पोषक तत्वों: विटामिन 'ए' एवं आयरन की खुराक देना।
7. सर्व सुलभ प्रतिरक्षण कार्यक्रम।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अन्य कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(ग) और (घ) भारत के महापंजीयक द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 398 (1997-98) से घटकर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 301 (2003) हो गई है। भारत में तथा प्रमुख राज्यों में वर्ष 1997-98, 1999-2001 तथा 2001-2003 में मातृ मृत्यु दर संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III की रिपोर्ट (2005-06) के अनुसार देश में 36% महिलाएं (15-49 वर्ष) चिरकालीन ऊर्जा की कमी (बाडी मास संसूचक 18.5 से कम) से पीड़ित है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

मातृ मृत्यु दर
भारत एवं राज्य-वार
(स्रोत: आर.जी.आई., (एस.आर.एस.), 1997-98, 1999-01, 2001-03)

प्रमुख राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997-98)	मातृ मृत्यु दर (1999-01)	मातृ मृत्यु दर (2001-03)
भारत कुल*	398	327	301
असम	568	398	490
बिहार/झारखंड	531	400	371
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	441	407	379
उड़ीसा	346	424	358
राजस्थान	508	501	445
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	606	539	517
आंध्र प्रदेश	197	220	195
कर्नाटक	245	266	228
केरल	150	149	110
तमिलनाडु	131	167	134
गुजरात	46	202	172
हरियाणा	136	176	162
महाराष्ट्र	166	169	149
पंजाब	280	177	178
पश्चिम बंगाल	303	218	194
अन्य	–	276	235

*अन्य राज्यों सहित।

विवरण II

बाडी मास संसूचक 18.5 कि.ग्रा. से कम वजन वाली महिलाओं (15-49 वर्ष आयु) का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	बाडी मास संसूचक 18.5 कि.ग्रा. से कम वजन वाली महिलाओं (15-49 वर्ष आयु) का प्रतिशत
1	2	3
	भारत	35.6
	उत्तर	
1.	दिल्ली	14.8
2.	हरियाणा	31.3
3.	हिमाचल प्रदेश	29.9
4.	जम्मू-कश्मीर	25.6
5.	पंजाब	24.6
6.	राजस्थान	18.9
7.	उत्तरांचल	30.0
	मध्य	
8.	छत्तीसगढ़	43.4
9.	मध्य प्रदेश	41.7
10.	उत्तर प्रदेश	36.0
	पूर्व	
11.	बिहार	45.1
12.	झारखंड	43.0
13.	उड़ीसा	41.4
14.	पश्चिम बंगाल	39.1
	पूर्वोत्तर	
15.	अरुणाचल प्रदेश	16.4
16.	असम	36.5

1	2	3
17.	मणिपुर	14.8
18.	मेघालय	14.6
19.	मिजोरम	14.4
20.	नागालैंड	17.4
21.	सिक्किम	11.2
22.	त्रिपुरा	36.9
	पश्चिम	
23.	गोवा	27.9
24.	गुजरात	36.3
25.	महाराष्ट्र	36.2
	दक्षिण	
26.	आंध्र प्रदेश	33.5
27.	कर्नाटक	35.5
28.	केरल	18.0
29.	तमिलनाडु	28.4

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-3)

विदेशी मुद्रा भण्डार

4769. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार का एक भाग अमेरिकी कोष द्वारा जारी प्रतिभूति के रूप में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अमेरिकी प्रतिभूतियों पर आय की दर क्या है;

(ग) क्या भारतीय विदेशी मुद्रा भण्डार का कोई भाग अमेरिका में जारी बाण्ड के रूप में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों का निवेश विदेशी परिसम्पत्तियों की धारिता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुसार बहु-मुद्रा, बहु-बाजार पोर्टफोलियो जिनमें अमरीकी राजकोष द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त राज्य अमरीका में फेडरल नेशनल मारगेज एसोसिएशन (एफएनएमए) और गवर्नमेंट नेशनल मारगेज एसोसिएशन (जीएनएमए) जैसे अधिकरणों द्वारा जारी बाण्ड धारित नहीं करता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडारों के निवेश के मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और नकदीकरण हैं। विदेशी मुद्रा भंडारों से हुई आमदनी की दर (मूल्यह्रास) को हिसाब में लेने के पश्चात् और परिसम्पत्तियों के संपूर्ण भंडार पर) 2006-07 में 4.6 प्रतिशत थी।

अग्रिम मूल्य निर्धारण नियम

4770. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में अग्रिम मूल्य निर्धारण नियम लाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार की व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रणाली को शुरू करने के लिए सरकारी कर प्रशासन समुचित रूप से सुसज्जित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत में अन्तरण मूल्य विनियम अपनी शैशवावस्था में हैं। इसके अलावा, भारत में कर प्रशासन को इस क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। इसलिए भारत में इस स्तर पर अग्रिम मूल्य निर्धारण करारों की प्रणाली को लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की स्थापना

4771. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब और बेसहारा बच्चों की पोषाहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस आयोग की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना 31 जुलाई, 2003 को राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार की गई थी। मिशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 में निर्धारित लक्ष्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाई जा रही कार्यनीतियों की समीक्षा करना तथा उनकी गतिविधियों का समन्वयन करना है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

4772. **श्री एन.एम. कृष्णदास:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की प्रत्येक मद पर सीमा शुल्क दर में कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीमा शुल्क में इस कटौती के पश्चात् उत्पादकों द्वारा पाम आयल/पामोलिन के मूल्य में वृद्धि की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में नारियल उत्पादकों सहित किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) चूंकि उत्पादकों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं, जैसे, मांग आपूर्ति संतुलन, विकल्पों की उपलब्धता और उनकी कीमतें, आदि, इसलिए आज तक देश में सीमा शुल्क में परिवर्तनों के साथ मूल्य को जोड़ना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकारों से सीमा शुल्क में कटौती को वापस लेने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इससे नारियल उत्पादों सहित विभिन्न कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी सम्बद्ध कारकों, मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि और खाद्य तेलों की कीमतों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखकर इन अभ्यावेदनों की जांच की गई। खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने पाम वर्ग के तेलों पर सीमा शुल्क को घटाया।

(च) कृषकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 1.4.2008 के प्रभाव से लघु वन मूल (माइनर फारेस्ट ओरीजिन) से उत्पादित कतिपय तेलों सहित नारियल तेल (कोचिन बंदरगाह के जरिए) के संबंध में निर्यात प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।

विवरण

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती के ब्यौरे

* 11.8.2006:
* कच्चे पाम आयल, कच्चे पामोलीन एवं कच्चे पाम आयल के अन्य खंडों पर 80% से कम करके 70%
* परिशोधित ब्लीच्ड गंध रहित (आरबीडी) पाम आयल, आरबीडी पामोलीन एवं अन्य परिशोधित पाम आयल पर 87.5% से कम करके 80%
* 24.1.2007
* पाम आयल, कच्चे पामोलीन एवं कच्चे पाम आयल के अन्य खंडों पर 70% से कम करके 60%;
* परिशोधित ब्लीच्ड गंध रहित (आरबीडी) पाम आयल, आरबीडी पामोलीन एवं अन्य परिशोधित पाम आयल पर 80% से कम करके 67.5%;
* कच्चे सूरजमुखी के तल पर 75% से कम करके 65%
* परिशोधित सूरजमुखी के तेल पर 85% से कम करके 75%
* 1.3.2007
* सभी खाद्य तेलों को 4% अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गयी।
* कच्चे और परिशोधित सूरजमुखी के तेल पर टैरिफ क्रमश: 65% से कम करके 50% और 75% से कम करके 60% किया गया।
* 23.7.2007
* कच्चे पामोलीन समेत कच्चे पाम आयल पर 50% से कम करके 45%

* आर.बी.डी. पामोलीन समेकत परिशोधित पाम आयल पर 57.5% से कम करके 52.5%
* सोयाबीन तेल पर 45% से कम करके 40% और
* कच्चे सूरजमुखी के तेल पर 50% से कम करके 40%
* परिशोधित सूरजमुखी के तेल पर 60% से कम करके 50%
* 20.3.2008 (21.3.2008 से लागू)
* कच्चे पामोलीन समेत कच्चे पाम आयल पर 45% से कम करके 20%
* आरबीडी पामोलीन समेत परिशोधित पाम आयल पर 52.5% से कम करके 27.5%
* कच्चे सरसों/तोरिया/कोल्झा/कनोला तेल पर 75% से कम करके 20%
* परिशोधित सरसों/तोरिया/कोल्झा/कनोला तेल पर 75% से कम करके 27.5%
* कच्चे सूरजमुखी तेल पर 40% से कम करके 20%
* परिशोधित सूरजमुखी के तेल पर 50% से कम करके 27.5% और
* 1.4.2008

(क) सोयाबीन तेल (कच्चा) पर 40% से कम करके शून्य और सोयाबीन तेल (परिशोधित) पर 40% से कम करके 7.5%

(ख) कच्चे पाम आयल (कच्चे पामोलीन समेत) पर 20% से कम करके शून्य और आरबीडी पाम आयल (आरबीडी पामोलीन समेत) पर 27.5% से कम करके 7.5%

(ग) अन्य सभी विविध खाद्य तेल (कच्चे) जैसे कि नारियल तेल, मूंगफली, आदि पर कम करके शून्य

(घ) अन्य सभी विविध खाद्य तेल (परिशोधित) जैसे कि नारियल तेल, मूंगफली, आदि पर कम करके 7.5%

(ङ) अंशत: या पूर्णतया हाइड्रोजिनेटिड वनस्पति वसा एवं तेल, जिनको सामान्यतया वनस्पति मार्गरीन आदि के नाम से जाना जाता है, पर कम करके 7.5%

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां

4773. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री रनेन बर्मन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरीका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के हाल ही में किए गए एक अध्ययन की जानकारी है, जिसमें भारत में गरीबी उपशमन कार्यक्रम के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए त्वरित उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौर ऊर्जा उत्पादन

4774. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री संतोष गंगवार:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य व प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि जारी और खर्च की गई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और उसे लोकप्रिय बनाने पर कितना व्यय होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, देश में 1500 किवा.पी. क्षमता के ग्रिड सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परियोजनाएं मंजूर की थीं और कुल 900 किवा.पी. क्षमता हेतु परियोजनाएं संस्थापित की गई हैं।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 50 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से, मेवा. आकार के ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों को सहायता देने के लिए एक नया प्रदर्शन कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र से ग्रिड को वास्तविक रूप से प्रदान की गई विद्युत हेतु 12 रु. प्रति किवा.घं. तक का और एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र से 10 रु. प्रति किवा.घं. तक का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा, और ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि राज्य यूटिलिटी द्वारा, अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए प्र:शुल्क दिया गया है। सौर विद्युत परियोजनाएं बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर संस्थापित की जानी हैं। उन राज्यों में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जहां संबंधित राज्य बिजली विनियामक आयोगों ने सौर विद्युत हेतु प्र:शुल्क घोषित कर दिए हैं।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य एजेंसियों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान, मेगावाट आकार के ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 19.75 करोड़ रु. की राशि सहित, देश में सौर ऊर्जा के संवर्धन और लोकप्रियकरण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए 123.25 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

विवरण

ग्रिड इंटरएक्टिव एसपीवी विद्युत संयंत्रों के लिए जारी निधियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि लाख रु. में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	48.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.53
3.	हरियाणा	5.00
4.	पंजाब	221.19
5.	राजस्थान	174.00
6.	उत्तर प्रदेश	30.86
7.	उत्तराखंड	61.30
8.	पश्चिम बंगाल	24.05
9.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	88.92
10.	चंडीगढ़	5.00
11.	लक्षद्वीप	543.95
12.	पांडिचेरी	37.90
	कुल	1320.71

एटीएम के उपयोग का प्रभार

4775. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक अपने उपभोक्ताओं से एटीएम कार्ड के प्रयोग करने पर लेन-देन प्रभार लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंकों को एटीएम प्रयोग करने पर अपने उपभोक्ताओं से लेन-देन प्रभार लेना बंद करने को कहा है जैसाकि दिनांक 3 मार्च, 2008 के ''द टाउम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंक ऐसे प्रभार कब तक लेना बंद कर देंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ज्यादातर बैंक अपने स्वयं के एटीएम का प्रयोग करने के लिए अपने ग्राहकों से प्रभार नहीं लेते हैं। तथापि, वे ग्राहकों द्वारा अन्य बैंक एटीएम का प्रयोग करने के लिए प्रभार लगाते हैं और जिसकी प्रभार सीमा शून्य से 75/- रु. तक है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों द्वारा बैंक एटीएम का प्रयोग करने पर लगाए जाने वाले सेवा प्रभार का एक ढांचा निर्धारित करने के लिए 10 मार्च, 2008 को एक परिपत्र जारी किया है जिसका कार्यान्वयन सभी बैंकों द्वारा किया जाना है और जो निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	सेवा	प्रभार
1.	किसी उद्देश्य के लिए स्वयं के एटीएम का प्रयोग	नि:शुल्क (तत्काल प्रभाव से)
2.	जमा शेष की जानकारी के लिए अन्य बैंक एटीएम का प्रयोग	नि:शुल्क (तत्काल प्रभाव से)
3.	नगदी आहरण के लिए अन्य बैंक एटीएम का प्रयोग	* 23 दिसम्बर, 2007 (अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी होने की तिथि) को विद्यमान प्रभार में कोई बैंक वृद्धि नहीं करेगा। * वे बैंक जो प्रत्येक लेन-देन पर 20 रु. से अधिक प्रभार लगा रहे हैं, 31 मार्च, 2008 तक इसमें कमी करके प्रत्येक लेन-देन पर अधिकतम 20 रु. प्रभारित करेंगे। * नि:शुल्क 1 अप्रैल, 2009 से लागू।

राज्यों द्वारा योजनाएं चलाया जाना

4776. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने महिला और बाल विकास कल्याण से जुड़ी कुछ योजनाएं चलाने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रकार की योजनाएं सौंपी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी योजनाओं के कार्यकरण का आकलन किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में महिलाएं

4777. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 33.33 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्ति बिना लिंग भेद के आधार पर की जाती है। अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में महिलाओं की 33.33 प्रतिशत नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

व्यापारियों को राज्य की लेवी का प्रतिदाय

4778. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की व्यापारियों को राज्य की लेवी का प्रतिदाय करने और उसे राज्य के खाते में समायोजित करने की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। भारत के संविधान के तहत, कर लगाने की शक्तियां संघ (केन्द्रीय सरकार) तथा राज्यों के बीच विभाजित हैं। संघ सरकार की कराधान संबंधी शक्तियां संघ सूची (सूची 1) में दी गयी हैं, जबकि राज्यों की कराधान संबंधी शक्तियां 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची 2) में दी गयी हैं। राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों को संबंधित राज्य की संचित निधि में जमा करवाया जाता है। केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों के उद्ग्रहण करने अथवा इन्हें वापस करने में कोई भूमिका नहीं होती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8641/08]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस इन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन) रेगुलेशन, 2008 जो 7 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/105 (121)/ 2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8642/08]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय प्लाटों के विकास के लिए शुल्क/प्रभार) विनियम, 2006 जो 20 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1992(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण परिसरों के मिश्रित उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्रभारों का नियतन विनियम, 2006 जो 20 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1993(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 1015(अ) जो 22 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1993(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8643/08]

(2) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8644/08]

(3) 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत किए गए आवंटन के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8645/08]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8646/08]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत राजवित्तीय वर्ष 2007-2008 की तीसरी तिमाही के दौरान बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8647/08]

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों का 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसंबर, 2006 तक की समयावधि तक निष्पादन से संबंधित 36वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8648/08]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अधीन दिल्ली स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड समामेलन आदेश, 2007 जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1038(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8649/08]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 423(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1038(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8650/08]

(5) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1/1/2008-सीएलवी जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ग के अधीन उसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं के संगत उपबंधों में संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8651/08]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अधीन कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8652/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8655/08]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2007 जो 24 नवम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम: 10475:078: वीआरआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8656/08]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8657/08]

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 160(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग तीन वर्ग चार कर्मचारी (सेवा के नियम व शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2008 जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15(अ) जो 9 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई और चेन्नई में नए ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की अधिसूचना जारी की गई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 16 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित एक शुद्धिपत्र।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8658/08]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 118(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 163(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 184(अ) जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 282(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 143(अ) में सा.का.नि. 147(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार तथा छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8659/08]

(10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 107(अ) जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 28 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 114/2007-सी.शु. को रद्द करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 161(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले फेनोल

के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 162(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 19 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 105/2007-सी.शु. को रद्द करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 174(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन, चीनी ताइपेई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले एसीटोन के भारत में आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 179(अ) जो 13 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, थाईलैण्ड, यूनाइटेड अरब अमीरात और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले कम्पैक्ट डिस्क-रिकार्डेबल के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 180(अ) जो 14 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 16 मार्च, 2009 तक उसके समेत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 202(अ) जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 11/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 210(अ) जो 26 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया और चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्राक्साइड के आयात पर, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 26 मार्च, 2009 तक तथा उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाना।

(नौ) सा.का.नि. 211(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित कास्टिक सोडा के आयात पर, पदनामित प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना जारी रखना है।

(दस) सा.का.नि. 267(अ) जो 7 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातों पर, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 31 मार्च, 2009 तक तथा उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-8660/08]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 168(अ) जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 183(अ) जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 200(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 259(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 281(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8661/08]

(12) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि 386(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 में विनिर्दिष्ट सभी कर योग्य सेवाओं को, जा, भारत में विदेशी राजनयिक मिशन में या कौन्सुलर पद पर पदस्थ अधिकारियों के सरकारी प्रयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई हों, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा-कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 15 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा.का.नि. 387(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 में विनिर्दिष्ट सभी कर योग्य सेवाओं को, जो, भारत में विदेशी राजनयिक मिशन में या कौन्सुलर पद पर पदस्थ राजनयिक एजेंटों अथवा कैरियर कौन्सुलर अधिकारियों के निजी प्रयोग के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई हों, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा-कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 388(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 260(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तता एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) उपर्युक्त (12) के मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8662/08]

(14) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो भारत के राजपत्र में 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड 48 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विवरणों सहित बांड को 'जीरो कूपन बांड' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8663/08]

(15) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के दौरान बाजार ऋणों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8664/08]

(16) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.का.आ. 546(अ) जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं.का.आ. 1282(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8665/08]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बृहस्पतिवार, 20 मार्च 2008 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

> "कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल हो और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार दस सदस्यों को निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोक सभा को आगे यह सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री नंदी येल्लैया
2. श्री जेसुदासु सीलम
3. डा. राधाकांत नायक
4. सुश्री अनुसुइया उइके
5. श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि
6. श्री महेन्द्र साहनी
7. श्री बृजभूषण तिवारी
8. श्री थॉमस संगमा
9. श्री वीर सिंह
10. श्री तिरुची सिवा

(दो) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बृहस्पतिवार 20 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

> "यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु सहमत हो और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से, जैसा भी सभापति निदेश दें उस रीति से, सात सदस्यों को निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोक सभा को आगे यह सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. प्रो. पी.जे. कुरियन
2. श्री राशिद अल्वी
3. श्री बी.के. हरिप्रसाद
4. श्री शांता कुमार
5. डा. के. मलयसामी
6. श्री तरलोचन सिंह
7. श्री प्रशांत चटर्जी

(तीन) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बृहस्पतिवार, 20 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

> "कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु सहमत हो और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से जैसा भी सभापति निर्देश दें, उस रीति से सात सदस्यों को निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मुझे लोक सभा को आगे यह सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री आर.के. धवन
2. श्री विजय कुमार रुपानी

3. श्री के. चन्द्रन पिल्लै
4. श्री अमर सिंह
5. श्री शरद अनंतराव जोशी
6. श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्ता
7. श्री राहुल बजाज

अपराह्न 12.01½ बजे

लोक लेखा समिति

67वां और 68वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "सुनामी राहत और पुनर्वास" के बारे में 67वां प्रतिवेदन।

(2) "लघु उद्योगों के लिए निमित्त रियायत का बड़े उद्योग विनिर्माताओं द्वारा उपयोग करने के बारे में लोक लेखा समिति के 41वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 68वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

27वां और 28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), चरण-एक के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त डब्ल्यूएलएल सेवाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-मुद्रा विनियम काउंटर के प्रचालन के लिए लाइसेंस जारी करने में हुए विलंब की वजह से हुई राजस्व हानि के बारे में समिति के 13वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

(दो) स्वास्थ्य बीमा-एक व्यापक अध्ययन के बारे में समिति के 18वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण।

अपराह्न 12.03½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी

[प्रो. राम गोपाल यादव]

समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 13वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 14वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 15वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 16वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2006-2007) के 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2006-2007) के 24वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(7) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2006-2007) के 25वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 33वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(9) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 34वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(10) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 35वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 36वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर की स्थिति*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप पूरा विवरण पढ़कर सुनाएंगे? माननीय सदस्यों, विवरण छह पृष्ठों में है। यदि आप सब सहमत हों तो इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

कई माननीय सदस्य: ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8666/08

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ व्यापक परामर्श करने की प्रक्रिया की शुरूआत फरवरी, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर के संबंध में एक गोलमेज सम्मेलन (आरटीसी) के रूप में की गई थी। 24-25 मई, 2006 को श्रीनगर में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अनुसरण में राज्य में विभिन्न पहलुओं की जांच करने और राज्य में शान्ति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के रूप में और विकास करने तथा लोगों के समग्र संतुलित विकास एवं सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए पांच कार्य समूह बनाए गए थे। इनमें से 4 कार्य समूहों की रिपोर्टों को नई दिल्ली में 24 अप्रैल, 2007 को आयोजित तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रखा गया था जिसमें उनके दृष्टिकोण और संस्तुतियों का समर्थन किया गया।

2. "राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों में विश्वास बहाल करने के उपायों" के संबंध में गठित कार्यसमूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उग्रवाद एवं हिंसा से पीड़ित विधवाओं-अनाथों तथा अन्य लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास उपाय करने, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और उनका पुनर्वास सुलभ बनाने, पाक अधिकृत कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान से 1947 में आए शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों आदि के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की। इन सिफारिशों की जांच करने के पश्चात सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

उग्रवाद संबंधी हिंसा से पीड़ित

3. जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने उग्रवाद जनित हिंसा से पीड़ित लोगों के पात्र नजदीकी रिश्तेदारों को अनुकम्पा रोजगार देने के लिए 1994 में एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। पर्याप्त संख्या में नौकरियों की अनुपलब्धता के कारण इस अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अनुमोदित मामलों का भारी बैकलाग मौजूद है। ऐसे भी कई परिवार हैं जहां, पात्रता शर्तों में छूट दिए जाने के बावजूद, परिवार के सदस्यों में से कोई भी रोजगार के लिए पात्र नहीं है। एक अपवाद स्वरूप उपाय के रूप में, राज्य सरकार द्वारा सहमत अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर 5 लाख रुपये की एकबारगी क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव किया गया है। इस बैकलाग के कवरेज को पूरा करने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से सहायता की मांग की गई है। हमने राज्य सरकार के इस अनुरोध को मान लिया है।

4. हमने जम्मू-कश्मीर की पुनर्वास परिषद की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत विधवाओं को भुगतान योग्य मासिक पेंशन राशि की प्रमात्रा वर्तमान 500/- रु. प्रतिमाह के स्तर से बढ़ाकर 750/- रुपये प्रतिमाह करने के उनके प्रस्ताव में सहायता देने के राज्य सरकार के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है। उग्रवाद संबंधी हिंसा में अनाथ हुए लोगों को दी जाने वाली सहायता में अब बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा।

घाटी के प्रवासियों की समस्या

5. एक प्रमुख मुद्दा जिसने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को चिंता का विषय बनाया हुआ है वह यह तथ्य है कि राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में 55000 से अधिक परिवारों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था, जिन्हें अब कश्मीर घाटी में अपने घरों से सतत रूप से दूर रहना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में यह एक पुरानी परम्परा रही है कि वहां के विभिन्न वर्गों के लोग शान्ति एवं सद्भाव से एक साथ रहने में विश्वास करते हैं। इस स्थिति में सुधार करने और क्षेत्र के मिले-जुले सामाजिक ढांचे के अभिन्न अंग इन परिवारों की समस्याओं और इस प्रक्रिया में वर्षों से जिस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया उस प्रमुख मानवतावादी मुद्दे का हल निकालने की हमारी जिम्मेदारी सामूहिक है।

6. घाटी छोड़ते समय कई प्रवासी परिवारों को मजबूर होकर घाटी स्थित अपने घरों और सम्पत्तियों को, 1997 में बने एक विधान से इसे रोक देने से पहले, बेचने को मजबूर होना पड़ा था। ऐसे परिवारों की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन नियत करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। जो प्रवासी परिवार घाटी में लौटना चाहते हैं उनके लिए सरकार का ऐसी सोसाइटी के माध्यम से घर बनाने या खरीदने के लिए 7.5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मंजूर करने का प्रस्ताव है।

7. जिन प्रवासी परिवारों के मकान पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें इसी प्रकार की एक मुश्त राशि मंजूर करने और जिनके मकान क्षतिग्रस्त तो नहीं हुए हैं लेकिन उन्हें छोड़ देने के कारण जिनका उपयोग न किया गया हो और जो खस्ता हाल में हों उन्हें भी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ट्रांजिट आवास और शुरूआती खर्चों के साथ उपयुक्त सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

8. यह भी निर्णय लिया गया है कि जम्मू और दिल्ली में रह रहे लगभग 15,000 प्रवासी परिवारों को इस समय दी जा रही मासिक राहत को उन परिवारों के लिए जारी रखा जाएगा जो दो वर्ष की अवधि के लिए घाटी में लौटना चाहते हैं ताकि संक्रमण को सुचारू किया जा सके।

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

9. सरकार, जम्मू और कश्मीर पुनर्वास परिषद के माध्यम से प्रवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता प्रदान करेगी।

10. राज्य सरकार ने राज्य सरकार की सेवा में प्रवासी युवाओं के शिक्षित लोगों को 6000 नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। रोजगार के ऐसे अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार उस समय तक लगभग 3000 युवाओं के वेतन संबंधी खर्चों को वहन करेगी जब तक एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर राज्य सरकार के नियमित पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार, प्रवासी समुदाय के अन्य बेरोजगार युवाओं को एक वित्तीय पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-रोजगार में उनकी सहायता की जा सके।

11. जो प्रवासी परिवार, कृषि और बागवानी का कार्य करते हैं उन्हें सहायता की जरूरत होगी ताकि वे इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। जो जोत की खेती और बागान वीरान पड़े थे उन्हें फिर शुरू करने हेतु एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी।

12. हम, कश्मीरी प्रवासियों द्वारा अपने प्रवास से पहले लिए गए ऋणों पर भुगतान न किए गए ब्याज को एक बारगी समाधान पैकेज के एक भाग के रूप में माफ करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं।

13. उपर्युक्त सभी प्रस्तावों पर इस समय लगभग 1600 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। ये लाभ उन सभी प्रवासियों को प्रदान किए जाएंगे जो 1989 के बाद अपने पूरे सामान के साथ पलायन कर गए थे और घाटी में वापस नहीं आ पाए थे। हमें आशा है कि ये उपाय इन परिवारों को वापस अपने घर लौटने में काफी सहायक होंगे; और वे अपने पूर्वजों की भूमि, जिससे उनका संबंध है, में वापस लौट सकेंगे और प्रतिष्ठा तथा सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे।

पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी

14. चूंकि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को राज्य के स्थाई निवासी के रूप में नहीं माना जाता है इसलिए उनके सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं हमें हम बखूबी समझते हैं। हमने उनके लिए एक पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया है।

15. सबसे पहले एक प्रस्ताव किया गया है ताकि उनके बच्चे और पौत्र/पौत्रियां देश के विभिन्न भागों के तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ले सकें। दूसरे, जमीन की प्रतिभूति के बगैर बैंक ऋण सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस मामले से निपटने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में एक नोडल कक्ष स्थापित किया जाएगा। तीसरे, हम, भारत सरकार के कौशल विकास पहल कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के अवसर देंगे।

1947 के पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थी

16. हमने वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में पाक अधिकृत कश्मीर से प्रवासित हुए परिवारों के सामने आ रही समस्याओं की भी जांच की है। राज्य सरकार की सिफारिशों पर हम भू-न्यूनता के मामलों के समाधान के लिए 50 करोड़ रु. के व्यय को पूरा करने अथवा जहां ऐसा करना संभव न हो वहां उक्त परिवारों को शहरी क्षेत्रों में प्लाट आवंटित करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। ये उपाय किए जाने पर भारत सरकार से और अधिक सहायता अपेक्षित नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि ऐसा करने से 1947 के पाक-अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

सीमावर्ती निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि के लिए मुआवजे की समस्या

17. जिस अत्यधिक बड़े भू-भाग पर डिच-कम-बंध, सीमावर्ती बाड़ आदि जैसे विभिन्न सीमावर्ती निर्माण कार्य किए गए हैं उसके संबंध में प्रभावित कृषकों को मुआवजे का भुगतान अभी किया जाना शेष है। इस मुआवजे के भुगतान के लिए कानून के अनुरूप समयबद्ध कदम उठाए जाएंगे।

18. हमने यह भी निदेश दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जिस किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति का इस्तेमाल राज्य में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है उनके संबंध में उन्हें नवीन स्थानों पर स्थानांतरित करने के उपाय किए जा सकते हैं, और यदि उक्त प्रयोजन के लिए किसी निजी सम्पत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसे मामलों में उनके किराए का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की उपलब्धि हुई है।

19. विश्वास सृजित करने के लिए पहले से किए जा चुके उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह योजना है कि नियंत्रण रेखा के पार यात्रा की प्रविष्टि परमिट प्रणाली को, एक वर्ष के लिए वैध ट्रिपल प्रविष्टि परमिट बनाने और सत्यापन प्रक्रिया को छह सप्ताह के अंदर पूरा करने, जैसे उपायों का समावेश करके और अधिक उदार बनाए जाने की योजना है। हम कारगिल-स्कार्दू और जम्मू-स्यालकोट मार्गों को शीघ्र ही प्रचालनात्मक

बनाने और श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट बस सेवा की मौजूदा पाक्षिक आवृत्ति को बढ़ाकर साप्ताहिक करने का प्रस्ताव भी कर रहे हैं। इन मुद्दों पर हम शीघ्र ही पाकिस्तान के साथ चर्चा करेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रवेश परमिट हेतु आवेदन प्रत्येक जिला पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र पर किया जा सकता है। ये उपाय नियंत्रण रेखा के पार यात्रा को बढ़ावा देंगे और व्यापक सांस्कृतिक, अकादमिक, विद्यार्थियों के तथा अन्य आदान-प्रदान को भी सक्षम बनाएंगे। नियंत्रण रेखा के पार व्यापार एवं ट्रक सेवाओं को भी प्रचालनात्मक बनाया जाएगा।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, आपकी अनुमति से मैं (श्री पवन कुमार बंसल की ओर से) सोमवार, 28 अप्रैल, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:-

1. आज की कार्यसूची से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति शासन को 19 मई, 2008 से आगे बढ़ाए जाने हेतु स्वीकृति लेने के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

3. राष्ट्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-घाघरा खंड, पूर्वी तट नहर का गोंखली-चरबतिया खंड, माताई नदी और महानदी डेल्टा नदियों का चरबतिया-घाघरा खंड) विधेयक, 2006 पर विचार तथा उसे पारित किया जाना।

4. विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार तथा उसे पारित किया जाना।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 पर विचार तथा उसे पारित किया जाना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात् केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार तथा इसे पारित किया जाना।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करें:-

1. राजस्थान के रामगढ़ गैस तापीय प्रयोजन के लिए दोनों गैस टरबाइनों को पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिए मैसर्स ओआईएल एवं गेल के द्वारा अतिरिक्त गैस की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

2. राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भू-भाग में पेट्रोलियम खनन से मिलने वाली लाभ राशि में राज्य सरकार की हिस्सेदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

1. केरल में खाद्यान्न, विशेष रूप से चावल की कमी की गंभीर स्थिति जो कि केन्द्र द्वारा राज्य को चावल का पर्याप्त कोटा देने से इंकार करने तथा एपीएल हेतु तत्संबंधी चावल के कोटे के आबंटन में 82 प्रतिशत की बड़ी पैमाने पर कमी के कारण पैदा हुई है।

2. भारत में खुदरा क्षेत्र व्यापार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं बड़े औद्योगिक घरानों को खोले जाने के कारण छोटे व्यापारियों को खतरा एवं छोटे व्यापारियों के सुरक्षोपाय के लिए व्यापार क्षेत्र को विनियमित करने हेतु एक केन्द्रीय विधान लाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें:-

1. खाद्यान्न राशन सहित जनजीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ जाने के कारण जनता का गुजारा मुश्किल हो गया है। भवन निर्माण सामग्री स्टील, लोहा, सीमेंट महंगे हो गए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान और दैनंदिन उपयोग के सामान सबके बढ़े हुए दाम, केंद्र सरकार से करते हैं, मांग, कम करे दाम जिससे जनजीवन हो आसान।

अध्यक्ष महोदय: यह कविता है; अगली संस्कृत में होगी?

डा. सत्यनारायण जटिया: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं इसी को प्रस्तुत कर रहा हूं।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

2. एल.पी.जी. कुकिंग गैस महंगी भी है और मांग पर मिलती भी नहीं है। उपभोक्ता नियत मूल्य से ज्यादा दाम देकर ब्लैक में खरीदने के लिए बाध्य हैं। अतएव केन्द्र सरकार एल.पी.जी. उचित मूल्य और मांग पर उपलब्ध कराए। साथ ही उज्जैन को घरेलू उपयोग के लिए तथा औद्योगिक आपूर्ति के लिए एल.पी.जी. गैस उपलब्धता पाइप लाइन से सुनिश्चित करे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को शामिल करने का कष्ट करें:-

1. देवरिया जनपद के देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ और बिहार संपर्क क्रांति रेल सेवा का ठहराव किए जाने का कार्य।

2. दुर्ग एक्सप्रैस रेल सेवा एवं गोदान एक्सप्रैस का ठहराव औद्योगिक क्षेत्र बिल्थरा रोड एवं दुर्ग एक्सप्रैस रेल सेवा एवं बापूधाम एक्सप्रैस का सलेमपुर में ठहराव एवं किडीहरापुर में इंटर सिटी का ठहराव पूर्व की भांति किए जाने का कार्य।

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किए जाने की कृपा करें:-

1. मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्थित धालभूमगढ़ में रेलवे स्लीपर बनाने वाली इकाइयां दया कंक्रीट, दया इंजीनियरिंग वर्क्स और कंक्रीट हाउस लिमिटेड काफी दिनों से बन्द पड़ी हैं। इन कारखानों में 500 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर कार्यरत हैं। इनके बंद होने से कर्मचारियों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अत: जनहित में इन बन्द इकाइयों को शीघ्र चालू कराया जाए।

2. देश में विगत 6 महीनों में सीमेंट के मूल्यों में काफी वृद्धि होने के कारण लोगों को घर बनवाने में काफी कठिनाई हो रही है। अत: जनहित में मेरी मांग है कि सीमेंट में मूल्य वृद्धि कम कराने हेतु सरकार उचित कदम उठाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

1. न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए असंगठित श्रम पर एक वृहत विधान लाए जाने की आवश्यकता।

2. पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होने वाली स्वच्छता संबंधी समस्याएं व स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के मद्देनजर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक व्यापक विधान लाए जाने की आवश्यकता।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

1. एलपीजी की कमी के संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता।

2. विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने विशेषरूप से जलस्तर में वृद्धि करने तथा जल संचयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

1. भुवनेश्वर उड़ीसा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करना।

2. देश में एड्स से प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक राज्य में दो या तीन पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाना।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। यह एक अच्छा विषय है।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करें:

1. राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने संबंधी विधेयक पर विचार। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में सब जानते हैं, हम तो रोज याद कराते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने निर्देश नहीं दिया, रिमाइंड कराया है।

डा. करण सिंह यादव: सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के संबंध में। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह बहुत जरूरी है।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित कार्य संलग्न करने हेतु:

1. जिला रोपड़, पंजाब एक ऐतिहासिक जिला है, जिसमें श्री आनन्दपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, चमकौर साहिब, नंगल जैसे ऐतिहासिक शहर आते हैं। इसी तरह मोहाली जिला भी एक औद्योगिक जिला है, लेकिन अभी तक इन जिलों में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तो यहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं।

2. नंगल पंजाब में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, इसलिए वहां पर एस.ई.जैड. या फिर वहां पर बेकार हो रही एक बहुत बड़ी वर्कशाप को पुन: स्थापित कर रोजगार के साधन जुटाये जायें।

अपराह्न 12.13 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र–*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां, श्रीमती रेनुका चौधरी जी। आपको अपनी शिकायत बतानी है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं। मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं:-

(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 की धारा 68 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) नियम, 2007 जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 679(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 8 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8653/08]

(3) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8654/08]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेख पर कार्यवाही करेंगे। जी हां, श्री कृष्णदास जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय जी.....

अध्यक्ष महोदय: आपको भी मौका दिया जाएगा। मैंने आपसे वायदा किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके आपको मौका दूंगा। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाएंगे, आप थोड़ा धीरज रखिये। ये लोग आज बहुत एजिटेटिड हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मंत्री जी ने राज्य सभा में स्वीकार किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम बुलाएंगे, तब आप बोलेंगे, जो बोलना है। हां, श्री कृष्णदास।

अपराह्न 12.14 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केरल को आवंटित खाद्यान्न कोटे को बहाल करने के बारे में

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, हम चाहेंगे कि सभा में इस मुद्दे को उठाया जाए। आरंभ से ही केरल राज्य को, खाद्य की कमी वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी पहली हरित क्रांति के दौरान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि....

अध्यक्ष महोदय: प्रिय मित्र। आप उस समय से अपनी बात आरम्भ कर रहे हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने हमें परामर्श दिया था कि "आपको नकदी फसलों की पैदावार करनी चाहिए और जो भी खाद्यान्न आपको चाहिए वह हम उपलब्ध करायेंगे।" इसलिए, आरंभ से ही केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक सांविधिक राशनिंग प्रणाली है तथा एक सुविकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब क्या हुआ कि हमारे राज्य में हमें 1 लाख 30 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न प्राप्त हो रहा था और आज यह घटकर 21 हजार मीट्रिक टन हो गया, पिछले सप्ताह यह घटकर 4000 मीट्रिक टन हो गया अब यह घटकर 82 प्रतिशत रह गया है। यह खाद्यान्न की कमी वाला राज्य है। यह अत्यंत गंभीर मामला है तथा केरल से सभी संसद सदस्य इससे चिंतित हैं; केरल से शतप्रतिशत, संसद सदस्य इस यूपीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

इसलिए, केरल के सभी संसद सदस्य संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन यह सरकार केरल के साथ अन्याय कर रही है। केरल के खाद्य की कमी वाला राज्य होने के नाते सरकार का यह कार्य पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इसलिए हम सरकार से शीघ्रातिशीघ्र केरल को आबंटित किए जाने वाले खाद्यान्न के कोटे की तत्काल पुनर्बहाली का अनुरोध करते हैं। हम सरकार से इतनी ही मांग करते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): आप सपोर्ट विदड्रा कर लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस, श्री फ्रांसिस जार्ज, श्री रूपचन्द पाल, श्री करुणाकरन, श्री सुरेश कुरुप, श्रीमती सुजाता, श्रीमती सतीदेवी, श्री राम गोपाल यादव, श्री मोहन सिंह, श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री चन्द्रप्पन और अन्य उन सभी सदस्यों के नाम जो इस मामले के साथ स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं उनके नाम इस मामले के साथ सम्बद्ध कर दिए जाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भी खाद्यान्न कोटे की पुनर्बहाली के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। *...(व्यवधान)*

सभा के नेता यहां बैठे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि वे इस मुद्दे का जवाब दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। आपने प्रश्न काल पूरा होने तक प्रतीक्षा करने संबंधी मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? नहीं, आपसे ऐसी आशा नहीं की जाती। कृपया ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप कुछ युक्तियां अपनाते हैं जो आपकी शोभा नहीं बढ़ाती और जिससे विषय के महत्व का पता नहीं चलता तो क्या इससे उद्देश्य की पूर्ति होगी? मंत्री महोदय, पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। आप सभी के नाम इससे सम्बद्ध कर दिए गए हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुखदेव सिंह ढींडसा।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): महोदय, मेरा *...(व्यवधान)*

ये बोलने तो दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री सुखदेव सिंह ढींडसा के वक्तव्य को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: महोदय, आप इनको बोलिए। *...(व्यवधान)* कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। आप सभा के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं। आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो इस वीथि पर हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। श्री अजय कुमार, मैं आपके विरुद्ध नोटिस जारी करूंगा। जो सदस्य वीथि में खड़े हैं उनके नाम नोट कर लिए जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीथि में जो लोग खड़े हैं आप उनसे कहें कि वे वहां से चले जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय श्री पी.सी. थामस आए और सभा पटल के निकट बैठ गये।)

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: आपका प्रोटेस्ट हो गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ढींडसा के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय श्री पी.सी. थामस अपने स्थान पर वापिस चले गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आपको कुछ कैसे दे सकता हूं। आप सभा में व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने इसे बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया है। मैंने आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है। आपने प्रश्न काल जारी रहने दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे नहीं पता कि आप अपनी समस्या का समाधान कैसे करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि क्या किया जा सकता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि क्योंकि माननीय खाद्य और कृषि मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं, उन्हें माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराऊंगा। कुछ दिन पहले उन्होंने इसका विस्तृत उत्तर देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया था। लेकिन इसके बाद फिर भी यदि माननीय सदस्यों ने इस मामले पर सभा का ध्यान आकृष्ट किया है तो मैं इस बारे में उन्हें बताऊंगा और यह देखने की कोशिश करूंगा कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, माननीय मंत्री ने राज्य सभा में आश्वासन दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री ने भी आपको आश्वासन दिया है। ऐसा सदन के नेता ने कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बहुत ही आहत और निराश हूं। आप हथकंडे अपना रहे हैं जोकि नहीं अपनाए जाने चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदन के नेता ने आश्वासन दिया है कि वह ईमानदारी से इसकी सूचना संबंधित मंत्री को देंगे और जो कुछ किया जा सकता है वे उसे करने का प्रयास करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी मांग कर चुके हैं। उन्होंने सुन लिया है। आप इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कैसा आश्वासन? क्या संसद चलाने का यही तरीका है क्या तत्काल आश्वासन दिया जा सकता है?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: जी हां, महोदय। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, यह आपकी अवधारणा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पहले दिन से ही हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद चार प्रतिशत की और कमी की गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, हम यह आश्वासन चाहते हैं कि सरकार केरल की समस्याओं को हल करेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। वाम दलों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीके मुझे पसन्द नहीं हैं। श्री ढींडसा कृपया आप बोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पूर्ण विचार करने का आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है कि सरकार मामले की गंभीरता को समझ रही है और यदि आप मेरा साथ चाहते हो तो मैं भी अनुरोध करता हूं कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए क्योंकि माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। यदि आप इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हैं और यदि आप समझते हैं कि आपकी आवाज अधिक महत्वपूर्ण है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): धन्यवाद महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आप अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हैं। आपने पहले भी नियमों का उल्लंघन किया है। मैं खोखली धमकी नहीं दे रहा हूं, अब मैं कार्यवाही करनी आरम्भ करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस का एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं। मैं एक इश्यू आपके थ्रू उनके नोटिस में लाना चाहता हूं। कल मैं पंजाब में था। मेरा बेलोड्रम में साइकलिंग फेडरेशन आफ इंडिया का दफ्तर है। मैं उसका प्रैजीडेंट हूं। मेरे दफ्तर में कुछ पोलिटिकल आदमी थे, लेकिन उनमें एक इनकम टैक्स का आफिसर भी था जिसने ताला तोड़ा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह दिल्ली की बात है या कहीं और की?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: यह दिल्ली की बात है।

[हिन्दी]

उन्होंने ताला तोड़ा और दफ्तर में घुस गये। वे वहां चार-पांच घंटे बैठे रहे।

[अनुवाद]

महोदय, मैं पुलिस आयुक्त का आभारी हूं।

[हिन्दी]

जब मैंने रात को उन्हें बताया तो उन्होंने उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिया। मैंने आज फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी है कि

[अनुवाद]

इस अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर एक एमपी और जैनुअन प्रेजीडैंट का एक आईटीओ जाकर ताला तोड़कर बैठता है, तो इससे सीरियस बात और क्या हो सकती है? मैं चाहूंगा कि उसे इमीजिएटली सस्पेंड किया जाये और उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध मानने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अब श्री लोनाप्पन नम्बाडन बोलेंगे।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): महोदय, मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के ग्यारह मुद्रणालयों में भर्तियों पर रोक लगाने संबंधी 3 अप्रैल, 2008 के सरकारी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए।

सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के मुद्रणालयों में विभिन्न रिक्त पदों के लिए लाखों आवेदन प्राप्त हुए। नई भर्तियों पर रोक लगाने वाला यह आदेश उस समय आया जब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए काल लेटर भेजे जा चुके थे।

यदि 17 मई, 2008 तक ये वर्तमान रिक्त पद भरे नहीं जाते हैं तो यह पद व्यपगत हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा केन्द्रीय सरकार के ग्यारह मुद्रणालयों का बंद होना और इससे हजारों परिवार गरीबी की कगार पर पहुंच जाएंगे।

केरल में केन्द्रीय सरकार के एकमात्र मुद्रणालय ने कोराट्टी में वर्ष 1966 से कार्य करना आरम्भ किया था।

सरकारी नीति के अनुसार कोराट्टी मुद्रणालय में 333 कर्मचारी होने चाहिएं परन्तु अब इसमें केवल 154 कर्मचारी हैं। अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या आधी होने के बावजूद यह सरकारी मुद्रणालय सौ प्रतिशत कार्य कर रहा है। इसे देश में सर्वश्रेष्ठ सरकारी मुद्रणालय होने का पुरस्कार भी मिल चुका है।

विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों में रोजगार के लिए आवेदन करने वाले लाखों युवा अब निराश हैं। कोराट्टी मुद्रणालय में एक सौ चालीस पदों के लिए साठ हजार आवेदन थे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि नई भर्तियों पर रोक लगाने वाले सरकारी आदेश को वापस लिया जाए ताकि वर्तमान पद व्यपगत न होने पाएं।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला सदन में उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सिक्स्थ पे कमीशन पर बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप छठे वेतन आयोग का मामला उठा सकते हैं। अब कोई अन्य मामला नहीं उठाया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, टी.आर. बालू साहब का मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए आपको नोटिस देना होगा।

...(व्यवधान)

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अच्छी तरह जानते हैं।

[हिन्दी]

आप हमारे से ज्यादा अच्छा जानते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने खुद इस बात को माना है कि हां, मैंने प्रैशर डाला। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए नोटिस देना पड़ता है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में मंत्री जी ने इसे खुद स्वीकार किया है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने खुद माना है कि मैंने प्रैशर डाला। प्रधानमंत्री ने आठ चिट्ठियां लिखीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस बारे में जानते हैं।

[अनुवाद]

आपको नियमों का पालन करना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता लग जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप मोशन का नोटिस दे दीजिए। हमने इसमें इंकार नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या* के मामले में नोटिस की जरूरत है? यह* है इसलिए इसमें नोटिस की क्या जरूरत है? यह बिना नोटिस के चलेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब कुछ जानते हैं। हमने आपकी कितनी मदद की है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हजारों कम्पनियां बंद हो रही हैं। *...(व्यवधान)* हजारों कम्पनियों को गैस नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री कार्यालय का इसमें शामिल होना, बहुत ही सीरियस बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, आप इसे सही रूप में उठा सकते हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप दूसरे इश्यू पर बोलिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, सिक्स्थ पे कमीशन की जब संस्तुति आने वाली थी, तो सरकारी कर्मचारियों और उनके साथ अन्य जुड़े हुए केस हैं, उनमें बहुत आशा थी। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा अपेक्षा की थी। परन्तु दुर्भाग्य से सिवाय एक वर्ग को छोड़कर, आईएएस को छोड़कर बाकी सब में बहुत ही अधिक असन्तोष फैला हुआ है। इसके खिलाफ धरने और आवाज उठायी जा रही है। सबसे ज्यादा कष्ट हमारी सेना को हुआ है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि सेना के तीनों अंगों के चीफ मिलकर इसके खिलाफ असंतोष प्रकट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर से मिले।

इसके लिए आवाज उठाई है। पूर्व सैनिक जगह-जगह पर धरने दे रहे हैं, पूरे देश में जगह-जगह इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इसी प्रकार की आवाज सी और डी ग्रुप के कर्मचारी भी उठा रहे हैं। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों में भी असंतोष है। शिक्षकों में भी इसके खिलाफ असंतोष है। इस प्रकार एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे संतुष्ट हो।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सिर्फ आईएएस लोगों को छोड़कर कोई इससे संतुष्ट नहीं है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उनमें भी केवल सीनियर आईएएस हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस तरह केवल सीनियर आईएएस लोगों को छोड़कर इससे कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। आपने कहा है कि इसके लिए एक कमेटी बना दी है। कमेटी के सामने ये लोग मेमोरेंडम दें। उसके बाद इसमें कितना समय लगेगा? क्या इस बीच कर्मचारियों को इंटरिम रिलीफ देने के लिए आप कार्यवाही करेंगे? आज महंगाई जितनी बढ़ गयी है, उसको देखते हुए उनको इंटरिम पे रिलीफ देना आवश्यक है। सेना के लोगों का असंतोष दूर करने के लिए अगर आवश्यक हो तो उनके लिए अलग पे कमीशन

बनाने पर विचार किया जाए, उनको आम सर्विसेज के साथ लिंक न किया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं मल्होत्रा जी के साथ स्वयं को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गयी है, वह भी आईएएस अधिकारियों की ही है। ऐसे में आईएएस लोगों ने ही...* किया है और उन्हें लोगों की कमेटी बनाई गयी है। यह कैसे चलेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसलिए अलग से एक कमेटी बनाई जाए और हो सके तो संसदीय कमेटी से इसकी समीक्षा कराएं जिससे सभी लोगों के साथ न्याय हो सके। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम संबद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन यह शब्द नहीं चलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस शब्द की जगह गड़बड़ी शब्द करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री दुष्यंत सिंह ने स्वयं को प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी की बात से संबद्ध किया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से लगे हुए जिलों में सूखे की स्थिति व्याप्त है जिससे वहां सिंचाई और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। नेता माननीय प्रो. राम गोपाल जी के नेतृत्व में छः माननीय सदस्यों का एक शिष्टमंडल पेयजल की समस्या के संबंध में प्रधानमंत्री जी से संसद आफिस में मिला था जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्यों को 500-500 हैण्डपम्प दिए जाने की जो डिमाण्ड की गयी थी, उसे देने के लिए धन उपलब्ध है और अगर प्रधानमंत्री जी सहमति व्यक्त करें तो ऐसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि ग्रामीण विकास मंत्री के पास धन उपलब्ध है, आर्थिक स्थिति ठीक है तो 500-500 हैण्डपम्प्स सांसदों को दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और आज तक हमारे क्षेत्र में कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रतिदिन जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सांसद निधि में भी ऐसा प्रावधान हो जिससे सांसद अपने क्षेत्रों में इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवा सकें। हमारे यहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर आब्जेक्शन लगाया गया है कि साइंटिफिक समस्या के कारण हम सांसद निधि से हैण्डपम्प लगाने की अनुमति नहीं देंगे। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार ध्यान दे और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे और सांसद निधि से भी हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अस्वस्थता तथा बाल मृत्यु दर का प्रमुख कारण खसरा रहा है। भारत के स्वास्थ्य आसूचना केन्द्रीय ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2005 में लगभग 52,500 बच्चे खसरा से पीड़ित थे। पुणे का सेरम संस्थान खसरा-रोधक टीकों का स्थायी आपूर्तिकर्ता रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए टीकों की 350 लाख खुराक खरीद रहा है।

हालांकि, हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद के ह्यूमन बायोलाजिकल इंस्टीट्यूट को 90 लाख खुराकों की आपूर्ति करने की अनुमति दी है। ये नए खसरा रोधक टीके तमिलनाडु को आवंटित किए गए तथा बहुत से बच्चों को यह खुराक पिलाई गई। परन्तु तमिलनाडु के तिरूवल्लूर जिले की पूंडी पंचायत यूनियन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर टीका लगाने के कुछ ही मिनटों के अंदर चार बच्चों की मौत हो गई।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मिलावटी खसरा रोधक टीकों के पूर्ण भंडार को वापस ले तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बच्चों की रक्षा करे। मेरा यह भी अनुरोध है कि खसरा के मिलावटी टीके बनाने वाली कंपनी के विरुद्ध उचित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहते सुना है कि उन्हें वापस ले लिया गया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित लोगों की कठिनाइयों से संबंधित गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

भारत सरकार ने उड़ीसा को 1.87 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न आवंटन किया है। ताकि बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत रोजगार कार्य चलाए जा सकें। यहां 2006 में भी बाढ़ आई थी। यह आवंटन राहत रोजगार हेतु नकद सहायता के बदले दिया गया है। भारत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को नवंबर 2007 से खाद्यान्न की जिलावार आवश्यकता की जानकारी दे दी गई थी। यद्यपि अभी तक राज्य सरकार के लिए कोई भी खाद्यान्न जारी नहीं किया गया है। परन्तु महोदय, आप जानते ही हैं कि बहुत जल्द मानसून आने वाला है। यह सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रही है। राहत सहायता में भी वह राजनीति कर रहे हैं। सरकार वह खाद्यान्न भी नहीं दे रही है जिसकी आवश्यकता है तथा जो आवंटित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय: हर बात में राजनीति को मत लाइये।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, 1.87 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न को आवंटित किए हुए काफी समय हो चुका है। इसे जारी नहीं किया गया है। यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो वह नकद दे सकते हैं। कोई इंकार नहीं करेगा। परंतु उन्होंने 1.87 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। सब कुछ तैयार है। उड़ीसा सरकार भी नकद संघटक के बराबर राशि देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री बार-बार मंत्रियों से मिल रहे हैं। वे अपने हिस्से के नकद संघटक के बराबर राशि देने के लिए तैयार हैं। इसलिए, अब यह आवश्यक है कि या तो वह राहत रोजगार कार्य जारी रखने के लिए खाद्यान्न भेजें, अन्यथा वह नकद राशि दे सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सविनय निवेदन है कि खाद्यान्न जारी करने के लिए सरकार को तत्काल आगे आना चाहिए ताकि गंभीर रूप से प्रभावित राज्य में राहत उपायों को जारी रखा जा सके।

महोदय, मानसून आने वाला है। उड़ीसा पूर्वी राज्यों की तरह है, जहां मानसून जल्दी आता है।

अध्यक्ष महोदय: इसे दोहराना अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।

अब श्रीमती सुमन महतो। उनके पास एक महत्वपूर्ण मामला है। कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अत:, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए। महोदय, वित्त मंत्री भी यहीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूं कि सम्पूर्ण झारखंड राज्य में, विशेषकर पूर्वी सिंहभूम के मानगो, करनडी, परसूडी, आदित्यपुर, बिरसा नगर औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति काफी खराब हो गई है। फलस्वरूप वहां की औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इसके कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में भी काफी परेशानी पैदा हो रही है। इससे पेयजल आपूर्ति पर भी गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। अत: जनहित में मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि झारखंड राज्य में तत्काल समुचित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में आप ही एकमात्र सदस्य नहीं हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, चूंकि पारा दिन-प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है और पेयजल की कमी होती जा रही है, इसलिए पानी की गुणवत्ता को कायम रखे बिना प्लास्टिक की बोतलों और पाउचों में बोतलबंद पेयजल बेचने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोगों के लिए बोतलबंद पानी को बढ़ावा देने के बजाय सभी को पानी उपलब्ध कराए जाने का प्रयास करना चाहिए।

आज, तथाकथित विश्व स्तरीय शहरों में बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हालिया रिपोर्टों में बताया गया है कि अमरीका के सैन फ्रांसिस्को में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है; शिकागो में इस पर कर लगाना शुरू कर दिया गया है और सीएटल में बोतलबंद पानी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सुनिश्चित साम्यपूर्ण वितरण करने और सभी के लिए सुगम बनाने हेतु पानी की समस्त मात्रा को बोतलबंद करने का विचार कर रही है। फलते-फूलते बोतलबंद जल उद्योग की इस प्रक्रिया पर जोर देने मात्र के लिए, अब यह नारा दिया जा रहा प्रतीत होता है कि हम काफी विकसित हैं। इसलिए क्या हमें सभी लोगों के लिए पानी की बजाय सभी के लिए बोतलबंद पानी की मांग करनी चाहिए। जब हम सभी लोगों के लिए पानी की मांग करते हैं, तो यह सार्वजनिक जल है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। बोतलबंद पानी का अर्थ जल प्रणाली का संचयन नहीं है। न ही समस्त बोतलबंद पानी स्वच्छ और सुरक्षित होता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करे। प्लास्टिक के उपयोग को भी हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे की जमीन भी कूड़े करकट से पट जाती है और जिसका हमारे पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, केवल प्रमाणित और स्वच्छ पेयजल का

विपणन किया जाए और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो अप्रामाणिक बोतलबंद पानी का विपणन कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार बोतलबंद जल उद्योग द्वारा पानी के व्यापक तौर पर कर्षण पर प्रतिबंध लगाए, जिससे एक्वा परत को नुकसान पहुंच रहा है, जिसे बहाल करना असंभव है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपको ज्ञात है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हजारों उद्योग हैं और देश के विभिन्न हिस्सों के कामगार यहां काम कर रहे हैं। यह कामकाज करने वाले लोगों के लिए जीविका कमाने का स्थान है। ज्यादातर फैक्ट्रियों में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जाता और कामगारों पर अनेक हमले होते रहते हैं। महंगाई के कारण भी वे भारी परेशानी में हैं। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही, वेतनभोगी, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने वाली है, किंतु कामगारों के वेतन में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसका संक्षेप में उल्लेख करें ताकि मैं अनुमति दे सकूं।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजारों कामगार कल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हड़ताल पर हैं। सीटू के नेतृत्व में दो दिन की हड़ताल जारी है और हजारों कामगार हड़ताल पर हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कामकाजी वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दे और सरकार कामकाजी वर्ग के हित में उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय: मैं 15 माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, मैं स्वयं को इस मामले से संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संबद्ध करें।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सर, मेरा संसदीय क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, उसको कंडी बोलते हैं। पिछले चार-पांच साल से, वहां वर्षा न होने की वजह से सूखे की स्थिति बनी हुई है। फसल को बचाने के लिए किसान अपने खेतों में सोते हैं, लेकिन जानवर फिर भी उनकी फसल तबाह कर देते हैं। एक तो गरीबी है, पानी नहीं है, वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण फसल खराब होती है और तीसरी बीमारी वहां यह हो गयी है कि किसानों की जमीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जाती हैं, उनमें स्पार्किंग होने के कारण फसल आग से खत्म हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सूखा, फायर और जानवरों के कारण जो फसल खराब होती है, उसे कंपनसेट करने के लिए कंडी एरिया को एक स्पेशल पैकेज दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे 35 नोटिस मिले हैं। मैं हर किसी को तत्काल नहीं बुला सकता। कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): धन्यवाद महोदय। मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय महत्व के इस मुद्दे को उठाना चाहती हूं। गत सप्ताह, मेरे राज्य हिमाचल प्रदेश में, चार से पांच दिनों तक ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से भारी बर्फबारी रही और भारी ओलावृष्टि हुई। किन्नौर, लाहौल स्पीति और तांगी भरमौर जनजातीय पट्टी में हल्की से भारी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र मंडी में किन्नौर, कुल्लू और अन्य क्षेत्रों में 20 और 25 सेंटीमीटर के बीच भारी बर्फबारी हुई। यह हर लिहाज से एक बेमौसम की शीत का दौर है।

अध्यक्ष महोदय: जलवायु परिवर्तन।

श्रीमती प्रतिभा सिंह: यह एक अप्रत्याशित स्थिति है, फल उत्पादकों और किसानों के लिए वहां यह बहुत ही असाधारण अप्रिय स्थिति है। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश "भारत का सेबों वाला राज्य" नाम से लोकप्रिय है और निकट भविष्य में इसका भारत के फ्रूट बाउल के रूप में उभरना सुनिश्चित है। किंतु इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण, फल उत्पादक और किसान इस स्थिति के बारे में चिंतित हैं और केंद्रीय सहायता की मांग कर रहे हैं।

हालांकि राज्य सरकार से अधिकारिक आंकड़े अभी नहीं आए हैं, तथापि 800 करोड़ रु. का नुकसान होने का अनुमान है, जो हाल ही में हुई इस ओलावृष्टि के कारण हुआ है। जैसा कि रिपोर्टों में कहा गया है, ओलावृष्टि ने प्रमुख रूप से सेब, आलूबुखारा, खूबानी, आड़ू और नाशपत्ती के फल उत्पादकों और यहां तक कि गेहूं और रबी की फसलों के उत्पादकों के साथ भी भयानक खिलवाड़ किया है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वह उन प्रभावित इलाकों में एक केन्द्रीय दल भेजें, जहां नुकसान हुआ है और प्रभावित फल उत्पादकों और किसानों को तत्काल कुछ राहत उपलब्ध कराई जाए।

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करती हूं कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के प्रभावित फल उत्पादकों और किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराए।

अध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री बोलेंगे। मैं समझता हूं कि यह आपके संसदीय क्षेत्र के बारे में है।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं आपका ध्यान और वित्त मंत्री का भी ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र के अनेक लोग पूंजी बाजार में धनराशि का निवेश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: उनमें से अनेक ऐसा करते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अनेक ऐसे छोटे निवेशक हैं, जो पूंजी बाजार में पैसा लगाते हैं। गुजरात में लोगों द्वारा पूंजी बाजार में धनराशि का निवेश किए जाने की परम्परा है।

किंतु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सेबी, जो कि पूंजी बाजार का विनियामक है, उसके केवल दक्षिण और पूर्व में ही क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कभी-कभार, पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों के समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं, जब आई.पी.ओ. जारी किया जाता है और कंपनी द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया जाता या बैंकों के साथ ऐसी समस्याएं हैं या अन्य ऐसे संबंधित मुद्दे हैं। इस प्रकार उनमें से अनेक लोगों को इस संबंध में अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए मुंबई स्थित मुख्यालय तक जाना पड़ता है।

मैं सरकार से, खासकर वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अहमदाबाद या गुजरात में सेबी का एक क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करें चूंकि पूंजी बाजार में धनराशि का एक बड़ा हिस्सा गुजरात से आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस पर एकाधिकार करना चाहते हैं। अगले सदस्य राम कृपाल यादव हैं। मैं देखूंगा कि कौन-कौन मुझे परेशान कर रहे हैं, और मैं उनको अंत में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, आप हमसे इतना नाराज क्यों रहते हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप यहां बैठेंगे, तभी आपको मालूम होगा।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत ही गंभीर तथा संवेदनशील मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस का एक विशेष बल 24 घंटे कार्यरत रहता है। इस बाल में शामिल पुलिसकर्मी अपने घर-परिवार से दूर सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और अपनी लागत का परिचय देते हुए, देश की जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस कार्य में वे अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। मैं सरकार की सराहना करूंगा कि वह पुलिसकर्मियों के त्याग को स्वीकारती है और उन्हें विशिष्ट सेवा पदक तथा सराहनीय सेवा पदक प्रदान करती है। मैं महसूस करता हूं कि उनकी लगन और त्याग के लिए दिए गए पदक उनके लिए प्रेरक और प्रोत्साहन के रूप में काम करते हैं, जिससे कि उनमें देश के प्रति जिम्मेदारी और त्याग की भावना बढ़ती है। परन्तु उनमें और जिम्मेदारी पैदा करने, निष्ठा बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि पदक के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशिष्ठ सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करे-

1. रेल यात्रा में उन्हें एक सहयोगी तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकूल में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करे।
2. हवाई यात्रा, निजी तथा सरकारी, सभी विमानों में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान करे।
3. टेलीफोन के किराये में छूट दे।
4. विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक धारकों को क्रमश: 750 रुपए और 450 रुपए की नगद राशि भुगतान करे तथा इन्हें आय कर में विशेष छूट प्रदान करे।

मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार मेरी अनुशंसाओं पर ध्यान दे और तत्काल कार्यवाही करे। दूसरी सेवाओं में मैडल प्राप्त करने वाले लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, केवल पुलिसकर्मियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि सरकार पहल करे और आवश्यक कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा मामला उठाया है। पुलिसकर्मी बहुत खुश हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): धन्यवाद महोदय। मैं संपूर्ण देश में न्यायालयों में कार्यरत विधि लिपिकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मैं, विशेषरूप से उच्चतम

न्यायालय में कार्य कर रहे विधि लिपिकों की समस्याओं की बात कर रहा हूं। उन्हें कोई सांविधिक पारिश्रमिक, बोनस लाभ, पेंशन लाभ एवं अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

कुछ राज्यों ने पहले ही इसके लिए कुछ विधान बनाया है और कुछ राज्यों में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मंत्री महोदय विधि लिपिकों की समस्या से भली-भांति परिचित हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विधि लिपिकों, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के विधि लिपिकों के कल्याण के लिए तुरंत एक नया विधान लाया जाये।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, हमारे देश में सहकारी आंदोलन का एक शताब्दी से भी पुराना इतिहास है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा था। बाद में, सहकारी क्षेत्र में छोटी बचतों को जुटा कर तथा वहनीय दरों पर ऋण उपलब्ध करा कर गरीबों व मध्यम वर्ग की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सहकारी बैंक भी सम्मिलित हो गये। सहकारी बैंकों ने ग्रामीण एवं अर्ध-ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को बैंकिंग सेवा प्रदान करने एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित अधिकांश समितियों ने इस सेवा की सराहना की है।

वास्तव में इन समितियों ने यह राय दी है कि सरकार को इन बैंकों को अतिरिक्त रियायतें देकर इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, भारत सरकार, विशेषकर वित्त मंत्री ने 2006 के बजट में धारा 80त के तहत प्राप्त छूट को वापिस लेकर सहकारी बैंकों को आय पर भारी आय कर लगा दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने उन्हें दशकों से प्राप्त छूट देने की बजाय उन पर भारी कर थोप दिया।

अध्यक्ष महोदय: डा. मनोज यह भाषण नहीं हो सकता है। आपने मामले का उल्लेख कर दिया है।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, जबकि बहुत बड़े कारपोरेट एवं साफ्टवेयर उद्योगों को अनेक छूट प्राप्त हैं तथा वे 19 प्रतिशत प्रभावी कर का भुगतान करते हैं, सहकारी बैंकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है तथा उन्हें आयकर का 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। इन बैंकों को एक और भेदभाव के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। अनुसूचित बैंकों की पांच वर्ष की अवधि की जमाराशियों को धारा 80ग के तहत आय कर में छूट प्राप्त होती है। सहकारी बैंकों की जमाराशियों के मामले में यह छूट उपलब्ध नहीं है। इससे इन बैंकों की जमाराशियां अन्य बैंकों में चली जायेंगी। जिससे सहकारी बैंक और अधिक कमजोर हो जायेंगे। इसलिए, मैं सरकार और माननीय वित्त मंत्री महोदय से धारा 80त के तहत सहकारी बैंकों को कर राहत व धारा 80ग के तहत सहकारी बैंकों की जमाराशियों पर भी छूट देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आज मैंने पांच की बजाय 23 माननीय सदस्यों को अवसर प्रदान किया है। यदि एक या दो सदस्य रह गए हैं तो वे दिवस के अंत में अपने मुद्दे उठा सकते हैं।

अपराह्न 12.52 बजे

वित्त विधेयक, 2008

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम कार्यसूची की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मद पर आते हैं और वह है मद संख्या 14—वित्त विधेयक, 2008।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इसके लिए आठ घंटे का समय आबंटित किया गया है। श्री स्वाईं मैं आपको टेलीविजन पर सुनूंगा।

अपराह्न 12.53 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, अध्यक्षपीठ पर आपका स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, चूंकि यह वित्त विधेयक है सर्वप्रथम मैं दो कराधान प्रस्तावों की बात करूंगा और उसके बाद व्यापक आर्थिक नीतियों की रूपरेखा पर बात करूंगा।

[श्री खारबेल स्वाईं]

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में कहा था कि लोग अनैतिक आय को गुमनाम अंशदान अर्थात् गुप्तनाम के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा कालेजों के निर्माण करने में उपयोग करते हैं जिन्हें वाणिज्यिक रूप से चलाया जाता है तथा धर्मार्थ संस्थाओं के माध्यम से इन प्रच्छन तरीकों को अपनाया जाता है इसलिए उन पर 30 प्रतिशत की दर से ठीक ही कर लगाया गया है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय वित्त मंत्री की मंशा नेक है। परंतु असली धर्मार्थ संस्थान भी हैं जो गोशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि चलाते हैं और जो इस प्रयोजनार्थ आम जनता से दान एकत्रित करते हैं। भारत में लोगों द्वारा गुप्तदान करने की परम्परा रही है। लोग बिना अपना नाम उजागर किए हुए दान देते हैं।

इस मामले में भी उस गुप्तदान पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है जो कि वास्तव में एक बहुत ही नेक और अच्छे कार्य के लिए एकत्रित किया जाता है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इन लोगों पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए। सरकार की यह मंशा होनी चाहिए कि वे अनाज को भूसी से अलग करे, अच्छे लोगों को गलत लोगों से अलग करे तथा बुरे और दोषी व्यक्तियों को दंडित करे और इसके साथ-साथ अच्छे लोगों को पुरस्कृत भी करे। अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह कोई तरीका निकाल कर उपयुक्त ढंग से कराधान कानून में संशोधन करें जिससे वास्तविक रूप से धर्मार्थ संगठन को दिए जाने वाले गुप्तदान गुमनाम अंशदानों को 30 प्रतिशत कराधान से छूट दी जा सके।

मेरा दूसरा मुद्दा सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम में ऐसे 400 छोटे व्यापारी है जो 100 वर्ष पूर्व भारत के विभिन्न भागों से इस राजसी राज्य में आकर बस गए थे और अब वे सिक्किम समाज की मुख्यधारा में घुल मिल गए हैं। मौजूदा वर्ष के बजट में भारतीय आयकर उपबंध केवल इन 400 प्रवासी परिवारों पर लागू किये गये हैं जबकि इन्हें अन्य सभी सिक्किम के लोगों पर लागू नहीं किया गया है। ये परिवार सिक्किम नागरिकता रजिस्टर में सूचीबद्ध सभी अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का लाभ सिक्किम नागरिकों के समान ही बिना किसी भेदभाव के पिछली एक शताब्दी से उठा रहे हैं। लेकिन 2008 के वर्तमान बजट प्रस्ताव में सिक्किम के लोगों को आयकर से छूट दी गई है जबकि प्रवासी लोग यह कर अदा करेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? यह केवल कुछ कर अदा करने का प्रश्न नहीं है। उनसे अब गैर-सिक्किम, बाहरी लोगों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। यदि वे केवल कर अदा करते रहे, तो कुछ समय बाद उन्हें बलपूर्वक सिक्किम से बाहर कर दिया जायेगा तथा उनके पास राज्य से बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। अतएव, माननीय वित्त मंत्री से मेरी अपील है कि 100 वर्ष पूर्व प्रवासी सिक्किमी सहित सभी सिक्किम वासी लोगों के लिए एक समान कानून हो। अतएव यदि आयकर अदा किया जाना है तो यह प्रत्येक द्वारा अदा किया जाये अथवा यदि छूट मिलती है तो इन 400 परिवारों को भी छूट मिलनी चाहिए।

मैं अब इस देश की वृहत आर्थिक नीति पर आता हूं जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान प्रस्तुत की थी। अब हम ऋण माफी योजना पर आते हैं। बजट भाषण के समय मैंने माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि उन्हें यह आंकड़ा कहां से मिला कि ऋण माफी योजना से चार करोड़ किसानों को लाभ मिला है तथा वे इस आंकड़े पर कैसे पहुंचे कि किसानों का 60,000 करोड़ रुपया माफ किया गया। बजट भाषण 29 फरवरी, 2008 को दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से देश भर के सभी बैंकों से विस्तृत विवरण मांगा कि कितने लोगों ने बैंकों, सहकारी समितियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कितना कर्ज लिया है।

अपराह्न 1.00 बजे

भारतीय रिजर्व बैंक को 20 मार्च, 2008 तक वित्त मंत्रालय को विस्तृत विवरण देने को कहा गया था। 29 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि चार करोड़ किसानों के ऋण माफ कर दिए गए है। उन्होंने यह भी कहा कि 60,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए हैं।

अब वे कहते हैं कि यह आगामी तीन वर्ष में माफ किया जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अगली सरकार पर भार डालने जा रहे हैं। जबकि ऋण माफ करने का सारा श्रेय यह सरकार ले रही है। वास्तव में भार अगली सरकार पर डाला जा रहा है। मुझे आशा है कि जब माननीय वित्त मंत्री जवाब देंगे, वे मेरे प्रश्न का उत्तर भी देंगे। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा तथा विभिन्न स्रोतों से मैं जानता हूं कि केवल 10,000 करोड़ रुपयों का ही इस वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है न कि 60,000 करोड़ रुपये का। बाकी धन अगली सरकार द्वारा अदा किया जायेगा। मुझे अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि श्री देवी लाल के समय में ऋण माफी आगामी दो वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू की गई थी। अतएव, इसे आगामी दो वर्षों तक हिस्सों में बांटा गया था। यह सरकार उसी का अनुसरण कर रही है।

जब हम गांव जाते हैं तो किसान हमारे पास आते हैं तथा कहते हैं कि वे पूरी तरह से भ्रमित हैं। वे कहते हैं कि सहकारी संस्था, जिसने उन्हें पैसा दिया था, वे कई तरह की बातें कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि किस तरह की ऋण माफी उन्हें दी जा रही है। वे कहते हैं कि चूंकि मैं संसद सदस्य हूं तथा संसद में बैठता हूं इसलिए इसे ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं। अतएव, आप हमें

आंकड़े दें तथा बताएं कि किस प्रकार की ऋण माफी यह होने जा रही है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मुझे सभी आंकड़े अधिकारियों से भी प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने हमें कहा कि वे विवरण निकाल रहे हैं तथा 30 जून तक ही, सब कुछ सब लोगों को पता चल पायेगा। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ऋण माफ कर दिया जायेगा। अब उन सभी किसानों का ऋण माफ किया जायेगा जिन्होंने 29 फरवरी, 2008 तक अपना बकाया अदा नहीं किया। लेकिन उन किसानों का क्या होगा जिन्होंने अपना बकाया आंशिक रूप से या पूरी तरह पहले ही अदा कर दिया? हमने यह सभी से पूछा। हमने माननीय वित्त मंत्री तथा अधिकारियों से भी पूछा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। एक दिन जब 'मूल्य-वृद्धि' पर बहस हो रही थी, हमने कृषि मंत्री से भी यह पूछा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे लोग जिन्होंने ऋण अदा कर दिया है- ईमानदार किसान-आंशिक रूप से या पूरी तरह, उन्हें दो प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अतएव, यही हम कर सकते हैं तथा इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। राष्ट्रपति शासन के पूर्व कर्नाटक में पिछली सरकार में मेरी पार्टी के श्री येदियूरिप्पा माननीय वित्त मंत्री थे। उन्होंने भी किसानों के लिए इसी प्रकार की ऋण माफी योजना शुरू की थी। उन्होंने वहां क्या किया? वे किसान जिन्होंने आंशिक या पूरी तरह ऋण अदा कर दिया था उन्हें वह पैसा लौटा दिया गया। यदि एक राज्य सरकार ऐसा कर सकती है तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? मैं माननीय वित्त मंत्री से ऐसा करने की अपील करता हूं। किसान भी हमसे ऐसी मांग कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या पैसे अदा करके उन्होंने गलती की? वे किसान जिन्होंने पैसा अदा नहीं किया वे लाभ उठा रहे हैं, तथा जिन्होंने पैसा अदा कर दिया तथा वे ईमानदार हैं, वे कोई लाभ नहीं उठाने जा रहे हैं। उन्हें दंड दिया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर विचार करने की अपील करता हूं। क्या यह भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उन ईमानदार किसानों को लाभ दिया जाये जो नियमित रूप से पैसे अदा करते रहे हैं? वे कहते हैं कि वे सहकारी समितियों को बचाते हैं। उन्होंने पैसा वापस किया इसलिए सहकारी समितियां जिंदा हैं।

अथवा कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरह यह बन्द हो जाती। इसलिए यह मेरा पहला प्रश्न है तथा जब माननीय वित्त मंत्री इस विधेयक पर बहस का उत्तर देते हैं तो इसका उत्तर दें कि वे उन किसानों के साथ क्या करेंगे जिन्होंने अपना पैसा पहले ही अदा कर दिया।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न अनुभव पर आधारित है जो मुझे मेरे क्षेत्र में हुआ। मान लें कि एक सहकारी समिति ने एक किसान को पांच वर्ष पूर्व 1000 रुपया ऋण दिया था। प्रत्येक वर्ष समिति के लोग आते हैं तथा किसान को केवल ब्याज की राशि अदा करने के लिए कहते हैं। वे ब्याज एकत्र कर लेते हैं मूलधन के रूप में पांच वर्ष पूर्व लिए गए 1000 रुपया के ऋण को ताजा ऋण दर्शाते हैं। अब माफी के नियम के अनुसार माननीय वित्त मंत्री के अनुसार वह ऋण है जो 31 मार्च 2007 के पूर्व लिया गया है, वह माफ किया जायेगा। लेकिन ये ऋण जो व्यावहारिक रूप से पुराने ऋण हैं लेकिन ताजे ऋण दिखाए जाते हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष ऋण पर ब्याज समितियों द्वारा ले लिया जाता है तथा मूलधन ताजा ऋण दर्शाया जाता है, को माफ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर में 31 मार्च, 2007 के बाद दर्ज किये गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार के व्यावहारिक पुराने ऋण माफ कर दिए जाने चाहिए। उन्हें इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

महोदय, व्यावसायिक बैंकों का उदाहरण लें। अनिवार्य प्रावधान है कि देश के सभी व्यावसायिक बैंक अपने कुल उधार का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को ग्रामीण साख दे। लेकिन यह अत्यन्त दुर्भाग्य है-नौ वर्ष तक मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य रहा हूं- कि यद्यपि हम वर्ष दर वर्ष समिति में यह बात कहते रहे हैं, ज्यादातर बैंक ग्रामीण साख के 18 प्रतिशत के अनिवार्य प्रावधान को पूरा करने आगे नहीं आ पाये हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से एक तिहाई ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जबकि अन्य बैंक इसको प्राप्त नहीं कर पाए। हम वित्त मंत्री से यह बात वर्ष दर वर्ष करते रहे हैं। यह सत्य है कि जब हमारा दल सत्ता में था तब भी कोई भी बैंक ग्रामीण साख के इस 18 प्रतिशत के प्रावधान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन वित्त मंत्री गत चार वर्षों के दौरान ग्रामीण साख को दोगुना करने का श्रेय ले रहे हैं। यदि ऐसा है तो सभी बैंक 18 प्रतिशत ग्रामीण साख के प्रावधान के लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सके हैं? वित्त मंत्री इन बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जो 18 प्रतिशत ग्रामीण साख देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके?

महोदय, मैं यहां एक और प्रासंगिक पहलू उठाना चाहूंगा तथा वह किसानों द्वारा आत्महत्या से संबंधित है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि उड़ीसा जैसे राज्य के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं तथा पंजाब जैसे राज्य के भी नहीं जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। अनाज उगाने वाले किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। गेहूं तथा चावल उगाने वाले किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा यहां तक कि कभी-कभी गुजरात के किसान जो बेहतर हैं आत्म हत्या कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? गरीब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हम वित्त मंत्री से वर्षों से फसल बीमा योजना शुरू करने की अपील कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से 100 करोड़ रुपयों की

[श्री खारबेल स्वाईं]

अल्पराशि केन्द्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के लिए आवंटित की गई थी। अब वह राशि बढ़ाकर 200 या 400 करोड़ रुपये कर दी गई है। फसल बीमा के लिए समूचे ब्लाक को एक इकाई के रूप में माना गया है।

यदि सारे ब्लाक में फसल बर्बाद होती है, जो कभी नहीं होता है, केवल तभी किसान फसल बीमा पाने के हकदार होंगे। अन्यथा, नहीं... किंतु क्या आप यह यकीन करेंगे कि समस्त ब्लॉक क्षेत्र में फसल बर्बाद होगी? क्या कभी ऐसा होता है? केवल मैंने ही नहीं सभा के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने कई बार यह तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत को एक इकाई माना जाए। पिछली बार भी हमने माननीय मंत्री जी से यह अपील की थी और उन्हें अपने उस बजट भाषण के बारे में याद होगा, उन्होंने यह कहा था कि प्रस्ताव योजना आयोग के पास गया है, योजना आयोग उसे देखेगा और संभवतया इसका उत्तर देगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछ रहा हूं कि फसल बीमा संबंधी उनके प्रस्ताव का क्या हुआ? यदि वे 60,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर सकते हैं तो वे फसल बीमा के रूप में 10,000 करोड़ रुपये क्यों नहीं दे सकते? ऐसा इसलिए है कि यदि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में किसी किसान की फसल बर्बाद होती है और यदि उसे फसल बीमा योजना से पर्याप्त मुआवजा मिलता है तो संभवतया वह आत्महत्या नहीं करेगा। वह आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने उत्पाद का दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील कर रहा हूं कि वे यह उत्तर दें कि हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ?

मैं, उन्हें यह बता दूं कि वे और उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इस बात का श्रेय लिया कि वे 60,000 करोड़ रुपये की एक ऋण माफी योजना ला रहे हैं। और उस दिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाई, हमने सोचा कि संभवतया हर चीज टूट जाएगी और उन्हें शासन हेतु अगला कार्यकाल भी मिल गया है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री विदर्भ गए और वहां पर उन्होंने एक विशाल पैकेज की घोषणा की। उसका क्या नतीजा निकला? जनवरी 2008 के बाद 316 किसानों ने आत्महत्या की और मराठवाड़ा में 40 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, में भी ऐसा ही हुआ और माननीय कृषि मंत्री जी की पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। पश्चिमी महाराष्ट्र, जो अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्र है, में 31 किसानों ने आत्महत्या की। उस क्षेत्र के एनजीओ ने कहा कि आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं क्योंकि आत्महत्या के सभी मामलों का पता नहीं चलता है। किंतु वहां की सरकार यह कहती है कि किसानों ने आत्महत्या तो की है किंतु यह कृषि संबंधी आत्महत्याएं नहीं हैं। ये आत्महत्याएं किन्हीं और कारणों से की गई हैं। माननीय वित्त मंत्री के विशाल पैकेज की घोषणा का यह परिणाम निकला। अब वित्त मंत्री यह बताएं कि क्या वे सफल हुए हैं या नहीं? क्या उनकी सरकार किसानों को आत्महत्या करने, जो हमारे देश की एक सबसे गंभीर बात है से रोकने में सफल रही।

ऐसा क्यों हुआ? लगभग 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। ये सभी वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं। सरकार को 85 मिलियन गैर-सिंचाई वाले क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र बनाना है। वे उसे कैसे बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने क्या किया? सरकार ने गत वर्ष एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की और योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। यह पिछले वर्ष हुआ था। गत वर्ष इस पर कितना धन खर्च किया गया? एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। अब सरकार ने यह वादा किया है कि ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण हेतु 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा और इस वर्ष अर्थात् 2008-09 के लिए 348 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण ने एक वर्षा सिंचित विकास योजना बनायी है और यह वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास करेगा। यदि हम यह कहें कि अगले 5 वर्षों में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास हेतु 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे तो 85 मिलियन हेक्टेयर गैर-सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग की सिंचाई की जाएगी? अगले 5 वर्षों में 2.6 प्रतिशत भाग की सिंचाई की जाएगी। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि यदि सरकार ऐसे ही काम करती रही तो 85 मिलियन हेक्टेयर को कवर करने में सरकार को 100 वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा। अत: सरकार ने यह योजना बनाई है और इस प्रकार देश और किसानों को फायदा होगा।

इस देश के लाखों लोगों में असंतोष पनपने का मुख्य कारण वर्षा सिंचित क्षेत्र की उपेक्षा करना है और इस देश में नक्सलवाद के पनपने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है। यदि वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाता तो तेल और अन्य पण्य वस्तुओं का आयात करने पर खर्च हो रही अत्यधिक धनराशि को बचाया जा सकता था। ऐसा मेरा मानना है और कृषि संबंधी स्थायी समिति ने भी यही कहा है। हमारे माननीय वित्त मंत्री अधिकांश समय आपूर्ति तंत्र और आपूर्ति प्रणाली के बारे में कहते हैं। आपूर्ति तंत्र ने इस सरकार को यह दिया है।

अब मैं अंतिम बात पर आता हूं तो राजकोषीय घाटे के बारे में है। राजकोषीय घाटे का मूल सिद्धान्त यह है कि सरकार को जितने ऋण की जरूरत है उससे अधिक ऋण लिया जाए। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम में निर्देश दिया गया है, उन क्षेत्रों में कुछ सुधार किए जाने की

जरूरत है जिनमें सरकार पर काफी वित्तीय बोझ है। इस सरकार की क्या प्रवृत्ति रही है? इस सरकार की प्रवृत्ति ऊंची जीडीपी वृद्धि और कर सुधारों के आधार पर राजस्व में वृद्धि करने की रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि गत तीन या चार वर्षों में कर में वृद्धि हुई है। राजस्व वसूली में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इससे हमारा सारा अतिरिक्त खर्च कवर हो गया है।

वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय बजट में, माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5 प्रतिशत होगा। यह एफआरबीएम अधिनियम द्वारा दी गई तीन प्रतिशत की शर्त से बेहतर है। एफआरबीएम अधिनियम में यह दिया गया है कि इस वर्ष तक राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत है। किंतु माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि इसे और घटाकर 2.5 प्रतिशत तक किया जाएगा। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं क्योंकि यह ऐसे तरीके से किया गया है, जिसमें सरकार और अधिक ऋण नहीं लेगी और समाज के विकास के लिए योजनागत व्यय हेतु और अधिक धन खर्च किया जा सकेगा। यह धन सामाजिक अवसंरचना में जाएगा। किंतु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह आंकड़े भारी न्यून प्राक्कलन है। मैं यह कहूंगा कि यह गणना संबंधी जादूगरी है क्योंकि ये बढ़ती उर्वरक और कृषि राजसहायता छुपे हुए खर्च हैं जिन्हें अगले कई वर्षों तक विलंबित रखा गया है। अत: आप पाएंगे कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित राजकोषीय घाटे संबंधी आंकड़े सही नहीं हैं। यहां तक कि वर्ष 2007-08 में राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 3.66 प्रतिशत था। इसमें ''बजट से इतर देयताएं'' भी शामिल हैं। मैं पुन: कह रहा हूं कि वे ''बजट से इतर देयताएं'' हैं। बजट आंकड़ों में इन देयताओं को नहीं दर्शाया गया है। तेल और उर्वरक पर राज सहायता ''बजट से इतर देयताएं'' हैं किंतु वास्तव में माननीय वित्त मंत्री ने यह दिखाया है कि गत वर्ष राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत था। किंतु वास्तव में यदि आप गत वर्ष दी गई उर्वरक और तेल संबंधी राजसहायता को लें तो यह 3.66 प्रतिशत होती है न कि 3.1 प्रतिशत जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है। माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष की उर्वरक राजसहायता 30,890 करोड़ रुपये बतायी है। किंतु अब उर्वरक मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपये की राजसहायता मांग रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्री श्री राम विलास पासवान ने इसकी मांग की है और वह इसलिए यह मांग कर रहे हैं क्योंकि विश्व बाजार में पेट्रोलियम या नेपथा और यूरिया की कीमतों में भारी उछाल आया है और गत वर्ष की देय राशि भी आगे ले जाई गई है।

फिर माननीय वित्त मंत्री यह जानते हैं कि तेल कंपनियों को बाजार से पैसे उठाने के लिए और अपने घाटे की भरपाई हेतु तेल बांड के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है इस बांड राशि का भुगतान अगली सरकार करेगी। उन्होंने जिम्मेदारी भी सभी भावी सरकारों पर लाद दी है। कृषि, उर्वरक और तेल क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तन के कारण काफी बदलाव हो रहा है। यह सच है। हालांकि राजसहायता का बोझ बढ़ रहा है, फिर भी इस वर्ष राजस्व वृद्धि उतनी अधिक नहीं होगी जितनी की पिछले वर्ष हुई थी। अब, किसी को भी यह आशा नहीं है कि इस वर्ष जीडीपी दर 9 प्रतिशत रहेगी। पिछले ही दिनों अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग क्रेसिल एजेंसी ने यह कहा है कि इस वर्ष जीडीपी वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रहेगी। जब जीडीपी वृद्धि दर नीचे जा रही हो तो राजस्व वसूली में भी कमी होगी। अत: राजस्व वसूली में कमी आएगी और राजसहायता में वृद्धि होगी। फिर हम कैसे यह उम्मीद करें कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखा जाएगा? इस वर्ष के बजट के अनुसार सकल कर राजस्व के बजट अनुमान में वित्त मंत्री के अनुसार 17.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। गत दो वर्षों में कर राजस्व में 28 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी और माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष 17.5 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण राजस्व की वृद्धि माननीय वित्त मंत्री द्वारा भी लगाये गए अनुमान से कम थी। यह 17.5 प्रतिशत वृद्धि तक नहीं पहुंच पायेगी जैसी कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा आशा की गई थी।

अब आगे उदाहरण लीजिए। माननीय वित्त मंत्री ने कई बार कहा कि इस देश में मुद्रास्फीति है तथा यह आपूर्ति की तरफ से बाधाओं के चलते है। यह मांग आपूर्ति के बीच बेमेल संबंध की वजह से है क्योंकि देश के लाखों भूखे व्यक्तियों को खिलाने के लिए खाद्यान्न का आयात बाहर से करना पड़ रहा है। अतएव क्या सरकार विदेश से उच्च लागत पर खाद्यान्न आयात करने में और ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं जा रही है? यह बजट में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री को भविष्य में भुगतान करना होगा। तत्पश्चात् इसमें आप कृषक माफी योजना के 60,000 करोड़ रुपये जोड़ें। इसका भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बजट के अंतिम दिन कृषक ऋण माफी को शामिल किया। अतएव, यहां तक कि हम उनसे सहमत हैं कि राजकोषीय घाटे में 0.5 प्रतिशत का प्रावधान है, बढ़ते खाद्य आयातों पर भविष्य की अदायगियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना पर राजसहायता तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जिसके अनुसार सरकार को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को और ज्यादा धन देना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसकी मांग करेंगे। महोदय, यदि वे इसमें सब चीजें शामिल करें, किसानों की ऋण माफी, छठे वेतन आयोग की भविष्य में वेतन तथा भत्तों में वृद्धि, खाद्यान्न आयात, आयात किये जाने वाले खाद्यान्न की अतिरिक्त लागत, निश्चित रूप से वे राजकोषीय घाटे को रोकने नहीं जा रहे हैं। अतएव, महोदय, यह सं.प्र.ग. सरकार अगली सरकार को एक कमजोर राजकोष सौंपने जा रही है।

[श्री खारबेल स्वाईं]

माननीय वित्त मंत्री ने अपने पहले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था प्राप्त की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि मुद्रास्फीति नियंत्रित थी, इस पर नियंत्रण था तथा मूल्यवृद्धि सुसाध्य थी। इस तरह, इन्होंने अपने बजट भाषण में पिछली सरकार की प्रशंसा की थी। मैंने वह सब पढ़ा जो उन्होंने स्वयं अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा। जबकि उन्होंने रा.ज.ग. सरकार से काफी अच्छी अर्थव्यवस्था प्राप्त की थी, वे अगली सरकार को उच्च मुद्रास्फीति तथा अधिक राजकोषीय घाटे वाली अर्थव्यवस्था सौंपने जा रहे हैं। अतएव, यह असफल सरकार है। यह सरकार सफल नहीं रही। यह इतने समय तक चली, इतने दिनों तक चलती रही क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली रा.ज.ग. सरकार ने काफी कठोर आर्थिक उपाय किए थे। इसकी असफलता के चलते, क्योंकि वाम मोर्चा इसे किसी प्रकार के आर्थिक सुधार करने की अनुमति नहीं दे रहा है, यह सरकार बुरी तरह विफल रही है।

अतएव, महोदय, यह सरकार विफल रही तथा अगली सरकार को संकट में डालने जा रही है। अतएव मैं अपील करता हूं कि जितनी जल्दी यह सरकार जाये, इस देश के लिए उतना ही बेहतर होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि आने वाली सरकार के वित्त मंत्री हमारे भाई स्वाईं जी होंगे। *...(व्यवधान)*

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, मेरा पिछले दिनों में कुछ सौभाग्य रहा है कि स्वाईं साहब के बोलने के बाद मुझे बार-बार बात करने का मौका मिल जाता है। आदरणीय मोहन सिंह जी ने स्वाईं साहब को निमंत्रण दिया है कि वे अगली सरकार में वित्त मंत्री बनें। हमारा सौभाग्य होगा कि ये कांग्रेस में आ जायें या आपके किसी दल में आ जायें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा कि हमारी तरफ से ये वित्त मंत्री बनें। वित्त मंत्री जी, स्वाईं साहब ने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले वित्त मंत्री को तोड़ना चाहते हैं?

श्री सन्दीप दीक्षित: नहीं, सर। इनके साथ अभी पलानीमानिक्कम जी हैं, पवन कुमार बंसल जी हैं तो मेरे ख्याल से एकाध सहयोगी इन्हें अगले पांच साल में और अवश्य मिलेगा।

वित्त मंत्री जी, आपने अपनी स्पीच के शुरूआत में एक लाइन कही थी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा। आपने कहा था कि

[अनुवाद]

"मैं एक सौभाग्यशाली वित्त मंत्री हूं।"

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी मैं आपसे थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं।

[अनुवाद]

मैं नहीं सोचता कि आप सौभाग्यशाली वित्त मंत्री हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आप एक कुशल वित्त मंत्री हैं,

[हिन्दी]

इन दोनों बातों में अन्तर है। लक तो मैं तब मानूं, सौभाग्य तो मैं आपका तब मानूं, जब तमाम चीजें, जो आपके देश की आर्थिक व्यवस्था के बाहर की हैं, वे भी आपको एक रूप में मदद करती चली जायें। आप जब वित्त मंत्री बने तो तेल के भावों के बारे में आपने बार-बार बात कही है। मैं उन आंकड़ों को यहां संसद के सामने कहूं कि उनकी हालत पहले क्या थी और आज क्या है, इसमें जमीन-आसमान का अन्तर है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो और मुख्य-मुख्य मुद्दे थे, चाहे उसको स्टील कहा जाये, चाहे उसको सीमेंट कहा जाये, उसकी तब स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है, इसमें तमाम अन्तर हैं।

जैसे कृषि के बारे में स्वाईं साहब बहुत तत्परता से कह रहे थे, बड़े जोश के साथ कह रहे थे, उसकी एन.डी.ए. सरकार ने क्या हालत कर दी थी और उनके 6 साल में हर वर्ष उस पर कितना पैसा व्यय किया गया, वह बात किसी से छिपी नहीं है। पांच साल पहले आपने कृषि में कितना पैसा दिया है, किन अलग-अलग मुद्दों पर उस पर आपने हमला बोला है, ये एक लकी फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं है, यह एक एफीसिएंट, एक डैडीकेटिड और मेरे ख्याल से एक ऐसे वित्त मंत्री की छाया है, जो वित्त मंत्री देश की समस्या को समझता है और देश की सरकार की हालत को के देखते हुए और देश की उनको जब सरकार मिली थी, उसको किस तरीके से किस मोड़ पर ले जाना चाहिए, उस वित्त मंत्री के दर्शन हमें आपमें मिले हैं। मैं आपका इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे टैक्स की रेवेन्यू जो 9.2 थी वह आज 12 या 12.5 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें दो चीजें सामने आती हैं। पिछली बार भी मुझे जब बजट पर बोलने का सौभाग्य मिला था तो मैंने इस बात को दोहराया था और आज इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं

कि यह दो चीजों को दर्शाता है। एक तरफ तो यह दर्शाता हे कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहो है, लेकिन इसके साथ-साथ दो और महत्वपूर्ण चीजों पर आदमी का ध्यान आकर्षित करता है। पहला इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि वित्त मंत्री जी के द्वारा जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स विभाग में चल रहा है, उसकी एफिसिएंसी बढ़ी है और उसके साथ-साथ देश के नागरिकों की जो इस सरकार में आस्था और विश्वास है, उसको भी यह दर्शाता है, क्योंकि हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता चला गया है। जब भी हिंदुस्तान में टैक्स में बढ़ोत्तरी होती थी, तो कोने-कोने से इंकम टैक्स के खिलाफ चीख-पुकार इस संसद में सुनाई पड़ती थी। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, कई बार अखबारों में पढ़ा करता था कि सांसद लोग बार-बार इस बारे में आकर कहते थे। इंकम टैक्स, एक्साइज या कस्टम को लेकर हाहाकार मचा करता था। आज उस तरीके का हाहाकार हमें इस देश में नहीं सुनाई पड़ता है। आज अगर हमारा टैक्स रेवेन्यू पिछले पांच-छः सालों में अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है, तो इसलिए क्योंकि वित्तमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसे कदम उठाए हैं और इतनी दर से बढ़ोत्तरी की है कि हर रूप में सरकार का खजाना एकदम बढ़ता चला गया है।

सरकार ने खजाने के बढ़ने के आंकड़े हम देखते हैं। अगर हम लोग वर्ष 2003-04 को देखें, तो शायद इसमें 252 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, जो आज बढ़कर 592 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज यह दोगुना से ज्यादा हो गया है। अगर 252 से 592 लाख करोड़ रुपए तक हम टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ायें, तो यह छोटी-मोटी बात नहीं है। इसी के बढ़ने के कारण हम शिक्षा के लिए आज ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा पैसे दे पा रहे हैं। पहली बार समग्र विकास के प्रति जो तीस हजार करोड़ रुपए वित्त मंत्री जी ने और आदरणीय शरद पवार जी ने खर्च किए हैं, वह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आज देश के फाइनेंस डिपार्टमेंट के तमाम जो टैक्स कलेक्शन के जरिए हैं, उन्होंने उसमें इस तरीके से प्रगति दिखायी है और आज हमारी सरकार के पास और वित्त मंत्री जी के पास वे हथियार हैं कि जब भी हमें अर्थव्यवस्था में कहीं कमजोरी दिखेगी, सरकार वहां लोगों के पक्ष में खड़ी होगी।

आप इरीगेशन की बात कर रहे थे। मैंने एनडीए सरकार के पांच साल में कभी इरीगेशन का शब्द भी वित्त मंत्री की स्पीच में नहीं सुना। पिछले साल से निरंतर वित्त मंत्री जी एक्सिलेरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और रेनफेड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हो सकता है, उसमें कुछ त्रुटियां हों, कहीं प्रशासन के द्वारा कुछ कार्य उस तेजी से न किए गए हों, लेकिन जिस तरीके से हमने कृषि के संबंध में बात कही और एक अभूतपूर्व चीज जो चार साल पहले राष्ट्रीय गारंटी योजना के रूप में आयी, उसका क्या प्रभाव इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यह तो आने वाला समय बतायेगा। जहां-जहां भी राज्य सरकारें, इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से कार्यान्वित कर रही हैं, उसका एक क्रांतिकारी प्रभाव हमारे गांवों में पड़ा है और हमारे इलाकों में पड़ा है। इसके छोटे-छोटे उदाहरण हैं। यह केवल एनआरईजीए की बात करने की बात नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री जी पर प्रहार किया गया था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कृषि व्यवस्था पर उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया, जो उनसे अपेक्षित है। मैं इस बारे में थोड़ा सा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं।

आज हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्यों में गांव हैं, जहां यह कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है। वहां आज किसान को दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि उसको पुरानी कीमतों पर लेबर नहीं मिलता है। वह क्यों नहीं मिलता है? ऐसा इसलिए कि आज लेबर को वह कीमत मिलने लगी है, जिस कीमत पर वह लेबर काम करना चाहता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसमें थोड़ा इंबैलेंस होगा, लेकिन बाद में फिर से वह बराबर हो जाएगी। इसके बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, जो इलाके में सामान्य दर है, वह अपने आप बढ़ते हुए मिनिमम वेजेज के आस-पास आ जाएगी। यह असंतुलन इस चीज को दिखाता है कि इस स्कीम का कितना असर वहां पड़ रहा है। मैं ग्रामीण विकास की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूं, स्थायी समिति का मेंबर हूं। मैं कई राज्यों में गया था, आज यहां मेरे साथी मेंबर भी बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा राज्य या जिला नहीं है, जिसने इस बात पर प्रतिक्रिया न की हो कि हां, हमारे यहां से माइग्रेशन किसी न किसी रूप में घटा है या कम से कम डिस्ट्रेस माइग्रेशन घटा है।

महोदय, आज कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जहां लोग यह न बताते हों कि जनता के बीच इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। अगर हमें बार-बार यह पेपरों और टीवी से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में त्रुटियां हैं, तो इसलिए क्योंकि जनसाधारण आगे निकलकर बार-बार डिमांड कर रहा है और जहां भी उसे इस कार्यक्रम में दिक्कत पड़ती है, वह खुले रूप में आकर अपनी बात बताता है।

वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी के निर्देश में यह जो कार्यक्रम किया गया, उसका अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो भी सरकार एक साल के बाद आएगी, उसे इसका पता चलेगा कि कितना कल्याणकारी कार्य इसके माध्यम से होगा। सर्व शिक्षा अभियान में पैसा बढ़ा है। जब इनकी सरकार थी, तब केवल दो हजार करोड़ रुपए दिया गया था और आज तेरह हजार करोड़ रुपए दिया जा रहा है। वह इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था का नियोजन बहुत सकुशल तरीके से किया है। अगर मिड-डे-मील को ग्यारह सौ

[श्री संदीप दीक्षित]

करोड़ रुपए की जगह आठ हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वह इसी का नतीजा है। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दूंगा। किसी वित्त मंत्री का सर्वप्रथम कर्त्तव्य क्या होता है, खासकर फाइनेंस बिल के द्वारा कि देश को जहां भी निवेश की आवश्यकता हो, वह उस तरीके से जो किसी की जेब में ज्यादा हाथ न डालें, गरीब को परेशान न करें, सामान्य वर्ग के व्यक्ति को दिक्कत न दें और फिर भी देश के सामने जो ज्यादा से ज्यादा आवश्यकतायें हैं, उनके लिए धन निकालकर प्रधानमंत्री जी के हवाले कर दें और तब आपको जहां भी इसका निवेश करना हो, देश की जनता के कल्याण के लिए, वे उस पैसे को दें।

वित्त मंत्री जी ने इस बात को निपुणता से पूरा किया है, मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 55 या 60 साल में शायद ही कोई वित्त मंत्री रहा होगा जिसने इस तरह का कार्य पूरा किया है। मैं एक वाक्य पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया, जिसे वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में बताया था। मैं उसे कोट भी करना चाहूंगा। वह ग्रास बजटरी सपोर्ट के बारे में है। उसमें शायद वित्त मंत्री जी ने एक जगह कहा है कि वे इस साल का ग्रास बजटरी सपोर्ट जो प्लान को दे रहे हैं, सरकार ने इनसे शायद 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये के करीब मांगे थे, लेकिन यह 2 लाख 43 हजार करोड़ रुपये के करीब ऐनुवल प्लान को दे रहे हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा। अभी तक हमारा जो अनुभव था, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थीं, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जितना मांगा जाता था, अंत में वित्त मंत्री सरकारों को उससे कम ही दे पाते थे। आज यदि वित्त मंत्री जी इस स्थिति में हैं कि जितना एनुवल प्लान में मांगा जा रहा है, चाहे योजना आयोग मांग रही हो चाहे सरकार मांग रही हो, ये उसमें 38 या 40 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दे पा रहे हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि अर्थव्यवस्था का नियोजन एक ऐसे तरीके से किया गया है जो संवेदनशील रही हो, जिसने देश की जरूरतों को पूरा किया हो और जिसने देश के लोगों की जेब में हाथ नहीं डाला हो, बल्कि उनसे उस रूप में मांगा हो कि देश के व्यक्ति ने बढ़-चढ़कर सरकार का खजाना पूरा किया है।

कुछ छोटी-मोटी चीजें हैं जिन्हें मैं जरूर कहना चाहूंगा। बजटरी सपोर्ट की फिगर्स मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि शायद 2 लाख 28 हजार करोड़ रुपये मांगे गए थे और वित्त मंत्री जी ने 2 लाख 43 हजार करोड़ रुपये सामने किए हैं। यही नहीं, लोग बार-बार कहते हैं कि वित्त मंत्री जी के बजट के बाद महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने के क्या कारण रहे हैं, महंगाई के पीछे का क्या इतिहास रहा है, आज से 5-6 दिन पहले इसी सदन में बहस हुई थी और वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात का जवाब दिया था। इस पर क्या असर होना चाहिए, सरकार को किस तरह कदम रखना चाहिए, राज्य सरकारों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। कुछ कांग्रेस सरकारों द्वारा अपने राज्यों में जो कदम उठाए गए हैं, आज उनका महंगाई पर जो असर हो रहा है, वह उन राज्यों में भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा महंगाई का हल्ला होने से पहले भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे, जिसका असर आने वाले समय पर पड़ेगा। जिसे सैनवेट ड्यूटी कहते हैं, वह शायद 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री जी ने मास कन्जमशन आइटम्स की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया था। जिन चीजों का कन्जमशन लोग बार-बार करते हैं, उन चीजों पर ड्यूटी घटाई गई है। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एक्रास दी बोर्ड घटाई गई है। इसका असर आने वाले समय में कहीं न कहीं महंगाई पर भी पड़ेगा। यह तब था जब इस तरह की महंगाई की पोलीटिकल चर्चा होती थी और वह चर्चा उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। यह इस बात को दर्शाता है कि चाहे समस्या हो या नहीं हो, वित्त मंत्री जी ने निरंतर जिस तरह से इस देश और यहां के वित्त विभाग को चलाया है, आम आदमी हमेशा उनकी नजर के सामने रहा है और उसके साथ, उसके लिए जो भी भरसक प्रयास हो सकता था, वह उन्होंने किया है। साथ ही देश को जो पैसे की आवश्यकता थी, उसमें वित्त मंत्रालय ने कहीं भी कम्प्रोमाइज नहीं किया है।

वित्त मंत्री जी, कुछ छोटी-मोटी चीजें हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने आपके बजट को ध्यान से पढ़ा है। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी को भी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता होती है। स्वाईं साहब ने जो 60 हजार करोड़ रुपये के लोन की बात की और उस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी, आप उस बात को बखूबी जरूर कहेंगे। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है, मैं जो शब्द इस्तेमाल करूंगा, यदि वह संसदीय नहीं है तो उसे हटा दीजिए। मेरे कई मित्र कहते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया में ओपोजिशन का जो रवैया है, वह ठीक नहीं है। लोन की स्कीम आने के बारे में वह उस तरह ज्यादा लगता है। 60 हजार करोड़ रुपये की स्कीम आई है। जो व्यक्ति लोन नहीं दे पा रहा था, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो अपने मन से भी नहीं दे पा रहे हों, उन्हें रिलीफ मिला है। सदन में इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई है और वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि किसी न किसी रूप में हम उस व्यक्ति की भी मदद करेंगे जिसने ईमानदारी से पैसे पे किए हैं। लेकिन उस क्षेत्र में इतना ज्यादा पैसा देना, जहां क्राइसिस दिख रही है, उस क्राइसिस को देखते हुए उस बीच छोटी-मोटी गलतियां निकालते रहना, मुझे यह खिसियाती हुई ओपोजीशन की प्रतिक्रिया दिखती है। कभी-कभी जब समस्या आती है, तो उसे सुधारने के लिए जब इमरजैंसी के रूप में कोई

कार्य करना होता है, उस समय छोटी-मोटी चीजें नहीं देखी जातीं। उस चीज की टोटैलिटी को देखा जाता है, उस चीज की समग्रता को देखा जाता है। वित्त मंत्री जी के पास कई सुझाव आएंगे कि इस तरह के लोन को इन्क्लूड कीजिए, नहीं कीजिए और मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी जिस तरह के हैं, वे उन सुझावों को जरूर स्वीकार करेंगे। इसमें किसी भी लेखा जोखा के कारण किसान पूरी बेनिफिट स्कीम से कम न रहें। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैं दिल्ली का सांसद हूं, इसलिए मैं मंत्री जी को रिक्वैस्ट करूंगा कि आपने स्माल कार पर ड्यूटी जरूर कम की है। मेरा आग्रह है कि आप स्माल कार पर ड्यूटी उस तेजी से कम न करें जिस तेजी से आप बसों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ड्यूटीज कम करते हैं। शहरों में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता है इसलिए वह सस्ता होना चाहिए। आप इकोनामी को जो सिग्नल अपने टैक्सेशन से देते हैं, उसमें कुछ सिग्नल्स जरूर जाने चाहिए कि इन्वायरमैंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, सीएनजी फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक सिग्नल दे रही है। अगर छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त पर आप थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाकर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, तो एक सिग्नल जरूर इस अर्थव्यवस्था में जायेगा जिसकी हर जगह गूंज होगी। लोग इस बात से अपनी बात को समझेंगे।

सर्विस टैक्स के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूं कि दो-तीन ऐसे वर्ग हैं जैसे डाक्टर्स या लायर्स हैं जिनको सर्विस टैक्स में नहीं लाया जाता। वित्त मंत्री खुद बहुत निपुण लायर हैं। हमारे स्पीकर साहब बहुत अच्छे लायर हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इन दोनों के प्रोफेशन्स के बारे में ज्यादा कुछ कह पाऊं या न कह पाऊं। लेकिन कम से कम कहीं न कहीं इनको अगर इस दायरे में लाने की बात सोची जाये, तो अच्छा होगा। मुझे वित्त विभाग से कुछ आंकड़े मिले हैं। आज हमारे पास 5.4 लाख सर्विस टैक्स पेयर्स हैं जिसमें 9 लाख कुल पंजीकृत हैं। हमें संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इस देश में जहां 55 प्रतिशत जीडीपी सर्विस से आती है वहां केवल पांच या साढ़े पांच लाख लोग ऐसे हैं, जो सर्विस टैक्स पे कर रहे हों, तो कहीं न कहीं इसमें दिक्कत दिखती है। वित्त मंत्री जी, आप दूसरे क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ें। सर्विस टैक्स का शायद मुझे ठीक आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन शायद 18 हजार करोड़ रुपये या 20 हजार करोड़ रुपये के करीब हमें सालाना पैसा मिल रहा है। अगर अच्छे तरीके से इस टैक्स को लगाया जाये, तो यह आंकड़ा 40 या 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी।

वित्त मंत्री जी आपने इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया है, उसके लिए मैं पूरे हिन्दुस्तान के नागरिकों की तरफ से, विशेषकर अपने दिल्ली के नागरिकों की तरफ से आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। आपने डेढ़ लाख रुपये तक सीमा बढ़ायी, उसके साथ-साथ आपने बहुत क्षेत्रों में और भी रिलीफ दिया है। मैं इसमें एक चीज चाहता हूं कि जो कारपोरेट टैक्स है, उसमें अभी भी रिलीफ्स बहुत ज्यादा हैं। आप बार-बार इस बात को कह भी रहे हैं, आपने संसद में भी कहा है और बाहर भी कई जगहों पर कहा है कि जो एक्चुअल रेट आफ रिएलाइजेशन है, वह शायद 18, 19 या 19.5 परसेंट के आसपास है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अच्छे देशों को देखा जाये, तो वहां शायद 25, 26 या 27 प्रतिशत के करीब है। इस बात को जरूर बढ़ाना पड़ेगा। मैं बार-बार जब बजट की डिबेट देखता था, तो तमाम इंडस्ट्रीज के बैनरस और सीईओज थे, वे बैठकर एक लाइन में बार-बार बात करते थे कि कहां और रिलीफ मिलना चाहिए। हम पर कितना इनकम टैक्स का भार है, लेकिन इस बात को कोई सार्वजनिक स्तर पर नहीं कहता कि जहां हमें 33 परसेंट देना चाहिए वहां हम केवल 18, 19 या साढ़े 19 परसेंट देते हैं। इसमें त्रुटियां हटायी जायें। मैं मानता हूं कि आपको किसी न किसी इंडस्ट्रीज या क्षेत्र की छोटी-मोटी मदद करनी चाहिए जहां आवश्यकता हो। लेकिन वह सात-आठ परसेंट जो हम उनसे और ले सकते हैं, उसमें थोड़ा प्रभावी रूप से अगर आप और बल देंगे, मुझे मालूम है कि संसद से आपको पूर्ण सहयोग और सहायता मिलेगी।

एक आध छोटी चीजें हैं। मैंने पिछली बार भी वित्त मंत्री जी से निवेदन किया था। अब मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा। वैसे हम फैमिली प्लानिंग या स्माल फैमिली नार्म पर आजकल राजनीतिक रूप में चुप ही रहते हैं लेकिन कम से कम इनकम टैक्स के क्षेत्र में वन चाइल्ड या टू चाइल्ड फैमिली को अगर आप कोई कन्सेशन दे सकें, तो एक सिग्नल जरूर इस देश में जायेगा। विशेषकर उन परिवारों में जहां एक या दो बेटियां हैं। अगर आप कहीं न कहीं उन लोगों को थोड़ा भी सिग्नल इनकम टैक्स के द्वारा दे सकते हैं, तो इस देश के लोगों को पता चलेगा कि जिन व्यक्तियों के पास छोटे परिवार हैं या जिनके घर में केवल बेटियां हैं, उनका स्वागत, उनका भी सम्मान यह सरकार करती है। इसे हम इनकम टैक्स के रूप में कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं रेवेन्यू लास भी बहुत ज्यादा होगा। यह मेरा छोटा सा आपसे एक निवेदन था।

मैं टीडीएस को लेकर एक और निवेदन करना चाहता हूं। टीडीएस का सिस्टम आपने चार-पांच साल पहले बनाया है। उस समय कुछ त्रुटियां रहीं और कुछ संस्थाएं ठीक से पैसे का पेमेंट नहीं कर पायीं। उनको भी आप ज्यादा पनिश करें, डबल पनिशमैंट न करें, तो ठीक है। लेकिन एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, कम से कम दिल्ली में बहुत से लोगों ने मुझसे आकर कहा कि जब वे किसी बड़े संगठन या संस्था से व्यापार करते हैं और उनको पेमेंट टीडीएस कटकर मिलती है, तो उसके बाद वे बेचारे

[श्री संदीप दीक्षित]

पूरे साल भागते-फिरते हैं लेकिन उन्हें छोटे-मोटे टीडीएस सर्टीफिकेट नहीं मिल पाते हैं।

बड़े संगठन, बड़ी संस्थाएं इनकम टैक्स अधिकारियों के साथी सीएएस और लायर्स के माध्यम से अपना लेखा-जोखा बराबर कर लेती हैं, लेकिन छोटे व्यवसायियों को इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर इस टीडीएस रूल में कहीं ऐसा लचीलापन आप ला सकें जिससे ऐसे व्यवसायियों को कुछ मदद मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं क्राप इंश्योरेंस के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि स्वाईं साहब ने कहा कि क्राप इंश्योरेंस स्कीम में ब्लाक को यूनिट न मानकर अगर हम ग्राम पंचायतों को यूनिट मानें तो ज्यादा स्वीकार्य कदम होगा। कुछ राज्यों ने इसकी कोशिश भी की है। जहां दिक्कत होती थी जिसमें पूरे ब्लाक को ड्राउट अफेक्टेड घोषित किया जाता था। ऐसे राज्यों ने यह प्रयोग किया कि ग्राम पंचायतों को या उससे छोटे हिस्से को इसके लिए एक यूनिट मान लिया जाए। क्या इस प्रणाली को इस्तेमाल करते हुए हम इसे क्राप इंश्योरेंस स्कीम में ला सकते हैं? अगर हम ऐसा कर सके तो यह किसानों के लिए अत्यंत कल्याणकारी कदम हो सकता है। हमारी इंश्योरेंस की संस्थाएं हैं, चाहे हमारे वामपंथी मित्र मानें या नहीं, लेकिन जो सरकारी इंश्योरेंस संस्थाएं हैं, वे भी अपने क्रियान्वयन में उतनी ही दोषी हैं, जितनी कि अन्य संस्थाएं हैं। चाहे यह हैल्थ इंश्योरेंस की बात हो, एनिमल इंश्योरेंस की बात हो या फिर क्राप इंश्योरेंस की बात हो, ग्रामीण इलाकों में इनका रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब किसी के यहां कोई छोटा जानवर मर जाता है, अगर उसका इंश्योरेंस रहता है, तो उसके लिए क्लेम पाने में उसे उस जानवर की कीमत से ज्यादा पैसा भाग-दौड़ में खर्च करना पड़ता है।

श्री खारबेल स्वाईं: यह क्राप इंश्योरेंस इंश्योरेंस जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें सरकारी सब्सिडी को बांटा जाता है, उसमें इंश्योरेंस जैसा कुछ नहीं होता है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री यह जानते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: आपने अपने भाषण में जो कहा वह संतुलित बयान था। मैं उत्तर दूंगा। लेकिन यह ठीक नहीं है। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। सं.प्र.ग. सरकार ने रा.ज.ग. सरकार से प्राप्त फसल बीमा योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हम एक परिवर्तन करना चाहते हैं। इस ब्लाक से छोटी इकाई के तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसका क्रियान्वयन करने में काफी कठिनाइयां हैं। इन पर कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच चर्चा हो रही है। मैंने बार-बार कहा है कि यदि एक संशोधित योजना आती है, तो निश्चित रूप से सरकार उसका वित्तपोषण करेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि कृषि बीमा निगम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि मंत्रालय योजना आयोग के विशेषज्ञों के साथ चर्चा में व्यस्त है। जब मुझे एक संशोधित योजना प्राप्त होती है, जैसाकि मैंने कहा हम इसका वित्तपोषण करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रा.ज.ग. सरकार के अंतर्गत क्रियान्वयन की गई फसल बीमा योजना में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

श्री खारबेल स्वाईं: हां, महोदय, मैं सहमत हूं। मैं नहीं कहता कि कोई परिवर्तन किया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम: तब आप आरोप क्यों लगा रहे हैं?

श्री खारबेल स्वाईं: हमारी सरकार में भी, यह वैसे ही थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: हम भरसक कोशिश कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने केवल जानकारी दी थी कि वे बराबरी नहीं करें।

श्री पी. चिदम्बरम: एक दूसरी गलती आपने तब की जब आपने कहा कि हम केवल 300 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम इस वर्ष 644 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: ठीक है, महोदय।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: स्वाईं साहब, मैं इंश्योरेंस कंपनीज की एफिशिएंसी के बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इंश्योरेंस का कोई भी काम हो, इसका हम फील्ड में जो अनुभव देखते हैं वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें आपकी ओर से जो भी आवश्यकता पड़े, उसे करें क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इनक्लूजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इनक्लूजन केवल बैंकिंग तक नहीं रुकती है, इंश्योरेंस इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस देने में चाहे वह स्कीम द्वारा हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभाव द्वारा हो, इंश्योरेंस देने का काम तो करती हैं, लेकिन जब कोई कैलेमिटी होती है, तब इंश्योरेंस कंपनियों का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का बजट पेश किया है, अर्थव्यवस्था का नियोजन किया है, सरकार के खजाने में जिस तरह से पैसा लाए हैं उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। स्वाईं जी ने जो बात कही है कि क्या सरकार इस साल भी उसी तरह से पैसे इकट्ठा कर पाएगी जो उसका अनुमान है, क्या उसी प्रकार से डेफिसिट को कम रख पाएगी जो उसका अनुमान है, क्या उसी तरीके से उसका खजाना भरा रहेगा जो उसने अनुमान किया है, तो मैं इतना जरूर

आश्वासन देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी के बारे में मेरा जो अनुभव रहा है कि साल दर साल उनके अपने अनुमानों से ज्यादा पैसा आया है, जितना डेफिसिट उन्होंने समझा, उससे कम डेफिसिट रहा है, इस साल भी उनको वही प्रतिक्रिया मिलेगी। इस साल के अंत में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले वित्त मंत्री जी को एक और वोट आन एकाउण्ट लाने का मौका मिलेगा, उस समय भी सरकार की प्रोग्रेस देखने का मौका आपको मिलेगा। इसी के साथ वित्त मंत्री जी आज एक समस्या महंगाई के रूप में हमारे सामने आई है।

आपने जिस प्रभावी रूप में डिबेट में इंटरवीन करके बताया कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब वे कदम आप उठाएं, तो उनकी दुंदुभि जरूर बजाएं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। इससे लोगों में ट्रस्ट आएगा और उनके मन में कांफिडेंस पैदा होगा कि जब भी यह सरकार कुछ कहती है, तो वह अपनी बात पर कायम रहकर उसे करती भी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, हम बजट सत्र के अन्तिम चरण में हैं और बजटीय प्रक्रिया के भिन्न पहलूओं को पूरा करते हुए वित्त विधेयक को पारित करने जा रहे हैं। आम चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी जो सरकार के समग्र दृष्टिकोण में निहित कमियों के बारे में थी। मैंने टिप्पणी की थी कि यहां पर मुख्य बाधा माननीय वित्त मंत्री जी की वह सोच है जिसका आधार ऐसी नयी उदारीकृत आर्थिक नीतियां हैं जिन्हें वह भारत में लागू करने पर आमादा हैं। जिसके प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में हुए भिन्न-भिन्न चुनावों के परिणामों में दिखाई दे रहे हैं।

हमने सरकार को राजी करने का प्रयास किया है कि उन्हें विपक्ष में बैठे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए जिन्होंने "भारत उदय" का नारा दिया था जबकि भारत के 82 प्रतिशत लोग दु:खी थे और उसका परिणाम आपने देख ही लिया है कि यूपीए सरकार सत्ता में आई गई और एनडीए सरकार को सत्ता से हटा कर इतिहास की गर्द में डाल दिया गया है।

हमने कुछ ठोस सुझाव दिए थे हमें प्रसन्नता है कि उनमें से कुछ एक पर गौर किया गया है। हमें निराशा हुई है कि सरकार को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर अभी समुचित ध्यान दिया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए ज्वलन्त मामला मुद्रास्फीति का है। मैं उपायों में पाई गई कमियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं और क्या सरकार ने उपकर को बढ़ाने के लिए किसी समिति को गठित किया है और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई किस प्रकार इससे सम्बद्ध नहीं है और क्या इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है जबकि यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद 55 प्रतिशत से अधिक है। वह एक अलग मुद्दा है।

मेरा कहना है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने मूल्य वृद्धि विशेषकर आवश्यक वस्तुओं, खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि पर सार्थक चर्चा की है और सरकार बार-बार दो ही चीजें दोहरा रही है पहला कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना है कि संयुक्त राज्य अमरीका और जापान में भी खाद्य राशनिंग की बात की जाती है और इसका मुख्य कारण कृषि भूमि का जैव ईंधन आदि अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है।

एक दिन मैं 'न्यूयार्क टाइम्स' में एक लेख पढ़ रहा था जिसमें यह कहा गया था कि संपूर्ण घटनाक्रम में एकमात्र अपराधी सट्टेबाजीपूर्ण कारोबार है। अगर रुपए में इसकी गणना की जाए तो प्रतिदिन सट्टा बाजार में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश एवं उपयोग किया जा रहा है। अगर औसतन आप इसकी गणना करेंगे तो यह हमारे वार्षिक बजट के आठ गुणा से अधिक है।

आखिरकार, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से अलग नहीं है। हमने देखा है कि किस प्रकार सब-प्राइम संकट प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार खाद्य संकट प्रभावित कर रहा है, आदि। इसलिए सरकार यह कह रही है कि खाद्य संकट, मुद्रास्फीति, आदि अंतर्राष्ट्रीय घटना है। यह एक पुरानी कहानी है। जब कभी कोई कठिनाई हुई, इसे अंतर्राष्ट्रीय घटना के रूप में लिया गया। आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय घटना माना गया; प्रदूषण को अंतर्राष्ट्रीय घटना माना जाता है। आज अगर आप कहते हैं कि अच्छी वर्षा हुई है तो आप इससे बच नहीं सकते आदि। कल ही अग्रिम अनुमानों में यह बताया गया कि यह लगभग 227 मिलियन अथवा कुछ अधिक होगा। यह अच्छा लाभ है। स्वाभाविक रूप से उम्मीद यह है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, लेकिन हम अभी भी यह देख रहे हैं कि कीमतें कम नहीं हुई हैं।

हम बार-बार यह कहते रहे हैं कि लघु संसद अर्थात् खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने एकमत से सिफारिश की थी। उन्होंने कहा है कि 25 ऐसी मदें हैं जिनका कारोबार कमोडिटी बाजार में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे कह रहे हैं कि अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया है और अभिजीत सेन समिति ने इस पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने केवल यह कहा है कि तूर, गेहूं, चावल, आदि के संबंध में प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारी समस्याओं के बारे में समिति को कोई ठोस संदर्भ नहीं दिया गया था। अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो

[श्री रूपचंद पाल]

मुझे खुशी होगी अगर मेरी बात को सुधारा जाए। यह रिपोर्ट उपलब्ध है। अभिजीत सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट तीन महीने पहले प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन यह सरकार ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, यह सही नहीं है।

श्री रूपचंद पाल: आप इससे इंकार कर सकते हैं, और मैं गलत हो सकता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह गलत है।

श्री रूपचंद पाल: मेरी बात को सुधारा जा सकता है, लेकिन यह दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है कि यह सट्टेबाजीपूर्ण कारोबार है। मैं माननीय वित्त मंत्री की उस बात से पूरी तरह सहमत हूं जिसमें उन्होंने दिल्ली में स्थिति का उल्लेख किया है कि व्यापारी यह कर रहे हैं कि वे और अधिक माल नहीं उठाएंगे और हमें बाजार में ज्यादा योगदान करना चाहिए और उन्हें कुछ राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त है ...*(व्यवधान)* मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सट्टेबाजी, जमाखोरी, कालाबाजारी राज्य सूची के विषय हैं, और इसमें राज्य सरकारों की भूमिका है। केंद्र सरकार हमेशा यह कहनी रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को लघु संसद की एकमत से की गई इस विशेष सिफारिश के बारे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये 24 कृषि एवं खाद्य मदें हैं जिन्हें कमोडिटी एक्सचेंज के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम बार-बार यह कह रहे हैं कि इस सरकार की तेल के मूल्य निर्धारण के कारण जटिल मूल्य स्थिति और बदतर हो रही है। यहां भी ऐसा नहीं है कि केवल सी.पी.आई.(एम.) ऐसा कह रही है अथवा वाम दलों का एक भाग ऐसा कह रहा है। मेरे पास स्थायी समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रति है। मैं लघु संसद की रिपोर्ट पर निर्भर कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने काफी संग्रह किया था अर्थात् राजस्व के रूप मे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक संग्रह किया है और सरकार को और संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। हमने लिखा है कि सीमाशुल्क शून्य होना चाहिए और उत्पाद शुल्क में वृद्धि किए जाने के स्थान पर इसमें और कमी की जानी चाहिए और यह मूल्यानुसार होने की बजाय विशिष्ट होना चाहिए। तेल क्षेत्र को दुधारू गाय नहीं माना जाना चाहिए। यह हमारी सोच है और इस समिति का भी यह मानना है जिसकी सिफारिश इसने सर्वसम्मति से की है। यह चौदहवीं लोक सभा की स्थायी समिति, लोक सभा सचिवालय की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट 'पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यनिर्धारण' पर है। यह सरकार कहती है कि हम काफी हद तक स्थायी समिति की, विशेषकर, सर्वसम्मत सिफारिशों पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे बार-बार यह पूछ रहे हैं कि आप इसे क्यों नहीं सुन रहे हैं क्योंकि इसका बाजार पर संतुलनकारी प्रभाव पड़ सकता है, अर्थात् अगर आप सीमाशुल्क से संबंधित इस विशेष मुद्दे का समाधान करते हैं।

जहां तक उत्पाद शुल्क मुद्दे का संबंध है, वहां भी कुछ स्वागतयोग्य उपाय हैं। उदाहरणार्थ, हम यह मांग करते रहे हैं कि आवश्यक दवाओं पर उत्पाद शुल्क में कमी की जानी चाहिए और हमें खुशी है कि यह किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक-दो मामलों में जन हित के मुद्दों पर हमारी मांगों का भी समाधान किया गया है।

अपराह्न 2.00 बजे

सेनवैट में कटौती एक स्वागतयोग्य उपाय है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सरकार द्वारा स्थिति पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का यह मानना है कि वैट को लागू किए जाने के पश्चात् राज्यों के पास काफी राजस्व इकट्ठा हो गया है। ऐसी स्थिति नहीं है। राज्य सरकारों की अपनी समस्याएं हैं। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी क्रियान्वित नहीं की गई है। हम जानते हैं कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के पश्चात् क्या हुआ था। कुछ राज्य तो दिवालिया हो गए थे और वे अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर सकते थे। अत:, स्वाभाविक रूप से हम यह कह रहे हैं कि आपके बजट में पारदर्शिता का अभाव है।

सब्सिडी तथा उधार जैसी कई महत्वपूर्ण मदें बजट में शामिल नहीं की गई हैं। अनियंत्रित उधार तथा ब्याज भुगतान एक जटिल क्षेत्र है, मैं इस पर यह टिप्पणी कर चुका हूं कि सरकार ने ऋण माफी के बारे में क्या किया है और इसलिए मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। पूरक बजट में केवल 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा यह कहा गया है कि शेष राशि का प्रावधान वर्ष-दर-वर्ष चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा जो अगले आम चुनाव के पश्चात् भी जारी रहेगा। लोगों को सरकारी उधार के बारे में जानकारी नहीं है। जब भी सरकार मुसीबत में पड़ती है, यह उधार लेती है।

अगर आप बजट के विभिन्न संघटकों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसका 75 प्रतिशत भाग पूर्व-निर्धारित होता है। इसमें युक्तिचालन की शायद ही कोई गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में कुछ आधारभूत मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना

चाहिए। हम दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन सरकार अडिग है और यह कह रही है कि इसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके कुछ मित्र काफी दु:खी होंगे। हम इस पर जोर देते रहे हैं और सरकार भी इससे सहमत है। हम मारीशस के साथ दोहरे कराधान की परिहार संधि के बारे में स्थिति जानते हैं। मैं शेयर बाजार घोटाला समिति का सदस्य रहा हूं। मुझे वह सिफारिश याद है। हमने इस पर साक्ष्य लिया था। हमें यह बताया गया था मारीशस के साथ दोहरी कराधान परिहार संधि के माध्यम से हमारा पैसा हमारे पास वापस आ रहा है और हमारा स्वयं का पैसा वापस आ रहा है लेकिन इस पर किसी कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

आपने यह नोट किया होगा कि हमारे अरबपति आम लोगों की तुलना में कम कर का भुगतान कर रहे हैं। हमारे यहां 55 अरबपति हैं जिसका अर्थ यह है कि उनके पास 4,000 करोड़ रुपए हैं। वे कम कर का भुगतान कर रहे हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति तथा अनिवासी भारतीय जैसे लोग भी हैं। हमारे पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। मैं आज की तिथि के अनुसार यथार्थ आंकड़े नहीं जानता हूं लेकिन यह 311 बिलियन अथवा इससे अधिक हो सकता है। इसका क्या होगा? हम अमेरिकी राजकोष की मदद उनके संकट के समय कर रहे हैं। हमारे अपने वरिष्ठ नागरिक अपना पैसा लगा रहे हैं। एक बार तो उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए उत्साहित किया गया था जहां उन्हें भारी नुकसान हुआ और फिर उन्हें यहां-वहां पैसा लगाने के लिए कहा जाता है और उन पर भारी कर लगाया जाता है। मुझे खुशी है कि कम से कम वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के लिए वैयक्तिक आय कर की सीमा बढ़ाई गई है जो कि स्वागतयोग्य कदम है। उच्च मुद्रास्फीति के इन दिनों में पेंशनभोगी, वरिष्ठ नागरिक, महिला, आम आदमी जैसे समूह कठिनाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन, अरबपति लोग अपने करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही हैं। मैंने काफी पहले एक प्रश्न पूछा था। मैंने बार-बार संभवत: चार बार यह जानने का प्रयास किया था कि हमारे देश में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपने वार्षिक आयकर विवरणी में यह उल्लेख करते हैं कि उनकी वार्षिक आमदनी 10 लाख रुपए से अधिक है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री रूपचंद पाल: आपने बार-बार उत्तर दिया है और मैं बार-बार यह प्रश्न पूछता रहा हूं क्योंकि जिस व्यक्ति में लेशमात्र भी विवेक होगा वह इस उत्तर को स्वीकार नहीं करेगा।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इस बात से सहमत हूं कि यह संख्या कम है लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस सरकार के आने के बाद इस संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और हम ज्यादा से ज्यादा कर एकत्रित कर रहे हैं एवं आज और अधिक संख्या में लोग 10 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा कर रहे हैं? यह संख्या अब भी काफी कम है लेकिन मैंने पिछले चार वर्षों में प्रयास किए हैं और इस संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जब मैं चर्चा का उत्तर दूंगा तब मैं आपको सही संख्या बता दूंगा।

श्री रूपचंद पाल: मुझे मालूम है कि हम जैसे लोगों की बात को दोहराने से कम से कम कुछ परिणाम तो निकलते हैं। मैं कह सकता हूं कि कम से कम इससे कुछ परिणाम निकला है। लेकिन यदि आप किसी होटल में किए जा रहे एक रात के व्यय पर गौर करेंगे तो एक होटल में किसी विवाह पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। सरकार कहती है कि उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है और न ही वाणिज्यिक आसूचना तंत्र है।

पैन (स्थायी खाता संख्या) शुरू किए जाने के बाद और पैन (स्थायी खाता संख्या) के उपयोग ...

श्री पी. चिदम्बरम: क्योंकि अब मेरे पास ये संख्या उपलब्ध है, मैं आपको ये संख्या बताता हूं। महोदय जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो उस समय 10 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा करने वाले लोगों की संख्या 97,412 थी और जैसाकि मैंने कहा था कि यह संख्या एक लाख से कम है। वर्ष 2007-08 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन कर निर्धारण वर्ष 2006-07 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2005-06 में अब यह संख्या 1,77,051 हो गई है। वर्ष 2007-08, कर निर्धारण वर्ष 2008-09 में मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस संख्या में और वृद्धि होगी। इसलिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसका हमारे प्रयासों से कोई सरोकार नहीं है बल्कि ऐसा श्री रूपचन्द पाल और उनकी टीम के प्रयासों से ही संभव हो पाया है।

श्री रूपचन्द पाल: मैंने ऐसा नहीं कहा है। हम इसे माननीय वित्त मंत्री और उनकी टीम की सफलता मानते हैं लेकिन यदि अच्छाई आप ले रहे हैं तो आप बुराई के भी हकदार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप भाग्यशाली हैं। आय कम थी।

श्री पी. चिदम्बरम: आय कम थी क्योंकि आपकी सरकार की वृद्धि दर भी कम थी। यही कारण था। पांच वर्षों में वृद्धि दर की औसत 5.3 प्रतिशत थी। छह वर्षों में वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी और आय कम थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में औसत वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत है, आय अधिक है इसलिए कर भी अधिक है।

श्री खारबेल स्वाईं: आपने स्वयं कहा है कि आपको विरासत में बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था मिली थी। आप देख सकते हैं कि आपके उत्तराधिकारी क्या करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे उत्तराधिकारी भी कांग्रेस पार्टी के होंगे।

श्री रूपचन्द पाल: मैं माननीय वित्त मंत्री को एक अन्य मुद्दे अर्थात् आज अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों के अधिक होने के संबंध में भी बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। अप्रत्यक्ष करों से गरीबों और आम आदमी को नुकसान होता है। वे अपनी सीमाओं में रहकर हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। पहली सीमा सोच और मोह है। दूसरी सीमा है उनकी टीम है। इस बात पर आता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: दूसरी सीमा सोच है और पहली सीमा है श्री रूपचन्द पाल।

उपाध्यक्ष महोदय: ये तो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: मैं इस पर बाद में आऊंगा। सरकार कर प्रशासन में सुधार करने का प्रयास कर रही है। मैं इस संबंध में इस वर्ष स्थायी समिति द्वारा की गई एक टिप्पणी का हवाला देता हूं जिसमें कहा गया है कि सरकार कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को पूरा करने में बुरी तरह असफल रही है। जहां तक मुझे याद है इसकी अनुमानित लागत 251 करोड़ रुपए थी और इस कार्य को जून, 2006 तक पूरा किया जाना था। अब 2008 चल रहा है और कम्प्यूटरीकरण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस संबंध में अत्यधिक विलंब हो रहा है। पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण से काफी मदद मिल सकती है। पैन में भी काफी खामियां हैं। मैं बार-बार साफ्टवेयर के बारे में भी पूछ रहा हूं क्योंकि साफ्टवेयर में भी कुछ खामियां हैं। इस पर पहले ही काफी व्यय हो चुका है। दो पैनकार्ड धारकों की संख्या 13 लाख से अधिक है। इनमें से अनेक कार्डों का अनेक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। अब सरकार कह रही है कि इन कार्डों को बायोमीट्रिक बनाया जाना चाहिए। यह एक अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

कुछ स्तरों पर रिक्तियां विद्यमान हैं लेकिन सरकार छोटी-छोटी समस्याओं को हल नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए सीमा-शुल्क संबंधी भर्ती नियमों को लेते हैं। निरीक्षक और अधीक्षक की लाखों रिक्तियों को काफी समय से रोककर रखा गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं आपको कुछ विवरण दे रहा हूं। उदाहरणार्थ सीमा शुल्क में सिपाहियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जैसा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन उन्हें कांस्टेबल नहीं माना जाता। यह मानव संसाधन की बर्बादी है। सीमा शुल्क में हमारे प्रशिक्षित लोग बार-बार इस चीज को दोहरा रहे हैं। इस संबंध में मैंने भी अनेक पत्र लिखे हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको वो पत्र मिले भी हैं या नहीं। मैंने आयकर विभाग में रिक्तियों और पदोन्नति नीति इत्यादि के संबंध में कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन यह अपर्याप्त है। इसलिए इस बात की शिकायत है। यदि आप इंसानों के स्थान पर मशीनों को लाते हैं तो आप राजस्व अर्जित नहीं कर सकते। राजस्व विभाग को इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि वे आपकी जेब भर रहे हैं।

अब मैं कराधान प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों पर आता हूं। मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं लेकिन मैं आपको दो मुख्य उदाहरण देना चाहता हूं। निगम कर के मामले में, माना कि कोई निजी कंपनी कुछ मात्रा में तेल का उत्पादन करती है और इंडियन आयल या तेल और प्राकृतिक गैस निगम जैसी कुछ सरकारी कंपनियों द्वारा भी तेल की उतनी ही मात्रा का उत्पादन किया जाता है लेकिन इन दोनों में स्पष्ट विसंगति यह है कि सरकारी तेल कंपनी को निजी तेल कंपनी की तुलना में ज्यादा कर देना पड़ता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि आपने कर संहिता का वायदा किया था। केलकर समिति की रिपोर्ट में कुछ छूट देने की सिफारिश की गई है। आप इस बात की वकालत करते रहे हैं कि ऐसी गैर जरूरी और अतार्किक छूट नहीं दी जानी चाहिए। निगम कर के मामले में भी, हमें दिखाई देता है कि सांविधानिक बाध्यता 33 प्रतिशत की है लेकिन प्रभावी दर 20 प्रतिशत है। लेकिन इससे सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी रिपोर्ट है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को निजी तेल कंपनियों की तुलना में अधिक निगम कर अदा करना पड़ता है। आप इसकी जांच कराकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूं। मेरे पास ब्यौरा है। मैं इस सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

दूसरा उदाहरण भी है और यह उदाहरण और अधिक स्पष्ट है। तेल क्षेत्र की विपणन कंपनियां कहती हैं कि उन्हें लगभग 70,000 से 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। तेल शोधनशालाओं, विपणन कंपनियों, सरकार और उपभोक्ता के बीच इसका भार वहन करने का एक सूत्र विद्यमान है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसे सरकार द्वारा अनुदेश दिए गए हैं, को भागीदारी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। आयकर विभाग द्वारा 1700 करोड़ रुपए का वार्षिक कर अधिरोपित किया गया था। यह जारी रहेगा। ऐसा क्यों है? सरकारी तेल कंपनियां सरकार के निदेशों पर काम कर रही हैं। सरकार का एक अन्य स्कन्ध नामत:

आयकर विभाग सरकार के अनुदेशों की अनदेखी करते हुए कर अधिरोपित कर रहा है। मैं अन्य विवरण भी दे सकता हूं। मंत्री महोदय को इस बारे में पता है और शायद मुझसे बेहतर पता है। वर्तमान मुद्दा यही है।

महोदय, मैं एक दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि सरकार ऐसी तेल शोधनशालाओं को जो अपनी परियोजनाओं को वर्ष 2008-09 तक पूरा कर लेंगी, को शुल्क में छूट देगी। सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम समय से पहले अपनी परियोजना पूरा कर लेंगे, को कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि कोई निजी उद्योग समय से पूर्व अपनी तेल शोधनशाला परियोजनाओं को पूरा कर लेते हैं तो उसे उक्त छूट प्रदान की जाएगी। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है। हमारी सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां न केवल अपने देश की बेहतरीन कंपनियों के साथ-साथ विश्व की बेहतरीन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। बोर्ड स्तर पर वास्तव में स्वायत्तता होनी चाहिये। मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूं। हम यह पाते हैं कि सेबी के नियमावली खंड 43 के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र निदेशक भी होते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 20 प्रतिशत लाभांश देने के लिए कहती है। वे बोर्ड के निर्णय की परवाह नहीं करते। अब यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं कि यह एक नवरत्न कंपनी है और सरकार उनके मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है तो सरकार कहती है कि अभी तक आपके बोर्ड का गठन नहीं किया गया है क्योंकि आपके यहां कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

कंपनी का यह तर्क है कि सरकार ने ही अब तक स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं कराया है। यह अजीब परिस्थिति है। सरकार ने स्वयं एक परिस्थिति पैदा की है जिससे बोर्ड का गठन नहीं किया गया, यहा स्वायत्तता नहीं है तथा फिर सरकार स्वयं कंपनी पर दोषारोपण करते हुए कह रही है कि कंपनी में संपूर्ण बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है इसलिए सरकार उन्हें आदेश दे सकती है। इसलिए, स्थिति यह है कि जहां पैसा है वे इसका विपथन कर रहे हैं तथा पैसा बनाने की प्रक्रिया में मारीशस के रास्ते इसे वापिस प्राप्त कर रहे हैं। यह इस देश का पैसा है। जो देशभक्त इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं वे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही हैं। ये विसंगतियां हैं तथा मैं इन विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त यह मेरी टिप्पणी नहीं है, यह एक अत्यधिक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी है। ऐसा हो रहा है। कराधान के मामले में भेदभाव हो रहा है।

महोदय, मैं एक अन्य बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूं और जो इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के बारे में है। मुझे राजस्थान के जयपुर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दौरा करने का मौका मिला था। उन्होंने उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया है। वे कह रहे थे कि जब उन्हें कच्चा माल आयात करना होता था तो उन्हें निश्चित कर राशि का भुगतान करना होता था परन्तु आयातित तैयार माल सस्ते थे। इस स्थिति में उनके उत्पाद कौन खरीदेगा? मुझे खुशी है कि इनमें से कुछ मुद्दों का इस वर्ष समाधान किया गया है। मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। परन्तु कई अन्य क्षेत्र हैं जहां लघु उद्योगों में लगे लोगों को हानि हो रही है तथा वे वास्तव में अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। उन्हें 1.5 लाख रुपये मात्र की राहत प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। सरकार इन्हें समान अवसर मुहैया नहीं करा रही है।

अब मैं धर्मार्थ न्यासों पर आता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं तथा उनका समर्थन करता हूं। धर्मार्थ न्यास की परिभाषा मौजूद है। अनेक बड़ी कम्पनियां वाणिज्यिक गतिविधियां एवं प्रशिक्षण गतिविधियां चला रही हैं तथा वे उन्हें धर्मार्थ कहती हैं। मैं इस दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन करता हूं परन्तु फिर भी ऐसे धर्मार्थ संस्थान हैं जहां ऐसा मिश्रण हो सकता है। उदाहरणस्वरूप ऐसे महिला संगठन हैं। वे कतिपय उत्पाद तैयार करने हैं जो मूलत: धर्मार्थ हैं तथा वहीं वे कतिपय उत्पाद बेच भी रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन हैं जो कि लाभ अर्जित करने वाले हैं, वहीं पैसा किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है। यह पैसा लाभ अर्जित न करने वाले संगठन को जा रहा है। यह सत्य है कि वहां वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं।

तत्पश्चात् शैक्षणिक संस्थानों के बारे में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको कोई अन्य सदस्य मिल गए हैं जो चर्चा में भाग लेंगे। आपने आधे घंटे से अधिक समय ले लिया है।

श्री रूपचंद पाल: मैंने कोई अन्य नाम नहीं दिया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या माननीय मंत्री महोदय यहां आयेंगे या नहीं ...*(व्यवधान)*

पैकेज साफ्टवेयर व मांग के अनुसार तैयार साफ्टवेयर के बारे में, मैं यह कहूंगा कि छूट, एसटीपीआई एवं अन्य 2009 के बाद भी दी जानी चाहिए। लोग पैकेज साफ्टवेयर को मांग अनुसार तैयार साफ्टवेयर के बराबर समझते हैं। मेरा विचार है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं जटिल स्थिति और मौजूदा समस्या के बारे में जानता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: हमें पुनर्विचार क्यों करना चाहिए? कारण बताइये।

श्री रूपचंद पाल: ऐसा इसलिए चूंकि अनुसंधान संस्थाओं एवं अन्य जैसे कुछ मामलों में उन्हें एक प्रकार के आवश्यकतानुसार साफ्टवेयर की जरूरत है जो कि महंगे हैं। परंतु वे संख्या में अधिक नहीं हैं परंतु विशेषरूप से अनुसंधान संस्थाओं के मामले में इसमें बड़ी धनराशि व्यय होगी। आप अनुसंधान संस्थाओं को छूट दे सकते हैं। यह अच्छा होगा। औद्योगिक विकास एवं सम्बद्ध विकास के संबंध में अनुसंधान को छूट दी जा सकती है। मुझे बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने लघु सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए छूट एवं उसकी रुग्णता के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की थी और उन्हें नुकसान हो रहा है। रुपये के मजबूत होने से निर्यातकों विशेष रूप से छोटे निर्यातकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि सूचित किया गया है, छूट को 2009 के बाद भी अनुमति दी जानी चाहिए परंतु छोटी व मझौली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: इस प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी छूट नहीं दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: यह ठीक है। परंतु ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई विरोध नहीं है। बड़ी संख्या में सदस्यों ने इसे उठाया। आप इसे घरेलू हित विशेषरूप से लघु और मध्यम कंपनियों के नजरिए से देखिए। मुझे अग्रिम कर व प्रतिदाय के बारे में एक बात कहनी है। स्थायी समिति ने नकली प्रतिदाय एवं इसमें कितना नकली प्रतिदाय शामिल है इसके बारे में टिप्पणी की है।

अब मैं अग्रिम कर पर आता हूं। मान लीजिए किसी पर किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष में 50 करोड़ रुपये देय हैं। वह अग्रिम कर के रूप में 75 करोड़ रुपये जमा कर देगा जोकि देय राशि से कहीं अधिक है चूंकि सूचीबद्ध कंपनियां अग्रिम निक्षेपों के माध्यम से खुलासे के रूप में अपनी दर्जे की महिमा मंडित करना चाहती हैं ताकि निवेशकों को धोखा दिया जा सके कि कम्पनी की स्थिति यह है। यह शेयर बाजार के विशेषज्ञ द्वारा की गई टिप्पणी है और उन्होंने कुछ कहा है। मैं निजी रूप से आपको उन लोगों का नाम बता सकता हूं जो अग्रिम कर की भारी राशि का भुगतान कर रहे हैं जिसकी उनकी देनदारी नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें इसका प्रतिदाय हो जाएगा। इन दो मुद्दों पर, स्थायी समिति ने कुछ टिप्पणियां की हैं। स्रोत पर कर कटौती के एसबीआई के हाल ही के अनुदेश इस तथ्य का ध्यान दिए बिना चाहे फार्म 15(क) और 15(छ) भरा गया हो या न भरा गया हो तथा जिस तत्परता से एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों के मामले में भी इस कार्य को कर रही है, की जांच की जानी चाहिए।

अब मैं नान बैंकिंग वित्त कंपनियों पर आता हूं। यहां निक्षेप जुटाए जाते हैं। यह देखा जा रहा है कि निक्षेप पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए यहां एक दृष्टिकोण है कि उन्हें विशेषरूप से अवशिष्ट कंपनियों को आगे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री जानते हैं कि मेरा क्या अभिप्राय है। परन्तु जब ऐसा किया जा रहा है तो कुछ नवीन तरीका खोजा जाना चाहिए ताकि उनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। वित्त मंत्री जानते हैं कि मेरा क्या अभिप्राय है। वित्त मंत्री को स्मरण होगा मैंने उनमें से कुछ लोगों के साथ उनसे भेंट की थी। इसलिए एनबीएफसी एक अन्य क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: आपने अवशिष्ट कंपनियों की बात की।

श्री रूपचंद पाल: मैंने दोनों की चर्चा की। वे आपके पास आए थे।

मैं सहकारी समितियों पर आता हूं। सहकारी समितियां मेरे पास आई तथा उन्होंने कहा कि उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में कुछ करें।

अब मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आता हूं जो मूल्य वृद्धि से संबंधित है। मेरा विचार है कि सरकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करेगी। हमने मूल्य की स्थिति पर चार सुझाव दिए हैं। सरकार को समझना चाहिए की हम मूल्य वृद्धि के मामले पर कितने संजीदा हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से कार्यवाही करेगी ताकि दूसरी ओर के लोगों जो भ्रांति फैलाना चाहते हैं को आगे भ्रांति फैलाने का अवसर न मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल जी आपने अच्छे सुझाव दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, जब यह संसद वार्षिक बजट को एक तरह से कंसैन्ट दे चुकी है तो वित्त विधेयक को पास न करने देना, मैं समझता हूं कि सदन के हित में नहीं है और सरकार तथा देश के हित में भी नहीं है क्योंकि वित्त विधेयक वित्तीय प्रबंधन के सिलसिले में होता है। यदि देश के कामों को करना है तो सरकार को पैसा खर्च करने की इजाजत होनी चाहिए। संसद एक बड़ी संस्था है जिससे सरकार को यह इजाजत लेनी पड़ती है। इसलिए इजाजत लेने की परिपाटी में सरकार वित्त विधेयक के जरिये संसद के सामने आती है। अभी तक मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि विरोध होने के बावजूद वित्त

विधेयक को संसद ने खारिज किया हो। 12वीं लोक सभा में मैं था। सरकार के खिलाफ अविश्वास आ चुका था। सरकार त्यागपत्र देने को तैयार थी लेकिन राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया कि वित्त विधेयक पास करा लो तो त्यागपत्र स्वीकार कर लेंगे। सरकार सदन के सामने आई और सर्वसम्मति से सदन ने उस वर्ष के वित्त विधेयक को पास किया। इसलिए मेरे विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है। वित्त विधेयक तो पास होना ही है, परिपाटी ऐसी रही है। हम कुछ सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उत्साहित है कि सरकार को टैक्स कलैक्शन के मामले में, अभूतपूर्व सफलता मिली है। जब कारोबार देश में बढ़ता है, उसका विस्तार होता है तो अपने आप कर की उगाही होती है, यह शाश्वत नियम है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश का कारोबार बढ़ा है लेकिन अभी थोड़ी सी नोंक-झोंक में वित्त मंत्री जी ने किसी पुरानी सरकार का हवाला दिया कि भारत की तरक्की की जो रफ्तार तब साढ़े छः फीसदी थी, साढ़े सात फीसदी थी, वही तरक्की की रफ्तार साढ़े आठ फीसदी हमारे जमाने में हो गई। यह बात ठीक है, लेकिन किसी भी देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार को उस देश में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर के रिलेशन से काट कर नहीं आंका जाना चाहिए। जब हमारे देश की साढ़े पांच, साढ़े छः एवं साढ़े सात फीसदी आर्थिक तरक्की की रफ्तार थी तो मुद्रास्फीति की दर दो फीसदी से चार फीसदी के बीच में कैद थी तो उस युग की साढ़े सात फीसदी की रफ्तार की प्रशंसा की जानी चाहिए, उसे अच्छा माना जाना चाहिए।

महोदय, साढ़े आठ फीसदी की रफ्तार हो गई और साढ़े सात फीसदी का इन्फलेशन हो गया। उस हिसाब से तरक्की की जो रफ्तार है, किसी भी व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे रफ्तार होनी चाहिए, उस हिसाब की नहीं है। मूल बात यह है कि सरकार को इन्फलेशन की रफ्तार को अरेस्ट करने के जो भी उपाय संभव हैं, वे करने चाहिए। नेहरूवियन कोटा राज के खिलाफ लेख लिखने में, इंदिरा गांधी के रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल पालिसी के खिलाफ लेख लिखने में 15 वर्ष लगाए। आज जब छापा मारने चलते हैं तो पूछा जाता है कि यह जो इंदिरा गांधी और जवाहर लाल के रिस्ट्रिकटेड फाइनेंशियल पालिसी के खिलाफ 15 साल लेख लिखवाया, उसका आज की तारीख से जोड़ कहां निकलता है।

महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि मुक्त अर्थव्यवस्था में भी कुछ नियंत्रण और अंकुश लगाने के हथियार सरकार के हाथ में होने चाहिए। दोनों स्थितियों में एक साथ चलाना है, यह हमने इस बार देख लिया। दो-चार दिन हाय-तोबा हुई, लेकिन धीरे-धीरे जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग उसी हिसाब से किसी भी चीज को खरीदने के अभ्यस्त हो जाते हैं और उनका जब अभ्यास हो जाता है तो वे हल्ला मचाना बंद कर देते हैं, तब सरकार भी निश्चिंत हो जाती है। इस बार भी जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की जो रफ्तार बढ़ी, उसका भी हश्र उसी तरह का होने जा रहा है। जिसका नतीजा यह होगा कि देश की बहुसंख्यक आबादी घोर दरिद्रता की तरफ कदम-दर-कदम बढ़ती चली जाएगी। सरकार को इस बारे में बहुत गंभीर मंथन करने की जरूरत है। टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ा है, यह निर्विवाद बात है। जितने लोगों ने अपने देश में पैन नम्बर बढ़ाया है, टैक्स उसके एक-चौथाई देते हैं। लोगों ने पैन नम्बर तो ले लिया कि कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन बिना पैन नम्बर के नहीं होगा। चार करोड़ लोगों ने पैन नम्बर लिया, लेकिन केवल एक करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। इन एक करोड़ लोगों की तादाद कैसे बढ़े, इसके बारे में सरकार को युक्ति निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ब्लैक मनी जबरदस्त है। ब्लैक मनी को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए चार साल से सरकार यही कह रही है कि उसका जवाब केवल टैक्स रिफार्म है। बेशक सरकार ने टैक्स रिफार्म से ब्लैकमनी जेनरेशन की रफ्तार को रोका है और उस तेजी से रोका है, जिस तेजी से आजादी के बाद हमारे देश में कालाधन बढ़ रहा था। पिछले चार-पांच वर्षों में उस तरह के काले धन के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जांच करती हैं, उनका कहना है कि ब्लैकमनी की एक समांतर अर्थव्यवस्था भारत में चल रही है। हम अपने देश में सीधे-सीधे जितना कारोबार धन का करते हैं, करीब-करीब उतना ही अंदर-खाने व्यापार होता है, जिस पर सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता। उसी को ब्लैकमनी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस देश में समांतर अर्थव्यवस्था ब्लैकमनी की है। सरकार की रणनीति दोहरी होनी चाहिए। हमने टैक्स रिफार्म से ब्लैकमनी जेनरेशन की रफ्तार को अरेस्ट किया, यह बात ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो बची हुई ब्लैकमनी है, उसे बाहर करना, बाजार में लाना भी एक रणनीति है और उसके लिए सरकार ने पिछले चार वर्ष में कोई कारगर नीति नहीं अपनाई, यह मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय रीयल एस्टेट का कारोबार सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है। नीचे से लेकर छोटे-छोटे कस्बों और गांवों में, यदि सड़क के किनारे की जमीन है, तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए कट्ठे और 15 लाख रुपये कट्ठे हो गई और उसकी रजिस्ट्री 1 लाख रुपए के भाव से होती है। इस प्रकार से देखें तो प्रत्येक कट्ठा 10-12 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में जनरेट हो रहा है। रीयल एस्टेट का कारोबार, आज की तारीक में सबसे चकमदार कारोबार है। आज यह ब्लैक मनी जनरेशन का

श्री मोहन सिंह]

सबसे प्रमुख धंधा है। इसकी ब्लैक मनी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, सरकार की क्या नीति है, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए?

महोदय, हमारे देश में सोना, बहुत तेजी से और जबर्दस्त तरीके से महंगा हो रहा है, लेकिन उसकी खपत कम नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए, अपने काले धन को छिपाने के लिए, ज्वैलरी और जैम्स दूसरे सबसे बड़े माध्यम हैं। इसकी ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार की क्या नीति है, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए और इस दृष्टि से सरकार को कदम उठाने चाहिए?

महोदय, हम चौथी बात कहना चाहते हैं कि हमारे देश में मनी की जो प्राइवेट लैंडिंग है, उसका कारोबार बहुत जोर से बढ़ा हुआ है। उसका कारण है कि हमारे जितने व्यावसायिक बैंक्स हैं, वे देश के गरीबों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो उसके पीछे तर्क सिर्फ इतना था कि बैंक जनता के करीब नहीं हैं। बैंकों की जो सोश्यल रेस्पांसिबिलिटी है, उसे ये पूरा नहीं करते, केवल मुनाफा कमाना इनका काम है। इसलिए बैंक जनता के निकट चले जाएं, इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत ही जरूरी था। मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक, जनता से और थोड़ी दूर पहुंच गए हैं। कोई भी बैंक गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए आप देखेंगे कि प्राइवेट लैंडिंग ग्राम स्तर पर बड़ी तेजी से फैला है।

महोदय, राधाकृष्ण कमेटी, जिसके आधार पर किसानों के कर्ज की माफी की गई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस देश में बैंकों, कोआपरेटिव बैंकों और नाबार्ड वगैरह का जितना किसानों पर कर्ज है, उससे अधिक कर्ज निजी मनी लैंडर्स का है और उससे मुक्ति कैसे दिलाई जाए। सरकार ने उससे मुक्ति दिलाने के उपाय करने के बजाय, हमने अखबारों में महाराष्ट्र से भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने सामूहिक तौर पर कहा, जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी सरकार के एक महान मंत्री बयान दे रहे हैं कि 'हम किसानों से अपील करते हैं कि मनी लैंडर्स से जितने पैसे लिए हों, किसान उनके कर्ज की भरपाई न करें।' यह किसी सरकार का वक्तव्य नहीं हो सकता।

महोदय, सरकार का कर्त्तव्य होता है, सरकार के मंत्री का कर्त्तव्य होता है कि इस तरह की परिपाटी को हम कैसे रोकें, उसके लिए कानून बना हुआ है और उसके लिए कानून है कि हमारे देश में 150 वर्षों से साहूकारी का कानून है। उसे रिपील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसे खत्म क्यों नहीं करते? इस देश में किसी भी कीमत पर प्राइवेट लैंडिंग प्रतिबन्धित रहेगा, इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं और यह करने के बजाय जिम्मेदार मंत्री बयान दे कि यदि निजी व्यक्ति से तुमने कर्ज लिया है, तो उस कर्ज को अदा मत करो। अगर कर्ज को अदा न करो, तो जैसे व्यावसायिक बैंकों ने किया कि उनका जितना बकाया पैसा था, किसी माफिया को उन्होंने बेच दिया। 10 लाख या 15 लाख रुपए बकाया हैं, तो उस बैंक ने माफिया को 5 लाख रुपए में बेच दिया, जो उसका मूल धन था और माफिया ने डंडा लेकर गाड़ी रोक ली, उनको मारा भी, उनके घर में घुस गए, सब सामान उठा लाए। वित्त मंत्री को इस सदन में बयान देना पड़ा कि इस तरह के असामाजिक तत्वों के जरिए यदि पैसा वसूली का वे कार्यक्रम करेंगे, तो ऐसे किसी भी बैंक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।

माननीय कृषि मंत्री जी का यह बयान क्या जाहिर करता है, यही जाहिर कर रहा है कि प्राइवेट मनी लैंडर्स भी इसी तरह के गुंडे पालें और जो उनका ऋण नहीं देते हैं, उन गुंडों के माध्यम से जबर्दस्ती वे अपने ऋण की वसूली करें, क्योंकि आपने तो उत्साहित कर दिया कि उस कर्जे को मत दो। प्राइवेट मनी लैंडर को तो अपने कर्ज को वापस लेना है, तो फिर गांव-गांव में झगड़े होंगे, मारपीट होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसके बारे में सरकार विचार करे कि हमारे देश में किसी भी कीमत पर प्राइवेट मनी लैंडिंग बन्द होनी चाहिए।

महोदय, अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि हर कीमत पर, किसी भी हालत में, जैसे पुरानी प्रथा थी, अब हमने उसे खत्म कर दिया, एक जिले का एक लीड बैंक होता था। जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वे एक जिले के विकास के सारे कामों को करे। मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय के लीड बैंक के इस कार्य को नए सिरे से शुरू किया जाए और हर बैंक के लिए इस बात को अनिवार्य किया जाए कि उसकी एक ब्रांच 10 हजार की आबादी पर और उस बैंक का एक टेबल आफिस 5 हजार की आबादी के हर गांव में किसी भी कीमत पर खुलेगा।

इसे दो साल और तीन साल का प्रोग्राम बनाकर सरकार को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, यह बात रिफ्लैक्ट होती है। भारत सरकार ने बड़ी तेजी से जो कर्ज माफी की घोषणा की, इस सदन में तालियां बजीं, बाहर वाहवाही हुई और यू.पी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर इनकी अध्यक्ष तक ने कहा कि इसकी शाबाशी लूटने के लिए रैलियां करो। रैलियां की गईं, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ। इतना बुरा हश्र, मैं ऐसा समझता हूं कि आज तक किसी भी सरकार की इतनी बहुप्रचारित योजना का नहीं हुआ और सरकार कर्ज माफी करने जा रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वित्त विधेयक का जिस दिन वे जवाब दें, उस दिन उस जवाब में वे बतलायें कि किस राज्य से कितना पैसा कर्ज माफी के लिए राज्य की डिमांड आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर आपके जरिये कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सात राज्य पूर्वोत्तर के हैं, सबसे अधिक वहां विकास की जरूरत है, कर्ज माफी की घोषणा हो गई कि किसानों के कर्ज की हम माफी करेंगे, उसकी सूची बनाकर भेजो। सात राज्यों से 1100 करोड़ रुपये की मांग आई है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 20 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। वहां से मांग चार हजार करोड़ रुपये की आई है और महाराष्ट्र, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की एक तिहाई है, वहां से मांग आई है, 12.5 हजार करोड़ रुपये की। अब इस तरह से महाराष्ट्र का 12.5 हजार करोड़ माफ, सात राज्यों का 1100 करोड़ रुपये माफ और उत्तर प्रदेश का चार हजार करोड़ माफ। इस तरह आपके पास देश में सिवा इसके कि राज्यवार झगड़ा खड़ा करावें और क्या रास्ता है। सरकार को एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र के किसान का कितने हजार करोड़ रुपये माफ होगा, आंध्र प्रदेश के किसान का 9 हजार करोड़ रुपये माफ होगा, तमिलनाडु के किसान का 11 हजार करोड़ रुपये माफ होगा और उत्तर प्रदेश के किसान का 4.5 हजार करोड़ माफ होगा, क्योंकि बैंकों ने पिछले वर्षों में इन बड़े राज्यों, जो प्रदेश देश के बड़े राज्य हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, यहां कर्ज ही नहीं दिया, इनकी शाखाएं ही नहीं थीं, इसलिए आपकी कर्ज माफी पूरे देश में होगी तो उसका सबसे बड़ा शिकार क्या कर्ज माफी के इतने बड़े राज्य के लोग होंगे, उनके अन्दर असन्तोष पैदा होगा, इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि 60 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी को बदलकर राज्यवार राज्यों की आबादी के हिसाब से किसान विकास फंड के रूप में परिवर्तित किया जाये और इस पैसे को सभी राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में वितरित किया जाये। यह आज वित्त विधेयक की इस बहस के जरिये हमारी भारत सरकार से मांग है। वरना इस देश में रीजनेलिज्म पैदा होगा और राज्यों के बीच में झगड़े खड़े होंगे।

दूसरी अहम समस्या किसान की खाद की सब्सिडी की है। अभी जो भारत का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण छपा, उसमें भारत सरकार ने स्वीकार किया कि 52 हजार करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। बाद में राज्य सभा में एक सवाल हुआ तो वहां भारत के खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया कि 30 हजार करोड़ रुपये दिया गया। एक दिन मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा कि इस साल की खाद की सब्सिडी 90 हजार करोड़ रुपये हो जायेगी तो खाद की सब्सिडी पिछले वर्ष कुल कितनी है, इस पर अलग-अलग मंत्रियों के अलग-अलग बयान हैं। हम अंधेरे में हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि निजी क्षेत्र की बड़ी फैक्टरियां, जिनकी खाद को कोई किसान नहीं खरीदता, वे अपने फर्जी उत्पादन की बैलेंस शीट को दिखाकर भारत सरकार के खजाने को लूट रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि जो खाद की सब्सिडी है, राज्य सहायता है, किसान की प्रति एकड़ देखकर भारत सरकार को किसान की हैसियत के हिसाब से इस खाद सब्सिडी को सीधे उन तक वितरित करे। यदि 90 हजार करोड़ रुपया किसानों को इस पूरे देश में बांट दिया गया तो मैं ऐसा समझता हूं कि किसान की हालत काफी अच्छी हो सकती है।

दूसरी प्रमुख समस्या हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की है। पैट्रोल और डीजल के दाम कितनी तेजी से दुनिया में बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम 117 यू.एस. डालर प्रति बैरल हो गये। पिछली सरकार ने एक काम कर दिया था और वह काम किया था कि दुनिया में जो तेल के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, उसके हिसाब से भारत की कम्पनियां भारत में भी तेल के दाम को घटाएंगी और बढ़ाएंगी।

यदि वह सिस्टम अभी तक इस देश में चल रहा होता, तो पेट्रोल का दाम भारत में पचहत्तर या अस्सी रुपए प्रति लीटर हो गया होता और डीजल का दाम पचपन से साठ रुपए प्रति लीटर हो गया होता। यह एक विषम समस्या है। यह समस्या इसलिए है कि हम अपने देश की पेट्रोल की साठ फीसदी की जो कमी है, वह बाहर से आयात करके पूरा करते हैं। इस देश में तेजी से मोटर गाड़ियां बढ़ रही हैं। इतने जाम लग रहे हैं कि दस किलोमीटर की दिल्ली शहर में दूरी तय करने के लिए अगर आप में ढाई घंटे का बल हो, तो ही आप उसे पूरा कर सकते हैं। एक हवाई जहाज लखनऊ से दिल्ली तीस मिनट में उड़कर आता है और दिल्ली के हवाई अड्डे के ऊपर डेढ़ घंटे चक्कर लगाता है। इस तरह से दो घंटे में दिल्ली से लखनऊ की यात्रा हवाई जहाज पूरा करता है। हमारे देश में कितनी पेट्रोल की बरबादी हो रही है, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हमारे देश का जो एक्सचेकर है, वह इसके ऊपर सब्सिडी देकर उसे पूरा नहीं कर सकता है।

महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जैसे आपने मिट्टी के तेल की राशनिंग की है, वैसे ही पेट्रोल और डीजल की राशनिंग होनी चाहिए। जो थ्री-व्हीलर, टू-व्हीलर चलाने वाले या खेत में काम करने वाले छोटे किसान हैं, छोटे ट्रैक्टर वाले, अपनी मोटर चलाकर सिंचाई करने वाले, इन सबके राशनकार्ड बनाकर सब्सिडाइज्ड रेट पर डीजल और पेट्रोल को उन्हें दिया जाना चाहिए। बड़े लोग जिस रेट पर उसे लेना चाहें, उनके लिए भारत सरकार अपनी तरफ से छूट दे दे। इस देश के एक्सचेकर के ऊपर घाटा लगाने की कोशिश आप न करें।

दूसरी बात, हमारे देश में एक प्राइवेट पेट्रोल का मालिक है। उन्तीस हजार रिटेलर्स को इस देश में उस मालिक ने अपनी तरफ

से लाइसेंस दे दिए कि रिटेल में भेजो। दस-दस, पांच-पांच या दो-दो करोड़ रुपए खर्च करके लोगों ने अपनी रिटेलशाप खोल दीं। उन्होंने कहा कि अब दुनिया में दाम बढ़ गए, इसलिए इस दाम पर हम आपको इसे नहीं दे सकते। बेचारे उन्तीस हजार रिटेलर्स अब भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। भारत सरकार उनकी दशा पूछने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल और डीजल की जो नीति है, उसके बारे में भारत सरकार को नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं, यदि वित्त मंत्री जी हमारे देश के वित्तीय प्रबंधन को बहुत ही गंभीरता के साथ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक गंभीर वित्त मंत्री हैं, सारे वित्तीय मामलों को जिस गंभीरता के साथ वे सोचते हैं, बहुत मुश्किल से कोई वैसा सोचता होगा। इसमें केवल दिशा की बात है, यदि उनकी दिशा बदल जाए कि इस देश का जो सामान्य श्रेणी का आदमी है, जिसकी तादाद भारत में सबसे अधिक है और उसके हितों की रक्षा करना, किसी भी सरकार का प्रमुख दायित्व है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इनके वित्तीय प्रबंधन की दिशा बदल सकती है।

मेरे इन थोड़े से सुझावों के साथ वित्त मंत्री जी को इस बात का आश्वासन देते हुए कि हम और हमारी पार्टी आपके वित्त विधेयक को जरूर पास करेगी। इस देश की बढ़ती हुयी महंगाई, बढ़ती हुयी जरूरी चीजों की कीमतें, जैसे कि इस देश में बड़ा शोर हुआ कि इस्पात की कीमत बढ़ गयी। वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया कि दुनिया में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं। जितने निजी क्षेत्र के उत्पादक हैं, वे किसी भी कीमत पर छड़ की कीमत को घटाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज थीं, वे बड़ी तेजी से इस देश में प्रभावित हुयी। हमारे देश में दो करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाने के इसलिए पक्षधर नहीं हैं कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां इसका लाभ कमाती हैं, बल्कि हमारी नजर में दो करोड़ वे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिनके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क बन्द होने से रोजी-रोटी बंद हो जाती है। इन चीजों का सीधा प्रभाव इस देश के आम-आदमी के ऊपर पड़ता है। उस आम-आदमी को जिसको राहत देने की आप की प्रतिबद्धता थी, जिसके लिए आपका घोषणा-पत्र था, इसलिए उस आम-आदमी को राहत देने की दिशा में सरकार कुछ कदम बढ़ाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2008 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यू.पी.ए. द्वारा किए गए वायदो पर आम आदमी को यह भरोसा था कि आम आदमी की परेशानियों तथा हितों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा आम आदमी के लाभ के लिए वह उनकी नीतियां तथा बजट होगा। लेकिन यू.पी.ए. सरकार के चार बजटों के पश्चात् हम सभी जानते हैं कि आम आदमी की स्थिति क्या है जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असहनीय वृद्धि से वास्तव में बुरी तरह परेशान है।

मुद्रास्फीति 40 महीने में सबसे ज्यादा बढ़ी है तथा थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार यह सात प्रतिशत से ज्यादा है। यदि इसकी गणना खुदरा मूल्य दर पर की जाए तो यह 25 प्रतिशत से ज्यादा होगी। मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यू.पी.ए. सरकार द्वारा इस बजट में अथवा वित्त विधेयक में जो भी उपाय किए गए हैं जिन्हें सही या गलत कहा जा सकता हो, तो उत्तर ऋणात्मक आता है।

इस वर्ष बजट के बाद भी मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि जारी है। सरकार के अपने उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गत एक वर्ष में, दिल्ली के खुदरा बाजार में, विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मूल्य में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। मैं आपको ब्यौरे दे सकता हूं। एक वर्ष पूर्व, मूंगफली का तेल 98 रुपया प्रति कि.ग्रा. था तथा अब यह 121 रुपया प्रति किलोग्राम है; सरसों के तेल के मामले में, मूल्य 55 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 79 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, वनस्पति के मामले में यह 56 रुपए प्रति कि.ग्रा. से बढ़ाकर 79 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, चावल के मामले में 15 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम; गेहूं के मामले में, यह 13 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 14 रुपए प्रति किग्रा. चना के मामले में यह 32 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 38 रुपए प्रति किलोग्राम तथा तूअर दाल के मामले में यह 35 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 45 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।

महोदय, समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 हाल की मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण है।

दुख की बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य अग्रिम संविदा के प्रभाव के कारण बढ़े तथा गरीब किसान जिनके लाभ के लिए यह अग्रिम संविदा (विनियमन) अध्यादेश, कथित रूप से पारित किया गया था को भी इसका लाभ नहीं मिला है।

इसके अलावा, यू.पी.ए. सरकार निर्लज्जतापूर्वक किसानों की नियति के साथ अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 पारित करवाकर खिलवाड़ कर रही है तथा सरकार ने इस

अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित करने की भी चेष्टा नहीं की तथा इसे व्यपगत होने दिया।

महोदय, यह अध्यादेश बजट सत्र के दो सप्ताह पूर्व प्रख्यापित किया गया था। यह बजट सत्र 25 फरवरी, 2008 को शुरू हुआ तथा 25 दिनों के रीसेस के लिए 20 मार्च, 2008 को स्थगित हुआ। सरकार के पास सभा के सम्मुख इस अध्यादेश को रखने की हिम्मत नहीं हुई और अंततः यह अध्यादेश 7 अप्रैल, 2008 को व्यपगत हो गया।

सरकार ऐसा सोचती है कि अग्रिम संविदा (विनियमन) के द्वारा यह मूल्य नियंत्रित कर सकती है तथा किसान इससे लाभान्वित होंगे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार अपेक्षित परिणाम प्राप्त क्यों नहीं कर सकी? यह केवल सरकार को ही पता होगा। हम इसे समझने में असमर्थ है।

अपराह्न 2.53 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

अतएव, मैं माननीय वित्त मंत्री से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

संसद के बजट सत्र जो 25 फरवरी, 2008 को शुरू हुआ, के मात्र दो सप्ताह पूर्व अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 को प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी तथा ऐसा क्यों किया गया?

इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की तात्कालिकता क्या थी? यह अध्यादेश कब प्रख्यापित किया गया तथा क्या इसे आवश्यक समय-सीमा के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो आवश्यक समय-सीमा के भीतर संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं करने के क्या कारण हैं?

महोदय, यू.पी.ए. सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रभावी करने के प्रति गंभीर नहीं है। यह केवल 'तदर्थ' तथा 'बहुत थोड़ी', तथा 'बहुत देर बाद' कार्यवाही करती है जो मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने के लिए अपर्याप्त है।

महोदय, अब मैं अगले मुद्दे पर आऊंगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कुछ वस्तुओं पर शुल्क में कमी की घोषणा की है।

मेरा अगला मुद्दा सेवा कर के संबंध में है। हम सभी सेवा कर के प्रतिकूल प्रभाव से परिचित हैं जो पिछले दरवाजे से कर लगाना है। माननीय वित्त मंत्री ने, इसके विपरीत, कठिनाइयों को कम करने की बजाय, सेवा कर के दायरे में विस्तार किया है। इस बजट में उन्होंने सेवा कर के दायरे में और सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है जो कठिनाइयों बढ़ाएगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक और मुद्दे, अर्थात् वित्त विधेयक के खंड 9 की धारा 40(क) की उपधारा (3) के संशोधन की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह आम आदमी की परेशानियों को बढ़ाएगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु के मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में भी आकाश छू रहे हैं। कोई लेन-देन यदि 20,000 रुपये से अधिक है तो वह खाते से आहरित चेक के माध्यम से की जाए तथा यदि नहीं तो इस पर कर लगेगा। अतएव, मेरा माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन है कि इस सीमा को कम से कम 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाए।

महोदय, मैं स्वयं तथा अन्य संसद सदस्यों कुछ निजी व्यक्तियों तथा संघों के द्वारा आयकर अधिनियम, 1061 की धारा 40(क) की उपधारा (एकक) के क्रियान्वयन से हो रही परेशानी को माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाया गया है। इस धारा का प्रतिकूल प्रभाव अनेक लोगों पर पड़ेगा। इस अनुबंध के शिकार लोगों को कर तथा दण्ड के रूप में भारी धनराशि का भुगतान करना होता है जो उनकी वास्तविक आय से कहीं अधिक है।

मैं केवल एक उदाहरण दे सकता हूं। अहमदाबाद आयकर कार्यालय रेंज में इस धारा का यह उपबन्ध लगाकर इस धनराशि की अनुमति नहीं दी गई तथा 100 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि केवल 15 व्यक्तियों से वसूली गई। इस धारा में 100 करोड़ की अनुमति दी जाती है। मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट आपरेटर या ठेकेदार या कोई व्यक्ति समय पर टीडीएस जमा नहीं करवा पाता है, तो उस पर 35 प्रतिशत कर लगेगा, उस पर 35 प्रतिशत दण्ड लगेगा तथा उसके बाद उसे नोटिस दिया जाएगा। अतः इससे बरबादी ही हुई। कल बहुत से लोग मेरे पास आए थे तथा उन्होंने मुझे बताया कि किसी शिथिलता या किसी भूल या ऐसे ही किसी भी उचित कारण से वह उपबन्ध लागू किया गया है। मेरे राज्य में एक लैंड लूजर्स एसोसिएशन है। वे छोटे-छोटे व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने समय पर टीडीएस का भुगतान नहीं किया है। उनकी आय 26,000 रुपये है। लेकिन दण्ड तथा कर 3 करोड़ रुपये से अधिक बनता है। अब वह आदमी 3 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे कर सकता है? इस प्रकार उसे 3 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये लोग माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री तथा अन्य सदस्यों से भी मिले थे। यह अनुरोध मैं इसलिए ही कर रहा हूं। इस धारा के कार्यान्वित हो जाने से लोगों को बहुत अधिक असुविधा,

[श्री पी.एस. गढ़वी]

कठिनाई तथा मानसिक परेशानी हुई है। यह असहनीय है। इसके लिए सार्वजनिक सूचना फरवरी माह में ही प्रकाशित की गई थी। इससे पहले ऐसी सूचना कभी प्रकाशित नहीं की गई थी। मेरा केवल यही अनुरोध है कि वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें। अन्यथा यह तो अहमदाबाद का एक उदाहरण है बल्कि यह तो पूरे देश में लागू हो सकता है। अत: मैं समझता हूं कि इससे लाखों लोग पीड़ित होंगे।

बजट के समय हम कई बार वित्त मंत्री से सुनते है कि वे कर प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रक्रिया को वास्तव में सरल बनाया गया है या नहीं अथवा बजट दर बजट तथा संशोधन दर संशोधन के बाद इसमें और अधिक जटिलताएं पैदा हो रही है? इस प्रकार से सरलीकरण के बजाय इस सब बातों से समस्याएं ही पैदा हो रही है। इसके विपरीत गलने योग्य कबाड़ तथा अन्य पुर्जों पर लगने वाले शुल्क में कमी की गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

आयात शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने के बावजूद भी, कीमतों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। ऐसा ही इस्पात के साथ हुआ है जिसकी कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके विपरीत आप आम आदमी की बात करते हैं किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने दुपहिया वाहनों, छोटी कारों, हाइब्रिड कारों पर आयात शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है तथा पॉलिसयुक्त क्यूब्कि जिर्कोनिया पर आयात शुल्क में कमी की गई है तथा रफ कोरल डाइमण्ड पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है तथा रफ क्यूबिक जिर्कोनिया पर आयात शुल्क में कमी की गई है तथा रफ कोरल डायमण्ड पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है तथा रफ क्यूबिक जिर्कोनिया पर आयात शुल्क से पूर्णतया छूट है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। ये सब कटौतियां किसके लाभ के लिए की गई है? ये सब आम आदमी के काम की चीजें नहीं हैं।

आम आदमी कौन है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार गांवों में रहने वाले इस देश के दस प्रतिशत लोग प्रतिदिन नौ रुपये से अधिक खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये लोग हैं आम आदमी। यदि कोई व्यक्ति नौ रुपये प्रतिदिन कमाता है तो वह दुपहिया वाहन तथा कार एवं ये सब चीजें कैसे रख सकता है? इस सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि इस देश के 30 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 12 रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं तथा शहरों में रहने वाले लोगों में 30 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 19 रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे लिए गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा प्रदान करने के लिए आयकर पर दो प्रतिशत की दर से लगाया गया शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की दर से लगाये गये अतिरिक्त अधिभार के रूप कितनी धनराशि एकत्रित की गई है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस धनराशि का उपयोग उस प्रयोजनार्थ किया गया है जिस प्रयोजनार्थ इसे एकत्रित किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे शैक्षिक मानकों में सुधार आया है या नहीं। हमारे नागरिक इतने अधिक अधिभार का भुगतान कर रहे हैं। इसका क्या परिणाम निकला है? हम जानना चाहते हैं कि इसके क्या परिणाम निकले हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कृपया फेडरेशन आफ कच्छ इन्डस्ट्रीज द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करें। महोदय, फेडरेशन आफ कच्छ इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने माननीय वित्त मंत्री जी को एक अभ्यावेदन दिया है और वित्त विधेयक, 2008 की छटी अनुसूची में केन्द्रीय उत्पादन नियमावली, 2004 के नियम 18 में आवश्यक संशोधन के लिए प्रार्थना की है।

महोदय, इस प्रस्तावित संशोधन की प्रभावी अवधि 1.3.2002 से 7.12.2006 तक है। लेकिन बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश निदांक 17.9.2007 की अधिसूचना सं. 37/2007-सी.ई. (एनटी) के द्वारा ही सार्वजनिक किए गए। यह अधिसूचना 17.9.2007 को जारी की गई थी। लेकिन इसकी प्रभावी अवधि 1 मार्च 2002 से 7.12.2006 तक है। इस अधिसूचना में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अधिसूचना सं. 39/2001-सीई दिनांक 31.7.2007 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों को इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं होगी। यह अधिसूचना कच्छ क्षेत्र के लिए थी।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 17.9.2007 की अधिसूचना सं. 37/2007-सीई (एनटी) केवल भविष्य प्रभावी ही हो सकती है लेकिन यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकती है। अत: 17.9.2007 को निर्यात के लिए अनुमति दी गई वस्तुओं पर रोक नहीं लगनी चाहिए।

मेरा केवल यही अनुरोध है कि इन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए जब यह अधिसूचना थी ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मुझे एक नोट भेज दीजिए। मैं यह कर दूंगा।

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं इसे भेज दूंगा। धन्यवाद महोदय।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे सभी अनुरोधों पर विचार करें। सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरे भाषण का शेष भाग मुझे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः हां।

***श्री पी.एस. गढ़वीः** माननीय महोदय, यह उन वायदों पर आधारित आम आदमी की उम्मीद थी जो यूपीए द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) में किए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि आम आदमी के हितों की रक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी तथा इसके लिए सभी नीतियां व बजट इत्यादि आम आदमी के लिए होंगे।

परंतु हम सभी जानते हैं कि यूपीए के चार बजटों के बाद आम आदमी की क्या स्थिति है, जो कि आवश्यक वस्तुओं के असहनीय बढ़ते मूल्यों के नीचे दबे हुए हैं तथा मुद्रास्फीति जोकि 40 माह में सबसे अधिक तथा थोक मूल्य के 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी है, परंतु यदि इसे खुदरा मूल्यों की दर पर परिकलित किया जाता है तो यह 25 प्रतिशत से अधिक होगी।

क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अपने बजट या इस वित्त विधेयक में जो उपाय किए हैं वे ठीक है या नहीं? महोदय, उत्तर नकारात्मक होगा।

महोदय, इस वर्ष के बजट के बाद भी, मूल्य वृद्धि में बढ़ोत्तरी का रुझान तथा मुद्रास्फीति का बढ़ना जारी है।

सरकार के अपने उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के खुदरा बाजार में पिछले एक वर्ष में खाद्य मदों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	मद	मूल्य से रुपये प्रति किलो	मूल्य तक रुपये प्रति किलो
1.	मूंगफली का तेल	98	121
2.	सरसों का तेल	55	79
3.	वनस्पति	56	79
4.	चावल	15	18
5.	गेहूं	13	14
6.	चना	32	38
7.	तूर दाल	35	45

महोदय, अखबार में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में हुई मूल्य वृद्धि के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 को मुख्य कारण माना गया है।

सबसे खेदजनक बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि अग्रिम संविदा के प्रभाव के कारण हुई है तथा गरीब किसान जिनके लाभ के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अध्यादेश को पारित किया गया है, उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 पारित कर यूपीए सरकार किसानों के भविष्य के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रही है और यहां तक कि संसद द्वारा इस अध्यादेश को अनुमोदित कराने की परवाह भी नहीं की तथा इसे व्यपगत होने दिया।

महोदय, इस अध्यादेश को बजट सत्र जो 25.2.2008 को आरंभ हुआ के दो माह पूर्व प्रख्यापित किया गया था तथा जिसे 20 मार्च 2008 को 25 दिन के सत्रावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया था। सरकार का इस अध्यादेश को सभा पटल पर रखने का साहस नहीं हुआ तथा अंततः यह अध्यादेश 7 अप्रैल, 2008 को व्यपगत हो गया।

जबकि सरकार का विचार है कि अग्रिम संविदा (विनियमन) मूल्यों को नियंत्रित करेगी तथा किसानों को लाभ पहुंचेगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है; तो यह केवल सरकार को ही पता होगा कि सरकार आशातीत परिणाम क्यों नहीं प्राप्त कर पाती हैं।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपने उत्तर में यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि:

(क) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 को संसद का बजट सत्र आरंभ होने से 2 सप्ताह पूर्व ही प्रख्यापित क्यों किया गया जो कि 25.2.2008 को आरंभ हुआ था;

(ख) इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की इतनी तात्कालिकता क्या थी?

(ग) इश अध्यादेश को कब प्रख्यापित किया गया था क्या इसे अनिवार्य समयावधि के भीतर ही संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था या नहीं; और

(घ) यदि नहीं, तो अनिवार्य समयावधि के भीतर संसद की अनुमति प्राप्त न करने के क्या कारण हैं?

महोदय, यूपीए सरकार मूल्यवृद्धि एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यह केवल अस्थायी एवं 'अत्यंत अल्प' व 'अत्यंत विलम्बपूर्ण' कार्यवाही करती है जो कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

जबकि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शुल्क में कमी की घोषणा की थी जिसका ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	वित्त मंत्री का बजट भाषण पैरा संख्या	उन मदों का ब्यौरा जिन पर शुल्क को कम कर दिया गया था	शुल्क में की गई कमी का ब्यौरा	
			से	तक
1.	131	स्टील मेल्टिंग स्क्रैप और अल्यूमिनियम स्क्रैप पर शुल्क में कमी	5%	शून्य
2.	134	बैक्टोफ्यूज जो दूध की मियाद में वृद्धि करता है तथा जिससे डेरी उद्योग लाभान्वित होगा	7.5%	शून्य
3.	140	घरेलू उर्वरक उत्पादन में सहायता देने के लिए कच्चे तेल व अपरिष्कृत गंधक पर शुल्क को कम कर दिया गया	5%	2%
4.	150	माननीय वित्त मंत्री महोदय ने थोक सीमेंट व पैकेज सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में समानता लाने का प्रस्ताव किया है	400 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 14% यथामूल्यानुसार का प्रस्ताव	

इसलिए बजट में शुल्क में कमी के प्रस्ताव के बावजूद, सीमेंट, इस्पात, दूध एवं आवश्यक वस्तुओं की अन्य मदों के मूल्य बढ़ गए हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने पॉलीमर के निर्माण के लिए आयातित नाप्था पर 5% की दर से शुल्क उद्ग्रहण का प्रस्ताव किया था, परंतु उर्वरक के उत्पादन के लिए आयातित नाप्था शुल्क मुक्त रहेगा। इस प्रस्ताव का क्या प्रभाव हुआ? क्या उर्वरकों के मूल्य में कमी आई या नहीं? उत्तर नकारात्मक है।

वहीं, इस बात की आशंका कही अधिक थी कि उर्वरकों के उत्पादन के उद्देश्य से आयातित नाप्था को अवैध रूप से पालीमर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।

महोदय, हम सब सेवा कर के बुरे प्रभाव को जानते हैं, जिसे कर उद्ग्रहण के लिए 'बैक डोर एंट्री' कहा जाता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अधिक सेवाओं को इस सेवा कर के दायरे में कवर किए जाने का प्रस्ताव किया है जो कठिनाईयों को और अधिक बढ़ा देगा।

महोदय, वित्त विधेयक के खण्ड 9 द्वारा धारा 40(क), उपधारा (3) में संशोधन, लोगों की कठिनाईयों को बढ़ा देगा चूंकि हम सब जानते हैं कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक चल, अचल संपत्ति के मूल्य आसमान छू रहे हैं। 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी लेन देन को खाते में आहरित चैक द्वारा किया जाएगा ऐसा न किया जाने पर इस प्रकार के लेन-देन पर कर लगाए जाने की संभावना है। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कारोबारी लेन देन में वास्तविक कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दिया जाए।

महोदय, मैंने कई अन्य संसद सदस्यों, व्यक्तियों एवं संघों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क) (झक) के कार्यान्वयन के कारण महसूस की जा रही असहनीय कठिनाईयों की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। इस धारा के प्रभाव के फलस्वरूप बड़ी संख्या में इस उपबंध के पीड़ितों को उनकी वास्तविक आय से कही अधिक भारी कर एवं शास्ति का भुगतान करना पड़ता है।

महोदय, मैं केवल यह कह सकता हूं कि अहमदाबाद आयकर कार्यालय की एक रेंज में लगभग केवल 50 निर्धारितियों के मामले में इस धारा के उपबंधों को लागू करके लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि को अस्वीकृत कर दिया गया।

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे पर दिए गए अभ्यावेदनों पर सकारात्मक रूप से विचार करें तथा यह देखें कि इस कठोर उपबंध को तुरंत संशोधित किया जाए।

महोदय, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि कराधान कानूनों के सरलीकरण के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए सभी प्रयास अत्यंत अल्प व केवल सतही मात्र हैं, कराधान कानूनों के सरलीकरण के नाम पर वे अत्यंत जटिल हो गए हैं।

अतएव, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कराधान कानूनों को सच्ची भावना से सरलीकृत करें।

महोदय, आम आदमी की बजाय माननीय वित्त मंत्री ने दो पहिया, छोटी कारों, हाइब्रिड कारों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 12% कर दिया है तथा पोलिस्ड क्यूबिक जिकोनिया तथा रफ कोरल डायमंड पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया है तथा रफ क्यूबिक जिकोनिया पर पूरा सीमा शुल्क में छूट दे दी है, किसके लाभ के लिए ये कटौतियां की गई हैं? ये आम आदमी के लिए नहीं है।

महोदय, आम आदमी कौन है?

महोदय, नेशनल सेंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार:

(एक) देश के 10% लोग, जो गांवों में रहते हैं वे 9 रुपया प्रतिदिन से ज्यादा व्यय नहीं कर सकते हैं;

(दो) देश के 30% लोग, 12 रुपया प्रतिदिन से ज्यादा व्यय नहीं कर सकते हैं; तथा

(तीन) 30% लोग जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं वे 19 रुपया प्रतिदिन से ज्यादा व्यय नहीं कर सकते है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितना अधिभार सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आयकर पर 2% की दर से शिक्षा उपकर लेवी किया गया तथा माध्यमिक तथा उच्चतम शिक्षा उपकर हेतु 1% की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया गया, से एकत्रित किया गया तथा उस उद्देश्य के लिए वास्तव में उपयोग किया गया जिसके लिए यह एकत्र किया गया? तथा इस संबंध में गंभीर चिंता की बात है कि क्या आम आदमी गुणवत्ता वाली मूल शिक्षा तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करता है या नहीं? उत्तर सकारात्मक नहीं है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से वित्त विधेयक, 2008 की छठी अनुसूची में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2004 के नियम 18 में आवश्यक संशोधन हेतु फेडरेशन आफ कच्च इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (फोकिया) द्वारा किए गए अनुरोध पर विनम्रतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इस प्रस्तावित संशोधन में प्रभावी अवधि 1.3.2002 से 7.12.2006 तक है। लेकिन महोदय, बोर्ड द्वारा जारी किया गया विभागीय अनुदेश 17.9.2007 के इसकी अधिसूचना सं. 37/2007-सीई (एज टी) के माध्यम से सार्वजनिक की गई। इस अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि "इस अधिसूचना के अंतर्गत 31.7.2008 की अधिसूचना सं. 39/2001-सीई का लाभ ले रही इकाइयां छूट की अधिकारी नहीं होगी।

महोदय, दिनांक 17.9.2007 की अधिसूचना सं. 37/2007-सी.ई. (एनटी) केवल बाद के प्रभाव से लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से नहीं, लागू होती है तथा इसलिए 17.9.2007 को या इसके पूर्व निर्यात के लिए मंजूर किए गए वस्तुओं पर छूट रोकी नहीं जानी चाहिए।

अतएव, मैं माननीय वित्त मंत्री से फोकिया द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार): महोदय, मैं आपका मुझे वित्त विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि लोक सभा में बोडो भाषा का भाषांतरकार की नियुक्ति की चिरप्रतीक्षित आवश्यकता पूरी नहीं हुई है यद्यपि बोडो भाषा को 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आज मुझे बोडो में बोलने का अवसर मिलता तो पूरे देश में रह रहे एक करोड़ बोडो लोगों को काफी खुशी मिलती। वे ऐसा अनुभव करते कि भारत सरकार को बोडो के लोगों के प्रति काफी सम्मान है। मैं वित्त विधेयक पर असमी में बोलने पर विवश हूं जो बोडोलैंड के गांवों के लोगों को समझने पर विवश करेगा कि मैं उनके लिए क्या बोलना चाहता हूं।

मैं महसूस करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें राजकोषीय अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन रखनी चाहिए। स्वतंत्रता के साठ वर्षों के बाद भी देश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के करोड़ों लोग अभी भी वंचित हैं। उन्हें स्वतंत्रता तथा विकास का लाभ मिलना बाकी है। इसका एक प्रमुख कारण कर अपवंचन की

*मूलत: असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

खामियों को दूर करते हुए धनी पूंजपतियों से करों तथा राजस्व एकत्र करके राजकोष बढ़ाने संबंधी सरकार की सक्रिय नीतिगत निर्णय तथा पहल की कमी है। लोगों का अमीर तबका कालेधन पर मौज उड़ा रहे हैं तथा गरीब लोग पिस रहे हैं। काला धन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में सहायक हुआ है तथा गरीब लोगों को शिकार बनाया है।

मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता लेकिन चूंकि मैं निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त कार्यक्रम के चलते बजट चर्चा में हिस्सा नहीं ले सका मैं बोडोलैंड के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही प्रमुख समस्याओं को उठाना चाहता हूं कि यद्यपि ये वित्त विधेयक से संबंधित नहीं जान पड़ते हैं।

भारत सरकार ने देश में तीस नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 2008-09 वित्तीय वर्ष के दौरान ही सोलह नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने विश्वविद्यालय कहां स्थापित करने जा रही है? मैं यह मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बोडोलैंड स्थापित करे। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अलावा भारत सरकार एक आई आई टी, एक आई आई एम, एक मेडिकल कालेज, एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा कुछ और प्रमुख शैक्षिक संस्थान बोडोलैंड में बोडोलैंड के विकास के लिए स्थापित करे। सं.प्र.ग. सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल पर प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए उपकर लगाया है। करोड़ों रुपये एकत्र किए गए है। लेकिन असम में क्या हो रहा है। असम सरकार बोडो माध्यम के प्राथमिक, मिडिल इंग्लिश तथा हाई स्कूल जो दो हजार से ज्यादा संख्या में है, को गत कुछ दशकों में धनराशि के कमी के चलते अपने अधीन नहीं ले पाई हैं।

यद्यपि बोडो भाषा को 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया बोडो माध्यम की स्कूल शिक्षा लुप्त होने की कगार पर है। अतएव, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार कम से कम दो हजार करोड़ रुपये असम सरकार तथा बोडोलैंड प्रशासन को दे ताकि वे सभी वेंचर बोडो मीडियम स्कूलों को अपने अधीन ले सकें। केंद्र सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। यदि आवश्यक धनराशि नहीं प्रदान की गई, तो बोडोलैंड के बच्चे किस प्रकार उचित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह काफी गंभीर मामला है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा उच्च विद्यालय चरण में बोडोलैंड में बोडो मीडियम शिक्षा के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये अवश्य प्रदान करें। हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में, एक भी मेडिकल कालेज नहीं है तथा हमारे बच्चे मेडिकल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रीब्यूट्स में चार जिले हैं। यह 2003 में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में डाक्टरों के पद अब भी रिक्त है। बोडोलैंड के बाहर के डाक्टर बोडोलैंड के लोगों की सेवा करने के लिए यहां नहीं आना चाहते।

पिछले कुछ दशकों में मलेरिया और अन्य घातक बीमारियों के कारण यहां हजारों लोग काल का ग्रास बने हैं। इसलिए मैं बोडोलैंड में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त बोडोलैंड में ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, कृषि, सड़क, संचार और दूरसंचार के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमारे बोडोलैंड को अभी औद्योगीकरण का विकास होना है और युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवा उग्रवाद अपनाने के लिए बाध्य है। इसलिए मैं सरकार से बोडोलैंड में कुछ अर्थक्षम उद्योगों की स्थापना के लिए ठोस उपाय करने का अनुरोध करता हूं। एक ऐसा भी समय था जब हमारा बोडोलैंड सुपारी उत्पादन में अग्रणी था। लेकिन हाल ही में बीमारियों के कारण सुपारी की फसल प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप सुपारी उत्पादकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सरकार जिस प्रकार से चाय, रबड़ और काफी उत्पादकों की सहायता कर रही है उसी तरीके उसे सुपारी उत्पादकों की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह वास्तव में बहुत दुख: की बात है कि दिन-ब-दिन सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे है। मैं तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त, बोडोलैंड सहित हमारे संपूर्ण क्षेत्र को बाढ़ और अपरदन के कारण हर साल अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार को असम सरकार और बोडोलैंड प्रशासन को बाढ़ तथा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए देने चाहिए। महोदय, मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2010 तक आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र में एक भी विमानपत्तन नहीं है। इसलिए मैं सरकार से बोडोलैंड में शीघ्रातिशीघ्र विमानपत्तन की स्थापना करने की मांग करता हूं। हमारे देश में भ्रष्टाचार की समस्या विद्यमान है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाईयों की समस्या भी मौजूद हैं। हमें इन गतिविधियों को रोकना चाहिए। वर्ष 2010 तक यदि भारत एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएगा लेकिन इससे लोगों को क्या फायदा होगा। आज दिल्ली में क्या हो रहा है? सब्जियों में जहरीले पदार्थों को मिलाया जा रहा है। इन चीजों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? दूध में भी मिलावट की जा रही है। मिलावटी खाद्य पदार्थों से हमारे देश

के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदया, से यह जानना चाहता हूं कि वे किस फार्म से दूध खरीदती हैं और सब्जियां कौन सी दुकान से खरीदती हैं? महोदय, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार को आदिवासी कन्याओं और महिलाओं द्वारा कपड़े की बुनाई में उपयोग किए जाने वाले धागे (यार्न) पर कर नहीं लगाना चाहिए। कुछ हजार बोडो लोग हमारे पड़ोसी देश नेपाल में रहते हैं। वे उस देश में अपनी परम्परागत बोडो पोशाक और कपड़े पहनना चाहते हैं। लेकिन नेपाल सरकार द्वारा उस धागे पर भारी सीमा शुल्क लगाया जाता है जिससे ये परम्परागत पोशाक तैयार की जाती है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे नेपाल सरकार से भारत से आयात किए जाने वाले धागे और परम्परागत बोडो कपड़ो तथा परिधानों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाए जाने का अनुरोध करें। मैं केन्द्र सरकार से भी इन परम्परागत पोशाकों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले धागे पर किसी भी प्रकार का शुल्क न लगाए जाने का अनुरोध करता हूं। इसके साथ-साथ मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की सरकारों से भी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देना चाहते है तो सरकार को सेवा कर समाप्त करना चाहिए। महोदय, मैं अधिक नहीं बोलना चाहता। आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं जिस प्रकार सवर्ण लोग "स्वतंत्रता" का रसास्वादन किया है, ठीक उसी प्रकार आगामी 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी स्वतंत्रता के रसास्वादन का मौका मिलना चाहिए। मैं बोडोलैंड के लोगों के विकास के लिए और अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय: क्योंकि आप पूर्वोत्तर के बोडोलैंड से आते हैं इसलिए आपने इन चीजों को अनुचित तरजीह दी है।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं किसानों की ऋण माफी के बारे में बोलना चाहता हूं। जिसे उन किसानों तक सीमित किया गया है जिनके पास 2.5 हेक्टेयर भूमि है। यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन मुझे लगता है कि उन किसानों, जिनका व्यवसाय केवल कृषि ही है और जो कृषि से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं को इस ऋण माफी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसे केवल उन किसानों तक सीमित किया गया है जिनके पास 2.5 हेक्टेयर भूमि हैं। क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य अलग-अलग भूमि सुधार पद्धतियों से निर्देशित होते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस की जांच करने का अनुरोध करता हूं। एकबारगी समाधान जैसा है जिसमें उद्यमी और बैंक शामिल हैं। यह एक प्रकार का एकबारगी समाधान जैसा है। इससे न तो किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और न ही सरकार 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर पाएगी। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन सरकार ने अपने अथक प्रयासों से एक प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की थी और आज इस सरकार ने 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है। लेकिन यह अपर्याप्त है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। इसलिए यदि सरकार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है तो कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करना होगा। हमारे यहां कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। हमारे यहां अधिकतर खेती वर्षा सिंचित है और अधिकतर ऋण से जुड़ी हैं। किसानों को ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये संस्थाएं ऋण प्रदान करने का मुख्य आधार है। तत्पश्चात् उत्पादन और खरीद जैसे मुद्दे आते हैं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुझे यह कहते हुए दुख: हो रहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 3000-3500 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य करना बंद कर दिया है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने चाहिए ताकि किसानों को ऋण मिल सके। अन्यथा किसानों को ऋण लेने के लिए महाजनों के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास खेती के अलावा और कोई व्यवसाय का जरिया नहीं है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सरकार ने शीतागार बनाने का प्रस्ताव किया है और शीतागारों को अवसंरचनात्मक दर्जा दे रही है। लेकिन सरकार को शीतागारों में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयात शुल्क में रियायत देनी चाहिए ताकि खाद्य सामग्री तथा प्रसंस्कृत सामग्री के लिए सही मशीनों का आयात किया जा सके ताकि वे विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। इससे किसानों की 20 प्रतिशत तक आय हो सकती है। सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, बीमा नीति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री और श्री स्वाईं के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रा.ज.ग. सरकार के दौरान गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन वह अपर्याप्त थी क्योंकि विकास पंचों ने यह मांग की थी कि फसल खराब होने पर बीमा कवर के निर्धारण के लिए गांव को एक इकाई माना जाए न कि एक पंचायत को। मौसम की अनिश्चितता के मद्देनजर खंड (ब्लाक) एक बहुत बड़ी इकाई है। कई बार 50 किलोमीटर के दायरे में किसी जगह ओलावृष्टि हो सकती है और वहां से 10 से 15 किलामीटर दूर ऐसा नहीं भी हो सकता। मौसम की अनिश्चितता का किसानों तथा उनकी आजीविका पर निश्चय ही प्रभाव पड़ता है। अत: बीमा कवर निर्धारित करने से पूर्व गांव को एक इकाई माना जाना चाहिए। मैं पुन: यह उल्लेख करना चाहूंगा

[श्री विक्रम केशरी देव]

कि केवल तीन फसलों नामत: चावल, गेहूं और कपास को बीमा प्रदान करने हेतु चुना गया है।

सभापति महोदय: श्री देव, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

श्री विक्रम केशरी देव: ठीक है महोदय, मैं अगले दिन जारी रखूंगा।

अपराह्न 3.29 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 23 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदया: प्रश्न यह है कि:

"कि यह सभा 23 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद संख्या 16, श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 17, श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 18, श्री एल. राजगोपाल।

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*
(नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

(दो) संसद की कार्यवाही में व्यवधान (सदस्यों को दैनिक भत्ते के हक से वंचित करना और सदस्यता समाप्त करना) विधेयक, 2008*

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि किसी सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण संसद की किसी सभा जिसके वे सदस्य हैं, की कार्यवाही स्थगित होने पर उस दिन के लिए सदस्यों को दैनिक भत्ते के हक से वंचित करने और जो सदस्य या सदस्यों का समूह सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसकी सदस्यता समाप्त करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि किसी सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण संसद की किसी सभा जिसके वे सदस्य हैं, की कार्यवाही स्थगित होने पर उस दिन के लिए सदस्यों को दैनिक भत्ते के हक से वंचित करने और जो सदस्य या सदस्यों का समूह सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसकी सदस्यता समाप्त करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

श्री एल. राजगोपाल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(तीन) बीमा अभिकर्त्ता कल्याण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अभिकर्ताओं के कल्याण के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बीमा अभिकर्ताओं के कल्याण के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं विधेयक पुर:**स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*, (अनुच्छेद 73 का संशोधन)

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.33$^{1}/_{2}$ बजे

(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2008*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकारों, कलाकारों और कारीगरों के कल्याण के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकारों, कलाकारों और कारीगरों के कल्याण के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(छह) विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2008*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34½ बजे

(सात) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (सेवाओं का नियमतीकरण और अन्य प्रसुविधाएं) विधेयक, 2008*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण और उन्हें सरकार के स्थायी कर्मचारियों की हैसियत प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण और उन्हें सरकार के स्थायी कर्मचारियों की हैसियत प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(आठ) कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2008*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपास उत्पादकों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य, कपास का नि:शुल्क बीमा और उसके समग्र कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कपास उत्पादकों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य, कपास का नि:शुल्क बीमा और उसके समग्र कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35½ बजे

(नौ) राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी पेंशनभोगियों को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में सभी पेंशनभोगियों को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(दस) श्रमजीवी हाथी (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमजीवी हाथियों के संरक्षण और कल्याण के लिए उपायों

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि श्रमजीवी हाथियों के संरक्षण और कल्याण के लिए उपायों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36$^{1}/_{2}$ बजे

(ग्यारह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2008* (अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(बारह) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2008* (धारा 3 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37$^{1}/_{2}$ बजे

(तेरह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008* (अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(पन्द्रह) केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): मैंने अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

डा. सिबैस्टियन पॉल: नहीं, मैंने नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको पहले समुचित नोटिस देना चाहिए आप अचानक खड़े होकर आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकते। यह सही नहीं है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.39$^{1}/_{2}$ बजे

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008* (11वीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(सत्रह) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2008* (धारा 2 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(अठारह) घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि घरेलू कर्मकारों के लिए मजदूरी के नियतन और उनकी कार्यदशाओं में सुधार तथा तत्संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि घरेलू कर्मकारों के लिए मजदूरी के नियतन और उनकी कार्यदशाओं में सुधार तथा तत्संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(उन्नीस) बाढ़ नियंत्रण विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: मद संख्या 37, डा. आर. सेन्थिल-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 38, डा. आर. सेन्थिल-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.43 बजे

(बीस) अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008* (धारा 2 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.43 1/2 बजे

(इक्कीस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुदुच्चेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पुदुच्चेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008* (7वीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार हेगड़े (कनारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 1/2 बजे

(तेईस) अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008* (धारा 2 और 6 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार हेगड़े (कनारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम अगली मद पर कार्यवाही करेंगे। हमें डा. सिबैस्टियन पाल से देरी से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। अब, इस नोटिस के आधार पर आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। आपने विलम्ब से नोटिस दिया है परंतु मैं आपको अनुमति दूंगा।

डा. सिबैस्टियन पाल (एर्णाकुलम) महोदय, मद संख्या 32 में श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने तिरुवनंतपुरम में केरल के उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाला एक विधेयक पुर:स्थापित किया है ...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.4.2008 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: आप केवल एक शब्द कह सकते हैं।

डा. सिबैस्टियन पाल: महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 247 तथा अन्य संगत उपबंधों के आधार पर इस विधेयक की विधायी सक्षमता को चुनौती दे रहा हूं।

सभापति महोदय: विधेयक को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। अब कुछ नहीं होगा। आपका विरोध मौजूद है। विधेयक ठीक है। चूंकि विधेयक को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुके है, आगे कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

अपराह्न 3.45 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*विचाराधीन*
निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा चुनाव सुधार आयोग विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री के.एस. राव–उपस्थित नहीं।

श्री खारबेल स्वाईं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, सर्वप्रथम मैं चुनाव सुधार आयोग के संबंध में यह गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी का धन्यवाद करता हूं।

ठीक है, महोदय, इस सभा में कई अवसरों पर इस विषय पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि यद्यपि इस विषय पर पहले अनेक बार चर्चा हुई है, तथापि नए-नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं तथा लोक सभा, इस देश की संसद जैसे मंच पर यह चर्चा जारी रखी जानी चाहिए। परंतु महोदय, मेरा पहला मुद्दा यह है कि श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है। वे चाहते हैं कि इसे कानून का रूप दिया जाए तथा भारत सरकार को इस अधिनियम को लागू किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर एक चुनाव सुधार आयोग का गठन करना चाहिए। मैं श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। यदि वे चुनाव प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह चुनाव सुधार आयोग के माध्यम से क्यों किया जाएं?

एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, तो यह सोचा गया था कि भारत के संविधान में संपूर्ण परिवर्तन किया जाए।

अपराह्न 3.47 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

इसलिए, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकटचेल्लैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा समिति का गठन किया गया था। परंतु इसे कानून के द्वारा नहीं किया गया था। मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव को विधेयक के बजाय गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। *...(व्यवधान)* इसलिए, इस मामले पर सरकार से अनुरोध किया जा सकता था। एक विधेयक लाए जाने तथा इसे संसद में पारित कराने के बजाय यहां उपस्थित माननीय विधि मंत्री इस देश के प्रधानमंत्री को इस संबंध में सहमत कर तथा उन पर दबाव बनाकर ऐसा कर सकते थे। यह अब भी किया जा सकता है। एक चुनाव सुधार समिति का गठन किया जा सकता है तथा यह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

उन्होंने अनेक बिंदुओं पर सिफारिश की है जैसे चुनाव सुधार समिति को क्या करना चाहिए।

इस विषय पर सर्वप्रथम उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के लिए सिफारिश की है। अब, नेपाल में हाल ही में हुए चुनाव में 'फस्ट-पास्ट-द-पोस्ट' पद्धति के तहत 240 सदस्य हैं, जो भी सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा, जो कि 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, वह विजय प्राप्त करेगा। उनके लिए 240 सीटें रह गई हैं। शेष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए छोड़ दी गई हैं। पश्चिमी देशों में यह अच्छी चीजों में से एक है कि न केवल एक व्यक्ति की विजय होती है परंतु लोगों से प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर दल द्वारा नामनिर्दिष्ट कुछ व्यक्ति भी जीतते हैं। यह भारत जैसे विशाल देश में संभव नहीं है। हमारे यहां कितने राजनीतिक दल हैं? वे असंख्य हैं। आप उनको गणना नहीं कर सकते। हर रोज नया दल बन जाता है। यदि आप कहते हैं कि यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति लागू की जाएगी, लोगों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर चुनाव किया जाएगा, इससे कुछ दलों को 0.2 या 0.1 प्रतिशत मत प्राप्त होंगे, तो आप कितनी सीटें जीत सकते हैं। हम केवल यह कह सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं। परंतु कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और कह सकता है कि इस विधेयक द्वारा चुनाव लड़ने व मत डालने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तथा इस देश की न्यायपालिका उनके पक्ष में निर्णय दे सकती है। भारत जैसे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती है।

[श्री खारबेल स्वाईं]

उन्होंने आरक्षण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आरक्षण इस देश में अत्यंत दिलचस्प विषय है। अब वे महिलाओं के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं। मुझे ज्ञात है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग है चूंकि हमारे समय के दौरान विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसका विरोध यहां मौजूद हमारे कुछ सदस्यों द्वारा किया गया था। अब, इस देश के वामपंथी केवल एक मात्र दल हैं जो यूपीए सरकार से प्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने की मांग कर रहे हैं। तत्पश्चात् यह पता चल जाएगा कि कौन सा दल किसके पक्ष में होगा। 33 प्रतिशत आरक्षण, विधेयक को मूल रूप में प्रस्तुत करेगा। मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूं कि उन्होंने केवल 15 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।

क्या हम यह संदेश नहीं देते हैं? इसका अर्थ है, कुछ नहीं हुआ है और यदि आरक्षण दिया जाता है केवल तभी पिछड़े लोग, आंशिक रूप से पिछड़े लोग देश में तरक्की कर सकते हैं। क्या यह सच है? तो 9 प्रतिशत या 10 प्रतिशत विकास और भारत को 2020 तक महाशक्ति बनाने की बात करने के पीछे क्या तर्क है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने ऐसा विकास किया है और दूसरी ओर कहते हैं कि हमने पर्याप्त विकास नहीं किया है।

महोदय, वैश्वीकरण के जमाने में कौन बचा रह सकता है? तथ्य यह है कि केवल सबसे बेहतर ही बचेगा परन्तु हम मांग करते हैं कि आरक्षण के माध्यम से कतिपय लोगों को ही कतिपय नौकरियां मिलें; कतिपय लोग ही कतिपय पद हासिल कर सकें। किन्तु वैश्वीकरण के इस जमाने में जब पूरे विश्व के साथ आपको प्रतिस्पर्धा करनी है, सिर्फ गुणवत्ता ही प्रतिस्पर्धा में बची रह सकती है और कुछ नहीं। इसलिए मैं नौकरियों और अन्य चीजों में अधिक से अधिक लोगों को आरक्षण के दायरे में लाने की धारणा के खिलाफ हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमें देश में आगे और किसी आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। कतिपय पदों हेतु लोगों को चुनने के लिए सिर्फ गुणवत्ता ही निर्धारक तत्व होना चाहिए।

तत्पश्चात्, मैं सीटों के आरक्षण के बारे में अपनी बात रखना चाहूंगा। क्या आप आरक्षण के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? राजनीति का उदाहरण लें। यह किस प्रकार से है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जैसी शक्स है। क्या आपका कहने का मतलब यह है उन्होंने मात्र अनुसूचित जातियों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करती हैं, के मतों से ही चुनाव जीता है। हाल के दिनों में वह उत्तर प्रदेश में वह सब करने में सफल रही हैं जो अन्य दल नहीं कर पाये हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया है जबकि पिछले 10 से 15 वर्षों में कोई भी दल ऐसा करने में सफल नहीं रहा है। उन्होंने यह हासिल किया है और वह भी मुख्यमंत्री पद के लिए बिना किसी निर्धारित आरक्षण के। वह ऐसा अपने कौशल और साहस की वजह से ऐसा कर सकी हैं। यहां तक कि उच्च जाति के लोगों ने जो पहले उनको विरोधी थे, उन्होंने वोट दिया। आप श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी और श्री करूणानिधि का उदाहरण ले सकते हैं। वे लोग उच्च जातियों से नहीं आते। वे पिछड़ी जातियों से आते हैं। परन्तु वे लोग काफी शक्तिशाली हैं और काफी सक्षम भी हैं। इस प्रकार, बिना किसी आरक्षण के उन लोगों ने इस देश में मुकाम हासिल किया है और उन्होंने अपनी काबलियत साबित की है। इसलिए, आरक्षण की क्या आवश्यकता है? मैं इस बात को नहीं समझ पाया।

महोदय, महिलाओं के लिए आरक्षण का उदाहरण लें। इस देश में छह ऐसे दल हैं जिनका नेतृत्व काफी सक्षम महिलाओं के हाथों में है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? मैं नहीं समझता हूं कि श्रीमती रेनुका चौधरी जो यहां बैठी हैं, को संसद सदस्य बनने के लिए किसी आरक्षण की आवश्यकता है। वह अपनी क्षमता के बल पर यहां आयी हैं।

मैं एक अन्य कटु टिप्पणी भी करूंगा। जहां भ्रष्टाचार और सख्ती का मुद्दा आता है किस प्रकार से महिला नेता पुरुष नेताओं की अपेक्षा बेहतर हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

आप मुझे सिर्फ बताइए। एक के बाद एक अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। यदि हम महिलाओं को आरक्षण मुहैया कराते हैं तो इस देश की जनता की हालत किस प्रकार से बेहतर होगी? उन्होंने किस प्रकार से सफलता हासिल की है? यदि वे सफल हुई हैं तो सिर्फ अपनी काबलियत के बल पर।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): सभापति महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है। इसलिए, मुझे उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं ऐसा कहने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं परन्तु आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि पंचायती राज स्तर पर आरक्षण, जिसकी कल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने की थी, ने पूरे देश में महिलाओं का सशक्तीकरण किया है। हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनका सशक्तीकरण नहीं हुआ है। मैं भाग्यशाली थी। मेरे पास ऐसे पिता थे जिन्होंने मुझे भ्रूण हत्या का शिकार नहीं बनाया। मेरे पति घरेलू हिंसा नहीं करते और इन लोगों ने मेरे विकास में योगदान दिया परन्तु देश में अनेक औरते हैं जिन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं है। इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ

जरूरी ही नहीं है बल्कि इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पास एक समतामूलक समाज हो।

सभापति महोदय: अभी हम आरक्षण के सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अनेक मुद्दे हैं। मुझे लगा कि हमें इस मुद्दे पर वाद-विवाद करने हेतु कोई अवसर नहीं मिल रहा है। काफी हल्के रूप में प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि वे आरक्षण चाहते हैं। महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी आरक्षण नहीं चाहता है। इसीलिए जब कभी भी मुझे अवसर मिलेगा मैं इस मुद्दे को उठाना चाहूंगा। इसलिए मुझे इस मुद्दे को उठाने दिया जाए।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): 'प्रत्येक व्यक्ति' न कहें। ऐसे अनेक लोग और अनेक दल है जो मांग करते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): वे ऐसा विश्वास करते हैं परन्तु वे... देना नहीं चाहते ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, श्री सुरेश कुरूप का संबंध माकपा से है। पश्चिम बंगाल में पिछले विधान सभा चुनाव में उन्होंने महिलाओं को 10 प्रतिशत सीटें दी थी। मैं यह बात श्री सी.के. चन्द्रप्पन से भी कह रहा था और उनको इस बारे में अच्छी तरह पता है। यह उनकी कथनी और करनी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आप पंचायती राज प्रणाली में महिला आरक्षण का उदाहरण लें। पहले कोई आरक्षण नहीं था। पहले सिर्फ एक सरपंच था। अब एक महिला सदस्य सरपंच है, उसका पति सरपंच है, उसका बेटा सरपंच है, उसका ससुर सरपंच है, उसका पिता सरपंच है। इस प्रकार अब चार या पांच सरपंच हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनुका चौधरी: इसीलिए हमें महिलाओं को संरक्षण देने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं। हमने यही किया है। पहले, यहां तक कि बैठकों में, परिवार के पुरुष सदस्य, उसकी पत्नी अथवा बहन या मां जाती थी और जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करती थी। पंचायती राज आरक्षण प्रणाली में यही सब हुआ है। महोदय, मैं इस मुद्दे पर आगे और कुछ नहीं कहना चाहता।

मेरा मानना है कि मेरे दल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के बजाय राजनीतिक दल चुनावों में महिलाओं के लिए कतिपय प्रतिशत टिकट दें। मैं समझता हूं कि यह अधिक बेहतर समाधान होगा और हमारे दल ने भी ऐसा किया है।

अब, मैं राज्य निधियन के बिन्दु पर आऊंगा। श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने भी इस बिन्दु को उठाया है। हमें राज्य निधियन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें पोस्टर, बैनर्स, वाहनों के लिए तेल तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इनके लिए हमें काफी पैसे की आवश्यकता होती है। जब मैं गोवा अथवा पश्चिम बंगाल कई राज्यों में प्रचार के लिए गया था तो मैं जानकर बहुत ही विस्मित हुआ कि निर्वाचन आयोग ने पोस्टर, बैनर्स और यहां तक कि कुछ राज्यों में झण्डों का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाने का बढ़िया कार्य किया था। मैंने भी चुनाव लड़ा था और मैंने भी महसूस किया कि इन वस्तुओं का उपयोग नहीं होना चाहिए।

भारत जैसे देश में पोस्टर, बैनर्स और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय इस प्रकार के पोस्टर्स और बैनर्स आदि चिपकाने से काफी व्यवधान उत्पन्न होते हैं और चुनाव के दौरान हिंसा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और इन सब चीजों का प्रयोग किए बिना चुनाव प्रणाली ज्यादा शांतिपूर्वक होगी अतएव, मैं नहीं समझता कि उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए।

पश्चिमी देशों में अधिकांशत: राज्य निधियन इसलिए किया जाता है ताकि वे इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान करने का प्रयास करें और इसके लिए उन्हें काफी पैसा देना पड़ता है जिसकी व्यवस्था वे स्वयं नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस कारण से धन दिया जा रहा है। अतएवं, मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दूरदर्शन में कुछ फ्री टाईम दिया जाना चाहिए। उन्हें पैसा दिए जाने की बजाय कुछ फ्री टाईम क्यों नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इससे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। राज्य निधियन की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि मेरा मानना है कि इसका कई प्रकार से दुरूपयोग होगा। कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे जो वास्तव में गंभीर प्रत्याशी नहीं होंगे वे पैसे लेगे और इसका उपयोग नहीं करेंगे।

अंतत:, मुझे दो बिन्दुओं पर चर्चा करनी है। वे नए बिन्दु हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। मैं सोचता हूं कि इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली के रूप के संबंध में चर्चा होनी चाहिए। क्या हमें फिर से राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर देना चाहिए? क्या इस देश को एक राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो इस देश को चलाए और संसद भी उसी प्रकार से कार्य करे जैसा कि राष्ट्रपति चाहे। इस मुद्दे पर

[श्री खारबेल स्वाईं]

बहस होनी चाहिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश में मंत्री संसद से नहीं चुने जाते। वे न तो सीनेट से और न ही हाऊस आफ रिप्रेन्जेटेटिव्स से नियुक्त होते हैं। वे सब बाहर से होते हैं। जब राष्ट्रपति यह सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सक्षम हो सकता है, और सरकार चला सकता है उसे वे मंत्री बना सकते हैं। तो क्या हम उसी प्रणाली की ओर वापिस जा सकते हैं उस पर बहस होनी चाहिए। यदि हम राष्ट्रपति प्रणाली नहीं लागू कर सकते तो क्या हम अपने संविधान में ऐसा कोई प्रावधान कर सकते है कि एक निश्चित प्रतिशत मंत्री संसद के बाहर से चुने जाए? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

ऐसा इसलिए हुआ है कि अब आपने परिणाम देख लिया है। 1991 के दौरान वह व्यक्ति जो रिजर्व बैंक का गवर्नर था उसे इस देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अब वे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अतएवं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम एक निश्चित प्रतिशत सक्षम व्यक्तियों को बाहर से मंत्री नियुक्त कर सकते हैं।

अब मैं अपने आखिरी बिन्दु पर आ रहा हूं। क्या हम राज्य विधानमण्डलों और संसद का कार्यकाल नियत कर सकते हैं? महोदय, हालांकि आपको पता है कि यह पांच वर्ष के लिए है तथापि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह कितने समय तक चल पाएगी। ये तेरह महीने भी चल सकती है यह चार वर्ष भी चल सकती है। यह पांच वर्ष तक भी चल सकती है कोई यह सही-सही नहीं जानता कि यह कितने समय के लिए चल सकती है। अतएवं, मैं सोचता हूं कि अमेरिका के हाऊस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स तथा अन्य पश्चिमी प्रजातांत्रिक देशों की तरह सभा का समय तय रहना चाहिए। यह किस प्रकार तय किया जाना चाहिए? यह तय किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार न गिरे। सरकार पांच वर्षों से पहले किस प्रकार नहीं गिरेगी?

मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से इस देश के राष्ट्रपति और गर्वनरों द्वारा मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री का मनोनयन अथवा उनकी नियुक्ति की जाती है उसकी बजाय इस सदन और राज्य विधानमंडलों को स्पीकर की भांति मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री का मनोनयन या उनकी नियुक्ति करने के अधिकार दिए जाएं। हम ऐसा कर सकते है। जब अध्यक्ष का चुनाव सभा के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है तो इस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव वे क्यों नहीं कर सकते? विधायक राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव क्यों नहीं कर सकते? यदि पांच वर्षों से पहले ऐसा होता है तो सभा भंग नहीं होगी क्योंकि हर समय वहां पर कोई न कोई मुख्यमंत्री होगा। अतएवं यदि सरकार निर्वाचन सुधार आयोग के पास जाती है तो मेरा मानना है कि हमारे सभी सुझाव उनके समक्ष रखे जाएं और उन्हें इस संबंध में कोई निर्णय लेने दें। वे इसकी समीक्षा कर सकते हैं। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस कराइए। और यदि आवश्यकता हुई तो मैं समझता हूं कि इन बिन्दुओं के माध्यम से हम कुछ सुधार कर सकते हैं अथवा अपने संविधान में कुछ आशोधन कर सकते हैं कि हम अपनी निर्वाचन प्रणाली को और अधिक बेहतर बना सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मेरे ऊपर लू ने आक्रमण कर दिया, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। लेकिन यह ऐसा विषय था जिस पर मुझे बोलना आवश्यक था। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में निरंतर समस्याएं आती हैं। उनमें सुधार होते हैं, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश रहती है। क्योंकि चुनौती प्रक्रिया ही ऐसी है जिससे हम लोकतंत्र में जनता की इच्छा को सही ढंग से नापते हैं।

मुझे वह समय याद है जब 1962 से पहले चुनाव हुआ। उस समय बक्से रख दिये जाते थे और पर्चियां डाल दी जाती थी। उसमें ज्यादातर सरकार पार्टी के प्रतिबद्ध अधिकारी होते थे। वे दूसरी पार्चियां निकालकर भारद्वाज जी की पार्टी में रख देते थे और सारी सीट भारद्वाज जी की पार्टी उस जमाने में जीत जाती थी। उसके बाद यह कहा गया कि बैलेट पेपर होने चाहिए जिस पर सभी दलों के निशान होने चाहिए और ठप्पा मारने के लिए मतदाता आने चाहिए। मैंने अपनी आंख से 1971 का चुनाव देखा। उस समय मैं मुंगेर में मधु जी के चुनाव प्रचार में था। ऐसा लगता था कि जिस गांव में मैं था, वहां हमारी ही जीत होगी। लेकिन वोट के दिन सौ आदमी लाठी लेकर आये और हमें मारकर भगा दिये। उसके बाद चार लोग बूथ में बैठ गये और 90 फीसदी वोट डाल दिये। इस तरह चुनाव परिणाम कुछ दूसरे ढंग का हो गया।

श्री वाई वी. चव्हाण भारत के गृह मंत्री थे। इस संसद में बड़ी चर्चा हुई और जयप्रकाश जी के परामर्श से चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये। उसमें एजेंट और सभी मतदाताओं का आईडेंटिफिकेशन होना अनिवार्य किया गया, फिर भी रोग खत्म नहीं हुआ। अब नया सिस्टम चल गया कि हम अपने देश में इलैक्ट्रानिक मशीनें रखेंगे जिसमें मतदाताओं के पास आईडेंटिफिकेशन के साथ ऐसा कोई कार्ड होगा। उसकी नतीजा यह हो रहा है कि मतों का प्रतिशत सबसे कम आ रहा है। हम लोगों के हिसाब से हमने सबसे फूलप्रूफ सिस्टम अब अपने देश में लागू कर दिया है। उसका नतीजा यह है कि 20 फीसदी, 25 फीसदी और 30 फीसदी वोट पड़ रहा है। सम्भ्रांत लोग, जो देश के लोकतंत्र के बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर एक आध पैग व्हिस्की का लेने के बाद कहते हैं

कि राजनीति में गुंडे आ गये, बदमाश आ गये, बिना पढ़े, कम पढ़े आ गये, ऐसी 24 घंटे चिंता व्यक्त करते हैं और वोट के दिन वोट डालने नहीं जाते। भारत की सबसे पढ़ी लिखी लोगों की कांस्टीटूएंसी नार्थ इलाहाबाद है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय, जिसको आक्सफोर्ड कहा जाता है, उसके रिटायर्ड प्रोफेसर, मौजूदा प्रोफेसर, वहां मेडिकल कालेज है, सबसे प्रतिष्ठित इस देश का इंजीनियरिंग कालेज है, ट्रिपल आईटी, है, इस देश के हिन्दी जगत के जितने नामी कवि, लेखक, गद्यकार और पद्यकार, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा से लेकर रामकुमार वर्मा और आज की पीढ़ी से डा. दूधनाथ सिंह तक हैं, उस कांस्टीटूएंसी में जब वोट पड़ा, तो वोट का प्रतिशत असेम्बली के चुनाव में मात्र 18 फीसदी थी। आप सोच सकते हैं कि इस देश के पढ़े-लिखे और देश के लोकतंत्र के बारे में चिंतित लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितनी रुचि है। इसे हम ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए हमारे देश की वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक जरूरत है-लोकमानस में जागृति पैदा करने की। हर व्यक्ति के लिए वोट करना किसी भी कीमत पर अनिवार्य किया जाये। यदि वह नोट नहीं देता, तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान किये जायें। इलेक्टोरल रिफार्म में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब बीजेपी की सरकार थी, तो बड़े झगड़े, 24 घंटे हमारे इन मित्रों के उनसे रहते हैं और उनकी उनके साथ सबसे अधिक समस्याएं रहती हैं। लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल रिफार्म्स के लिए जो कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता जी को बनाया। उस कमेटी ने बहुत से सुझाव दिए, जिनमें से कई सुझावों को मान लिया गया और अन्य कई सुझावों को मानने की दिशा में पहल की गयी, फिर भी यह रोग नहीं हटा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रचार के लिए सरकारी साधन मुहैया कराए जाने चाहिए, सरकारी इमदाद मिलनी चाहिए। उसका कारण सही है, उसका वाजिब आधार है। जो ईमानदार पार्टियां हैं, जो बड़े लोगों से धन नहीं पाती हैं, वे चुनावी प्रक्रिया में प्रचार के दौर में सफरर हो जाती हैं। इस देश में इस बात पर बड़ी बहस हुई कि बड़ी कंपनियों से चुनाव के लिए चन्दा लेना चाहिए या नहीं। जब इस पर प्रतिबंध था तो वर्ष 1967 में इसी सदन में एक सवाल पूछा गया था उस वर्ष किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा देश की किन बड़ी कंपनियों ने दिया। उस जमाने में एक लाख रुपए का बहुत मतलब होता था। उस जमाने के गृहमंत्री यशवंतराव बलवंत राव चव्हाण जी ने इसी सदन में उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा 68 लाख रुपए उस जमाने की सरकारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मिले। आज लोक सभा में बहुत से ऐसे सदस्य बैठे हैं या बहुत से लोग जो सदस्य निर्वाचित होने से वंचित रह गए, उनको अपने चुनाव पर दो से ढाई करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। यदि आज के इस खर्च को पैमाना बना लें उस जमाने को, तो पूरी पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए 68 लाख रुपए चंदा मिला। सबसे अधिक चंदा पाने वाली दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी थी, जिसे 38 लाख रुपए मिले। सभापति महोदय जिस पार्टी से आपका संबंध है, उस पार्टी का उस जमाने में भी बहुत दौर-दाब था, दिल्ली में आपकी सरकार थी, अन्य कई राज्यों में आपने अन्य दलों के साथ संविद सरकारें बनाई थीं। आपकी पार्टी को उस समय 30 लाख रुपये चंदे के रूप में मिले। क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज असेंबली इलेक्शन में भी 25-30 लाख रुपए लग जाते हैं। माननीय विधि मंत्री जी एक लिमिट बना देते हैं कि चुनाव में 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, लेकिन जब अपनी पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों को वित्तीय मदद देते हैं तो वह 25-30 लाख रुपए हो जाते हैं। उस समय पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनसंघ को 30 रुपए चंदे के रूप में मिले थे। इसी तरह हमारे पुरखों को भी गलती से 11-12 हजार रुपए मिल गए थे। मैं समझता हूं कि इसीलिए कामरेड इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि प्रचार की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि चुनाव आयोग की होनी चाहिए। धन का जो जबर्दस्त प्रभाव भारत के लोकतंत्र पर पड़ रहा है, इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। हम निजी अनुभवों से कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको कहा जाता है कि तथाकथित माफिया हैं, बदमाश हैं, ऐसे इक्के-दुक्के लोग चुनाव जीतकर अगर आते हैं तो यह जनता की इच्छा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूं कि इस तरह के लोग हमारी संसद और सरकार की कार्यवाही में बहुत सीमित बाधा पैदा करते हैं।

एक अन्य मनोयोग यह है कि जिसे देखिए वही राजनीति को गाली देता है, लेकिन उसकी इच्छा यही होती है कि किसी तरह वह चुनाव जीतकर असेंबली या पार्लियामेंट का मेंबर बन जाए। इस देश में बड़े अफसर तो कभी रिटायर ही नहीं होते हैं, केवल छोटे कर्मचारियों के लिए यह कानून बना हुआ है कि वे 60 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। लेकिन जो बड़े अफसर हैं, उनको रिटायर होने से एक महीने पहले ही किसी रेगुलेटरी अथारिटी का अध्यक्ष या सदस्य बना दिया जाता है। जहां वे अगले पांच साल फिर मौज करते हैं, उनकी विदेश यात्राएं उसी रफ्तार से जारी रहती हैं। यदि न्याय मंत्री जी इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें तो ईमानदारी से इस देश को यह बात मालूम हो जाएगी कि कम से कम लगभग 1500 से अधिक ऐसे रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं जो किसी न किसी अथारिटी के अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं और अपनी मौज-मस्ती को उसी रूप में कर रहे हैं, जैसा वहे सेवा काल में किया करते थे।

इसलिए एक प्रतिबंध तो इस देश में लगना चाहिए कि 60 साल की उम्र में सेवा समाप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति को

[श्री मोहन सिंह]

इस तरह से पद नहीं दिए जाएंगे। यह सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। अब एक नई प्रक्रिया चल रही है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, वह भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होगा। यह नई परिपाटी शुरू हो गई है। भारत का जो चीफ जस्टिस रहा होगा, सरकारी पार्टी का राज्य सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया जाएगा। इससे हमारे देश की विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। इन संस्थाओं के लोगों में यदि लालच की प्रवृत्ति पैदा हो गई, इलेक्शन कमीशन के सदस्य यदि प्रतिबद्ध हो गए तो किसी भी हालत में, भले ही सरकार कानून बना ले, इस देश में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। जिस पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होगी, वैसी ही उनका रुझान होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति के पूर्व ऐसे अधिकारियों के रिकार्ड, उनकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए और एक पारदर्शी तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए।

चुनाव लड़ने के लिए एक नया सिस्टम शुरू हो गया है। हम अपने देश में 1962 से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दल-बदल कराती थी, कोई समस्या नहीं थी। विपक्ष के लोग निरंतर 1962 और 1966 तक इसी दिशा में भागते थे। इसलिए उस समय देश में दल-बदल कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 1967 में एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई, इनके श्रीमन् इधर आने लगे। हम लोग उन्हें सिर पर बिठाकर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनाने लगे। इससे इन्हें चिंता हुई कि दल बदल इस देश का बड़ा रोग न हो जाए इसलिए इसका इंतजाम किया जाना चाहिए। दल बदल की रोकथाम के लिए तब जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे। बाद में दल बदल पर प्रतिबंध लगाने का एक कानून इस संसद ने पास किया। हमारे नेता मधु दंडवते जी ने उस समय यहां से खड़े होकर कहा था कि आज 31 तारीख है, गांधी जी का शहीदी दिवस है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि भारत की आजादी का प्रथम दिवस है और मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यहीं से हमारे नेता ने राजीव गांधी जी को इसका काम्पलीमेंट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं समझता हूं कि कितनी अवज्ञा और भंग इस कानून का हुआ, किसी दूसरे कानून का नहीं हुआ होगा। अब एक नया आयाम जोड़ दिया गया, वह यह कि यदि मोहन सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, हमारी दोस्ती आदरणीय भारद्वाज जी से है, तो वह हमारे कान में कहते हैं कि तुम्हारी बर्थ हमारे बगल में रिजर्व है, हमारी तरफ आ जाओ। हम कहते हैं कि ऐसे जाऊंगा तो हमें स्पीकर साहब डीबार कर देंगे और हमारी सदस्यता चली जाएगी। इस पर वह कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, उप चुनाव होगा, तुम जीतकर आ जाओगे। इस तरह के दर्जनों उप चुनाव देश में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक संशोधन चुनावी प्रक्रिया में होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी भी सदन में एक बार जीतकर आ जाए तो उसे पांच साल के भीतर उप चुनाव में इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि दल-बदल का एक नया आयाम इस देश में खुलेगा और इसका असर जनता पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक विधान सभा क्षेत्र के चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए हमारा स्वार्थ जिम्मेदार है, लेकिन हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आज एक आदमी तीन-तीन जगह से चुनाव लड़ता है, केवल यह दिखाने के लिए कि मुझे पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, पूरे देश में सम्पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके बाद वह एक जगह की सदस्यता रखकर तीन जगह से इस्तीफा दे देता है और फिर उन तीन जगहों पर उप चुनाव होते हैं। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल को एक जगह से दूसरी जगह चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक बड़ी लम्बी बहस इस देश में हो रही है कि अपराधी कौन है, उसे चुनाव लड़ने की छूट हो या न हो। इस बात पर बड़ा हल्ला होता है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि निचली अदालत से किसी भी आपराधिक मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को सजा हो गई हो, जब तक वह सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण रूप से निर्दोष साबित नहीं हो जाता, किसी भी कीमत पर उसे पर्चा भरने की छूट नहीं होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

इलेक्शन प्रोसेस की जहां तक बात है, कभी-कभी चुनाव में संशोधन इलेक्शन कमीशन की राय पर सरकार स्वत: विधेयक लाकर करती है। कभी-कभी लॉ कमीशन सुझाव देता है और भारत सरकार खुद करती है। कभी-कभी मुकम्मिल संशोधन करने के लिए, भारत सरकार, समय-समय पर अपनी ओर से कमेटी बनाती है। भावुक रूप से हम कहना चाहते हैं कि माननीय चन्द्रप्पन साहब का सुझाव भावनात्मक ढंग से सही है कि चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की अनंत गुंजाइश है और उसमें एक साथ मुकम्मिल विचार होना चाहिए। उस विचार में पिछले दस वर्ष से बहस हो रही है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो गये, उन्होंने विधेयक पेश कर दिया। पूरे देश में चित्र दिखा दिया गया कि कितना उदार प्रधानमंत्री है, सारी महिलाओं को इस संसद में बिठाना चाहता है। कोई एक महिला सांसद खड़ी हो गयीं और कहा कि नहीं, इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए और उनको बहाना बनाकर उस विधेयक को मुल्तवी कर दिया गया। मैं इस बात को ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो सबसे अधिक महिलाओं के रिजर्वेशन का हल्ला करते हैं, अंतर्मन से सबसे बड़े विरोधी वुमैन्स रिजर्वेशन के वही हैं, वे उनके लिए रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। यदि वे चाहते होते तो बड़ी आसानी से वुमैन रिजर्वेशन का बिल पास हो गया होता। संवैधानिक अमेंडमेंट्स की क्या

जरूरत है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में स्वयं इलैक्शन कमीशन ने कहा कि उसी में सुधार कर दीजिए, प्लेन मैजोरिटी से हो जाएगा और हर दल के लिए यह मैनडेटरी बना दीजिए कि किसी भी कीमत पर 15 फीसदी महिलाओं को वह टिकट जरूर देगा। जब 15 प्रतिशत उसका रिजर्वेशन हो जाएगा तो तर्क दिया जाता है कि जो घटिया सीटें होंगी, हारने वाली सीटें होंगी, वहीं से महिलाओं को टिकट पार्टी दे देगी। कौन सी ऐसी नासमझ राजनैतिक पार्टी होगी, जो अपनी अधिक से अधिक सीटें हरवाना चाहेंगे। यह तो एक दिमागी फितूर है। जो लोग महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं, उनके द्वारा गढ़ा हुआ यह तर्क है। हर राजनैतिक पार्टी उसी क्षेत्र से अपनी महिला प्रतिनिधि को लड़ाना चाहेगी, जहां से उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। अगर हर पार्टी के टिकट पर 15-15 फीसदी महिलाएं आ गयीं तो क्या केवल 33 फीसदी महिलाएं यहां रहेंगी, उनका प्रतिशत तो अपने आप बढ़ा हुआ नजर आयेगा। लेकिन केवल इसलिए कि संवैधानिक अमेंडमेंट होगा, इसके लिए मोहन सिंह और मुलायम सिंह जी तैयार नहीं है, इसलिए इनके सिर पर ठीकरा फैंक कर, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, यह महिलाओं के खिलाफ, बड़ी पार्टियों का लगातार पिछले 15 वर्षों से षडयंत्र चल रहा है। इस षडयंत्र को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ही संशोधन करके, महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): विश्व के सभी देशों में बिना किसी अपवाद यह पाया गया है कि संसदीय प्रणाली के माध्यम से आम प्रक्रिया में अधिनियमित कानूनों का उल्लंघन होता है। यदि उल्लंघन का मुद्दा है तो पूरे विश्व में कानून का सार्वभौमिक रूप से उल्लंघन होता है। अतएवं कानून का उल्लंघन करना या उसे लागू न करना किसी प्रणाली को बदलने या नई प्रणाली बनाने का कोई कारण नहीं हो सकता।

भारतीय संविधान की मूल जड़े अत्यधिक शक्तिशाली हैं और भारत के आम आदमी की प्रजातांत्रिक अपेक्षाओं को प्रदर्शित करने की प्रणाली बहुत ही प्रभावी है। अतएवं, मैं भा.ज.पा. के अपने युवा मित्र द्वारा राष्ट्रपति शासन के संबंध में दिए गए सुझावों से सहमत नहीं हूं। वास्तव में नौकरशाही सरकार स्थापित करने की बात कर रहे हैं। मंत्रियों का चुनाव नहीं होना चाहिए केवल सभी शक्तिशाली राष्ट्रपति द्वारा चुने गए नौकरशाहों और तकनीकविदों को सरकार में सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह अमेरिकी प्रणाली की नकल है। यह प्रजातांत्रिक प्रणाली से विमुख होना है। वस्तुत: यह प्रजातंत्र अथवा प्रसिद्ध मत के प्रतिबिंब को नकारना ही है। अतएवं, मेरे पास उनकी बात से सहमत होने का कोई कारण नहीं है। परंतु, महोदय जब हम यह बात करते हैं कि भारतीय प्रजातंत्र और भारतीय संविधान की मूल तत्वों को बनाए रखना चाहिए तो इस बात पर बहस करनी होगी कि प्रजातंत्र को और अधिक प्रभावी निर्वाचन पद्धति को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए और अधिक संशोधन किए जाने चाहिए।

पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में एक भ्रांति है जो सारे देश में फैली हुई है। वह भ्रांति क्या है? माननीय सदस्य संसद में मंत्रालयों के कर्त्तव्यों के संबंध में आपस में बाते कर रहे हैं। अतएवं, आप देख सकते हैं कि प्रणाली का उल्लंघन किस प्रकार किया जा रहा है। माननीय विधि मंत्री कृपया मेरी बात सुनें। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री मुझे इस संबंध में कुछ सुझाव दे रहे हैं कि कंपनी विधि किस प्रकार बदला जा सकता है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पूरी प्रणाली में भ्रामकता है। भ्रामकता यह है कि एक राजनीतिक दल जो 20 प्रतिशत अथवा 30 प्रतिशत वोट प्राप्त करता है अर्थात् अल्पमत प्राप्त करता है वह 50 प्रतिशत से अथवा उससे अधिक सीट प्राप्त कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि प्रारंभ से ही देश पर शासन कर रही है, को कभी भी 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं मिले। सामान्यत: सत्ता पक्ष के दल को अल्प मत मिले। अतएव, यह अल्पमत सरकार है, बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली अल्पमत। यह प्रजातंत्र नहीं है क्योंकि देश की बहुमत जनता की राय को प्रदर्शित नहीं करती। यह छलावा है। यह साधारण बहुमत अवधारणा का एक छलावा है।

एक अन्य छलावा है। वह छलावा है कि एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में 15 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। वह चुनाव भी झुठलाया नहीं जाता है। 15 प्रतिशत में से वह व्यक्ति जिसने 8 प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त किया वह उस क्षेत्र के 100 प्रतिशत मतदाता का प्रतिनिधित्व करने वाला निर्वाचित होता है। यह दूसरा छलावा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह प्रजातंत्र का मतिभ्रम है। सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, भूल-सुधार की आवश्यकता है।

किस प्रकार की प्रणाली हम खोज रहे हैं? संसद या संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करें या संसद का गठन इस प्रकार से हो ताकि वे जनता की राय का सही प्रतिनिधित्व करें तथा ना कि बहुमत की जीत के नाम पर अल्पमत का शासन हो। हम बहुमत के मतों के आधार पर बहुमत की जीत चाहते हैं। यह किस प्रकार किया जा सकता है? पहले यह सुझाव था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। यह भारत जैसे देश में संभव नहीं है क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। अतएव, मैं आनुपातिक

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

प्रतिनिधित्व के लिए दलील नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं परिवर्तन के लिए दलील दे रहा हूं। यह क्या हो सकता है? एक माडल है। मेरे विचार में, नेपाल माडल एक माडल जिस पर हमें विचार करना चाहिए। संसद की पचास प्रतिशत सीट लोगों द्वारा सीधी तरह से निर्वाचित हो, हो सकता है, साधारण बहुमत के आधार पर तथा हो सकता है, बहुमत नहीं वरन् जनमत के महत्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करते हों। ऐसा ही होने दीजिए. दूसरा पचास प्रतिशत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित हों। दल उम्मीदवारों की घोषित सूची के आधार पर लोगों को एक दल को मत डालने को कहें तथा दल अपनी सूची से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने उम्मीदवार चुनें। यदि इस तरह का संयोजन किया जाय, साधारण बहुमत प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सम्मिश्रण, तो यह काफी कठिन नहीं होगा। यदि इस तरह का सम्मिश्रण किया जाय, तो मैं सोचता हूं कि भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली और फलदायक होगी। अन्यथा, श्री भारद्वाज एक अल्पमत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हों लेकिन संसद में उनका बहुमत है। निर्वाचित सदस्य या सरकार को समर्थन दे रहे सांसद साधारणतया बहुमत से निर्वाचित हों परंतु वे अल्पमत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक छलावा है। मैं श्री भारद्वाज से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। इसके दो पहलू हैं। कम मत डाले जाने के कारण कोई चुनाव अमान्य घोषित नहीं होता है। यह नहीं है। 10 प्रतिशत मत पड़ने का पर भी कानूनी रूप से चुनाव प्रभावी माना जाता है। द्वितीयत: दलों की बहुतायत तथा उम्मीदवारों के बहुतायत के कारण कोई व्यक्ति जो मतों का केवल 10 प्रतिशत मत प्राप्त करता है, वह मनों के विभाजन के चलते निर्वाचित हो जाता है। क्या मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से-वे केवल विधि का ही नहीं वरन् न्याय का ही पदभार संभाल रहे हैं-से उस व्यक्ति के संबंध में मत जान सकता हूं जो 15 प्रतिशत मत प्राप्त करता है तथा उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है जहां दस लाख लोग रहते हैं। क्या यह बुद्धिमत्ता है? क्या यह न्यायोचित है? माननीय मंत्री मेरे मित्र का प्रारूप विधेयक स्वीकार करें या नहीं करें, यह मसला नहीं है। तथा वे स्वीकार करेंगे कि वर्तमान प्रणाली में गंभीर कमियां हैं? यदि गंभीर कमियां हैं, तो इसे किस प्रकार दूर करेंगे? वे हमेशा चुप रहते हैं। वे हमेशा सरकार को सही सलाह देने में व्यस्त रहते हैं ताकि लोगों का कोई भला नहीं हो। वे वहां सरकार को यह सलाह देने में लगे हैं कि जनहित से किस प्रकार बचा जाय। यह उनका काम है। उन्हें ऐसा करने दें। मैं सचमुच इस पर ध्यान नहीं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने उस संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनसे कहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पश्चगामी कर प्रणाली बनाए रखने का काम करने दें। मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन क्या वे इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि किस प्रकार समाधान किया जाय? किस प्रकार विद्यमान कमियों को दूर किया जाय? किस प्रकार भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाय? यह भारत के समक्ष मुद्दा है। हम 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र बने। 1950 में हमने संविधान स्वीकार किया। लगभग 60 वर्ष से वर्तमान संविधान लागू है। अतएव, संविधान के क्रियान्वयन के मार्ग मे पता चल गई कमी या कमियों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। वह क्या है? सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है। सरकार मूल्यवृद्धि के विषय में नहीं सोचती है। सरकार संगठित श्रम के विषय में नहीं सोचती है। सरकार संविधान की कमियों के विषय में नहीं सोचती है। सरकार केवल सत्ता में बने रहने के विषय में सोचती है। किस प्रकार मंत्री बने रहा जाय? लगातार सत्ता में कैसे रहा जाये। यह इस तरफ तथा उस तरफ दोनों के लिए सही है।

महोदय, दूसरे दल से मेरे एक मित्र ने कहा कि ऐसी संसद होनी चाहिए जो सरकार के गिरने के बाद भी चलती रहे। वे मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। वे लोगों का सामना करने से घबड़ाते हैं। हम हार जायें या हरा दिए जायें, या हम जीत जायें, हम चुनाव का सामना करने से नहीं घबड़ाते हैं। पांच वर्षों के लिए कोई स्थायी संसद नहीं हो सकती है। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नहीं हो सकती है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही होनी चाहिए। छलावे को देखें। आप हिंसा पर बोल रहे हैं। हिंसा वास्तविकता है। बूथ-कब्जा वास्तविकता है। गुंडाबाजी, दंगाबाजी वास्तविकता है। लेकिन गुंडाबाजी का स्रोत क्या है? गुंडाबाजी का स्रोत काला धन है, अपार अतिरिक्त धन है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी। सरकार उसकी पूरी तरह अनदेखी करेगी। यह केवल यह सरकार ही नहीं, वरन् जितनी भी सरकार ने भारत पर शासन किया है, उसके काले धन पर नहीं बोला है। काला धन भ्रष्टाचार का स्रोत है, काला धन हिंसा की जड़ है, काला धन सामाजिक मतिभ्रम का स्रोत है, कालाधन राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। यदि श्री भारद्वाज के पाकेट में 1 करोड़ रुपये हों तो वे आसानी से राज्यसभा में निर्वाचित हो सकते हैं। भारद्वाज जी, अगर मैं एक बात कहूं तो कृपया नाराज मत होना...*(व्यवधान)* कीमतें बढ़ गई हैं। मुझे नहीं पता कि आपको वह पैसा मिल गया है या नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे कुछ और मिनट बोलने की अनुमति दें।

हाल ही में तीन सदस्य दूसरे सदन के लिए चुने गए और वे सब निर्दलीय सदस्य है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वे ऐसा कैसे कर पाए? उनके पास पैसा था। उन्होंने एमएलए खरीद लिए। भारत में राजनेता आसानी से खरीदी जानी वाली चीज है। जेब में काफी पैसा होने से उन्होंने वोट खरीद लिए और कारपोरेट घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य बन गए। क्या भारद्वाज जी मेरी इस शिकायत से सहमत होंगे और बताएंगे कि भारत में क्या हो रहा है? झारखंड में भी ऐसा हुआ

तथा कई अन्य स्थानों पर भी ऐसा हो सकता है। लोक सभा चुनावों में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): पैसा काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: पैसा काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है और इसने लोकतंत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। ये राजनेताओं पर भी हावी हो रहा है। इसलिए कानून में संशोधन किए जाने की जरूरत है। सामाजिक ढांचे में संशोधन किए जाने की जरूरत है। बुराई को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। किंतु भारद्वाज जी ऐसा नहीं कर सकते है। वे अपने संरक्षकों से बैर मोल नहीं ले सकते। पैसे वाले लोग उनके संरक्षक हैं। वह उनमें विश्वास रखते हैं। उन लोगों के पास काफी पैसा है या नहीं प्रश्न यह नहीं है। वे अपने संरक्षकों से बैर मोल नहीं ले सकते हैं।

महोदय, मूल प्रश्न यह है कि वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली में पैसे, लाभ, काले धन, बाहुबल और उन लोगों का शासन है जो देश में सभी प्रकार के कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह पथभ्रष्ट होने का मुख्य आधार है। इसलिए इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है।

कालेधन को खत्म किए बिना लोकतंत्र की बात करना निरर्थक है। वर्तमान चुनावी प्रणाली पर पुनर्विचार किए बिना लोकतंत्र निरर्थक है। यदि हम उन बुराइयों के मूल कारणों पर ध्यान नहीं देंगे जो लोकतंत्र को बर्बाद कर रही हैं तो यह सब बेकार होगा। मेरे मित्र का यह विधेयक चुनावी अराजकतावाद को दूर करने की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है। यह न केवल चुनावी अराजकतावाद है अपितु राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अराजकतावाद भी है। भारद्वाज जी, क्या आप इन सब पर ध्यान देने को तैयार हैं? क्या प्रधानमंत्री ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया है। यदि हां, तो हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों और मुद्दों के बारे में आपका क्या जवाब है?

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदय, श्री चन्द्रप्पन जी जो बिल लेकर आए हैं, उसके संबंध में आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। स्वाईं साहब ने जब अपनी बात शुरू की और कहा कि बिल नहीं रिजाल्यूशन के रूप में इसे लेना चाहिए। उसके बाद जो वक्ता थे उन्होंने इलैक्ट्रोरल प्रासोस के अलग-अलग विषयों के बारे में बातें कही। लेकिन एक बात सभी जानते हैं कि हमारी मौजूदा स्थिति में कुछ परिवर्तन या बदलाव अतिआवश्यक है। मैं चन्द्रप्पन जी के द्वारा उठाए गए पहले प्वाइंट पर आता हूं, उन्होंने प्रपोशनल रिप्रेंजेंटेशन की बात कही है, यह बात आई और कम से कम मैं इस बात से प्रभावित हूं कि प्रपोशनल रिप्रेंजेंटेशन की तरफ सरकार को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए। इस संबंध में मेरे विचार क्या है, मैं उन्हें सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 15-20 सालों से चुनाव हो रहे हैं, जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों से दल आए और उन्होंने वहां के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया। मेरे ख्याल से देश भी उन लोगों के बारे में ज्यादा जान पाया है जिससे एक बराबर विकास की बात को बल मिला है, अलग-अलग तरीकों, अलग-अलग प्रांतों और संबंधों के लोग सामने आए हैं, उन्होंने यहां छाप छोड़ी है। लेकिन एक जगह पर अलग-अलग लोगों, अलग-अलग प्रांतों, के अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग दलों के आने के कारण मैं उनका समर्थन करता हूं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और हो गई है कि हम लोग अपने प्रांत के अंदर, अपने समाजों के अंदर, अपने दरीबों के अंदर बंटवारा करने लगे हैं। आज सबको जोड़कर, चाहे उसे क्लास में देख लें, चाहे कास्ट के एगलोमेरेशन में देख लें, कोई बात नहीं करता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र यहां बैठे हैं, जब मैं उनकी बात सुनता हूं तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस की डील चल रही है। अगर मैं गलत हूं और आप लोगों ने यह बात न सुनी हो तो आप मुझे बताइयेगा। उनकी बात ऐसी होती है कि यार मेरी कांस्टीटुएंसी में डेढ़ लाख ठाकुर हैं और इसके कारण करीबन 35-40 हजार हमें यादव मिल जायेंगे। मुझे इस पार्टी का टिकट मिला हुआ है तो सवा लाख यहां ब्राह्मण मिल जायेंगे। डेढ़ लाख के करीब हमारे पास हरिजन वोट्स हैं, उनमें से करीब पचास परसैन्ट मिलेंगे और 15 हजार इसमें पासी जुड़ जायेंगे, 16 हजार इसमें कुर्मी जुड़े जायेंगे। वहां इस तरीके का जोड़-घटा होता है। कभी कोई सांसद बैठकर यह बात नहीं करता है कि मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैंने पांच साल निष्ठा से काम किया है। पांच साल मेरी सरकार ने भी निष्ठा से काम किया है। मैं जनता के बीच में रहा हूं और इसलिए जनता मुझे स्वीकार करेगी। जनता मेरे विकास के काम को, मेरे चरित्र को, मेरे पांच साल के अनुभव को सलाम करेगी और हो सकता है कि वह मुझे दोबारा आशीर्वाद दे दे। इस तरीके का विश्वास किसी सांसद में नहीं है। विश्वास तब होता है, जब उसे लगता है कि जनता के बीच के गुणा-भाग में 40-50 परसैन्ट पर पहुंच रहा हूं तो मुझे अपने में विश्वास हो जाता है। आज हम सब यही करते हैं। इसे हम तब तक नहीं तोड़ सकते, जब तक दो-तीन चीजों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। एक परिवर्तन के बारे में चंद्रप्पन जी ने खुद कहा, जब हम प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन की बात करते हैं तो प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन की बात एक और चीज के कारण बहुत आवश्यक हो जाती है कि संविधान में जो 73वें और 74वें संशोधन हुए, उसके बाद आज जो धरती की चीजें हैं, जो नाली, खड़ंजे की बात होती है, जो हैंड पम्प की बात होती

[श्री सन्दीप दीक्षित]

है, जो स्थानीय विकास की बात होती है, उसके लिए एक और कड़ी इस पूरे देश में आ गई है, एक और फौज चुने हुए प्रतिनिधियों की खड़ी हो गई है, जो जनता से जुड़े हुए, जनता के बीच के दिन-प्रतिदिन के विकास के कार्यों में अपनी आहुति रोज देती है।

जब हमने पंचायती राज के माध्यम से, म्युनिसिपल कारपोरेशन या उसके मैम्बरानों के द्वारा इतनी बड़ी फौज को तैयार किया है तो उस कड़ी को तिगुना कर देने में मुझे कोई फायदा नहीं दीखता है। वे काम मैं भी करता हूं, वे काम हमारा विधायक भी करता है, वे काम हमारा कारपोरेटर भी करता है और वे काम हमारा सरपंच भी करता है। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत बंटवारा शुरू नहीं करेंगे तो जो अलग-अलग मुद्दे हैं, उनका महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि कभी-कभी कहा जाता है कि आज राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व नहीं रह गया है। राष्ट्रीय मुद्दों का महत्व इसलिए नहीं रह गया है, क्योंकि हमारी अपनी राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। मैं यहां इसलिए चुनकर नहीं आता कि राष्ट्रीय नीति पर मेरे क्या विचार हैं। मैं इसलिए दोबारा चुनकर संसद में नहीं आ जाऊंगा कि आर्थिक नीति पर मैंने क्या कहा या सरकार पर क्या प्रभाव डाला अथवा ग्रोथ रेट पर मेरे क्या प्रभाव रहे। मैं इसलिए चुनकर आऊंगा कि मेरे इलाके के नाले जो कारपोरेटर को साफ करने चाहिए थे या विधायक को देखने चाहिए थे, वे साफ हैं या नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन अलग-अलग स्तर पर जो लोग चुनकर जाते हैं, अगर आप उन्हें अलग-अलग दायित्वों के लिए प्रैशराइज नहीं करेंगे तो देश की जो जरूरतें हैं, वे भी कहीं न कहीं धूमिल हो जाती हैं और इस कारण से प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन का आना अति आवश्यक हो गया है। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय विचारधारा या कम से कम जो राज्य की विचारधारा है, उससे जुड़े हुए लोग धीरे-धीरे और प्रबल रूप से अपनी पार्टियों में और चुनावों में आगे आयेंगे। मैं मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कभी सरकार इस बारे में विचार करे तो एक बात इसमें जरूर लाये कि प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन में जो लिस्ट पार्टियों की बने, उन व्यक्तियों में कम से कम एक क्राइटीरिया जरूर होना चाहिए कि एक या दो बार उनके द्वारा सीधा चुनाव भी जीता हुआ होना चाहिए। ऐसा न हो कि निरा-कोरा कोई भी व्यक्ति उस लिस्ट में आ जाए। अगर संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी अपनी प्रपोर्शनल लिस्ट में डालती है और वह एक बार नहीं, दो बार किसी भी डायरेक्ट चुनाव में जीत चुका है, तब वह प्रपोर्शनल के लिए एलिजिबल होना चाहिए, वरना नहीं। जैसे दासगुप्त जी ने बात कही कि अपने आप ही अलग-अलग तौर-तरीके से लोग राज्य सभा में प्रवेश ले लेते हैं। इससे अपने आप यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे शांत होती चली जायेगी, क्योंकि जनता के बीच में एक बार कोई भी चुनकर आ सकता है। जनता से बीच में एक बार तो कोई भी चुनकर आ सकता है, दूसरी बार चुनने में जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जनता के बीच में रहकर जिस तरह की चीजों को अपने चरित्र में, अपने आचरण में लाना पड़ता है, जिन चीजों को सोच-समझ में रखना पड़ता है जिससे आप जनता से जुड़ सकें, उनके मुद्दों, उनकी कठिनाइयों, उनके दुख-दर्द से जुड़ सकें। जो आदमी 8-10 साल उसमें अपना जीवन काट लेगा, वह फिर पूरी जिंदगी कहीं न कहीं अपने आप को जनता के दर्द के साथ जोड़कर रखेगा और जब ऐसे लोग प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ सरकार में आएंगे तो 50 प्रतिशत सांसद जिसकी बात चन्द्रप्पन साहब कर रहे हैं, हमेशा वे भी जनता से जुड़े हुए रहेंगे और सही में ऐसी सरकारें और ऐसे सांसद मिलेंगे जो शायद जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो अनुभव है, आपने नेपाल की बात कही है लेकिन जर्मनी में यह बहुत समय से चल रहा है और खासकर जर्मनी में, जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ रिकंसिलेएशन और समाज को जोड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उस समाज को जोड़ने में, उस रिकंसिलिएशन में जो वहां की प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया थी, उसका बहुत ज्यादा असर रहा है। आज जिस रूप में जर्मनी जुड़ा है और जर्मनी के पिछड़े इलाकों में जिसके प्रति वैस्ट जर्मनी में काफी प्रतिक्रिया थी, वह ठंडी हुई है क्योंकि ऐसे स्तर के नेता आए जो पूरी की पूरी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कुछ और 2-4 चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। स्वाई साहब ने एक और बात बताई कि कोई दो प्रतिशत वोट पा लेता है, कोई आधा प्रतिशत वोट पा लेता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी लोग इस बारे में विचार कर सकते हैं कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वही पार्टियां आई जैसे जर्मनी में है कि जिनको मिनिमम 5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत या 3 प्रतिशत राष्ट्रीय वोट मिले। यह तब पता चलेगा कि राष्ट्र की संसद में आने के लिए राष्ट्र का कम से कम हर दूसरा या पांचवा या हर इक्कीसवां आदमी चाहता है कि इस दल की विचारधारा भी संसद में कहीं न कहीं गूंजे। एक और बात की बहुत आवश्यकता है जो मैं जर्मनी से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जर्मनी में एक धीरे-धीरे बढ़ती हुई पार्टी है जो वहां की ग्रीन पार्टी है। बहुत दिनों से जर्मनी के पर्यावरण के मुद्दों पर वह बात करती रही लेकिन उसके पास एक दिक्कत थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पूरे के पूरे जर्मनी में उसके पास समर्थन तो है लेकिन किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में इतना समर्थन नहीं है कि उस निर्वाचन से जीतकर अपना नुमाइंदा जर्मनी की पार्लियामेंट में भेज पाए। उसको 7-8-10 प्रतिशत वोट हर चुनाव में पड़ते हैं क्योंकि उसके पास प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए जर्मनी की पार्लियामेंट में, उस ग्रीन पार्टी के प्रतिनिधि बैठते हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हिन्दुस्तान के भी पुराने गये हुए दो-तीन

इसमें जर्मनी की संसद के मैम्बर भी हैं। वे जाकर वहां बैठते हैं और पर्यावरण के मुद्दों को वे पूरी तरह से संसद के सामने रखते हैं। उसकी विचारधारा के अनुरूप वहां की नीति और कार्यक्रम पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आना आज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता बन जाता है।

दूसरी चीज जो मैंने बताई कि बाकी जो 50 प्रतिशत हों, जो सीधे-सीधे टैरीटोरियल सीट से हों और चन्द्रप्पन साहब का भी इसमें एक सुझाव है कि वह 50 प्रतिशत हों, 40 प्रतिशत हों या 60 प्रतिशत हों नहीं तो कोई भी विशेषज्ञों का एक दल संसद की कमेटी मिलाकर आपस में इसके बारे में तय कर सकती है। लेकिन जो यह 25-30 या 20 प्रतिशत से जीतने वाली सीटें थीं, कहीं 18 प्रतिशत या कहीं 35 प्रतिशत पर कोई जीतता है तो इसमें भी अंतर लाना आवश्यक है। एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो पढ़ी-लिखी जगहों पर कई बार होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। हर व्यक्ति अपने दो-तीन या चार प्रेफरेंस दे देता है। जो पहले 3 या 4 केंडीडेट खड़े हैं तो प्रथम तीन जो होते हैं, उनको ले लिया जाता है। चौथे के जो सैकेंड प्रेफरेंस वोट हैं, वे फिर बाकियों में बंट जाते हैं। जब तीसरा हट जाता है तो बाकी बंट जाते हैं तो हर व्यक्ति का वोट काउंट हो जाता है लेकिन हो सकता है उस तरह का सिस्टम हम न लगा पाएं। अगर लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह सिस्टम नहीं लगा सकते हैं तो अरुण शौरी जी ने जब अपनी किताब लिखी थी तो उसमें बहुत सी चीजों के बारे में जिक्र किया है जिनसे मैं इत्तिफाक नहीं रखता लेकिन उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था और वह सुझाव मानने और सोचने लायक है। उस सुझाव को भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि अगर प्रथम चुनाव में, प्रथम वोटिंग में किसी भी एक उम्मीदवार को 50 प्रतिशत वोट नहीं मिलते हैं तो एक या दो दिन छोड़कर दोबारा चुनाव किया जाए और उसमें पहले जो केंडीडेट थे, केवल वे खड़े हों, फिर उनमें अनिवार्य रूप से किसी न किसी को 50 प्रतिशत वोट मिलेंगे। एक तो उसमें यह होगा कि जो मुख्य विचारधारा है, जो कई लोगों में कई बार बंट जाती है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक विचारधारा के साथ रहने वाले लोग अलग-अलग पार्टियों के होते हैं। कई बार ऐसा होता है तो इससे हर पार्टी में उस विचारधारा के लोगों को मौका मिलेगा कि मिलीजुली विचारधारा के लोग ज्यादा चुने जाएंगे जो मैजोरिटी में हों नहीं तो अलग-अलग उसकी ज्यादा पार्टियां हों तो ज्यादा रूप से बंट जाते हैं। एक और चीज होगी कि हर दल को दलगत होने की जगह समग्र अपील करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि अंत तक मुझे 50 प्रतिशत वोट मिलें तो शायद ही समाज का कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे मैं अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं करूंगा। आज हम यह देखते हैं कि 20-25 प्रतिशत वोट मेरा बना रहे, सात-आठ प्रतिशत वोट कैन्डीडेट की जाति से आ जाएं या जाति समीकरण के कारण हम बटोर लेते हैं। यह बटोरने की राजनीति अपने आप कम होने लगेगी। हमें देखना पड़ेगा कि 50 प्रतिशत वोट निकालना छोटी बात नहीं होती। इसके लिए पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि हर वर्ग को चाहे अमीर हो या गरीब, हर धर्म को चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर जाति को चाहे दलित हो, अगड़ा हो या ओबीसी हो, हर वर्ग में, हर कास्ट में, हर कम्यूनिटी में उसको अपना आकर्षण देना पड़ेगा और उस व्यक्ति के लिए पार्टी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कोई न कोई संदेश देना पड़ेगा तभी वे पार्टियां पचास प्रतिशत के आस-पास पहुंच सकती हैं। इस कारण से न केवल प्रपोर्शनल रिप्रजैंटेशन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए बल्कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हम उसको चुनने की बात करें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है या इस प्रक्रिया को हम जोड़ सकते हैं कि दोबारा या तिबारा चुनाव होकर पचास प्रतिशत करें। कई बार होता है कि चुनाव में एक दिन चुनाव हुआ, त्रुटियां पाई जाती हैं, बूथों में दोबारा चुनाव होते हैं और अच्छे खासे वोट वड़ते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को बदलेंगे तो हो सकता है कि जिस प्रकार की उदासीनता की बात मोहन सिंह जी कर रहे थे कि कई समाजों में, कई वर्गों में हो गई है, तो वह भी बदलेगी। अगर हर व्यक्ति को लगेगा कि मेरा वोट काउंट करेगा, वैसे मैं आपको पसंद करता हूं लेकिन आपको दस प्रतिशत ही वोट मिले, लेकिन अगर आपकी विचारधारा जैसा कोई और भी व्यक्ति है और आप चुने नहीं जा रहे हैं तो मेरा वोट आप पर बरबाद नहीं होता, दो दिन बाद मैं उसको दे सकता हूं जिस व्यक्ति से मेरी ज्यादा आस्था है जिसने जनरल चुनाव में ज्यादा वोट पाए हैं, तो मैं वोट देने के लिए भी आगे बढ़कर आऊंगा।

स्टेट फंडिंग की बात हुई है। यह बड़ा मुश्किल विषय है। मैं जानना चाहूंगा कि चंद्रप्पन जी का केरल और बंगाल में क्या अनुभव है जहां वामपंथी रहे हैं और वहां शायद चुनाव का दूसरा सिस्टम रहा है। लेकिन बाकी हिन्दुस्तान में चुनावी खर्च तो एक पहलू है। एक और उससे बड़ा पहलू है राजनीतिक खर्चा। जो सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को साल भर चलाने में, जिसमें कार्यक्रम होते हैं, जिसमें वर्कर्स होते हैं, जिसमें पार्टी मैनेजमैंट होता है, उसको चलाने में जो खर्चा लगता है, वह भी राजनीतिक पर्यावरण को बरबाद करने में, ब्लैक मनी को मुख्य रूप से लाने के लिए जिम्मेदार है।

अगर आप स्टेट फंडिंग और चुनावों की बात करते हैं तो अभी भी आपसे निवेदन करता हूं और भारद्वाज साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को जरूर देखें कि क्या जिस प्रक्रिया में, जिस सिस्टम में राजनीतिक पार्टीज रहती हैं, क्या उसमें किसी

[श्री संदीप दीक्षित]

तरह का बदलाव हम कर सकते हैं कि आज पार्टियां जिस तरह से धन पर आधारित हो गई हैं या विवश होकर उनको धन की तरफ जाना पड़ता है, वे जरूरतें कम हों। यह कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, उतनी समझ अभी मुझे नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए।

आपने बात कही है 15 प्रतिशत कांस्टीट्यूएंसी सीट के रिजर्वेशन की और 50 प्रतिशत जो प्रैफरेन्शियल सीटें हैं, उसमें कुल मिलाकर 30-35 प्रतिशत महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाए। मोहन सिंह जी ने जो सुझाव दिया और स्वाईं साहब ने कहा कि हम यह बदलाव भी ला सकते हैं कि क्या पार्टी अपनी तरफ से 15, 20 या 30 प्रतिशत सीटों का रिजर्वेशन करे, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि एक राय बनती है और सीटों को आप रिजर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप मिलकर वह नहीं कर कर सकते हैं तो मिलकर इस प्रक्रिया को तो शुरू करें कि पार्टियां अपने में कहीं न कहीं रिजर्वेशन दें। इसमें कई तरीके हो सकते हैं। आप रीजनल बेसिस पर देखिये। मोहन सिंह जी ने कहा कि लोग हारती हुई सीटों को दे देंगे तो वह राष्ट्रीय पार्टियों के लिए दिक्कत है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में भी कभी-कभी आसान हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में आज वैसा वर्चस्व नहीं है जैसा और राज्यों में है, तो हो सकता है कि हमें अगर साठ सीटें देनी हैं तो हम साठों सीटें उत्तर प्रदेश में दे दें। लेकिन अगर हमारे ऊपर इस बात की पाबंदी लगाई जाएगी कि हर राज्य में हम 30 प्रतिशत दें, हर राज्य के हर क्षेत्र में हम दें तो हो सकता है कि इन त्रुटियों को हम दूर कर सकें। अगर पूरा सदन मानता है कि सीधे के सीधे 33 प्रतिशत का रिजर्वेशन करना चाहिए तो फिर उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आल पार्टी कमेटी बुलाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे और उससे आगे यह प्रक्रिया निकलती है तो फिर उससे बेहतर प्रक्रिया कोई और नहीं हो सकती है।

जो बात आई थी पार्लियामैंट और असैम्बलीज के फिक्सड टैन्योर की, इसमें गुरुदास दासगुप्त जी की बात सही है कि शायद अभी हम लोग तैयार नहीं है फिक्स्ड असैम्बली के टैन्योर करने के लिए, लेकिन एक कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जो बार-बार चुनाव होते हैं, इस प्रक्रिया को हम कम कर सकें। कई राज्य ऐसे हैं। सब राज्यों में ऐसा नहीं होता है कि बार-बार असैम्बलियां गिरती हैं। बल्कि मुझे तो यह लगता है कि पिछले पांच-छ: सालों में बार-बार चुनाव होने की फ्रीक्वैंसी कुछ कम हुई है।

अपराह्न 5.00 बजे

हम राष्ट्र और राज्य के चुनाव एक साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे चुनाव का खर्चा भी कम होगा और हर राज्य को काम करने के लिए चार-पांच साल भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि अंतत: जनहित ज्यादा होगा। पता नहीं, एक और वोटिंग की बात श्री चन्द्रप्पन जी ने अपनी बात में कही या नहीं कही, लेकिन मुझे याद है कि रूस में जब पहले एक पार्टी का चुनाव हुआ करता था तो एक कॉलम रूस के चुनाव में जरूर नीचे दिया जाता था- वन आफ द एबव। जितने कैंडीडेट खड़े हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उनमें से किसी से भी सहमत नहीं है तो वह व्यक्ति क्या करे। या तो वह उदासीन होकर अपना मत प्रकट नहीं करेगा, उससे कहीं न कहीं अपना विरोध प्रकट करने का मौका जरूर देना चाहिए। भले ही वह केवल आध्यात्मिक रूप के लिए आवश्यक हो, रिकार्ड या डाटा के लिए आवश्यक हो। लेकिन हमारी जो मत पेटियां, मत पत्र बनते हैं, उनमें एक संख्या यह जरूर होनी चाहिए, जिसमें वन आफ द एबव का जरूर प्रोविजन होना चाहिए। अगर यह बात आ जाएगी तो कहीं न कहीं इतना हमें पता चलता रहेगा कि कितने लोग हैं, जो पूरे के पूरे सिस्टम से उदासीन बैठे हैं। हो सकता है कि उस खबर से ही कुछ न कुछ अन्य नये तरीके निकलें।

महोदय, रूस में यह होता था कि अगर वन आफ द एबव मेजोरिटी हो तो चुनाव ही निरस्त कर दिया जाता था, वह हम यहां नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए इसमें कम से कम कुछ चीजें अन्य जरूर निकल सकती हैं। चन्द्रप्पन जी, मैं आपके दोनों सुझावों का बहुत जोर से समर्थन करता हूं। भारद्वाज जी यहां बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि यह प्राइवेट मेम्बर बिल है, लेकिन सरकार हमें आश्वासन देगी कि हम इस बारे में विचार करेंगे। श्री भारद्वाज जी हमारी सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूर इस बात को, संसद के विचारों को और हमारी स्पीरिट को, केंद्र के जितने नेतागण हैं, उन तक पहुंचाएं, न केवल यूपीए सरकार के, बल्कि विपक्ष के नेताओं तक भी इन बातों को पहुंचाएं। क्या हम लोग एक अच्छे रूप में, इन दो या तीन मुद्दों पर, जो क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, यूपीए और एनडीए के घटक दल हैं, हमारे समर्थक एवं वामपंथी पार्टियों के लोग हैं, वे सब एक साथ बैठ कर सोचें। आज समय है कि इन मुद्दों पर सोच बढ़े, प्रपोशनल रिप्रेंटेशन पर और इस बात पर कि हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकें कि पच्चास प्रतिशत वोट वाला ही चुनाव जीते। हम इस तरह से सुनिश्चित कर सकें कि हर रूप में कहीं न कहीं चुना हुआ व्यक्ति ही देश की बागडोर संभाले-देश की संसद में चाहे लोक सभा हो, प्रपोशनल रिप्रेंजेंटेशन के बाद राज्य सभा का क्या रूप होगा, उस रूप में आए। इस बात को सुनिश्चित कर सकें, इस तरफ जरूर ध्यान दें।

महोदय, मैं श्री चन्द्रप्पन जी का बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए सदन में लाए और हमें भी इस पर बोलने का मौका मिला।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): मैं, कामरेड चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत चुनाव सुधार आयोग विधेयक, 2006 संबंधी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने हेतु खड़ा हुआ हूं। हमारे लोकतंत्र ने आपातकाल की अवधि को छोड़कर अन्य सभी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। हमारे लोकतंत्र ने सभी परिस्थितियों का और देश में व्याप्त अव्यवस्था का सामना किया। हालांकि, कामरेड चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक पर चर्चा होगी और यह कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी या नहीं, किंतु इसने हमारे देश में चुनावी सुधारों पर चर्चा करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। किसी भी देश का संविधान संपूर्ण नहीं है। दूसरे देशों के संविधान भी संपूर्ण नहीं है। इसलिए संविधान में इतने संशोधन संसद में प्रस्तुत और पारित किए गए। यहां भी प्रस्तुतकर्ता ने कतिपय सुझाव प्रस्तुत किए हैं और इन सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सरकार भी कुछ कदम उठाएगी। लोकतंत्र में, यह आवश्यक है कि चर्चा और विचार-विमर्श हो। जब सरकार विभिन्न संधियों पर हस्तक्षार करती है और विभिन्न नीतियां कार्यान्वित करती है तो उन पर चर्चा होनी चाहिए और संसद ऐसी चर्चाओं हेतु एक आदर्श स्थान है। किंतु दुख की बात यह है कि इन दिनों हमारी संसद इस ओर बहुत कम ध्यान देती है। यहां तक कि सरकार स्वयं ससंद की बैठकों की संख्या को कम करने का प्रयत्न कर रही है। संसद के पिछले सत्र में ऐसा हुआ था। संसद की और अधिक बैठकें होनी चाहिए तथा और अधिक विचार-विमर्श किया जाए। केवल तभी इस देश के नागरिकों के जीवन से संबंधित विभिन्न नीतियों पर चर्चा की जा सकेगी और उन्हें अपनाया जा सकेगा।

इस विधेयक में कामरेड चन्द्रप्पन ने एक चुनाव सुधार आयोग गठित करने का सुझाव दिया है और उन्होंने इसे गठित करने के तरीकों के बारे में भी सुझाव दिए हैं। मैं इस बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा अपितु मेरा सुझाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अथवा 'सूची प्रणाली' के बारे में है जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होंगे। नेपाल में, इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करते हुए हाल ही में सफलतापूर्वक चुनाव हुए हैं। मैं सुझाव दूंगा कि 50 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करते हुए किये जाएं और शेष सीटें पार्टियों द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर आबंटित की जाएं।

महोदय, हम अब महिलाओं को संसद और राज्य विधानमंडलों में अनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने के बारे में सोच रहे हैं किन्तु राजनीतिक दलों के बीच आम राय प्राप्त करने के नाम पर इसमें हम अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि संप्रग सरकार के कार्यकाल समाप्त होने से पहले वे संसद के समक्ष महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कम से कम आगामी निर्वाचन से पूर्व संप्रग सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाएगी और वह इसे एक चुनावी विषय भी बनाएगी।

जब इस देश में पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए संविधान संशोधन पारित हुआ था उस समय भी विभिन्न पक्षों द्वारा आपत्ति जताई गयी थी। अब, दो दिन पूर्व हमने उस महत्वपूर्ण उपलब्धि के 15 वर्ष पूरे किये हैं तथा देश के विभिन्न भागों से उन स्थानीय स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य यहां एकत्र हुए थे। मेरे विचार से उस समूह में भी महिला प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या थी।

समाचार-पत्रों में उनके अनुभवों के बारे में विभिन्न लेख प्रकाशित हुए हैं। उस समय आपत्तियां थीं किंतु उन्होंने जिक्र किया है कि पुरुषों के समान ही उनमें भी प्रशासनिक क्षमता है। कामरेड सुजाता यहां हैं। वह केरल से हैं तथा वह दो बार वहां थीं। वह जिला पंचायत अध्यक्षा थीं तथा उन्हें सर्वोत्तम जिला पंचायत अध्यक्ष पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनके लिए वह एक उदाहरण हैं। अत: राज्य विधानमण्डलों तथा संसद में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

हालांकि, बालिका शिशु भ्रूण हत्या के कारण आज कल कुछ राज्यों में महिला जनसंख्या में कमी आ रही है फिर भी आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग महिलाएं हैं। अत: हमें सभी विधि निर्माण निकायों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। अत: मैं इस सिफारिश से भी सहमत हूं।

दूसरी सिफारिश विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों को आरक्षण देने के बारे में है। इस देश में जहां सौ करोड़ की आबादी है, अब भी विभिन्न समूह अथवा लोगों के ऐसे समूह हैं जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कई समुदाय भी ऐसे हैं जिनका एक भी प्रतिनिधि इस संसद में कभी नहीं रहा है। आजादी के साठ साल बाद भी ऐसे समुदाय या समाज हैं जिनका एक भी प्रतिनिधि इस विधि निर्माण निकाय में कभी नहीं रहा है। अत: इस सुझाव को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव चुनावों के सरकारी वित्तपोषण के बारे में है। चुनावों पर दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इस बढ़ोत्तरी के लिए काफी हद तक विज्ञापन तथा चुनाव के समय लगने वाली सामग्री आदि जिम्मेदार हैं। अब खर्चे की सीमा है तथा सभी को उस सीमा का पालन करना पड़ता है। अत: चुनावों का सरकारी वित्तपोषण किए जाने संबंधी सुझाव भी सहमत होने योग्य है तथा इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

[डा. के.एस. मनोज]

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले ने अब चुनाव के दौरान होने वाले कुछ तथ्यों तथा भाड़े पर आदमी जुटाना, शराब की आपूर्ति, मतदाताओं को पैसे तथा घूस देना आदि की ओर सभा का ध्यान दिलाया है। अत: पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ताकि ऐसी चीजों से कोई प्रभावित न हो, कड़ी कार्रवाई या कड़े निषेधात्मक उपाय किए जाने चाहिए। यह सुझाव भी स्वीकार्य है। अत: चुनावों के सरकारी वित्तपोषण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हमारा संविधान समानता के महत्व को रेखांकित करता है तथा संविधान में सभी प्रकार की समानता का प्रावधान है।

किन्तु एक गरीब आदमी के लिए ऐसा नहीं है। एक गरीब के लिए जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है, विधान सभा या लोक सभा का चुनाव लड़ना बहुत कठिन होगा। हालांकि पार्टी चुनाव का सारा खर्च उठाए फिर भी उसके लिए चुनाव लड़ना कठिन होगा। सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का हक है। अत: उसकी आर्थिक कमजोरी या उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को चुनाव लड़ने में आड़े नहीं आना चाहिए. अत: सरकार द्वारा वित्तपोषण के सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं दो या तीन और चीजों पर बल देना चाहूंगा। विधायी निकायों में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। आजकल अपराधियों का राजनीतिकीकरण तथा राजनीति या अपराधीकरण दोनों ही चीजें हो रही हैं। निर्वाचन आयोग ने विधायी निकायों में अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन्हें दो वर्ष की सजा मिली है वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अत: अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को राजनीति में आने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल का गठन करते समय एक प्रवृत्ति है कि उच्च सदन के सदस्य जो जनता द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित नहीं होते हैं, को मंत्री बनाया जाता है। कोई एहतियाती उपाय अथवा कोई इस आशय का खंड होना चाहिए कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य निचले सदन से होने चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित व्यक्तियों को ही पद धारण करना चाहिए। ऐसा निर्धारण होना चाहिए कि एक खास प्रतिशत तक ही उच्च सदन के सदस्य मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अन्त में, महोदय मुझे पता नहीं है कि सभी इस बात पर मुझसे सहमत होंगे या नहीं। आज हमारी आबादी का 45 से 47 प्रतिशत भाग युवा है। राजनीति में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दलों के नेता किसी भी उम्र में अपने राजनीतिक दलों में कार्य कर सकते हैं। किंतु पदधारण करने के लिए, वह भी देश के सर्वोच्च पद के लिए कुछ ऊपरी आयु सीमा होनी चाहिए और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। जीवन प्रत्याशा तथा अन्य चीजों पर विचार करने के बाद ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है। *...(व्यवधान)* मैं जानता हूं आप क्या कहने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डा. मनोज, कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली में हो सकने वाले परिवर्तनों अथवा सुधारों के संबंध में सदन के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर विस्तृत विचार-विमर्श होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.19 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं श्री पवन कुमार बंसल से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.19$^{1}/_{2}$ बजे

निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006—*जारी*

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदय, श्री सी.के. चन्द्रप्पन जी जो प्रस्ताव लाए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लम्बे समय से चर्चा का विषय भी बना हुआ है। हमारा देश लोकतांत्रिक है और उसके नाते लोकतंत्र की संस्थापना करने के लिए जनता के, जनता से, जनता के लिए राज्य व्यवस्था

स्थापित करने के उपाय करने के लिए निर्वाचन पद्धति स्थापित हुई है। इसके उद्देश्य और कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है- भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिनके पास लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र के सफल व्यवहार का विपुल अनुभव है, यानी हमारे यहां लोकतंत्र, गणतंत्र की जो मान्यता है, वह ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। निश्चित रूप से इस अनुभव को अनुभव सिद्धता के आधार पर हमने आगे ले जाने का काम करना है। लोकतांत्रिक निर्वाचन लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, लेकिन हमारी निर्वाचन प्रणाली में कतिपय प्रत्यक्ष कमियां दिखाई पड़ती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए आयोग बने और उसे शुद्ध बनाएं, इस विधेयक की ऐसी भावना है। देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र इनका निराकरण करना होगा। आगे कहा गया है-धन बल, जातिगत राजनीति, धार्मिक विश्वास उम्मीदवारों के भाग्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं को अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व दिलवाना, हमारी निर्वाचन प्रणाली से धन बल, बाहुबल को बाहर करने के लिए निर्वाचन हेतु सरकार द्वारा वित्त पोषण विजेता उम्मीदवारों के लिए बहुमत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन के अभिनव तरीकों की शुरुआत और इसी तरह के मुद्दे जिन पर विशेषज्ञ निकायों द्वारा सूक्ष्म जांच किए जाने की आवश्यकता है। इन सारी बातों का समावेश करते हुए उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के लिए निर्वाचन पद्धति में जो दोष आ गए हैं, उनके निवारण के लिए इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। करने चाहिए, लेकिन होते क्यों नहीं हैं। कोई नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। परन्तु किसी को शुरूआत करनी होगी। शुरूआत करने की दृष्टि से प्रेरणा है। यदि सरकार माने तो अच्छी बात है और नहीं माने तो अभी तक नहीं माना गया है, उसका क्या हो गया है। उसका भी कुछ नहीं हुआ है और आगे भी यदि कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन फिर हमें देश के अधःपतन रोकने में मुश्किल होगी। हम सब जानते हैं कि इन सारी बातों के लिए जो उपाय करने चाहिए, हमने उसका भी उद्देश्य बनाया है, भारत का संविधान बनाया है। भारत के संविधान में भी अपने उसके उद्देश्य का प्रीएम्बल बनाया है। उसमें कहा गया है कि भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न बनाने के लिए-सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न कौन बनाएगा। वह हमें ही बनाना है। उसमें यह भी कहा गया है कि समाजवादी बनाना है। समाजवादी बनाने के लिए कौन आगे आएगा। हमें ही आगे आना है। समाजवाद के मायने क्या है, समाजवाद कैसे आएगा, समाजवाद के तौर-तरीके कैसे होंगे, इसकी पद्धति भी हमें विकसित करनी होगी। किन्तु अभी समाज बाद में है और राजनीति आगे हो गई है। सत्ता के लिए चाहे जो करें। कोई एक ही पक्ष करता होगा, ऐसा नहीं है, जिसे मौका मिलता है, वह चूकता नहीं है। इस दृष्टि से इस पर नियंत्रण कैसे होगा। धर्म चक्र प्रवर्तनाय- इसके लिए ही यह संसद है और उसमें अपने दायित्वों का निर्धारण करने की दृष्टि से हम ही हैं। फिर पंथनिर्पेक्ष कहा गया है। पंथनिर्पेक्ष होना बहुत मुश्किल बात है। अब तरह-तरह की बातें शुरू हो गई हैं। यह आयोग बनेगा, वह आयोग बनेगा, इससे उसका हित होगा, उससे इसका हित होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इस विधेयक के लिए निर्धारित समय दो घंटे था, जो लगभग समाप्त हो रहा है। अभी आठ माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो इसके लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जी हां, समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदयः ठीक है।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अब हम पंथ निरपेक्ष कैसे होगा? पंथ निरपेक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि पंथ एक ही है। एक राष्ट्र का उत्थान, समाज का कल्याण, समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में हमारी चिंता है और इन सब चिंताओं को करने के लिए हम सब हैं। परन्तु इन सारी बातों को करने के लिए जो करना चाहिए, वह नहीं हो रहा। इसलिए पंथ निरपेक्ष होने की बात कहने के बाद, भारत के संविधान में हम यथार्थ में पंथ निरपेक्षता से कितनी करीब और कितने दूर हैं और कौन कहां मजबूर है, ये सब परिस्थितियां सामने हैं। फिर कहा गया कि हम लोकतंत्रात्मक राज्य बनायेंगे। इसमें लोक आगे रहेगा, गण भी रहेगा और गण के आधार पर लोक बनेगा और फिर हम उस आधार पर इसे गणराज्य बनायेंगे। परन्तु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बातें करनी ही नहीं है, उसके लिए लोक की चिंता तो करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में लोक का विलोप हो गया और तंत्र के भरोसे सारा लोक हो गया। 'एक और प्रजा, दूसरी ओर तंत्र, तीसरी ओर इंसाफ का लगा रखा है यंत्र।' अब तंत्र के भरोसे यंत्र चलेगा, तो जनता का क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। इस दृष्टि से हमारी जो बात है, उसे आधार देने की जरूरत है। अब बात क्या है कि सब करना चाहते होंगे व्यक्तिशः। मन में भी अच्छे लोग हैं, मन से भी अच्छे लोग हैं परन्तु मन से अच्छे लोग से क्या होता है? जब वह समूह में आता है, तो समूह की मनोवृत्ति से वह वैसा हो जाता है। समूह क्या चाहता है? उसमें से कुछ लोग जो तय करते हैं, वह दिशा तय नहीं हो पाती। वैसे भी हमारे यहां आदर्शों की कमी नहीं है और आदर्शों का अनुसरण करने के लिए किसी ने रोका नहीं है। "यदा-यदा अतिश्रेष्ठः एवतजना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।" परन्तु इतना ऊंचा कौन बने। अब फिर से हम भारत के संविधान के रचियता डा. बाबासाहेब अम्बेडकर लेकर कहां से आयें? वे चले गये। उन्होंने विधान दे दिया, संविधान दे दिया, प्रावधान दे

[डा. सत्यनारायण जटिया]

दिया, अब करने के लिए हम हैं और हम करते नहीं हैं। जब हम करते नहीं हैं, तो वह होगा कैसे। जब नहीं होगा, तो उसके परिणाम भी आने वाले नहीं हैं। उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने हैं। इसलिए इन सारी बातों की दृष्टि से, सर्वांगीण रूप से विचार करने के लिए ये बातें करने की जरूरत है। संविधान ने कहा कि न्याय करो। सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय करे। क्या हम न्याय कर पाते हैं? क्या न्याय करते हैं? क्या उसके लिए विधि विधान बनाया गया है, क्या उसके लिए प्रावधान किये गये हैं, क्या उसका अनुशीलन हो रहा है या उसका अनुपालन हो रहा है? वह नहीं हो रहा है। जब किसी पर न्याय करने के लिए मौका आता है, तो जिस पर न्याय किया जाना चाहिए, उसके प्रति अन्याय ही होता है। क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी बात को कह सके। इसलिए फिर हम शोषण मुक्त समाज रचना की हम बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, वे बेमानी हो जाते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जो उपाय होने चाहिए, वे नहीं होते हैं। आज हम देखते हैं कि सड़क पर जो आदमी काम कर रहा है, धूप में जो तप रहा है, खेत में जो काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसका सम्मान कहां रह जाता है? उसको मान कहां मिलता है, उसको रोटी कहां मिलती है, उसको रोजी कहां मिलती है, उसके रोजगार की बातें कहां हो पाती हैं और जो बातें हो रही हैं, वे पूरी कहां हो पाती हैं। इसलिए सामाजिक न्याय की बात एक तरह से बेमानी हो जाती हैं। फिर आर्थिक न्याय की बात है। अब आर्थिक विसंगतियां बहुत हैं। एक आदमी को 50 रुपये या 25 रुपये नहीं मिल रहे हैं। कोई बीड़ी बना रहा है, कोई स्लेट बना रहा है या कोई और कुछ कर रहा है। गांव में तो रोजगार भी नहीं है। यह परेशानी उसके साथ है, इसलिए आर्थिक न्याय भी नहीं हो रहा है। ऐसी आर्थिक विषमता भी है कि किसी को हजारों करोड़ों रुपये मिल रहे हैं। अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि एक व्यक्ति को एक मिनट के लिए हजारों रुपये तन्ख्वाह के रूप में मिल रहे हैं और पूरी मेहनत करने के बाद एक महीने में हजारों रुपये किसी को तन्ख्वाह भी नहीं मिल रही। कुल मिलाकर यह जो आर्थिक विषमता की विसंगति है, उसे दूर कौन करेगा? राजनीति न्याय तो केवल वोट देने का अधिकार मिल गया है। उस वोट का क्या होता है? अब वोट तो थोक में जाते हैं। उस वोट के सौदागर उसे अपनी तरह से तय करते हैं। हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गये? इस 60 साल की यात्रा में हमारा लोकतंत्र कहां पहुंच गया? उसकी दिशा विभ्रम कैसा हो गया? क्या इसे रोकने वाला कोई है या नहीं? यदि आप और हम नहीं कर सकते, तो हम आने वाली पीढ़ी को कौन सा देश देने वाले हैं? यह चिंता का विषय है। इस दृष्टि से हमारी समग्र चिंता इस प्रकार की है कि निश्चित रूप से जो पद्धति हमने विकसित की है, उस पद्धति से हम लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हैं। जिस बात के लिए हमने यह पद्धति बनायी है, हम बनाना क्या चाह रहे थे, बन क्या गया है, जा कहां रहे थे और पहुंच कहां गये हैं, पहुंच कहा रहे हैं, पहुंच कहां जायेंगे? इसलिए आपसी वैमनस्य कितना हो गया है। मैं सातवीं लोक सभा में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जटिया जी, प्लीज आप ब्रीफ बोलिये।

...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): मैं बिल्कुल ब्रीफ करता हूं और ब्रीफ में से और ब्रीफ करता हूं परन्तु कोई इस ब्रीफ को समझ ले तो मैं कुछ नहीं करता हूं। कोई समझे तो जाने और न समझे तो क्या जाने, क्योंकि सच को न समझा, न सच को है जाना, सच सदा से रहा अनसमझा अनजाना। सच यह है कि सच को सच बताएं तो बताएं कैसे और सच यह भी है कि सच को सच समझाएं तो समझाएं कैसे, क्योंकि सच के रास्ते में मुश्किलें हैं ज्यादा, बोला तुम्हारा क्या है इरादा। साथ चल सको तो साथ में आओ और न चल सको, तो यहीं ठहर जाओ, सच का कहां कारवां होता है, सच तो हमेशा से अकेला चला है, लोग आते गए, करवां बनता गया, इसलिए सच्चाई की प्रतिष्ठा करने की तो बात है। संवेदना की ही तो बात है। राजनीति के अंदर संवेदना, शून्यता, निष्ठुरता, षड्यंत्र, साजिश आई गई है। पहले युद्ध हुआ करते थे, लोग मर जाया करते थे, मार दिया करते थे, षड्यंत्र किया करते थे और इस तरह से विजेता हो जाया करते थे। आज भी क्या हो रहा है? आज भी उसी पद्धति में हम आ गए हैं। यह बात जरूर है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, परोक्ष रूप में हो रहा है और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। कहीं कहीं प्रत्यक्ष हो भी रहा है। इस दृष्टि से इस पद्धति को, जिस व्यक्ति को हमने अधिकार दिया है, उसे इस पद्धति को सर्वशुद्ध करने की दृष्टि से भी राजनीतिक न्याय करने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र गणराज्य को जो कुछ न्याय मिल गया है, उसे देखने की बात है, क्योंकि आखिर चुनाव की पद्धति हमने एक संस्था चुनने के लिए बनाई है। चाहे वह पंचायत की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे जिला जनपद की हो, चाहे विधान सभा की हो, चाहे लोक सभा की हो, चाहे राज्य सभा की हो, ऐसी संस्थाओं को चुन कर उस संस्था के माध्यम से हम ऐसा विधेयक पारित करते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। एक आदर्श स्थिति बनाने की ओर हमें चलना चाहिए। न राज्यं न राजासीत, न दंडो न च दांडिका, धर्मेण्येव प्रजा सर्वे रक्षति स्व परस्परं। एक दूसरे की रक्षा करने के लिए कानून की जरूरत पड़ती

है और कानून किसे कितना बचा पाता है। अगर हम आपस में एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सके तो कानून हमारी कितनी रक्षा करेगा। इसलिए एक नैतिक बल विकसित करना चाहिए, इसलिए चुनाव की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें धनबल न हो, बाहुबल न हो, वैमनस्य न हो और इस कारण भी इन सारी बातों को लेते हुए ऐसा उपाय करें कि हमारे परस्पर मतभेद समाप्त हो जाएं। मैं अनुभव करता हूं कि जीवन का समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, क्या हम जिस बात के लिए चले थे, उसे पूरा कर पा रहे हैं या राजनीति के कर्मकांड में इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं कि बाकी मनुष्यता की बातें भूल गए हैं। इस दृष्टि से सिरा ढूंढता हूं मैं जिंदगी का, पता हो तुम्हें तो बता दीजिए, ये पर्दा है जो दरम्यान झीना सा, हटा सको तो हटा दीजिए। इसलिए इस सारी पद्धति को दोषमुक्त करने का उपाय हो, इसके लिए एक संकल्प की आवश्यकता है, उस संकल्प के पीछे पूरे राष्ट्र को खड़ा करने का भाव अगर रहा तो निश्चित रूप से हम समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। यह विधेयक तो एक बहाना है, इसको यहां पारित तो नहीं होना है, लेकिन यह सरकार के संकल्प को प्रकट करने का साधन मात्र है। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार सुधार का संकल्प करना चाहती है, तो अगर कुछ नियम बनेंगे तो उससे सभी का लाभ होगा। शुरूआत में कुछ लोगों को इससे कुछ समय के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे सभी को लाभ होगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि सरकार इन बातों को करने के लिए निर्वाचन में शुद्धता लाने के लिए एक आयोग का गठन करे, चुनाव की पद्धति कैसी हो, मतदाता सूची कैसी हो, मतदान केन्द्र कैसे हों, मतदाताओं को वहां तक जाने के लिए साधन कैसे हों, मतदान केंद्र कितनी दूरी पर हों, ये सारी व्यवस्था वह आयोग देखे और हमारी पद्धति में छोटे-मोटे दोष हैं, उनका निवारण करने के लिए वह आयोग सुझाव दे सके। जब यह सब काम होंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के निर्माण में हम अपना योगदान कर सकेंगे। फिर से वह लक्ष्य स्थापित करने में हम सफल होंगे जो इस राष्ट्र की पहचान है। यह हमारे सामने प्रश्नचिह्न है, जिसे हमें पूरा करना है।

"हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी,
आओ विचारें मिलकर हम ये समस्याएं सभी,
यद्यपि इतिहास ज्ञात पूरा है नहीं,
हम कौन थे, इसका ज्ञान फिर भी अधूरा है नहीं,
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां,
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल है जहां,
सम्पूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है,
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है।"

इसका जवाब देने के लिए एक पद्धति का चयन करने का एक अवसर आपके पास है और मुझे विश्वास है कि आप उसका लाभ उठाएंगे और जनता को इस जनतंत्रात्मक पद्धति की स्थापना करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।

माननीय सदस्य की वजह से और आपकी वजह से मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको और माननीय सदस्य को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के प्रस्तावक कामरेड सी.के. चन्द्रप्पन ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में काफी स्पष्ट रूप से यह बताया है कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रजातंत्र के अनिवार्य तत्वों में से एक है। कामरेड द्वारा अभिव्यक्त किया गया विचार काफी ज्ञानवर्धक है।

उन्होंने हमारी निर्वाचन प्रणाली की कतिपय खामियों को स्पष्ट किया है, जिनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। के फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली से सहमत नहीं हैं जिसमें कोई उम्मीदवार काफी कम प्रतिशत मत पाकर जीत जाता है। उनका यह विचार है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक आयोग का गठन किया जाए जिसमें सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त और मौजूदा चुनाव आयुक्त को भी नियुक्त किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि यह वि-सदस्यीय आयोग होगा।

अपराह्न 5.36 बजे

[**डा. सत्यनारायण जटिया** पीठासीन हुए]

दूसरे शब्दों में यह त्रि-सदस्यीय आयोग प्रथमत: आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अथवा सूची प्रणाली की जांच करेगा जिसमें लोक सभा, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की पचास होगा जिसमें महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण शामिल होगा; द्वितीयत:, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होगा और तृतीयत: राज्य सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण होगा। ये तीन प्रमुख बिंदु हैं जिन पर वे जोर दे रहे हैं। लेकिन विधेयक का सर्वोत्तम भाग चुनाव खर्च का सरकार द्वारा निधिपोषण है, जिसने मेरे हृदय को छूट लिया है। मैं इन बिंदुओं पर बोलने और इस संबंध में मैं अपने सुविचारित मत को रखने का प्रयास करूंगा।

यह गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक है और प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत विचार रखेंगे। प्रथमत:, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो यह महसूस करते हैं कि हमारे देश

[श्री भर्तृहरि महताब]

में चुनावों में कुछ गड़बड़ी है और इनमें सुधार की तथा खामियों को दूर करने की गुंजाइश है। उनका यह भी कहना है कि निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त संख्या में मत नहीं मिल पाता है ताकि वे वास्तविक अर्थों में संसद तथा राज्य विधानमंडलों में लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें। वे बीस प्रतिशत अथवा बीस प्रतिशत से भी कम मत पाकर निर्वाचित हो जाते हैं। कुछ देशों में अगर किसी उम्मीदवार को डाले गए मतों का कम से कम 50 प्रतिशत मत नहीं प्राप्त होता है, तो सात दिनों में अथवा निर्दिष्ट समय के अंदर पुनः चुनाव आयोजित कराए जाते हैं और उन्हें तभी निर्वाचित घोषित किया जाता है और अगर उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुआ हो।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के प्रस्तावक कुछ माह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में अवगत होंगे। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का कम से कम पचास प्रतिशत जमा एक मत प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान में, कई निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में पचास प्रतिशत से कम मतदाता ही मत डालते हैं और ऐसी स्थिति में किसी को भी वास्तविक अर्थों में बहुमत प्राप्त नहीं होता है। हमारे यहां बहुदलीय प्रणाली है और स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनाव में भाग लेते हैं। अतः, प्रत्येक स्थान के लिए काफी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण डाले गए मत अनिवार्यतः बंट जाते हैं और यह आम घटना हो गई है कि डाले गए कुल मतों के एक तिहाई अथवा एक चौथाई से भी कम मत पाकर उम्मीदवार निर्वाचित हो जाते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि जहां भी 50 प्रतिशत से अधिक के बहुमत का सिद्धांत पूरा नहीं होता है, वहां पहले तथा अगले दो उम्मीदवारों के बीच पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए। इस प्रकार का दुबारा चुनाव मतगणना के एक अथवा दो सप्ताह के अंदर कराया जाना चाहिए ताकि इन दो चुनावों के बीच अनुचित अंतराल न हो जिससे स्वयं ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप काफी संख्या में उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर कर देते हैं और अंततः उन दो उम्मीदवारों के बीच एक और चुनाव कराया जा सकता है जिन्होंने अधिकतम मत प्राप्त किए हैं। अतः, एक प्राथमिक चुनाव होगा और एक अन्य अनुवर्ती चुनाव होगा। जहां डाले गए मतों का 50 प्रतिशत जमा एक मत तक मतदान नहीं होता है वहां चुनाव दो चरणों में होंगे। यह एक सुझाव है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिया गया है और मेरा मानना है कि सरकार को इसकी जानकारी है।

इस प्रकार की प्रणाली को वृहत्तर विधानमंडलों के साथ संयुक्त किया जा सकता है ताकि बढ़ रही जनसंख्या तथा विशेष हितों को समायोजित किया जा सके, जिसके बारे में इस विधेयक के प्रस्तावक ने उल्लेख किया है। अतिरिक्त स्थानों को सूची प्रणाली के आधार पर भरा जा सकता है जिसका सुझाव मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया है। हमें इस बुनियादी पहलू पर चर्चा करनी चाहिए ताकि अधिक संख्या में मतदाताओं को मत डालने के लिए बूथों को लाया जा सके ताकि हम पचास प्रतिशत को पार कर सकें तथा चुनाव में वास्तव में जनता के बहुमत की आवाज प्रतिबिम्बित हो। इसके कई तरीके हैं। कुछ माह पूर्व अन्य माननीय सदस्य ने गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था, जिस पर हमने चर्चा करते हुए अनिवार्यतः मत विभाजन की मांग की थी। जो बात मैं पहले कह चुका हूं तथा अन्य माननीय सदस्यों ने उस दिन कही थी मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।

आज मैं केवल इसी विषय पर बात करूंगा। पहला विषय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है तथा दूसरा पहलू यह है कि सूची प्रणाली कैसे बनाई जाए। ये दो अलग-अलग पहलू है। लेकिन माननीय सदस्यों ने इन दोनों पहलुओं पर संयुक्त रूप से चर्चा की है। बेहतर होगा यदि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अथवा पचास प्रतिशत जमा एक मद पर पहले चर्चा करें तथा सूची प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर अलग चर्चा करें। ये दो अलग-अलग पहलू हैं। मेरा कहना है कि लम्बे समय तक राजनीतिक विश्लेषक यह मानते रहे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से संसद तथा विधान सभाओं ने बहुमत सुनिश्चित किया जा सकेगा। जिससे निर्णायक सरकार बन सकेगी। दूसरी ओर आनुपातिक प्रतिनिधित्व विभाजनात्मकता को बढ़ावा देगा।

मैंने श्री अरुण शौरी द्वारा लिखित 'द पार्लियामेंट्री सिस्टम' नामक पुस्तक पढ़ी है। यह पुस्तक ग्रन्थालय में उपलब्ध है। वह एक प्रसिद्ध स्तम्भकार एवं पत्रकार हैं। उन्होंने इससे संबंधित विवरण इस पुस्तक में दिए हैं। मेरा मानना है कि माननीय सदस्य श्री खारवेनथन को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस सभा के लिए वर्ष 2004 में निर्वाचित हुए साठ प्रतिशत सदस्य अल्पमत से चुने गए थे। यदि हम हमारे कुछ प्रतिनिधियों को प्राप्त होने वाले समर्थन तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या की भी जांच करें तो प्राप्त होने वाले निष्कर्ष और भी अधिक निराशाजनक होंगे। दूसरे शब्दों में लोक सभा के लिए निर्वाचित 99 प्रतिशत सदस्य आधे से कम मतदाताओं के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। यही स्थिति है। यही वास्तविकता है।

आगे जांच करने पर एक रूचिकर बात पता चली कि लगभग 60 प्रतिशत सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के 30 प्रतिशत से भी कम मतदाताओं का मत मिला। श्री शैलेन्द्र कुमार भी यहां पर उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा के हाल ही में हुए चुनावों का आकलन करने पर यह पाया गया कि विधान सभा की 403 सीटों में से 14 निर्वाचन क्षेत्रों में ही निर्वाचित उम्मीदवारों को

कुल पड़े मतों का 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि 389 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश विधान सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अल्पमत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। मैं एक या दो उदाहरण और दूंगा। ढावा निर्वाचन क्षेत्र जिसके बारे में मुझे नहीं पता है कि यह किसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, में 3.05 लाख मतदाता हैं लेकिन केवल 85,258 मतदाताओं अर्थात् 27.92 या 28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं निर्वाचित सदस्य का नाम लेने की जरूरत नहीं समझता हूं, वह आपकी पार्टी के नहीं है, वह केवल 22,549 मत प्राप्त कर ही निर्वाचित हो गए अर्थात् उन्हें 26.45 प्रतिशत मतदाताओं के ही मत प्राप्त हुए। वास्तव में यह कुल मतदाताओं का 7.5 प्रतिशत ही है। फार्स्ट पास्ट द पोस्ट की यह एक समस्या है। ऐसे और कई उदाहरण होंगे।

राजनीतिक विखराव के कारण अस्थायी एवं सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनते हैं तथा फार्स्ट पास्ट द पोस्ट एक विश्वसनीय शासन व्यवस्था या लोकतंत्र की गारंटी नहीं देता है, जिसके बारे में आपने अभी-अभी उल्लेख किया है। लेकिन क्या हम उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं जिसके बारे में आपने अभी-अभी उल्लेख किया है? क्या हम मौजूदा प्रणाली के दोषों से अनभिज्ञ है? जर्मनी में लागू आंशिक सूची प्रणाली को यहां पर भी लागू करने के बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। परन्तु हमने ब्रिटिश माडल के आधार पर दल व्यवस्था लागू की है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर आप समय सीमित कर सकें तो एक और सदस्य बोल सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: हमारे यहां मंत्रिमंडल प्रणाली है तथा यह प्रणाली वहां कार्य नहीं कर सकती है जहां पर कई राजनीतिक दल प्रशासन चलाने में आनुपातिक मताधिकार का दावा करते हैं। अत: आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कुछ आकर्षक हो सकता है लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित घोषणापत्र वाली सरकार में दो दलीय या मोर्चे की अनिवार्यता होती है अथवा अल्पमत वाली सरकार की जिसे अब हम देख रहे है तथा जिसे हम गत 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं, जब संसद में चुनौती मिलती है तो मंत्रिमंडल को बाहर से विश्वसनीय विचारधारा वाले दलों की जरूरत होती है।

संसद ने बहुमत होना लोकतांत्रिक शासन का सार है। इसलिए निश्चित नीतियों वाली सुदृढ़ सरकार के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व मेल नहीं खाता है। जब संसद उन्मत होकर या हठधर्मिता से कार्य करती है तो शासन दुर्बल पड़ता जाता है लेकिन कैबिनेट प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति जैसा कि हमारे देश में है, जो पर्यवेक्षककारी क्षेत्राधिकार तथा विशिष्ट संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, निर्विवाद रूप से बेहतर है। हमारे यहां केबिनेट प्रणाली है जिसके अंतर्गत राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जिसके पास औपचारिक शक्तियां होती है और परामर्शदात्री प्राधिकार होता है। उसे सरकार से सूचनाएं प्राप्त करने तथा कैबिनेट को परामर्श देने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अत: राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसी स्थिति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का महत्व अधिक होता है लेकिन हमारा संविधान कैबिनेट प्रणाली पर आधारित है तथा इस आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री इस मूल विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): क्या मैं इस बारे में एक बात कह सकता हूं? जब हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करते हैं तो यह प्रणाली भारत में लागू नहीं की जा सकती है तथा इसका एक छोटा सा कारण यह है कि हमने हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया है। अत: यदि हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाते हैं तो यह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन होगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। कोई भी कानून जिससे संसदीय प्रणाली में परिवर्तन किया जाएगा वह संविधान के विपरीत होगा। हमें संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए तथा इसी विचारधारा के अंतर्गत हमें कुछ करना चाहिए ताकि सांसदों को अधिकतम मत मिल सके तथा स्पष्ट निर्वाचन हो सके। इन्हीं बातों पर हमारे नेतागण चर्चा करते हैं। इसलिए, जब हम विश्व की अन्य शासन प्रणालियों की बात करते हैं तो वे उन देशों के लिए उपयुक्त होती हैं। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है तथा सरकार की यही एकमात्र प्रणाली है जो भारत के लोगों को स्वीकार्य है। यदि आप पंडित नेहरू, डा. अम्बेडकर तथा सरदार पटेल के भाषणों को गंभीरतापूर्वक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने संविधान सभा में बोलते समय सरकार की अन्य प्रणालियों को पूर्णतया खारिज कर दिया था। भारत एक विशाल देश हैं तथा यहां पर चुनावों में कई करोड़ लोग भाग लेते हैं। अन्य देशों की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है। अत: हमें इस प्रणाली में सुधार करना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप और कितना समय लेंगे?

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मैं दस मिनट का और समय लूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: फिर कोई दूसरा सदस्य नहीं बोल पाएगा। आप समय थोड़ा सीमित करें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: अब मैं चुनाव पर होने वाले खर्चे का सरकार द्वारा वित्त पोषण करने के मामले पर आता हूं। यद्यपि सरकार द्वारा वित्त पोषण के बारे में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने आप को सीमित करने का प्रयास करूंगा। चुनावों पर होने वाले खर्च का सरकार द्वारा वित्तपोषण आज की कार्यसूची का अगला विषय है। यह तभी कारगर सिद्ध होगा जब 'दलों और मित्रों' के व्यय को मिला दिया जाए। अन्यथा केवल उम्मीदवारों के संबंध में उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने के परिणामस्वरूप 'दलों और मित्रों' द्वारा ज्यादा खर्च किया जाएगा। मुझे कारपोरेट वित्तपोषण पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता बशर्ते तुलनपत्र में धनराशि की घोषणा न कर दी जाए और इस संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त न बनाए जाएं जिससे मत बंटवारे के आधार पर विपक्षी दलों या उम्मीदवारों को उक्त धनराशि का कुछ भाग प्राप्त हो ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। 7 जून, 2004 को माननीय राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि ये सरकार चुनावी सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण संबंधी कदम उठाने पर विचार करेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यही बात कही गई थी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में बताएंगे।

इन्द्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार राजनीतिक दलों को मुफ्त आवास नि:शुल्क टेलीफोन, इत्यादि जैसी सुविधाओं के लिए सरकारी वित्तपोषण प्रदान करने पर विचार कर रही है। हमें बताया गया है कि निर्वाचन आयोग ने 15 फरवरी, 2006 को चुनावों में सरकारी खर्च पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 44 राज्य दलों में से 28 दलों ने भाग लिया था। चुनावों में धन की शक्ति की भूमिका को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच पूरी तरह से सर्वसम्मति थी लेकिन चुनावों में सरकारी वित्तपोषण संबंधी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। लेकिन आंशिक सरकारी खर्च संबंधी वर्तमान प्रस्ताव से चुनावों में धन की शक्ति के मुद्दे का समाधान नहीं हो पाएगा और इस वास्तविक मुद्दे को हल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा धन की प्राप्ति और इस धन को खर्च किए जाने संबंधी पद्धति संबंधी उपबंधों में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे ताकि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता आ सके।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप आखिरी वक्ता के लिए दो मिनट का समय छोड़ दे जिससे वह छ: बजे से पहले बोलना शुरू कर दे और अगली बार बात बोल सकें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय महिलाओं के आरक्षण के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि मैं पहले ही सूची प्रणाली का उल्लेख कर चुका हूं। सभा में और बाहर यह विचार कैसे आया था मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता और क्या यह जरूरी है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लेकिन इसे किस तरीके से लागू किया जोगा। इस संबंध में मतभेद है। मेरा मानना है कि लोक सभा में महिला आरक्षण की अवधारणा के प्रति मुख्य आपत्ति रोटेशन से उत्पन्न हुई है। रोटेशन से किसी भी संसद सदस्य, चाहे वह महिला हो या पुरुष सदस्य हो का उसका और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच संपर्क टूट जाएगा। जैसे ही रोटेशन शुरू होगा वैसे ही सांसद का उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच संपर्क टूट जाएगा और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी समस्या है। जब तक आप इस मुद्दे पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते तब तक सारी चीजें बेमानी हैं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में एक बहुत ही विशेष बात लाना चाहता हूं। हमने राजनीति के अपराधीकरण और राजनीति के अपराधियों द्वारा प्रभावित होने के बारे में चर्चा की है। सभा में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई थी और सारी सभा ने उसे अपनी आंखों से देखा है तथा इसके बारे में हमारी अवधारणा अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की राय अलग होती है। इसी प्रकार अपराधियों के रूप में राजनीतिज्ञों के बारे में भी सभी की राय अलग-अलग है तथा समाज में भी इसके बारे में अलग-अलग राय है। शिक्षित व्यक्ति उम्मीदवार को अपने नजरिये से देखता है जबकि हर दराज रहने वाला व्यक्ति उम्मीदवार को अपने अलग नजरिये से देखता है। क्या हमने फूलन देवी को नहीं देखा जो हमारे बीच इस सभा में थी जो इस सभा के लिए दो बार चुनी गई और उन्हें नहीं मालूम था कि वे एक कातिल हैं। उन्होंने हत्या की थी, एक नहीं अपितु कई हत्याएं की थीं। 11 वर्षों तक जेल में रही इस दौरान न तो उन्हें रिहा किया गया और न ही दोषसिद्ध किया गया। लोगों ने उन्हें चुना और सभा में उनका व्यवहार एक अपवाद था। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि वह सभा के बीच में आकर खड़ी हुई हों; या उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जैसाकि सामान्यत: तथाकथित भद्रजन और शिक्षित लोग सभा में करते हैं। उन्होंने कष्ट उठाए थे और उन्होंने इसका मूंह तोड़ जवाब दिया। कानून के अनुसार वह एक अपराधी थी और वह जेल में थी। लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें चुना।

महोदय, मैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार से असहमत हूं। जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की गई है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं चुनाव में सरकारी वित्तपोषण का समर्थन करता हूं। हमें किसी आयोग की दरकार नहीं है क्योंकि हमारे पास इन्द्रजीत गुप्त समिति की रिपोर्ट है और सरकार हमें बताए कि वे इस बारे में क्या कर रहे हैं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं कामरेड सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक पर चर्चा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों ने मात्र इस कारण से विभिन्न मुद्दे उठाए हैं कि भारत सरकार ने चिर प्रतीक्षित चुनाव सुधारों के संबंध में वांछित कार्रवाई नहीं की है। स्वयं सरकार ने इन्द्रजीत गुप्त समिति सहित अनेक समितियों का गठन किया था। निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों से पहले अनेक सिफारिशें की हैं। देश में राजनीतिक विश्लेषक और अन्य सक्रिय समूहों ने चुनाव सुधारों की वकालत की है।

सायं 6.00 बजे

परन्तु इस आधार पर कि आम राय बनी है, हम चुनाव सुधारों को लाने में असमर्थ है और संभवत: इसी बात ने हमारे कामरेड, श्री चन्द्रप्पन को इस सम्माननीय सभा में यह विधेयक लाने के लिए प्रेरित किया होगा।

माननीय सदस्य की इस भावना व संबंधित सक्रियता की प्रशंसा करते हुए हमारे पास एक निर्वाचन सुधार आयोग होना चाहिए, मैं यह महसूस करता हूं कि इस देश में पर्याप्त तंत्र मौजूद हैं जिनकी देश में वांछित चुनाव सुधार करने के लिए आवश्यकता है।

सभापति महोदय: प्रो. रामदास, अब सायं 6.00 बज चुके हैं। आप अपनी बात अगली बार जारी रख सकते हैं।

अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा करेंगे। प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, अब मैं एक बहुत ही अहम् मसला सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत की राजधानी दिल्ली में कतिपय षड्यंत्रकारी साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा कुछ समय पूर्व सामाजिक सौहार्द्रता एवं राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचान के लिए, आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व स्वराज्य के प्रथम मंत्रद्रष्टा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पुरोधा एवं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत तथा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा वेद की शिक्षाओं के आधार पर रचित सुप्रसिद्ध सुधारवादी ग्रन्थ "सत्यार्थप्रकाश" के मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जिससे देश के लाखों-करोड़ों आर्य समाज के अनुयाइयों में भयंकर रोष एवं आक्रोष व्याप्त है तथा हजारों आर्य साधु, संत, सन्यासीगणों ने जन्तर-मन्तर पर अभी पिछले दिनों धरना देकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द्रता पर जोर दिया है।

सत्यार्थप्रकाश एक वैचारिक क्रांति की मशाल है। इस ग्रंथ में स्वराज्य, स्वदेशभक्ति, स्वाभिमान, राष्ट्रीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना, मानवता, सामाजिक एक्य, महिलाओं को सम्मान देने, अनिवार्य शिक्षा, छूआछूत उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों के उच्छेदन, अंधविश्वासों का निषेध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विभिन्न विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाकर धार्मिक रूढ़ियों एवं उन्मूलन आदि की तथ्यपूरक विवेचना की गई है। इस कालजयी पुस्तक ने करोड़ों दिल-दिमागों को रोशन कर धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वासों को दूर किया। भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस ग्रंथ को पढ़कर हजारों लोग भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जेलों में गये, अंग्रेजों की यातनाएं सहीं, जिस ग्रंथ ने स्वामी श्रद्धानंद, शेरे पंजाब लाला लाजपतराय, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान नेता, क्रांतिकारी देश को दिये। जिस ग्रंथ की लाखों प्रतियां देश/विदेश की भाषाओं में छपकर धर्मप्रेमियों की ज्ञापन पिपासा बुझा रही है, उस वैचारिक क्रांति के जनक "सत्यार्थप्रकाश" के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने की बात सोचना देश की एकता को नष्ट करना तथा मानवता एवं भारतीय संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध अपराध है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब ऐसे साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की गहन छानबीन कर षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए तथा करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली याचिका को निरस्त करवाकर वैचारिक अभिव्यक्ति की रक्षा करते हुए भारत माता के महान सपूत महर्षि दयानन्द सरस्वती के उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा सोमवार, 28 अप्रैल, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 अप्रैल 2008/8 वैशाख, 1930 (शक) के 1100 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री के.एस. राव श्री एल. राजगोपाल	461
2.	श्री हरिभाऊ राठौड़ डा. चिन्ता मोहन	462
3.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री थावरचन्द गेहलोत	463
4.	श्री चन्द्रभान सिंह श्री एम. अप्पादुरई	465
5.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्रीमती जयाप्रदा	466
6.	श्री एम. शिवन्ना श्री मधु गौड यास्खी	467
7.	श्री गिरिधारी यादव श्री नरहरि महतो	468
8.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	469
9.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	470
10.	श्री काशीराम राणा डा. धीरेंद्र अग्रवाल	471
11.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	472
12.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री जुएल ओराम	473
13.	श्री भाईलाल	474
14.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री हेमलाल मुर्मू	475
15.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री एन.एस.वी. चित्तन	476
16.	श्री रामदास आठवले	477
17.	श्री नवीन जिन्दल श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	478
18.	श्री फ्रांसिस फैन्थम	479
19.	श्री मनोरंजन भक्त	480

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	4600, 4731
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	4606, 4682, 4697
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4699, 4701, 4707, 4764, 4765
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	4638, 4683, 4763
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4571, 4608, 4682, 4723, 4764
6.	अजय कुमार, श्री एस.	4645, 4736
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	4701
8.	आठवले, श्री रामदास	4677, 4754
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	4589
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4554, 4630, 4673, 4774
11.	बर्मन, श्री हितेन	4618, 4714, 4773
12.	बर्मन, श्री रनेन	4601, 4636, 4768, 4773
13.	बसु, श्री अनिल	4651
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	4634
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4588, 4624
16.	भगोरा, श्री महावीर	4575, 4670, 4710, 4734, 4751
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	4709, 4767
18.	भार्गव, श्री गिरिधारी लाल	4593, 4628, 4764
19.	बोस, श्री सुब्रत	4618, 4734
20.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	4599, 4744
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4764
22.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4656, 4743

1	2	3
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4638
24.	चौरे, श्री बापू हरी	4621, 4762
25.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4617, 4638, 4690, 4713, 4762
26.	चौधरी, श्री पंकज	4595, 4634
27.	चौधरी, श्री अधीर	4759
28.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4593
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	4590, 4730, 4775
30.	धनराजू, डा. के.	4720, 4733
31.	धोत्रे, श्री संजय	4601, 4639, 4762, 4764
32.	दूबे, श्री रमेश	4592, 4678, 4682
33.	दत्त, श्रीमती प्रिया	4764
34.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	4708, 4766
35.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	4609, 4721, 4776
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4624, 4654
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4593, 4692, 4759
38.	गमांग, श्री गिरिधर	4555
39.	गांधी, श्रीमती मेनका	4627, 4764
40.	गंगवार, श्री संतोष	4622, 4644, 4735, 4764, 4774
41.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4601, 4711
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4616, 4638, 4693
43.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	4701
44.	हसन, चौ. मुनव्वर	4619
45.	जगन्नाथ, डा. एम.	4652, 4741, 4771
46.	जैन, श्री पुष्प	4611, 4628
47.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4553, 4558, 4638, 4764
48.	जयाप्रदा, श्रीमती	4663, 4699, 4755
49.	जिन्दल, श्री नवीन	4652, 4671, 4689, 4752
50.	जोगी, श्री अजीत	4712
51.	करूणाकरन, श्री पी.	4574, 4593, 4680
52.	कस्वां, श्री राम सिंह	4633
53.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	4649
54.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4653, 4655, 4742
55.	खां, श्री सुनील	4577, 4737, 4768
56.	खन्ना, श्री अनिवाश राय	4564, 4666, 4749
57.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4584, 4688, 4710, 4759
58.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4550, 4558, 4616, 4764
59.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	4620
60.	कृष्णा, श्री विजय	4595, 4710
61.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	4593, 4701, 4772
62.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	4631, 4727, 4755, 4778
63.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4612, 4625
64.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4598, 4722, 4777
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4593, 4760
66.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4597, 4685
67.	महतो, श्री नरहरि	4710, 4768
68.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4593, 4628, 4724, 4764
69.	महताब, श्री भर्तृहरि	4604, 4729
70.	माझी, श्री परसुराम	4572, 4603
71.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	4622, 4686

1	2	3
72.	माने, श्रीमती निवेदिता	4593, 4596
73.	मनोज, डा. के.एस.	4593, 4646
74.	मसूद, श्री रशीद	4556
75.	मिडियम, डा. बाबू राव	4576, 4689, 4755
76.	मेहता, श्री आलोक कुमार	4611, 4710
77.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4653
78.	मैन्या, डा. टोकचोम	4615
79.	मिश्रा, डा. राजेश	4624
80.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4559, 4676
81.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4643, 4769
82.	मंडल, श्री अबु अयीश	4632, 4728
83.	मोरे, श्री वसंतराव	4563, 4621, 4665
84.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4679, 4756
85.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4640
86.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4585, 4604, 4620
87.	नायक, श्री अनन्त	4593, 4701
88.	निखिल कुमार, श्री	4608, 4699, 4726
89.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	4661
90.	ओराम, श्री जुएल	4700, 4746
91.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4578, 4628, 4699, 4738
92.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	4566, 4710, 4734
93.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4613, 4640, 4770
94.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4549, 4565, 4686
95.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4648
96.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4690, 4713, 4762, 4763
97.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4594, 4612, 4623, 4719, 4775
98.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4647
99.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	4580, 4621, 4625
100.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4551, 4682
101.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2602, 4699, 4718
102.	पिंगले, श्री देविदास	4699, 4718
103.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4613, 4629, 4725
104.	प्रधान, श्री प्रशान्त	4650, 4740
105.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4558, 4638, 4659, 4716
106.	प्रसाद, श्री लालमणि	4603
107.	राई, श्री नकुल दास	4587, 4747
108.	राजगोपाल, श्री एल.	4695, 4708
109.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4583
110.	राजेन्द्रन, श्री पी.	4581
111.	रामदास, प्रो. एम.	4755
112.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4634, 4681
113.	राणा, श्री काशीराम	4705, 4762
114.	राव, श्री के.एस.	4646, 4698, 4757
115.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4611, 4715, 4759, 4774
116.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4687
117.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	4638
118.	रावत, प्रो. रासा सिंह	4593
119.	रेड्डी. श्री जी. करूणाकर	4568, 4667, 4750
120.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4593, 4642
121.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4674, 4724, 4758
122.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4637, 4732
123.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	4755

1	2	3
124.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4638, 4703, 4761, 4764
125.	रिजीजू, श्री कीरेन	4552, 4565
126.	साई प्रताप, श्री ए.	4570, 4669
127.	साय, श्री नन्द कुमार	4594, 4612, 4623, 4641, 4681
128.	साय, श्री विष्णु देव	4586
129.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4567, 4615, 4626, 4694, 4701
130.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	4614, 4706
131.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4607
132.	सत्पथी, श्री तथागत	4604
133.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	4635, 4755
134.	सेनथिल, डा. आर.	4755
135.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4679
136.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4699, 4701, 4707, 4765
137.	शिवन्ना, श्री एम.	4593, 4702, 4760
138.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4569, 4668, 4724
139.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4573, 4696, 4705, 4762
140.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4700
141.	सिंह, श्री गणेश	4764
142.	सिंह, श्री मोहन	4638
143.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4638, 4691, 4764
144.	सिंह, श्री राकेश	4562, 4723
145.	सिंह, डा. राम लखन	4658
146.	सिंह, श्री रामपाल	4558
147.	सिंह, श्री सुग्रीव	4594, 4612, 4623, 4681, 4719
148.	सिंह, श्री सूरज	4605, 4612
149.	सिंह, श्री उदय	4557, 4739, 4759
150.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4630
151.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4560, 4672, 4753, 4764
152.	सुब्बारायण, श्री के.	4610
153.	सुगावनम श्री ई.जी.	4561, 4664
154.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	4579, 4768
155.	सुमन, श्री रामजीलाल	4605, 4625
156.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4630
157.	थामस, श्री पी.सी.	4591
158.	ठुम्मर, श्री वी.के.	4558, 4704, 4762
159.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4549, 4657, 4745, 4768
160.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4652, 4657, 4745, 4768
161.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4593, 4699, 4759
162.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4617, 4659, 4683, 4696, 4703
163.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4593, 4662
164.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4616, 4699, 4701, 4707, 4764
165.	वारसी, श्री अनिल शुक्ल	4660, 4748
166.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4593, 4596, 4692, 4759
167.	यादव, श्री मित्रसेन	4582, 4717
168.	यादव, श्री राम कृपाल	4611
169.	यास्खी, श्री मधु गौड	4593, 4684, 4692, 4759
170.	येल्लापरापु श्री किन्जरापु	4593, 4595, 4634, 4638, 4730

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	461, 469
वित्त	:	462, 466, 467, 470, 471, 472, 475, 477
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	468
विधि और न्याय	:	474
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	463, 465, 473
ग्रामीण विकास	:	476, 479
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	464
महिला और बाल विकास	:	478, 480

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	4584, 4619, 4627, 4653, 4655, 4667, 4692, 4742, 4757
वित्त	:	4549, 4556, 4557, 4559, 4560, 4563, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4578, 4582, 4583, 4590, 4592, 4593, 4598, 4600, 4602, 4603, 4605, 4606, 4608, 4609, 4610, 4612, 4613, 4615, 4617, 4625, 4628, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4637, 4640, 4643, 4645, 4647, 4648, 4649, 4650, 4652, 4656, 4647, 4660, 4663, 4664, 4665, 4666, 4671, 4674, 4677, 4679, 4680, 4684, 4687, 4689, 4703, 4704, 4705, 4707, 4708, 4712, 4716, 4717, 4719, 4720, 4721, 4727, 4728, 4729, 4730, 4732, 4736, 4737, 4740, 4743, 4748, 4750, 4753, 4758, 4761, 4763, 4769, 4770, 4772, 4775, 4777, 4778
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	4565, 4569, 4585, 4618, 4642, 4668, 4718, 4734, 4749, 4766
विधि और न्याय	:	4550, 4577, 4581, 4595, 4616, 4641, 4669, 4685, 4690, 4691, 4[illegible], 4744, 4754
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	4638, 4715, 4751, 4767, 4774
विद्युत	:	4579, 4594, 4620, 4623, 4626, 4651, 4662, 4672, 4673, 4678, 4682, 4698, 4699, 4702, 4713, 4723, 4724, 4745, 4759, 4762, 4764
ग्रामीण विकास	:	4562, 4591, 4604, 4630, 4659, 4676, 4686, 4693, 4701, 4765, 4773

जनजातीय कार्य	:	4551, 4553, 4555, 4586, 4661, 4670, 4683, 4694, 4696, 4697, 4700, 4711, 4725, 4741, 4746, 4755
शहरी विकास	:	4558, 4561, 4567, 4575, 4580, 4587, 4588, 4589, 4596, 4611, 4614, 4621, 4622, 4624, 4639, 4644, 4654, 4675, 4688, 4695, 4706, 4709, 4722, 4726, 4731, 4733, 4735, 4747, 4752, 4756
महिला और बाल विकास	:	4552, 4554, 4564, 4566, 4568, 4576, 4597, 4599, 4601, 4607, 4629, 4636, 4646, 4658, 4681, 4710, 4714, 4738, 4760, 4768, 4771, 4776.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।